

बौद्धभारतीयन्यमाला - १२ (क)
Bauddha Bharati Series - 12 (A)

बुद्धधोसाचरियविरचितो

विस्मुखिमगगी (हिन्दीअनुवादसहितो)

पठमी भागी



लोकसामाजिकी

प्रधाल सम्पादक

स्वामी छाविकादासशास्त्री

बौद्धभारतीग्रन्थमाला-१२ (क)
Bauddha Bharati Series-12 (A)

बुद्धघोसाचरियविरचितो
विसुच्छिमग्गो
[हिन्दीअनुवादसहितो]
(पठमो भागो)

प्रधानसम्पादक
स्वामी द्वारिकादासशास्त्री

The

**VISUDDHIMAGGA
SIRI BUDDHAGHOSĀCARIYA**

With

Hindi Translation

(Vol. 1st)

General Editor

Swāmi Dwārikādās Shāstri

Translated in Hindi

By

Dr. Tapasyā Upādhyāya

Bauddha Darshana Shastri, M. A., PH. D.

BAUDDHA BHARATI

VARANASI

1998

2541B.]

[V. 2055

आचार्यबुद्धघोषविरचित
विसुविद्वमग्गा
[हिन्दीअनुवादसहित]
[प्रथम से षष्ठ परिच्छेद तक]
(पहला भाग)

सम्पादक, संशोधक
स्वामी द्वारिकादासशास्त्री

हिन्दी-व्याख्याकार
डॉ० तपस्या उपाध्याय
बौद्धदर्शनाचार्य, एम० ए०, पीएच० डॉ०



वाराणसी

१९९८ ई०

बु० २५४१]

[वि० २०५५

© बौद्धभारती
पो० बॉ० नं० १०४९
वाराणसी-२२१ ००१. (भारत)

© Bauddha Bharati
P. B. No. 1049
VARANASI-221 001 [India]

सहायक सम्पादक :
धर्मकीर्ति शास्त्री
चन्द्रकीर्ति शास्त्री

अभिनव संस्करण : १९९८

Unique Edition : 1998

Price Rs. 200/-

मुद्रक :
साधना प्रेस
काटन मिल कालोनी
वाराणसी-२२१ ००२
फॉन :- (०५४२) २१००९४

Printed By :
SADHANA PRESS
Cotton Mill Colony
VARANASI- 221 002
Ph. : (0542) 210094

प्रकाशकीय

यावत् स्थास्यन्ति गिरयः, सरितश्च महीतले ।

प्रचरिष्यति लोकेऽस्मिन्, तावद्वौद्धभारती ॥

विंगत् १९७७ ई० में, बौद्धभारती-ग्रन्थमाला के १२वें पुष्ट के अन्तर्गत, आचर्य बुद्धघोषरचित विसुद्धिमण्ड (बौद्ध योगशास्त्र का मूर्धन्य ग्रन्थ) का मूल (पालि) पाठ ही प्रकाशित हुआ था ।

यद्यपि विद्वानों ने इस ग्रन्थ का आशालीत समादर किया; परन्तु अध्येता छात्रों ने, साथ में हिन्दी अनुवाद न होने के कारण, इसको संगृहीत करने में कुछ उपेक्षा दिखायी । इन्हें अन्तराल के बाद, आज हम छात्रों की उत्कण्ठा के शमनहेतु ग्रन्थ के मूल पालि-पाठ के साथ उसका हिन्दी रूपान्तर भी प्रकाशित कर रहे हैं ।

यह हिन्दी-रूपान्तर भागवत्कृपा से इन्हाँना सुव्यवस्थित लिखा गया है कि अब यह छात्रों के लिये ही ज्ञानवर्धक नहीं, अपितु विद्वानों के लिये भी अत्युपयोगी एवं सहायक हो गया ।

यह हिन्दी-रूपान्तर विषयवस्तु का सम्यकतया अवबोध कराने के लिये, कुछ अधिक विस्तृत हो गया है, अतः अब इसे रूपान्तर (अनुवाद) मात्र न कहकर 'विस्तृत हिन्दी व्याख्या' कहा जाय तो भविष्यु व्याख्याकार के कठिन श्रम का उचित एवं उपयुक्त मूल्याङ्कन होगा ।

इस हिन्दी व्याख्या की रचयित्री डॉ० तपस्या उपाध्याय, एम. ए., पीएच. डी., हिन्दी जगत् के लिये सुपरिचित ही हैं । आप हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि एवं प्राक्तन प्राचार्य ग्रो० कान्तानाथ पाण्डेय 'चोंच' राजहंस (हरिश्चन्द्र कालेज, वाराणसी) की सुपुत्री एवं पालि साहित्य के जाने-माने विद्वान् प्रो० जगन्नाथ उपाध्याय (भू० पू० पालिविभागाध्यक्ष, सं. सं. वि. वि., वाराणसी) की पुत्रवधू हैं । यह बात हमें आश्वस्त करती है कि आप को हिन्दी, संस्कृत एवं पालि भाषाओं का साहित्यिक ज्ञान कुलक्रमागत एवं परम्पराप्राप्त है, अतः इनकी लेखनी पर विश्वास किया जा सकता है ।

इन्होंने, यह व्याख्या लिखते समय, विसुद्धिमण्ड से सम्बद्ध यथोपस्थित्य सभी सामग्रियों का—जो कि पालि हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में यत्र-तत्र विकीर्ण थीं, यथाशक्ति गम्भीरतया अध्ययन कर उनका इस व्याख्या में यथास्थान आवश्यक उपयोग व समावेश किया है । यों, यह व्याख्या प्रामाणिकता की मर्यादा से ही स्पृष्ट नहीं, अपितु इससे भी आगे बहुत दूर तक अन्तःप्रविष्ट भी है—ऐसा हमारा विश्वास है । अतः हमारी मान्यता है कि यह व्याख्या लिखकर आपने अपने अध्ययन का अनुपयोग तो किया ही, साथ में पालि-जगत् का भी महान् उपकार किया है । अस्तु ।

ग्रन्थ के प्रारम्भ में पूर्ववत् विस्तृत भूमिका एवं हिन्दीसंक्षेप भी दे दिये गये हैं ।

अन्ते च, आर्थिक सौकर्य को ध्यान में रखते हुए, हम इस बार इस विपुलकलेकर ग्रन्थ को हिन्दी व्याख्या के साथ क्रमशः तीन भागों में प्रकाशित कर रहे हैं । जिनमें पहला एवं दूसरा भाग आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है । अवशिष्ट तीसरा भाग यथासम्बद्ध सम्म में उपलब्ध हो जायगा—ऐसी आशा है ।

वाराणसी

वैशाखपूर्णिमा, २०५३ विं० }

अध्यक्ष, बौद्धभारती

दो शब्द

यह बात सभी विद्वान् मानते हैं कि बौद्धधर्म-दर्शन के क्षेत्र में आचार्य बुद्धघोष के इस 'विसुद्धिमण्ड' ग्रन्थ का स्थान विशिष्टतम् है।

इस ग्रन्थरत्न की विषयवस्तु एवं महत्त्व पर इस संस्करण की भूमिका में प्रधान सम्पादक द्वारा पर्याप्त लिखा गया है, अतः उस विषय पर पुनः कुछ लिखना पिष्टपेषण ही माना जायगा।

पालि से हिन्दी-रूपान्तर के क्षेत्र में हमारा यह प्रथम प्रयास है। जिस प्रकार निर्णय पुष्ट यदि देवता के चरणों में रख दिया जाय तो वह भी शीर्ष पर धारण करने योग्य हो जाता है; उसी प्रकार जिस कार्य को पालि से हिन्दी रूपान्तर के अभ्यासमात्र या स्वान्तःसुखाय के रूप में प्रारम्भ किया गया था, वह मात्र एक वर्ष की अल्पावधि में पूज्य स्वामी जी के वात्सल्यमय प्रोत्साहन, कुशल निर्देशन तथा समुचित संशोधन एवं परिष्कार के फलस्वरूप सुधीर पाठकों के समक्ष प्रस्तुत हो रहा है।

प्रारम्भ से ही हमारा उद्देश्य इस ग्रन्थ का भाषान्तरमात्र न कर इस की विषयवस्तु का स्पष्टीकरण भी रहा है, अतः इस अनुवाद में यथास्थान कोष्ठकों का मुक्त भाव से प्रयोग करना पड़ गया है।

कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रत्येक भाषा की अपनी प्रकृति होती है। इस अनुवाद में हमने हिन्दी एवं पालि—दोनों ही भाषाओं की प्रकृति के साथ न्याय करने का प्रयास किया है।

हमें अपने कार्य में भिक्षु ज्ञानमोलि जी कृत इस ग्रन्थ के अंग्रेजी अनुवाद से बहुत सहायता मिली है। एतदर्थं हम उनके आभारी हैं।

अन्ते च, ऐसे बृहत् कार्य में त्रुटियाँ रहना स्वाभाविक हैं। विद्वज्ज्ञानों एवं अध्येताओं से विनप्र अनुरोध है कि प्रस्तुत संस्करण की त्रुटियाँ हमें अवश्य अवगत कराते रहें जिससे द्वितीय संस्करण में उनका परिमार्जन व परिशोधन हो सके।

— अनुवादिका

विसुद्धिमग्ग की बहिरङ्गकथा

पालीतिवृत्तविज्ञूनं देशनानयनिस्तता ।
विसुद्धिमग्गगच्छस्य बहिरङ्गकथा अर्थ ॥

त्रिपिटक का विकास

पालित्रिपिटक सिंहल (श्रीलङ्का) में राजा वट्टगामिनि के शासनकाल में भगवान् के महापरिनिर्वाण से प्रायः चार शताब्दी बाद अपने वर्तमान रूप में लिखा गया। इस प्रकार वर्तमान पालित्रिपिटक का निबन्धनकाल ईसापूर्व प्रथम शताब्दी माना जा सकता है।

इस त्रिपिटक के विनय, सूत्र तथा अधिधर्म—ये तीन विभाग (पिटक) हैं।

(क) विनयपिटक—भिक्षुओं के अचरण का नियमन करने के लिए भगवान् बुद्ध ने जो नियम बनाये थे, वे 'प्रातिमोक्ष' (प्रातिमोक्षद) कहे जाते हैं। इन्हीं नियमों की चर्चा विनयपिटक में है। तीनों पिटकों में विनयपिटक का स्थान सर्वप्रथम है। प्रातिमोक्ष की महत्ता इसी से सिद्ध है कि भगवान् ने स्वयं कहा था कि उनके न रहने पर भी प्रातिमोक्ष और शिक्षापदों के कारण भिक्षुओं को अपने कर्तव्य का ज्ञान होता रहेगा और यों सबूत भी स्थायी रहेगा।

प्रारम्भ में केवल १५२ नियम खने होंगे, किन्तु विनयपिटक की रचना के समय उनकी संख्या २२७ हो गयी थी। 'भिक्षुविभूष', जो विनयपिटक का प्रथम भाग है, वस्तुतः इन २२७ नियमों का विधान करनेवाले शिक्षापदों की व्याख्या है। ये व्याख्यात्मक ग्रन्थ धाराजिक, पाचित्तिय नाम से प्रसिद्ध हैं। विनयपिटक के दूसरे भाग का नाम 'खन्धक' है। महावग्ग तथा चुल्लवग्ग ये दोनों ग्रन्थ 'खन्धक' में समाविष्ट हैं। विनयपिटक का अन्तिम अंश परिवार है। इसमें वैदिक अनुक्रमणिकाओं की तरह त्रिपिटक से सम्बद्ध कई सूचियों का समावेश है।

(ख) सुत्तपिटक—यह भगवान् के लोकोपकारी उपदेशों का संग्रह है। इसमें १. दीघनिकाय, २. मञ्ज्ञमनिकाय, ३. संयुत्तनिकाय, ४. अंगुत्तरनिकाय और ५. खुदकनिकाय—इन पाँच निकायों का समावेश है।

१. दीघनिकाय में ३४ सुत्त (सूत्र) हैं। ये सुत्त लम्बे हैं, अतः 'दीघ' (दीर्घ) कहे गये हैं। इनमें यथास्थान शील, समाधि एवं प्रज्ञा का रोचक वर्णन है।

२. मञ्ज्ञमनिकाय में मध्यम आकार के (न अधिक लम्बे न छोटे) १५२ सूत्रों में भी बुद्ध के उपदेशों का संवादात्मक संग्रह है। इनमें चार आर्यसत्य, निर्वाण, कर्म, सत्कायदृष्टि, आत्मवाद, ध्यान आदि अनेक महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा है। यह ग्रन्थ भी मूलपण्णासक, मञ्ज्ञमनिकाय तथा उत्थारियण्णासक नाम से ५०—५०—५२ सूत्रों से तीन भागों में विभक्त है।

३. संयुत्तनिकाय में ५६ संयुत्तों का संग्रह है। जैसे—प्रथम देवतासंयुत्त में देवताओं के वचनों का तथा मारसंयुत्त में बुद्ध को विचलित करने के लिये मार द्वारा किये गये प्रयत्नों का संग्रह है। इस ग्रन्थ में काव्य की दृष्टि से भी पर्याप्त सामग्री है।

४. अंगुत्तरनिकाय में २३०८ सुत्त हैं। उनमें एक वस्तु से लेकर यात्रा वस्तुओं तक का क्रमसः समावेश किया गया है। इसमें विषय-वैषिष्ठ का होना स्वाभाविक है।

५. खुदकनिकाय में—खुद (क्षुद) अर्थात् छोटे-छोटे उपदेश ग्रन्थों का संग्रह है। इन निकाय में निम्नलिखित १५ ग्रन्थों का समावेश है—

(१) खुदकपाठ—इसमें त्रिशरण, दश शिक्षापद आदि बौद्धधर्म में प्रवेश चाहने वालों के लिये अवश्य ज्ञातव्य विषयों का समावेश है।

(२) धर्मपद—बौद्ध ग्रन्थों में यह सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं महत्वशाली ग्रन्थ है। इसमें भगवान् बुद्ध द्वारा प्रोक्त नैतिक उपदेशों का संग्रह है।

(३) उदान—इसमें एक ही विषय का निरूपण करनेवाली अल्पसंख्यक गाथाओं का संग्रह है। प्रासांगिक दो-चार गाथाओं में भगवान् ने अपना मन्तव्य व्यक्त किया है।

(४) इतिवृत्तक—इस ग्रन्थ में ‘भगवान् ने ऐसा कहा’—इस मन्तव्य से गाथाओं तथा गदांशों का संग्रह है।

(५) सुत्तनिपात—इसमें भगवान् के प्राचीनतम उपदेशों का संग्रह है।

(६) विमानवत्थु—इसमें देवयोनि की कथाओं के सहारे कर्मफल-सिद्धान्त का वर्णन हुआ है।

(७) पेतवत्थु—इस ग्रन्थ में प्रेतयोनि-कथाओं के प्रमाण से कर्मफल का वर्णन है।

(८) धेरगाथा—इस ग्रन्थ में बौद्ध भिक्षुओं ने अपना-अपना अनुभव काव्य में व्यक्त किया है।

(९) थेरिगाथा—इसमें बौद्ध भिक्षुणियों ने अपना-अपना अनुभव कविता के माध्यम से व्यक्त किया है।

(१०) जातक—इस ग्रन्थ में भगवान् बुद्ध के पूर्वजन्मकृत सदाचारों को व्यक्त करनेवाली ५४७ कथाओं का संग्रह है। नीतिशिक्षण की दृष्टि से इन कथाओं की समानता करनेवाला ग्रन्थ अन्यत्र सुदूर्लभ है।

(११) निहेस—यह ग्रन्थ सुत्तनिपात के अटुकवग्ग तथा खगगविषाणसुत एवं पारायण वग्ग की व्याख्या है। यह चुल्लनिहेस तथा महानिहेस नाम से दो भागों में विभक्त है;

(१२) पटिसम्भदामण—इसमें प्राणायाम, ध्यान कर्म, आर्यसत्य, मैत्री आदि का वर्णन है।

(१३) अवदान—इसमें अहंतों (ज्ञानियों) के पूर्वजन्मों का वर्णन है।

(१४) बुद्धवंस—इसमें भगवान् बुद्ध से पूर्व हुए २४ बुद्धों का जीवनचरित है।

(१५) चरियापिटक—यह खुदकनिकाय का अन्तिम ग्रन्थ है। इसमें बुद्ध ने अपने पूर्वभव में कौन-सी पारमिता, किस प्रकार पूर्ण की—इसका वर्णन है।

(ग) अभिधम्मपिटक—इस पिटक में भगवान् बुद्ध के उपदेशों के आधार पर बौद्धदर्शनिक विचारों की व्याख्या की गयी है। इस पिटक में इन सात ग्रन्थों का समावेश है—१. धर्मसङ्खणि, २. विभङ्ग, ३. धातुकथा, ४. पुण्यलपञ्चति, ५. कथावत्थु, ६. यमक, और ७. पट्टान।

(१) धर्मसङ्खणि—इसमें धर्मों का वर्गीकरण और व्याख्या की गयी है।

(२) विभङ्ग—इसमें उन्हीं धर्मों के वर्गीकरण का विस्तार किया है।

(३) धातुकथा—इसमें धातुओं का प्रश्नोत्तररूप में व्याख्यान है।

(४) पुण्यलपञ्चति—इस ग्रन्थ में मनुष्यों का विविध अङ्गों में वर्णन किया गया है। यह वर्गीकरण विविध रीति से गुणों के आधार पर है।

(५) कथावत्थु—इस ग्रन्थ की रचना प्रश्नोत्तररूप में हुई है। इस ग्रन्थ का महत्व

बौद्धधर्म के विकासात्मक इतिहास के लिये सर्वाधिक है। पिटकान्तर्गत होने पर भी इसके रचयिता तिस्स मोगलिपुत्र हैं, जो तीसरी सङ्घीति के अध्यक्ष थे। इसमें क्रमशः बौद्धधर्म में जो मतभेद हुए, उनका भी संग्रह बाद तक होता रहा है। मतान्तरों का पूर्वपक्षरूप में समर्थन करके फिर उनका खण्डन किया गया है। 'आत्मा है या नहीं?'—आदि प्रश्न उठा कर बौद्ध मन्त्रव्याख्या की स्थापना की गयी है।

(६) यमक—इसमें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दो प्रकार से दिया गया है। और कथावस्थ तक के ग्रन्थों से जिन शङ्खाओं का समाधान नहीं हुआ, उनका विवरण इसमें दिया गया है।

(७) पट्टान—इसे 'महापकरण' भी कहते हैं। इसमें नाम और रूप के २४ प्रकार के कार्यकारणभाव-सम्बन्ध की विस्तृत चर्चा है।

पिटकेतर ग्रन्थ

(१) पिटकेतर पालिग्रन्थों में मिलिन्दपञ्चो ग्रन्थ (मिलिन्दप्रश्न) सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। समस्त पालि वाद्यमय में शैली की दृष्टि से यह अनुपम है। आचार्य नागसेन के साथ ग्रीकसप्ताह मिनाण्डर (ई० पू० प्रथम शताब्दी) के संवाद की योजना होने से इस ग्रन्थ का नाम सार्थक है। इस ग्रन्थ की प्राचीनता और प्रामाणिकता इसी से सिद्ध होती है कि आचार्य बुद्धधोष ने, पिटक से बाह्य होने पर भी, इस ग्रन्थ की त्रिपिटक के समान प्रामाणिकता मानी है और इसके उद्धरण अपने ग्रन्थों में दिये हैं।

इस ग्रन्थ में बौद्धदर्शन के जटिल प्रश्नों को, जैसे—अनात्मवाद, क्षणभङ्गवाद के साथ-साथ कर्म, पुनर्जन्म, और निर्बाण आदि को, सरल उपमाएँ देकर, तार्किक दृष्टि से सुलझाने का प्रयत्न किया गया है।

(२) मिलिन्दपञ्च के समान ही नेत्रिप्पकरण भी प्राचीन ग्रन्थ है। जो कि महाक्ष्यान की कृति माना जाता है।

(३) इसी कोटि का एक अन्य प्रकरण-ग्रन्थ पेटकोपदेश भी है। यह भी महाक्ष्यान की कृति है।

अनुपिटक या अटुकथा साहित्य

त्रिपिटक तथा पिटकेतर साहित्य के बाद पालिसाहित्य में अटुकथा साहित्य का स्थान महत्वपूर्ण है। अटुकथा-अर्थकथा अर्थात् व्याख्या। पूर्व काल में जैसे ग्राहाण-साहित्य में सूत्र-ग्रन्थों पर भाष्य लिखने की परिपाटी थी, वैसे ही पालिसाहित्य में अटुकथा नाम से व्याख्याएँ लिखने की परिपाटी चली। ये अटुकथाएँ अर्थ की व्याख्या के साथ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी स्पष्टतः विवृत करती हुई भाष्य-ग्रन्थों की अपेक्षा अपने आप में अधिक महत्वपूर्ण हो गयीं। संस्कृत भाष्यों में अर्थ की व्याख्या पर ही बल दिया जाता है, अनेक सिद्धान्तों या विचारधाराओं के विवरण वहाँ आते हैं, किन्तु वे 'इत्येके' 'इत्यपरे' कह कर छोड़ देते हैं। वहाँ केवल सिद्धान्त का ही अर्थ-विवेचन अधिक हुआ है। कौन सा सिद्धान्त कब उत्पन्न हुआ, अथवा वह किस का था?—आदि की खोज नहीं की गयी। पालि-अटुकथाओं में ऐसी बात नहीं है। जैसे 'कथावस्थ' की अटुकथा को ही लीजिये, वहाँ निराकृत २१६ सिद्धान्तों में से कौन किस का, किस सम्प्रदाय का सिद्धान्त था, कब उत्पन्न हुआ? आदि का पूर्ण विवरण मिलता है। अस्तु।

प्राचीन सिंहली अटुकथाएँ—बुद्धधोष की अटुकथाओं के साक्ष्य के आधार पर हम जानते हैं कि सिंहल में सम्पूर्ण त्रिपिटक पर सिंहली भाषा में लिखी हुई अटुकथाएँ उपलब्ध थीं।

जैसे—सुतपिटक पर महाअटुकथा थी, विनयपिटक पर कुरुन्दी थी और अभिधम्पिटक की अटुकथा का नाम था महापच्चारी। ये प्राचीन सिंहली अटुकथाएँ बारहवीं शताब्दी तक उपलब्ध थीं। आज इनका कोई अंश सुरक्षित नहीं है।

पालि साहित्य के भरतीय अटुकथाकार—भारतीय अटुकथाकारों में तीन नाम प्रसिद्ध हैं—बुद्धदत्त, बुद्धघोष तथा धम्पपाल। इनमें बुद्धदत्त तथा बुद्धघोष दोनों समकालिक थे—यह 'बुद्धघोसुप्ति', 'सासनवंस' आदि ग्रन्थों के प्रमाण से स्पष्ट सिद्ध है। ये दोनों 'सिंहली अटुकथाओं के आधार पर त्रिपिटक की प्रामाणिक अटुकथाएँ लिखी जायं'—इस एक ही उद्देश्य से श्रीलङ्का भी पहुँचे थे। यह बात 'बुद्धघोसुप्ति' तथा 'विनयविनिच्छय' ग्रन्थों में समृद्ध में नाव पर हुए बुद्धदत्त-बुद्धघोष संवाद से स्पष्ट है। यद्यपि बुद्धदत्त अवस्था में वृद्ध थे, तथापि अटुकथा-लेखन का कार्य उन्होंने तब तक स्थगित रखा, जब तक आचार्य बुद्धघोष श्रीलङ्का से, अपने लक्ष्य में सफल होकर, वापस नहीं आ गये।

आचार्य बुद्धदत्त—उत्तरविनिच्छय, विनयविनिच्छय नाम से विनयपिटक की अटुकथा, अभिधम्पावतार नाम से अभिधम्पिटक की अटुकथा तथा रूपारूपविभाग और मधुरत्थविलासिनी नाम से बुद्धवंस की अटुकथा लिखने वाले आचार्य बुद्धदत्त चौस राज्य में उरगपुर के निवासी थे।

आचार्य धम्पपाल—ये भी दक्षिणात्य थे। इनका जन्म तमिल प्रदेश के काञ्चीपुर में हुआ था। इनकी रचनायें ये हैं—

(१) परमत्थदीपनी—यह खुदकनिकाय के उदान, इतिवृत्तक, विमानवर्त्थ, पेतवर्त्थ, वेरगाथा, थेरीगाथा एवं चरियापिटक ग्रन्थों की अटुकथा है। इन ग्रन्थों पर आचार्य बुद्धघोष ने अटुकथाएँ नहीं लिखी।

(२) नेतिप्पकरणअटुकथा—यह नेतिप्पकरण की अटुकथा है।

(३) नेतित्थकथाय टीका—उपर्युक्त नेतिप्पकरण की अटुकथा की टीका।

(४) परमत्थमञ्जुसा—विसुद्धिमण्डा की प्रसिद्ध अटुकथा।

(५) लीनत्थप्पकासिनी—दीघनिकायादि चार निकायों पर बुद्धघोष की अटुकथा पर टीका।

(६) जातकटुकथा की टीका—यह भी लीनत्थप्पकासिनी नाम से प्रसिद्ध है।

(७) बुद्धदत्त कृत मधुरत्थविलासिनी की टीका।

आचार्य धम्पपाल की इन सारों अटुकथाओं में परमत्थमञ्जुसा सबसे अधिक प्रसिद्ध है।

इन्होंने बुद्धदत्त तथा बुद्धघोष द्वारा रचित ग्रन्थों पर टीकाएँ लिखी हैं, अतः यह स्पष्ट है कि ये उन दोनों से बाद के थे।

पालि-साहित्य के युगविधायक आचार्य बुद्धघोष

विसुद्धिमण्डा के रचयिता आचार्य बुद्धघोष की विश्व के प्रसिद्ध दार्शनिकों, विशेषतः बौद्ध दार्शनिकों तथा ग्रन्थकारों, की पंक्ति में प्रथम गणना की जाती है। उन्होंने अपना समग्र जीवन पालिसाहित्य की श्रीवृद्धि में लगा दिया। उनकी लेखनी के सतत ग्रावास से भगवान् बुद्ध द्वारा उपदिष्ट त्रिपिटक तथा पालिसाहित्य के सिद्धान्त लुप्त होने से बच गये। सभी इतिहासकार मानते हैं कि यदि आचार्य बुद्धघोष ने सम्पूर्ण त्रिपिटक पर अपनी गेवणापूर्ण अटुकथाएँ न लिखी होतीं तो आज त्रिपिटक वाङ्मय सुन होता या न होता, पर उसको इनी सरलता से

समझना अत्यन्त दुर्रह हो जाता। उन्होंने अपनी अटुकथाओं में न केवल बुद्धवचनों का प्रामाणिक अर्थ ही प्रस्तुत किया, अपितु अपने से प्राचीन तथा सम काल के दर्शन, इतिहास, धर्म, राजनीति, अर्थनीति, समाजनीति आदि विषयों का भी यथास्थान समीक्षात्मक वर्णन विस्तार से किया है, इसलिये इतिहासकार आचार्य बुद्धधोष को मुकातकप्ठ से 'पालिसाहित्य का युगविधायक' मानते हैं। ऐसे महापुरुषों के व्यक्तिगत जीवन के विषय में ज्ञान रखना पुण्यप्रद तथा सामान्य जन के लिये उत्साहवर्धक होता है।

बुद्धधोष का जीवनपरिचय

परन्तु आचार्य ने भी, अन्य भारतीय मनीकियों की तरह, अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में अधिक कुछ नहीं लिखा। अपनी अटुकथाओं के प्रारम्भ और अन्त में उन्होंने जो कुछ लिखा भी है उससे उनकी रचनाओं पर ही कुछ प्रकाश पड़ता है कि वे किस उद्देश्य लिखी गयीं, या किनकी प्रेरणा से लिखी गयीं; परन्तु आचार्य के जीवन के विषय में उनसे कुछ विशेष पता नहीं लगता। सम्भवतः, अन्य भारतीय ऋषि-मुनियों की तरह, बुद्धधोष ने भी अपने महान् उद्देश्य के सामने व्यक्तिगत जीवन की महत्ता को पूर्णतः तिरोहित कर दिया। परन्तु मानव होने के नाते हम उनके मानव रूप के विषय में भी कुछ जानने को उत्सुक हैं, ताकि वह जानकारी हमारे जीवन में भी सम्बल के रूप में काम आ सके।

बुद्धधोष के जीवन के विषय में जानने के लिये उनकी लिखी अटुकथाओं के अतिरिक्त ये साधन हैं—१. चूल्हवंस के ३७ वें परिच्छेद की २१५—२४६ गाथाएँ, २. बुद्धधोषसुप्ति, ३. गन्धवंस, ४. सासनवंस तथा सद्बूद्धम्बसंग्रह।

चूल्हवंस का उपर्युक्त अंश, जिसमें बुद्धधोष की जीवनी है, धम्मकित्ति (धर्मकीर्ति) नाम के भिक्षु की रचना है। जिनका काल तेरहवीं शताब्दी का भव्य-भाग है। जबकि बुद्ध धोष का जीवन-काल चौथी-पाँचवीं शताब्दी ईस्वी माना जाता है, अतः उनसे आठ-नौ सौ वर्ष बाद लिखी उनकी जीवनी पूर्णतः प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती—यह तो निश्चित है; फिर भी बुद्धधोष की जीवनी का सबसे अधिक प्रामाणिक वर्णन जो हमें मिलता है, वह यही है। इसी प्रकार 'गन्धवंस' और 'सासनवंस' तो ठीक उत्तीर्णवीं सदी की रचनाएँ हैं, अतः हम इनके सहारे कितना काम चला सकते हैं!

धम्मकित्ति महासामी की 'बुद्धधोषसुप्ति' रचना चौदहवीं शताब्दी की है जो चूल्हवंस के बाद और 'गन्धवंस' और 'सासनवंस' से पहले की रचना है। इस रचना में इतनी अधिक अतिशयोक्तियां भरी पड़ी हैं कि सर्वांश में इसका भी प्रामाण्य नहीं माना जा सकता। अतः 'चूल्हवंस' के उपर्युक्त अंश क्लेही ही इस सम्बन्ध में सबसे अधिक प्रामाणिक माना है। उसके अनुसार आचार्य बुद्धधोष की जीवनी कुछ इस प्रकार लिखी जा सकती है—

आचार्य बुद्धधोष का जन्म ग्राम (विहार) के समीप बोधिवृक्ष के निकट (किसी ग्राम में) ब्राह्मणपरिवार में हुआ। ब्रात्यावस्था में ही यह ब्राह्मणविद्यार्थी शिल्प और तीनों वेदों में पारद्घत होकर शास्त्रार्थ करता हुआ भारतवर्ष में जहाँ-तहाँ घूमने लगा। इसको ज्ञान की उत्कट जिज्ञासा थी, योगाभ्यास में अत्यधिक रुचि थी। एक दिन यह रात्रि में किसी विहार में पहुँच गया। वहाँ पातङल योग पर बहुत अच्छा प्रवचन किया। किन्तु रेतत नाम बौद्ध स्थविर ने इसको वाद-चर्चा में पराजित कर दिया। इन बौद्धभिक्षु के श्रीमुख से बुद्धशासन का अपूर्व वर्णन सुनकर बुद्धधोष को यह विश्वास हो गया कि निर्वाणप्राप्ति का एकमात्र यही मार्ग है। और

उन्होंने उस मत में महास्थविर रेखत से प्रद्रवज्या ग्रहण कर ली। प्रद्रवजित होकर उन्होंने त्रिपिटक का गम्भीर अध्ययन किया। वस्तुतः प्रद्रवजित होने से पूर्व बुद्धघोष एक ब्राह्मण-विद्यार्थी (ब्राह्मणमाणव) भात्र थे। बाद में भिक्षुसङ्घ ने त्रिपिटक में उनके गम्भीर घोष को बुद्ध के समान आनंदकर 'बुद्धघोष' की पदवी दी। उन्होंने, जिस विहार में इनकी प्रद्रवज्या हुई थी, वहाँ जाणोदय (ज्ञानोदय) नामक ग्रन्थ की रचना की। इसके बाद वही इन्होंने धर्मसङ्ग्रहण (अधिधर्मपिटक का प्रथम ग्रन्थ) पर 'अद्वासालिनी' नामक अद्वकथा भी लिखी। और अन्त में त्रिपिटक पर एक संक्षिप्त अद्वकथा लिखने का भी उपक्रम किया, जिसे देखकर उनके गुरु महास्थविर रेखत ने उन्हें परामर्श दिया— "लङ्घा से यहाँ भारत में केवल मूल पाति-त्रिपिटक ही लाया गया है, परन्तु अद्वकथाएँ यहाँ उपलब्ध नहीं हैं। लङ्घाद्वीप में महास्थविर महेन्द्र द्वारा संगृहीत प्रामाणिक अद्वकथाएँ सिंहली भाषा में सुरक्षित हैं। तुम वहाँ जाकर उनका श्रवण करो, और बाद में मागथी भाषा में उनका रूपान्तर करो, ताकि वे सर्वजनसाधारण के लिये सुलभ होकर हितावह हो सकें।" इस प्रकार गुरु की आज्ञा से आचार्य बुद्धघोष लङ्घाधिपति महानाम के शासनकाल में लङ्घा गये।

वहाँ अनुराधपुर के महाविहार में 'महापधान' नामक भवन में रहकर उन्होंने सङ्घपाल नामक स्थविर से सिंहली अद्वकथाओं और स्थविरवाद की परम्परा को सुना। जब बुद्धघोष को श्रवण, मनन, निदिध्यासन करते करते यह निश्चय हो गया कि तथागत (बुद्ध) का यही ठीक अभिप्राय है, तब उन्होंने महाविहार के भिक्षुसङ्घ से प्रार्थना की— "मैं अद्वकथाओं का मागथी भाषा में रूपान्तर (अनुवाद) करना चाहता हूँ, मुझे आप लोग अपनी पुस्तकें देखने की अनुमति दें।" इसपर उन्होंने उनकी परीक्षा के लिये पहले उन्हें त्रिपिटक (संयुक्तनिकाय) की दो गाथाएँ व्याख्या करने के लिये दी। बुद्धघोष ने उन दो गाथाओं की व्याख्या के रूप में 'विसुद्धिमण्डग' की रचना की। इस विद्वत्तापूर्ण रचना को देखकर भिक्षु इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बुद्धघोष को साक्षात् भगवान् मैत्रेय बुद्ध (भावी बुद्ध) ही मान लिया और उन्हें अपनी सब पुस्तकें देखने की आज्ञा दे दी। अनुराधपुर के उस ग्रन्थकार-विहार में बैठकर आचार्य बुद्धघोष ने सिंहली अद्वकथाओं का मागथी-भाषान्तर पूर्ण किया। इसके बाद वे अपनी जन्मभूमि भारत लौट आये।

काल—बुद्धघोष लङ्घाधिपति महानाम के समय में लङ्घा गये थे। इस राजा महानाम का शासनकाल चौथी शताब्दी के अन्तिम भाग में याँ पाँचवीं शताब्दी के प्रारम्भिक भाग में माना जाता है। अतः निश्चित है कि बुद्धघोष ने अपने ग्रन्थों की रचना इसी काल में की।

बर्मी भिक्षु-परम्परा भी यह मानती है कि आचार्य बुद्धघोष पाँचवीं शताब्दी के प्रारम्भिक भाग में लङ्घा गये थे।

क्योंकि उस समय उनकी अवस्था युवा तो रही ही होगी, अतः उनका जीवनकाल निश्चय ही चौथी-पाँचवीं शताब्दी कहा जा सकता है।

जग्मस्थान—'चूल्कंस' के उपर्युक्त अंश में आचार्य बुद्धघोष का जन्मस्थल बौद्धार्या (या बोधिगया) के समीप ब्राह्मण कुल में बताया गया है। परन्तु प्रसिद्ध विद्वान् श्री धर्मानन्द कोशाम्बी जी, बर्मी परम्परा के अनुसार, बुद्धघोष को दक्षिण भारत का निवासी मानते हैं। और वे विसुद्धिमण्डग के उपसंहार में लिखे इस वाक्य से "बुद्धघोषो ति गरुहि गहितनामधेय्येन थेरेन योरण्डखेटकवत्सब्बेन" आचार्य बुद्धघोष की जन्मभूमि मोरण्ड नामक खेटक (=खेड़ा, छोटा ग्राम) को मानते हैं। संक्षेप में, "बुद्धघोष ने, क्योंकि अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण

आचार्य दक्षिण के नगरों में ही किया, अतः वे दक्षिण के ही निवासी थे"—ऐसा निष्कर्ष आचार्य कोशास्त्री जो ने उनकी लिखी अटुकथाओं के साक्ष्य पर निकाला है। जो कुछ सीमा तक ही ठीक कहा जा सकता है; क्योंकि उक्त अन्तः साक्ष्यों के आधार पर हम इतना ही मान सकते हैं आचार्य बुद्धघोष का अधिकतर जीवनकार्य दक्षिण भारत में हुआ होगा, जन्म नहीं।

परिनिर्वाण—कम्बोडिया के निवासी यह मानते हैं कि आचार्य बुद्धघोष महास्थानिर का परिनिर्वाण उनके देश (कम्बोडिया) में ही हुआ था। वहाँ 'बुद्धघोषविहार' नामक एक अत्यन्त प्राचीन विहार यथाकथमपि सुरक्षित है। डॉ० विमलचरण लाहा ने भी यही सिद्ध करने का प्रयास किया है।

परन्तु 'चूल्हवंस' तथा 'बुद्धघोसुप्पत्ति', जो अपेक्षाकृत प्राचीन तथा परम्पराप्राप्त ग्रन्थ हैं, के आधार पर आचार्य का परिनिर्वाण बुद्धगया में बोधिवृक्ष के समीप हुआ, और वहीं श्रद्धालुजनों ने उनके अस्त्वयशेष पर स्तूप का निर्माण कराया। यह मानने में हमें भी हानि क्या है!

आचार्य बुद्धघोष द्वारा रचित ग्रन्थ

१. **विसुद्धिमण्ग—**संयुक्तनिकाय में आयी दो गाथाओं को व्याख्या के रूप में रचित बौद्धयोग पर अनुपम ग्रन्थ।

२. सम्बन्धपासादिका (विनयग्रन्थ की अटुकथा)।
३. कम्बुजवितरणी (पातिमोक्ष की अटुकथा)।
४. सुमङ्गलविलासिनी (दीषनिकाय की अटुकथा)।
५. यपञ्चसूदीनी (मण्डिरनिकाय की अटुकथा)।
६. सारत्वपकासिनी (संयुक्तनिकाय की अटुकथा)।
७. मनोरथपूर्णी (अद्वृतनिकाय की अटुकथा)।
८. यरमत्वज्ञेतिका (खुदकनिकाय के खुदकपाठ तथा सुतनिपात की अटुकथा)।
९. अद्वृतालिनी (धम्मसङ्कल्प की अटुकथा)।
१०. सम्पोहविनोदिनी (विभङ्ग की अटुकथा)।
- ११-१५. यञ्ज्ञप्पकरणाटुकथा—अभिधम्मपिटक के अवशिष्ट पाँच ग्रन्थों की अटुकथा।
१६. जातकटुवण्णना—जातक की अटुकथा।
१७. धम्मपदटुकथा—धम्मपद की अटुकथा।
१८. ज्ञाणोदय—ज्ञानोदय आदि। यह ग्रन्थ अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है।

१९. इनके अतिरिक्त श्री कृप्यास्त्री शास्त्री ने पदभूद्धामणि (सिद्धार्थचरितमहाकाव्य) नामक ग्रन्थ को भी आचार्य बुद्धघोष की रचना माना है। परन्तु डॉ० विमलचरण लाहा, प्रमाणों के आधार पर उक्त ग्रन्थ को आचार्य की रचना के रूप में स्वीकृत नहीं कर पा रहे हैं।

विसुद्धिमण्ग

विसुद्धिमण्ग बौद्धसाहित्य का एक अनुपम ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ प्रधानतः योगशास्त्र का विशद व्याख्यान है, अतः इसमें योगाध्यास में प्रयुत होनेवाले जिज्ञासु के लिये, प्रारम्भ से लेकर सिद्ध तक की समग्र विधियाँ तो क्रमबद्ध पद्धति से वर्णित की ही गयी हैं, साथ ही प्रसङ्ग-प्रसङ्ग पर बौद्धदर्शन की अन्य विवेचनात्मक गवेषणाएँ तथा आह्वाणदर्शनों की विशेषतः व्याकरण, न्याय, सांख्य, योग, आयुर्वेद तथा मीमांसा शास्त्रों की ग्रन्थियाँ भी अतीव सरल भाषा में समझा दी गयी हैं। अतः यदि विद्वान् लोग इस ग्रन्थ को 'बौद्धधर्म का विश्वकौष' कहते हैं तो इसमें

कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यह कहकर उन विद्वानों ने इस ग्रन्थ की तथा इसके रचयिता आचार्य बुद्धयोग की धाराविक प्रशंसा ही की है।

आचार्य बुद्धयोग भी अपने इस विसुद्धिमण्ड को अपनी सम्पूर्ण रचनाओं का केन्द्रबिन्दु मानते थे, अतः वे अपनी अटुकथाओं के मनन-चिन्नन करने वाले पाठक से यह अपेक्षा रखते थे कि वह सर्वप्रथम 'विसुद्धिमण्ड' पढ़े। इसलिये उन्होंने अपनी आगे की अटुकथाओं के प्रारम्भ में ही बार-बार कहा है—'चारों निकायों (दीध, मञ्जिम, संयुत तथा अंगुत्तर) के मध्य स्थित यह विसुद्धिमण्ड उन निकायों के बुद्धसम्मत अर्थ को प्रकाशित करने में सहायक होगा।'

इससे यह स्पष्ट ही सिद्ध है कि आचार्य ने पहले विसुद्धिमण्ड की रचना की, बाद में उक्त चारों निकायों की अटुकथाओं की। इसीलिये विसुद्धिमण्ड में जिस विषय का विस्तृत निरूपण कर दिया है उसे पुमः उन अटुकथाओं में नहीं दुहराया और वहाँ लिख दिया कि "इन सब का शुद्धतया निरूपण विसुद्धिमण्ड में कर दिया है, अतः उसे जिज्ञासु पाठकों को वहाँ देख लेना चाहिये। उसे मैं यहाँ न दुहराऊँगा।"

जैसा कि सर्वविदित है, विसुद्धिमण्ड संयुतनिकाय में आयी दो गाथाओं के आधार पर रचित, बौद्ध योगशास्त्र का स्वतन्त्र मौलिक प्रकरण-ग्रन्थ है। इन दोनों में पहली गाथा प्रश्न के रूप में तथा दूसरी गाथा उत्तर के रूप में है। इस दूसरी गाथा का ही आचार्य ने विसुद्धिमण्ड के रूप में विस्तृत व्याख्यान किया है।

पहली गाथा है—

अन्ते जटा बहि जटा जटाय जटिता पञ्चा।

तं तं गोतम पुच्छाभि—को इमं विजटये जटं?॥ ति॥

[एक बार भगवान् बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, उस समय किसी देवता ने आकर भगवान् से पूछा—अन्दर भी जड़ाल (उलझन) है, बाहर भी जड़ाल है, यह सारा संसार जड़ाल से कैसे छुटकारा पा सकता है? अर्थात् यह समग्र संसार भववन्धन में ज़केड़ा हुआ है, कौन किस उपाय से इससे मुक्त हो सकता है?]

दूसरी गाथा है—

सीले पतिद्वाय नरो सपञ्जो चित्तं यज्जं च भावयं।

अपातापि निष्क्रो भिक्षु सो इमं विजटये जटं ति॥

[इसके उत्तर में भगवान् कहते हैं—शील (सदाचार) में प्रतिष्ठित हो कर जो प्रजाकान् पुरुष जब समाधि और प्रज्ञा की भावना करता है, तब वह उष्णोगी तथा ज्ञानकान् पुरुष भिक्षु (स्थानी) हो कर इस जड़ाल (भववन्धन) को सुलझा सेता है।]

आचार्य ने भगवान् के इस उत्तर के सहारे समग्र बौद्ध सिद्धान्त और दर्शन को एक निश्चित उद्देश्य में ग्राहित कर विसुद्धिमण्ड की अक्तारणा की है। वह निश्चित उद्देश्य है—साधना मार्ग के उत्तरोत्तर विकास का स्मृतम निर्देश। दूसरे शब्दों में हम यों भी कह सकते हैं कि विसुद्धिमण्ड बौद्धयोग को एक अत्यन्त क्रमबद्ध पद्धति से उपस्थित करने का 'बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयास है।

१. "मन्त्रे विसुद्धिमण्डो एस चतुर्वं पि आगमानं हि।

ठन्त्रा पकासाधिस्तति तत्त्वं यथाभासितं अत्वं" ति॥

२. "इति धन सर्वं यस्या विसुद्धिमण्डे मया सुपरिसुद्धे।

कुर्तं, तत्या भित्यो न तं इथं विजायिस्यामी" ति॥

वर्ण्य विषय— विसुद्धिमण्ड का वर्ण्य विषय संक्षेप में यह है—शील, समाधि और प्रज्ञा द्वारा चित्त के समग्रमन का निरसन तथा निर्वाण की प्राप्ति (का उपाय) बुद्ध-शासन की यही तीन शिक्षा हैं। शील से शासन की आदिकल्प्याणता प्रकाशित होती है, समाधि से मध्येकल्प्याणता, तथा प्रज्ञा (पञ्जा) से पर्यवसानकल्प्याणता। शील से अपाय (दुर्गतिविनिपात) का अतिक्रमण, समाधि से कामधातु का और प्रज्ञा से सर्वभव का अतिक्रमण होता है। जो व्यक्ति निर्वाण के लिये यस्तशील होता है उसे पहले शील में प्रतिष्ठित होना चाहिये। जब शील अत्येक्ष्वाता, सन्तुष्टि, प्रविवेक (एकान्तवास) आदि गुणों द्वारा सुविशुद्ध हो जाता है तो उसके प्रभाव से चित्त तथा चैतसिक धर्मों की एक आलम्बन में विना किसी विक्षेप के सम्पूर्ण स्थिति हो जाती है। समाधि में विक्षेप का विष्वंस होता है, और चित्त, चैतसिक विप्रकीर्ण न हो कर एक आलम्बन में पिण्डरूप से अवस्थित होते हैं। समाधि दो तरह की होती है—१. लौकिक समाधि, और २. लोकोत्तर समाधि। काम, रूप और अरूप भूमियों की कुशल चित्तैकाग्रता को लौकिक समाधि कहते हैं तथा जो चित्तैकाग्रता आर्यमार्ग से सम्प्रयुक्त होती है उसे लोकोत्तर समाधि कहते हैं। इस लोक को उत्तीर्ण कर स्थित रहने वाली लोकोत्तर समाधि का भावना-प्रकार प्रज्ञा के भावना-प्रकार में संगृहीत है। प्रज्ञा के सुभावित होने से ही लोकोत्तर समाधि की भावना होती है। अतः लोकोत्तर समाधि प्रज्ञास्कन्ध का विषय है।

प्रयोजन— हम पहले कह आये हैं कि आचार्य बुद्धधोष बुद्धमत में प्रदर्जित होने से पूर्व पातञ्जल योग में निष्पात थे। निष्पय ही उन्होंने बौद्धों के इस योगदर्शन को साधकों के कल्प्याण के लिये विसुद्धिमण्ड के रूप में प्रकाशित किया है। भिक्षु जगदीश काश्यप के भत में “पातञ्जल योगदर्शन की अपेक्षा विसुद्धिमण्ड अधिक सुव्यवस्थित और नियमबद्ध है—यह कहना अतिरिक्तना नहीं होगी”। आचार्य बुद्धधोष ने साधकों के कल्प्याण के लिये ही इस ग्रन्थ की रचना की है—यह बात उन्होंने छिपायी नहीं, अपि तु प्रत्येक परिच्छेद के अन्त में ‘साध्यजनपामोज्जत्याय कते विसुद्धिमण्डे’ कहकर अपने हृदय की बात बार-बार स्पष्ट कर दी है।

इसी प्रकार उन्होंने ग्रन्थ के प्रारम्भ में भी कह दिया कि मैं अब विशुद्धि के मार्ग का प्रवचन करूँगा, सभी साधु पुरुष, जिन्हें अपनी चित्तप्रशिद्धि की कामना है, मेरे कहे हुए को आदरपूर्वक सुनें।

इस तरह अन्तःसाक्ष्य के स्पष्ट आधार से सिद्ध हो जाता है कि इस ग्रन्थ का निर्माण केवल साधु (साधक) जन के प्रामोद्य (कल्प्याण) के लिये ही हुआ है।

आधार— यह ग्रन्थ महाविहारवासी भिक्षुओं की उपदेश-विधि पर आधृत है, यह बात भी आचार्य ने प्रारम्भ में ही कह कर स्पष्ट कर दी है कि “महाविहारवासी भिक्षुओं की उपदेश-विधि पर आधृत विसुद्धिमण्डग्रन्थ का कथन करूँगा।”^१

यह बात पहले कही जा चुकी है कि बुद्धधोष के समय तक पालित्रिपिटक तथा पालिसाहित्य के विषय में सिंहलद्वीप की प्रामाणिकता सर्वोपरि थी। सिंहल द्वीप में भी अनुराधपुरस्थित महाविहार पालि-साहित्य का सर्वोपरि प्रामाणिक पीठी था। आचार्य का इसी महाविहार में रहने वाले स्थायिर भिक्षुओं की ओर संकेत है। इस तरह महाविहारवासी भिक्षुओं

१.

“महाविहारवासीन देवनानयनिस्तिः।
विसुद्धिमण्ड भासित्तं”

के नाम-ग्रन्थ से आचार्य यह कहना चाहते हैं कि विसुद्धिमण्डग में जो कुछ भी लिखा या कहा गया है वह स्वकपोलकल्पना नहीं है, अपितु उस समय के प्रामाणिक भिक्षुओं की सरणि के अनुसार बौद्धयोग का यह एक प्रामाणिक विवेचन है।

अधिकारी—अतः चित्तविशुद्धि का भार्ग खोजने वाले सभी प्रज्ञावान् योगिजनों को इस विसुद्धिमण्डग्रन्थ का आदर करना चाहिये। वे ही इस ग्रन्थ के अध्ययन के वास्तविक अधिकारी हैं।

विसुद्धिमण्डग की विषयवस्तु

विसुद्धिमण्डग तीन भाग और तेर्हस परिच्छेदों में विभक्त है। पहला भाग शीलस्कन्ध कहलाता है। इसमें, प्रथम दो परिच्छेदों में, शील तथा उसकी प्राप्ति के उपायभूत तेरह धुताङ्गों का विशद वर्णन है। द्वितीय भाग समाधिस्कन्ध कहलाता है। इसमें परिच्छेदक्रम से ११ परिच्छेदों (३ से १३ तक) में कर्मस्थानों की ग्रहणविधि, पृथ्वीकसिण, शेषकसिण, अशुभ कर्मस्थान छह अनुस्मृति, अनुस्मृति कर्मस्थान, ब्रह्मविहार, आरूप्य, समाधि, ऋद्धिविधि तथा अभिज्ञाओं का वर्णन है। तीसरा भाग प्रज्ञास्कन्ध है, इसमें (१४ से २३ परिच्छेद तक) क्रमशः स्कन्ध, आयतनः, धातु, इन्द्रिय-सर्त्य, प्रतीत्यसमुत्पाद (प्रज्ञाभूमि), दृष्टिविशुद्धि, कांक्षावितरणविशुद्धि, मार्गमार्गज्ञानदर्शनविशुद्धि, प्रतिपदाज्ञानदर्शनविशुद्धि, ज्ञानदर्शनविशुद्धि तथा अन्त में प्रज्ञाभावना का माहात्म्य वर्णित है।

आगे हम क्रमशः इस ग्रन्थ के प्रत्येक परिच्छेद का वर्ण्य विषय विस्तार से लिखेंगे, ताकि पालि न जानने वाले जिज्ञासु जन भी इसका साध उठा सकें; अतः यहाँ हम इतना ही कहकर अन्य प्रसङ्ग पर आते हैं।

विसुद्धिमण्डग का सम्पादन

इस ग्रन्थ के सम्पादन में हमने अधोलिखित संस्करणों, ग्रन्थों तथा टीकाओं का आलम्बन किया है—

१. आचार्य धर्मानन्द कोशाम्बी द्वारा सम्पादित तथा भारतीय विद्याभवन, बम्बई से प्रकाशित (१४० ई०) विसुद्धिमण्डग। मूल पालि-पाठ के लिये वह सर्वतोभद्र संस्करण है। हमने अपने इस संस्करण में इसी के आधार पर ही प्रायः सर्वत्र पाठ रखा है।

२. आचार्य रेवतधर्म द्वारा सम्पादित, बाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रकाशित (सन् १९७२ ई०) विसुद्धिमण्डग (तीन भागों में)। यह संस्करण आचार्य धर्मपाल रचित परमत्थमज्ज्ञासा नामक विसुद्धिमण्डगमहाटीका के साथ प्रकाशित हुआ है। इस के सम्पादक के बर्मा देश का निवासी होने के कारण और बर्मा देश के ग्रन्थों के आधार पर ही सम्पादन करने के कारण इस संस्करण पर बर्मी परम्परा की अधिक छाप है, जिससे विसुद्धिमण्डग में आगत बहुत से शब्द भारतीय परम्परा, जो कि नालन्दा से प्रकाशित पालि त्रिपिटक तथा अट्टकथा साहित्य में स्पष्ट परिलक्षित होती है, से दूर जा पड़े हैं, अतः पढ़ने-बोलने में कुछ अटपटे लगते हैं; क्योंकि यह ग्रन्थ भारत में पहली बार प्रकाशित हो रहा था, इस दृष्टि का भी सम्पादक को अवश्य ध्यान रखना चाहिये था। इस तरह, शब्दवैमत्य के अतिरिक्त, यह संस्करण भी सुपरिशुद्ध है; अतः ग्रन्थ के सम्पादन में हमें इस संस्करण से भी अत्यधिक सहायता मिली है।

३. आचार्य धर्मनन्द कोशास्वी कृत विसुद्धिमण्ड-टीका का भी हमने पाद-टिप्पणियों में सहारा लिया है।

४. डॉ० भिशु धर्मरक्षित कृत तथा ज्ञानमण्डल लिमिटेड वाराणसी से प्रकाशित (सन् १९५६ ई०) विसुद्धिमण्ड का हिन्दी भापान्तर। इस संस्करण ने भी हमको पाद-टिप्पणियों में यत्र-तत्र सहारा दिया है।

५. ग्रन्थ का पैरोग्राफिंग तथा उसका क्रमांक हमारा अपना है। कारण यह है कि श्री कोशास्वीजी के संस्करण में हमें लगा कि उन्होंने क्रमांक के सम्बन्ध में रोमन संस्करण का अन्यानुकरण किया है। जिससे कहीं-कहीं उनके संस्करण में विषय-वस्तु की हास्यास्पद विश्वित अन गयी है। डॉ० रेखतधम्म ने पैरोग्राफिंग तथा क्रमांक के सम्बन्ध में अधिक सावधानी रखी है, परन्तु वे भी बर्मी संस्करण का मोह-संवरण नहीं कर सके। अतः हमने दोनों के ही क्रमांकों को न लेकर विषयवस्तु के अनुसार प्रारम्भ में स्वतन्त्र क्रमांक दिये हैं। तथा अवान्तर विषयवस्तु को समझाने के लिये अन्त में अवान्तर क्रमांक भी दिये हैं। उस से भी काम न चला तो कहीं-कहीं (क), (ख) से भी विषय-वस्तु का विभाजन किया है।

६. अनुसन्धानाओं की सूचिथा के लिये, ग्रन्थ में आये त्रिपिटक के ग्रन्थों के उद्धरणों के अन्त में कोष्ठक में पृष्ठाङ्कसहित सम्बद्ध ग्रन्थ का नाम दे दिया गया है।

७. पालि के साधारण पाठकों को भी ग्रन्थ सुखेन पठनीय हो सके, अतः हमने अनावश्यक सन्धि वाले पद पृथक् पृथक् लिखे हैं, विशेषतः वग्गन्त (परसवर्ण) की सन्धि वाले पद। इस से ग्रन्थ की परम्परा भी सुरक्षित रहेगी, और साधारण पाठकों के लिये यह ग्रन्थ सुग्राह्य होगा।

८. विराम आदि चिह्नों के लिये हमने नालन्दा की परम्परा को आदर्श मानकर उसी के अनुसार समग्र चिह्नों का प्रयोग किया है।

९. इस तरह गुरु-कृपा से अत्यधिक परिश्रमपूर्वक इस ग्रन्थ का सम्पादन किया गया है। पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह परिश्रम विद्वज्ज्ञन तथा छात्रजन—दोनों को ही समान रूप से हितावह तथा सुखावह होगा।

१०. इस ग्रन्थ के सम्पादन में जिन-जिन महानुभावों की कृतियों का, रचनाओं का, ग्रन्थों का हमने सहारा लिया है, उसके लिये हम उन सज्जनों के हृदय से सर्वातिशयतया कृतज्ञ हैं। तथा इसके लिये उनका आभार मानना हमारा प्रथम कर्तव्य है।

अक्षयतीर्तीया, २०५४ विं० }
वाराणसी १०८

विद्वज्ज्ञनवशंवद
स्वामी द्वारिकादासशास्त्री

अन्तरङ्गकथा

महाविहारवासीन् देसनानयनिस्तिता ।

विशुद्धिमण्डगम्भस्स अन्द्रनारकश्च आर्य ॥

विशुद्धिमण्डग की विषय-भूमि से अवगत होने के लिये वह परम आवश्यक है कि हम पहले इस ग्रन्थ के प्रत्येक निर्देश में प्रतिपादित विषय से परिचित हो जाएं। अतः अब हम क्रमशः प्रत्येक निर्देश में आगत विषय-वस्तु का संक्षिप्त परिचय देना उचित समझते हैं।

१. शीलनिर्देश

एक समय भगवान् श्रावस्ती के जेतवन में विहार कर रहे थे (शत्रुंग का समय था)। किसी देवपुत्र ने भगवान् से आकर पूछा—“भगवान्! यह मनुष्य (जैसे) अन्द्र जज्जालों से बिरा हुआ है, (वैसे ही) बाहर भी जज्जालों से बिरा हुआ है। अतः हे गौतम! मेरा आप से यही पूछना है कि कौन इन जज्जालों को काट कर मुक्ति पा सकता है?”

भगवान् ने उत्तर दिया—“देवपुत्र! प्रज्ञावान् वीर्यवान् तथा पण्डित साधक ही शील में प्रतिष्ठित हो कर इन उपर्युक्त जज्जालों को काट सकता है।”

इस तरह भगवान् ने अपने संक्षिप्त उत्तर में संसार से मुक्ति पाने के लिये शील, समाधि, तथा प्रज्ञा की भावना उपदेश किया। जो पुरुष स्वचित को शील से सुपरिशुद्ध कर चुका होता है वही समाधि और प्रज्ञा की भावना का अधिकारी होता है, वही इन उपायों द्वारा निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। अर्थात् उक्त सीन उपाय ही निर्वाण के मार्ग है। इन्हें ‘विशुद्धि का मार्ग’ कह सकते हैं।

उक्त (शील, समाधि और प्रज्ञा) तीन में से प्रथम शील के विषय में ये सात प्रश्न होते हैं—

१. शील क्या है? २. किस अर्थ में शील है? ३. शील के लक्षण, कार्य, जानने के आकार तथा आसन्न कारण क्या हैं? ४. शील का माहात्म्य क्या है? ५. शील कितने प्रकार का है? ६. शील का मल क्या है? ७. और शील की विशुद्धि क्या है?

१. प्रथम प्रश्न का उत्तर है—प्राणि-हिंसा आदि से विरत रहने वाले तथा व्रतादि का आचरण करने वाले साधक के चेतनादि धर्म ही ‘शील’ कहलाते हैं।

शील के प्रसङ्ग में पटिसभिदामग्म में कहा है—“शील किसे कहते हैं? चेतना को, चैतसिक को, संवर को तथा अव्यतिक्रम को ‘शील’ कहते हैं।” यहाँ चेतना से तात्पर्य है प्राणातिपातादि से विरत रहने वाले तथा व्रताचारसम्पन्न की चेतना। चैतसिक शील कहते हैं प्राणातिपातादि से विरत रहनेवाले की विरति को। संवर का अर्थ है निष्पत्ति। वह पाँच प्रकार का होता है—१. प्रातिमोक्षसंवर, २. स्मृतिसंवर, ३. ज्ञानसंवर, ४. क्षान्तिसंवर, ५. वीर्यसंवर। इस प्रकार यह पाँच प्रकार का संवर तथा पाप से छने वाले कुलपुत्रों की सम्प्राप्त पापवस्तु से निष्पत्ति ही संवरशील है। अव्यतिक्रमशील से तात्पर्य है—ग्रहण किये हुए शील का व्यतिक्रम (उल्लङ्घन) न करना।

२. द्वितीय प्रश्न के उत्तर में आचार्य कहते हैं—शीलन (आधार या संयम, के अर्थ में शील होता है)। अर्थात् काय-कर्म आदि का संयम और मुश्शीलता से एक जैसा बने रहना या उत्तरने के लिये आधार की भाँति कुशल धर्मों को धारण करना—इन अर्थों में यहाँ शील शब्द का प्रयोग है।

३. चेतन आदि भेदों से उस नानाविधि शील का काय-कर्म आदि के संयम तथा कुशल धर्मों के आधार के कारण जो शीलन है, वही उसका लक्षण है। हैः शीस्त्यविध्यवंसन आदि उसके कार्य हैं। कायशुद्धि, वाक्शुद्धि तथा मनःशुद्धि आदि उस शील के जानने के आकार हैं। अर्थात् जब ये शुद्धियाँ आने लगें तो समझ लेना चाहिये कि उसका शील सुविशुद्ध हो रहा है। इसी तरह जब उत्तर योगाभिलाषी में हो जाए (लज्जाभाव) का सम्यक्त्या उत्पाद होने लगे तो समझना चाहिये कि उसमें शील स्थिर हो गया है; क्योंकि ही (लज्जा) शील का आसन्न कारण है।

४. हेय उपादेय वस्तुओं के लिये पश्चात्ताप न करना शील का माहात्म्य (गुण) है। अंगुत्तरनिकाय में भगवान् ने कहा है—“आनन्द, कुशल शील पश्चात्ताप न करने के लिये है। पश्चात्ताप न करना इसका गुण है।” और इसी प्रसङ्ग में दीघनिकाय में उनका वचन है—“गृहपतियो! शीलवान् की शील सम्पत्ति के पाँच गुण हैं। कौन से पाँच? १. यहाँ शीलवान् व्यक्ति, प्रमाद में न पड़ने के कारण, बहुत सा धन-वैभव प्राप्त करता है; २. स्थापति, सुयश प्राप्त करता है; ३. सभी मनुष्यसमूहों के बीच, भले ही वे ब्राह्मण हों क्षत्रिय हों, वैश्य हों, शूद्र हों, या श्रमण हों, वह निर्भीक निःसंकोच जाने का साहस रखता है; ४. शीलवान् व्यक्ति मृत्यु के सम्मुख आने पर भी अपनी चेतना नहीं खोता; ५. और वह मरने के बाद सूर्यांति-स्कर्गलोक को प्राप्त करता है।” मञ्जिलनिकाय में भी भगवान् का वचन है—“यदि कोई भिक्षु चाहता है कि वह अपने साधियों में सम्मान की दृष्टि से देखा जाय, उनका वह प्रियपात्र हो तो उसे शील (सदाचार) का ही पालन करना चाहिये।”

५. “शील कितने प्रकार का होता है?” —इन पाँचवें प्रश्न के उत्तर में आचार्य ने एकविधि, द्विविधि, त्रिविधि, चतुर्विधि तथा पञ्चविधि भेद से नाना प्रकार से शील के भेद किये हैं। परन्तु वे सब चतुर्विधि पारिशुद्धिशील में ही उपसंहत हो सकते हैं अतः इनका ज्ञान अवश्य कर लेना चाहिये। चार पारिशुद्धिशील ये हैं—(क) प्रातिमोक्षसंवरशील, (ख) इन्द्रियसंवरशील, (ग) आजीवपारिशुद्धिशील, और (घ) प्रत्ययसत्रित्रितशील।

(क) संवर का अर्थ है ढकना। प्रातिमोक्ष कहते हैं भगवान् के शिक्षापदों को। उस प्रातिमोक्ष (शिक्षापद) से संबृत शील को प्रातिमोक्षसंवरशील कहते हैं। आचारणोचर से सम्पत्र रहना, अल्पमात्र दोष में भी भय देखना—प्रातिमोक्षसंवरशील कहलाता है।

(ख) शरीर या वाणी द्वारा शीलों का उलझन न करना इन्द्रियसंवरशील कहलाता है। वह प्रातिमोक्षसंवरशील सम्पत्र भिक्षु आँख से रूप देखकर, कान से शब्द सुनकर, नाक से गंध रूच कर, जीभ से रस चखाकर, काय से स्पर्शकर, मन से धर्मों को जानकर निमित्त और अ.उ.-ज्ञानों को ग्रहण नहीं करता है, जिनसे कि उन-उन इन्द्रियों में संवर रहित होने पर लोभदर्शनस्यादि अकुशल भूर्ज उत्पन्न होते हैं, उनके संवर के लिये उसका तत्पर होना, उसके द्वारा उनकी सुरक्षा करना ही इन्द्रिय-संवरशील है।

(ग) आजीविका के प्रसङ्ग में कहे गये छह शिक्षापदों अनुसार आचारण करना आजीवपारिशुद्धिशील कहलाता है। वे छह शिक्षापद पारजिक में यों कहे हैं—१. आजीविका के लिए जनता को इन्द्रजाल दिखाना, २. ठग-विद्या, ३. अपने को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाना कि जिससे कुछ मिले, ४. भिक्षु द्वारा अपने को बढ़ा-चढ़ा हुआ दिखाकर अंचल भोजन या वस्त्र या अन्य लाभ की वस्तु प्राप्त करना, ५. या अपनी प्रशंसा कर जनता से उपभोग वस्तुएँ प्राप्त करना। इन छह शिक्षापदों के अनुसार आजीविकशील-रक्षा ही आजीवपारिशुद्धिशील कहलाता है।

(ब) चीवर, पिण्डपात, शयनासन तथा रोग के लिये उपयोगी ओषधियाँ—इन चार प्रत्ययों का, प्रज्ञापूर्वक ठीक-ठीक जानकर सेवन करना ही प्रत्ययसम्बद्धिअतिशील कहलाता है।

आधार्य कहते हैं—जैसे टिटिहरी पक्षी अपने अण्डे की, चमरी गाय अपनी पूँछ की, मता अपने पुत्र की, काणा व्यक्ति अपनी आँख की, प्राणों की तरह रक्षा करता है; उसी तरह योगमध्यसी व्यक्ति को अपने उक्त चतुर्विध शील के प्रति प्रेम, गौरव तथा एकनिष्ठा रखनी चाहिये।

प्रातिगोक्षसंवरशील को श्रद्धा से पूर्ण करना चाहिये। इन्द्रियसंवरशील को स्मृति से पूर्ण करना चाहिये; क्योंकि स्मृति से संरक्षित इन्द्रियाँ लोभ आदि से आक्रान्त नहीं होती। इसी प्रकार आचीवपारिशुद्धिशील को चीर्य से तथा प्रत्ययसन्निश्रित शील को प्रज्ञा से पूर्ण किया जाता है।

पंसुक-गणन्न से शील पाँच प्रकार का होता है—१. पर्यन्तपारिशुद्धि शील, २. अपर्यन्त-पारिशुद्धि शील, ३. परिपूर्णपारिशुद्धि शील, ४. अपरामृष्टपारिशुद्धि शील, तथा ५. प्रतिप्रश्रव्यपारिशुद्धि शील। इन पाँचों का विस्तार आगे ग्रन्थ से समझ लेना चाहिये।

६. अब छठा प्रस्तुत रह जाता है—शील का मल क्या है? शील का खण्डित होना ही उस का मल है। सात प्रकार के मैथुनधर्म के संयोग से शील खण्डित होता है। अतः शील-संरक्षण के लिये साधक को सात प्रकार के मैथुन धर्मों से सतत बचते रहना चाहिये। दर्शन स्पर्शन, केलि आदि सात प्रकार के मैथुनधर्मों का विवरण प्रसङ्गवश अंगुतरनिकाय (तृतीय भाग १९४ मृ.) में दिया गया है।

७. सातवें प्रस्तुत के उत्तर में शील का अखण्ड रहना ही उसकी विशुद्धि है। यह विशुद्धि शिक्षापटों के समादान से, प्रायश्चित्त से, सततिवध मैथुनों से सर्वथा दूर रहने से, क्रोध, ईर्ष्या आदि दुर्गुणों के अनुत्पाद से तथा अस्पैच्छता, सन्तोष आदि गुणों के उत्पाद से साधक को संगृहीत करनी चाहिये।

२. धुताङ्गनिर्देश

भगवान् ने, जिन जिज्ञासुओं द्वारा साभ-सत्कार आदि का परित्याग कर दिया गया है उन अनुलोम मार्ग को पूर्ण करना चाहने वालों के लिये, इन १३ धुताङ्गों का उपदेश किया है। ये सभी धुताङ्ग शील-समादान के लिये अत्यावश्यक हैं। क्रमशः वे १३ धुताङ्ग ये हैं—

१. पंसुकूलिकङ्ग (पांसुकूलिकङ्ग), २. तेचीवरिकङ्ग (त्रैचीवरिकङ्ग), ३. पिण्डपातिकङ्ग (पिण्डपातिकङ्ग), ४. सपदनचारिकङ्ग (सापदानचारिकङ्ग), ५. एकासनिकङ्ग (एकासनिकङ्ग), ६. परपिष्ठिकङ्ग (पापिष्ठिकङ्ग), ७. खलुपश्चाभत्तिकङ्ग (खलुपश्चाद्भत्तिकङ्ग), ८. आरजिकङ्ग (आरज्यकङ्ग), ९. रुक्खमूलिकङ्ग (वृक्षमूलिकङ्ग), १०. अब्दोकासिकङ्ग (अभ्यवकाशिकङ्ग), ११. सोसनिकङ्ग (शमाशनिकङ्ग), १२. यथासन्धितिकङ्ग (यथासंस्तरिकङ्ग) एवं १३. नेसञ्जिकङ्ग (नैषद्यकङ्ग)।

ये सभी अङ्ग, ग्रहण करने से क्लेशनाशक होने के कारण, धुत (परिशुद्ध) भिक्षु के अङ्ग कहलाते हैं। या क्लेशों को धुन डालने के कारण धुत नामक ज्ञानाङ्ग कहलाते हैं।

इन सभी को भगवान् से ग्रहण करना चाहिये। भगवान् की अनुपस्थिति में महाश्रावक से, महाश्रावक के न होने पर, शीणास्वव, अनागामी, सकृदागामी, स्रोतआपत्र से, उनके भी न होने पर त्रिपिटकधर, द्विपिटकधर, एकनिकायधर या अद्वकथाचार्य से ग्रहण करना चाहिये। ये

भी न हों तो धुताङ्गधारी से इनको ग्रहण करना चाहिये। इस के भी न होने पर चैत्य को निर्मल कर उत्कृष्टिक (उकड़ू) बैठकर, भगवान् के पास बैठे हुए के समान स्वयं ग्रहण करना भी उचित है।

१. पांशु का अर्थ है धूल। सड़क, श्मशान या कूड़ा-कक्कट के ढेर पर जहाँ कहीं धूल पर गड़े वस्त्र 'पांशुकूल' कहलाते हैं, उन्हें धारण करने वाला 'पांशुकूलिक' कहलाता है। इसका अङ्ग (नियम) 'पांशुकूलिकाङ्ग' कहलाता है।

जो भिक्षु पांशुकूलिकाङ्गब्रत धारण करता है, उसे १. "गृहस्थों द्वारा दिये गये चीवर को त्यागता हूँ", या २. 'पांशुकूलिकाङ्ग ग्रहण करता हूँ'—इन दोनों में से एक का अधिष्ठान करना चाहिये।

२. भिक्षु के तीन वस्त्र (चीवर) होते हैं—(क) सङ्कुटि, (ख) उत्तरासङ्ग, (ग) अन्तरावासक। जो भिक्षु इन तीन वस्त्रों से अधिक ग्रहण नहीं करता उसे 'त्रैचीवरिक' कहते हैं। उसका यह धुताङ्ग 'त्रैचीवरिकाङ्ग' कहलाता है।

३. भिक्षा के रूप में प्राप्त अन्न या दूसरों के द्वारा दिया हुआ अन्न 'पिण्डपात' कहलाता है। जो पिण्डपात के लिये घर-घर धूमता है उसे 'पिण्डपातिक' कहते हैं। उसका यह धुताङ्ग 'पिण्डपातिकाङ्ग' कहलाता है।

४. ग्राम में विना अन्तर ढाले प्रत्येक घर से भिक्षा ग्रहण करने वाला 'सापदानचारिक' कहलाता है। इसका यह अङ्ग 'सापदानचारिकाङ्ग' कहलाता है।

५. एक आसन पर बैठ कर भोजन करने वाला (अर्थात् रात दिन में एक बार भोजन करने वाला) भिक्षु 'ऐकासनिक' कहलाता है। उसका यह ब्रत 'ऐकासनिकाङ्ग' कहलाता है।

६. भिक्षार्थ गृहीत पात्र में पड़ा हुआ अन्न 'पात्रपिण्ड' कहलाता है। उस पात्रपिण्ड को ही ग्रहण करने वाले भिक्षु के इस प्रत को 'पात्रपिण्डिकाङ्ग' कहते हैं।

७. 'खतु' इस नियम का प्रयोग यहाँ निवेद अर्थ में है, एक बार भोजन करने के बाद मिले भोजन का निवेद करना 'खतुपक्षाद्वर्त' कहलाता है। इस नियम का पासन 'खतुपक्षाद्वर्तिकाङ्ग' कहलाता है।

८. आरण्यकाङ्ग का अर्थ है—अरण्य (जंगल) में रहने वाला। जो भिक्षु ग्राम, नगर के शयनासन को छोड़ जंगल में रहने का ही नियम धारण करता है, उसका यह नियम 'आरण्यकाङ्ग' कहलाता है।?

९. ईट, पत्थर, तृण आदि से बने गृह, कुटी आदि को छोड़कर केवल वृक्ष के नीचे रहना 'वृक्षमूल' कहलाता है। इस नियम को धारण करने वाला भिक्षु 'वृक्षमूलिक' कहलाता है। इस के इस धुताङ्ग को 'वृक्षमूलिकाङ्ग' कहते हैं।

१०. छाये हुए गृह, कुटी या वृक्षमूल को छोड़ खुले आकाश के नीचे रहने के ब्रत को 'अभ्यवकाशिकाङ्ग' कहते हैं।

११. इसी तरह उपर्युक्त वासयोग्य स्थानों को छोड़कर एक श्मशान में रहने के ब्रत को 'श्माशानिकाङ्ग' कहते हैं।

१२. 'यह आसन आप के लिये है' यह कह कर पहले से निछाये आसन को ही ग्रहण करने वाला भिक्षु 'यथासंस्तारिक' कहलाता है। इस के इस नियम को 'यथासंस्तारिकाङ्ग' कहते हैं।

१३. सोना, टहलना, खड़ा होना और बैठना—भिक्षु के ये चार ईर्यापथ कहे गये हैं। इन

में से सोना छोड़कर सर्वदा (दिन-रात) बैठा रहने वाला भिक्षु 'नैषधक' कहलाता है। इस प्रति को पालन करना 'नैषधकाङ्ग' कहलाता है।

ये तेरहों भुताङ्ग प्रत्येक साधक को पालन करना आवश्यक नहीं हैं, अपितु जिस साधक के राग, द्वेष या मोह अधिक संवृद्ध हों, उसी के लिये ये भुताङ्ग आवश्यक बताये गये हैं। क्योंकि ये अत्यधिक कायकलेशदायक हैं, अतः आचार्य ने इन भुताङ्गों को प्रत्येक साधक के लिये आवश्यक नहीं माना। मणिज्ञामा पटिपदा मानने वाली बौद्ध साधना में यह आवश्यक हो भी कैसे सकता था!

३. कम्मटुनग्रहणनिर्देश

समाधि बहुविधि है। यदि सब समाधियों का वर्णन किया जाय तो अभिग्रेत अर्थ की सिद्धि नहीं होगी और यह भी सम्भव है कि इस प्रकार विक्षेप उपस्थित हो। इसलिये यहाँ केवल अभिग्रेत अर्थ का ही उल्लेख किया जायगा। आचार्य को यहाँ लौकिक समाधि ही अभिग्रेत है। काम, रूप और अरूप भूमियों की कुशलता-चित्ताग्रता को लौकिक समाधि कहते हैं। जो एकाग्रता आर्थमार्ग से सम्प्रयुक्त होती है, उसे लोकोत्तर समाधि कहते हैं। लोकोत्तर समाधि का भावना-प्रकार प्रज्ञा के भावना-प्रकार में संगृहीत है। प्रज्ञा के सुभावित होने से लोकोत्तर समाधि की भावना होती है। इस लोकोत्तर समाधि की भावना के विषय में आगे कहा जायगा। यहाँ हम केवल लौकिक समाधि का ही सविस्तर वर्णन करेंगे।

हमारे अभिग्रेत अर्थ में समाधि 'कुशलताचित्त की एकाग्रता' को कहते हैं। अर्थात् चित्त की वह एकाग्रता जो दोषरहित है और जिसका विषापक सुखमय है। इस लौकिक समाधि के मार्ग को शमथ-यान कहते हैं। लोकोत्तर समाधि (प्रज्ञा) का मार्ग विपश्यना-यान कहलाता है।

इसके पूर्व कि हम लौकिक समाधि के भावना-प्रकार का विस्तार से वर्णन करें, हम इस स्थान पर शमथ-मार्ग का संक्षेप में निरूपण करना आवश्यक समझते हैं।

शमथ का अर्थ है—पाँच नीवरणों अर्थात् विघ्नों का उपशम। विघ्नों के शमन से चित्त की एकाग्रता होती है। शमथ का मार्ग लौकिक समाधि का मार्ग है। विघ्नों के अर्थात् अनुरायों के नाश से ही लौकिक समाधि में प्रथम ध्यान का साध्य होता है। प्रथम ध्यान में पाँच अङ्गों का प्रादुर्भाव होता है। दूसरे तीसरे ध्यान में पाँच अङ्गों का अतिक्रमण होता है।

नीवरण इस प्रकार है—कामच्छन्द, व्यापाद, स्थान-मृद्ग, औद्धत्य-कौकृत्य, विचिकित्सा। 'कामच्छन्द' 'विषयों में अनुराग' को कहते हैं, जब चित्त नाना विषयों से प्रलोभित होता है तो एक आलम्बन में समाहित नहीं होता। 'व्यापाद' हिंसा को कहते हैं। यह प्रीति का प्रतिपक्ष है। 'स्थान' चित्त की अकर्मण्यता और 'मिद्द' आलस्य को कहते हैं। वितर्क स्थान-मिद्द का प्रतिपक्ष है। औद्धत्य का अर्थ है अव्यवस्थित-चित्तता और कौकृत्य 'खेद', 'पश्चात्ताप' को कहते हैं। सुख औद्धत्य-कौकृत्य का प्रतिपक्ष है। विचिकित्सा 'संशय' को कहते हैं। विचार विचिकित्सा का प्रतिपक्ष है। विषयों में लोन होने के कारण समाधि में चित्त की प्रतिष्ठा नहीं होती। हिंसाभाव से अभिभूत चित्त की निरन्तर प्रवृत्ति नहीं होती। स्थान-मृद्ग से अभिभूत चित्त अकर्मण्य होता है। चित्त के अनवस्थित होने से और खेद से शान्ति नहीं मिलती और चित्त भ्रान्त रहता है। विचिकित्सा से उपहत चित्त ध्यान का साध्य करनेवाले मार्ग में आरोहण नहीं करता। इसलिये इन विघ्नों का नाश करना चाहिये।

नीवरणों के नाश से ध्यान का साध्य और ध्यान के पाँच अङ्ग वितर्क, विचार, प्रीति, सुख एवं एकाग्रता का प्रादुर्भाव होता है।

वितर्क आलम्बन में चित्र का आरोप करता है। आलम्बन के पास चित्र का आनन्दन 'वितर्क' कहलाता है। आलम्बन का यह स्थूल आभोग है। वितर्क की प्रथमोत्पत्ति के समय चित्र का परिस्पन्दन होता है। वितर्क विचार का पूर्वगामी है। विचार सूक्ष्म है। विचार की वृत्ति शान्त होती है और इसमें चित्र का अधिक परिस्पन्दन नहीं होता। जब प्रीति उत्पन्न होती है तब सबसे पहिले शरीर में रोमाङ्ग होता है। धीरे-धीरे यह प्रीति बारम्बार शरीर को अवक्रान्त करती है। जब प्रीति का बलवान् उद्भव होता है तो प्रीति शरीर को ऊर्ध्व उत्क्षित कर आकाश-लम्बुन के लिये समर्थ करती है, धीरे-धीरे सकल शरीर प्रीति से सर्वरूपेण घ्यास हो जाता है, मानों पर्वत-गुहा से एक महान् जलप्रपात परिस्फुट होकर तीव्र वेग से प्रवाहित हो रहा है। प्रीति के परिपाक से काय-प्रश्रविध और चित्र-प्रश्रविध होती है। प्रश्रविध (शान्ति) के परिपाक से काय और चित्र-सुख होता है। सुख के परिपाक से क्षणिक, उपचार और अर्पणा इस ग्रिविध समाधि का परिपूरण होता है। इष्ट आलम्बन के प्रति लाभ से जो तुष्टि होती है उसे 'प्रीति' कहते हैं। प्रतिलब्ध रस के अनुभव को 'सुख' कहते हैं। जहाँ प्रीति है वहाँ सुख है पर जहाँ सुख है वहाँ नियम से प्रीति नहीं है। प्रथम घ्यान में उक्त पाँच अङ्गों का प्रादुर्भाव होता है। धीरे-धीरे अङ्गों का अतिक्रमण होता है और अन्तिम घ्यान में समाधि उपेक्षासहित होती है।

जिसको लौकिक समाधि अभीष्ट हो उसको सुपरिशुद्ध शील में प्रतिष्ठित होकर सबसे पहिले विष्णों का नाश (पलिबोध) करना चाहिये।

पलिबोध— आवास, कुल, लाभ, गण, कर्म, मार्ग, ज्ञाति, आबाध, ग्रन्थ और ऋद्धि—यह दश 'पलिबोध' कहलाते हैं।

जो भिक्षु अभी नवा-नवा किसी कार्य में उत्सुकता रखता है या बहुविध सामग्री संग्रह करता है या जिसका चित्र किसी कारणवश अपने आवास में प्रतिबद्ध है, आवास उसके लिये अन्तराय (विष्ण) है।

कुल से तात्पर्य ज्ञाति-कुल या सेवक के कुल से है। साधारणतया दोनों विष्णकारी हैं। कुछ ऐसे भिक्षु होते हैं जो कुल के मनुष्यों के विना धर्मश्रवण के लिये भी पास के विहार में नहीं जाते। वह उन श्रद्धालु उपासकों के सुख में सुखी और दुःख में दुःखी होते हैं जिनसे उनको लाभ-सत्कार मिलता है। ऐसे ही भिक्षुओं के लिये कुल अन्तराय है; दूसरों के लिये नहीं।

लाभ चार प्रत्ययों को कहते हैं। प्रत्यय (पञ्चव) ये हैं—चीवर, पिण्डपात, शयनासन और ग्लानप्रत्ययभेदज। भिक्षु को इन चार वस्तुओं की आवश्यकता रहती है। कभी-कभी ये भी अन्तराय हो जाते हैं। पुण्यवान् भिक्षु का लाभ-सत्कार प्रचुर परिमाण में होता है। उसको सदा लोग धेरे रहते हैं। जगह-जगह से उसको निमन्त्रण आता है। उसको निरन्तर दान का अनुमोदन करना पड़ता है और दानाओं को धर्म का उपदेश देना पड़ता है। श्रमण-धर्म के लिये उसको अवकाश नहीं मिलता। ऐसे भिक्षु को उस स्थान में जाकर रहना चाहिये जहाँ उसे कोई न जापता हो और जहाँ वह एकान्तसेवी ही सके।

गण में रहने से लोग अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, या उसके पास पाठ के लिये आते हैं। इस प्रकार श्रमण-धर्म के लिये अवकाश नहीं मिलता। इस अन्तराय का उपच्छेद इस प्रकार होना चाहिये— यदि थोड़ा ही पाठ रह गया हो तो उसे समाप्त कर अरप्य में प्रवेश करना चाहिये, यदि पीठ बहुत अ...श्वष हो तो अपने शिष्यों को समीपवर्ती किसी दूसरे गणवाचक के अधीन करना चाहिये। यदि दूसरा गणवाचक पास में न मिले तो शिष्यों से अवकाश से श्रमण-धर्म में प्रवृत्त हो जाना चाहिये।

कर्म का अर्थ है 'नवकर्म'। अर्थात् विहार का अभिसंस्कार (मरम्मत आदि)। जो नवकर्म करता है उसे ब्रह्मिङों के कार्य का निरीक्षण करना पड़ता है। उसके लिये सर्वदा अन्तराय है। इस अन्तराय का नाश करना चाहिये। यदि थोड़ा ही काम अवशिष्ट रह गया हो तो काम को समाप्त कर श्रमण-धर्म में प्रवृत्त हो जाना चाहिये। यदि अधिक कार्य बाकी हो तो सहृदारहात्क भिक्षुओं को सौंप देना चाहिये। यदि ऐसा कोई प्रबन्ध न हो सके तो सहृद का परित्याग कर अन्यत्र चला जाना चाहिये।

मार्ग-गमन भी कभी-कभी अन्तराय होता है। जिसे कहीं किसी की प्रब्रज्ञा के लिये जाना है या जिसे कहीं भी लाभ-सत्कार मिलना है, यदि वह अपनी इच्छा को पूर्ण किये बिना अपने चित्र को स्थिर नहीं रख सकता तो उससे श्रमण-धर्म सम्यक् रीति से सम्पादित नहीं हो सकता। इसलिये उसे गन्तव्य स्थान पर जाकर अपना मनोरथ पूर्ण करने के अनन्तर श्रमणधर्म में उत्साह के साथ प्रवृत्त होना चाहिये।

ज्ञाति भी कभी-कभी अन्तराय हो जाते हैं। विहार में आचार्य, उपाध्याय, अन्तेवासिक, समानोपाध्यायक और समानाचार्यक तथा घर में माता, पिता, भ्राता आदि 'ज्ञाति' होते हैं। जब ये रुण होते हैं तब ये अन्तराय होते हैं। क्योंकि भिक्षु को इनकी सेवा-शुश्रूपा करनी पड़ती है। उपाध्याय, प्रब्रज्ञाचार्य, उपसम्पदाचार्य, ऐसे अन्तेवासिक जिनकी उसने प्रब्रज्ञा या उपसम्पदा की है, तथा एक ही उपाध्याय के अन्तेवासी के रुण होने पर उनकी सेवा उस समय तक करना उसका कर्तव्य है जब तक वह नीरोग न हो। माता-पिता उपाध्याय के समान हैं। यदि उनके पास औपथ न हो तो अपने पास से देना चाहिये; यदि अपने पास भी न हो तो भिक्षा माँगकर देना चाहिये।

आबाध भी अन्तराय है। यदि भिक्षु को कोई रोग हुआ तो श्रमणधर्म के पालन में अन्तराय होता है। चिकित्सा द्वारा रोग का उपशम करने से या उसकी उपेक्षा करने से यह अन्तराय नष्ट होता है।

ग्रन्थ भी अन्तराय होता है। जो सदा स्वाध्याय में व्यापृत रहता है उसी के लिये ग्रन्थ अन्तराय है, दूसरों के लिये नहीं।

ऋद्धि से पृथग्जन की ऋद्धि अभिप्रेत है। यह ऋद्धि विपश्यना (प्रज्ञा) में अन्तराय है, समाधि में नहीं; क्योंकि जब समाधि की प्राप्ति होती है तब ऋद्धि-बल की प्राप्ति होती है। इसलिये जो विपश्यना का अर्थी है उसे ऋद्धि अन्तराय का उपच्छेद करना चाहिये।

इन विधिओं का उपच्छेद कर भिक्षु को 'कर्मस्थान' ग्रहण के लिये कल्याणमित्र के पास जाना चाहिये। 'कर्मस्थान' योग के साधन को कहते हैं। योगानुयोग ही कर्म है। इसका स्थान अर्थात् 'निष्पत्ति हेतु' कर्मस्थान है। इसीलिये कर्मस्थान उसे कहते हैं जिसके द्वारा योग-भावना की निष्पत्ति होती है।

कर्मस्थान अर्थात् समाधि के चालीस साधनों में से किसी एक का, जो अपनी चर्या के अनुकूल हो, ग्रहण करना पड़ता है। कर्मस्थान का दायक कल्याणमित्र कहलाता है; क्योंकि वह उसका एकान्तहितैषी है। कल्याणमित्र गम्भीर कथा का कहने वाला होता है तथा अनेक गुणों से समन्वयगत होता है। बुद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणमित्र नहीं है। संयुक्तनिकाय में भगवान् ने स्वयं कहा है कि जीव मुझ कल्याणमित्र की शरण में आकर जन्म के बन्धन से मुक्त होते हैं।

इसलिये भगवान् के रहते उनके सभीप ग्रहण करने से कर्मस्थान सुगृहीत होता है। संक्षेप में कर्मस्थान ग्रहण करने की वही विधि है, जो हम पीछे 'धूतङ्गनिदेश' में बता चुके हैं।

इन चालीस कर्मस्थानों को पालि में—'पारिहारिय कम्मटान' कहते हैं। क्योंकि इनमें से जो चर्या के अनुकूल होता है उसका नित्य परिहरण अर्थात् अनुयोग करना पड़ता है।

पारिहारिक कर्मस्थान के अतिरिक्त 'सञ्चात्क कम्मटान' (अर्थात् सर्वार्थक कर्मस्थान) भी है। इसे सर्वार्थक इसलिये कहते हैं क्योंकि यह सबको लाभ पहुँचाता है। भिक्षुसङ्घ आदि के प्रति भैत्रीभावना, मरण-स्मृति और कुछ आचार्यों के मतानुसार अशुभ-संज्ञा भी सर्वार्थक कर्मस्थान कहलाते हैं। जो भिक्षु कर्मस्थान में नियुक्त होते हैं उसे पहिले सीमा में रहनेवाले भिक्षुसङ्घ के प्रति भैत्री प्रदर्शित करनी चाहिये। उससे भैत्री-भावना इस प्रकार करनी चाहिये— 'सीमा में रहनेवाले भिक्षु सुखी हों, उनका कोई व्यापाद न करे।' धीरे-धीरे उसे इस भावना का इस प्रकार विस्तार करना चाहिये— सीमा के भीतर वर्तमान देवताओं के प्रति, तदनन्तर उस ग्राम के निवासियों के प्रति जहाँ वह भिक्षाचर्या करता है, तदनन्तर राजा तथा अधिकारी वर्ग के प्रति, तदनन्तर सब सत्त्वों के प्रति भैत्री-भावना का अनुयोग करना चाहिये। ऐसा करने से उसके सहवासी उसके साथ सुखपूर्वक निवास करते हैं। देवता तथा अधिकारी उसकी रक्षा करते हैं तथा उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं, लोगों का वह प्रियपात्र होता है और सर्वत्र निर्भय होकर विचरता है। मरणस्मृति द्वारा वह निरन्तर इस बात का विन्तन करता रहता है कि मुझे मरना अवश्यमेव है। इसलिये वह कुपथ का गामी नहीं होता तथा वह संसार में लीन और आसक्त नहीं होता। जब चित्त अशुभ-संज्ञा से परिचित होता है (अर्थात् जब चित्त वह देखता है कि चाहे मृत हो या जीवमान, शरीर शुभ भाव से वर्जित है और इसका स्वभाव अशुचि है) तब दिव्य आलम्बन का लोभ भी चित्त को ग्रस्त नहीं करता। बहु उपकारक होने से वह सबको अभिग्रेत है। इसलिये इन्हें सर्वार्थक कर्मस्थान कहते हैं।

इन दो प्रकार के कर्मस्थानों के ग्रहण के लिये कल्याणमित्र के सभीप जाना चाहिये। यदि एक ही विहार में कल्याणमित्र का वास हो तो अत्युत्तम है। अन्यथा जहाँ कल्याणमित्र का आवास हो वहाँ जाना चाहिये। अपना पात्र और चीवर स्वयं लेकर प्रस्थान करना चाहिये। मार्ग में जो विहार पड़े वहाँ वर्त-प्रतिवर्त (कर्तव्य-सेवा-आचार) सम्पादित करना चाहिये। आचार्य का वासस्थान पूछकर सीधे आचार्य के पास जाना चाहिये। यदि आचार्य अवस्था में छोटा हो तो उसे अपना पात्र-चीवर ग्रहण न करने देना चाहिये। यदि अवस्था में अधिक हो तो आचार्य को बदना कर खड़े रहना चाहिये। जब आचार्य कहे कि पात्र-चीवर भूमि पर रख दो तब उन्हें भूमि पर रख देना चाहिये। और यदि वह जल पीने के लिये पूछे तो इच्छा रहते जल पीना चाहिये। यदि पैर धोने को कहें तो पैर न धोना चाहिये। क्योंकि यदि जल आचार्य द्वारा आहत हो तो वह पादक्षालन के लिये अनुपयुक्त होगा। यदि आचार्य कहें कि जल दूसरे द्वारा लाया गया है तो उसको ऐसे स्थान में बैठकर पैर धोना चाहिये जहाँ आचार्य उसे न देख सके। यदि आचार्य तैल दें तो उठकर दोनों हाथों से आदरपूर्वक उसे ग्रहण करना चाहिये। पर पहिले पैरों में न मलना चाहिये, क्योंकि यदि आचार्य के गात्राभ्युक्त के लिये वह तैल हो तो पैर में मलने के लिये अनुपयुक्त होगा। इसलिये पहिले सिर और कन्धों में तैल लगाना चाहिये। जब आचार्य कहें कि सब अङ्गों में लगाने का यह तैल है तो थोड़ा सिर में लगाकर पैर में लगाना चाहिये। पहिले ही दिन कर्मस्थान की याचना न करनी चाहिये। दूसरे दिन से आचार्य की सेवा करनी चाहिये। जिस

प्रकार अन्तेकासी आचार्य की सेवा करता है उसी प्रकार भिक्षु को कर्मस्थानदायक की सेवा करनी चाहिये। समय से उठकर आचार्य को दन्तकाष्ठ देना चाहिये, मुँह धोने के लिये तथा स्नान के लिये जल देना चाहिये। और पात्र साफ करके प्रातराश के लिये चबागू देना चाहिये। इस प्रकार अपनी सेवा से आचार्य को प्रसन्न कर जब वह आने का कारण पूछें तब बताना चाहिये। यदि आचार्य आने का कारण न पूछें और सेवा लें तो एक दिन अवसर पाकर आने का कारण स्वयं बताना चाहिये। यदि वह प्रातःकाल बुलायें तो प्रीतःकाल जाना चाहिये। यदि उस समय किसी रोग की आधा हो तो निवेदन कर दूसरा उपयुक्त समय नियत करेंगा चाहिये। याचना के पूर्व आचार्य के समीप आत्मभाव का विसर्जन करना चाहिये। सदा आचार्य की आज्ञा में रहना चाहिये; स्वेच्छाचारी न होना चाहिये। यदि आचार्य बुरा-भला कहें तो क्रोध नहीं करना चाहिये। यदि भिक्षु आचार्य के समीप आत्मभाव का परित्याग नहीं करता और विना पूछे जहाँ कहीं इच्छा होती है चला जाता है तो आचार्य रुष्ट होकर धर्म का उपदेश नहीं करते और गम्भीर कर्मस्थान-उपाय की शिक्षा नहीं देते। इस प्रकार भिक्षु शासन में प्रतिष्ठा नहीं पाता। इसके विपरीत यदि वह आचार्य के बशर्ती और अधीन रहता है तो शासन में उसकी वृद्धि होती है। भिक्षु को अलोभादि छह सम्पन्न अध्याशयों से भी संयुक्त होना चाहिये। सम्प्रक्षसम्बुद्ध, प्रत्येकबुद्ध आदि जिस किसी ने विशेषता प्राप्त की है उसने इन्हीं छह सम्पन्न अध्याशयों द्वारा प्राप्त की है। 'अध्याशय' अभिनिवेश को कहते हैं। 'अध्याशय' दो प्रकार के हैं—विषय, सम्पन्न। रूप्ता आदि जो मिथ्याभिनिवेश-निश्चित हैं विषय अध्याशय कहलाते हैं। सम्पन्न अध्याशय दो प्रकार के हैं—वर्त अर्थात् संसारनिश्चित और विवर्तनिश्चित। यहाँ विवर्तनिश्चित अध्याशय से अभिप्राय है।

सम्पन्न अध्याशय छह आकार के हैं—अलोभ, अट्टेच, अमोह, नैष्कर्म्य, प्रविवेक और निस्सरण। इन छह अध्याशयों से बोधि का परिपाक होता है। इसलिये इनका आसेवन आवश्यक है। इसके अतिरिक्त साधक का सङ्कल्प समाधि तथा निर्वाण के लाभ के लिये दृढ़ होना चाहिये। जब विशेष गुणों से सम्पन्न साधक कर्मस्थान की याचना करता है तो आचार्य चर्चा की परीक्षा करता है। जो आचार्य परिचित-ज्ञानलाभी है वे चित्ताचार का सूक्ष्म निरीक्षण कर स्वयं ही साधक के चरित का परिचय प्राप्त कर लेता है पर जो इस ऋद्धि-बल से समन्वागत नहीं है वह विविध प्रस्तौ द्वारा साधक का चर्चा जानने की चेष्टा करता है। आचार्य साधक से पूछता है कि वह कौन से धर्म हैं जिनका तुम प्रायः आचरण करते हो? क्या करने से तुम सुखी होते हो? किस कर्मस्थान में तुम्हारा चित्त लगता है? इस प्रकार चर्चा का विनिष्ठय कर आचार्य चर्चा के अनुकूल कर्मस्थान का वर्णन करता है। साधक कर्मस्थान का अर्थ और अभिप्राय भली प्रकार जानने की चेष्टा करता है। वह आचार्य के व्याख्यान को मनोयोगपूर्वक आदरसहित सुनता है। ऐसे ही साधक का कर्मस्थान सुगृहीत होता है।

चर्चा के कितने प्रभेद हैं, कि चर्चा का क्या निदान है, कैसे जाना जाय कि अमुक भनुव्य अमुक चरितवाला है और किस चरित के लिये कौन से जयनासन आदि उपयुक्त हैं? इन विषयों पर यहाँ विस्तार से विचार किया जायगा। चर्चा का अर्थ है प्रकृति, अन्य धर्मों की अपेक्षा किसी विशेष धर्म की उत्सन्नता अर्थात् अधिकता। चर्चा छह हैं—रागचर्चा, द्वेषचर्चा, भोहचर्चा, श्रद्धाचर्चा, बुद्धिचर्चा और वितर्कचर्चा। सन्तान में जब अधिक भाव से राग की प्रवृत्ति होती है तब रागचर्चा कही जाती है। कुछ लोग सम्प्रयोग और सन्त्रिप्त वश रागादि की चर्चाएँ मानते हैं;

जैसे राग-मोहर्चर्या, राग-द्वेषचर्या, द्वेष-मोहर्चर्या और राग-द्वेष-मोहर्चर्या। इसी प्रकार श्रद्धादि चर्याओं के परस्पर सम्प्रयोग और सत्रियात से श्रद्धा-बुद्धिचर्या, श्रद्धा-वितर्कचर्या, बुद्धि-वितर्कचर्या, श्रद्धा-बुद्धि-वितर्कचर्या—इन चार अन्य चर्याओं को भी मानते हैं। इस प्रकार इसके मत में समग्र चौदह चर्याएँ होती हैं। यदि हम रागादि का श्रद्धादि चर्याओं से सम्प्रयोग करें तो अनेक चर्याएँ होती हैं। इस प्रकार चर्याओं की तिरसठ और इससे भी अधिक संख्या हो सकती है। इसलिये संक्षेप से छह ही मूलचर्याओं के प्रभेद से छह प्रकार के पुढ़ल होते हैं—रागचरित, द्वेषचरित, मोहचरित, श्रद्धाचरित, बुद्धिचरित, वितर्कचरित। जिस समय रागचरित पुरुष की कुशल में अर्थात् शुभकर्मों में प्रवृत्ति होती है उस समय श्रद्धा बलवती होती है; क्योंकि श्रद्धा-गुण राग-गुण का समीपवर्ती है। जिस प्रकार अकुशल पक्ष में रागी की स्निग्धता और अरुक्षता पायी जाती है उसी प्रकार कुशल पक्ष में राग की स्निग्धता और अरुक्षता पायी जाती है। श्रद्धा प्रसाद-गुणवश्च स्निग्ध है और राग रजन-गुणवश्च स्निग्ध है। यथा राग काम्य वस्तुओं का पर्येषण करता है उसी प्रकार श्रद्धा शीलादि गुणों का पर्येषण करती है। यथा राग अहित का परित्याग नहीं करता, उसी प्रकार श्रद्धा हित का परित्याग नहीं करती। इस प्रकार हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न स्वभाव के होते हुए भी रागचरित और श्रद्धाचरित की सभागता (तुल्यता) है।

इसी तरह द्वेषचरित और बुद्धिचरित की तथा मोहचरित और वितर्कचरित की सभागता है। जिस समय द्वेषचरित पुरुष की कुशल में प्रवृत्ति होती है उस समय प्रज्ञा बलवती होती है; क्योंकि प्रज्ञा-गुण द्वेष का समीपवर्ती है। जिस प्रकार अकुशल पक्ष में द्वेष व्यापादवश स्नेहरू त होता है, आलम्बन में उसकी आसक्ति नहीं होती, उसी प्रकार यथाभूत स्वभाव के अवबोध के कारण कुशलपक्ष में प्रज्ञा की आसक्ति नहीं होती; यथा द्वेष अभूत दोष की भी पर्येषणा करता है उसी प्रकार प्रज्ञा यथाभूत दोष का प्रिविचय करती है। यथा द्वेषचरित पुरुष सत्त्वों का परित्याग करता है उसी प्रकार बुद्धिचरित पुरुष संस्कारों का परित्याग करता है। इसलिये स्वभाव की विभिन्नता होते हुए भी द्वेषचरित और बुद्धिचरित की सभागता है। जब मोहचरित पुरुष कुशल कर्मों के उत्पाद के लिये यस्त्वान् होता है तो नाना प्रकार के वितर्क और मिथ्या संकल्प उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वितर्क-गुण मोह-गुण का समीपवर्ती है। जिस प्रकार व्याकुलता के कारण मोह अनवस्थित है उसी प्रकार नाना प्रकार के विकल्प-परिकल्प के कारण वितर्क अनवस्थित है। जिस प्रकार मोह चञ्चल है उसी प्रकार वितर्क में चंचलता है। इस प्रकार स्वभाव की विभिन्नता होते हुए भी मोहचरित और वितर्कचरित की सभागता है।

कुछ लोग इन छह चर्याओं के अतिरिक्त तृष्णा, मान और दृष्टि को भी चर्या में परिगणित करते हैं। परन्तु तृष्णा और मान राग के अन्तर्गत हैं और दृष्टि मोह के अन्तर्गत है।

इन छह चर्याओं का क्या निदान है? कुछ का कहना है कि पूर्व जन्मों का आचरण और धातु-दोष की उत्सन्नता पहली तीन चर्याओं की निवापनक है। इनका कहना है कि जिसने पूर्व जन्मों में अनेक शुभ कर्म किये हैं और जो इष्टप्रयोग-बहुल रहा है या जो स्वर्ग से च्युत हो इस लोक में जन्म लेता है वह रागचरित होता है। जिसने पूर्व जन्मों में छेदन, वध, बन्धन आदि अनेक वैरकर्म किये हैं या जो निरय या नाग-योदिन से च्युत हो इस लोक में उत्पन्न होता है वह द्वेषचरित होता है और जिसने पूर्व जन्मों में अधिक परिमाण में निरन्तर भूषण किया है और जो क्षुतविहीन है या जो निकृष्ट पशुयोनि से च्युत हो इस लोक में उत्पन्न होता है, वह मोहचरित-

होता है। पृथिवी तथा जलधारु की उत्सन्नता से पुद्गल मोहचरित होता है। तेज और वायुधारु की उत्सन्नता से पुद्गल द्वेषचरित होता है। चारों धातुओं के समान भाग में रहने से पुद्गल रागचरित होता है। दोषों में श्लेष्मा की अधिकता से पुद्गल रागचरित या मोहचरित होता है; बात की अधिकता से मोहचरित या रागचरित होता है। इन वचनों में त्रिद्वाचर्या आदि में से एक का भी निदान नहीं कहा गया है। दोष-नियम में केवल राग और मोह का ही निर्दर्शन किया गया है; इनमें भी पूर्वापरविरोध देखा जाता है। इसी प्रकार धातुओं में उक्त पद्धति से उत्सन्नता का नियम नहीं पाया जाता। पूर्वाचरण के आधार पर जो चर्या का नियमन बताया गया है उसमें भी ऐसा नहीं है कि सब केवल रागचरित हों था द्वेष-मोह-चरित हों। इसलिए यह वचन अपरिच्छिन्न हैं।

अटुकथाचार्यों के मतानुसार चर्याविनिष्ठय 'उत्सदकित्तन' में इस प्रकार वर्णित है— पूर्व-जन्मों में प्रवृत्त लोभ-अलोभ द्वेष-आद्वेष, मोह-अमोह, हेतुवश प्रतिनियत रूप में सत्तों में लोभ आदि की अधिकता पायी जाती है। कर्म करने के समय जिस मनुष्य में लोभ बलवान् होता है और अलोभ मन्द होता है, अद्वेष और अमोह बलवान् होते हैं तथा द्वेष-मोह मन्द होते हैं, उसका मन्द अलोभ लोभ को अभिभूत नहीं कर सकता; किन्तु अद्वेष-अमोह, बलवान् होने के कारण द्वेष मोह को अभिभूत करते हैं। इसलिये जब वह मनुष्य इन कर्मों के वश प्रतिसन्धि का स्वाभ करता है तो वह लुभ्य, सुखशील, क्रोधरहित और प्रज्ञावान् होता है। कर्म करने के समय जिसके लोभ-द्वेष बलवान् होते हैं, अलोभ-अद्वेष मन्द होते हैं, अमोह बलवान् होता है और भोह मन्द होता है वह लुभ्य और दुष्ट परन्तु प्रज्ञावान् होता है। कर्म करने के समय जिसके लोभ-मोह-अद्वेष बलवान् होते हैं और इतर मन्द होते हैं वह लुभ्य, मन्द बुद्धिवाला, सुखशील और क्रोधरहित होता है। कर्म करने के समय जिसके लोभ द्वेष भोह बलवान् होते हैं अलोभादि मन्द होते हैं, वह लुभ्य, दुष्ट और मूढ़ होता है। कर्म करने के समय जिसके अलोभ द्वेष भोह बलवान् होते हैं इतर मन्द होते हैं, वह अलुभ्य, दुष्ट और मन्द बुद्धिवाला होता है। कर्म करने के समय जिस सर्व के अलोभ अद्वेष भोह बलवान् होते हैं इतर मन्द होते हैं, वह अलुभ्य, अदुष्ट और मन्द बुद्धिवाला होता है। कर्म करने समय जिसके अलोभ, द्वेष और अमोह बलवान् होते हैं इतर मन्द होते हैं वह अलुभ्य, प्रज्ञावान् और दुष्ट होता है। कर्म करने के समय जिसके अलोभ अद्वेष और अमोह तीनों बलवान् होते हैं और लोभ आदि मन्द होते हैं वह अलुभ्य, अदुष्ट और प्रज्ञावान् होता है।

यहीं जिसे लुभ्य कहा है वह रागचरित है; जिसे दुष्ट या मन्द बुद्धिवाला कहा है वह व्यवहारम द्वेषचरित या भोहचरित है; प्रज्ञावान् बुद्धिचरित है; अलुभ्य, अदुष्ट, प्रसन्न प्रकृतिवाला होने के कारण त्रिद्वाचरित है। इस प्रकार लोभादि में से जिस किसी द्वारा अभिसंस्कृत कर्मकरण प्रतिसन्धि होती है उसे चर्या का निदान समझना चाहिये।

अब प्रश्न यह है कि किस प्रकार जाना जाय कि यह पुद्गल रागचरित है? इत्यादि। इसका निष्ठय ईर्यापथ (ईर्यापथ=वृत्ति), कृत्य, भोजन, दर्शन आदि तथा धर्म-प्रवृत्ति (वित्त की विविध अवस्थाओं की प्रवृत्ति) द्वारा होता है।

ईर्यापथ—जो रागचरित होता है उसकी गति अकृत्रिम, स्वाभाविक होती है; वह चतुरभाव से धीरे-धीरे पद-निषेप करता है। वह समभाव से पैर रखता और उठाता है; उसके पादतल का मध्यभाग भूमि का स्पर्श नहीं करता। जो द्वेषचरित है वह अब चलता है तब ज्ञात होता है मानो भूमि को छोड़ता हुआ सहसा पैर रखता है और उठाता है। पादनिषेप के समय

ऐसा ज्ञात होता है मानो पैर पीछे की ओर खोंचता है। मोहचरित की गति व्याकुल होती है। वह भीत पुरुष की तरह पैर रखता है और उठाता है। वह अग्रापाद तथा पार्श्व से गति को सहसा संत्रिरुद्ध करता है। रागचरित पुरुष जब खड़ा होता है या बैठता है तो उसका आकार प्रसादावह और मधुर होता है। द्वेषचरित पुरुष का आकार सम्बन्ध होता है और मोहचरित का आकुल होता है। रागचरित पुरुष विना त्वरा के अपना बिछौना ठीक तरह से बिछाता है और धीरे से शयन करता है, शयन करते समय वह अपने अङ्ग-प्रत्यक्ष का विक्षेप नहीं करता और उसका आकार प्रासादिक होता है। उठाये जाने पर धीक्षक कर नहीं उठता किन्तु ज़म्मित पुरुष की तरह मृदु उत्तर देता है। द्वेषचरित पुरुष जल्दी से किसी न किसी प्रकार अपने बिछौने को बिछाता है और अवश की तरह अङ्ग-प्रत्यक्ष का सहसा निक्षेप कर भूकुटि चढ़ाकर सोता है, उठाये जाने पर सहसा उठता है और कुदू होकर उत्तर देता है। मोहचरित पुरुष का बिछौना अस्त-व्यस्त होता है, वहा हाथ-पैर फैलाकर प्रायः मुँह नीचा कर सोता है, उठाये जाने पर हुङ्कार करते हुए मन्दभाव से उठता है। श्रद्धाचरितादि पुरुष की वृत्ति रागचरितादि पुरुष के समान होती है, क्योंकि इनकी सभागता है।

कृत्य—कृत्य से भी चर्या का निष्ठय होता है। जैसे झाड़ू देते समय रागचरित पुरुष विना शीघ्रता के झाड़ू को अच्छी तरह पकड़ कर समान रूप से झाड़ू देता है और स्थान को अच्छी तरह साफ करता है। द्वेषचरित पुरुष झाड़ू को कसकर पकड़ता है और जल्दी-जल्दी दोनों ओर धूल उड़ाता हुआ साफ करता है और स्थान भी साफ नहीं होता। मोहचरित पुरुष झाड़ू को शिथिलता के साथ पकड़ कर इधर-उधर छलाता है; स्थान भी साफ नहीं होता। इसी प्रकार अन्य क्रियाओं के सम्बन्ध में भी समझना चाहिये। रागचरित पुरुष कार्य में कुशल होता है, सुन्दर तथा समरूप से सावधानता के साथ कार्य करता है। द्वेषचरित पुरुष का कार्य स्थिर, सम्बन्ध और विषम होता है और मोहचरित पुरुष कार्य में अनिपुण, व्याकुल, विषम और अव्याधार्य होता है। सभागता होने के कारण श्रद्धाचरितादि पुरुषों की वृत्ति भी इसी प्रकार की होती है।

भोजन—रागचरित पुरुष को स्नान और मधुर भोजन प्रिय होता है; वह धीरे-धीरे विविध रसों का आस्वाद सेते हुए भोजन करता है; अच्छा भोजन करके उसको प्रसन्नता होती है। द्वेषचरित पुरुष को रूखा और अम्ल भोजन प्रिय होता है; वह विना रसों का स्वाद लिये जल्दी-जल्दी भोजन करता है; यह वह कोई दुरे स्वाद का पदार्थ खाता है तो उसे अप्रसन्नता होती है। मोहचरित पुरुष की रुचि अनियत होती है; वह विक्षिप्तिवृत्ति पुरुष की तरह नाना प्रकार के वितर्क करते हुए भोजन करता है। इसी प्रकार श्रद्धाचरितादि पुरुष की वृत्ति होती है।

दर्शन—रागचरित पुरुष थोड़ा भी मनोरम रूप देखकर विस्मित भाव से चिरकाल तक उसका अवलोकन करता रहता है; थोड़ा भी गुण हो तो वह उसमें अनुरक्त हो जाता है; वह यथार्थ दोष का भी ग्रहण नहीं करता। उस मनोरम रूप के पास से हटने की उसकी इच्छा नहीं होती। द्वेषचरित पुरुष थोड़ा अमनोरम रूप देखकर खेद को प्राप्त होता है। वह उसकी ओर देर तक देख नहीं सकता। अम्ल भी दोष उसकी दृष्टि से बचकर नहीं जासकता। यथार्थ गुण का भी वह ग्रहण नहीं करता। मोहचरित पुरुष जब कोई रूप देखता है तो वह उसके विषय में उपेक्षाभाव रखता है; दूसरों को निन्दा करते देखकर निन्दा और प्रशंसा करते देखकर प्रशंसा करता है। श्रद्धाचरितादि पुरुषों की वृत्ति भी इसी प्रकार की होती है।

धर्म-प्रवृत्ति—रागचरित पुरुष में माया, शान्त्य, भान, पापेच्छा, असन्तोष, चपलता, लोभ, शृङ्खारभाव आदि धर्मों की बहुलता होती है। द्वेषचरित पुरुष में क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, मात्सय, दम्भ आदि धर्मों की बहुलता होती है। मोहचरित पुरुष में विचिकित्सा, आलस्य, चित्रबिक्षेप, चित्र की अकर्मन्यता, पश्चात्याप, प्रतिनिविष्टता, दृढग्राह आदि धर्मों की बहुलता होती है। श्रद्धाचरित पुरुष का परित्याग निःसङ्क होता है; वह आद्यों के दर्शन की तथा सद्दर्म-श्रवण की इच्छा रखता है; उसमें प्रीतिबहुलता होती है, वह शठतो और माया से रहित है, उचित स्थान में वह श्रद्धाभाव रखता है। बुद्धिचरित पुरुष द्विग्राधभाषी, मितभोजी और कल्याणभित्र होता है। वह स्मृति-सम्प्रज्ञन्य की रक्षा करता है; सदा जाग्रत् रहता है। संसार का दुःख देखकर उसमें संवेग उत्पन्न होता है और वह उद्योग करता है। वितर्कचरित पुरुष की कुशलधर्मों में अरति होती है; उसका चित्र अनवस्थित होता है; वह बहुभाषी और समाजप्रिय होता है। वह इधर उधर आलम्बनों की पीछे दौड़ता है।

चर्या की विभावना उक्त प्रकार से पालि और अद्वकथाओं में वर्णित नहीं है। यह केवल कुछ आचार्यों के भवानुसार कहा गया है। इस लिये इस पर पूर्णरूप से विश्वास नहीं करना चाहिये। द्वेषचरित पुरुष भी यदि प्रमाद से रहित हो उद्योग करे तो रागचरित पुरुष की गति आदि का अनुकरण कर सकता है। जो पुरुष संसृज्जरित है उसमें भिन्न-भिन्न प्रकार की गति आदि नहीं अटती; किन्तु जो प्रकार अद्वकथाओं में वर्णित है उसका साररूप से ग्रहण करना चाहिये।

इस प्रकार आचार्य साधक की चर्या को जान कर निष्ठय करता है कि यह पुरुष रागचरित है या द्वेष-चरित है। इस चरित के पुरुष के लिये क्या उपयुक्त है? अब इस प्रश्न पर हम विचार करेंगे। रागचरित पुरुष को तुष्णकुटी में, पर्णशाला में, एक तरफ अवनत पर्वतपाद के अधोभाग में या वेदिका से विरे हुए अपरिशुद्ध भूमितल पर निवास करना चाहिये। उसका आवास रज से आकीर्ण, छिन्न-भिन्न, अति उच्च या अति नीच, अपरिशुद्ध, चमगादहों से परिपूर्ण, छायोदकरहित, सिंह-व्याघ्रादि के भय से युक्त, देखने में विरूप और दुर्वर्ण होना चाहिये। ऐसा आवास रागचरित पुरुष को उपयुक्त है। रागचरित पुरुष के लिये ऐसा चीवर उपयुक्त होगा जो किनारों पर फटा हो, जिसके धारे चारों ओर से लटकते हों, जो देखने में जालाकार पूरे के समान हो, जो झूने में खुरदरा और देखने में भदा, मैला और भारी हो। उसका पात्र भूतिका का या लोहे का होना चाहिये। देखने में कुरुरूप और भारी हो; कपाल की तरह, जिसको देखकर छृणा उत्पन्न हो। उसका भिक्षाचर्या का मार्ग विषम, अमनोरम, और ग्राम से दूर होना चाहिये। भिक्षाचार के लिए उसे ऐसे ग्राम में जाना चाहिये जहाँ के लोग उसकी उपेक्षा करें, जहाँ एक कुल से भी जब उसे भिक्षा न मिले तब लोग आसन-शाला में बुलाकर उसे यवागु भोजन के लिए दें और बिना पूछे चलते बनें। परोसनेवाले भी दास या भूत्य हों, जिनके चल मैले और दुर्गन्धमय हों, जो देखने में दुर्वर्ण हों और जो उपेक्षा से परोसते हों। उसका भोजन रुक्ष, दुर्वर्ण और नीरस होना चाहिये। भोजन के लिये साठों, कौदो, चावल के कण, सड़ा हुआ तक और जीर्ण शाक का सूप होना चाहिये। उसका ईर्यापथ स्थान या चंक्रमण होना चाहिये अर्थात् उसे या तो खड़े रहना चाहिये या ठहलना चाहिये। नीलादि वर्ण-कसिणों (कसिण=कृत्स्न=रूपमृत) में जिस आलम्बन का वर्ण अपरिशुद्ध हो वह उसके लिये उपयुक्त है।

द्वेषचरित पुरुष का शयनासन न बहुत ऊँचा और न बहुत नीचा होना चाहिये, उसे छाया और जल से सम्प्रभ तथा सुकासित होना चाहिये। उसका भूमि-तल समुज्ज्वल, मृदु, सम-

और स्निग्ध हो; ब्रह्मविमान के तुल्य सुन्दर तथा कुसुममाला और नानावर्ण के वत्त्र-वितानों से समलंकृत हो और जिसके दर्शनमात्र से चित्त को आङ्गाद प्राप्त हो। उसको श्रमण के अनुरूप हल्का सुरक्षा और शुद्ध वर्ण का रेशमी या सूक्ष्म क्षौभजत्र धारण करना चाहिये। उसका पात्र यजि की तरह चमकता हुआ और लोहे का होना चाहिये। भिक्षाचार का मार्ग भयरहित, सम, सुन्दर तथा ग्राम से न बहुत दूर और न बहुत निकट होना चाहिये। जिस ग्राम में वह भिक्षावर्या के लिये जाय वाहाँ के लोग आदरपूर्वक उसको भोजन के लिये अपने घर पर निमन्त्रित करें और आसन पर बैठाकर अपने हाथ से भोजन करायें। परोसने वाले पवित्र और मनोऽन्त वत्त्र धारण कर, आभरणों से प्रतिमण्डित हो आदर के साथ भोजन परोसें। भोजन वर्ण, रस और गन्ध से सम्प्रभु और हर प्रकार से उत्पत्त हो। ईर्यापथ में उसके लिये शय्या या निषधा उपयुक्त है अर्थात् उसे सेटना या बैठना चाहिये। नीलादि वर्ण-कसिणों में जो आलम्बन सुपरिशुद्ध वर्ण का हो वह उसके लिये उपयुक्त है।

मोहचरित पुरुष का आवास खुले हुए स्थान में होना चाहिये; जहाँ बैठकर वह सब दिशाओं को विवृत रूप से देख सके। चार ईर्यापथों में से इसके लिये चंक्रमण (टहलना) उपयुक्त है, आलम्बनों में शरावमात्र या शूर्पमात्र, क्षुद्र और आलम्बन इसके लिये उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यिरी जगह में चित्त और भी भोह को प्राप्त होता है। इसलिये मोहचरित पुरुष का कसिण-मण्डल विपुल होना चाहिये। शेष बार्तों में मोहचरित द्वेषचरित पुरुष के समान हैं। जो कुछ द्वेषचरित पुरुष के उपयुक्त बताया गया है वह सब श्रद्धाचरित के लिये भी उपयुक्त है। आलम्बनों में श्रद्धाचरित पुरुष के लिये भी अनुस्मृति-स्थान भी उपयुक्त है। बुद्धिचरित पुरुष के लिये आवासादि के विषय में कुछ भी अनुपयुक्त नहीं है। वितर्कचरित पुरुष के लिये दिशाभिमुख, खुला हुआ आवास उपयुक्त नहीं है। क्योंकि ऐसे स्थान से उसको आराम, चन, पुकरिए आदि दिखलायी देंगी, जिससे चित्त का विक्षेप होगा और वितर्क की वृद्धि होंगी। इसलिये उसे गम्भीर एवं तिवार में रहना चाहिये। इसके लिये विपुल आलम्बन भी उपयुक्त न होगा; क्योंकि वह भी वितर्क की वृद्धि में हेतु होगा। उसका आलम्बन क्षुद्र होना चाहिये। शेष बार्तों में वितर्कचरित पुरुष रागचरित पुरुष के समान है।

आचार्य को चर्चा के अनुकूल कर्मस्थान का ग्रहण कराना चाहिये। इस सम्बन्ध में ऊपर संक्षेप में ही कहा गया है, अब विस्तार से कहा जायगा।

कर्मस्थान चालीस हैं। वह इस प्रकार हैं—दस कसिण, दस अशुभ, दस अनुस्मृति, चार ब्रह्मविहार, चार आरूप्य, एक संज्ञा, एक व्यवस्थान।

कसिण योग-कर्म के सहायक आलम्बनों में से हैं। श्रावक 'कसिण' आलम्बनों की भावना करते हैं। 'कसिणों' (=कृत्स्न) पर चित्त को एकाग्र करने से ध्यान की समाप्ति होती है। इस अश्वास को 'कसिण कर्म' कहते हैं। 'कसिण' दस हैं। विसूद्धिमण्डग के अनुसार 'कसिण' इस प्रकार हैं—पृथ्वीकसिण, अप०, तेज०, वायु०, नील०, पीत०, लोहित०, अवदात०, आलोक०, परिच्छिन्नाकाशकसिण। मञ्जिमनिकाय तथा दीघनिकाय की सूची में आलोक और परिच्छिन्नाकाश के स्थान में आकाश और विज्ञान परिणित हैं।

अशुभ दस हैं—उद्गुमातक (भाथी को तरह फूला हुआ मृत शरीर), विनीलक (मृत शरीर सम्बन्धित: नीला हो जाता है), विपुलक (जिसके भिन्न स्थानों से पीढ़ विस्थन्दमान होती

है), विच्छिन्नक (द्विधा छिन्न शब्द-शरीर), विक्षयायितक (वह शरीर जिसे कुत्तों और शृगालों ने स्थान-स्थान पर विविध रूप से खाया हो), विक्षितक (वह शब्द जिसके अङ्ग इधर-उधर बिल्ले पड़े हों) हतविकिञ्चित्क (वह शब्द जिसके अङ्ग प्रत्यक्ष शब्द से काटकर इधर-उधर छिपारा दिये गये हों), लोहितक (रक्त से सम्पूर्ण शब्द), पुलुवक (क्रिमियों से परिपूर्ण शब्द) अष्टिक (अस्थि-पंजरमात्र)।

अनुस्मृति दस हैं—बुद्धानुस्मृति, धर्मानुस्मृति, सङ्घानुस्मृति, शीलानुस्मृति, त्यागानुस्मृति, देवतानुस्मृति, कायगतास्मृति, मरणानुस्मृति, आनापानस्मृति, उपशम्लानुस्मृति।

मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा—ये चार ब्रह्मविहार हैं।^१

आकाशानन्त्यायतन, विज्ञानानन्त्यायतन, आकिञ्चन्यायतन, नैवसंज्ञानासंज्ञायतन—ये चार आरूप्य हैं। आहार में प्रतिकूलसंज्ञा एक संज्ञा है। चार धातुओं का व्यवस्थान एक व्यवस्थान है।

समाधि के दो प्रकार हैं—उपचार और अर्पण। जब तक ध्यान क्षीण रहता है और अर्पण की उत्पत्ति नहीं होती; तब तक उपचार-समाधि का व्यवहार होता है। उपचार-भूमि में नींवरणों का प्रहाण होकर चित्त समाहित होता है। पर वितर्क विचार आदि पाँच अङ्गों का प्रादुर्भाव नहीं होता। जिस प्रकार ग्राम का समीपवर्ती प्रदेश ग्रामोपचार कहलाता है उसी प्रकार अर्पणसमाधि के समीपवर्ती होने के कारण उपचार संज्ञा पड़ी। उपचार-भूमि में अङ्ग सुदृढ़ नहीं होते, पर अर्पण में अङ्गों का प्रादुर्भाव होता है और ये सुदृढ़ हो जाते हैं। इस लिये यह समाधि की प्रतिलाभ-भूमि है। जिस प्रकार बालक जब खड़ा होकर चलने का प्रयास करता है तो आरम्भ में अध्यास न होने के कारण खड़ा होता है और फिर बार-बार गिर पड़ता है; उसी प्रकार उपचार-समाधि के उत्पन्न होने पर चित्त कभी निमित्स को आलम्बन बनाता है तो कभी भवाङ्ग में अवतीर्ण हो जाता है। पर अर्पण में अङ्ग सुदृढ़ हो जाते हैं; सारा दिन, सारी रात, चित्त स्थिर रहता है। चालीस कर्मस्थानों में से दस कर्मस्थान—बुद्ध-धर्म-सङ्घ-शील-त्याग-देवता ये छह अनुस्मृतियाँ, मरणानुस्मृति, उपशमानुस्मृति, आहार के विषय में प्रतिकूल संज्ञा और चतुर्धातुव्यवस्थान—उपचार-समाधि का और अवशिष्ट तीस अर्पण-समाधि का आनन्दन करते हैं। जो कर्मस्थान अर्पण-समाधि का आनन्दन करते हैं; उनमें से दस कसिप और आनापानस्मृति चार ध्यानों के आलम्बन होते हैं; दस अशुभ और कायगतास्मृति प्रथम ध्यान के आलम्बन हैं; पहले तीन ब्रह्म-विहार तीन ध्यानों के और चौथा ब्रह्म-विहार और चार आरूप्य चार ध्यानों के आलम्बन हैं। पहले ध्यान के पाँच अङ्ग होते हैं—वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता (समाधि) इससे सवितर्क-सविचार कहते हैं।

ध्यानों की परिगणना दो प्रकार से है। चार ध्यान या पाँच ध्यान माने जाते हैं। पाँच की परिगणना के दूसरे ध्यान में वितर्क का अतिक्रम होता है पर विचार रह जाता है। इसे अवितर्क-विचार मात्र कहते हैं। पर चार की परिगणना के द्वितीय ध्यान में और पाँच की परिगणना के तृतीय ध्यान में वितर्क और विचार दोनों का अतिक्रम होता है; केवल प्रीति, सुख और समाधि अवशिष्ट रह जाते हैं। पाँच की परिगणना के चतुर्थ ध्यान में और चार की परिगणना के तृतीय ध्यान में प्रीति का अतिक्रम होता है; केवल सुख और समाधि अवशिष्ट रह जाते हैं। दोनों प्रकार

१. तुलना कीजिए—“मैत्रीकरणमुदितोपेक्षणां सुखदुःखपुण्यविषयाणां भावनातक्षितप्रसादनम्” (पा० योगदर्शन समाधिपाद, सू० ३३)।

के अन्तिम ध्यान में सुख का अतिक्रम होता है। अन्तिम ध्यान की समाधि उपेक्षा-सहगत होती है।

इस प्रकार तीन और चार ध्यानों के आलम्बन-स्वरूप कर्मस्थानों में ही अङ्ग का समतिक्रम होता है; क्योंकि वितर्क-विचारादि ध्यान के अङ्गों का अतिक्रम कर उन्हीं आलम्बनों में द्वितीयादि ध्यानों की प्राप्ति होती है। यही कथा चतुर्थ ब्रह्मविहार की है। मैत्री आदि आलम्बनों में सौमनस्य का अतिक्रमण कर चतुर्थ ब्रह्मविहार में उपेक्षा की प्राप्ति होती है। चार आरूपों में आलम्बन का समतिक्रमण होता है। पहले नौ कसिणों में से किसी-किसी का अतिक्रमण करने से ही आकाशानन्दायतन की प्राप्ति होती है। आकाश आदि का अतिक्रमण कर विज्ञानानन्दायतन आदि की प्राप्ति होती है। शेष अर्थात् इक्षीस कर्मस्थानों में समतिक्रमण नहीं होता। इस प्रकार कुछ में अङ्ग का अतिक्रमण और कुछ में आलम्बन का अतिक्रमण होता है।

इन चालीस कर्मस्थानों में से केवल दस कसिणों की वृद्धि करनी चाहिये। क्योंकि जितना स्थान कसिण द्वारा व्याप्त होता है उतने ही अवकाश में दिव्य श्रोत्र से शब्द सुना जाता है, दिव्य चक्षु से रूप देखे जा सकते हैं और परचित का ज्ञान हो सकता है। परकायगता स्मृति और दस अशुभों की वृद्धि नहीं करनी चाहिये; क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं है। यह परिच्छिन्नाकार में ही उपस्थित होते हैं। इसलिये इनकी वृद्धि से कोई अर्थ नहीं निकलता। इनकी वृद्धि किये विना भी काम-राग का ध्वन्स होता है। शेष कर्मस्थानों की भी वृद्धि नहीं करनी चाहिये। उदाहरण के लिये जो आनापान निमित्त की वृद्धि करता है, वह वातराशि की ही वृद्धि करता है और अवकाश भी परिच्छिन्न होता है। चार ब्रह्मविहारों के आलम्बन सत्त्व हैं। इनमें निमित्त की वृद्धि करने से सत्त्व-राशि की ही वृद्धि होती है और उससे कोई उपकार नहीं होता। कोई प्रतिभागनिमित्त नहीं है जिसकी वृद्धि की जाय। आरूप्य आलम्बनों में भी आकाश की वृद्धि नहीं करनी चाहिये; क्योंकि कसिण के अपगम से ही आरूप्य की प्राप्ति होती है। विज्ञान और नैवसंज्ञानासंज्ञायतन स्वभाव-धर्म हैं; इसलिये इनकी वृद्धि सम्भव नहीं है। शेष की वृद्धि इसलिये नहीं हो सकती क्योंकि ये अनिमित्त हैं। बुद्धानुस्मृति आदि का आलम्बन प्रतिभाग-निमित्त नहीं है। इसलिये इनकी वृद्धि नहीं करनी चाहिये।

दस कसिण, दस अशुभ, आनापान-स्मृति, कायगतास्मृति-केवल इन बाईस कर्मस्थानों के आलम्बन प्रतिभाग-निमित्त होते हैं। शेष आठ स्मृतियाँ, आहार के विषय में प्रतिकूल-संज्ञा और चतुर्थातु व्यवस्थान, विज्ञानानन्दायतन, नैवसंज्ञानासंज्ञायतन— इन बारह कर्मस्थानों के आलम्बन स्वभाव-धर्म हैं। उक्त दस कसिण आदि बाईस कर्मस्थानों के आलम्बन निमित्त हैं। शेष छह—चार ब्रह्म-विहार, आकाशानन्दायतन और आकिञ्चन्नायतन के आलम्बनों के सम्बन्ध में न तो यही कहा जा सकता है कि वे निमित्त हैं और न यही कहा जा सकता है कि वे स्वभाव-धर्म हैं।

विपुल्यक लोहितक, पुलुवक, आनापान-स्मृति, अप्कसिण, तेजकसिण, वायुकसिण और आलोककसिणों में सूर्यादि से जो अवभास-मण्डल आता है—इन आठ कर्मस्थानों के आलम्बन चलित हैं; पर प्रतिभाग-निमित्त स्थिर हैं। शेष कर्मस्थानों के आलम्बन स्थिर हैं।

मनुष्यों में सब आलम्बनों की प्रवृत्ति होती है। देवताओं में दस अशुभ, कायगतास्मृति और आहार के विषय में प्रतिकूल-संज्ञा—इन बारह आलम्बनों की प्रवृत्ति नहीं होती। ब्रह्मलोक

में ठक आरह आलम्बन तथा आनापानस्मृति की प्रवृत्ति नहीं होती। अरूपभव में चार आरूप्यों को छोड़कर किसी अन्य आलम्बन की प्रवृत्ति नहीं होती।

चायु-कसिण को छोड़कर बाकी नी कसिण और दस अशुभ का ग्रहण दृष्टि द्वारा होता है। इस का अर्थ यह है कि पहले चम्पु से बार-बार देखने से निमित्त का ग्रहण होता है। क्योंकि त्वक् पञ्च का ग्रहण दृष्टि से और शेष का श्रवण से होता है। आनापान-स्मृति स्पर्श से, चायु-कसिण दर्शन-स्पर्श से, शेष अठारह श्रवण से गृहीत होते हैं। भावना के आरम्भ में योगी उपेक्षा, ब्रह्मविहार और चार आरूप्यों का ग्रहण नहीं कर सकता; पर शेष चाँदीस आलम्बनों का ग्रहण कर सकता है।

आकाश-कसिण को छोड़कर शेष नी कसिण आरूप्यों में हेतु हैं; दस कसिण अभिज्ञा में हेतु हैं, पहले तीन ब्रह्मविहार चतुर्थ ब्रह्मविहार में हेतु हैं; नीचे के आरूप्य ऊपर के आरूप्य में हेतु हैं, नैवसंज्ञानासंज्ञायतन निरोधसमाप्ति में हेतु है; और सब कर्मस्थान सुखविहार, विषयना और भवसम्पत्ति में हेतु हैं।

राघवरित पुरुष के ग्यारह कर्मस्थान—दस असुभ और कायगतास्मृति-अनुकूल हैं; द्वेषचरित पुरुष के आठ कर्मस्थान—चार ब्रह्म-विहार और चार वर्णकसिण—अनुकूल हैं; भोग और वित्कंचरित पुरुष के लिये एक आनापानस्मृति ही अनुकूल हैं; श्रद्धाचरित पुरुष के लिये चाहली छह अनुस्मृतियाँ, बुद्धिचरित पुरुष के लिये मरणस्मृति, उपरामायुस्मृति, चतुर्थातुव्यवस्थान और आहार के विषय में प्रतिकूलसंज्ञा—ये कर्मस्थान अनुकूल हैं। शेष कसिण और चार आरूप्य सब चरित के पुरुषों के लिए अनुकूल हैं। कसिणों में जो क्षुद्र है वह वित्कंचरित पुरुष के लिये और जो अप्रमाण है वह भोगचरित पुरुष के अनुकूल है। जिसके लिये जो कर्मस्थान अत्यन्त उपयुक्त है उसका ढलेख ऊपर किया गया है। ऐसी कोई कुशलभावना नहीं है जिसमें रागादि का परित्याग न हो और जो श्रद्धादि की उपक्री न हो।

भेदिय-सुत्र में भगवान् कहते हैं कि इन चार धर्मों की भावना करनी चाहिये— राग के नाश के लिये अशुभ-भावना, व्यापाद के नाश के लिये मैत्री-भावना, वित्कंके उपच्छेद के लिये आनापान-स्मृति की भावना और आहङ्कर-ममकार के समुद्द्रात के लिये अनित्य-संज्ञा की भावना। राहुल-सुत्र में भगवान् ने एक के लिये सात कर्मस्थानों का उपदेश किया है। इसलिये व्यवनामात्र में अभिनिवेश न रखकर सब जगह अभिप्राय की खोज होनी चाहिये।

४. पृथ्वीकसिण-निर्देश

अब दस कसिणों का ग्रहण कर भावना किस प्रकार की जाती है? और ध्यानों का उत्पाद कैसे होता है?—इस पर विचार करेंगे।

पृथ्वीकसिण—साधक को कल्याणमित्र के समीप अपनी चर्यों के अनुकूल किसी कर्मस्थान का ग्रहण कर समाधि-भावना के अनुपयुक्त विहार का परित्याग कर अनुरूप विहार में चास करना चाहिये और भावना-विधान का किसी अंश में भी परित्याग न कर कर्मस्थान का आसेवन करना चाहिये।

जिस विहार में आचार्य निवास करते हों यदि वहाँ समाधि-भावना की सुविधा हो तो वहीं रहकर कर्मस्थान का संशोधन करना चाहिये। यदि असुविधा हो तो आचार्य के विहार से अधिक से अधिक एक योजन की दूरी पर निवास करना चाहिये। यदि किसी विषय में सन्देह उत्पन्न हो या स्मृति-संभोग हो तो विहार का दैनिक कृत्य सम्पादन कर आचार्य के समीप जाकर गृहीत कर्मस्थान का संशोधन करना चाहिये। यदि एक योजन के भीतर भी कोई उपयुक्त

विहार न मिले तो सब प्रकार के सन्देहों का निराकरण कर कर्मस्थान के अर्थ और अभिप्राय को भली प्रकार चित्त में प्रतिष्ठित कर कर्मस्थान को सुविशुद्ध करना चाहिये। तदनन्तर दूर जाकर भी समाधि-भावना के अनुरूप स्थान में निवास करना चाहिये। अठारह दोषों में से किसी एक से भी समन्वयात् विहार समाधि-भावना के अनुरूप नहीं होता।

सामान्यतः योगी को महाविहार, नवविहार, जीर्णविहार, राजपथ-समीपवर्ती विहार आदि में निवास नहीं करना चाहिये।

महाविहार में नानाप्रकार के भिक्षु निवास करते हैं। आपस के विरोध के कारण विहार का दैनिक कृत्य भलीभांति सम्पादित नहीं होता। जब साधक भिक्षा के लिये बाहर जाता है और यदि वह देखता है कि कोई काम करने से रह गया है, तो उसे उस काम को स्वयं करना पड़ता है। न करने से वह दोष का भागी होता है और यदि करे तो समय नष्ट होता है, और विलम्ब हो जाने से उसको भिक्षा नहीं मिलती। यदि वह किसी एकान्त स्थान में बैठकर समाधि की भावना करना चाहता है तो श्रामणेर और तरुण भिक्षुओं के कोलाहल के कारण विक्षेप उपस्थित होता है।

जीर्ण विहार में अभिसंस्कार का काम बराबर लगा रहता है। राजपथ के समीपवर्ती विहार में दिनरात आगन्तुक आया करते हैं। यदि विकाल में कोई आया तो अपना शयनासन भी देना पड़ता है। इसलिये वहाँ कर्मस्थान का अवकाश नहीं मिलता। यदि विहार के समीप पुंकरिणी हुई तो वहाँ निरन्तर लोगों का जमघट रहा करता है। कोई जल भरने आता है तो कोई चीवर थोने और रंगने आता है। इस प्रकार निरन्तर विक्षेप हुआ करता है। ऐसा विहार भी अनुपयुक्त है, जहाँ नाना प्रकार के शाक, पर्ण, फल या फूल के वृक्ष हो, वहाँ भी निवास नहीं करना चाहिये; क्योंकि ऐसे स्थानों पर फल-फूलों के अध्यर्थी निरन्तर करते हैं, न देने पर कुपित होते हैं, कभी-कभी हठ भी करते हैं, और समझाने बुझाने पर कुद्द होते हैं और उस भिक्षु को विहार से निकालने की चेष्टा करते हैं।

किसी लोक-सम्मत स्थान में भी निवास न करना चाहिये। क्योंकि ऐसे प्रसिद्ध स्थान में यह समझकर कि यहाँ अर्हत् निवास करते हैं, तोग दूर-दूर से दर्शनार्थ आया करते हैं। इससे विक्षेप होता है। जो विहार नगर के समीप हो वह भी अनुरूप नहीं है, क्योंकि वहाँ निवास करने से कामगारोपसंहित हीन शब्द कर्णगोचर होते हैं और असद् आलम्बन दृष्टिपथ में आपतित होते हैं। जिस विहार में वृक्ष होते हैं, वहाँ काष्ठहारक लकड़ी काटने आते हैं; जिससे ध्यान में विक्षेप होता है। जिस विहार के चारों ओर खेत हों वहाँ भी निवास न करना चाहिये। क्योंकि विहार के मध्य में किसान खलिहान बनाते हैं, धान पीटते हैं अन्य तरह के विद्व उपस्थित करते हैं। जिस विहार में बड़ी सम्पत्ति लगी हो वहाँ भी विक्षेप हुआ करता है। लोग तरह तरह के आरोप लाते हैं और समय समय पर राजद्वार पर जाना पड़ता है। जिस विहार में ऐसे भिक्षु निवास करते हैं जिनके विचार परस्पर न मिलते हों और जो एक दूसरे के प्रति वैरभाव रखते हों वहाँ सदा विश्व उपस्थित रहता है, वहाँ भी नहीं रहना चाहिये।

साधक को दोपों से युक्त विहारों का परित्याग कर ऐसे विहार में निवास करना चाहिये जो भिक्षाग्राम से न बहुत दूर हो, न बहुत समीप; वहाँ आने-जाने की सुविधा हो, जहाँ दिन में लोगों का संघट न हो, जहाँ रात्रि में बहुत शब्द न हो और जहाँ हवा, धूप, मच्छर, खट्टमल, और सौप आदि ऐगेनेकाले जानवरों की बाधा न हो; ऐसे विहार में सूत्र और विनय के जानने वाले भिक्षु निवास करते हैं। योग-जिज्ञासु उनसे प्रश्न करता है और वे उसके सन्देहों को दूर करते हैं।

अनुसूच्य विहार में निवास करते हुए योगी को पहले क्षुद्र अन्तरायों का उपच्छेद करना चाहिये। अर्थात् यदि चीवर मैला हो तो उसे फिर से रंगवाना चाहिये, यदि पात्र मैला हो तो उसे शुद्ध करना चाहिये, यदि केश और नख बढ़ गये हों तो उनको कटवाना चाहिये और यदि चीवर जीर्ण हो गया हो तो उसको सिलवाना चाहिये। इस प्रकार क्षुद्र अन्तरायों का उपच्छेद करना चाहिये।

भोजन के बाद योड़ा विश्राम कर एकान्त स्थान में पर्यङ्कबद्ध हो सुखपूर्वक बैठकर प्राकृतिक अथवा कृत्रिम पृथ्वी-मण्डल में भावना-ज्ञान द्वारा पृथ्वीनिमित्त का ग्रहण करना चाहिये; अर्थात् पृथ्वीमण्डल की ओर बार-बार देखकर चक्षुर्निमीलन द्वारा पृथ्वीनिमित्त को मन में अच्छी तरह धारण करना चाहिये, जिसमें पुनरत्वलोकन के क्षण में ही वह निमित्त उपस्थित हो जाय।

जो पुष्ट्यवान् है और जिसने पूर्वजन्म में ग्रन्थ-धर्म का पालन करते हुए पृथ्वीकसिण नाम कर्मस्थान की भावना कर ध्यानों का उत्पाद किया है, उसके लिये कृत्रिम पृथ्वी-मण्डल के उत्पाद की आवश्यकता नहीं है। वह चलमण्डलादिक प्राकृतिक पृथ्वी-मण्डल में ही निमित्त का ग्रहण कर लेता है। पर जिसको ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है, उसे चार कसिण दोषों का परिहार करते हुए कृत्रिम पृथ्वी-मण्डल बनाना चाहिये। नील, पीत, लोहित, और अवदात (श्वेत) के संसर्वश पृथ्वी-कसिण में दोष प्राप्त हो जाते हैं। नीलादि वर्ण दस कसिणों में परिणामित हैं। इनके संसर्ग से शुद्ध पृथ्वी-कसिण का उत्पाद नहीं होता। इसीलिये इन वर्णों की मृतिका का परिणाम बताया गया है। अतः पृथ्वी-मण्डल बनाते समय नीलादि वर्ण की मृतिका का ग्रहण न कर गङ्गा नदी की अरुण वर्ण की मृतिका काम में लानी चाहिये।

विहार में जहाँ श्रामणेर आदि आते-जाते हों वहाँ मण्डल न बनाना चाहिये। विहार के प्रत्यन्त में, प्रच्छत्र स्थान में, गुहा या पर्णशाला में, पृथ्वी-मण्डल बनाना चाहिये। यह मण्डल दो प्रकार होता है—१. चतु (संहारिम=चतुर्नयोग्य) और २. अचतु (तत्रटुक)। चार दण्डों में कपड़ा चमड़ा या चटाई बाँधकर उसमें साफ की हुई मिट्ठी का नियत प्रमाण का वृत्त (वर्तुल) लीप देने से चल-मण्डल बनता है। भावना के समय यह भूमि पर फैला दिया जाता है। पचकर्णिका के आकार में स्थापु गाङ्कर लताओं से उसे बैष्टित कर देने से अचलमण्डल बनता है। यदि अरुण वर्ण की मृतिका पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न हो सके तो अधोभाग में दूसरी तरह की मिट्ठी डालकर ऊपर के भाग में सुपरिशुद्ध अरुण वर्ण की मृतिका का एक बालिश्त चार अंगुल के विस्तार का वृत्त बनना चाहिये।

प्रमाण के सम्बन्ध में कहा गया है कि वृत्त शूर्पमात्र हो अथवा शारवमात्र। कुछ लोगों के मत में इन दोनों का सम प्रमाण है, पर कुछ का कहना है कि शराव (=प्याला) एक बालिश्त चार अंगुल का होता है और शूर्प का प्रमाण इससे अधिक है। इनके मत में वृत्त को शराव से कम और शूर्प से अधिक प्रमाण का न होना चाहिये। इस वृत्त को पञ्चर से घिसकर भेरि-तल के सदृश सम करना चाहिये। स्थान साफ कर और स्नान कर मण्डल से ढाई हाथ की दूरी पर एक बालिश्त चार अंगुल ऊचे ऐरोंवाले पीढ़े पर बैठना चाहिये। इससे अधिक अन्तराल पर बैठने से मण्डल नहीं दिखायी देगा और यदि इससे नीचे भालग पर जैव जाग गे घूटने दृढ़ करने लगें। इसलिये उक्त प्रकार के आसन पर ही बैठना चाहिये।

काम का दोष देखकर और ध्यान के लाभ को ही सक दूऽप्तुः ५० अर्थात् ध्यान का लाभ निश्चित कर नैष्कर्य के लिये प्रीति उत्पन्न करनी चाहिये। “शुद्ध प्रत्येकवृद्ध और अर्थात् श्रावकों

ने इसी मार्ग का अनुसरण किया है। मैं भी इसी मार्ग का अनुगामी हो एकान्त-सेवन के सुख का आस्थाद करूँगा” ऐसा विचार कर उसे योग-साधन के लिये उत्साह पैदा करना चाहिये। और सम आकार से चक्षु का उन्नीलन कर निमित्त-ग्रहण (=उग्राहनिमित्त) की भावना करनी चाहिये। जिस प्रकार अतिसूक्ष्म और अतिभास्त्र रूप के ध्यान से आँखें थक जाती हैं उसी प्रकार अति उन्नीलन से भी आँखें थक जाती हैं और मण्डल का रूप भी अत्यन्त प्रकट हो जाता है अर्थात् उसके स्वभाव का अत्यन्त आविर्भाव होता है; तथा उसके वर्ण और लक्षण अधिक स्पष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार निमित्त का ग्रहण नहीं होता। मन्द उन्नीलन से मण्डल का रूप दिखायी नहीं दता और दर्शन के कार्य में चित्त का व्यापार मन्द हो जाता है; इसलिये निमित्त का ग्रहण नहीं होता। अतः सम आकार से ही चक्षु का उन्नीलन करना चाहिये।

पृथ्वी-कसिज के अहण वर्ण का चिन्तन और पृथ्वी-धातु के लक्षण का ग्रहण न करना चाहिये। यथापि वर्ण का चिन्तन निविद्ध है, तथापि पृथ्वीधातु की उत्सत्रावश वर्जसहित पृथ्वी की भावना एक प्रज्ञाति के रूप में करनी चाहिये। इस प्रकार प्रज्ञातिमात्र में चित्त की प्रतिष्ठा करनी चाहिये। लोक में सम्भारसहित पृथ्वी को ‘पृथ्वी’ कहते हैं। पृथ्वी, मही, मेदिनी, भूमि, चक्षुओं, वसुन्धरा आदि पृथ्वी के नामों में से जो नाम साधक को लक्षित हो, उस नाम का उपचारण कर भावना करना अच्छा है। कभी आँख खोलकर, कभी आँख भूंदकर, निमित्त का ध्यान करना चाहिये। जब भावनावश आँखें भूंदने पर उसी भरह जैसा आँख खोलने पर निमित्त का दर्शन हो, तब समझना चाहिये कि निमित्त का उत्पाद हुआ है। निमित्तोत्पाद के बाद उस स्थान पर नहीं बैठना चाहिये। अपने विवास-स्थान में बैठकर भावना करनी चाहिये। यदि किसी अनुपयुक्त कारणवश इस तरुण समाधि का नाश हो जाय तो शीघ्र उस स्थान पर जाकर निमित्त का ग्रहण कर अपने वास-स्थान पर लौट आना चाहिये और बहुलता के साथ इस भावना का आसेवन और बार बार चित्त में निमित्त की प्रतिष्ठा करनी चाहिये। ऐसा करने से क्रमपूर्वक नीवरण अर्थात् अन्तरायों का नाश और बलेशों का उपशम होता है।

भावना-क्रम से जब श्रद्धा आदि इन्द्रियों सुविशद और तीक्ष्ण हो जाती है तब कामादि दोष का लोप होता है और उपचार-समाधि में चित्त समाहित हो प्रतिभाग-निमित्त का प्रादुर्भाव होता है। प्रतिभाग-निमित्त, उद्घ्रह-निमित्त (=उग्राहनिमित्त) से कई गुना अधिक सुपरिशुद्ध होता है। उद्घ्रह-निमित्त में कसिज-दोष (जैसे अंगुलों की छाप) दिखलायी पड़ते हैं, पर प्रतिभाग-निमित्त भास्त्र और स्वच्छ होकर निकलता है। प्रतिभाग-निमित्त वर्ण और आकार (संस्थान) से रहित होता है। यह चक्षु द्वारा ज्ञेय नहीं है, यह स्थूल पदार्थ नहीं है और अग्निशत्रा आदि लक्षणों से अद्वित नहीं है। केवल समाधि-लाभी को यह उपस्थित होता है और भाषण-संज्ञा से इसका उत्पाद होता है। इसकी उत्पत्ति के समय से ही अन्तरायों का नाश और बलेशों का उपशम होता है तथा चित्त उपचार-समाधि द्वारा समाहित होता है।

प्रतिभाग-निमित्त का उत्पाद अतिदुर्जकर है। इस निमित्तकी रक्षा बहुत प्रयत्न के साथ करनी चाहिये; क्योंकि ध्यान का यही आलम्बन है। निमित्त के विनष्ट होने से लब्ध ध्यान भी नह हो जाता है। उपचार-समाधि के बलवान् होने से ध्यान के अधिगम की अवस्था अर्थात् अर्पण समाधि उत्पन्न होती है। उस अवस्था में ध्यान के अङ्गों का प्रादुर्भाव होता है। उपयुक्त के आसेवन और अनुपयुक्त के परित्याग से निमित्त की रक्षा और अपेक्षा समाधि का लाभ होता है। जहाँ स्मृति का सम्प्रमोष नहीं होता और

चित एकाग्र होता है; उसी आवास में साधक को निवास करना चाहिये। जो गोचर, ग्राम, आवास के समीप हो और जहाँ भिक्षा सुलभ हो वही उपयुक्त है। साधक के लिये लौकिक कथा अनुपयुक्त है। इससे निमित्त का स्रोप होता है। साधक को ऐसे पुरुष का सङ्ग न करना चाहिये जो लौकिक कथा कहे; क्योंकि इससे समाधि में बाधा उपस्थित होती है और जो प्राप्त किया है वह भी नहीं हो जाता है। उपयुक्त भोजन, अशु और ईर्यापथ (=वृत्ति) का आसेवन करना चाहिये, ऐसा करने से तथा बहुलता के साथ निमित्त का आसेवन करने से शीघ्र ही अर्पण-सम्बन्धित का लाभ होता है।

पर यदि इस विधि से भी अर्पण का उत्पाद न हो तो निम्नलिखित दश प्रकार से अर्पण में कुशलता प्राप्त होती है:—

१. शरीर तथा चीवर आदि का शुद्धता से। यदि केश-नख बड़े हों, शरीर से दुर्बन्ध आती हो, चीवर जीर्ण तथा विलहू और आसन भैला हो तो चित तथा चैतसिक-धर्म भी अपरिशुद्ध होते हैं; ज्ञान भी अपरिशुद्ध होता है, समाधि भावना दुर्बल और क्षीण हो जाती है; कर्मस्थान भी प्रगुण भाव को नहीं प्राप्त होता और इस प्रकार अङ्गों का प्रादुर्भाव नहीं होता। इसलिये शरीर तथा चीवर आदि को विशद तथा परिशुद्ध रखना चाहिये जिसमें चित सुखी हो और एकाग्र हो।

२. श्रद्धादि इन्द्रियों के समभाव प्रतिपादन से। श्रद्धादि (श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा) इन्द्रियों में से यदि कोई एक इन्द्रिय बलवान् हो तो इतर इन्द्रियों अपने कृत्य में असमर्थ हो जाती है। जिसमें श्रद्धा का आधिक्य होता है और प्रज्ञा मन्द होती है, वह अवस्था में श्रद्धा करता है; जिसकी प्रज्ञा बलवती होती है और श्रद्धा मन्द होती है वह शठता का पक्ष ग्रहण करता है और उसका चित शुष्क तर्क से विलुप्त होता है। श्रद्धा और प्रज्ञा का अन्योन्यविरह अनर्थवह है। इसलिये इन दोनों इन्द्रियों का समभाव इष्ट है। दोनों की समता से ही अर्पण होती है। इसी प्रकार वीर्य और समाधि का भी समभाव इष्ट है। समाधि यदि प्रबल हो और वीर्य मन्द हो तो आलस्य अभिभूत करता है; क्योंकि समाधि आलस्यपात्रिक है। यदि वीर्य प्रबल हो और समाधि मन्द हो तो चित की भान्तता या विक्षेप अभिभूत करता है; क्योंकि वीर्य विक्षेप-पात्रिक है। किसी एक इन्द्रिय की सातिशय प्रवृत्ति होने से अन्य इन्द्रियों का व्यापार मन्द हो जाता है। इसलिये अर्पण की सिद्धि के लिये इन्द्रियों की एकरसता अभीष्ट है। किन्तु शमथयानिक को बलवती श्रद्धा भी चाहिये। विना श्रद्धा के अर्पण का लाभ नहीं हो सकता। यदि यह यह सोचे कि केवल पृथ्वी-पृथ्वी इस प्रकार विनान करने से कैसे ध्यान की उत्पत्ति होगी तो अर्पण-समाधि का लाभ नहीं हो सकता। उसको भगवान् की बतायी हुई चित की सफलता पर विश्वास होना चाहिये। बलवती स्मृति तो सर्वत्र अभीष्ट है; क्योंकि चित स्मृति-परायण है और इसलिये विना स्मृति के चित का निग्रह नहीं होता।

३. निमित्त कौशल से अर्थात् लक्ष्य-निमित्त की रक्षा में कुशल और दक्ष होने से।

४. जिस समय चित का प्रग्रह करना हो उस समय चित का प्रग्रह करने से।

जिस समय वीर्य, प्रामोद्ध आदि की शिथिलता से भावना-चित सङ्गुचित होता है, उस समय प्रत्रक्षित (काय और चित की शान्ति), समाधि और उपेक्षा इन बोध्यङ्गों की भावना उपयुक्त नहीं हैं, क्योंकि इनसे संकुचित चित का उत्थान नहीं होता। जिस समय चित संकुचित हो उस समय धर्मविवर्य, (प्रज्ञा), वीर्य (उत्साह) और प्रीति इन बोध्यङ्गों की भावना करनी

चाहिये। इनसे मन्द-चित्त का उत्थान होता है। कुशल और अकुशल के स्वभाव तथा सामान्य लक्षणों के यथार्थ अवबोध से धर्मविचय की भावना होती है। आलस्य के परित्याग से अध्यासवत्त कुशल-क्रियों का आरम्भ वीर्यसञ्जय और प्रतिपक्ष धर्मों के विवरण की पटुता ग्राह होती है। प्रीतिसम्प्रयुक्त धर्मों का निरन्तर चिन्तन करने से प्रीति का उत्पाद और वृद्धि होती है।

परिप्रश्न, शरीरादि की शुद्धता, इन्द्रिय-समभाव-करण, मन्दबुद्धिवालों के परिवर्जन, प्रज्ञावान् के आसेवन, स्कन्ध, आवत्तन, धातु, चार आर्द्धसत्त्व, प्रतीत्यसमुत्पाद आदि गम्भीर ज्ञानकथा की प्रत्यवेक्षण तथा प्रज्ञापरायणता से धर्मविचय का उत्पाद होता है।

दुर्गति आदि दुःखावस्था की भीषणता का विचार करने से, इस विचार से कि सौकिक अथवा लोकोत्तर में जो कुछ विशेषता है उसकी प्रीति वीर्य के अधीन, इस विचार से कि आलसी पुरुष बुद्ध, प्रत्येकबुद्ध, महाश्रावकों के मार्ग का अनुगामी नहीं हो सकता, शास्त्र के महत्त्व का चिन्तन करने से (शास्त्र ने हमारे साथ बहुत उपकार किया है, शास्त्र के शासन का अतिक्रमण नहीं हो सकता, वीर्यारम्भ (=कुशलोत्साह) की शास्त्र ने प्रशंसा की है), धर्मदायाद्य के महत्त्व का विचार करने से (मुझे धर्म का दायाद होना चाहिये, आलसी पुरुष धर्म का दायाद नहीं हो सकता), आलोक-संज्ञा के विचार से, ईर्यापथ के परिवर्तन और खुली जगह रहने से, आलस्य और अकर्मण्यता का परित्याग करने से, आलसियों के परिवर्जन और वीर्यवान् के आसेवन से, व्यायाम (=उद्घोग) के चिन्तन से तथा वीर्यपरायण होने से वीर्य का उत्पाद होता है।

बुद्ध, धर्म, सङ्ख शील, त्याग (=दान), देवता और उपशम के निरन्तर स्मरण से, बुद्धादि में जो स्नेह और प्रासाद नहीं रखता उसके परिवर्जन तथा बुद्ध में जो स्निध है उसके आसेवन से, सम्प्रसादनीय सूत्र के चिन्तन तथा प्रीति-परायण होने से प्रीति का उत्पाद होता है।

५. जिस समय चित्त का निग्रह करना हो उस समय चित्त का निग्रह करने से।

जिस समय वीर्य, संवेग, (-वैराग्य), प्राप्तिके अतिरेक से चित्त उद्धृत और अनवस्थित होता है उस समय धर्मविचय, वीर्य और प्रीति की भावना अनुपयुक्त है, क्योंकि इनसे उद्धृत-चित्त का समाधान नहीं हो सकता। ऐसे समय प्रश्रविधि, समाधि और उपेक्षा इन बोध्यज्ञों की भावना करनी चाहिये।

काय और चित्त की शान्ति का निरन्तर चिन्तन करने से प्रश्रविधि की भावना, शमथ और अव्यग्रता का निरन्तर चिन्तन करने से समाधि की भावना और उपेक्षासम्प्रयुक्त धर्मों का निरन्तर चिन्तन करने से उपेक्षा की भावना होती है।

प्रीति भोजन, अच्छी ऋग्न, उपयुक्त ईर्यापथ के आसेवन से, उदासीन वृत्ति से, द्वोषी पुरुष के परित्याग और शान्तचित्त पुरुष के आसेवन से तथा प्रश्रविधि-परायण होने से प्रश्रविधि का उत्पाद होता है।

शरीरादि की शुद्धता से, निमित्तकुशलता से, इन्द्रिय-समभाव-करण से, समय-समय पर चित्त के प्रग्रह (=लीन चित्त का उत्थान) और निग्रह (=उद्धृत चित्त का समाधान) करने से, ऋद्धा और संवेग (-वैराग्य) द्वारा उपशम-सुख-रहित चित्त का संतर्पण करने से प्रग्रह-निग्रह-सन्तर्पण के विवर में सम्यकावृत्त भावना-चित्त की विरक्तता से, असमाहित पुरुष के परित्याग और समाहित पुरुष के आसेवन से, ध्यानों की भावना, उत्पाद, अधिकान (=अवस्थिति) व्युत्पान, संक्लेश और व्यवदात (=विद्युदग) के चिन्तन से तथा समाधिपरायण होने से समाधि का उत्पाद होता है।

जीवों और संस्कारों के प्रति उपेक्षा-भाव, ऐसे लोगों का परित्याग जिनको जीव और संस्कार प्रिय हैं, ऐसे लोगों का आसेवन जो जीव और संस्कारों के प्रति उपेक्षा भाव रखते हैं तथा उपेक्षापरायणता से उपेक्षा का उत्पाद होता है।

६. जिस समय चित्त का सम्प्रहरण (-सन्तर्पण) करना चाहिये उस समय चित्तके सम्प्रहरण से । जब प्रजाव्यापार के अल्पभाव के कारण या उपशम-सुख के अलाभ के कारण चित्त का तर्पण नहीं होता तब आठ संवेगों द्वारा संवेग-उत्पन्न करना चाहिये । जन्म, जरा, व्याधि, मरण, अपाय दुःख, अतीत में जिस दुःख का मूल हो, अनागत में जिस दुःख का मूल हो और अत्यन्त में आहारपर्यण का दुःख—ये आठ संवेग-वस्तु हैं । बुद्ध, धर्म और सङ्कृते के गुणों के अनुस्मरण से चित्त का सम्प्रसाद होता है ।

७. जिस समय चित्त का उपेक्षा भाव होना चाहिये उस समय चित्त की उदासीन-झुक्ति से । जब भावना करते हुए योगी के चित्त का व्यापार मन्द नहीं होता, चित्त का विक्षेप नहीं होता, चित्त को उपशम-सुख का लाभ होता है, आलम्बन में चित्त की सम प्रवृत्ति होती है और समय के मार्ग में चित्त का आरोहण होता है; तब प्रग्रह, निग्रह और सम्प्रहरण के विषय में चित्त की उदासीन झुक्ति होती है ।

८. ऐसे लोगों के परित्याग से जो अनेक कार्यों में व्यापृत रहते हैं, जिनका हृदय विक्षित है और जो ध्यान के मार्ग में कभी प्रवृत्त नहीं हुए हैं ।

९. समाधि-स्थापी पुरुषों के आसेवन से ।

१०. समाधि-परायण होने से ।

उक्त दस प्रकार से अर्पणा में कुशलता प्राप्त की जाती है ।

आलस्य और चित्तविक्षेप का निवारण कर जो योगी सम प्रयोग से भावनचित्त को प्रतिभाग-निमित्त में स्थिर करता है वह अर्पणा-समाधि का लाभ करता है । चित्त के लीन और उद्दत भावों का परित्याग कर निमित्त की ओर चित्त को प्रवृत्त करना चाहिये ।

जब योगी चित्त को निमित्त की तरफ प्रेरित करता है तब चित्त-द्वार भावना के बल से उपस्थित उसी पृथ्वीमण्डलरूपी आलम्बन को अपनी ओर आकृष्ट करता है । उस समय उस आलम्बन में चार या पाँच चेतनाएँ (जवन) उत्पन्न होती हैं । इनमें से अन्तिम रूपावचर-भूमि की है; रोप तीन या चार चेतनाएँ काम-धातु की हैं । प्राकृतिक चित्त की अपेक्षा इन तीन या चार चेतनाओं के वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता आदि भावना के बल से पटुतर होते हैं । इन्हें 'परिकर्म' (परिक्रम) कहते हैं । क्योंकि ये चेतनाएँ अर्पणा की प्रतिसंस्कारक हैं । अर्पणा का समीपवर्ती होने से इन्हें 'उपचार' भी कहते हैं । अर्पणा के अनुलोम होने से इनकी 'अनुलोम' संज्ञा भी है । तीसरी या चौथी चेतना गोत्रभू कहलाती है । यह चेतना (-जवन) काम-तृष्णा के विषयों के विशेष रूप और अनुत्तर धर्मों के साम्परायिक रूप की सीमा पर स्थित है । इस प्रकार में ये सब संज्ञाएँ सामान्य रूप से सब जबनों की हैं । यदि विशेषता के साथ कहा जाय तो यहला जवन 'परिकर्म', दूसरा 'उपचार', तीसरा 'अनुलोम', चौथा 'गोत्रभू', या चौहला 'उपचार', दूसरा 'अनुलोम', तीसरा 'गोत्रभू', और चौथा या पाँचवां 'अर्पणा' है । विस्तकी शुद्धि प्रखर है उसकी चौथे जवन में अर्पणा की सिद्धि होती है; पर जिसकी शुद्धि मन्द है उसको पाँचवें जवन में अर्पणा-चित्त का लाभ होता है । चौथे या पाँचवें जवन में ही अर्पणा की सिद्धि होती है । तत्पश्चात् चेतना भवाङ्ग में अवतीर्ण होती है । अर्पणा का काल-परिच्छेद

एक चित्त-क्षण है, तदनन्तर भवाङ्ग में पात होता है। पीछे भवाङ्ग का उपच्छेद कर ध्यान की प्रत्ययेक्षा के लिये चित्तावर्जन होता है; तत्पश्चात् ध्यान की परीक्षा होती है।

काम और अकुशल के परित्याग से ही प्रथम ध्यान का लाभ होता है, यह प्रथम ध्यान के प्रतिपक्ष हैं। प्रथम ध्यान में विशेष कर काम-धातु का असिक्रमण होता है। काम से 'वस्तुकाम' का आशय है। जो वस्तु (जैसे, प्रिय-मनोरम-रूप) काम का उद्दीपन करे वह वस्तुकाम है, किसी वस्तु के लिये अभिलाष, राग तथा लोभ के प्रभेद 'कलेशकाम' कहलाते हैं। अकुशल से कलेशकाम तथा अन्य अकुशल का आशय है। काम के परित्याग से कर्त्त्व-विवेक और अकुशल के विवर्जन से चित्त-विवेक सूचित होता है। पहले से तुच्छा आदि कलेश के विषय का परित्याग और दूसरे से कलेश का परित्याग सूचित होता है। पहले से काम-सुख का परित्याग और दूसरे से ध्यान-सुख का परिग्रह प्रकाशित होता है। पहले से चपल भाव के हेतु का परित्याग और दूसरे से अविद्या का परित्याग; पहले से प्रयोग-कुद्धि (प्राणातिपातादि अमृद प्रयोग का परित्याग) और दूसरे से अध्यात्मय की शुद्धि सूचित होती है।

यद्यपि अकुशल धर्मों में दृष्टि, मान आदि पाप भी संगृहीत हैं; तथापि यहाँ केवल उन्हीं अकुशल धर्मों से तात्पर्य है जो ध्यान के अङ्गों के विरोधी हैं। यहाँ अकुशल धर्मों से पाँच नीवरणों से ही आशय है। ध्यान के अङ्ग इनके प्रतिपक्ष हैं और इनका विवात करते हैं। समाधि कामच्छन्द (अभिलाष, लोभ, तुच्छा) का प्रतिपक्ष है, प्रीति व्यापाद (हिंसा) का प्रतिपक्ष है, वितर्क का स्थान (आलस्य, अकर्मण्यता) प्रतिपक्ष है; सुख का औदृश्य-कौकृत्य (अनवस्थितता, स्नेद) और विचार का विचिकित्सा प्रतिपक्ष है। इस प्रकार काम के विवेक से कामच्छन्द^१ विष्कम्भन और अकुशल धर्मों के विवेक से शेष चार नीवरणों का विष्कम्भन होता है। फलं^२ से लोभ (अकुशल-मूल) और दूसरे से द्वेष-मोह, पहले से तुच्छा तथा तत्सम्प्रयुक्त अवस्था, दूसरे से अविद्या तथा तत्सम्प्रयुक्त अवस्था का परित्याग सूचित होता है।

ये पाँच नीवरण प्रथम-ध्यान के प्रहार-अङ्ग हैं। जब तक इनका विष्कम्भन नहीं होता तब तक ध्यान का उत्पाद नहीं होता। ध्यान के क्षण में अन्य अकुशल धर्मों का भी प्रहार होता है; तथापि नीवरण ध्यान में विशेष रूप से अन्तराय उपस्थित करते हैं। इन पाँच नीवरणों का परित्याग कर प्रथम ध्यान वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, और समाधि इन पाँच अङ्गों से समन्वयत होता है।

आलम्बन के विषय में यह कल्पना कि यह ऐसा है 'वितर्क' कहलाता है। अथवा आलम्बन के समीप चित्त का आनन्द आलम्बन में चित्त का प्रथम प्रवेश 'वितर्क' कहलाता है। आलम्बन में चित्त की अविक्लिङ्ग-प्रवृत्ति 'विचार' है, वितर्क विचार का पूर्वागमी है। वितर्क चित्त का प्रथम अभिनिपाति है। अप्टे के अभिघात से जो शब्द उत्पन्न होता है वह वितर्क के समान है। इसका जो अनुरूप होता है वह विचार के समान है। जिस प्रकार आकाश में उड़ने की इच्छा करनेवाला पक्षी पक्ष-विक्षेप करता है, इसी प्रकार वितर्क की प्रथमोत्पत्ति के काल में विचार की वृत्ति शान्त होती है; उसमें चित्त का अधिक परिस्पन्दन नहीं होता। विचार आकाश में उड़ते हुए पक्षी के पक्ष-प्रसारण या कमल के ऊपरी भाग पर भ्रमर के परिभ्रमण के समान है।

काय और चित के तर्पण, परिलोकण को 'प्रीति' कहते हैं। प्रीति प्रणीत रूप से कमल में ध्यात होती है और इसका उत्कृष्ट-भाव होता है। 'प्रीति' पाँच प्रकार की है—१. क्षुद्रिका प्रीति, २. क्षणिका प्रीति, ३. अवक्रान्तिका प्रीति, ४. उद्देशा प्रीति, ५. स्फरणा प्रीति। क्षुद्रिका प्रीति शरीर

को केवल रोमांशित कर सकती है। क्षणिका प्रीति क्षण क्षण पर होनेवाले विद्युत्पात के समान होती है। जिस प्रकार समुद्रतट पर लहरें टकराती हैं उसी प्रकार अवक्रान्तिका प्रीति शरीर को अवक्रान्त कर भिन्न हो जाती है। उद्गेगा प्रीति बलवती होती है। स्फरणा प्रीति निश्चला और विरस्थायिनी होती है। यह स्वेकल शरीर को व्याप करती है। यह पाँच प्रकार की प्रीति परिपक्व हो, काय और चित्त-प्रश्रव्यि (चित्तशान्ति) को सम्प्रक्ष करती है। प्रश्रव्यि परिपाक को ग्रास हो कायिक और चैतसिक सुख को सम्प्रक्ष करती है। सुख परिपक्व हो समाधि का परिपूरण करता है। स्फरणा प्रीति ही अर्पणा-समाधि का मूल है। यह आत्मिति अनुक्रम से वृद्धि को पाकर अर्पणा-समाधि से सम्प्रयुक्त होती है। यहाँ यही प्रीति अभिप्रेत है। 'सुख' काल्पनिक और चित्त की बाधा को नष्ट करता है। सुख से सम्प्रयुक्त धर्मों की अभिवृद्धि होती है।

वितर्क के चित्त को आलम्बन के समीप से जाता है। विचार से आलम्बन में चित्त की अविच्छिन्न प्रवृत्ति होती है। वितर्क-विचार से चित्त-समाधान के लिये भावना-प्रयोग सम्पादित होता है। प्रीति से चित्त का तर्पण और सुख से चित्त की वृद्धि होती है। तदनन्तर एकाग्रता अवशिष्ट स्पसान्दि धर्मों सहित चित्त को एक आलम्बन में सम्यक् और समरूप से प्रतिष्ठित करती है। प्रतिपक्ष धर्मों के परित्याग से चित्त का लीन और उद्धृत भाव दूर हो जाता है। इस प्रकार चित्त का सम्बद्ध और सम आधान होता है। ध्यान के क्षण में एकाग्रता-वश चित्त सातिशय समाहित होता है।

इन पाँच अङ्गों का जब तक प्रादुर्भाव नहीं होता तब तक प्रथम ध्यान का लाभ नहीं होता। यह पाँच अङ्ग उपचार-क्षण में भी रहते हैं पर अर्पणा-समाधि में पटुतर हो जाते हैं; क्षणीक उस क्षण में यह रूप-धातु के लक्षण प्राप्त करते हैं। प्रथम ध्यान की त्रिविधि कल्प्याणता है। इसके आदि, मध्य, और अन्त तीनों कल्प्याण के करने वाले हैं। प्रथम ध्यान दस लक्षणों से सम्पन्न है। ध्यान के उपचार-क्षण में भावना-क्रम के पूर्व भाग की (अर्थात् गोत्रभू तक) विशुद्धि होती है। यह ध्यान की आदि-कल्प्याणता है। इसके तीन लक्षण हैं—नीवरणों के विष्कम्भन से चित्त की विशुद्धि, चित्त की विशुद्धि से मध्यम शमथ-निमित्त का अभ्यास और इस अभ्यासवश उक्त निमित्त में चित्त का अनुप्रवेश। स्थिति-क्षण में उपेक्षा की अभिवृद्धि विशेष रूप से होती है। यह ध्यान की मध्य-कल्प्याणता है, यह तीनों लक्षणों से समन्वयागत है—विशुद्ध चित्त की उपेक्षा, शमथ की भावना में रत चित्त की उपेक्षा और एक आलम्बन में सम्यक् समाहित चित्त की उपेक्षा। ध्यान के अवसान में प्रीति का लाभ होता है, अवसान-क्षण में कार्य निष्पत्र होने से धर्मों के अनितिवर्तनादिसाधक ज्ञान की परिशुद्धि प्रकट होती है। इसके बारे लक्षण हैं—१. ज्ञातधर्म एक दूसरे को अतिक्रान्त नहीं करते; २. इन्द्रियों (पाँच मानसिक शक्तियों) की एक एक सत्ता होती है; ३. साधक इनका उपकारक वीर्य धारण करता है; ४. और वह इनका आसेवन करता है।

जिस क्षण में अर्पणा का उपचार होता है, उसी क्षण में अन्तराय उपस्थित करने वाले लक्षणों से चित्त विशुद्ध होता है। 'परिकर्म' की विशुद्धि से अर्पणा की सातिशय विशुद्धि होती है, जब तक चित्त का आवरण दूर नहीं होता तब तक मध्यम शमथनिमित्त का अभ्यास नहीं हो सकता। लीन और उद्धृतभाव इन दो अन्तों का परित्याग करने से इसे मध्यम कहते हैं। विरोधी धर्मों का विशेष रूप से उपशम करने से शमथ और साधक के सुखविशेष का कारण होने से यह निमित्त कहलाता है। यह मध्यम शमथनिमित्त लीन और उद्धृतभाव से रहित अर्पणासमाधि ही

है। तदनन्तर गोत्रभू-चित्त एकत्वनय से अर्पणा समाधिकश समाहित-भाव को प्राप्त होता है, और इस निमित्त का अध्यास करता है। अभ्यासकश समाहित-भाव की प्राप्ति से निमित्त में चित्त अनुप्रविष्ट होता है। इस प्रकार प्रतिपद्विशुद्धि गोत्रभू-चित्त में इन तीन लक्षणों को निष्पत्र करती है। एक बार विशुद्ध हो जाने से साधक फिर विशोधन की चेष्टा नहीं करता और इस प्रकार यह विशुद्ध चित्त को उपेक्षा-भाव से देखता है।

शमथ के अध्यास-वश शमथ भाव को प्राप्त होने के कारण साधक समाधान की चेष्टा नहीं करता और शमथ की भावना में रत चित्त की उपेक्षा करता है। शमथ के अध्यास और कलेश के प्रहाण से चित्त सम्यक् रूप से एक आलम्बन में समाहित होता है। साधक समाहित चित्त की उपेक्षा करता है। इस प्रकार उपेक्षा की वृद्धि होती है। उपेक्षा की वृद्धि से ध्यान-चित्त में उत्पन्न एकाग्रता और प्रज्ञा एक दूसरे को अतिक्रान्त किये विना प्रवृत्त होती हैं, श्रद्धा आदि इन्द्रियाँ ('मानसिक शक्ति') नाना क्लेशों से विनामुक्त हो विमुक्ति-रस से एकरसता को प्राप्त होती हैं, साधक इन अवस्थाओं के अनुकूल चीर्य प्रवृत्त करता है। स्थिति क्षण से आरम्भ कर ध्यान-चित्त की आसेवना प्रवृत्त होती है। ये सब अवस्थाएँ इस कारण निष्पत्र होती हैं; क्योंकि ज्ञान द्वारा इस बात की प्रतीति होती है कि समाधि और प्रज्ञा की समरसता न होने से भावना संक्लिष्ट होती है और इनकी समरसता से विशुद्ध होती है।

इस विशोधक ज्ञान-कार्य के निष्पत्र होने से चित्त का परितोष होता है। उपेक्षावश ज्ञान की अधिष्ठिति होती है, प्रज्ञा द्वारा अर्पणा प्रज्ञा की व्यापारबहुलता होती है। उपेक्षावश नीवरण आदि नाना क्लेशों से चित्त विमुक्त होता है। इस विशुद्धि से और पूर्व प्रवृत्त प्रज्ञावश प्रज्ञा की बहुलता होती है और श्रद्धा आदि धर्मों का व्यापार समान हो जाता है। इस एकरसता से भावना निष्पत्र होती है। यह ज्ञान का व्यापार है। इसलिये ज्ञान के व्यापार से चित्त-परितोष की सिद्धि होती है।

प्रथम ध्यान के अधिगत होने पर यह देखना चाहिये कि किस प्रकार के आवास में रहकर किस प्रकार का भोजन कर और किस ईर्यापथ में विहार कर चित्त समाहित हुआ था। समाधि के नष्ट होने पर उपमुक्त अवस्थाओं को सम्पन्न करने से साधक बार-बार अर्पण का लाभी हो सकता है। इससे अर्पण का लाभमात्र होता है, वह चिरस्थायिनी नहीं होती।

समाधि के अन्तरण्यों और विरोधी धर्मों के सम्यक्-प्रहाण से ही अर्पण की चिर-स्थिति होती है। उपचार-क्षण में इनका प्रहाण होता है पर अर्पण की चिर स्थिति के लिये अत्यन्त प्रहाण की आवश्यकता है। कामादि का दोष और नैष्कर्म्य को गुण खण्डकर लोभ-राग का भर्ती प्रकार प्रहाण किये विना, काय-प्रश्रिति द्वारा कायबलमध को अच्छी तरह शान्त किये विना, चीर्य द्वारा आलस्य और अंकर्मण्यता का अच्छी तरह परित्याग किये विना, शमथ, निमित्त की भावना द्वारा खेद और चित्त की अनवस्थितीता का उन्मूलन किये विना, तथा समाधि के अन्य अन्तरण्यों का उपशम किये विना जो साधक ध्यान सम्पादित करता है, उसका ध्यान शीघ्र ही भिन्न हो जाता है। पर जो साधक समाधि के अन्तरण्यों का अत्यन्त प्रहाण कर ध्यान सम्पादित करता है वह दिन भर समाधि में रत रह सकता है। इसलिये जो साधक अर्पण की चिरस्थिति चाहता है उसे अन्तरण्यों का अत्यन्त प्रहाण करके ही ध्यान सम्पन्न करना चाहिये। समाधि-भावना के विपुलभाव के लिये स्वयं प्रतिभाग-निमित्त की वृद्धि कर्मी चाहिये। जिस प्रकार भावना द्वारा ही निमित्त की उत्पत्ति होती है; उसी प्रकार भावना द्वारा उसकी वृद्धि भी होती है।

इस प्रकार ध्यान-भावना भी वृद्धि को प्राप्त होती है। प्रतिभाग-निमित्त की वृद्धि के लिये दो भूमियाँ हैं—१. उपचार और २. अर्पण। इन दो स्थानों में से एक में से अवश्य ही इसकी वृद्धि करनी चाहिये।

प्रतिभाग-निमित्त की वृद्धि परिचित रूप से ही करनी चाहिये। क्योंकि विना परिच्छेद के भावना की प्रवृत्ति नहीं होती। इसकी वृद्धि क्रमशः चक्रवालपर्यन्त की जा सकती है। जिस साधक ने पहले ध्यान का लाभ किया हो उसे प्रतिभाग-निमित्त का निरन्तर अध्यास करना चाहिये; पर अधिक प्रत्ययेक्षण न करनी चाहिये। क्योंकि प्रत्ययेक्षण के अधिकार्थ से ध्यान के अङ्ग अतिविभूत जात होते हैं और प्रगुण-भाव को नहीं प्राप्त होते। इस प्रकार ये स्थूल और दुर्बल ध्यान के अङ्ग उत्तर-ध्यान के लिये उत्सुकता उत्पन्न नहीं करते। उत्थोग करने पर भी साधक प्रथम ध्यान से अनुत्त होता है दूसरे ध्यान का लाभ नहीं करता। साधक को इसलिये पांच प्रकार से प्रथम ध्यान पर आधिपत्य प्राप्त करना चाहिये। तभी द्वितीय ध्यान की प्राप्ति हो सकती है। पांच प्रकार ये हैं—१. आवर्जन, २. सम, ३. अधिष्ठान, ४. व्युत्थान और ५. प्रत्ययेक्षण।

इह देख और काल में ध्यान के प्रत्येक अङ्ग को इह समय के लिये शीघ्र यथारथ प्रवृत्त करने की सामर्थ्य आवर्जनवशिता कहलाती है। जिसकी आवर्जन-वशिता सिद्ध हो चुकी है वह अहं चाहे जब चाहे और वितरी देर तक चाहे प्रथम ध्यान के किसी अङ्ग को तत्काल प्रवृत्त कर सकता है। आवर्जनवशिता प्राप्त करने के लिये साधक को क्रमशः ध्यान के अङ्गों का आवर्जन करना चाहिये। जो साधक प्रथम ध्यान से उठकर पहले वितर्क का आवर्जन करता है और भवाङ्ग का उपच्छेद करता है; उसमें उत्पन्न आवर्जन के बाद ही वितर्क को आलम्बन बनाकर चार या पांच जीवन (चेतनाएँ) उत्पन्न होते हैं। तदनन्तर दो क्षण के लिये भवाङ्ग में पाप होता है। तब विचार को आलम्बन बनाकर उक्त प्रकार से फिर जवन उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार साधक को ध्यान के पाँचों अङ्गों में चित्र को निरन्तर प्रेषित करने की शक्ति प्राप्त होती है।

अङ्गावर्जन के साथ ही ध्यानसमझी होने की योग्यता एक या दस अङ्गुलिस्क्रोट (चुटकी) के काल तक योग को रोक कर ध्यान की प्रतिष्ठा करने की शक्ति अधिष्ठानवशिता है। ध्यानसमझी होकर ध्यान से उठने की सामर्थ्यव्युत्थान वशिता है यह व्युत्थान भवाङ्ग-चित्त की उत्पत्ति ही है। पूर्व परिकर्मण इस प्रकार की शक्ति सम्पन्न करता कि, मैं इतने क्षण ध्यान-समझी होकर ध्यान से व्युत्थान करूँगा, व्युत्थानवशिता है। वितर्क आदि ध्यान के अङ्गों के यथाक्रम आवर्जन के अनन्तर जो जवन प्रवृत्त होते हैं वे प्रत्ययेक्षण के जवन हैं। इनके प्रत्ययेक्षण की शक्ति प्रत्ययेक्षण-वशिता है।

जो इन पांच प्रकारों से प्रथम ध्यान में अभ्यस्त हो जाता है वह परिचित प्रथम ध्यान से उठकर यह विचारता है कि प्रथम ध्यान सदोष है। क्योंकि इसके वितर्क-विचार स्थूल हैं और इसलिए इसके अङ्ग दुर्बल और परिस्थित (-ओक्सारिक) हैं। यह देख कर कि द्वितीय ध्यान की वृत्ति शान्त है और उसके प्रीति, सुख आदि शान्ततर और प्रजीवत हैं, उस द्वितीय ध्यान के अधिगम के लिये सञ्चाति-सम्प्रजन्यपूर्वक वह ध्यान के अङ्गों की प्रत्ययेक्षण करता है तो उसे ज्ञात होता है कि वितर्क-विचार स्थूल हैं और प्रीति, सुख और एकाग्रता शान्त हैं। वह स्थूल अङ्गों के प्रभाव तथा शान्त अङ्गों के प्रतिसाधन के लिये उसी पृथ्वी-निमित्त का बारम्बार ध्यान करता है। तब भवाङ्ग का उपच्छेद होकर चित्र का आवर्जन होता है। इससे यह सूचित होता है कि अब द्वितीय ध्यान सम्पादित होगा। उसी पृथ्वीकसिण में चार या पांच जवन उत्पन्न होते हैं। केवल अन्तिम जवन रूपावचर दूसरे ध्यान का है।

द्वितीय ध्यान के पक्ष में वितर्क और विचार का अनुत्पाद होता है। इसलिये द्वितीय ध्यान वितर्क और विचार से रहित है। वितर्कसम्प्रयुक्त स्पर्श आदि धर्म द्वितीय ध्यान में रहते हैं; पर प्रथम ध्यान के स्पर्श आदि से भिन्न प्रकार के होते हैं। द्वितीय ध्यान के केवल यीन अङ्ग हैं—१. प्रीति, २. सुख, और ३. एकग्रता द्वितीयध्यान 'सम्प्रसादन' है। अर्थात् त्रिद्वयुक्त होने के कारण तथा वितर्क-विचार के क्षेत्र के कारण यह चित्त को सुप्रसन्न करता है। सम्प्रसाद इस ध्यान का परिकार है। यह ध्यान वितर्क-विचार से अध्यास्त न होने के कारण अग्र और ब्रेह्म होकर ऊपर उठता है अर्थात् समाधि की वृद्धि करता है। इसलिये हसे 'एकोदिभाव' कहते हैं।

पहला ध्यान वितर्क-विचार के कारण शुद्ध और समाकुल होता है। इसलिये उसमें यथार्थ त्रिद्वा होती है तथापि वह 'सम्प्रसादन' नहीं कहलाता। सुप्रसन्न न होने से प्रथम ध्यान की समाधि भी अच्छी तरह आविर्भूत नहीं होती। इसालिये उसका एकोदिभाव नहीं होता। किन्तु दूसरे ध्यान में वितर्क और विचार के अभाव से त्रिद्वा अवकाश पाकर बलवती होती है और बलवती त्रिद्वा की सहायता से समाधि भी अच्छी तरह आविर्भूत होती है।

द्वितीय ध्यान का भी उक्त पाँच प्रकार से अध्यास करना चाहिये। द्वितीय ध्यान से उठ कर साधक विचार करता है कि द्वितीय ध्यान भी सदोष है; क्योंकि इसकी प्रीति स्थूल है और इसलिये इसके अङ्ग दुर्बल हैं। इस प्रीति के विषय में कहा है कि इसने परिग्रह में प्रेम का परित्याग नहीं किया और यह तुल्यासहगत होती है; क्योंकि इस प्रीति की प्रवृत्ति का आकार उद्गगपूर्ण होता है। यह देख कर कि तुतीय ध्यान की वृत्ति ज्ञान है, तुतीय-ध्यान के लिये यत्नशील होना चाहिये। जब यह ध्यान के अङ्गों की प्रत्यवेक्षा करता है, तो उसे प्रीति स्थूल और सुख-एकग्रता ज्ञान होते हैं। यह स्थूल अङ्ग के प्रहाण के लिये पृथक्की-निमित्त का आलम्बार विनन करता है। तब भवान्न का उच्छेद हो वित्त का आवर्जन होता है। तदननन उसी पृथक्कीकरण आलम्बन में खार या पाँच ज्ञन उत्पन्न होते हैं। इनमें केवल अनिवार्यज्ञन रूपावचर तुतीय-ध्यान का है। तुतीय ध्यान के क्षय में प्रीति का अनुत्पाद होता है। इस ध्यान के दो अङ्ग हैं—१. सुख और २. एकग्रता। उपेक्षा, स्मृति और सम्प्रजन्य इसके परिकार हैं।

प्रीति का अतिक्रमण करने से और वितर्क-विचार के उपकाम से तुतीय ध्यान का लाभी उपेक्षाभाव रखता है, वह समदर्शी होता है अर्थात् उपेक्षारहित हो देखता है। इसकी समदर्शिता विनष्ट, विषुल और स्थिर होती है। इस कारण तुतीय-ध्यान का लाभी उपेक्षक कहलाता है।

उपेक्षा दस प्रकार की होती है—१. बड़झोपेक्षा, २. ब्रह्मविहारोपेक्षा, ३. बोध्यझोपेक्षा, ४. वीर्योपेक्षा, ५. संस्कारोपेक्षा, ६. वेदनोपेक्षा, ७. विपश्यनोपेक्षा, ८. तत्रमध्यत्वोपेक्षा, ९. ध्यानोपेक्षा और १०. परिमूद्राद्युपेक्षा।

छह इन्द्रियों के छह इष्ट-अनिष्ट विषयों से विलष्ट न होना और अपनी शुद्धप्रकृति को निष्कल रखना 'बड़झोपेक्षा' है। सब प्राणियों के प्रति समभाव रखना 'ब्रह्मविहारोपेक्षा' कहलाती है। आलम्बन में चित्त की समप्रवृत्ति से और प्रग्रह-निग्रह-सम्बर्हण के विषय में व्यापार का अभाव होने से सम्प्रयुक्त धर्मों में उदासीन वृत्ति को 'बोध्यझोपेक्षा' कहते हैं। जो वीर्य स्त्रीन और उद्धर भाव से रहित है उसे 'वीर्योपेक्षा' कहते हैं। भावना की समप्रवृत्ति के समय जो उपेक्षाभाव होता है, उसे 'ध्यानोपेक्षा' कहते हैं। प्रथम-ध्यान आदि से नीवरण आदि का प्रहाण होता है यह निश्चय कर और नीवरणादि धर्मों के स्वभाव की परीक्षा कर संस्कारों के ग्रहण में जो उपेक्षा

उत्पन्न होती है वह 'संस्कारोपेक्षा' है। यह उपेक्षा समाधिवश आठ और विपश्यनावश दश प्रकार की है। जो उपेक्षा दुःख और सुख से रहित है वह 'बेदनोपेक्षा' कहलाती है। अनित्यादि लक्षणों पर विचार करने से पञ्चसंक्लित के विषय में जो उपेक्षा उत्पन्न होती है वह 'विपश्यनोपेक्षा' है। जो उपेक्षा सम्प्रयुक्त धर्मों की समप्रवृत्ति में हेतु होती है। वह 'तत्रमध्यत्वोपेक्षा' है। जो उपेक्षा तृतीय-ध्यान के अग्रसुख के विषय में भी पक्षपातरहित है वह 'ध्यानोपेक्षा' कहलाती है। जो उपेक्षा भीवरण, वितर्क, विचारादि अन्तरायों से विमुक्त है और जो उनके उपशम के व्यापार में प्रवृत्त नहीं है वह 'परिशुद्धयोपेक्षा' कहलाती है।

इन दश प्रकार की उपेक्षाओं में घड़कोपेक्षा, ब्रह्मविहारोपेक्षा, बोध्यक्रोपेक्षा, तत्रमध्यत्वोपेक्षा, ध्यानोपेक्षा, और परिशुद्धयोपेक्षा अर्थतः एक हैं; केवल अवस्थाभेद से संज्ञा में भेद किया गया है। इसी प्रकार संस्कारोपेक्षा और विपश्यनोपेक्षा का अर्थतः एकीभाव है। यथार्थ में दोनों प्रज्ञा के कार्य हैं, केवल कार्य के भेद से संज्ञा-भेद किया गया है। विपश्यना-ज्ञान द्वारा लक्षण-त्रय का ज्ञान होने से संस्कारों के अनित्यभावादि के विचार में जो उपेक्षा उत्पन्न होती है, वह विपश्यनोपेक्षा है। लक्षण-त्रय के ज्ञान से तीन भर्वों को आदीत देखने वाले साधक को संस्कारों के ग्रहण में जो उपेक्षा होती है, वह संस्कारोपेक्षा है। किन्तु बीवोपेक्षा और बेदनोपेक्षा, एक दूसरे से तथा अन्य उपेक्षाओं से, अर्थतः भिन्न हैं। इन दश उपेक्षाओं में से यहाँ ध्यानोपेक्षा अभिप्रेत है। उपेक्षाभाव इसका लक्षण है; प्रणीत सुख का भी यह आस्थाद नहीं करती, प्रीति से यह वितर्क है और व्यापारहित है।

यह उपेक्षा-भाव प्रथम तथा द्वितीय ध्यान में भी पाया जाता है। पर वहाँ वितर्क आदि से अभिभूत होने के कारण इसका कार्य अव्यक्त रहता है, तृतीय ध्यान में वितर्क, विचार और प्रीति से अभिभूत होने के कारण इसका कार्य परिव्यक्त होता है, इसलिये इसी ध्यान के सम्बन्ध में कहा गया है कि साधक तृतीय ध्यान का लाभ कर उपेक्षा-भाव से विहार करता है। तृतीय ध्यान का लाभी सदा जागरूक रहता है और इस बात का ध्यान रखता है कि प्रीति से अपनीत तृतीय ध्यान का सुख प्रीति से फिर सम्प्रयुक्त न हो जाय। तृतीय ध्यान का सुख मधुर है। इससे बढ़कर कोई दूसरा सुख नहीं है और जीव स्वभाव से ही सुख में अनुरक्त होते हैं। इसी लिये साधक इस ध्यान में स्मृति और सम्प्रज्ञन्य द्वारा सुख में आसक्त नहीं होता और प्रीति को उत्पन्न नहीं होने देता। जिस प्रकार खड़ग की धार पर बहुत संभल कर चलना होता है उसी प्रकार इस ध्यान में चित्त की गति का भली प्रकार निरूपण करना पड़ता है और सदा सतर्क और जागरूक रहना पड़ता है।

साधक इस ध्यान में चैतसिक सुख का लाभ करता है और ध्यान से उठकर कार्यिक सुख का भी अनुभव करता है, क्योंकि उसका शरीर अति प्रणीत रूप से व्याप्त हो जाता है।

जब तो सरे ध्यान का पाँच प्रकार से अच्छी तरह अभ्यास हो जाता है, तब तृतीय ध्यान से उठकर साधक विचारता है कि तृतीय-ध्यान सदोप है; क्योंकि इसका सुख स्थूल है और इसलिये इसके अङ्ग दुर्बल हैं। यह देखकर कि चतुर्थ ध्यान शान्त है उसे चतुर्थ-ध्यान के लिये अत्यन्तशील होना चाहिये।

जब स्मृति-सम्प्रज्ञन्यपूर्वक वह ध्यान के अङ्गों की प्रत्येक्षा करता है तो उसे ज्ञात होता है कि चैतसिक सुख स्थूल हैं और उपेक्षा, बेदना तथा वितर्काग्रता शान्त हैं। तब स्थूल अङ्ग के प्रहार तथा शान्त अङ्गों के प्रतिलाभ के लिये वह उसी पृथ्वीनिमित्त का बार-बार ध्यान करता

है। भवाङ्ग का उपच्छेद कर चित का आवर्जन होता है, जिससे यह सूचित होता है कि अब चतुर्थ ध्यान सम्पादित होगा, उसी पृथ्वी-कसिण में चार या पाँच जवन उत्पन्न होते हैं, केवल अनितम जवन रूपावचर चतुर्थ ध्यान का है।

चतुर्थ ध्यान के दो अङ्ग हैं—१. उपेक्षा-वेदना और २. एकाग्रता। चतुर्थ-ध्यान के उपचार-क्षण में चैतसिक सुख का प्रहाण होता है। कायिक दुःख का प्रथम ध्यान के उपचार-क्षण में, चैतसिक दुःख का द्वितीय और कायिक सुख का तृतीय ध्यान के उपचार-क्षण में निरोध होता है पर अतिशय निरोध उस ध्यान की अर्पणा में ही होता है। प्रथम ध्यान के उपचार-क्षण में जो निरोध होता है वह अत्यन्त निरोध नहीं है, पर अर्पणा में प्रीति के स्फुरण से समग्र स्तरीर सुख से अवकाश होता है। इस प्रकार प्रतिपक्षी सुख द्वारा दुःखेन्द्रिय का अत्यन्त निरोध होता है। इसी प्रकार प्रतिपक्षी सुख के प्रत्यय (हेतु) प्रीति के रहने से कायिक सुख की उत्पत्ति सम्भव है। पर अर्पणा में प्रीति के अत्यन्त निरोध से इसकी सम्भावना नहीं रह जाती। इसी तरह चतुर्थ-ध्यान के उपचार-क्षण में अर्पणा-प्राप्त उपेक्षा के अभाव तथा भली प्रकार से चैतसिक सुख का अतिक्रम न होने से चैतसिक सुख की उत्पत्ति सम्भव है, पर अर्पणा में इसकी सम्भावना नहीं है।

यह दुःख और सुख-रहित अतिसूक्ष्म और दुर्लिखेय है; सुगमता से इसका ग्रहण नहीं हो सकता। यह न कायिक सुख है न कायिक दुःख, न चैतसिक सुख है न चैतसिक दुःख। यह सुख, दुःख, सौमनस्य (चैतसिक सुख) और दौर्मनस्य (चैतसिक दुःख) का अभावमात्र भी नहीं है। यह तीसरी वेदना है। इसे उपेक्षा भी कहते हैं। यही उपेक्षा चित की विमुक्ति (चैतोविमुक्ति) है। सुख दुःखादि के प्रहाण से इसका अधिगम होता है।

सुख आदि के चात से राग-द्वेष प्रत्यय (हेतु) सहित नह छ हो जाते हैं, अर्थात् उनका दूरीभाव हो जाता है। चतुर्थ ध्यान में स्मृति परिशुद्ध होती है। यह परिशुद्ध उपेक्षा के द्वारा होती है, अन्यथा नहीं। केवल स्मृति ही परिशुद्ध नहीं होती, किन्तु सब सम्प्रयुक्त धर्म भी परिशुद्ध हो जाते हैं। यथापि पहले तीन ध्यानों में भी उपेक्षा विद्यमान है तथापि उनमें वितर्क आदि विरोधी धर्मों द्वारा अभिभूत होने से तथा सहायक प्रत्ययों की विकलता से उनकी अपेक्षा अपरिशुद्ध होती है और उसके अपरिशुद्ध होने से सहजात धर्म, स्मृति आदि भी अपरिशुद्ध होते हैं। पर चतुर्थ-ध्यान में वितर्क आदि विरोधी धर्मों के उपशम से तथा उपेक्षा-वेदना के प्रतिलाभ से उपेक्षा अत्यन्त परिशुद्ध होती है और साथ ही साथ स्मृति आदि भी परिशुद्ध होती है।

ध्यान-पञ्चक के द्वितीय ध्यान में केवल वितर्क नहीं होता और विचार, प्रीति, सुख, और एकाग्रता वे चार अङ्ग होते हैं, तृतीय ध्यान में विचार का परित्याग होता है और प्रीति, सुख और एकाग्रता यह तीन अङ्ग होते हैं, अनितम दो ध्यान ध्यान-चतुर्थ के तृतीय और चतुर्थ हैं। ध्यान-चतुर्थ के द्वितीय ध्यान को ध्यान-पञ्चक में दो ध्यानों में विभक्त करते हैं।

५. शेषकसिणनिर्देश

आपोकसिण—सुखपूर्वक बैठकर जल में निमित्त का ग्रहण करना चाहिये। गौल, चीत, लोहित और अवदात धर्मों में से किसी वर्ष का जल ग्रहण न करना चाहिये। पूर्व इसके

कि आकाश का जल भूमि पर प्राप्त हो, उसे शुद्ध वस्तु में ग्रहण कर किसी पात्र में रखना चाहिये। इस जल का या किसी दूसरे शुद्ध जल का व्यवहार करना चाहिये। जल से भरे पात्र को (विद्युत्यचतुरक्षुल-वर्तुल) विहार के प्रत्यन्त में किसी ढके स्थान में रखना चाहिये। भावना करते हुए वर्ण और लक्षण की प्रत्यवेक्षा नहीं करनी चाहिये। भावना करते करते क्रमशः पूर्वोक्त प्रकार से निमित्तद्वय की उत्पत्ति होती है, पर इसका उद्ग्रहनिमित्त चलित प्रतीत होता है। यदि जल में फेन और बुदबुदे उठते हों तो कसिण-दोष प्रकट हो जाता है। प्रतिभागनिमित्त स्थिर है। उक्तरीत्या साधक आपो-कसिण का आलम्बन कर ध्यानों का उत्पाद करता है॥

तेजोकसिण—तेजोकसिण की भावना करने की इच्छा रखने वाले साधक को अग्नि में निमित्त का ग्रहण करना चाहिये। जो अधिकारी है वह अकृत अग्नि—जैसे दावारिं—में भी निमित्त का उत्पाद कर सकता है, पर जो अधिकारी नहीं है उसे सूखी लकड़ी लेकर आग जलानी पड़ती है। चटाई, चमड़े या कपड़े के टुकड़े में एक बालिशत चार अङ्गुल का छेद कर उसे अपने सामने रख लेना चाहिये, जिसमें नीचे का दृष्टि-काष्ठ और ऊपर की धूमशिखा न दिखायी देकर केवल मध्यवर्ती अग्नि की सघन ज्वाला ही दिखायी दे। इसी सघन ज्वाला में निमित्त का ग्रहण करना चाहिये। नील, पीत आदि वर्ण तथा उष्णता आदि लक्षण की प्रत्यवेक्षा नहीं करनी चाहिये। केवल प्रज्ञातिमात्र में चित्त को प्रतिष्ठित कर भावना करनी चाहिये। उक्त प्रकार से भावना करने पर क्रमपूर्वक दोनों निमित्त उत्पन्न होते हैं। उद्ग्रह-निमित्त में अग्निज्वाला खण्ड-खण्ड होकर गिरती हुई ज्ञात होती है। प्रतिभागनिमित्त निश्चल होता है। उक्तरीत्या साधक उपचार-ध्यान का लाभी हो, क्रमपूर्वक ध्यानों का उत्पाद करता है॥

वायोकसिण—साधक को वायु में निमित्त का ग्रहण करना होता है। दृष्टि द्वारा इस निमित्त का ग्रहण होता है। घने पत्तों सहित गत्रा, बाँस या किसी दूसरे वृक्ष के अग्रभाग को वायु से सञ्चालित होते देखकर चलनाकार से निमित्त का ग्रहण कर प्रहारक वायुसङ्घ्रात में स्मृति की प्रतिष्ठा करनी चाहिये या शरीर के किसी प्रदेश में वायु का स्पर्श अनुभव कर सङ्घटनाकार में निमित्त का ग्रहण कर वायुसङ्घ्रात में स्मृति की प्रतिष्ठा करनी चाहिये। उद्ग्रहनिमित्त चल और प्रतिभाग-निमित्त निश्चल और स्थिर होता है। ध्यानोत्पाद की प्रणाली पृथ्वीकसिण की तरह है॥

नीलकसिण—जो अधिकारी है उसे नील पुष्प-संस्तर, नील वस्त्र या नीलमणि देखकर निमित्त का उत्पाद होता है। पर जो अधिकारी नहीं है उसे नीले रङ्ग के फूल लेकर उन्हे टोकरी में फैला देना चाहिये और ऊपर तक फूल की पत्तियों को इस तरह भर देना चाहिये जिसमें केसर या बृन्त न दिखलायी पड़े या टोकरी को नीले कपड़े से इस तरह बाँधना चाहिये जिसमें वह नीलमण्डल की तरह ज्ञात हो, या नील वर्ण के किसी धातु को लेकर चल-मण्डल बनावे या दीवाल पर उसी धातु से कसिणमण्डल बनावे और उसे किसी असदृश वर्ण से परिच्छिन्न कर दे। फिर उस पर भावना करे। शेष-क्रिया पृथ्वी-कसिण के समान है॥

पीतकसिण—पीतवर्ण के पुष्प, वस्त्र या धातु में निमित्त का ग्रहण करना पड़ता है॥

लोहितकसिण—रक्तवर्ण के पुष्प, वस्त्र या धातु में नीलकसिण की तरह, भावना करनी होती है॥

अवदातकसिण—अवदात पुष्प, वस्त्र या धातु में नीलकसिण की तरह भावना करनी होती है॥

आलोककसिण—जो अधिकारी है वह प्राकृतिक आलोक-मण्डल में निमित्त का ग्रहण करता है। सूर्य या चन्द्र का जो आलोक खिड़की या छेद के मार्ग से प्रवेश कर दीवाल या

भूमि पर आलोक-मण्डल बनाता है, या घने वृक्ष की शाखाओं से निकलकर जो आलोक जग्मीन पर आलोक-मण्डल बनाता है, उसमें भावना द्वारा साधक निमित्त का उत्पाद करता है। पर वह अवभास-मण्डल चिरकाल तक नहीं रहता। इसलिये साधारण जन इसके द्वारा निमित्त का उत्पाद करने में असमर्थ भी होते हैं। ऐसे लोगों को घट में दीपक जलाकर घट का मुख छक देना चाहिये, और घट में छेदकर घट को दीवार के सामने रख देना चाहिये। छेद से दीप का जो आलोक निकलता है वह दीवाल पर मण्डल बनाता है।

उद्ग्रह-निमित्त दीवाल या भूमि पर बने आलोकमण्डल की तरह होता है। प्रतिभाग-निमित्त बहल और शुभ्र आलोकपुजा की तरह होता है। उसी आलोकमण्डल में भावना करनी चाहिये।

परिच्छन्नाकाश-कसिण—जो अधिकारी है वह किसी छिद्र में निमित्त का उत्पाद कर सेता है। सामान्य साधक सुच्छन्न मण्डल में या चमड़े की छाटाई में एक बालिश चार अमूल का छेद बनाकर उसी छेद में भावना द्वारा निमित्त का ग्रहण करता है। उद्ग्रह-निमित्त दीवाल के कोनों के साथ छेद की तरह होता है। उसकी वृद्धि नहीं होती। प्रतिभाग-निमित्त आकाश-मण्डल की तरह उपस्थित होता है। उसकी वृद्धि हो सकती है॥

६. अशुभकर्मस्थाननिर्देश

कर्मस्थानों का संक्षिप्त विवरण ठपर दे दिया गया है। उद्ग्रहमातक आदि इन दस कर्मस्थानों का ग्रहण साधक को आचार्य के पास ही करना चाहिये।

कर्मस्थान सभाग है या विसभाग—इसकी परीक्षा करनी चाहिये। पुरुष के लिये ली-शरीर विसभाग है और ली के लिये पुरुष-शरीर। इस लिए अशुभ कर्मस्थान अमुक स्थान पर है—ऐसा जानने पर भी उसको ठीक जाँच करके ही उस स्थान पर जाना चाहिये।

ऐसे कर्मस्थान प्रायः इमशान पर ही मिलते हैं, जहाँ वन्य पशु, भूत-प्रेत और चोरों का भय रहता है। सङ्ग-स्थविर को कहकर जाने से योगशब्दर भिसु की पूर्ण व्यवस्था की जा सकती है। साधक को ऐसे कर्मस्थान के पास एकाकी जाना चाहिये। जिस प्रकार क्षत्रिय अभियेक स्थान पर, या यजमान यज्ञस्थला पर, या निर्धन निधि-स्थान की ओर सौमनस्थिति से जाता है उसी प्रकार साधक को उपस्थित स्मृति से, संवृत-इन्द्रियों से, एकाग्र चित्त से अशुभ कर्मस्थान के पास जाना चाहिये। वहाँ जाकर अशुभ-निमित्त को सहज भाव से देखना चाहिये।

साधक को वर्ण, लिङ्ग, संस्थान, दिशा, अवकाश, परिच्छेद, सन्ति, विवर आदि निमित्तों को सुगृहीत करना चाहिये। उस को अशुभ-ध्यान के गुणों का दर्शन करके अशुभ-कर्मस्थान को अमूल्य रूप के समान देखकर चित्त को उस आलम्बन पर एकाग्र करना चाहिये और सोचना चाहिये—“मैं इस प्रतिपद्दे के कारण जरा-मरण से मुक्त होऊँ”।

चित्त की एकमग्राता के साथ ही वह कर्मों से विविक्त होता है, अकुशलधर्मों से विविक्त होता है, और विदेशी प्रीति के साथ प्रथमध्यान को प्राप्त करता है। इस कर्मस्थान में प्रथमध्यान से आगे बढ़ा नहीं जाता; क्योंकि यह आलम्बन दुर्बल होने से वितर्क के विना चित्त उसमें स्थिर नहीं रहता। इसी कारण, प्रथम ध्यान के बाद इसी आलम्बन को लेकर द्वितीय ध्यान असम्भव है॥

(स्वामी द्वारिकादासशास्त्री)

उद्घटगन्थानं संकेतविवरणं

- अं०—१ अङ्गुत्तरनिकायो, पठमो भागो, नालन्दा।
 अं०—२ अङ्गुत्तरनिकायो, दुतियो भागो, नालन्दा।
 अं०—३ अङ्गुत्तरनिकायो, तृतीयो भागो, नालन्दा।
 अं०—४ अङ्गुत्तरनिकायो, चतुर्थो भागो, नालन्दा।
 अभि०— अधिधम्पिटकं।
 अभि०—१ अधिधम्पिटके धम्मसङ्गणिपालि, नालन्दा।
 अभि०—२ अधिधम्पिटके विभङ्गपालि, नालन्दा।
 अभि०—७:१ अधिधम्पिटके पट्टानपालि, पठमो भागो, नालन्दा।
 अभि० टु०—१ धम्मसङ्गणिटुकथा। (अट्टसालिनी) पूना।
 खु०—१ खुद्वकनिकाये पठमो भागो, खुद्वकपाठ-धम्मपद-सुत्तनिपात-पालि।
 खु०—४:१ खुद्वकनिकाये चतुर्थभागे पठभो खन्थो, महानिहेसपालि, नालन्दा।
 खु०—४:२ खुद्वकनिकाये चतुर्थभागे दुतियो खन्थो, चूल्हनिहेसपालि, नालन्दा।
 खु०—५ खुद्वकनिकाये पञ्चमो भागो, पटिसम्बिदामगगपालि, नालन्दा।
 दी०—१ दीघनिकायपालि, पठमो भागो, सीलक्खन्यवग्गो, बौद्धभारती।
 दी०—२ दीघनिकायपालि, दुतियो भागो, 'महावग्गो, बौद्धभारती।
 दी०—३ दीघनिकायपालि, तृतीयो भागो, पाथिकवग्गो, बौद्धभारती।
ऐ०.... ऐव्यालं।
 म०—१ मञ्ज्ञिमनिकायपालि, पठमो भागो (मूलपण्णासकं), बौद्धभारती।
 म०—२ मञ्ज्ञिमनिकायपालि, दुतियो भागो (मञ्ज्ञिमपण्णासकं), बौद्धभारती।
 मञ्ज्ञिमनिकायपालि, तृतीयो भागो (उपरिपण्णासकं), बौद्धभारती।
 मिलिन्दपञ्चो, बौद्धभारती, वाराणसी।
 विं०—१ विनयपिटके पाराजिकपालि, नालन्दा।
 विं०—२ विनयपिटके पाचित्तियपालि, नालन्दा।
 विं०—३ विनयपिटके भग्नवग्गपालि, नालन्दा।
 विं०—४ विनयपिटके चुल्लवग्गपालि, नालन्दा।
 विसुद्धिमग्नो। (इदमेव संखरणं)।
 संयुत्तनिकायपालि, पठमो भागो (सगाथवग्गो) नालन्दा।
 संयुत्तनिकायपालि, दुतियो भागो (निदानवग्गो खन्थवग्गो च), नालन्दा।
 संयुत्तनिकायपालि, तृतीयो भागो (सल्लायतनवग्गो) नालन्दा।
 संयुत्तनिकायपालि, चतुर्थो भागो (महावग्गो), नालन्दा।
 सीहल्लपोत्थके।



पिट्ठुङ्गनिदेससहितो
विसुद्धिमग्नांड-

विसयवत्थुक्तमो

१. सीलनिदेसो

- निदानादिकथा
- सीलसरूपादिकथा
- (क) सीलसरूपं
- (ख) केन्द्रेन सीलं
- (ग) सीलस्स लक्खणादीनि
- (घ) सीलनिसंसं
- सीलप्पभेदो
- सीलेक्क-दुकानि
- सीलचिकानि
- सीलचतुक्तानि
- (क) पातिमोक्षसंवरसीलं
- (ख) इन्द्रियसंवरसीलं
- (ग) आजीवपारिसुद्धिसीलं
- (घ) पच्चयसत्रिस्तिसीलं
- चतुपारिसुद्धिसम्पादनविधि कथा
- १. पातिमोक्षसंवरसुद्धि०
- २. इन्द्रियसंवरसुद्धि०
- ३. आजीवपारिसुद्धि०
- ४. पच्चयसत्रिस्तिसील०

यठ्यसीलपञ्चकं

- १. परियन्तपारिसुद्धिसीलं
- २. अपरियन्तपारिसुद्धिसीलं
- ३. परिपुण्णपारिसुद्धिसीलं
- ४. अपरामद्वपारिसुद्धिसीलं
- ५. पटिप्पस्सद्धिपारिसुद्धिसीलं
- द्वितीयसीलपञ्चकं
(पहानसीलादिवसेन)
- सीलस्स सङ्क्लेशो
- सीलस्य वोदानं

३-८२ २. धूतङ्गनिदेसो

- | | ८३-११६ |
|-----------------------------------|--------|
| ३ तेरस धूतङ्गानि | ८३ |
| ११ तेरसं अरथादितो विनिच्छयो | ८३ |
| ११ १. पंसुकूलिकङ्गकथा | ८७ |
| १२ २. तेचीवरिकङ्गकथा | ९१ |
| १३ ३. पिण्डपातिकङ्गकथा | ९२ |
| १४ ४. सपदानवारिकङ्गकथा | ९५ |
| १५ ५. एकासनिकङ्गकथा | ९६ |
| १६ ६. खलुपच्छाभरिकङ्गकथा | ९७ |
| २१ ७. खलुपच्छाभरिकङ्गकथा | ९९ |
| २३ ८. आरञ्जिकङ्गकथा | १०० |
| २५ ९. रुक्खमूलिकङ्गकथा | १०३ |
| ३० १०. अब्धोकासिकङ्गकथा | १०५ |
| ३४ ११. सोसानिकङ्गकथा | १०७ |
| ४५ १२. चारासन्धितिकङ्गकथा | १०९ |
| ५२ १३. नेसञ्जिकङ्गकथा | ११० |
| ५२ ४१. शुद्धपक्षिणककथा | १११ |
| ५३ ५३. शुसलतिकतो | १११ |
| ५८ ५८. शुतादीनं विभागतो | ११२ |
| ६१ ६१. समासन्धासतो | ११४ |
| ६५ ३. कम्पट्टानगगहणनिदेसो ११७-१६३ | ११७ |
| ६५ ६५. समाधिकथा | ११७ |
| ६६ ६६. समाधिसरूपं | ११७ |
| ६७ ६७. केन्द्रेन समाधि ? | ११८ |
| ६८ ६८. समाधिस्स लक्खणादीनि | ११८ |
| ७० ७०. समाधिभेदा | ११८ |
| ७० ७०. समाधि-एकक-दुकानि | ११९ |
| ७२ ७२. समाधितिकानि | १२० |
| ७४ ७४. समाधिचतुक्तानि | १२० |
| | १२४ |

यिसुल्लिमग्ग

दसपलिबोधकथा	१२५	ततियज्ञानकथा	२१७
कम्मट्टुनदायककथा	१३५	चतुर्थज्ञानकथा	२२५
चरियाकथा	१४१	पञ्चकज्ञानकथा	२३०
चरियानिदानं	१४२	५. सेसकसिणनिहेसो	२३२-२४२
चत्तालीसकम्मट्टुनकथा	१५३	आपोकसिणकथा	२३२
४. पथश्वीकसिणनिहेसो १६४-२३१		तेजोकसिणकथा	२३३
अनन्तरूपविहारो	१६४	वायोकसिणकथा	२३४
अनुरूपविहारो	१६९	नीलकसिणकथा	२३५
खुहकपलिबोधा	१७०	पीतकसिणकथा	२३६
भावनाविधिकथा	१७०	लोहितकसिणकथा	२३६
सत्तसप्तायसेवनकथा	१७६	ओदातकसिणकथा	२३७
दसविधं अप्पनाकोसालं	१७७	आलोककसिणकथा	२३७
निमित्ताभिमुखपटिपादनं	१८८	परिच्छिशाकासकसिणकथा	२३८
पठमज्ञानकथा	१९०	पकिण्णककथा	२३९
पञ्चज्ञविष्यहीनादीनमत्त्वो	२०१	६. असुधकम्मट्टुनिहेसो २४३-२६८	
तिविधकल्याणं	२०३	उद्धमातकादिपदत्यानि	२४३
चिरट्टिसम्पादनं	२०६	उद्धमातकभावनाविधानं	२४३
निमित्तवङ्गनयो	२०९	विनिच्छयकथा	२५३
पञ्चवसीकथा	२११	विनीलकादिभावनाविधानं	२५९
दुतियज्ञानकथा	२१२	पकिण्णककथा	२६३



विसुद्धिमण्ड

(प्रथम से षष्ठ परिच्छेद तक)

[हिन्दी रूपान्तरसहित]

तरन्तो दृश्यन्ते बहव इह गम्भीरसरसि
स्वसाराभ्यामाभ्यां हृदि विदधतः कौतुकशतम् ।
प्रविश्यान्तर्लीनं किमपि सुविवेच्योद्धरति य-
श्चिरं रुद्धशासः स खलु पुनरेतेषु विरलः ॥

ॐ नमो तत्स्व भगवतो अरहतो सम्पादसमुद्धस्स ॥

विसुद्धिमण्गे

सीलनिहेसो

पठमो परिच्छेदो

निदानादिकथा

१. “सीले पतिद्वाय नरो सपञ्जो, चित्तं पञ्जं च भावयं।

आतापी निपको भिक्खु, सो इमं विजट्ये जटं”॥ (सं० १-१४)

इति हीदं वुत्तं । कस्या पनेतं वुत्तं ? भगवन्तं किर सावत्थियं विहरन्तं रत्तिभागे अञ्जतरो देवपुत्रो उपसङ्कमित्वा अत्तनो संसयसमुग्घातत्थं—

“अन्तो जटा बहि जटा जटाय जटिता पजा।

तं तं, गोतम पुच्छमि, को इमं विजट्ये जटं”॥ (सं० १-१४) ति ॥ इमं पञ्जं पुच्छि ।

२. तस्मायं संझेपत्थो—जटा ति । तण्हाय जालिनिया एतं अधिवचनं । सा हि रूपादीसु आरम्भणेसु हेट्टपरियवसेन पुनप्युनं उप्यजनतो संसिष्वनट्टेन वेलुगुम्बादीनं

ॐ उन भगवान् अर्हत् सम्पादसमुद्ध को प्रणाम ॥

विशुद्धिमार्ग

शीलनिर्देश

(प्रथम परिच्छेद)

ग्रन्थ—रचना का कारण व प्रयोजन

१. “जो बुद्धिमान् (विदेकी) पुरुच शील (सदाचार) को आधार बनाकर समाधि (=शित्तनिरोध) एवं प्रज्ञा (=विपश्यना) की भावना करता हुआ निरन्तर उद्योगरत एवं क्रियाशील रहता है, स्वहितादित्-विन्तन में कुशल (=निपक) है एवं मिक्षुभाव (प्रदद्यता) ग्रहण कर चुका है, वही इस जट (ब्रह्म-तृष्णाजाल) को छिप्र मित्र कर सकता है।”

(भगवान् ने) ऐसा कहा है—परन्तु यह (कहाँ, किस प्रसङ्ग में) किस कारण (प्रयोजन) कहा है?

रात्रि के मध्य प्रहर में किसी देवपुत्र (देवता) ने, श्रावस्ती में साधनाहेतु विराजमान भगवान् बुद्ध के पास आकर, अपने सशय (=विमति, सन्देह) के समुद्घात (निराकरण) हेतु यह प्रश्न किया—

“अन्दर भी जटा (जआल) है, बाहर भी जटा है, यों यह समग्र प्रजा (प्राणिसमूह) जटाओं (जआलों) से जकड़ी हुई है। भी गोतम! (मैं) आपसे इस विषय में यह पूछना (जानना) जाहता हूँ कि कौन इस जटा को विशुद्धिलित (छिप्र-मित्र) करने में समर्थ है?”

२. उस प्रश्न का संक्षिप्त अर्थ यह है—यहाँ, इस गाथा में, जटा शब्द का प्रयोग (१०८ शेद-समूह होने से) ‘जाल (समूह) वाली तृष्णा’ के लिये किया गया है। वह तृष्णा रूप आदि आलम्बनों में

साखाजालसङ्घाता जटा विया ति जटा । सा पनेसा सकपरिकखारपरपरिकखारेसु सकअत्तभाव-परअत्तभावेसु अज्ञातिकायतन-बाहिसयतनेसु च उपज्जनतो अन्तो जटा बहि जटा ति बुच्छति । ताय एव उपज्जमानाय जटाय जटिता पजा । यथा नाम वेळुगुम्बजटादीहि वेळुआदयो, एवं ताय तण्हाजटाय सञ्चा पि अर्यं सत्तनिकायसङ्घाता पजा जटिता=विनद्वा, संसिष्विता ति अत्थो । यस्मा च एवं जटिता । तं तं गोतमं पुच्छामी ती तस्मा तं पुच्छामि । 'गोतमा' ति भगवन्तं गोतेन आलपति । को इमं विजटये जटं ति । इमं एवं तेधातुकं जटेत्वा तितं जटं को विजटेय्य, विजटेतुं को समत्थो ? ति पुच्छति ।

३. एवम्पुढो पनस्स सञ्चधम्येसु अप्पितिहतजाणचारो देवदेवो, सकानं अतिसको, ब्रह्मानं अतिब्रह्मा, चतुवेसारज्जविसारदो दसबलधरो अनावरणजाणो समन्तचक्खु भगवा तमत्थं विस्सज्जेन्तो—

"सीले पतिद्वाय नरो सपञ्जो चित्तं पञ्चं च भावयं ।
आतापी निपको भिक्खु सो इमं विजटये जटं" ॥

(सं० १-१४) ति इमं गाथमाह ।

४.

इमिस्सा दानि गाथाय, कथिताय महेसिना ।

वण्णयन्तो यथाभूतं, अत्थं सीलादिभेदनं ॥

सुदुलभं लभित्वान, पञ्चज्जं जिनसासने ।

नीचे-ऊपर होती हुई बार बार उत्पन्न होने से, वस्त्र आदि के कई भागों को जोड़ने वाली सिलाई (संसीदन) की तरह, या वेणु-(बाँस) समूह की एक दूसरे से लिपटी शाखाओं के जाल की तरह होती है । अतः इसे 'जालिनी' कहा गया है । फिर इस तृष्णा के स्व और पर की आवश्यकता पूर्ति हेतु स्वयं अपने या दूसरों के शरीर के लिये आन्तरिक कक्षु आदि एवं बाह्य रूप आदि छह छह आयतनों में उत्पन्न होने से अन्तो जटा बहि जटा कहा गया है । फिर उसी उत्पन्न होती हुई तृष्णा के अभिप्राय से जटाय जटिता पजा कहा गया है । जैसे वेणुगुल्म (बाँस की झाडियों) के परस्पर गुंथे होने से वे वेणु आदि परस्पर गुंथे रहते हैं, उसी तरह यह समग्र प्रजा (सत्त्व, प्राणी) उस तृष्णा से सर्वथा गूँथ दी गयी है, सिल दी गयी है, जुड़ी हुई सी दिखायी देती है; क्योंकि यह समग्र प्राणिसमूह उस तृष्णा से जकड़ा हुआ है, इसीलिये, अपने भन में यह अभिप्राय लेकर, भी गोतम! मैं आपसे जानना चाहता हूँ—तं तं गोतम पुच्छामि । यहाँ वह देवपुत्र भगवान् को उनके 'गोतम'—इस गोत्र-नाम से सम्बोधन कर रहा है । को इमं विजटये जटं । 'तीनों (१. काम, २. रूप एवं ३. अरुप) धातुओं (कायों) को जकड़े हुई इस तृष्णा को कौन छिन्न-भिन्न करे? उसे विशृङ्खलित करने में कौन समर्थ हो?—वह देवपुत्र भगवान् से यह जिज्ञासा कर रहा है ।

३. देवपुत्र द्वारा यों जिज्ञासा प्रकट किये जाने पर, समग्र धर्मों में अप्रतिहत (निर्बाध) ज्ञान का आश्रय लेने वाले, श्रेष्ठ इन्द्र (देवराज), सर्वात्म ब्रह्मा, चार वैशारद्यों की साधना में निषुण, दश बलों के धारक, अनावृत ज्ञान (अनावरणज्ञान एवं सर्वज्ञताज्ञान) से सम्पन्न, चारों ओर सावधान दृष्टि रखने वाले भगवान् बुद्ध ने उस (देवपुत्र) की जिज्ञासा शान्त करने के लिये—

'सीले पतिद्वायसो इमं विजटये जटं' यह गाथा कही है ।

४. अष्ट मैं (बुद्धधीष) महर्षि (भगवान् बुद्ध) द्वारा कही गयी इस गाथा (पदा) का विस्तृत व्याख्यान करते हुए (इस गाथा में आये) 'शील' आदि शब्दों का विशेष एवं वास्तविक (=यथाभूत, सत्य) अर्थ बतलाऊँगा ॥

सीलादिसङ्गहं खेमं, उजुं मगं विसुद्धिया ॥
 यथाभूतं अजानन्ता, सुद्धिकामा पि ये इध ।
 विसुद्धिं नाधिगच्छन्ति, वायमन्ता पि योगिनो ॥
 तेसं पामोज्जकरणं, सुविसुद्धिविनिच्छयं ।
 महाविहारवासीनं, देसनानयनिस्तिं ॥
 विसुद्धिमगं भासिस्तं, तं मे सकच्च भासतो ।
 विसुद्धिकामा सब्बे पि, निसामयथ साधवो त्ति ॥

५. तत्थ विसुद्धी ति सब्बमलविरहितं अच्चन्तपरिसुद्धं निब्बानं वेदितब्बं । तस्सा विसुद्धिया मगो ति विसुद्धिमगो । मगो ति अधिगमूपायो वुच्चति । तं विसुद्धिमगं भासिस्तामी ति अत्थो ।

६. सो पनायं विसुद्धिमगो कर्त्थचि विपस्सनाभृत्वसेनेव देसितो । यथाह—
 “सब्बे सङ्कुरा अनिच्चा ति, यदा पञ्जाय पस्सति ।

अथ निब्बन्धति दुक्षे, एस मगो विसुद्धिया ॥” (खु० १-४३) ति ॥
 कर्त्थचि झानपञ्चावसेन । यथाह—

“यम्हि झानं च पञ्जा च, स वे निब्बानसन्तिके” (खु० १-५२) ति ।

(कथोकि) भगवान् बुद्ध (=जिन) द्वारा अनुशिष्ट (उपदिष्ट) धर्म में साधारण भानवों के लिये अत्यन्त दुर्लभ प्रदर्ज्या (=मिक्षुभाव) ग्रहण करके भी कल्याणकारी (क्षेमद्वार) शील आदि (१. शील, २. समाधि एवं ३. प्रज्ञा—इस स्कन्धत्रय) का स्वचित्त में संग्रह (धारण) करना ही चित्त को विशुद्ध, निर्विकार, निर्मल या निर्वाण एवं अहंत्व प्राप्त करने के लिये सरल (ऋजु) मार्ग (उपाय) है ॥

यहाँ लोक में यह देखा जाता है कि समग्र सांसारिक कलेशों व उक्त तृष्णाजाल से विमुक्तिहेतु चित्तविशुद्धि चाहने वाला कोई कोई योगावचर भिक्षु, प्रयास करने पर भी, उक्त शील आदि के विषय में यथातथ (वास्तविक) ज्ञान न होने के कारण, स्वचित्तविशुद्धि, जो कि निर्वाणप्राप्ति का प्रमुख साधन है, नहीं कर पाते ॥

उन वैसे योगावचर भिक्षुओं के प्रमोद (अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति से होने वाले हर्ष) के लिये मैं चित्तविशुद्धि के उपायभूत एवं (श्रीलङ्कास्थित) भावाविहार में साधनारत स्थविर भिक्षुओं द्वारा उपदिष्ट विधि से कथित यह ‘विसुद्धिमग’ (ग्रन्थ) कहूँगा । मेरे द्वारा कथित इस ग्रन्थ को वे सभी योगभार्गरूढ़ साधु (भिक्षु) जन-श्रद्धा एवं सम्मान पूर्वक सुनें ॥

विसुद्धिमार्ग का अर्थ—५. यहाँ, इस ‘विसुद्धिमग’ ग्रन्थ के नाम में विसुद्धि शब्द सभी प्रकार के मलों (चित्तविकारों) से रहित अतएव अत्यन्त परिशुद्ध निर्वाण के अर्थ में जानना चाहिये । उस विशुद्धि का भार्ग—प्राप्ति का उपाय ही इस ग्रन्थ में वर्णित है, अतः इसे भी विशुद्धिमार्ग (विसुद्धिमग) कहा गया है । मैं उस ‘विसुद्धिमग’ को निरूपण (रचना) करूँगा— यह इस गाथा का संक्षिप्त अर्थ हुआ ।

६. वह यह विसुद्धिमग (शब्द) बुद्धवचनों में—

(क) कहीं केवल ‘विपश्यना’ (प्रज्ञा) मात्र अर्थ में प्रयुक्त हुआ है; जैसे—

“सभी संस्कार अनित्य हैं—यह बात जब प्रज्ञा द्वारा (भिक्षु) समझे लेता है, तब उसे दुःख ‘दुःखभूत संस्कारों’ में निर्वद (रत्नानि, वैराग्य) होने लगता है—यही चित्त-विशुद्धि का उपाय है ।”

(ख) कहीं यह शब्द ‘ध्यान’ व ‘प्रज्ञा’ दोनों अर्थों में कहा गया है; जैसे—

कत्थचि कम्मादिवसेन । यथाह—

“कम्मं विजा च धम्मो च, सीलं जीवितमुत्तमं ।

एतेन मच्चा सुज्ञन्ति, न गोत्रेन धनेन वा” (म० नि० ३-३५०) ति ॥

कत्थचि सीलादिवसेन । यथाह—

“सब्दा सीलसम्पन्नो, पञ्जवा सुसमाहितो ।

आरद्धविरियो पहिततो, ओर्धं तरति दुर्तरं” (सं० नि० १-५१) ति ॥

कत्थचि सतिपट्टानादिवसेन । यथाह—

“एकायनो अर्थं, भिक्खवे, मण्णो सत्तानं विशुद्धियां पै० निष्वानस्स सञ्चितकिरियाय, यदिदं चत्तारो सतिपट्टाना” (दी० नि० २-२१७) ति ।

सम्पर्धानादीसु पि एसेव नयो । इमस्मि पन पञ्चाव्याकरणे सीलादिवसेन देसितो ।

७. तत्रायं सहृदेपवण्णना—सीले पतिपट्टाया ति सीले उत्त्वा । परिपूरयमानोयेव चेत्य सीले ठितो ति बुच्चति, तस्मा सीलपरिपूरणे न सीले पतिपट्टहित्वा ति अयमेत्यं अत्थो । नरो ति सत्तो । सप्तज्ञो ति । कम्मजतिहेतुकपटिसन्धिपञ्जाय पञ्जवा । चित्तं पञ्जं च भावयं ति । समाधिं चेव विपस्सनं च भावयमानो । चित्तसीसेन हेत्यं समाधिं निष्टुद्धो, पञ्जानामेन च विपस्सना ति । आतापी ति । विरिया । विरियं हि किलेसानं आतापनपरितापनद्वेन आतापो ति बुच्चति, तदस्स अत्थो ति आतापी । निष्पक्तो ति नेपक्तं बुच्चति पञ्जा, ताय समग्रागतो ति अत्थो । इमिना पदेन पारिहारिकपञ्जं दस्सेति ।

“जो पुद्गल पादक ध्यान करके प्रज्ञा (विषयना) में औत्सुक्य लाता है, वह निर्वाण के (अत्यन्त) निकट पहुँच जाता है ॥”

(ग) कहीं कहीं यह (विशुद्धिमण्ड) शब्द कर्म आदि के लिये भी प्रयुक्त हुआ है, जैसे—

“कर्म, विद्या, धर्म, शील एवं उत्तम आजीविका—इन की शुद्धि पर ही मानव के चित्त की शुद्धि निर्भर है; अधिक धन या उच्च गोत्र पर नहीं ॥”

(घ) कहीं कहीं शील आदि द्वारा इस विशुद्धि का मार्ग अभिप्रेत है । जैसे—

‘सर्वदा शील से युक्त, प्रज्ञावान्, एकाग्रचित्, उत्साही एवं संयमी पुरुष ही ओघ (बाढ़, प्रवाह) को पर कर पाता है ॥’

(ङ) कहीं स्मृतिप्रस्थान आदि को ही विशुद्धि का मार्ग बताया गया है, जैसे—

“मिश्रओ! प्राणियों की चित्तविशुद्धि का एकमात्र यही मार्ग है...निर्वाण-साक्षात्कार हेतु यही एकमात्र मार्ग है कि कोई हन चारों स्मृतिप्रस्थानों की भावना करे ॥”

(च) इसी प्रकार कहीं कहीं ‘सम्यक्प्रयत्न’ आदि के लिये भी यह शब्द प्रयुक्त हुआ है ।

परन्तु यहाँ इस प्रकरण—ग्रन्थ में शील आदि द्वारा ही विशुद्धि के मार्ग की देशना की गयी है ॥

गाथा के शब्दों का अर्थ— ७. उक्त ‘सीले पतिपट्टाय’ गाथा में आये शब्दों का संक्षिप्त (नातिविस्तृत) वर्णन (व्याख्यान) इस प्रकार है— सीले पतिपट्टाय शील (सदाचार) में स्थित होकर । शील का सम्यक्प्रकार से पालन करने वाला योगावचर ही यहाँ ‘शील में स्थित’ कहा गया है । इसलिये यहाँ ‘शील की परिपूर्णता द्वारा शील में प्रतिहित होकर’—यह अर्थ हुआ । नरो का अर्थ है— सत्त्व (प्राणी) । सप्तज्ञो का अर्थ है—कर्मज (प्रारब्ध कर्मानुभाव से प्राप्त) एवं त्रिहेतुक (अलोभ, अद्वेष, अमोहयुक्त) प्रतिसंदिधि (मातृगर्भ) की प्रज्ञा से सम्पत्र । चित्तं पञ्जं च भावयं का अर्थ है समाधि (चित्त)

इमस्मि हि पञ्चाव्याकरणे तिकखतुं पञ्जा आगता । तथ्य पठमा जातिपञ्जा, दुतिया विपस्सनापञ्जा, ततिया सब्बकिच्चपरिणायिका पारिहारिकपञ्जा ।

संसारे भयं इकखती ति भिक्खु । सो इमं विजटये जटं ति । सो इमिना च सोलेन, इमिना च चित्तसीसेन निहिंसमाधिना, इमाय च तिविधाय पञ्जाय, इमिना च आतापेना ति छहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु । सेव्यथापि नाम पुरिसो पथवियं पतिद्राय सुनिसितं सत्थं उकिखिपित्वा महन्तं वेलुगुम्बं विजटेत्य; एवमेव सील पथवियं पतिद्राय समाधिसिलायं सुनिसितं विपस्सनापञ्जासत्थं विरियबलपग्गहितेन पारिहारिकपञ्जाहत्थेन उकिखिपित्वा सब्बं पि तं अतनो सन्ताने पतितं तण्हाजटं विजटेत्य-सञ्ज्ञदेत्य, सम्पदालेत्य । मागवक्षणे पनेस तं जटं विजटेति नाम । फलवक्षणे विजटितजटो सदेवकस्स लोकस्स अगगदक्षिणेत्यो होति ।

तेनाह भगवा—

“सीले पतिद्राय नरो सपञ्जो, चित्तं पञ्जं च भावयं ।

आतापी निपको भिक्खु, सो इमं विजटये जटं” ॥ ति ।

एवं प्रज्ञा (विपश्यना) की भावना (साधना) करता हुआ । आतापी=वीर्यवान् । वीर्य=क्लेशों को तपाना, दुलसाना, अर्थात् आताप । वह आताप जिसको भी हो वह हुआ आतापी । निपको ‘नेपक’ कहते हैं प्रज्ञा को । यहाँ इस ‘नेपक’ पद से पारिहारिक प्रज्ञा का (ऐसी प्रज्ञा जिसके द्वारा स्व-परहिताहित-चिन्तन में कौशल प्राप्त किया जा सके) ग्रहण है । उस नेपक से सम्पन्न योगावचर को ‘निपक’ कहते हैं ।

इस गाथा में ‘प्रज्ञा’ शब्द तीन बार आया है । बुद्धसम्मत त्रिविध प्रज्ञाओं में से कर्मज एवं त्रिहेतुक प्रतिसंनिधि प्रज्ञा का ग्रहण पीछे ‘सपञ्जो’ पद से किया जा चुका, इस ‘निपक’ शब्द से पारिहारिक (कर्मस्थान को परिपूर्ण करने में लगी) प्रज्ञा का ग्रहण है । इस बात को और अधिक स्पष्टतया समझने के लिये यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्रश्न की व्याकरण(व्याख्यान)भूत गाथा में ‘प्रज्ञा’ शब्द का प्रयोग तीन बार हुआ है, उनमें पहली कर्मज प्रज्ञा ‘जाति प्रज्ञा’ (प्रारब्धवश जन्मजात) कहलाती है, दूसरी ‘विपश्यना-प्रज्ञा’ कहलाती है, (इसे पीछे ‘त्रिहेतुकप्रतिसंनिधि प्रज्ञा’ भी कहा गया है) और तीसरी ‘पारिहारिक (उठने, बैठने आदि सब कर्मों को सम्भव बनाने वाली) प्रज्ञा’ कहलाती है ।

संसार में भयं देखने वाले को भिक्खु कहते हैं । सो इमं विजटये जटं । वह (मिशु) इस उपर्युक्त १. शील, २. विसं द्वारा निर्दिष्ट समाधि एवं उपर्युक्त त्रिविध ३-४-५ प्रज्ञाओं एवं ६. वीर्य (उद्योग)—इन छह धर्मों से युक्त होकर—जिस प्रकार कोई पुरुष पृथ्वी पर खड़ा होकर तेज धार गाला (निशित, तीक्ष्ण) शस्त्र हाथ में लेकर बांसों के विशाल शुरुमुट (=वेणुगुल्म, बैंसवारी) को काट डाले, उसी प्रकार मिशु शीलसूपी पृथ्वी पर खड़ा हो, समाधिरूपी शिला (पत्थर) पर धिसकर तीखे किये गये विपश्यना एवं प्रज्ञा शस्त्र को वीर्य रूपी बल से पकड़े हुए, पारिहारिक प्रज्ञा रूपी हाथ से उठाकर अपनी मनस्न्तति के प्रदाह में विद्यमान समग्र तृष्णाजाल को विशुद्धिलित, छिन्न मिन्न (दुकड़े-दुकड़े) एवं नष्ट कर दे । वह मिशु मार्ग-क्षण में इस जटा को काटता है और फल-क्षण में, उक्त तृष्णाजाल से मुक्त होने के कारण, देवलोकसहित समग्र लोकों में सर्वग्रथम लाल सत्कार रसोक (यश) एवं दान पाने योग्य हो जाता है ।

इसी अभिप्राय से भगवान् ने कहा है—‘सीले पतिद्राय...विजटये जटं’ ।

८. तत्रायं याय पञ्जाय सपञ्जो ति वुतो, तत्रास्स करणीयं नतिथ । पुरिमकम्मानु-भावेनेव हिस्स सा सिद्धा । आतापी निष्पक्तो ति । एत्थं वुत्तविरियवसेन पन तेन सातच्चकारिना पञ्जावसेन च सम्पज्जानकारिना हुत्वा सीले पतिद्वाय चित्तपञ्जावसेन वुत्ता समथविपस्सना भावेतञ्चा ति इममत्र भगवा सीलसमाधिपञ्जामुखेन विशुद्धिमण्ड दस्सेति ॥

९. एतावता हि तिस्सो सिक्खा, तिविधकल्याणं सासनं, तेविज्जतादीनं उपनिस्सयो, अन्तद्वयवज्जनमज्जिमपटिपत्तिसेवनानि, अपायादिसमतिकमनुपायो, तीहाकरेहि किलेसप्पहानं, चीतिकमादीनं पटिपक्खो, सङ्क्लेसत्यविसोधनं, सोतापनादिभावस्स च कारणं पकासितं होति ।

१०. कथं? एत्थं हि सीलेन अधिसीलसिक्खा पकासिता होति, समाधिना अधिचित्त-सिक्खा, पञ्जाय अधिपञ्जासिक्खा ।

सीलेन च सासनस्स आदिकल्याणता पकासिता होति । “को चादि कुसलानं धम्मानं सीलं च सुविशुद्धं” (सं०४-१२३) ति हि वचनतो, “सब्बपापस्स अकरणं” (खु० १-३५) ति आदिवचनतो च सीलं सासनस्स आदि, तं च कल्याणं, अविष्टिसारादिगुणावहता ।

समाधिना भज्जेकल्याणता पकासिता होति । “कुसलस्स उपसम्पदा” (खु० १-

८. यहाँ इस गाथा में जिस प्रज्ञा द्वारा योगावधर को ‘सपञ्जो’ कहा है, वहाँ योगावधर विशुद्ध को, उक्त प्रज्ञा-प्राप्तिनिषित कोई पृथक् प्रयत्न नहीं करना पड़ता; क्योंकि वह कर्मज प्रज्ञा तो उसे पूर्वकृत कर्मी के प्रभाव से जन्मतः ही प्राप्त रहती है । (जिसे हम लोकव्यवहार में ‘प्रतिभा’ कहते हैं ।) आतापी निष्पक्तो (इन शब्दों का भाव यह है कि) इस गाथा में उक्त आताप और वीर्य के बल से सतत परिश्रमी बने रहकर प्रज्ञा के बल से निरन्तर सावधान (सम्प्रज्ञानयुक्त) बने रहकर, शील में प्रतिष्ठित हो, ‘वित्त’ एवं ‘प्रज्ञा’ के नाम से वर्णित शमथ एवं विपश्यना की भावना करनी चाहिये । यों, यहाँ इस गाथा में भगवान् ने शील-समाधि-प्रज्ञा के भाव्यम से ही विशुद्धिमण्ड-प्राप्ति का संकेत किया है ।

९. इतने व्याख्यान से— १. तीन शिक्षा (शील-समाधि-प्रज्ञा), २. त्रिविध कल्याणकर धर्म (बुद्ध-शासन), ३. त्रैविद्य आदि का ग्रनुख कारण (=उपनिषद्य), ४. दोनों अन्तों (किनारों, कोठियों) का त्याग एवं भूध्यमा प्रतिपदा (मार्ग) का अनुपालन, ५. अपाय आदि के अतिकरण को रोकने का उपाय, ६. तीन प्रकार से लक्षणों का प्रहाण, ७. शिक्षापदों के उलझन आदि का प्रतिपक्ष (विरोध), ८. तीन संकलेशों का विशेषण एवं ९. श्रोतापन्न आदि (मार्ग-फल) की प्राप्ति का साधन प्रकाशित होता है ।

१०. वह कैसे?

तीन शिक्षाएँ— यहाँ ‘शील’ शब्द से शील पर आधृत (अधिशील) शिक्षा, ‘समाधि’ शब्द से शित पर आधृत (अधिशित) शिक्षा, एवं ‘प्रज्ञा’ शब्द से प्रज्ञा पर आधृत (अधिप्रज्ञ) शिक्षा का तात्पर्य समझना चाहिये ।

त्रिविध बुद्धानुशासन— ‘शील’ से बुद्धशासन की आदिकल्याणता (कुशल धर्मों का प्रारम्भ में कल्याणकर होना) प्रदर्शित होती है । ‘कुशल धर्मों का आरम्भ क्या है? सुविशुद्ध शील ही इनका आरम्भ है’, ‘सभी पापों का न करना’ आदि वचनों से शील बुद्धशासन का ‘आदि’ है और वह भी स्वकृत कर्मी का स्मरण कर उनके प्रति पक्षाताप न होना आदि गुणों का चत्पादक होने से ‘कल्याणकर’ है ।

‘समाधि’ से इस शासन की ‘भज्जेकल्याणता’ (भज्य में कल्याणकरता) घोलित होती है ।

३५) ति आदिवचनतो हि समाधि सासनस्स मञ्जे, सो च कल्याणो, इद्विविधादिगुणावहता।

पञ्चाय सासनस्स परियोसानकल्याणता पकासिता होति। “सचित्परियोदपनं, एतं बुद्धान् सासनं” (खु० १-३५) ति हि वचनतो, पञ्चुतरतो च पञ्चा सासनस्स परियोसानं, सा च कल्याणं, इद्वानिद्वेषु तादिभावावहनतो।

“सेलो यथा एकघनो वातेन न समीरति।

एवं निन्दापासंसासु, न समिञ्चन्ति पण्डता”॥(खु० १-२५) ति हि वुत्तं।

११. तथा सीलेन तेविज्जताय उपनिस्सयो पकासितो होति। सीलसम्पत्ति हि निस्साय तिस्सो विज्ञा पापुणाति, न ततो परं। समाधिना छलभिज्जताय उपनिस्सयो पकासितो होति। समाधिसम्पदं हि निस्साय छ अभिज्ञा पापुणाति, न ततो परं। पञ्चाय पटिसम्भिदा-पभेदस्स उपनिस्सयो पकासितो होति। पञ्चासम्पत्ति हि निस्साय चतस्सो पटिसम्भिदा पापुणाति, न अज्जेन कारणेन।

सीलेन च कामसुखलिकानुयोगसङ्घातस्स अन्तस्स वज्जनं पकासितं होति। समाधिना अत्तकिलमधानुयोगसङ्घातस्य। पञ्चाय मञ्ज्ञमाय पटिपत्तिया सेवनं पकासितं होति।

१२. तथा सीलेन अपायसमतिक्कमनुपायो पकासितो होति, समाधिना कामधातुसम-तिक्कमनुपायो, पञ्चाय सब्बभवसमतिक्कमनुपायो।

“कुशल पुण्यप्रद कर्मो का सक्षय करना” आदि बुद्धवचनों के प्रमाण के बल पर ‘समाधि’ की इस धर्म (बुद्धशासन) में मध्येकल्याणता सिद्ध होती है। वह ऋद्धिविधि (द० इसी ग्रन्थ का १२ वाँ परिच्छेद) आदि गुणों की उत्पादक होने के कारण कल्याणकर भी है।

इसी तरह, ‘प्रज्ञा’ से शासन की पर्यवसानकल्याणता (अन्त में कल्याणकरता) सिद्ध होती है। “वित्त को वश में करना—यही बुद्धों की देशना है”—इत्यादि वचनों से और क्योंकि प्रज्ञा की भावना ही इस बुद्धशासन की चरम सीमा है—इसलिये भी, और इस प्रज्ञा से इष्ट अनिष्ट के प्रति समत्व भाव उत्पन्न होने से भी यह प्रज्ञा कल्याणकारी है।

“जैसे शील (प्रस्तरसमूह या पर्वत) वायु से हिलाया—डुलाया नहीं जा सकता, वैसे ही बुद्धिमान् पण्डितजन भी लोक में हो रही अपनी निन्दा-प्रशंसा के कारण विवलित नहीं होते”—(ध० १० ११-२५) ऐसा कहा गया है।

उपनिशद्—११. (क) और शील को तीनों विद्याओं का उपनिश्रय (बलवान् या प्रधान कारण) बताया गया है। (मिक्षु) शील-सम्पत्ति का सहारा लेकर तीनों विद्यार्णं प्राप्त कर सकता है, इससे आगे नहीं। (ख) समाधि को छह अभिज्ञाओं की प्राप्ति का उपनिश्रय (प्रधान कारण) बतलाया गया है। मिक्षु समाधि सम्पत्ति को सहारा लेकर छह अभिज्ञार्णं पा सकता है, इससे आगे नहीं। (ग) और प्रज्ञा को चारों प्रतिसंविदाओं का प्रधान (=उपनिशद्) बताया गया है। (मिक्षु) प्रज्ञा-सम्पत्ति का आश्रय लेकर ही चार प्रतिसंवेदनाएँ पर सकता है, अन्य किसी हेतु (कारण) के आलम्बन से नहीं।

अन्तद्वयवर्जन—‘शील’ से कामसुखों में आनन्द लेने की प्रवृत्ति (कामसुखलिकानुयोग) की तरफ वाले पहले अन्त (कोटि) का परिवर्जन (प्रतिनिषेध) या त्याग द्व्येत्रित किया गया है और ‘समाधि’ से स्वयं को पीड़ित करते रहने की प्रवृत्ति (अत्तकिलमधानुयोग=आलक्लमधानुयोग) की तरफ वाले दूसरे अन्त का।

‘प्रज्ञा’ से मध्यमा प्रतिपदा (बुद्धानुमोदित मध्यम भार्ग) का ग्रहण प्रदर्शित किया गया है।

अपाय-त्यागोपाय—१२. तथा शील द्वारा अपाय (हीन योग्यि= १, नरक, २. प्रेत्य विषय,

सीलेन च तदङ्गप्रहानवसेन किलेसप्पहानं पकासितं होति, समाधिना विक्खम्भ-
नप्पहानवसेन, पञ्जाय समुच्छेदप्रहानवसेन ।

१३. तथा सीर्तेन किलेसानं वीतिक्षमपटिपक्खो पकासितो होति, समाधिना
परियुद्धान-पटिपक्खो, पञ्जाय अनुसयपटिपक्खो ।

सीलेन च दुच्छरितसङ्क्लेसविसोधनं प्रकासितं होति, समाधिना तण्हासङ्क्लेस-
सविसोधनं, पञ्जाय दिहिसङ्क्लेसविसोधनं ।

१४. तथा सीलेन सोतापत्रसकदागामिभावस्स कारणं पकासितं होति, समाधिना
अनागामिभावस्स, पञ्जाय अरहत्तस्स । सोतापत्रो हि “सीलेसु परिपूरकारी” (अं० नि०
१-२१४) ति बुत्तो । तथा सकदागामी । अनागामी पन “समाधिस्मं परिपूरकारी” (अं०
नि० १-२१४) ति । अरहा पन “पञ्जाय परिपूरकारी” (अं० नि० १-२१५) ति ।

१५. एवं एतावता तिस्सो सिक्खा, तिविधकल्पाणं सासनं, तेविज्ञतादीनं उपनिसस्यो,
अन्तद्वयवज्जनभज्ञामपटिपत्तिसेवनानि, अपायादिसमतिक्षमनुपायो, तीहाकारे हि
किलेसप्पहानं, वीतिक्षमादीनं पटिपक्खो, सङ्क्लेसत्तवविसोधनं, सोतापत्रादिभावस्स च
कारणं ति इमे नव, अञ्जे च एवरूपा गुणतिका पकासिता होन्ती ति ॥

३. तिर्यग्योनि, ४. असुरकाय) में जन्म लेने से मुटकारा पा लेने का उपाय कहा गया है । समाधि द्वारा
कामधातु के समतिक्रमण का एवं प्रज्ञा द्वारा सभी भवों (कामभव, रूपभव, अरूपभव) को अतिक्रान्त
कर (लाँघ) जाने का उपाय बताया गया है ।

कलेशप्रहाण— शील से तदङ्ग (कुशल से अकुशल) के प्रहाण के सहारे, कलेश-प्रहाण
प्रदर्शित किया गया है; ‘समाधि’ से विक्षम्भन-प्रहाण (नीवरण आदि का दमन करते हुए उनका शनैः
शनैः प्रहाण) एवं प्रज्ञा से समुच्छेद-प्रहाण (चार आर्यमार्गों की भावना से कलेशों का सर्वथा बाय एवं
पुनरनुत्पाद) प्रदर्शित किया है ।

कलेशप्रहाण— १३. ऐसे ही ‘शील’ से कलेशों का व्यतिक्रमरूप कलेश-प्रतिपक्ष कहा गया
है । ‘समाधि’ से पुनः पुनः उठ स्थड़े होने (पर्युत्थान) वाले कलेशों का प्रतिपक्ष एवं ‘प्रज्ञा’ द्वारा सात
अनुशयों (१. कामराग, २. प्रतिध, ३. निद्यादृष्टि, ४. विविकित्सा, ५. मान, ६. भवराग एवं ७.
अविद्या) का प्रतिपक्ष बताया गया है ।

कलेशविशोधन— एवं ‘शील’ से दुक्षरितरूप संकलेश का प्रहाण, (दुक्षरितसंकलेश का
विशोधन), ‘समाधि’ से तृष्णारूप संकलेश का विशोधन (प्रहाण) एवं ‘प्रज्ञा’ से दृष्टिरूप संकलेश का
प्रहाण घोतित होता है ।

चार आर्यमार्ग— १४. ‘शील’ से चार आर्यमार्गों में से खोतआपत्रत्व एवं सकृदागामित्व का
तथा ‘समाधि’ से अनागामित्व का एवं ‘प्रज्ञा’ से अहत्त्व का कारण घोतित किया गया है । पालि में—
ओतआपत्र पुद्रल शीलों में परिपूर्णता प्राप्त करने वाला कहा गया है । ऐसे ही सकृदागामी भी कहा
गया है; परन्तु अनागामी समाधि में परिपूर्णता करने वाला एवं अहत् प्रज्ञा में परिपूर्णता करने वाला
कहा गया है ।

१५. इस तरह, इतने प्रकरण से—१. तीन शिक्षार्थ, २. त्रिविध (आदि-मध्य-अन्त) कल्पाणकर
सासन, ३. त्रैविद्य का उपनिशद्य, ४. अन्तद्वयर्जनपूर्वक मध्यम मार्ग का अनुपालन, ५. दुर्गतिविनियात
आदि अपाय के समतिक्रमण का उपाय, ६. त्रिविध कलेशों का प्रहाण, ७. व्यतिक्रम आदि का प्रतिपक्ष,

सीलसरूपादिकथा

१६. एवं अनेकगुणसङ्ग्रहकेन सील-समाधि-पञ्चामुखेन देसितो पि पनेस विशुद्धि-मरणो अतिसङ्कुपदेसितो येव होति । तस्मा नालं सब्बेसं उपकाराया ति वित्थारमस्स दस्सेतुं सीलं ताव आरब्ध इदं पञ्चाकम्म होति—

किं सीलं ? केनष्टेन सीलं ? कानस्स लक्खणरसपच्चुपञ्चामपद्धानानि ? किभानिसंसं सीलं ? कतिविधं चेतं सीलं ? को चस्स सङ्कुलेसो ? किं वोदानं ति ?

१७. तत्रिदं विस्पञ्चनं—

(१) सीलसरूपं

किं सीलं ति ? पाणातिपातादीहि वा विरमन्तस्स वत्तपटिपत्तिं वा पूरेन्तस्स चेतनादम्भे धम्मा । तुत्तं हेतं पटिसभिभदाय—“किं सीलं ति ? चेतना सीलं, चेतसिकं सीलं, संवरो सीलं, अवीतिक्षो-सीलं” (ख० ५-४९) ति ।

तत्थ चेतनासीलं नामं पाणातिपातादीहि वा विरमन्तस्स वत्तपटिपत्तिं वा पूरेन्तस्स चेतना ।

चेतसिकं सीलं पाणातिपातादीहि विरमन्तस्स विरति ।

अपि च चेतना सीलं नाम पाणातिपातादीनि पजहन्तस्स सत्त कम्मपथचेतम् ।

८. तीन संकलेशों का विशेषन, ९. त्रोतआपश्चत्व आदि अवस्थाओं का कारण—ये नौ (१) अथवा ऐसे ही अन्य तीन विवेक, तीन कुशलमूल तीन विमोक्षसुख, तीन इन्द्रियां आदि गुणत्रिक द्योतित होते हैं ॥

शील के स्वरूप आदि का वर्णन

१६. इस प्रकार यह विशुद्धिमार्ग अनेक गुणों से युक्त शील, समाधि एवं प्रज्ञा के रूप में उपदिष्ट होने पर भी—अतिसंक्षेप में ही उपदिष्ट हुआ; अतः ‘सब (साधकों) का उपकार करने के लिये पर्याप्त नहीं है’—ऐसा विचार कर इसका विस्तृत वर्णन करने के लिये सर्वग्रथम शील को ही लेकर ये प्रश्न उपरिथित होते हैं—

(१) यह शील क्या है? (२) यह किस अर्थ में शील है? (३) इसके लक्षण, रस (कृत्य), जानने का आकार (प्रत्युपस्थान) एवं आसप्रत्यं कारण (=पदस्थान) क्या है? (४) इस शील के गुण (=आनुशंस्य, माहात्म्य) क्या हैं? (५) यह शील कितने प्रकार का है? (६) इसका संकलेश (मल, विकार) क्या है? (७) और इसकी विशुद्धि (=अवदान) क्या है?

१७. इस (प्रत्युपस्थूल) कृत्य क्रमशः उत्तर यह है—

(१) यह शील क्या है?—जीवहिंसा आदि से विरत रहने वाले या उपाध्याय आदि की सेवा—शुश्रूषा (द्रत्-प्रतिपत्ति) करने वाले के चेतना आदि धर्म ‘शील’ कहलाते हैं। यही वात पटिसभिदामण में भी कही गयी है—“शील क्या है? चेतना शील है, चेतसिक शील है, संवर शील है, अव्यतिक्रम (अनुलङ्घन) शील है।”

(क) वहाँ प्राणातिपात आदि से विरत रहने वाले या द्रत्-प्रतिपत्ति (कर्त्तव्य) पूर्ण करने वाले की चेतना ही ‘चेतनाशील’ (चेतना के रूप में शील) है।

(ख) पुद्धल की उन उन प्राणातिपात आदि अकुशल धर्मों से विरति ‘चेतसिक शील’ (चेतसिक के रूप में शील) कहलाती है।

साथ ही प्राणातिपात आदि से विरत रहने का विचार करने वाले पुद्धल की सात कुशल

चेतसिकं सीलं नाम “अभिज्ञं पहाय विगताभिज्ञेन चेतसा विरहती” (दी० नि० १-३६) ति आदिना नयेन द्रुता अनभिज्ञाव्यापादसम्पादितुधर्मम्।

संवरो सीलं ति एत्थं पञ्चविधेन संवरो वेदितब्बो—१. पातिमोक्खसंवरो, २. सतिसंवरो, ३. जाणसंवरो, ४. खन्तिसंवरो, ५. वीरियसंवरो ति। तत्थ “इमिना पातिमोक्ख-संवरेन उपेतो होति समुपेतो” (अभिं० २-२६१) ति अयं पातिमोक्खसंवरो। “रक्खति चक्खुन्द्रियं, चक्खुन्द्रिये संवरं आपज्जती” ति (दी० १-६२) अयं सतिसंवरो।

‘यानि सोतानि लोकस्मि (अजिता ति भगवा), सति तैसं निवारणं।

सोतानं संवरं ब्रूमि, पञ्चायेते पिधिय्ये’॥ (खु० १-४२४) ति।

अयं जाणसंवरो। पञ्चयपटिसेवनं पि एत्थेव समोधानं गच्छति। यो पनायं “खमो होति सीतस्स उण्हस्सा” ति (म० नि० १-१५) आदिना नयेन आगतो, अयं खन्तिसंवरो नाम। “यो चायं उप्पत्रं कामवितकं नाधिवासेती” (म० नि० १-१६) ति आदिना नयेन आगतो, अयं विरियसंवरो नाम। आजीवपारिसुद्धि पि एत्थेव समोधानं गच्छति। इति अयं पञ्चविधो पि संवरो, या च पापभीरुकानं कुलपुत्तानं सम्पत्तवत्थुतो विरति, सब्बं पेतं संवरसीलं ति वेदितब्बं।

अवीतिक्षमो सीलं ति समादिन्नसीलस्स कथिकवाचसिको अनतिकम्पो।

इदं ताव “किं सीलं” ति पञ्चस्स विस्मज्जनं ॥

(२) केनद्वेन सीलं

१८. अवसेसेसु केनद्वेन सीलं ति? सीलनद्वेन सीलं। किमिदं सीलनं नाम?

कर्मपदों की चेतना, उनके करने का विचार भी ‘चेतनशील’ है। “लोभ (अमिध्या) को त्याग कर लोभरहित वित्त से साधना करता है” आदि प्रकार से कथित लोभराहित्य (अनमिध्या), अहिसा (अव्यापाद) एवं सम्पादृष्टि आदि धर्म ‘चेतसिक शील’ कहलाते हैं।

(ग) संवरशील— संवर (संयम) पाँच प्रकार का होता है। जैसे—१. प्रातिभोक्षसंवर, २. स्मृतिसंवर, ३. ज्ञानसंवर, ४. क्षान्तिसंवर एवं ५. वीर्यसंवर। इनमें “इस प्रातिभोक्ष संवर से युक्त, संयुक्त होता है”। यह ‘प्रातिभोक्ष संवर से युक्त, संयुक्त होना ही’—‘प्रातिभोक्षसंवर’ है। “क्षमुरिन्द्रिय की रक्षा करता है, क्षमुरिन्द्रिय में संवर करता है”— यह ‘स्मृतिसंवर’ है। (भगवान् अजित से कह रहे हैं—“लोक में जितने भी तृष्णा, मिथ्यादृष्टि, अविद्या आदि खोते हैं, उनके निवारण का उपाय स्मृति है, अतः खोतों के संवर (पिदहन, ढकना) की भी देशना करता हूँ। प्रज्ञा उनको ढक देती है”)—इस भगवान् की देशना में ‘ज्ञानसंवर’ का निरूपण है। ‘प्रत्ययप्रतिसेवन संवर’ भी इसी ज्ञानसंवर में संगृहीत हो जाता है। और जो संवर “शीत उष्ण को सहन करने में समर्थ होता है” आदि बुद्धवचन में वर्णित है वह ‘क्षान्ति संवर’ कहलाता है। और “उत्पत्र कामभोगसम्बन्धी वितकौं के वश में नहीं होता” यह बुद्धवचन ‘वीर्यसंवर’ का बोधक है। आजीविका की परिशुद्धि से सम्बद्ध संवर भी इसी वीर्यसंवर में अन्तर्निर्गृह्ण है।

यों, यह पाँच प्रकार का संवरशील एवं पाप-भय से भीत कुलपुत्रों के सम्मुख उपरिष्ठत पापमय वस्तुओं (बातों) से विरति को संवरशील के अन्तर्गत ही समझना चाहिये।

(घ) ‘अव्यतिक्रमशील’ से तात्पर्य है— गृहीत शील का काया एवं वाणी द्वारा अनुब्रह्मन्।

यह हुआ ‘शील क्या है?’— इस प्रथम प्रश्न का साङ्गोपाङ्ग उत्तर ॥

(१) समाधानं वा, कायकम्मादीनं सुसील्यवसेन अविष्प्रकिण्णता ति अतथो । (२) उपधारणं वा; कुसलानं धम्मानं पतिद्वानवसेन आधारभावो ति अतथो । एतदेव हेत्थ अतथद्वयं सद्वलक्खणविदू अनुजानन्ति ।

अब्बे पन—सिरडु शीलत्थो, सीतलडु सीलत्थो ति एवमादिना पि नयेनेत्थं अतथं वर्णयन्ति ॥

(३) शीलस्स लक्खणादीनि

१९. इदानि कानस्स लक्खण-रस-पत्युपद्वान-पद्वानानी ति? अतथं—

शीलनं लक्खणं तस्स भिन्नस्सा पि अनेकधा ।

सनिदस्सनत्तं रूपस्स यथा भिन्नस्सनेकधा ॥

यथा हि नीलपीतादिभेदेन अनेकधा भिन्नस्सापि रूपायतनस्स सनिदस्सनत्तं लक्खणं, नीलादिभेदेन भिन्नस्सापि सनिदस्सनभावानतिक्कमनतो; तथा शीलस्स चेतनादिभेदेन अनेकधा भिन्नस्सापि यदेत्तं कायकम्मादीनं समाधानवसेन कुसलानं धम्मानं पतिद्वानवसेन वुत्तं शीलनं, तदेव लक्खणं; चेतनादिभेदेन भिन्नस्सापि समाधानपतिद्वानभावानतिक्कमनतो ।

एवंलक्खणस्स पनस्स—

दुस्सील्यविद्वंसनता अनवज्जगुणो तथा ।

(२) 'किस अर्थ में शील है?'— १८. अवशिष्ट प्रश्नों के उत्तर में— शीलन के अर्थ में 'शील' है। यह 'शीलन' क्या है? (१) शीलन का अर्थ है 'समाधान'। अर्थात् काय-कर्मादि का संथेन या सुशीलता के फलस्वरूप कायिक कर्मों में असामअस्य का आयाव (=अविप्रकीर्णता)। अथवा (२) 'उपधारण'। अर्थात् कुशल धर्मों का आधार होने के फलस्वरूप आधारभाव (अधिष्ठान)। वैयाकरण (शब्दलक्षणविद्) 'शील' शब्द के यही दो अर्थ स्वीकार करते हैं।

(३) अन्य आचार्य इस 'शील' शब्द के ये अधोलिखित अर्थ भी करते हैं— (क) 'शिर (प्रधान) के अर्थ में शील है', (ख) 'शीलत के अर्थ में शील है', (ग) 'जिसके होने पर अकुशल धर्म सो जाँय', (घ) 'जिसके कारण सभी दुश्शरित दिग्गतोत्साह होकर सो जाँय', या (ङ) 'सभी धर्मों की प्रवेशार्हशाला होने के कारण शील है'— आदि ॥

(३) शील के लक्षणादि— १९. अब आचार्य इस शील के लक्षण, रस (कृत्य या सम्पत्ति), प्रत्युपस्थान एवं पदस्थान (प्रत्यय) क्या है?— यह यतायेगे।

लक्षण— जैसे, अनेक प्रकार से विभक्त किये जाने पर भी, रूप का लक्षण 'प्रत्यय का विषय होना' (सनिदर्शन) ही होता है; वैसे ही, अनेक प्रकार से विभक्त किये जाने पर भी, उस (शील) का लक्षण 'शीलन' ही होगा। . . .

जैसे—नील, पीत आदि नाना प्रकार से विभक्त किये जाने पर भी 'रूप' का लक्षण 'सनिदर्शन' ही होता है; क्योंकि वह रूपायतन नीलादि भेद के अनुसार अनेकधा विभक्त होने पर भी अपने सनिदर्शन (दिखायी देना) स्वभाव का अतिकमण नहीं कर पाता; वैसे ही शील के चेतनादि भेद से नाना विभाग होने पर भी, शील का लक्षण पूर्वक्त काय-कर्म आदि का समाधान रखना, अथवा कुशल धर्मों का आधार (प्रतिष्ठान) रूप 'शीलन' ही कहलायगा। अतः वही उसका लक्षण है; क्योंकि वह शील चेतनादि भेद से विभक्त होकर भी अपने 'समाधान' या 'आधार' स्वभाव का अतिकमण नहीं कर पाता।

रस— ऐसे लक्षण वाले इस शील का,

किञ्चसम्पत्ति अत्थेन रसो नाम पवुच्छति ॥

तस्मा इदं सीलं नाम किञ्चद्वेन रसेन दुर्सीलत्यविद्धुसनरसं, सप्ततिअत्थेन रसेन
अनवज्ञरसं ति वेदितब्बं । लक्खणादीमु हि किञ्चमेव सम्पत्ति वा रसो ति वुच्छति ।

सोचेय्यपच्छुपट्टानं तयिदं, तस्स विज्ञूहि ।

ओत्तर्यं च हिरी चेव पद्मद्वानं ति वर्णितं ॥

तयिदं सीलं “कायसोचेय्यं, वचीसोचेय्यं, मनोसोचेय्यं” (अं० नि० १-२५२) ति एवं वुत्तसोचेय्यपच्छुपट्टानं, सोचेय्यभावेन पच्छुपट्टाति, गहणाभावं गच्छति । हिरोत्तर्यं च पनस्स विज्ञूहि पद्मद्वानं ति वर्णितं, आसन्नकारणं ति अत्थो । हिरोत्तर्ये हि सति सीलं उप्पञ्चति चेव तिट्ठति च । असति नेव उप्पञ्चति, न तिट्ठती ति ।

एवं सीलस्स लक्खण-रस-पच्छुपट्टान-पद्मद्वानि वेदितब्बानि ॥

(४) सीलानिसंसं

२०. किमानिसंसं सीलं ति ? अविष्टिसारादिअनेकगुणपटिलाभानिसंसं । बुत्त हेतं—“अविष्टिसारत्थानि खो, आनन्द, कुसलानि सीलानि अविष्टिसारानिसंसानी” (अं० नि० ४-३५७) ति ।

२१. अपरं पि बुत्त—“पञ्चिमे, गहपतयो, आनिसंसा सीलवतो सीलसम्पदाय ।

‘कृत्य’ के अर्थ में दुशीलता (अनाचार) का नाश (विघ्वसन) एवं ‘सम्पत्ति’ के अर्थ में निर्दृष्ट अनिन्दनीय अनवज्ञ गुणवाला ही ‘रस’ है । कृत्य और सम्पत्ति के अर्थ में भी इसे ‘रस’ कहा जाता है ।

इसलिये इस शील को कृत्य के अर्थ में—कदाचरण (दीशीत्य) को नष्ट करने में सहायक एवं सम्पत्ति के अर्थ में अनिन्द्य रस जानना चाहिये ।

लक्षण—आदि के आख्यानप्रसङ्ग में तहायक होना कृत्य ही ‘सम्पत्ति’ या ‘रस’ कहलाता है ।

प्रत्युपस्थान—पण्डित जनों द्वारा, ‘उस शील का परिशुद्ध होना’ ही उसके जानने का आकार (प्रत्युपस्थान-पच्छुपट्टान) बताया गया है ।

पदस्थान—तथा शास्त्र में, सङ्केत (अपत्राय) एवं लज्जा (ही) ही इस शील के पदस्थान (आसन्न कारण) के रूप में वर्णित हुए हैं ।

यह शील “देह की परिशुद्धि है, माणी की परिशुद्धि है, मन की परिशुद्धि है” (अं० नि० १-२५२) इस प्रकार बुद्धवचन में कथित ‘परिशुद्धि-प्रत्युपस्थान’ कहलाता है, क्योंकि वह शील परिशुद्धि के रूप (आकार) में जाना जाता है, ग्रहण किया जाता है । विद्वानों द्वारा ही एवं अपत्राय इस शील का ‘पदस्थान’ कहा गया है, जिसका सरल अर्थ है—आसन्न कारण; क्योंकि ही और अपत्राय के होने पर ही शील उत्पन्न होता है, ठहरता है । अर्थात् शील के उत्पाद में ये ही ही दो गुण आसन्न (समीपतम) कारण हैं । उनके न होने पर, न तो शील की उत्पत्ति ही हो सकती है, न स्थिति ।

यों, इस शील के लक्षण, रस, प्रत्युपस्थान एवं पदस्थान समझने चाहिये ।

(४) शील का माहात्म्य (आनृशंस्य) क्या है?— २०. इस प्रश्न का उत्तर है—‘पक्षात्ताप न करना’ आदि अनेक गुणों की प्राप्ति ही शील का माहात्म्य है ।

त्रिपिटक में कहा भी है—“आनन्द, उत्तम शील (सदाचार) ही पक्षात्ताप से दूर रखने वाला है, अपक्षात्ताप ही उस उत्तम शील का माहात्म्य (वैशिष्ट्य) है ।”

२१. त्रिपिटक में ही और भी कहा है—“गृहपतयो! शीलवान् की शीलसम्पत्ति के पाँच गुण

करते पञ्च ? इधं, गहपतयो, शीलवा सीलसम्पत्रो अप्यमादाधिकरणं महन्तं भोगवत्तन्थं अधिगच्छति, अयं पठमो आनिसंसो सीलवतो सीलसम्पदाय ।

“पुन च परं, गहपतयो, सीलवतो सीलसम्पत्रस्स कल्याणो कित्तिसद्वो अब्दुगच्छति, अयं दुतियो आनिसंसो सीलवतो सीलसम्पदाय ।

“पुन च परं, गहपतयो, सीलवा सीलसम्पत्रो यज्ञदेव परिसं उपसङ्कमति— यदि खत्तियपरिसं यदि ब्राह्मणपरिसं यदि गहपतिपरिसं यदि समणपरिसं, विसारदो उपसङ्कमति अमङ्गुभूते, अयं ततियो आनिसंसो सीलवतो सीलसम्पदाय ।

“पुन च परं, गहपतयो, सीलवा सीलसम्पत्रो असमूळ्हो कालं करोति, अयं चतुर्त्यो आनिसंसो सीलवतो सीलसम्पदाय ।

“पुन च परं, गहपतयो, सीलवा सीलसम्पत्रो कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सगं लोकं उपपज्जति, अयं पञ्चमो आनिसंसो सीलवतो सीलसम्पदाया” (दौ०नि० २-६९) ति ।

२२. अपरे पि—“आकङ्गेय्य चे, भिक्खुवे, भिक्खु सब्रह्मचारीनं पियो च अस्सं, मनापो च, गरु च भावनीयो चाति, सीलेस्वेवस्स परिपूरकारी” (म०नि० १-४४) ति आदिना नयेन पियमनापतादयो आसवक्षयपरियोसाना अनेका सीलानिसंसा वुत्ता ।

एवं अविष्टिसारादिअनेकगुणनिसंसं सीलं ॥

२३. अपि च—

सासने कुलपुत्तानं, पतिष्ठा नतिथ यं विना ।

आनिसंसा परिच्छेदं, तस्स सीलस्स को चंदे ॥ १ ॥

है— १. गृहपतियो! शीलवान् शीलसम्पत्र पुरुष प्रमाद में न पड़ने के कारण बहुत अधिक कामभोग (धन-धान्यादि) सम्पति प्राप्त करता है—यह शीलवान् की शीलसम्पति का प्रथम गुण है।

२. “गृहपतियो! इस शीलवान् शीलसम्पत्र का सभी दिशाओं में ‘यह बहुत अधिक शीलवान् है’— ऐसा मन्त्रलमय यश फैलने लगता है—यह इस शीलवान् की शीलसम्पति का दूसरा गुण है।

३. “फिर गृहपतियो! वह शीलवान् शीलसम्पत्र पुरुष जिस जिस भी परिषद् (सभा) में जाता है—फिर भले ही वह क्षत्रियों की परिषद् हो, या ब्राह्मणों की, वैश्यों (गृहपतियों) की हो या किन्हीं श्रमणों की वहाँ वह निर्भीक, चतुर वक्ता, व निष्कङ्क (अमङ्गुभूत) होकर जाता है, भूक (यूगे—वहरे) की तरह नहीं—यह उस शीलवान् की शीलसम्पति का तीसरा गुण है।

४. “और फिर गृहपतियो! वह शीलवान् शीलसम्पत्र पुरुष अविमूढ़ (अमरहित, चेतन अवस्था में) रह कर सृत्यु को प्राप्त होता है—यह शीलवान् की शीलसम्पति का चौथा गुण है।

५. “और फिर गृहपतियो! वह शीलवान् शीलसम्पत्र पुरुष, शरीर छूटने पर मरने के बाद, सुगति को प्राप्त हो स्वर्गलोक में उत्पन्न होता है— यह उस शीलवान् की शीलसम्पति का पाँचवाँ गुण है।”

२२. इसी तरह, इस शीलाचरण के दूसरे भी गुण हैं, जैसे— “भिक्षुओ! यदि कोई भिक्षु यह चाहे कि वह अपने दूसरे सब्रह्मचारियों (साधियों, गुरुभाइयों) को प्रिय लगे, उनका प्रेमपात्र बन रहे, उनके द्वारा जैह—सामान की दृष्टि से देखा जाय, तो उसे शीलों की पूर्ति में अधिक ध्यान देना चाहिये” (म०नि० १-४४)—इस बुद्धचन के आधार से प्रिय—मनाप आदि से लेकर आश्रवक्षय (आहत्य) तक शील के अनेक गुण कहे गये हैं।

‘न गङ्गा यमुना चा पि, सरभू वा सरस्वती।
 नित्रगा वा चिरवती, मही वा पि महानदी ॥ २ ॥
 सङ्कुणन्ति विसोधेतुं, तं मलं इधं पाणिनं।
 विसोधयति सत्तानं, यं वे सीलजलं मलं ॥ ३ ॥
 न तं सजलदा वाता, न चापि हरिचन्दनं।
 नेव हारा न मणये, न चन्दकिरणङ्कुरा ॥ ४ ॥
 समयन्तीध सत्तानं परिलाहं सुरक्षितं।
 यं समेति इदं अरियं सीलं अच्छन्तसीतलं ॥ ५ ॥
 सीलगन्धसमो गन्धो, कुतो नाम भविस्सति!
 यो समं अनुवाते च, पटिवाते च वायति ॥ ६ ॥
 द्वारं वा पन निष्ठाननगरस्स पवेसने ॥ ७ ॥
 सोभन्तेवं न राजानो मुत्तामणिविभूसिता।
 यथा सोभन्ति यतिनो सीलभूसनभूसिता ॥ ८ ॥
 अत्तानुवादादिभयं विद्वंसयति सब्बसो।
 जनेति कित्तिहासं च सीलं सीलवतं सदा ॥ ९ ॥
 गुणानं मूलभूतस्स, दोसानं बलघातिनो।

इस तरह, ‘पश्चात्ताप न करना’ आदि नानाविध गुणों की प्राप्ति ही शील का माहात्म्य है।
 २३. और भी—

जिस शील के दिना बुद्धश्रावक कुलपुत्रों की बुद्धशासन में गति (प्रतिष्ठा) ही नहीं हो पाती, उस शील के माहात्म्य व वैशिष्ट्य की सीमा कौन बता सकता है! ॥ १ ॥

प्राणियों के जिस मल (चित्तविकार) को न गङ्गा न यमुना, न सरयू न सरस्वती, न मही अथवा महानदी ही धो पाती है; वह शील प्राणियों के उस मल को भी मूलतः उच्छिन्न कर सकता है। ॥ २-३ ॥

प्राणियों के जिस परिदाह (जलन, ताप) को न सावन—मादो की वर्षा, न हरिचन्दन, न कोई हार या मणि, न चन्द्रमा की शीतल चाँदनी ही शान्त कर पाती हो उसे यह सुरक्षित, अत्यन्त शीतल आर्यशील सरलता से शान्त कर सकता है। ॥ ४-५ ॥

शील की गन्ध के समान और कौन गन्ध होगी, जो अनुकूल—प्रतिकूल गति के रहते भी, समानरूप से एक सी बहती—फैलती रहती है! ॥ ६ ॥

स्वर्गलोक (सुगति) तक पहुँचने या निर्वाण—नगर में प्रवेश के लिये शील के समान दूसरी कौन सी सीढ़ी (=सोपान) या द्वार हो सकते हैं! ॥ ७ ॥

राजा लोग मोतियों की माला एवं भणिरखजटित हार पहनकर भी उतने शोभित नहीं होते, जितना कोई शीलशूक्षण्यधारी भिक्षु, लौकिक (व्यवहार) दृष्टि से अकिञ्चन दीखते हुए भी, इस जगत् में सर्वत्र शोभित होता है। ॥ ८ ॥

शीलवन् के लिए उसका शील आत्मनिन्दा (दूसरों द्वारा की जाने वाली उसकी निन्दा) आदि भयों को सर्वथा दूर कर देता है। एवं लोक में उसका यश दिनानुदिन फैलता ही रहता है, जिससे उसकी शोभा (छवि) बढ़ती जाती है। ॥ ९ ॥

इति सीलस्स विज्ञेयं, आनिसंसकथामुखं ॥ ति ॥ १० ॥

(५) सीलपर्याप्तेदो

२४. इदानि यं-बुतं कतिविधं चेतं सीलं ति ? तत्रिदं विस्सज्जनं-

सम्बन्धेव ताव इदं सीलं अत्तनो सीलनलक्खणेन एकविधं ।

१. चारित-वारितवसेन दुविधं, तथा २. अभिसमाचारिक-आदिग्रहचरियकवसेन, ३. विरति-अविरतिवसेन, ४. निस्सित-अनिस्सितवसेन, ५. कालपरियन्तआपाण-कोटिकवसेन, ६. सपरियन्त-अपरियन्तवसेन, ७. लोकिय-लोकोत्तरवसेन च ।

तिविधं १. हीन-मञ्ज्ञाप-पणीतवसेन, तथा २. अत्तधिपतेय्य-लोकाधिपतेय्य-धम्माधिपतेय्यवसेन, ३. परामटु-अपरामटु-पटिप्पस्सुद्धिवसेन, ४. विसुद्ध-अविसुद्ध-वेमतिकवसेन, ५. सेक्ख-असेक्ख-नेवसेक्खनासेक्खवसेन च ।

चतुर्थिधं १. हानभागिय-ठितिभागिय-विसेसभागिय-निष्ठेधभागियवसेन, तथा २. भिक्खु-भिक्खुनी-अनुपसम्पत्त-गहडुसीलवसेन, ३. पक्ति-आचार-धम्मता-पुब्बहेतुकसी-लवसेन, ४. पातिमोक्खसंवर-इन्द्रियसंवर-आजीवपरिसुद्धि-पञ्चयसन्निस्सितसीलवसेन च ।

पञ्चविधं परियन्तपरिसुद्धिसीलादिवसेन । बुतं पि चेतं पटिसम्भिदाय—“पञ्चसीलानि—१. परियन्तपरिसुद्धिसीलं, २. अपरियन्तपरिसुद्धिसीलं, ३. परिपुण्णपरि-

यों गुणों के आधार (मूल) भूत एवं दोषदोर्बल्यकारक शील का महत्त्व उसके इस उपर्युक्त माहात्म्य-वर्णन से भी जान लेना चाहिये ॥ १० ॥

(५) शील के प्रकार (भेद)

२४. अब, वह जो प्रश्न किया गया था कि शील कितने प्रकार का होता है?—उसका उत्तर यह है—

(क) एकविध शील— यह समग्र शीलसम्भार अपने ‘शीलन-लक्षण’ के कारण एकविध (एकक=एक ही प्रकार का) कहा जा सकता है ।

(ख) द्विविध शील— पुनः यह शील (विश्लेषण किये जाने पर) चारित्र एवं वारित्र भेद से, आभिसमाचारिक एवं आदिग्रहचरियक भेद से, विरति एवं अविरति भेद से, निश्चित एवं अनिश्चित भेद से, कालपर्यन्त एवं आपाणकोटिक भेद से, सपर्यन्त एवं अपर्यन्त भेद से और लौकिय और लोकोत्तर भेद से द्विविध (द्विक=दो प्रकार का) भी कहलाता है ।

(ग) त्रिविध शील— किर यही शील (और अधिक विश्लेषण किये जाने पर) हीन, मध्यम एवं प्रणीत तथा आत्माधिपत्य, लोकाधिपत्य एवं धर्माधिपत्य, या परामृष्ट, अपरामृष्ट एवं प्रश्रविध भेद से; या विशुद्ध, अविशुद्ध एवं वैमतिक भेद से तथा शैक्ष्य, अशैक्ष्य एवं न शैक्ष्य न अशैक्ष्य भेद से त्रिविध (त्रिक=तीन प्रकार का) भी कहलाता है ।

(घ) चतुर्विध शील— किर यही शील (और अधिक विश्लेषण किये जाने पर) भार प्रकार का भी है । जैसे—हानभागीय, रिष्टिभागीय, विशेषभागीय एवं निर्वेदभागीय, भिक्षुशील, भिक्षुनीशील, अनुपसम्पत्तशील एवं गृहस्थशील; प्रकृतिशील, आचारशील, धर्मताशील एवं पूर्वहेतुकशील, प्रातिमोक्षसंवर, इन्द्रियसंवर, आजीवपरिशुद्धि एवं प्रत्ययसन्निश्चित—इन भेदों से यह चतुर्विध (चतुर्थःचार चार प्रकार का) भी शास्त्र में वर्णित है ।

(ङ) पञ्चविध शील— यह शील पर्यन्तपरिशुद्धि शील आदि भेद से पाँच भेदों से भी वर्णित

सुद्धिसीलं, ४. अपरामट्टपारिसुद्धिसीलं, ५. पटिपस्मद्दिपारिसुद्धिसीलं” (खु० ५-४७) ति। तथा पहान-वेरमणी-चेतना-संवर-अवीतिक्षमवसेन।

सीलेककदुकानि

२५. तत्थ एकविधकोद्ग्रासे अत्थो वृत्तनयेनेव वेदितब्बो । (१)

२६. दुविधकोद्ग्रासे यं भगवता ‘इदं कतञ्च’ ति पेष्वत्तसिक्खापदपूरणं, तं चारितं । यं ‘इदं न कतञ्च’ ति पटिक्षित्तस्स अकरणं, तं चारितं । तत्रायं वचनतथो—चरन्ति तस्मि, सीलेसु परिपूरकारिताय पवत्तन्ती ति चारितं । चारितं तायन्ति रक्खन्ति तेना ति चारितं । तत्थ सद्गाविरियसाधनं चारितं, सद्गासाधनं चारितं । एवं चारितवारित्तवसेन दुविधं ।

दुतियदुके, अभिसमाचारो ति उत्तमसमाचारो । अभिसमाचारो एव आभिसमाचारिकं । अभिसमाचारं वा आरब्म पञ्जनं अभिसमाचारिकं, आजीवटुमकतो अवसेससीलस्सेतं अधिवचनं । मण्गब्रह्मचरियस्स आदिभावभूतं ति आदिब्रह्मचरियकं, आजीवटुमकसीलस्सेतं

है । जैसे कि पटिसम्भिदामण्ग में कहा गया है—“शील पाँच होते हैं—१. पर्यन्तपरिशुद्धि शील, २. अपर्यन्तपरिशुद्धि शील, ३. परिपूर्णपरिशुद्धि शील, ४. अपरामट्टपरिशुद्धि शील एवं ५. प्रतिप्रश्रविधपरिशुद्धि शील ।”

दैसे ही १. प्रहाण, २. विरमण, ३. चेतना, ४. संवर एवं ५. अनुब्लङ्घन भेद से भी यह शील पञ्चविधि (पञ्चक=पाँच पाँच प्रकार का) है।

शील के (उपर्युक्त) एकक, द्विक का विवरण (व्याख्यान)

२५. एकक विभाग—वहाँ शील के एक प्रकार वाले विभाग (कोद्ग्रास) का विस्तृत व्याख्यान पूर्वकृत (पृष्ठ ९-१०) व्याख्यान के अनुसार ही समझना चाहिये । (यहाँ उससे अधिक हमें कुछ नहीं कहना है ।) (१)

२६. द्विक—दो प्रकारवाले विभाग में, प्रथम द्विक के अन्तर्गत—१. “यह (सुचरित) करना चाहिये”—कह कर भगवान् ने जिन शिक्षापदों का विधान किया है, उनका पालन चारित्र कहलाता है और २. “यह (दुक्षरित) नहीं करना चाहिये” कह कर जिन निवेदपरक नियमों का शिक्षापदों में विधान किया है उनसे दूर रहना चारित्र कहलाता है । इन दोनों शब्दों का स्पष्टार्थ यह है—उस (शील) में समझौते होकर वे गुण चलते हैं, उनकी परिपूर्ति में वे सहायक होते हैं, अतः उन्हें चारित्र कहा जाता है । और जो गुण भगवान् द्वारा निविद्ध कर्मों से दूर रहने की प्रेरणा देते हैं, योगावचर का उनसे आण (बधाव, रक्षा) करते हैं, अतः उन्हें चारित्र कहा गया है । वहाँ श्रद्धा और वीर्य (=सतत उद्योग) से चारित्र को तथा भगवान् के उपदेशों में श्रद्धा से चारित्र को पाया जा सकता है । यों, यह शील चारित्र एवं चारित्र भेद से दो प्रकार का है।

आगे इसी द्वितीय द्विक में, अभिसमाचार एवं आदिब्रह्मचर्य भेद से भी यह शीलद्विक बताया है । वहाँ (क) अभिसमाचार का अर्थ है—उत्तम सदाचार (सम्यगाचरण) । अभिसमाचार के ही अर्थ में अभिसमाचारिक शब्द प्रयुक्त हुआ है । (ख) अथवा—अभिसमाचार को आधार भानकर बुद्ध्यवचन में जो कुछ भी कहा गया है वह ‘अभिसमाचारिक’ है । (ग) इस ‘अभिसमाचारिक’ शब्द से—आजीव है आठवाँ अङ्ग (चार वाचिक कुशल एवं आठवाँ सम्यगाजीव) जिसका, उस शील को छोड़कर अन्य शील का ग्रहण होता है ।

(क) मार्गब्रह्मचर्य (मार्ग को आधार भानकर की जाने वाली धर्मसाधना) का आदि (प्रारम्भिक) होने से यह (शील) आदिब्रह्मचर्यक कहलाता है । यह आदिब्रह्मचर्य उपर्युक्त आजीवाण्मक शील का ही नाम (पर्याय) है । साधना के पूर्वभाग में ही परिशुद्ध होने के कारण वह मार्ग की प्रारम्भिक अवस्था

अधिवचनं। तं हि मग्गस्स आदिभावभूतं, पुब्बभागे येव परिसोधेत्वतो । तेनाह—“पुब्बे व खो पनस्स कायकम्म वचीकम्म आजीवो सुपरिसुद्धो होती” (म० निं० ३-३९१) ति । यानि वा सिक्खापदानि “खुदानुखुदकानी” ति कुत्तानि, इदं आभिसमाचारिकसीलं । सेसं आदिब्रह्मचरियकं । उभतोविभङ्गपरियापत्रं वा आदिब्रह्मचरियकं । खन्धकवत्तपरियापत्रं आभिसमाचारिकं । तस्स सम्पत्तिया आदिब्रह्मचरियकं सम्पञ्जति । तेनेवाह—“सो बत, भिक्खवे, भिक्खु आभिसमाचारिकं धम्मं अपरिपूरेत्वा आदिब्रह्मचरियकं धम्मं परिपूरेस्ती ति नेतं ठानं विज्ञति” (अ० निं० २-२८४) ति । एवं आभिसमाचारिकआदिब्रह्मचरियकवसेन दुविधं ।

ततियदुके, पाणातिपातादीहि वेरमणिमत्तं विरतिसीलं । सेसं चेतनादि अविरतिसीलं ति । एवं विरति-अविरतिवसेन दुविधं ।

चतुर्थदुके, निस्सयो ति द्वे निस्सया—१. तण्हानिस्सयो च, २. दिट्ठिनिस्सयो च । तत्थं यं “इमिनाहं सीलेन देवो वा भविस्सामि, देवञ्जतरो वा” (दौ०नि० ३-१८५) ति एवं भवसम्पत्तिं आकृद्धमानेन पवत्तितं, इदं तण्हानिस्सतं । यं “सीलेन सुद्धो” ति एवं सुद्धिदिट्ठ्या पवत्तितं, इदं दिट्ठिनिस्सतं । यं पन लोकुत्तरं लोकियं च तस्सेव सम्भारभूतं, इदं अनिस्सतं ति । एवं निस्सतानिस्सितवसेन दुविधं ।

पञ्चमदुके, कालपरिच्छेदं कत्वा समादिनं सीलं कालपरियन्तं । यावजीवं समादियित्वा तथेव पवत्तितं आपाणकोटिकं ति एव कालपरियन्त-आपाणकोटिकवसेन दुविधं ।

है। इसीलिये (भंगवान् ने) ऐसा कहा है—“साधना के प्रारम्भिक भाग में योगावचर के कायकर्म, वाक्यमं तथा आजीव (=आजीविका) परिशुद्ध हो जाते हैं।” (ख) अथवा जो भगवान् द्वारा कहे गये शुद्धानुशुद्ध (छोटे, बहुत छोटे) शिक्षापद हैं, ये सब आभिसमाचारिक शील तथा अवशिष्ट आदिब्रह्मचर्यक शील कहलाते हैं। (ग) अथवा—उभतोविभङ्ग (मिक्षुदिभङ्ग एवं मिक्षुपीयिभङ्ग—दोनों) में आये शिक्षापदों का पालन आदिब्रह्मचर्यक शील में परिणित है और स्कन्धनत्र (महावगगक्खन्धक एवं चुक्लवगगक्खन्धक) में आये शिक्षापदों के पालन से आदिब्रह्मचर्यक शील भी पूर्ण हो जाता है। इसीलिए कहा है—“मिक्षुओ! कोई योगावचर आभिसमाचारिक शील की पूर्ति के बिना आदिब्रह्मचर्यक शील की पूर्ति कर पायगा—यह सम्भव ही नहीं है।” इस प्रकार आभिसमाचारिक व आदिब्रह्मचर्यक भेद से भी शील द्विविध है।

तृतीय द्विक में—केवल प्राणातिपातादि से विरत रहना ही विरतिशील है। शेष चेतना आदि अविरतिशील है। यो, विरति, अविरति के भेद से भी शील द्विविध है।

चतुर्थ द्विक में—निश्रय एवं अनिश्रय भेद से भी शील द्विविध होता है। निश्रय दो होते हैं—१. तृष्णानिश्रय एवं २. दृष्टिनिश्रय। उनमें—(क) “इस शील के सहारे मैं चातुर्महाराजिक देव या अन्य कोई देव हो जाऊँ”—ऐसी भव-सम्पत्ति (जन्म धारण करना) चाहने वाले योगावचर द्वारा भावित किया गया शील तृष्णासंशिष्ट शील कहलाता है। (ख) और ‘शील (के आचरण) से ही (वित्त की) शुद्धि होगी’—यो शुद्धि के विचार (दृष्टि) से भावित किया जाने वाला शील दृष्टिसंशिष्ट शील कहलाता है। २. और जो लोकोत्तर एवं लौकिक (उसी लोकोत्तर का साधनभूत) शील है वह अनिश्रित शील कहलाता है। यो, निश्रित-अनिश्रित भेद से भी शील द्विविध है।

पञ्चम शीलद्विक में—१. काल (‘इस दिन या इस रात्रि में’, या ‘इतने घण्टे इतनी मिनट में’ आदि समय) की सीमा (कालपरिच्छेद) बांध कर किया जाने वाला शील कालपर्यन्त शील

छट्टुके, लाभ-यस-जाति-अङ्ग-जीवितवसेन दिव्यपरियन्तं सपरियन्तं नाम। विपरीतं अपरियन्तं। वुतं पि चेतं पटिसम्भिदायं—“कतमं तं सीलं सपरियन्तं? अतिथि सीलं लाभपरियन्तं, अतिथि सीलं यसपरियन्तं, अतिथि सीलं जातिपरियन्तं, अतिथि सीलं अङ्गपरियन्तं, अतिथि सीलं जीवितपरियन्तं। कतमं तं सीलं लाभपरियन्तं? इधेकचो लाभहेतु लाभपच्या लाभकारणा यथासमादिनं सिक्खापदं वीतिकमपि, इदं तं सीलं लाभपरियन्तं” (खु० ५-४८) ति। एतेनेव उपायेन इतरानि पि वित्थारेतब्बानि। अपरियन्तविस्सज्जने पि वुतं—“कतमं तं सीलं न लाभपरियन्तं? इधेकचो लाभहेतु लाभपच्या लाभकारणा यथासमादिनं सिक्खापदं वीतिकमाय चित्तं पि न उप्यादेति, किं सो वीतिकमिस्सति! इदं तं सीलं न लाभपरियन्तं” (खु० ५-४८) ति। एतेनेव उपायेन इतरानि पि वित्थारेतब्बानि। एवं सपरियन्तापरियन्तवसेन दुविधं।

सत्तमदुके, सब्बं पि सासवं सीलं लोकियं, अनासवं लोकुत्तरं। तत्थ लोकियं भवविसेसावहं होति, भवनिस्सरन्सस च सम्भारो। यथाह—“विनयो संवरत्थाय, संवरो अविष्टिसारत्थाय, अविष्टिसारो पामोज्जत्थाय, पामोज्जं पीतत्थाय, पीति पस्सद्गत्थाय, पस्सद्गु सुखत्थाय, सुखं समाधत्थाय, समाधि यथाभूतज्ञाणदस्सनत्थाय, यथाभूतज्ञाणदस्सनत्थाय, निब्बदत्थाय, निब्बिदा विरागत्थाय, विरागो विमुत्तत्थाय, विमुत्ति विमुत्तिज्ञाणदस्सनत्थाय,

कहलाता है। २. प्राण रहने तक (आजीवन) जिस शील की साधना की जाय वह आप्राणकोटिक शील कहलाता है। यों, कालपर्यन्त व आप्राणकोटिक भेद से यह शील द्विविध है।

चतुर्थ शीलद्विक में— सपर्यन्तं-अपर्यन्तं भेद से शील द्विविध माना गया है। उनमें लाभ, यश, ज्ञाति (नाते-रितेदार), अङ्ग एवं जीवन के लिये जो शील परिमित छोता दिखायी देता है वह सपर्यन्तं शील है। इसके विपरीत (अपरिमित) अपर्यन्तं शील कहलाता है। पटिसम्भिदामग्ग में कहा भी गया है—“सपर्यन्तं शील क्या है? लाभ से परिमित, यश से परिमित, ज्ञाति से...., अङ्ग से...., जीवन से परिमित शील ही सपर्यन्तं शील (कहलाता) है। लाभ से परिमित शील कौन सा है? यहाँ कोई कोई पुद्गल किसी लाभ के हेतु या प्रत्यय से लाभ के कारण ग्रहण किये हुए शील का उलझन करता है— यह ‘लाभ से परिमित’ शील है।” इसी प्रकार अन्य यश-ज्ञाति आदि का भी विस्तार कर लेना चाहिये। यों, यह शील सपर्यन्तं-अपर्यन्तं भेद से भी द्विविध है।

यहाँ, पटिसम्भिदामग्ग के उसी प्रकरण में, अपर्यन्त शील के विषय में किये गये प्रश्न का उत्तर भी दिया गया है—‘लाभ से परिमित न होने वाला शील कौन सा है? यहाँ कोई कोई पुद्गल लाभ के हेतु या प्रत्यय से, लाभ के कारण, ग्रहण किये गये शिक्षापदों का उलझन करने का विचार भी नहीं करता, फिर उलझन करने की तो बात ही कहाँ। यही वह शील है जो लाभपरिमित नहीं है।’ इसी पद्धति से यश-ज्ञाति आदि के विषय में भी विस्तार कर लेना चाहिये। यों, यह शील सपर्यन्तं-अपर्यन्तं भेद से भी द्विविध है।

सप्तम शीलद्विक विभाग में— लौकिक-लोकोत्तर भेद से भी शील द्विविध है। यहाँ सभी साध्यव शील लौकिक हैं और अनाध्यव शील लोकोत्तर। (आध्यव चतुर्विध होते हैं— १. काम, २. भव, ३. दृष्टि एवं ४. अविद्या)। यहाँ लौकिक शील भव (आगमी जीवन-सन्तति) में अप्यज्ञाति लाने वाला एवं भव से निःसरण, मुक्ति का साधन होता है। जैसा कि कहा है—“विनयबोधक शिक्षापद संवर के लिये है, संवर अपशात्ताप के लिये, अपशात्ताप प्रमोद (प्रीति) के लिये है, प्रीति प्रश्रद्धि (शान्तता-शान्त-

विमुक्तिजाणदस्सनं अनुपादापरिनिष्पानत्थाय । एतदत्था कथा, एतदत्था मन्तना, एतदत्था उपनिसा, एतदत्थं सोतावधानं, यदिदं अनुपादाचित्तस्स विमोक्षो'' (वि० ५-२९०) ति । सोकुतं भवनिस्सरणावहं होति, पच्चवेक्षणजाणस्स च भूमी ति । एवं लोकियलोकुतरवसेन द्विविधं । (२)

सीलनिहेस

२७. तिकेसु पठभत्तिके—१. हीनेन छन्देन चितेन वीरियेन वीमंसाय वा पवत्तिं हीनं । मज्जिमेहि छन्दादीहि पवत्तिं मज्जिमं । पणीतेहि पणीतं । २. यसकामताय वा समादिनं हीनं । पुञ्चफलकामताय मज्जिमं । 'कतब्बेविदं' ति अरियभावं निस्साय समादिनं पणीतं । ३. ''अहमस्मि सीलसम्पत्तो, इमे पनञ्जे भिक्खु दुस्सीला पापथम्भा'' (म०नि० १-२५०) ति एवं अनुकूलसनपरवाभनादीहि उपक्षिलिटुं वा हीनं । अनुपक्षिलिटुं लोकियं सीलं मज्जिमं । लोकुतं पणीतं । ४. तण्हावसेन वा भवभोगत्थाय पवत्तिं हीनं । अत्तनो विमोक्षत्थाय पवत्तिं मज्जिमं । सञ्चासत्तानं विमोक्षत्थाय पवत्तिं पारभितासीलं पणीतं ति । एवं हीन-मज्जिम-पणीतवसेन तिविधं ।

अवस्था) के लिये, प्रश्रव्य सुख के लिये, सुख समाधि (चित्त की एकाग्रता) के लिये, समाधि यथार्थ (यथाभूत, सत्य) ज्ञान तथा दर्शन के लिये एवं यथार्थ ज्ञान और दर्शन निर्वद (सांसारिक सुखों से त्वरणि) के लिये, निर्वद विराग के लिये, विराग विमुक्ति के ज्ञान-दर्शन के लिये तथा विमुक्ति का ज्ञान एवं दर्शन उपादाननशहित परिनिर्वाण (जिसकी प्राप्ति के बाद पाँच उपादानस्कन्धों की उत्पत्ति असम्भव हो जाती है) के लिये है । इसी (परिनिर्वाण) के लिये (शास्त्र की यह समग्र) कथा-वार्ता है, उसकी मन्त्रणा (विचार, चिन्तन) है, इसी के लिये उपनिषद्य (यथोक्त कारणपरम्परा) और इसी के लिये ध्यान देकर (गुरुपदेश का) सुनना है । निष्कर्ष यह है कि योगी का समग्र क्रियाकलाप केवल उपादानसहित परिनिर्वाण की प्राप्ति के लिये है ।' और लोकोत्तर शील भवनि-सरण (मुक्ति) को लाने वाला और प्राप्त मार्ग फल की देखने वाले (प्रत्ययेक्षण) ज्ञान की भूमि । इस प्रकार लौकिक लोकोत्तर भेद से भी शील द्विविध है ॥ (२)

शीलत्रिक

२७. त्रिक विभाग में से प्रथम शीलत्रिक में— हीन छन्द, हीन वीर्य (उत्साह) तथा हीन मीमांसा (मनन-चिन्तन) से प्रवृत्त शील हीन शील कहलाता है, मध्यम (न हीन न उत्तम) छन्द आदि से प्रवृत्त शील मध्यम शील एवं प्रणीत (उत्तम) छन्द आदि से प्रवृत्त शील प्रणीत शील कहलाता है ।

अथवा लोक मे स्वकीर्ति चाहने की इच्छा यश कामता से प्रवृत्त शील हीन शील, पुण्यफल की इच्छा से प्रवृत्त शील, मध्यम शील एवं 'यह मेरा कर्तव्य है'-इस आर्य (श्रेष्ठ) भावना से प्रवृत्त शील प्रणीत शील कहलाता है ।

'मैं ही शीलसम्पत्ति हूँ, ये दूसरे भिन्न तो दुशीलधर्म हैं, पापकारी हैं'-ऐसी आत्म-प्रशस्ता एवं दूसरे के अपमान की इच्छा से कलुषित (उपक्षिलट) शील हीन शील, उक्त इच्छा न करने से अनुपक्षिलट होने पर लौकिक शीलों का आचरण मध्यम शील और लोकोत्तर शील प्रणीत शील कहलाता है ।

अथवा—तृष्णापूर्ति के लिये या भव-सम्पत्ति व शोग-सम्पत्ति के अर्जन हेतु साधित शील हीन शील, केवल अपनी मुक्ति के लिये साधित शील मध्यम शील' तथा समग्र प्राणियों (सत्त्वों) की मुक्ति के लिये भावित शील प्रणीत शील कहलाता है । यो, हीन मध्यम प्रणीत भेद से भी शील तीन प्रकार का होता है ।

दुतियतिके— १. अत्तमो अननुरूपं पजहितुकामेन अत्तगरुना अत्तनिगारवेन पवत्तितं अत्ताधिपतेष्यं । २. लोकापर्वादं परिहितुकामेन लोकगरुना लोके गारवेन पवत्तितं लोकाधिपतेष्यं । ३. धर्ममहत्तं पूजेतुकामेन धर्मगरुना धर्मगारवेन पवत्तितं धर्माधिपतेष्यं ति । एवं अत्ताधिपतेष्यादिवसेन तिविधं ।

ततियतिके— १. यं दुकेसु 'निस्सिं' ति खुतं, तं तपहाद्धितीहि परामदुत्ता परामदुं । २. पुथुज्जनकल्याणकस्स मागसम्भार भूतं सेकखानुं च मग्गसम्पयुत्तं अपरामदुं । ३. सेकखासेकखानं फलसम्पयुतं पटिपस्सद्धं ति । एवं परामद्धादिवसेन तिविधं ।

चतुर्थतिके, यं आपत्तिं अनापज्जन्तेन पूरितं, आपजित्वा वा पुन कतपटिकम्म, तं विसुद्धं । आपत्तिं आपत्रस्स अकतपटिकम्म अविसुद्धं । वत्थुमिह वा आपत्तिया वा अज्ञाचारे वा वेमतिकस्स सीलं वेमतिकसीलं नाम ।

तथ्य योगिना अविसुद्धं सीलं विसोधेतब्बं, वेमतिके वत्थुज्जाचारं अकत्वा विमति पटिकिनेतब्बा—“इच्छस्स फासु भविस्सती” ति । एवं विसुद्धादिवसेन तिविधं ।

पञ्चमतिके, चतुर्हि अरियमगोहि, तीहि च सामञ्जफलेहि सम्पयुतं सीलं सेकखं । अरहत्तफलसम्पयुतं असेकखं, सेसं नेवसेकखानासेकखं ति । एवं सेकखादिवसेन तिविधं ।

द्वितीय शीलत्रिक में— स्वय के लिये अननुकूल (अननुरूप-प्रतिकूल) को छोड़ने की इच्छा से आत्मगौरव या आत्मसम्मान की वृद्धि के लिये भावित शील आत्माधिपत्य शील कहलाता है। लोक-निन्दा हटाने की इच्छा से अपने लोकगौरव या लोकसम्मान की वृद्धि के लिये भावित शील लोकाधिपत्य शील कहलाता है। धर्म के महत्व को पूजित करने की इच्छा से धर्म का गौरव तथा सम्मान बढ़ाने हेतु प्रवर्तित शील धर्माधिपत्य शील कहलाता है। यो, इन आत्माधिपत्य-आदि भेद से भी शील त्रिविध है ।

शीलत्रिक के तृतीय विभाग में— शील-द्विको के गणना-प्रसङ्ग में जो शील निश्चित अनिश्चित भेद से विभक्त हुआ है वह तृत्या एव दृष्टि (मिथ्या धारणा) द्वारा संशिल (सम्बद्ध) होने से परामृष्ट शील है, कल्याणक पृथग्जन (पृथग्जनो में कल्याणकारी शीलों से युक्त अनार्य) के लिये मार्गप्राप्ति का साधन बना हुआ और शैक्ष्य जन (स्नोतआपत्र, सकृदागामी एव अनागामी पुद्गल) के लिये मार्गप्राप्ति का साधन बना हुआ शील अपरामृष्ट शील कहलाता है। शैक्ष्य-अशैक्ष्य के फल से सम्प्रयुक्त शील प्रतिप्रशब्द शील कहलाता है ।

शीलत्रिक के चतुर्थ विभाग में— जिसने कोई अपराध (आपत्ति, दोष) नहीं किया है, या अपराध करके पुन उसका प्रतीकार कर लिया है, उसके द्वारा पूर्ण किया गया शील विशुद्ध शील कहलाता है। जिसने अपराध करके प्रतीकार नहीं किया उसका शील अविशुद्ध शील है। जो दस्तु, दोष, व्यतिक्रम (अध्याचार) के विषय में सन्देह (विमति) में पड़ गया है उसका शील वैमतिक शील कहलाता है ।

ग्रन्थकार का भेद- योगाचार को अविशुद्ध शील का विशोधन करना चाहिये, जिस विषय में सन्देह हो वहाँ वस्तु का उल्लङ्घन न कर, उससे पलायन न करते हुए, उस सन्देह को दूर (करने का उपाय) करना चाहिये—यही उसके लिये हितकर होगा ।

यो, विशुद्ध आदि भेद से भी शील के तीन भेद किये जा सकते हैं ।

शील-त्रिक के पञ्चम विभाग में— चार आर्यमार्गों (स्नोतआपत्र सकृदागामी अनागामी एव अर्हत) एवं तीन श्रामण्यफलों से युक्त शील शैक्ष्य शील होता है। अर्हत्व-फल से सम्प्रयुक्त शील

पटिसम्भिदायं पन्, यस्मा लोके तेसं सत्तानं पकति पि सीलं ति वुच्चति, यं प्रथाय—“अयं सुखसीलो, अयं दुक्खसीलो, अयं कलहसीलो, अयं मण्डनसीलो” ति भण्नति; तस्मा तेन परियायेन—“तीणि सीलानि, कुसलसीलं अकुसलसीलं अब्याकतसीलं” (ख० ५-४९) ति । एवं कुसलादिवसेन पि तिविधं ति वुतं । तथ अकुसलं इमर्स्म अत्थे प्रधिष्ठेतस्स सीलस्स लक्षणादीसु एकेन पि न समेतो ति इथं न उपनीतं । तस्मा वुत्तनयेनेवस्स तिविधता वेदितब्बा । (३)

शीलचतुष्कानि

१८. चतुष्कासु पठमचतुष्के,

योध सेवति दुस्सीले, सीलवन्ते न सेवति ।
 वस्थुवीतिक्कमे दोसं न पस्सति अविद्यसु ॥ १ ॥
 मिच्छासङ्कृप्यबहुलो इन्द्रियानि न रक्खति ।
 एकरूपस्स वे सीलं जायते हानभागियं ॥ २ ॥
 यो पनत्तमनो होति सीलसम्पत्तिया इथ ।
 कममद्वानानुयोगग्निं न उप्पादेति मानसं ॥ ३ ॥
 तुद्वस्स सीलमतेन अधटन्तस्स उत्तरि ।
 तस्स तं ठितिभागियं सीलं भवति भिक्षुनो ॥ ४ ॥
 सम्भवसीलो घटति समाधत्थाय यो पन ।
 विसेसभागियं सीलं होति एतस्स भिक्षुनो ॥ ५ ॥

शैक्ष्य कहलाता है। शेष न शैक्ष्य अशैक्ष्य शील कहलाता है। यों, शील के शैक्ष्य आदि भेद से भी तीन देव किये जा सकते हैं।

पटिसम्भिदामग्न में—“क्योंकि लोक मे उन उन प्राणियों का स्वभाव भी ‘शील’ कहलाता है, जिसके आधार पर ‘यह सुखशील (सुखस्त्वाव) है’, ‘यह कलह स्वभाव वाला है’, ‘यह शृङ्खारप्रिय (मण्डनशील) है’—इस प्रकार कहते हैं”, इसलिये उक्त ग्रन्थ में आलङ्कारिक (पर्याय) रूप से—‘शील तीन हैं—१. कुशल शील, २. अकुशल शील एव ३. अव्याकृत शील’ इस प्रकार कहा गया है। यों, कुशल आदि भेद से भी यह तीन प्रकार का कहा गया है। इनमे अकुशल अर्थ मे अभिग्रेत शील किसी भी लक्ष्य से मेल नहीं खाता। अतः इसे छोड़ उपर्युक्त विधि से इसका त्रैविद्य जानना चाहिये। (३)

शीलचतुष्क

२८. शीलचतुष्क-विभाग के प्रथम चतुष्के मे-

(१) जो मूर्ख दुशीलो (दुष्ट स्वभाव वालो) के संसर्ग मे रहता है, शीलवानों से कोई सम्पर्क नहीं रखता और जो (अज्ञानदश) धर्मनियम (वस्तु) के उल्लङ्घन मे कोई दोष नहीं देखता, नानाविध मिथ्यासङ्कृत्यों से युक्त होकर इन्द्रियों पर निश्च नहीं रखता, ऐसे पुरुष का शील पतन की ओर ले जाने वाला (हानभागीय) होता है ॥ १-२ ॥

(२) जो अपने अर्जित शील से सन्तुष्ट रहता है, परन्तु कर्मस्थान मे आगे लगने (अनुयोग) के लिये मन (सङ्कृत्य) भी नहीं करता, उस अर्जित शीलमात्र से प्रसन्न परन्तु आगे के लिये प्रथम न करने वाले भिक्षु का वह शील स्थितिभागीय कहलाता है ॥ ३-४ ॥

(३) किन्तु जो शीलसम्पन्न हो ध्यानपूर्वक स्वलक्ष्यसिद्ध्यर्थं प्रयत्नशील रहता है ऐसे भिक्षु का वह शील विशेषभागीय होता है ॥ ५ ॥

अतुद्गो सीलमतेन निब्बिदं योनुयुज्जति ।
होति निव्वेदधभागियं सीलमेतस्स भिक्खुनो ॥ ति ॥ ६ ॥

एवं हानभागियादिवसेन चतुष्विधं ।

दुतियचतुर्के, भिक्खु आरब्ध पञ्चतसिक्खापदानि, यानि च नेसं भिक्खुनीनं पञ्चतितो रक्षितब्बानि, इदं भिक्खुसीलं । भिक्खुनियो आरब्ध पञ्चतसिक्खापदानि, यानि च तासं भिक्खूनं पञ्चतितो रक्षितब्बानि, इदं भिक्खुनीसीलैः सामणेर-सामणेरीनं दससीलानि, (इदं) अनुसम्पन्नसीलं । उपासक-उपासिकानं निव्वयसीलवसेन पञ्चसिक्खापदानि, सति वा उस्साहे दस, उपोसथङ्गवसेन अङ्गा ति इदं गहद्गुसीलं ति । एवं भिक्खुसीलादिवसेन चतुष्विधं ।

ततियचतुर्के, उत्तरकुरुक्तानं मनुस्सानं अवीतिक्कमो पक्तिसीलं । कुलदेसपासण्डानं अत्तनो अत्तनो मरियादाचारितं आचारसीलं । “धम्मता एसा, आनन्द, यदा बोधिसत्त्वं मातुकुच्छिं ओक्कन्तो होति, न बोधिसत्तमातु पुरिसेसु मानसं उप्पज्जि कामगुणूपसर्हितं” (म०८० ३-१८५) ति एवं युतं बोधिसत्तमातुसीलं धम्मतासीलं । महाकरसपादीनं पन सुद्धसत्तानं, बोधिसत्तस्स च तासु तासु जातीसु सीलं पुञ्जहेतुकसीलं ति । एवं पक्तिसीलादिवसेन चतुष्विधं ।

चतुर्थचतुर्के, यं भगवता—“इथं भिक्खु पातिमोक्षसंवरसंवुतो विहरति

(४) और जो शीलमात्र से असन्तुष्ट होकर निर्वेद (विपश्यना या वैराग्य) को अपना लक्ष्य बनाता है ऐसे भिक्षु का शील निर्वेदभागीय होता है ॥ ६ ॥

ऐसे हानभागीय-आदि भेद से भी शील चतुर्विध होता है ।

द्वितीय शीलचतुष्कविभाग में— भिक्षुओं के लिये प्रज्ञात शिक्षापदों को, जिन्हे भिक्षुणियों के लिये प्रज्ञात शिक्षापदों से असम्बद्ध रखना चाहिये, भिक्षुशील कहते हैं । इसी प्रकार भिक्षुणियों के लिये प्रज्ञात शिक्षापदों को, जिन्हे भिक्षुशिक्षापदों से असम्बद्ध रखना चाहिये, भिक्षुशील कहते हैं । श्रामणेर-श्रामणेरियों के लिये प्रज्ञात जो दश शील हैं वे अनुपसम्पन्नशील कहलाते हैं । उपासक-उपासिकाओं के लिये नित्यशील के रूप में प्राप्त पाँच शिक्षाप्रद अथवा उत्साहसम्प्रता में दस, व उपोन्नथ-अङ्ग के रूप में प्रज्ञात आठ शिक्षापद—ये गृहस्थशील कहलाते हैं । यो, भिक्षुशील-आदि भेद से भी शील चतुर्विध है ।

शीलचतुष्क के तृतीय विभाग में— १ उत्तरकुरुप्रदेशनिवासी जनों का पञ्चशील का अनुलक्षण (अत्यतिक्रम) प्रकृति (स्वभाव) शील है ।

२ कुल, देश या पाण्डित्यारी सम्प्रदायों का अपनी अपनी परम्परा में भावित शील आचारशील कहलाता है ।

३ चत्तिरामनिकाय में—“आनन्द! यह स्वाभाविक बात (र्धमता) ही है कि जब बोधिसत्त्व माता के गर्भ में आये होते हैं तब से बोधिसत्त्व की माता को पुरुषों के प्रति कामरागचित्त उत्पन्न नहीं होता” कही गयी उक्ति के प्रमाण से बोधिसत्त्व की माता का यह शील धर्मताशील कहलाता है ।

४ महाकाश्यप आदि पवित्रमना भिक्षुओं तथा बोधिसत्त्वों द्वारा भावित शील पूर्वहेतुक शील होता है । यो, प्रकृतिशील-आदि के भेद से भी शील चतुर्विध होता है ।

शीलचतुष्क के चतुर्थ विभाग में— (१) दीघनिकाय में प्रोक्त भगवान् की इस उक्ति के

आचारगोचरसम्पत्रो, अणुभत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु” (दी० निं० १-५५) ति एवं बुतं सीलं, इदं पातिमोक्षसंबरसीलं नाम। यं पन “सो चक्रखुना रूपं दिस्वा न निमित्तगाही होति नानुब्यञ्जनगाही, यत्वाधिकरणमेनं चक्रखुन्दियं असंबुतं विहरन्तं अभिज्ञादोमनस्सा पापका अकुसला धर्मा अन्वास्सबेव्युं, तस्स संवाराय पटिपञ्जति, रक्षति चक्रखुन्दियं, चक्रखुन्दिये संबरं आपञ्जति। सोतेन सहं सुत्वा ...पे०.... धानेन गन्धं धायित्वा ...पे०.... जिङ्हाय रसं सायित्वापे०.... कायेन फोटुब्बं फुसित्वापे०.... मनसा धर्मं विज्ञाय न निमित्तगाहीपे०.... मनिन्द्रिये संबरं आपञ्जती” (म० निं० १-३३०) ति बुतं, इदं इन्द्रियसंबरशीलं। या पन आजीवेतुपञ्जतानं छानं सिक्खापदानं वीतिकमस्स, “कुहना लपना नेमित्तिकता निष्पेसिकता लाभेन लाभं निजिगीसनता” ति एवमादीनं च पापधर्मानं वसेन पवत्ता मिच्छाजीवा विरति, इदं आजीवपारिसुद्धिसीवं। “पटिसङ्घा योनिसो चीवरं पटिसेवति, यावदेव सीतस्स पटिष्ठाताया” (म० निं० १-१४) ति आदिना नयेन बुतो पटिसङ्घानपरिसुद्धो चतुपच्यपरिभोगे पच्यथसत्रिसितसीलं नाम।

(क) पातिमोक्षसंबरसीलं

२९. तत्रायं आदितो पट्टाय अनुपुब्बपदवण्णनाय सद्दिं विनिच्छयकथा—इधाति।

माध्यम से—“यहीं भिक्षु प्रातिमोक्षसंबर से सबृत एवं आचार (मन इन्द्रिय द्वारा शुभ आचरण) एवं गोचर (कर्मन्दियों द्वारा कृत शुभ कर्म) से सम्पन्न हो साधना में लगा रहता है, छोटे से छोटे दोषों से मी भय मानना उसका स्वभाव बन जाता है, यह भलीभांति शिक्षापदों का ग्रहण कर उनका अभ्यास करता है”—कहा गया शील प्रातिमोक्षसंबर शील कहलाता है।

(२) “वह चक्षु इन्द्रिय से रूप (विषय) को देखकर न उसके लक्षणों (निमित्तों) का ग्रहण करता है, न चिह्नों (अनुव्यञ्जनों) का, जिसके कारण, यदि वह अपनी चक्षुरिन्द्रिय को असंयत छोड़ दे तो लोभ, दौर्मनस्य आदि पापमय अकुशल धर्म उत्पन्न होने लगेंगे, अतः उनके संवरहेतु साधक प्रयत्नवान् रहता है, चक्षुरिन्द्रिय की लोभादि से रक्षा करता है, उसमें संवर करता है। श्रोत्र से शब्द सुनकर...घाण से गन्ध सूंधकर...जिङ्हा से रस चखकर...काय से स्पर्शय (स्पर्शयोग्य) को स्पर्शकर...मन से धर्म को जानकर...मन इन्द्रिय से संबर करता है” इस सन्दर्भ में कथित शील इन्द्रियसंबरशील कहलाता है।

(३) और जो आजीविका (रोजी-रोजगार) के सन्दर्भ में प्रज्ञास छह शिक्षापदों के उत्पन्न, व्यक्ति मारना (कूटवर्याभ्युहना), स्व या पर की मिथ्या प्रशंसा (लपना-वाचालता), करना, निमित्तकथम, (शकुन-अपशकुन आदि बताना=निमित्तिकता), दूसरों को नीचा दिखाना (निष्पेषिकता), एक लाभ से दूसरे लाभ का अन्वेषण (निजिगिसनता) आदि प्रकार से पाप (उत्पन्न करने वाले) धर्मों के सहारे से होने वाली आजीविका (=कमाई) से विरत रहना—यह आजीवपरिशुद्धि शील है।

(४) “प्रज्ञा से सम्प्रक्षया सोच विचार कर चीवर का उत्त्राण ही उपयोग करता है, जिससे शीत या ताप से रक्षा (बचाव) हो सके” इस बुद्ध-व्यधन से कहा गया; चिन्तन से परिशुद्ध चार प्रत्ययों (चीवर, पिण्डपात, शयनासन, ग्लानप्रत्ययमैवज्य) का उपयोग प्रत्यवस्थाश्रित शील कहलाता है।

(क) प्रातिमोक्षसंबरशील

२९ अब उपरिवर्णित ‘दीघनिकाय’ के ‘इध मिक्खु’ इस ग्रन्थाशा (पृष्ठ २५) के पदों की आनुपर्युक्त (क्रमिक) व्याख्या (वर्णन) की जा रही है—

इमर्स्मि सासने। भिक्खू ति। संसारे भयं इक्खणताय वा भिन्नपटधरादिताय वा एवं लङ्घवोहरो सद्गापब्जितो कुलपुतो। पातिमोक्खसंवरसंवुतो ति। एत्थ पातिमोक्खं ति सिक्खापदसीलं। तं हि यो नं पाति रक्खति, तं मोक्खेति, भोचयति आपाथिकादीहि दुक्खेहि, तस्मा पातिमोक्खं ति चुच्छति। संवरणं संवरो। कायिकवाचिकस्स अवीतिकमस्सेतं नामं। पातिमोक्खमेव संवरो पातिमोक्खसंवरो। तेन पातिमोक्खसंवरेन संवुतो पातिमोक्खसंवरसंवुतो=उपगतो, समशागतो ति अत्थो। विहरती ति। इरियति। आचारगोचरसम्पन्नो ति आदीनं अत्थो पालियं आगतनयेनेव वेदित्वाऽन्नो। युतं हेतं—

“आचारगोचरसम्पन्नो ति। अतिथ आचारो, अतिथ अनाचारो।

“तथ कतमो अनाचारो? कायिको वीतिकमो, वाचसिको वीतिकमो, कायिक-वाचसिको वीतिकमो, अयं चुच्छति अनाचारो। सम्बं पि दुस्सील्यं अनाचारो। इधेकच्चो वेळुदानेन वा पतदानेन वा पुष्फफलसिनानदन्तकटुदानेन वा चाटुकम्यताय वा मुग्गसूप्यताय वा पारिभट्ट्यताय वा जहृपेसनिकेन वा अञ्जतरञ्जतरेन वा शुद्धपटिकुट्टेन मिच्छाआजीवेन जीविकं कप्पेति, अयं चुच्छति अनाचारो।

“तथ कतमो आचारो? कायिको अवीतिकमो, वाचसिको अवीतिकमो, कायिक-वाचसिको अवीतिकमो, अयं चुच्छति आचारो। सम्बं पि सीलसंवरो आचारो। इधेकच्चो न वेळुदानेन वा, न पत.... न पुष्फ.... न फल.... न सिनान.... न दन्तकटुदानेन वा न चाटुकम्यताय वा न मुग्गसूप्यताय वा न पारिभट्ट्यताय वा न जहृपेसनिकेन वा न अञ्जतरञ्जतरेन वा शुद्धपटिकुट्टेन मिच्छाआजीवेन जीविकं कप्पेति, अयं चुच्छति आचारो।

“गोचरो ति। अतिथ गोचरो, अतिथ अगोचरो।

इथ— इस बुद्ध-शासन में। मिक्षु— कोई ब्रह्मवश प्रवाजित हुआ कुलपुत्र संसार में भय देखने के कारण या फटे—पुराने वस्त्र (वीवर) पहनने के कारण लोकव्यवहार में ‘मिक्षु’ इस नाम से पुकारा जाता है। पातिमोक्खसंवरसंवुतो—यहाँ ‘प्रातिमोक्ष’ का अर्थ है—शिक्षापदों में यर्णित आचार का पालन। जो उसका पालन करता है, रक्षण करता है, उसे वह भव-बन्धन से मुक्त करता है, अपाय, दुर्गति आदि दुःखों से छुटकारा दिलाता है, अतः वह ‘प्रातिमोक्ष’ कहलाता है। ‘संवर’ कहते हैं संयम को। यहाँ इस शब्द का ‘काय-वागत संयम’ से अभिप्राय है। इस प्रातिमोक्ष का संवर ही ‘प्रातिमोक्षसंयम’ है। यो उस प्रातिमोक्षसंवर से सवृत, उपगत, समन्वयत (युक्त) या प्राप्त व्यक्ति ही ‘प्रातिमोक्षसंवरसंवुत’ हुआ। विहरति—हरण (मिक्षु-व्यवहार) करता है।

आचारगोचरसम्पन्नो आदि (अवशिष्ट) शब्दों का अर्थ पालि (बुद्धवचन) में अन्यत्र (अभिं० २-२९६) जैसा मिलता है, वैसा ही यहाँ भी समझना चाहिये। वहाँ यह कहा गया है—

आचार और गोचर से सम्पन्न—‘आचार’ (का) भी (विद्वानों ने स्पष्टीकरण किया) है, अनाचार (का) भी।

आचार— यहाँ उस प्रसङ्ग में ‘अनाचार’ क्या है? कायसम्बन्धी आचार (शील) का, वाक्सम्बन्धी आचार का तथा काय-वाक्सम्बन्धी आचार का उल्लेख यहाँ ‘अनाचार’ कहलाता है। संक्षेप में यो कहिये कि सभी दुशील (दुराचारभय) व्यवहार ‘अनाचार’ है। यहाँ कोई पुरुष बास का भार उपहार में देकर या पत्र, पुष्प या फल, खानोपयोगी द्रव्य (तैल, उबटन, वस्त्र आदि) या दत्तउन उपहार में देकर या चाटुकारिता (खुशामद) कर, या झूठ सच बोलकर या उसके शत्रुओं से कृत्रिम विरोध

“तत्थ कतमो अगोचरो ? इधेकच्चो वेसियागोचरो वा होति, विधवा-थुलकुमारिका-पण्डक-भिक्खुनी-पानागारगोचरो वा होति, संसद्गो विहरति राजूहि राजमहामतेहि तित्थियेहि, तित्थियसावकेहि अननुलोभिकेन संसगेन, यानि वा पन तानि कुलानि अस्सद्गानि अप्पसत्रानि अक्षोसकपरिभासकानि अनत्थकामानि अहितकामानि अफासुककामानि अयोगकखेमकामानि भिक्खुनं भिक्खुनीनं उपासकानं उपासिकानं, तथारूपानि कुलानि सेवति भजति परिहरुपासति, अयं बुच्चति अगोचरो ।

“तत्थ कतमो गोचरो ? इधेकच्चो न वेसियागोचरो वा होति ... पे०..., न आनागारगोचरो वा होति, असंसद्गो विहरति राजूहि ... पे०... तित्थियसावकेहि अननुलोभिकेन संसगेन, यानि वा पन तानि कुलानि सद्गानि पसत्रानि ओपानभुतानि कासावपज्जोतानि इसिवातपटिवातानि अत्थकामानि ... पे०... योगकखेमकामानि भिक्खुनं ... पे०... उपासिकानं, तथारूपानि कुलानि सेवति भजति परिहरुपासति, अयं बुच्चति गोचरो । इति इमिना च आचारेन इमना च गोचरेन उपेतो होति समुपेतो उपगतो समुपगतो उपपत्रो सम्पत्रो समक्षागतो । तेन बुच्चति—“आचार-गोचरसम्पत्रो” (अभिं० २-२९६) ति ।

अपि चेत्थ इमिना पि नयेन आचारगोचरा वेदितब्बा—

दुविधो हि अनाचारो, कायिको वाचसिको च । तत्थ कतमो कायिको अनाचारो ?

दिखाकर या सेवा-टहल कर या भगवान् बुद्ध द्वारा निन्दित अतएव निषिद्ध आजीविका (जीवन-शृंति) से अपना जीवननिर्वाह करता है—यही ‘अनाचार’ कहा जाता है।

और वहों (पालि-पाठ में) ‘आचार से’ क्या तात्पर्य है? “सास्त्रोक्त काय तथा वाणी के ? मौ का अनुकूलन या काय-वाक्यर्मा का अनुकूलन ही यहों ‘आचार’ पद से अभिप्रेत है। यहों कोई न, तो बैस का भार उपहार में देकर, न पत्र या पुष्ट-फल, खानोपयोगी द्रव्य या दतुअन आदि उपहार में देकर, न चाटुकरिता (मुँहदेखी बात) करके, न झूठ-सच बोलकर, न उसके शत्रुओं से कृत्रिम विरोध दिखाकर, न सेवा-टहल कर, न बुद्ध द्वारा निन्दित अतएव निषिद्ध कर्मों से आजीविका दलात हुआ जीवननिर्वाह करता है— यही (उसका) ‘आचार’ कहलाता है।

गोचर—शास्त्र में गोचर का भी वर्णन है, अगोचर का भी। “वहों ‘अगोचर’ शब्द का क्या अभिप्राय है? यहों कोई वेश्यागामी हो या विधवा, अविवाहित स्वस्थ वय प्राप्त लड़की (स्थूलकुमारी), न्युसक या मिक्षुणी से समागम (मैथुन) करने वाला हो, मध्यशाला जाता हो, या राजा व राजा के महामात्य, अन्यतीर्थिको या उनके शिष्यों से अननुलोभ (प्रतिकूल) संसर्ग द्वारा या वैसे वैसे श्रद्धाविरहित परिवारों (कुलों) से वैर रखने वालों से, मिक्षु-मिक्षुणी-उपासक-उपासिकाओं को कोसने, कटुवचन बोलने वालों से या इनका अहित अनिष्ट या अयोग्यक्षेम चाहने वालों से सम्पर्क रखता है, मेल-जोल बढ़ाता है, उनके पास बार बार जाता है—ऐसा व्यक्ति ‘अगोचर’ कहलाता है।

“और वहों ‘गोचर’ शब्द से क्या तात्पर्य है? यहों जो न वेश्यागामी हो ... पूर्ववत् ... न पदारालय जाय, न राजाओं से न जो अन्यतीर्थिको के शिष्यों से मेल-जोल बढ़ाता हो, न उनके पास बार बार जाता हो, और जो मिक्षुओं के प्रति प्रेमभाव श्रद्धा व धर्म भाव रखने वाले ऐसे हितैषी देशक्षेमकारक परिवारों में ही आन जाना हो जहाँ काश्य-वस्त्र (चीवर) धारी, क्रुष्णी के आचारमय शतावरण में रहने वाले मिक्षुओं का ही प्राय आता-जाता हो, वह ‘गोचर’ कहलाता है। यो, जो ऐसे आचार, ऐसे गोचर से युक्त, सम्पत्र एव समन्वागत हो वही ‘आचारगोचरसम्पत्र’ कहलाता है।”

और यहों इस प्रकरण में इन ‘आचार’ ‘गोचर’ शब्दों का यह अर्थ भी समझा जा सकता है—

इधेकच्चो सङ्घगतो पि अचित्तीकारकतो थेरे भिक्खू घट्यन्तो पि तिटुति, घट्यन्तो पि निसीदति, पुरतो पि तिटुति, पुरतो पि निसीदति, उच्चे पि आसने निसीदति, ससीसं पि पारुपित्वा निसीदति, ठितको पि भणति, ब्राह्मिकखेपको पि भणति, थेरानं भिक्खूनं अनुपाहनानं चङ्गमन्तानं सउपाहनो चङ्गमति, नीचे चङ्गमे चङ्गमन्तानं उच्चे चङ्गमे चङ्गमति, छमायं चङ्गमन्तानं चङ्गमे चङ्गमति, थेरे भिक्खू अनुपखज्जा पि तिटुति, अनुपखज्जा पि निसीदति, नवे पि भिक्खू आसनेन पठिबाहति, जन्ताथेरे पि थेरे भिक्खू अनुपच्छा कटुं पकिखपति, द्वारं पिदहति, उदकतित्थे पि थेरे भिक्खू घट्यन्तो पि ओतरति, पुरतो पि ओतरति, घट्यन्तो पि न्हायति, पुरतो पि न्हायति, घट्यन्तो पि उत्तरति, पुरतो पि उत्तरति; अन्तरधरं पविसन्तो पि थेरे भिक्खू घट्यन्तो पि गच्छति, पुरतो पि गच्छति, बोक्खम् च थेरानं भिक्खूनं पुरतो पुरतो गच्छति, यानि पि तानि होन्ति कुलानं ओवरकानि गूळ्हानि च पटिच्छानि च यथ कुलित्थियो कुलकुमारियो निसीदन्ति, तथ पि सहसा पविसति, कुमारकस्स पि सीसं परामसति—अयं बुच्चित कायिको अनाचारो ।

तथ कतभो वाचसिको अनाचारो ? “इधेकच्चो सङ्घगतो पि अचित्तीकारकतो थेरे भिक्खू अनुपच्छा धम्मं भणति, पञ्चं विस्सज्जेति, पातिमोक्खं उद्दिसति, ठितको पि भणति, ब्राह्मिकखेपको पि भणति, अन्तरधरं पविट्ठो पि इत्थं वा कुमारि वा एवमाह—‘इत्थनामे, इत्थंगोते किं अतिथ ? यागु अतिथ ? भत्तं अतिथ ? खादनीयं अतिथ ? किं पिविस्साम ? किं

कायिक वाचिक भेद से अनाचार दो प्रकार का होता है। वहाँ ‘कायिक अनाचार’ क्या है? यहाँ कोई सङ्घ में समिलित होता हुआ अशिष्टा के साथ स्थविर मिक्खुओं को ढकेलते हुए खड़ा होता है, ढकेलते हुए बैठता है, उनके सामने (पीठ देकर) खड़ा हो जाता है, बैठ जाता है; उनसे ऊँचे आसन पर बैठता है, सिर ढक कर बैठता है, उनके सामने खड़ा होकर बोलता है, असम्मान की दृष्टि से हाथ फैक-फैक कर बोलता है, स्थविर मिक्खु जब विना जूता खड़ाऊँ पहने चक्रमण कर रहे हो तो उनके सामने जूता आदि पहनकर चक्रमण करता हो, या वे जब किसी नीचे स्थान पर चक्रमण कर रहे हो तब वह उनके सामने उनकी अपेक्षा उनसे ऊँचे स्थल पर चक्रमण करता है, स्थविर मिक्खुओं को धक्का देता हुआ खड़ा होता है या बैठता है, नये मिक्खुओं को आसन ग्रहण करने से रोकता है, स्थविर मिक्खुओं को विना पूछे, खानगृह में काठ (का आसन) रख देता है या उस खानगृह के द्वार बन्द कर देता है, घाट पर खान करते समय स्थविर मिक्खुओं को एक तरफ ढकेलते हुए जल में उत्तरता है, या उनके सामने से भी उत्तरता है, उन्हें ढकेलते हुए नहाता है, उनके सामने भी नहाता है, किन्तु गृहस्थों के घरों में प्रवेश करते समय स्थविर मिक्खुओं को ढकेलते हुए भीतर जाता है, और गृहस्थों के घरों में जहर्ण अदरोध (पर्द) लगे हुए हो या निजी कक्ष हो, जिनमें कि परिदार की स्त्रियाँ एवं कुमारियाँ रहती हों, वहाँ भी सहसा, अनुमति के विना प्रवेश करता है, वहाँ सोये या बैठे बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के बहाने से हाथ फेरता है, उन्हें धपथपाता है— यह ‘कायिक अनाचार’ है।

‘वाचिक अनाचार’ क्या है? “यहाँ कोई सङ्घ में जाकर अशिष्टा के साथ, स्थविर मिक्खुओं की आज्ञा के विना ही, धर्म के विषय में प्रश्न करता है, उत्तर देता है, प्रातिमोक्ष का पारायण करता है, खड़ा होकर बोलता है, बौहं पसार-पसार कर बोलता है, गृहस्थों के घर में प्रवेश कर वहाँ किसी स्त्री या कुमारी से इस प्रकार कहता है— ‘अरी ओ अमुक नाम या अमुक गोत्र वाली! (आज हमारे लिये) क्या भोजन बनाया है? मेरे लिये दाल है? भात है? खाने योग्य या पीने योग्य कुछ है? भोजन

खादिस्साम ? किं भुजिस्साम ? किं वा मे दस्सथा' ति विप्लपति—अयं वुच्चति वाचसिको अनाचारो ॥ (खु० ४:१-११) । पटिएक्षब्दवसेन पनस्स आचारो वेदितब्बो ।

अपि च—भिक्खु सगारवो सप्ततिस्सो हिरोतप्पसम्बन्धो सुनिवत्थो सुपारुतो, पासादिकेन अभिकन्तेन पटिकन्तेन आलोकितेन विलोकितेन समिज्जितेन पसारितेन ओक्षितचक्षु इरियापथसम्बन्धो, इङ्ग्रियेसु गुत्तद्वारो, भोजने मत्तज्जू जागरियमनुयुक्तो, सतिसम्पज्जेन समन्नागतो, अग्निच्छो, सन्तुष्टो, आरद्धविरियो, आभिसमाचारिकेसु सक्षच्चकारो, गरुचितीकारबहुलो विहरति—अयं वुच्चति आचारो । एवं ताव आचारो वेदितब्बो ।

गोचरो पन तिविधो—उपनिस्सयगोचरो, आरक्खगोचरो, उपनिबन्धगोचरो ति । तथ कतमो उपनिस्सयगोचरो ? दसकथावत्थुगुणसमन्नागतो कल्याणमित्तो यं निस्साय अस्सुतं सुणाति, सुतं परियोदपेति, कहुँ वितरति, दिद्धिं उजुं करोति, चित्तं पसादेति । यस्स वा पन अनुसिक्खमानो सद्ग्राय वद्वृति, सीलेन, सुतेन, चागेन, पञ्जाय वद्वृति—अयं वुच्चति उपनिस्सयगोचरो ।

कतमो आरक्खगोचरो ? इध भिक्खु अन्तरधरं पविद्वो वीथिं पटिपन्नो ओक्षितचक्षु युगमत्तदस्सावी सुसंवुतो गच्छति, न हत्थिं ओलोकेन्तो, न अस्सं, न रथं, करने योग्य क्या है? हमे क्या दोगी?—यो अस्तम्भद्व वचन बोलता है—यह भी 'वाचसिक अनाचार' कहलाता है ।

इसके प्रतिकूल आवरण 'वाचसिक आचार' कहलाता है ।

और फिर काई भिक्षु धर्म एव सङ्घ के प्रति सम्मान, सङ्क्षेप एवं लज्जा के साथ भलीभौति अन्तर्वासक (भीतरी दस्त्र) एवं चीतर धारण किये हुए, प्रसन्नवदन हो, ठीक तरह से आलोकन—विलोकन कर अग्ने पीछे चलते समय अपने अङ्गों को ठीक तरह से समेटते पसारते हुए, नीची नजर कर अपनी शारीरिक वेणु करता है, इन्द्रियों पर संयम रखता है, भोजन का उपयोग उचित मात्रा में करता है, जागरणशील रहता है, स्मृति एवं सम्प्रजन्य से युक्त होता है, अल्पेष्ठ है तथा यथालाभसन्तुष्ट रहता है, उद्योगरत एव सदाचार—कर्मों को आदरपूर्वक करने वाला तथा गुरु—वृद्धजनों को सम्मनित दृष्टि से देखता हुआ साधना में तत्पर रहता है—इसे 'आचार' कहते हैं । यो 'आचार' के विषय में समझना चाहिये ।

फिर 'गोचर' के भी तीन प्रकार हैं; जैसे—१. उपनिश्रयगोचर, २. आरक्खगोचर एव ३. उपनिबन्धगोचर । इनमे उपनिश्रयगोचर क्या है? दश कथावस्तुओं^१ के गुणों से समन्वित कल्याणमित्र, जिसके सहारे न सुने हुए को सुनता है, सुने हुए का सशोधन करता है, शङ्खा—सन्देह मिटाता है, यथार्थदर्शी बनता है, इस तरह चित्त में प्रसन्नता की दृष्टि करता है । अथवा—जिसके द्वारा शिक्षित हो वह श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग और प्रज्ञा में उन्नति करता है—यह 'उपनिश्रयगोचर' कहलाता है ।

'आरक्खगोचर' क्या है? यहाँ काई भिक्षु गृहस्थ के घर मे प्रवेश करते या मार्ग (विधि) मे चलते हुए नीची दृष्टि रखकर चार हाथ की दूरी तक ही देखता हुआ (=युगमार्गदर्शी) एवं सर्वथा संयत

^१ दश कथावस्तु—१. अल्पेष्ठता, २. सन्तुष्टि, ३. प्रविवेक, ४. असंसृष्टि, ५. वीर्यरम्भ, ६. शील, ७. समाधि, ८. प्रज्ञा, ९. विमुक्ति एव १० विमुक्तिज्ञानदर्शन (म०नि० १-३, ४) ।

न पत्ति, न इत्थं, न पुरिसं ओलोकेन्तो, न उद्धु उलोकेन्तो, न अथो ओलोकेन्तो, न दिसाविदिसं पेक्खमानो गच्छति, अयं बुच्छति आरक्खगोचरो ।

कतमो उपनिबन्धगोचरो ? चतारो सत्तिपट्टाना यत्थ चित्तं उपनिबन्धति । बुत्तं हेतं भगवता—“को च, भिक्खुवे, भिक्खुनो गोचरो सको पेत्तिको विसयो ? यदिदं चतारे सत्तिपट्टाना” (सं० ४-१२७) ति, अयं बुच्छति उपनिबन्धगोचरो । इति इमिना च आचारेन इमिना च गोचरेन उपेतोः पैदे समन्वयाणां । तेन पि बुच्छति—आचारगोचरसम्पन्नो ति ।

अणुमत्तेसु वज्रेसु भयदस्मावी ति । अणुप्पमाणेसु असञ्ज्ञिच्च आपत्त्वसेचिय-अकुशलचित्तप्यादादिभेदेसु वज्रेसु भयदस्सनसीलो । समादाय सिक्खिति सिक्खिपदेसु ति । यं किञ्चि सिक्खिपदेसु सिक्खितब्बं, तं सब्बं सम्मा आदाय सिक्खिति ।

एत्थं च “पातिमोक्खसंवरसंवृतो” ति एतावता च पुगलाधिष्ठानाय देसनाय पातिमोक्खसंवरसीलं दस्सितं । “आचारगोचरसम्पन्नो” ति आदि पन सब्बं यथापटिपत्रस्सं तं सीलं सम्पज्जति, तं पटिपत्तिं दस्सेतुं बुत्तं ति वेदितब्बं ॥

(ख) इन्द्रियसंवरशीलं

३०. यं पनेतं तदनन्तरं “सो चक्खुना रूपं दिस्वा” ति आदिना नयेन दस्सितं इन्द्रियसंवरशीलं, तत्थ— सो ति । सो पातिमोक्खसंवरसीले ठितो भिक्खु । चक्खुना रूपं दिस्वा ति । कारणवसेन चक्खु ति लद्धबोहारेन रूपदस्सनसम्भवेन चक्खुविवृष्ट्युणेन रूपं दिस्वा । पोराणा पनाहु—“चक्खु रूपं न पस्सति, अचित्तकत्ता; चित्तं न पस्सति, अचक्खुकत्ता;

होकर चलता है, मार्ग में न हाथी, न घोड़े, न रथ, न पैदल चलने वालों को, न स्त्री न पुरुष को, न ऊपर न नीचे, न इधर, न उधर (यर्थी) देखते हुए चलता है—यह ‘आरक्खगोचर’ कहलाता है ।

‘उपनिबन्धगोचर’ क्या होता है ? वे चार सृतिप्रस्थान, जहाँ चित्त उपनिबद्ध होता है । भगवान् ने कहा भी है—“मिशुओ ! मिशु का कौन सा गोचर उसका पैतुक उत्तराधिकार होता है ? यही जो ये चार सृति-प्रस्थान हैं !”—यह उपनिबन्धगोचर कहलाता है । यों, इस आचार व इस गोचर से युक्त ... पूर्वार्थ ... समन्वयाणत ही ‘आचारगोचरसम्पन्न’ कहलाता है ।

अणुभाव (अल्पतम) दोषों में भी भय देखने वाला—प्रातिमोक्ष के छोटे छोटे नियर्मा का अज्ञान में हुए उक्खुन एवं अल्पभाव अकुशलचित्तोत्पाद जैसे वर्जित दोषों के करने में भी भय भानने वाला । शिक्षापदों का अहन कर उनका अभ्यास करता है—शिक्षापदों में जो कुछ भी सीखने योग्य है उस सबको यथार्थतः ग्रहण कर अभ्यास करता है ।

यहाँ यह ‘प्रातिमोक्षसंवर संयुक्त’ तक व्यक्ति (पुरुष) पर आधृत देशना द्वारा प्रातिमोक्ष संवरशील कहा गया । ‘आचारगोचरसम्पन्न’ आदि (शब्दों से) ज्ञो सब कहा गया है वह, यथाप्रतिपत्ति का जो शील पूर्ण होता है, उसके मार्ग (प्रतिपत्ति) का प्रदर्शन करने के लिये कहा गया है—ऐसा समझना चाहिये ।

(ञ) इन्द्रियसंवरशील

३०. उसके बाद यह जो ऊपर “चक्षु से रूप देखकर” “आदि प्रकार से पालि-पाठ द्वारा इन्द्रियसंवर कहा गया है उसका व्याख्यान इस तरह है—सो— वह प्रातिमोक्षसंवरशील साधनारत मिशु । चक्खुना रूपं दिस्वा—यह एक दोलने का ढंग है, अन्यथा वस्तुतः रूपदर्शन में समर्थ तो चक्षु का विज्ञान है । इसीलिये प्राचीन (पौराण) विद्वान् कहते हैं—“चित्त से सम्बद्ध न होने पर चक्षुरिन्द्रिय

द्वारारमणसङ्कटे पन चक्रखुपसादवत्थुकेन चित्तेन पस्सति । ईदिसी पनेसा 'धनुना विज्ञती' ति आदिसु विय संसम्भारकथा नाम होति । तस्मा 'चक्रखुविज्ञाणेन रूपं दिस्वा' ति अयमेवेत्थ अत्थो" ति ।

न निमित्तगग्नाही ति । इत्थिपुरिसनिमित्तं वा सुभनिमित्तादिकं वा किलेसवत्थुभूतं निमित्तं न गणहति, दिद्धमते येव सण्ठाति ।

नानुव्यञ्जनगग्नाही ति । किलेसानं अनु अनु व्यञ्जनतो पाकटभावकरणतो अनुव्यञ्जनं ति लद्धवोहारं हत्यपादसितकथितआलोकितविलोकितादिभेदं आकारं न गणहति, यं तत्थ भूतं, तदेव गणहति, चेतियपब्बतवासी महातिसत्थेरो विय ।

थेरं किर चेतियपब्बता अनुराधपुरं पिण्डचारत्थाय आगच्छन्तं अञ्जतरा कुलसुष्णहा सामिकेन सद्धिं भण्डित्वा सुमण्डितपसाधिता देवकञ्जा विय कालस्सेव अनुराधपुरतो निकञ्जभित्वा जातिधरं गच्छन्तो अन्तरामग्ने दिस्वा विपलत्थचित्ता महाहसितं हसि । थेरो 'किमेतं' ति ओलोकेन्तो तस्सा दन्तटिके असुभसञ्जं पटिलभित्वा अरहतं पापुणि । तेन बुत्तं—

"तस्सा दन्तटिकं दिस्वा पुब्बसञ्जं अनुस्सरि ।

तथेव सो ठितो थेरो अरहतं अपापुणो" ति ॥

सामिको पि खो पनस्सा अनुमग्नं गच्छन्तो थेरं दिस्वा "किञ्चि, भन्ते, इतिं पस्सथा?" ति पुच्छि । तं थेरो आह—

रूप को नहीं देख पाती; अकेला चित्त भी रूप का साक्षात्कार नहीं कर पाता; क्योंकि वहाँ तब चक्षुरिन्द्रिय नहीं है । यहाँ वास्तविकता यह है कि पुरुष का चक्षु आदि छह द्वार एवं रूप आदि छह आलम्बनों का संसर्ग होने पर चक्षुप्रसादमय चित्त से ही कुछ देखता है । यह 'चक्षु से रूप देखकर' कहाना तो ऐसे ही है जैसे हम लोक में बोलते रहते हैं—"धनुष से मारता है" । जबकि वहाँ उस मारणकिया का साधन तीर है, धनुष नहीं । अतः यहाँ 'चक्रखुना रूप दिस्वा' का यही अर्थ समझना चाहिये कि चक्षुर्विज्ञान से रूप को देखकर ।"

न निमित्तगग्नाही— वह 'स्त्री' या 'पुरुष' निमित्त को या शुभादि निमित्तों को (जैसे 'यह स्त्री है', 'यह पुरुष है', 'यह सुन्दर है' आदि रूप में दृश्य विषयों को) केवल उन्हें (वास्तविक स्वरूप में) देखकर ही रह जाता है, उनकी तरफ आकृष्ट नहीं होता ।

नानुव्यञ्जनगग्नाही— अनुव्यञ्जनगग्नाही नहीं होता । क्लेशों का अनुगामी होने से या उन्हें प्रकट करने से 'अनुव्यञ्जन' तज्ज्ञा से व्यवहृत हस्तपादादि का सञ्चालन, हँसना-मुस्कराना, बोलना, अवलोकन (आगे देखना) विलोकन (पीछे देखना) आदि आकारों को ग्रहण नहीं करता । जो यथार्थ है उसी का ग्रहण करता है, जैसे चैत्यपर्वतवासी महातिष्य स्थधिर ने किया था ।

इस स्थधिर की कथा यह है— स्थधिर के चैत्य पर्वत से उत्तरकर, भिक्षाहेतु अनुराधपुर जाते समय, कोई कुलवधु, जो अपने पति से गृहकलह कर देवकन्या की तरह सज-धज कर बहुत प्रातः ही अनुराधपुर से निकल अपने मातृगृह जा रही थी, मार्ग के बीच उस स्थधिर को देख, दृष्टिवित्त (काममुघ) हो, जोर से हँसी। स्थधिर ने 'यह क्या है?'—इस प्रकार देखते हुए उसके दाँतों की अस्थियों में अशुभसज्जा को ग्रहण कर अर्हत्व पा लिया । इसीलिये कहा गया है—

"उसके दाँतों की अस्थियों देखकर स्वयं द्वारा अधिघान की गयी पहले वाली (अशुभ) संज्ञा का अनुसरण कर उस स्थधिर ने वहाँ खड़े-खड़े ही अर्हत्व प्राप्त कर लिया ।"

“नाभिजानामि इत्थी वा, पुरिसो वा इतो गतो ।

अपि च अद्विसङ्घातो, गच्छतेस महापथे” ति ॥

यत्वाधिकरणमेन ति आदिम्ह यङ्गारणा यस्स चक्रखुन्द्रियासंवरस्स हेतु एतं पुगलं सतिकवाटेन चक्रखुन्द्रियं असंबुतं अपिहितचक्रखुद्वारं हुत्वा विहरन्तं एते अभिज्ञादयो धम्मा अन्वास्सवेयुं, अनुबन्धेयुं । तस्स संवराय पटिपञ्चति । तस्स चक्रखुन्द्रियस्स सतिकवाटेन पिदहनत्थाय पटिपञ्चति । एवं पटिपञ्चतो येव च रक्खति चक्रखुन्द्रियं, चक्रखुन्द्रिये संवरं आपञ्चति ति पि युच्चति । तथं किञ्चापि चक्रखुन्द्रिये संवरो वा असंवरो वा नस्थि । न हि चक्रखुपसादं निस्साय सति वा मुद्गसच्च वा उप्पञ्चति । अपि च यदा रूपारम्भणं चक्रखुस्स आपाथं आगच्छति, तदा भवद्वे द्विक्खतुं उप्पञ्जित्वा निस्द्वे, किरियमनोधातु आवज्ञनकिच्चं साधयमाना उप्पञ्जित्वा निरुज्जति । ततो चक्रखुविव्याणं दस्सनकिच्चं, ततो विपाकमनोधातु सम्पटिच्छनकिच्चं, ततो विपाकाहेतुकमनोविव्याणधातु सन्तीरणकिच्चं, ततो किरियाहेतुक-मनोविव्याणधातु वोद्गुपनकिच्चं साधयमाना उप्पञ्जित्वा निरुज्जति, तदनन्तरं जवनं जवति ।

उसके पीछे—पीछे आता हुआ उसका पति, स्थविर को देखकर, उनसे पूछने लगा—“क्या, भन्ते? आपने किसी स्त्री को इधर आगे जाते देखा है?”

स्थविर बोले— “मैं नहीं जानता कि इधर कोई स्त्री या पुरुष संज्ञक कुछ गया है। हाँ इतना जानता हूँ कि एक अस्थिकङ्गल अभी आगे—आगे गया है।”

यत्वाधिकरणमेन— आदि पालिपाठ में जिस कारण या जिस चक्षुरिन्द्रिय के असयमरूप हेतु से इस पुद्गल को स्मृतिरूपी कपाट से चक्षुरिन्द्रिय के बन्द किये विना ‘खुले इन्द्रिय-द्वार वाला’ होकर साधना करते हुए को लोभ आदि धर्म सत्ता सकते हैं, उसके पीछे लग सकते हैं ।

तस्स संवराय पटिपञ्चति— उस चक्षुरिन्द्रिय को स्मृतिरूपी कपाट से बन्द करने के लिये तत्पर होता है । एवं इस प्रकार तत्पर रहते हुए ही वह चक्षुरिन्द्रिय की रक्षा करता है, उसका संवर करता है—इसलिये भी ऐसा कहा जाता है ।

वस्तुतः चक्षुरिन्द्रिय का संवर या असंवर नहीं होता, क्योंकि चक्षुरिन्द्रिय के आश्रय से न तो स्मृति उत्पन्न होती है, न विस्मृति (मुड़सच्च) । इसके विपरीत, जब रूपालम्बन चक्षु के सम्पर्क में आता है तब भवद्विचित् (स्वाभाविक या निरालम्बन परिशुद्ध या प्रभास्वरविचित्) के दो बार उत्पन्न होकर निरुद्ध हो जाने पर क्रियामनोधातु^१ आवज्ञन (आलम्बनविषयक कल्पना) कृत्य का सम्पादन करती हुई उत्पन्न होकर निरुद्ध हो जाती है । तदनन्तर चक्षुविज्ञान^२ दर्शनकृत्य करता हुआ, पुनः विपाकमनोधातु^३ सम्प्रत्येषण (सपटिच्छन) का कार्य करती हुई, तदनन्तर विपाकाहेतुक मनोविज्ञानधातु^४ सन्तीरण कृत्य करती हुई, तत्क्षण क्रियाहेतुक मनोविज्ञानधातु^५ व्यवस्थापन कृत्य सम्पन्न करती हुई उत्पन्न होकर निरुद्ध हो जाती है । तत्पक्षात् जवनचित्त^६ जवन करता है ।

१ उस उस कार्य को सिद्ध करने के लिये प्रवर्तनमात्र ‘क्रिया’ कहलाता है । स्वभाव से शून्य, निर्जीव-सा मन ही ‘मनोधातु’ है ।

२. चक्षु से किसी रूपालम्बन को देखकर जानना ही चक्षुरिज्ञान है ।

३. रूपालम्बन का सम्प्रत्येषण ही विपाकमनोधातु है ।

४. स्वीकृत आलम्बन की यथातथ पीमाता करना सन्तीरण कहलाता है, वही विपाकाहेतुक मनोविज्ञान धातु भी कही जाती है ।

५. उसी आलम्बन का सम्प्रक्षतया विचार ही ‘व्यवस्थापनचित्त’ कहलाता है ।

६. उन उन कृत्यों को पूर्ण करते हुए एक या अनेक बार, छोड़ने के समान आलम्बन में पुनः पुन उत्पन्न होने वाला चित्त ‘जवनचित्त’ कहलाता है ।

तत्रापि नेव भवङ्गसमये, न आवज्जनादीनं अञ्चतरसमये संवरो वा असंवरो वा अतिथ । जवनकश्चणे पन सचे दुस्सील्यं वा भुट्सच्चं वा अञ्चाणं वा अक्षुन्ति वा कोसज्जं वा उप्ज्ञति, असंवरो होति । एवं होन्तो पन सो 'चक्खुन्द्रिये असंवरो' ति बुच्छति ।

कस्मा ? यस्मा तस्मिं सति द्वारं पि आगुतं होति, भवङ्गं पि, आवज्जनादीनि पि वीथिचित्तानि । यथा किं ? यथा नगरे चतुर्सु द्वारे सु असंवुतेसु किञ्चापि अन्तोघरद्वार-कोटुकगङ्गादयो सुसंवुता होन्ति, तथा पि अन्तोनगरे सब्बं भण्डं अरक्षितं अगोपितमेव होति । नगरद्वारेन हि पविसित्वा चोरा यदिच्छन्ति तं करेय्यु, एवमेव जवने दुस्सील्यादीसु उपत्रेसु तस्मिं असंवरे सति द्वारं पि आगुतं होति, भवङ्गं पि, आवज्जनादीनि पि वीथिचित्तानि ।

तस्मि पन सीलादीसु उपत्रेसु द्वारं पि गुतं होति, भवङ्गं पि आवज्जनादीनि पि वीथिचित्तानि । यथा किं ? यथा नगरद्वारेसु सुसंवुतेसु किञ्चापि अन्तोघरादयो असंवुता होन्ति, तथा पि अन्तोनगरे सब्बं भण्डं सुरक्षितं सुगोपितमेव होति । नगरद्वारेसु हि पिहितेसु चोरानं पवेसो नत्थि, एवमेव जवने सीलादीसु उपत्रेसु द्वारं पि गुतं होति, भवङ्गं पि आवज्जनादीनि पि वीथिचित्तानि । तस्मा जवनकश्चणे उप्ज्ञमानो पि 'चक्खुन्द्रिये संवरो' ति बुतो ।

सोतेन सदं सुत्वा ति आदीसु पि एसेव नयो । एवमिदं सङ्क्षेपतो रूपादीसु किलेसानु-बन्धनिमित्तादिगाहपरिवज्जनलक्षणं इन्द्रियसंवरसीलं ति वेदितब्बं ॥

वहाँ भी न भवङ्ग के समय, न आवर्जन आदि में से किसी एक के समय संवर या असंवर होता है । जवनकश्चणे में ही यदि दौ शील्य, विस्मृति, अज्ञान, अक्षान्ति (अरुचि) या आलस्य (कौसीध) उत्पन्न होते हैं तो 'असंवर' होता है । ऐसा होने पर 'चक्खुरिन्द्रिय में असंवर' कहलाता है ।

क्यो? इसलिये कि उस असंवर के होने पर द्वार भी अरक्षित होता है, भवङ्ग भी, आवर्जन आदि वीथिचित्त भी । कैसे? जैसे नगर के चारो (मुख्य) द्वारो के बन्द न रहने पर, फिर भले ही धरों के द्वार, प्रकोष्ठ, कमरे आदि पूरी तरह बन्द हो तो भी नगर में सभी वस्तुएँ अरक्षित या खुली हुई ही कहलाती हैं, क्योकि चोर नगर के खुले द्वारों से प्रविष्ट होकर नगर के किसी भी घर में जाकर जो चाहे कर सकता है; इसी तरह, जवन में दौ शील्य आदि के उत्पन्न होने पर, उसमें असंवर होने से चक्खुर्दार भी अरक्षित होता है, भवङ्ग भी, आवर्जन आदि वीथिचित्त भी ।

हाँ, उस समय जवन में शील आदि के उत्पन्न होने पर, द्वार भी गुप्त हो जाता है, भवाङ्ग, आवर्जन और वीथिचित्त भी । कैसे? जैसे नगर के चारो द्वारो के भलीभांति रहने पर, फिर भले ही नगर के अन्तर्वर्ती धर सर्वथा खुले ही क्यो न पड़े रहे उन धरों का सभी सामान सुरक्षित व गुप्त ही रहता है । नगर द्वारों के बन्द रहने पर, चोरों का प्रवेश नहीं हो पाता; इसी तरह जवन में शीलादि के उत्पन्न होने पर द्वार भी गुप्त रहता है, भवाङ्ग आवर्जन आदि वीथिचित्त भी । यो, यद्यपि यह (संवर) जवन के क्षण में उत्पन्न होता है, तथापि 'चक्खुरिन्द्रियसंवर' ही कहलाता है ।

सोतेन सदं सुत्वा— (ओत्र से शब्द सुनकर) इस पालि-पाठ का भी उपरिवर्णित 'चक्खुना रूप दित्या' के व्याख्यान में वर्णित शैली से ही सङ्गमन कर लेना चाहिये । इस प्रकार, संक्षेप में—रूपादि में कलेशानुबन्धी निमित्त आदि के ग्रहण या दर्जन जिसका लक्षण है— ऐसे इन्द्रियसंवरशील को जानना चाहिये ॥

(ग) आजीवपारिसुद्धिसीलं

३१. इदानि इन्द्रियसंबरसीलानन्तरं बुते आजीवहेतु पञ्चतानं छंग्रं सिक्खापदानं ति यानि तानि । “आजीवहेतु आजीवकारणा पापिच्छो इच्छापकतो असन्तं अभूतं उत्तरिमनुस्सधम्मं उल्लपति, आपत्ति पाराजिकस्स; २. आजीवहेतु आजीवकारणा सञ्चारितं समापज्ञाति, आपत्ति सञ्चादिसेसस्स; ३. आजीवहेतु आजीवकारणा ‘यो ते विहारे वसति, सो भिक्खु अरहा’ ति भणति, पटिविजानन्तस्स आपत्ति थुल्लच्यवस्स; ४. आजीवहेतु आजीवकारणा भिक्खु पणीतभोजनानि अगिलानो अतनो अत्थाय विज्ञापेत्वा भुज्ञति, आपत्ति पाचित्यियस्स; ५. आजीवहेतु आजीवकारणा भिक्खु पणीतभोजनानि अगिलानो अतनो अत्थाय विज्ञापेत्वा भुज्ञति, आपत्ति पाटिदेसनियस्स, ६. आजीवहेतु आजीवकारणा सूपं वा ओदनं वा अगिलानो अतनो अत्थाय विज्ञापेत्वा भुज्ञति, आपत्ति दुक्टस्स” (विं० ५-१८१) ति; एवं पञ्चतानि छं सिक्खापदानि, इमेसं छंतं सिक्खापदानं।

कुहना ति आदीसु अयं पालि—“रथं कतमा कुहना? लाभसक्षारसिलोकस-त्रिस्मितस्स पापिच्छस्स इच्छापकतस्स या पच्यपटिसेवनसञ्चातेन वा सामन्ताजप्तितेन वा इरियापद्मावा अट्टपना, ठपना, सण्ठपना, भाकुटिका, भाकुटियं, कुहना, कुहायना, कुहिततं-अयं युच्यति कुहना।

(ग) आजीवपारिशुद्धिशील

३२. अब ‘इन्द्रियसंबरशील’ के बाद कहे ‘आजीविकापरिशुद्धिशील’ में आजीविका के निमित्त प्रकाश छह शिक्खापदों का (यात्यान किया जा रहा है)। वे (क्रमस.) ये हैं— १. आजीविका (जीवनयापन) के लिये या आजीविका के कारण पापमय इच्छा रखने वाला, यद्येवं आचरण करने वाला, अपने में अविद्यमान व अयथार्थ लोकोत्तर मनुष्यधर्म (परा मानवीय स्थिति) होने का दावा (उद्दोष) करता है उसे ‘पाराजिक’ आपत्ति होती है (विं०पि० १-४)। २. जो आजीविका के लिये सञ्चारित (स्त्री का सन्देश पुरुष के पास या पुरुष का सन्देश स्त्री के पास पहुँचाना) करता है उसे ‘सञ्चारिशेष’ की आपत्ति होती है (विं०पि० २-५)। ३. जो आजीविका के लिये (गृहस्थों से खुशामद के रूप में यह कहता है कि ‘जो भिक्षु तुम्हारे (बनवाये) विहार मे रहता है वह अहंत ही (हो जाता) है’ और गृहस्थों द्वारा इसकी इस बात पर विश्वास कर लिये जाने पर उस (भिक्षु) को ‘स्थूल अत्थाय’ की आपत्ति होती है। ४. जो भिक्षु आजीविका के लिये अच्छे-अच्छे स्वादिष्ठ रुचिकर भोजन अपने लिये गृहस्थों से कहकर बनवाये और खाये उसे ‘पाचित्यित्व’ आपत्ति होती है। (विं०पि० ५, १४, ३)। ५. जो भिक्षुणी आजीविका के लिये, रूण न होने पर भी अपने लिये गृहस्थों से कह कर सुन्दर भोजन बनवाकर खाये उसे ‘प्रतिदेशनीय आपत्ति’ होती है। (विं०पि० ५-९)। जो आजीविका के लिये स्वस्थ होते तुप भी अपने लिये गृहस्थों से कहकर सूप (दाल) या ओदन (भात) बनवा कर खाये उसे ‘दुष्कृत’ (दुक्ट) आपत्ति होती है (विं० ५-१८१)। पालि में ये छह शिक्खापद प्रकाश हैं। इन छह शिक्खापदों के कहने का यही तात्पर्य है।

उक्त पालिपाठ में आये ‘कुहना’ आदि विशिष्ट शब्दों के ज्ञान के लिये पालि में अन्यत्र वर्णित हन विशिष्ट शब्दों के व्याख्यान को ध्यान में रखना चाहिये। जैसे—

“वहाँ (उस प्रसङ्ग में) ‘कुहना’ से क्या तात्पर्य है? लाभ, सत्कार, श्रौक (यश) के प्रलोभन में पढ़े, पापमय इच्छा वाले, यद्येवं चाचारी (भिक्षु) की जो प्रत्यय (विडित आवश्यक सामग्री) की निवेद्य-सम्बन्धी या दृसरों (अहंतों) के समान अपने को श्री बताने के लिये (परोक्षकथन हेतु) अक्रसञ्चालन

तथ कतमा लपना ? लाभसक्कारसिलोकसन्निस्तस्स पापिच्छस्स इच्छापकतस्स या परेसं आलपना, लपना, सल्लपना, उल्लपना, समुल्लपना, उन्नहना, उक्काचना, समुक्काचना, अनुप्रियभाणिता, चाटुकम्यता, मुग्गसूष्यता, पारिभट्यता—अयं बुच्चति लपना।

तथ कतमा नेमित्तिकता ? लाभसक्कारसिलोकसन्निस्तस्स पापिच्छस्स इच्छापकतस्स यं परेसं निमित्तं, निमित्तकम्म, ओभासो, ओभासकम्म, सामन्तजप्पा, परिकथा—अयं बुच्चति नेमित्तिकता।

तथ कतमा निष्पेसिकता ? लाभसक्कारसिलोकसन्निस्तस्स पापिच्छस्स इच्छापकतस्स या परेसं अब्बोसना, वम्भना, गरहना, उक्खेपना, समुक्खेपना, खिपना, सङ्कुपना, पापना, सम्पापना, अवण्णहारिका, परिपिट्ठुमंसिकता—अयं बुच्चति निष्पेसिकता।

तथ कतमा लाभेन लाभं निजिगिंसनता ? लाभसक्कारसिलोकसन्निस्तो पापिच्छो इच्छापकतो इतो लद्धं आमिसं अमुत्र हरति, अमुत्र वा लद्धं आमिसं इध आहरति, या एवरूपा आमिसेन आमिसस्स एट्टि, गवेट्टि, परियेट्टि, एसना, गवेसना, परियेसना—अयं बुच्चति लाभेन लाभं निजिगिंसनता” (अभिं० २-४१९) ति।

मैं विकृति, अस्थिरता, कृतिभाला लाना या वृकुटि चढाना या टेढ़ी करना, ठगना, ढोंग करना या ऐसा ही अन्य किसी अब्बसाश्चालन से प्रकटित भाव—यही ‘कुहना’ कहलाता है।

वहाँ ‘लपना’ क्या है? लाभ सत्कार या यश पाने के प्रलोभन...पूर्ववत्...जो दूसरों के प्रति व्यक्ति (ठेड़-छाड़) करना, किसी विषय में पूछने पर विवाहान्तर की बात प्रारम्भ कर देना, बात को कुछ बढ़ा—चढ़ा कर कहना, (लपना), बात को सब तरफ से बढ़ा—चढ़ा कहना (समुल्लपना), दूसरों को बातों में चढ़ाकर उनमें फैसाना (उन्नहना), सब तरह से बातों में धेर कर फैसाना (समुग्रहना), बढ़ा—चढ़ा कर (अपने या दूसरों के) गुणों का वर्णन करना (उक्काचना), पुनः पुनः सब तरह से बढ़ा—चढ़ा कर गुणों का वर्णन (समुक्काचना), बोली जाने वाली बातों को सत्य या धर्म के अनुरूप न समझते हुए भी दूसरों के प्रति (खुशामद के लिये) प्रिय बातों को बोलना (अनुप्रियभाणिता), चापलूसी करना (चाटुकम्यता), झूठ—सच बोलना (मुग्गसूष्यता—मुहूर्सूष्यता), स्वार्थसिद्ध के लिये सेवा—ठहल करना (परिभट्यता)—इसे ही लपना (वाचालता) कहते हैं।

वहाँ ‘नैमित्तिकता’ क्या है? लाभ—सत्कार...जो दूसरों के प्रति बातबीत में अपने लिये थीवर आदि का आभास देना, संकेत करना, बात को दूसरों के लिये कही जाने वाली सी (गोल—गोल=परोक्ष) करके अपने लिये कहना, स्वार्थपूर्ति कराने हेतु बात को घुमा फिशकर कहना (परिकषा)—यही ‘नैमित्तिकता’ कहलाती है।

“वहाँ ‘निष्पेचिकड़ा’ क्या है? लाभ—सत्कार...जो दूसरों के प्रति आक्रोश (डॉट-फटकार), उनपर हाथी होना (वम्भना), उन पर दोषारोपण करना (गर्णा), बात करते हुए को बार—बार रोकना (समुल्लोपण), उसकी हँसी उड़ाना (क्षेपण), उसका बहुत अधिक परिहास करना (संक्षेपण), निन्दा (पापना), सब तरफ से निन्दा करना (सम्पापना), मिथ्या आरोपों से बदनाम करना (अवण्णहारिका), गीठ गीछे मिथ्या आरोप (बदनामी) लगाना (परिपिट्ठुमंसिकता)—यह ‘निष्पेचिकता’ कहलाती है।

वहाँ ‘एक लाभ से दूसरा लाभ खोजना’ (लाभेन लाभं निजिगिंसनता) क्या है? लाभ—सत्कार... के लिये यह जो वहाँ मिले (चार प्रत्ययों के) लाभ को वहाँ ले जाता है वहाँ मिले लाभ को वहाँ ले आता है, या इसी प्रकार से वस्तु की खोज (शटि), गवेषणा, पर्यन्वेषण (बार—बार खोजना—परीष्टि), चाहना (रघणा), खोजना (गवेषणा), बार—बार खोजना (पर्यवणा) है—यही ‘एक लाभ से दूसरे लाभ को खोजना’ कहलाता है।”

इमिस्सा पन पालिया एवं अथो वेदितब्बो । कुहननिदेसे ताव लाभक्षरसिलोक-सन्निसितस्सा ति । लाभं च सकारं च कित्तिसदं च सन्निसितस्स, पत्थयन्तास्सा ति अथो । पापिच्छास्सा ति । असन्तगुणदीपनकामस्स । इच्छापकतस्सा ति । इच्छाय अपकतस्स, उपहुतस्सा ति अथो ।

इतो भरं यस्मा पञ्चयपटिसेवनसामन्तजप्यनइरियापथसन्निसितवसेन महानिदेसे तिकिधं कुहनवत्थु आगां, तस्मा तिकिधं पेते दस्तेतुं पञ्चयपटिसेवनसङ्खातेन वा ति एवमादि आरद्ध । तत्थ चीवरादीहि निमन्तितस्स, तदत्थिकस्सेव सतो पापिच्छतं निस्साय पटिकिखपनेन, ते च गहपतिके अत्तनि, सुप्पतिद्वितसद्धे जत्वा पुन तेसं 'अहो, अय्यो अप्पिच्छो न किञ्चि पटिगणिहतुं इच्छति, सुलद्धं वत नो अस्स सचे अप्पमतकं पि किञ्चि पटिगणहेथ्या' ति नानाविधेहि उपायेहि पणीतानि चीवरादीनि उपनेन्तानं तदनुग्रहकामतं येथ आविकत्वा पटिगणहेन च ततो पभुति अपि सकटभारोहि उपनामनहेतुभूतं विम्हापनं पञ्चयपटिसेवनसङ्खातं कुहनवत्थु ति वेदितब्बं ।

बुत्तं हेतं महानिदेसे—

"कतमं पञ्चयपटिसेवनसङ्खातं कुहनवत्थु ? इध गहपतिका भिक्खुं निमन्तेन्ति चीवर-पिण्डपात-सेनासन-गिलानपञ्चयभेसज्जपरिक्खारोहि । सो पापिच्छो इच्छापकतो अतिथिको चीवर पे०.... परिक्खारातं भित्योकम्यतं उपादाय चीवरं पञ्चक्खाति, पिण्डपातं

इस पालिपाठ का और भी अधिक स्पष्ट अर्थ यो जानना चाहिये—'कुहन' के निर्देश (व्याख्यान) में जो लाभसङ्कारसन्निसितस्स समस्त पद आया है उसका स्पष्टार्थ यह है—लाभ-सत्कार-श्लोक (यश, कीर्तिशब्द) की ओर झुकाव रखने वाले का या उन्हें चाहने वाले का । पापिच्छास्स का अर्थ है—जो गुण स्वयं में नहीं है उनका भी अपने में दिखावा करना चाहने वाले का । इच्छापकतस्स का अर्थ है—इच्छा के शिकार का या इच्छाओं से त्रस्त (उपद्रुत) का ।

इसके आगे, क्योंकि महानिदेसे (त्रिपिटकके अन्तर्गत एक ग्रन्थ) में प्रत्ययप्रतिसेवन, सामन्तजल्पन^१ एवं ईर्यापथ के रूप में—त्रिविधि कुहनस्तु वर्णित है अतः इन तीनों का ही परिगणन करने के लिये पञ्चयपटिसेवनसङ्खात आदि पदों से वर्णन प्रारम्भ किया गया है । वहाँ किसी मिक्षु को चीवर आदि के ग्रहण के लिये निमन्त्रित किया जाता है, वहाँ वह मिक्षु वस्तुतः उस चीवर को पाना चाहते हुए भी अधिक पाने की बुरी इच्छा (नियत) से उस चीवर को अस्तीकार कर देता है, बाद में उन गृहपतियों को अपने प्रति अटल अद्भुत रखने वाला जानकर और उनके (इस प्रकार कहने या सोचने पर—) 'अरे ! हमारे ये आर्य तो अत्यन्त अल्पेच्छ हैं, कुछ भी स्वीकार करना नहीं चाहते, यदि के अल्पमात्र भी कुछ ले लें तो हम अपना अहोभाग्य समझेंः इस प्रकार अनेक उपायों से सुन्दर-सुन्दर चीवर आदि लाने पर, उन पर अनुग्रह का भाव दिखाते हुए, उन्हें ले लेता है । किर एक बार लेने के बाद तो उसका क्या कहना है! तब से उसके द्वारा गाढ़ी भर वस्तुर्एं ले जाने का कारण बना उसका वह विस्मयकारक पाण्ड ई यहाँ 'प्रत्ययप्रतिसेवन कुहन वस्तु' के रूप में जानना चाहिये ।

महानिदेस ग्रन्थ में यह कहा गया है—

"प्रत्ययप्रतिसेवन नामक कुहन वस्तु क्या है? यहाँ कोई गृहपति किसी मिक्षु को चीवर, पिण्डपात, शथनासन, ग्लानप्रत्थय (पथ्य), विकित्सार्थ औषध (मैवज्यपरिष्कार) स्वीकार करने के

^१ अपने आप को लोकोत्तर सिद्धि प्राप्त अहंतों के समान घोषित करना 'सामन्त-जल्पन' कहलाता है ।

पच्चक्खाति, सेनासनं पच्चक्खाति, गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं पच्चक्खाति । सो एवमाह—‘किं समणस्स महग्धेन चीवरेन ? एतं सारुप्यं यं समणो सुसाना वा सङ्कारकृटा वा पापणिका वा नन्तकानि उच्चनित्वा सङ्काटिं कत्वा धोरेय्य । किं समणस्स महग्धेन पिण्डपातेन ? एतं सारुप्यं यं समणो उञ्छाचरियाय पिण्डयालोपेन जीविकं कप्पेय्य । किं समणस्स महग्धेन सेनासनेन ? एतं सारुप्यं यं समणो रुक्खमूलिको वा अस्स, अञ्जोकासिको वा । किं समणस्स महग्धेन गिलानपच्चय—भेसज्जपरिक्खारेन ? एतं सारुप्यं यं समणो पूतिमुत्तेन वा हरीटकीखण्डेन वा ओसधं करेय्य’ ति । तदुपादाय लूखं चीवरं धोरेति, लूखं पिण्डपातं परिभुज्ञति, लूखं सेनासनं पटिसेवति, लूखं गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं पटिसेवति । तपेन गहपतिका एवं जानन्ति—‘अयं समणो अप्पिच्छो सन्तुष्टो पवित्रितो असंसद्गु आरद्धविरियो धुतवादो’ ति । भिय्यो भिय्यो निमन्तेन्ति चीवरपे०.... परिक्खारेहि । सो एवं आह—‘तिण्णं सम्मुखीभावा सङ्घो कुलपुतो बहुं पुञ्जं पसवति, सङ्घाय सम्मुखीभावा सङ्घो कुलपुतो बहुं पुञ्जं पसवति, देव्यथामस्स....पे०.... दक्षिणेव्यानं सम्मुखीभावा सङ्घो कुलपुतो बहुं पुञ्जं पसवति । तुम्हाकं चेवायं सङ्घा अतिथि, देव्यथमते च संविज्ञति, अहं च पटिगाहको; सचेहं न पटिगहेस्सामि, एवं तुम्हे पुञ्जेन परिबाहित भविस्सथ, न मर्हं इमिना अथो, अपि च तुम्हाकं येव अनुकम्पाय पटिगणहामी’ ति । तदुपादाय बहुं पि

लिये निमन्त्रित करे । वह अशुभ का सङ्कल्पक, हक्काचारी मिक्षु चीवर...परिष्कार को भन से चाहते दुए भी अधिक से अधिक प्राप्ति की इच्छा से, चीवर का ग्रहण करना, पिण्डपात....शयनासन ग्लानप्रत्यय । भैवज्यपरिष्कार को ग्रहण करना अस्वीकार कर देता है । और वह यों कहता है—‘श्रमण को ऐसे महार्घ (मूल्यवान्) चीदर से क्या प्रयोजन ! उसे तो श्वशान या धूरे (कूडे के ढेर) पर पड़े या बाजार में दुकान से बाहर फेंके तुरु फटे पुराने कपड़ों को बीन कर, मुदडी (सङ्काटि) बनाकर, धारण करना चाहिये । श्रमण को ऐसे महार्घ, उत्तम पिण्डपात से क्या प्रयोजन ! उसे तो खेतों में धान-कटाई के समय गिरे अन्न (उञ्ज) बीन-बीन कर, या गाँव में घर-घर घूमकर गिरा में प्रास यास दो यास रुप अन्न से अपना जीवन-निर्वाह करना चाहिये । उसे मूल्यवान् शयनासन की प्राप्ति से क्या लाभ ! उसे तो किसी वृक्ष या खुले आकाश के नीचे ही रात बितानी चाहिये । इसी तरह उसे महंगे-महंगे पश्य एवं भैवज्यपरिष्कार से क्या लेना-देना ! उसे तो गोमूत्र (=पूतिमूत्र) या हर्ष के चूर्ण से ही अपने रोग की चिकित्सा कर लेनी चाहिये ।’ अपने इस कथन के अनुरूप ही वह मिक्षु गृहस्थों को दिखाने के लिये फटे-पुराने कपड़ों के कठोर शयनासन पर सोता है, एवं रुग्ण होने पर, रुखा-सूखा पश्य एवं साधारण औषधियों सेवन करता है । तब वे गृहस्थजन उसके इस आचरण से प्रभावित हो, उसके दिक्षय में यों सोचने लगते हैं—‘अरे ! यह श्रमण तो अत्यन्त अत्येक्ष, यथालाभसन्तुष्ट, संयमी एवं एकान्तवासी, कुशल के लिये उद्योगरत तथा त्वागी (अपरिह्रणी) है ।’ यों उसके प्रति और भी श्रद्धालु होकर उसे बार-बार चीवर, पिण्डपात, शयनासन, पश्य एवं औषधि लेने के लिये निमन्त्रित करते हैं । तब वह उनसे कहता है—“तीन बातों के एक ही स्थान पर इकट्ठा मिल जाने पर श्रद्धालु कुलपुत्र को बहुत पुण्य अधिगत होता है, जैसे—१. श्रद्धा उपस्थित होने पर...२. दान का अवसर एवं ३. दान का उचित पात्र सिल जाने पर श्रद्धालु कुलपुत्र को बहुत पुण्य प्राप्त होता है । तुम मैं ग्रदा हूँ, दानयोग्य वस्तु और दान का अवसर भी उपस्थित है और मेरे जैसे उस दान का प्रतिशाक्ति भी उपस्थित है, ऐसे मैं यदि मैं आप से उस देय वस्तु को न लौं तो आप लोग इस पुण्यप्राप्ति से दूर ही रह जाओगे । यथापि मुझे इस वस्तु की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, परन्तु तुम प्र

चीवरं पटिगणहाति, बहुं पि पिण्डपातं...ये०.... भेसज्जपरिकखारं पटिगणहाति । या एवरूपा भाकुटिका, भाकुटियं कुहना, कुहायना, कुहिततं—इदं बुच्चति पच्चयपटिसेवनसङ्कृतं कुहनवत्थू” (खु० ४:१-१८८) ति ।

पापिच्छस्त्रेव पन सतो उत्तरिमनुस्सधम्माधिगमपरिदीपनवाचाय तथा तथा विश्वापनं सामन्तजप्पनसङ्कृतं कुहनवत्थू ति वेदितब्बं । यथाह—“कतमं सामन्तजप्पनसङ्कृतं कुहनवत्थू? इथेकच्चो पापिच्छो इच्छापकतो सम्भावनाधिप्पायो—‘एवं मं जनो सम्भावेस्सती’ ति, अरियधम्मसत्रिस्तिं वाचं भासति । ‘यो एवरूपं चीवरं धरेति, सो समणो महेसक्खो’ ति भणति । ‘यो एवरूपं पतं, लोहथालकं, धम्मकरणं, परिस्तावनं, कुञ्जिकं, कायबन्धनं, उपाहनं धरेति, सो समणो महेसक्खो’ ति भणति । ‘यस्स एवरूपो उपज्ञायो, आचरियो, समानुपञ्चा-यको, समानाचरियको, मितो, सन्दिष्टो, सम्भतो, सहायो...’ । ‘यो एवरूपे विहारे वसति अङ्गयोगे, पासादे, हमिये, गुहायं, लेण, कुटिया, कूटागारे, अट्टे, माळे, उड्ढण्डे, उपटुटानसालायं, मण्डपे, रुक्खमूले वसति, सो समणो महेसक्खो’ ति भणति । अथ वा कोरजिककोरजिको भाकुटिकभाकुटिको, कुहककुहको, लपकलपको, अनुकृष्णा कर मै इस (देयवस्तु) को ले लेता हूँ । इस तरह वह उनसे अपनी आवश्यकता से अधिक चीवर...भोजन...शयनासन...पद्य...मैवज्यपरिक्षार ग्रहण करता है । इस प्रकार उसे भिक्षु का यह शारीरिक अभिनय (भाकुटिका=रुंद के हाव-भाव से दूसरों को भ्रम में डालना), मुखिविक्षेप (दोग रचना), विस्मय में डालना, विस्मयकिया, आकृत्यवचकित करना—‘प्रत्ययप्रतिसेवनकुहनवस्तु’ कहलाता है ।

किसी के द्वारा अशुभसङ्कल्प होते हुए भी अपने विषय में लोकोत्तर मनुष्यगुणों (उत्तरिमनुस्सधम्म) की ग्राति की ढीग हाँकना, वैसी बाते करना, वैसा शारीरिक अभिनय करना ही ‘सामन्तजल्पन’ नामक कुहनवस्तु समझना चाहिये । जैसा कि ‘माहनिदेस’ ग्रन्थ में आगे कहा गया है—

‘सामन्तजल्पन नामक कुहनवस्तु क्या है? यहाँ कोई पापेच्छुक, स्वच्छन्दचारी, लोक में सम्मानप्राप्ति के उद्देश्य से यह सोचकर कि लोग इस तरह मेरे द्वारा कहे जाने से मेरा सम्मान करें—अपने द्वारा आवरित आर्यधर्म के विषय में बढ़ा-बढ़ा कर बाते करता है । वह अपने पहने हुए चीवर की तरफ संकेत कर कहता है—‘जो इस तरह चीवर धारण करता है वह श्रमण महान् आनुभाव (चमत्कार) वाला है, जो ऐसा पात्र रखता है, लोहे का कटोरा, जल छानने का भाजन (पात्र), कूए आदि से जल निकालने का बरतन (परिस्तावन), कुओं, कमरबन्द (कायबन्ध) या जूते (उपानह) धारण करता है वह महान् चमत्कारी होता है, जिसके ऐसे उपाध्याय आचार्य हो, या उन उपाध्याय आचार्य से पढ़ने वाले सहपाठी हों, सहायक हों, परिचित हों, घनिष्ठ मित्र हों, साक्षी हों...., जो ऐसे विहार में रहकर साधना करता है, गङ्गा पङ्क के समान घर (अङ्गुयोग) में...प्रासाद या हर्ष्य (महल) में...गुफा में, पर्वतगङ्गर (लेण) में, कुटिया में, कूटागार (शिखर वाले बड़े घर) में, अङ्गालिका (अट्ट) में, इकमजिले मकान (माल) में, दीर्घशाला (उड्ढण्ड) में, भिक्षुओं के लिये बनी उपस्थानशाला में, मण्डप में या वृक्षमूल के नीचे रहता है वह श्रमण महान् चमत्कारी होता है ।’ अबवा—वह गृहस्थ के सामने अपने शरीर व मुखाकृति के ऐसे हाव-भाव दिखाता है कि उनको ऐसा लगे कि यह श्रमण सासारिक व्यवहार में (उसे आध्यात्मिक साधनों में विद्वाकारक समझकर) विडिधिदा सा (कोरजिक), स्वमुखाकृति में नये नये हाव-भाव उत्पन्न करने वाला (भाकुटिक), अपने हावमालों से अत्यधिक

१ ‘सुदृगणवृक्षसदन अङ्गुयोगो लियाय च’—अभिधानप्य० ३६ पृ० ।

२ ‘अङ्गो त्वद्वालको भवे’—अभिधानप्य०, पृ० ३५ ।

३ ‘एककूटयुतो मालो’—अभिधानप्य०, पृ० ३६ ।

मुखसम्भाविको, अयं समणो इमासं एवरूपानं सत्रतानं विहारसमाप्तीनं लाभी ति एतादिसं गम्भीरं गूळहं निपुणं पटिच्छ्रमं लोकोत्तरं सुज्ज्वतापटिसंयुतं कथं कथेति। या एवरूपा भाकुटिका, भाकुटियं, कुहना, कुहायना, कुहिततं—इदं सामन्तजप्यनसङ्घातं कुहनवत्थू' (खू० ४:१-१८९) ति।

पापिच्छस्सेव पन सतो सम्भावनाधिप्यायकतेन इरियापथेन विम्हापनं इरियापं
सश्चिस्तं कुहनवत्थू ति वेदितब्बं। यथाह—“कतमं इरियापथसङ्घातं कुहनवत्थू? इषेकच्छो
पापिच्छो इच्छापकतो सम्भावनाधिप्याये ‘एवं मं जनो सम्भावेस्सती’ ति गमनं सण्ठपेति,
ठानं सण्ठपेति, निसज्जं सण्ठपेति, सथनं सण्ठपेति, पणिधाय गच्छति, पणिधाय तिद्विति,
पणिधाय निसीदति, पणिधाय सेव्यं कप्येति, समाहितो विय गच्छति, समाहितो विय
तिद्विति, निसीदति, सेव्यं कप्येति, आपाथकञ्जायी च होति, या एवरूपा इरियापथस्स
अद्वपना, ठपना, सण्ठपना, भाकुटिका, भाकुटियं, कुहना, कुहायना, कुहिततं—इदं
इरियापथसङ्घातं कुहनवत्थू” (खू० ४:१-१८९) इति।

तत्य पच्चयपटिसेवनसङ्घातेना ति। पच्चयपटिसेवनं ति एवं सङ्घातेन, पच्चयपटिसे-
वनेन वा सङ्घातेन। सामन्तजप्यतेना ति। समीपभणितेन। इरियापथस्स वा ति।
चतुर्दिरियापथस्स। अद्वपना ति। आदि ठपना, आदरेन वा ठपना। ठपना ति। ठपनाकारो।

विस्मय में डालने वाला (कुहक), अत्यधिक वावाल (लपक=लफेबाज), भुख के हाव-भाव मात्र से
गम्भीर (मुखसन्धाविक), या ऐसी बाते करने वाला हो जिनसे ऐसा ज्ञात होने लगे कि मानो यह श्रेष्ठण
गम्भीर, निपुण, प्रच्छ्रम, लोकोत्तर, शून्यतासच्चद् निर्वाण तक पहुँच गया हो। यह जो उपर्युक्त
मुखाकृति आदि में विस्मयकारक परिवर्तन... है—यही ‘सामन्तजप्यन’ संज्ञाक कुहनवत्थू कहलाता
है।”

“वैसी ही अशुभ भावना (सङ्घल्प) रखने वाला पापेच्छु भिक्षु, लोक में अपना सम्मान बढ़ाने
के उद्देश्य से, अपने ईर्यापथ (चाल-ठाल) में भी ऐसे-ऐसे विस्मयकारक परिवर्तन करता रहता है।
हन परिवर्तनों को ही ‘ईर्यापथसम्बन्धी कुहनवत्थू’ समझना चाहिये। जैसे कि (वही महानिहेस में) कहा
है—‘ईर्यापथसम्बन्धी कुहनवत्थू क्या है? यही कोई पापेच्छु, स्वच्छन्दवारी, लोक में अपना सम्मान
बढ़ाने के उद्देश्य से कि लोग मुझे और अधिक पूजा-सम्मान की दृष्टि से देखें, अपने ईर्यापथ में ऐसे
ऐसे परिवर्तन करता है कि कुछ विशेष प्रकार से चलता है, विशेष प्रकार से चलते-चलते रुकता है,
विशेष प्रकार से बैठता है, विशेष प्रकार के आसन लगाता है; सोता है, कुछ सोचता हुआ सा चलता
है, सोचता हुआ सा ठहरता है, सोचता हुआ सा बैठता है, सोचता सा सोने का अभिनय करता है; (यह
दिखाने के लिये कि लोग उसे समझते समझें) समाधिस्थ (ध्यायी) सा चलता है, ठहरता है, बैठता
है और सोता है। बीच रास्ते में जहाँ आने जाने वाले लोगों की दृष्टि पहुँती रहे ध्यान लगा कर बैठे
हुए का सा अभिनय करता है—उसकी यह जो ऐसी चाल-ठाल है= उसका तौर तरीका है, अपने
लिये लोगों को आह्वायकित करनें की प्रवृत्ति है—यही ‘ईर्यापथसम्बन्धी कुहनवत्थू’ कहलाती है।”

[उपर “तत्थ कतमा कुहना?” आदि पालिपाठ में (पृ० ३४-३५) आये कुछ विशेष शब्दों
का व्याख्यान यो समझना चाहिये—]

वही पच्चयपटिसेवनसङ्घातेन—‘प्रत्ययप्रतिसेवन’ इस नाम या इस रूप से कहे जाने वाले
से। सामन्तजप्यतेन—समीप (सम्मुख) कथन से। इरियापथस्स—चार ईर्यापथ (१. सोना, २. बैठना,
३. चलना एवं ४. खड़ा होना) का। अद्वपना— आदि (प्रारम्भिक) स्थापना या आदर के साथ

सण्ठपना ति । अभिसङ्खरणा । पासादिकभावकरणं ति चुतं होति । भाकुटिका ति । पधानपुरिमट्टिभावदस्सनेन भाकुटिकरणं । मुखसङ्घोचो ति चुतं होति । भाकुटिकरणं सीलमस्सा ति भाकुटिको, भाकुटिकस्स भावो भाकुटियं । कुहना ति । विम्हापना । कुहस्स आयना कुहायना । कुहितस्स भावो कुहिततं ति ।

३१. लपनानिदेसे आलपना ति । विहारं आगते मनुस्से दिस्वा “किमत्थाय भोन्तो आगता ? कि भिक्षु निमन्तिं ? यदि एवं, गच्छथ रे, अहं पच्छतो पत्तं गहेत्वा आगच्छामी” ति एवं आदितो ब लपना । अथ वा अत्तानं उपनेत्वा “अहं तिस्सो, मयि राजा पसन्नो, मयि असुको च असुको च राजमहामतो पसन्नो” ति एवं अतुपनायिकः लपनम आलपना । लपना ति । पुद्गस्स सतो चुतप्पकारमेव लपनं । सल्लपना ति । गहपतिकानं उक्षण्ठने भीतस्स ओकासं दत्वा दत्वा सुदु लपना । उल्लपना ति । महाकुटुम्बिको महानाविको महादानपती ति एवं उद्धु कत्वा लपना । सब्जतोभागेन उद्धु कत्वा लपना ।

उभ्रहना ति । “उपासका पुब्वे ईदिसे काले नवदानं देथ, इदानि किं न देथा” ति एवं याव “दस्साम, भन्ते, ओकासं न लभामा” ति आदीनि वदन्ति, ताव उद्धु उद्धु नहना,

स्थापना—ठपना—स्थापना या स्थापना का ढंग (आकार) । सण्ठपना (संस्थापना)—अभिसङ्करण, अर्थात् अपने प्रति दूसरों का प्रेम (प्रसाद) भाव पैदा करना । भाकुटिका—अपना उत्कर्ष प्रकट करने हेतु भृकुटि या मुख से नानाविध हाव—भाव दिखाना जिसका शील (अभ्यास, प्रकृति या स्वरूप) हो उसे ‘भाकुटिक’ कहते हैं । ‘मुख के हाव—माव में तरह तरह के परिवर्तन करते रहना’—इस शब्द का सरल अर्थ है । कुहना—आहर्य (विस्त्रय) चकित करना । कुह (=ढोगी) का आयना (=ढोग) कुहायना; एवं जो ढोग (कुह) किया गया हो उसका भाव कुहितत कहलाता है ।

(उस पालिपाठ के) लपनानिर्देश में—आलपनन । विहार में आये मनुष्यों को देखकर उनके विना पूछे यह कहे—“आप लोग क्यों आये हैं ? क्या भिक्षुओं को निमन्त्रित करना है ? यदि ऐसा हो तो तुम चलो : मैं, आप लोगों के पीछे ही पीछे, पात्र लेकर आ रहा हूँ”—ऐसी बाते ‘लपना’ (वाचालता) कहलाती हैं । अथवा—उन आदितियों के सामने अन्य भिक्षुओं से अपनी उत्कर्षता दिखाता हुआ यह कहे—“मेरा नाम तिष्य है, (मेरी चर्चा से) मुझ पर राजा भी प्रसन्न है, और राजा के अमुक अमुक उच्च पदाधिकारी भी प्रसन्न हैं” । यह किसी को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली बातवीत ‘आलपना’ कहलाती है ।

लपना—उन व्यक्तियों के पूछे जाने पर यदि कोई भिक्षु उनसे ऊपर कही जैसी ही बातें करे तो वह उसकी ‘लपना’ (वाचालता) कहलाती है ।

सल्लपना—अपने प्रति गृहपतियों की उत्कण्ठा जागृत करने के लिये उनसे सवाद लरते हुए, जान बूद्धकर बीच में रुकते रुकते बातें करना । उल्लपना—अपनी प्रशंसा में अपने दिष्य में गृहस्थों से कहना कि ‘प्रवज्या लेने से पूर्व गृहस्थ में मेरा भी बहुत कुटुम्ब था’, ‘मैं बहुत बड़ा नाविक था’ ‘मैं दानदाताओं में श्रेष्ठ था’, या उन गृहस्थों की प्रशंसा में यह कहना कि ‘आप तो बहुत बड़े कुटुम्ब वाले हैं’, ‘आप बहुत बड़े नाविक हैं’ या ‘आप श्रेष्ठ दानपति हैं’ । यो उत्कर्षताधायक बातें करना ।

समुक्षपना—सब तरह से ऊपर उठाकर (बडा—चढ़ाकर) बातें करना ।

उभ्रहना—स्वाभीष्ट वस्तु की प्राप्ति हेतु तदर्थ प्रोत्साहित करनेवाली बातों से दूसरों को वाग्जाल में फैसाना । जैसे—“ऐसा अवसर आने पर पहले तो उपासक लोग बहुत अग्रदान दिया करते

वेठना ति बुत्त होति । अथ वा—उच्छुहत्थं दिस्वा “कुतो आभतं, उपासका” ति पुच्छति । उच्छुखेत्ततो, भन्ते” ति । “किं तथ उच्छु मधुरं” ति ? “खादित्वा, भन्ते, जानित्वं” ति । “न, उपासक, भिक्खुस्स ‘उच्छु देशा’ ति वतुं वद्गती” ति । या एवरूपा निष्वेठेन्तस्सा पि वेठनकथा, सा उन्नहना । सब्बतोभागेन पुनप्पुनं उन्नहना समुन्नहना ।

उच्छुच्चना ति । “एतं कुलं मं येव जानाति । सचे एत्थ देय्यधम्मो उप्पज्जति, मण्हमेव देती” ति एवं उकिखपित्वा काचना उक्काचना । उद्दीपना ति बुत्त होति । तेलकन्दरिकवथु चेत्थ वत्तब्बं । सब्बतोभागेन पन पुनप्पुनं उक्काचना समुक्काचना ।

अनुप्पियभाणिता ति । सच्चानुरूपं वा थम्मानुरूपं वा अनपलोकेत्वा पुनप्पुनं पियभणनमेव । चाटुकम्यता ति । नीचवृत्तिता अत्तानं हेडुतो हेडुतो ठपेत्वा वत्तनं । मुग्गसूप्यता ति । मुग्गसूप्सदिसता । यथा हि मुग्गोसु पच्चमानेसु कोचिदेव न पच्चति, अवसेसा पच्चन्ति, एवं यस्स पुग्गलस्स वचने किञ्चिदेव सञ्चं होति, सेसं अलीकं, अयं पुग्गलो मुग्गसूप्यो ति बुच्चति, तस्स भावो मुग्गसूप्यता । पारिभव्यता ति । पारिभव्यभावो । यो हि कुलदारके धाति विय सयं अझेन वा खन्येन वा परिभट्टति, धारेती ति अत्थो, तस्स परिभट्टस्स कम्मं पारिभट्टं, पारिभव्यस्स भावो पारिभव्यता ति ।

नेमित्तिकतानिदेसे निमित्तं ति यं किञ्चिपरेसं पच्यदानसञ्जोजनकं कायवचीकम्मं । निमित्तकम्मं ति । खादनीयं गहेत्वा गच्छते दिस्वा “किं खादनीयं लभित्था” ति आदिन्

“ये अब वे क्यो नहीं देते?”—इस प्रकार कहते हुए जब तक उपासक यह न कह दे कि “देंगे, : तो। मूँ मी देंगे! इधर हम अन्य कार्यों में बहुत व्यस्त थे, अतः दान के लिये अवसर नहीं मिल रहा था” तब तक उपासक को बातों में फैसाये रखना अथवा किसी उपासक के हाथ में ईख (इधु) देखकर मिशु उससे पूछे—“उपासक! आप किधर से आ रहे हैं?” उपासक उत्तर में कहे—“ईख के खेत से, भन्ते!” तब वह पूछे—“क्या उस खेत का ईख भोता है?” “भन्ते! यह तो आपको इसे खाने से ही ज्ञात होगा!” “उपासक! मिशु के लिये यह कहना उचित नहीं है कि मुझे चूसने के लिये कुछ ईख दो!” इस तरह जो स्पष्ट होते हुए मनोभाव को उलझाने वाला संवाद है, वह ‘उन्नहना’ कहलाता है । यही संवाद यदि और भी सब तरफ से उलझाने वाली बातों से किया जाय तो उसे समुन्नहना कहते हैं ।

उक्काचना—“यह कुल (परिवार) तो मुझे ही जानता है, यहाँ से यदि कुछ दान किया जाता है तो मुझको ही किया जाता है”—इस तरह देय वस्तु की प्राप्ति के लिये परोक्ष संकेत—‘उक्काचना’ कहलाता है । यहाँ तेलकन्दरिकवस्तु का दृष्टान्त देना चाहिये । और फिर यही संकेत सब तरफ से पैरते हुए कुछ अधिक ही किया जाय तो उसे समुक्काचना कहते हैं ।

अनुप्पियभाणिता—बात को सत्य या धर्म के अनुरूप न देखकर (न होने पर) भी संवादी से बार बार प्रिय ही बोलना । चाटुकम्यता चाटुकारिता । हीनवृत्ति संवादी से अपने को बार बार नीचा दिखाते हुए उससे उसकी प्रशंसात्मक बाते करना । मुग्गसूप्यता—मूँग की दाल के समान । जैसे मूँगों को पकाते समय उसमें से कुछ ही मूँग पके, बाकी कच्चे रह जायें, उसी तरह किसी की बात में कुछ ही ज़ ई हो, अधिकतर झूठ हो, वह पुद्दल ‘मुग्गसूप्य’ कहलाता है, मुग्गसूप्य का भाव (होना) हुआ मुग्गसूप्ता । पारिग्रन्थता—पारिभव्यता (सेवा-ठहल) का होना । जो मिशु किसी के परिवार के बच्चों को गोद में या कन्धों पर लिये रहता है, धुमाता रहता है, उनके सेवक का कार्य करता है—यह सेवावृत्ति (सेवकाहि) ही पारिभव्यता (परिभूत्यता) है ।

उक्त पालिपाठ के नैमित्तिकतानिर्देश में—निमित्त कहते हैं दूसरों से प्रत्यय के दान की प्राप्ति

नयेन निमित्तकरणं । ओभासो ति । पञ्चयपटिसंयुतकथा । ओभासकम्यं ति । वच्छपालके दिस्वा “किं इमे वच्छा खीरगोवच्छा, उदाहु तक्षगोवच्छा” ति पुच्छित्वा “खीरगोवच्छा भन्ते” ति वुते “न खीरगोवच्छा यदि खीरगोवच्छा सियं, भिक्खु पि खीरं लभेयुं” ति एकमादिना नयेन तेसं दारकानं मातापितूनं निवेदेत्वा खीरदापनादिकं ओभासकरणं । सामन्तजप्या ति । समीपं कत्वा जप्यनं । कुलूपकभिक्खुवत्युं चेत्य वहब्बं ।

कुलूपको किर भिक्खु भुजितुकामो गेहं पविसित्वा निसीदि । तं दिस्वा अदातुकामा घरणी “तण्डुला नर्थी” ति भणन्ती तण्डुले आहरितुकामा विय पटिविस्सकधरं गता । भिक्खु पि अन्तोगब्बं पविसित्वा ओलोकेन्तो कवाटकोणे इच्छुं, भाजने गुळं, पिटके लोणमच्छफाले, कुम्भियं तण्डुले, घटे घटं दिस्वा निक्खिमित्वा निसीदि । घरणी “तण्डुले नालत्थं” ति आगता । भिक्खु “उपासिके, अज्ज भिक्खा न सम्पज्जिस्सती ति पटिकचेव निपित्तं अदसं” ति आह । “किं भन्ते ति”? “कवाटकोणे निक्खित्तं उच्छु विय सप्यं अद्वसं, ‘तं पहरिस्सामी’ ति ओलोकेन्तो भाजने ठपितं गुळपिण्डं विय पासाणं, लेडुकेन पहटेन सपेन कतं पिटके निक्खित्तलोणमच्छफालसदिसं फणं, तस्य तं लेडुं डेसितुकामस्स कुम्भिया तण्डुलसदिसे दन्ते, अथस्स कुपितस्स घटे पक्खिखत्तधतसदिसं मुखतो निक्खिमन्तं

हेतु की गयी काय या वाणी की कियाओं के संकेत को । निमित्तकम्यं— संकेत करना । किसी भोज्य पदार्थं को लेकर जाते हुए को देखकर ‘क्या कुछ खाने योग्य पाया है?’ आदि प्रकार से संकेत करना । ओभासो— प्रत्ययसम्बन्धी बाते करना । ओभासकम्यं (बच्छे ले जाते हुए) वाले को देखकर उससे ‘क्या ये बच्चे दूध पीने वाले हैं या छांछ (तक)?’— ऐसा पूछे जाने पर, उसके हारा ‘दूध पीने वाले बच्चे हैं, भन्ते!’ ऐसा कहे जाने पर, ‘नहीं, ये दूध तो नहीं पीते, यदि दूध पीते तो भिक्षु भी दूध पाते’— आदि प्रकार की बातों से उन बच्चों के माता-पिताओं के कान में बात डलवाकर भिक्षुओं को दूध दिलाने का संकेत करना । सामन्तजप्या (सामन्तजलन्)—समीप (सम्मुख) करके संवाद करना । यहाँ कुलूपकभिक्खु का संवाद कहना चाहिये । वह संवाद यों है—

“कोई कुलूपण (परिवारों में जाकर वहाँ बैठकर भोजन ग्रहण करने वाला) भिक्षु भोजन करने की इच्छा से किसी गृहस्थ के घर में जाकर बैठ गया । उसे देखकर उस घर की गृहिणी, उसे कुछ न देने की इच्छा से ‘चावल नहीं है’—कहती हुई और ऐसा भाव दिखाती हुई सी कि मानों दूसरे के घर से चावल भाँगने जा रही हैं—अपने किसी पड़ोसी (प्रतिवेशी) के घर चली गयी । पीछे से, वह भिक्षु भी उस घर में भोज्य पदार्थ खोजता हुआ अन्दर कमरे में घुस गया । वहाँ वह किवाढ़ों के पीछे ईख, एक पात्र में गुड़, एक छावड़ी (पिटक) में नमक मिले मछली के टुकड़े, एक घड़े में चावल, एक कुम्ही में घृत देखकर वापस आकर अपने स्थान पर बैठ गया । उधर वह गृहिणी भी ‘पड़ोसी से चावल नहीं मिला’ कहती हुई लौट आयी । भिक्षु भी ‘उपासिके! मुझे आज कुछ भी भिक्षा नहीं मिलेगी— यह मैंने आज प्रातः ही शकुन देख लिया था’—ऐसे बोला । उपासिका ने पूछा—‘क्या शकुन देखा था, भन्ते?’ ‘मैंने किवाढ़ों के कोने में ईख की तरह सीधे खड़े सौंप को देखकर ‘उस पर प्रहार करूँगा’ यह सोचकर उसको भारने का साधन खोजते हुये पात्र में रखी गुड़ की भेली की तरह पत्थर का टुकड़ा (देखा), उससे प्रहार करने पर कुद्द सर्प ने छावड़ी में रखे नमक मिले भत्त्यखण्ड की तरह अपना फन फैलाया और उस पर फेंके गये पत्थर को काटने के लिये अपने दाँत निकाले, वे दाँत ऐसे लग रहे थे मानों घड़े में रखे चावल के दाने हों और तब उस कुद्द सर्प के मुख से विषमित्र

विसमिस्सकं खेलं” ति । सा “न सक्ता मुण्डकं वज्रेतुं” ति उच्चुं दत्ता ओदनं पचित्प्वा घटगुल्मच्छेहि सद्धिं सब्बं अदासी ति । एवं समीपं कत्त्वा जप्यनं सामन्तजप्या ति वेदितब्बं । परिकथा ति । यथा तं लभति तस्य परिवत्तेत्वा कथनं ति ।

निष्पेसिकतानिहेसे—अक्षोसना ति । दसहि अक्षोसवत्थूहि अक्षोसनं । वस्थना ति । परिभवित्वा कथनं । गरहणा ति । ‘अस्सद्वो अप्पसन्नो’ ति आदिना नयेन दोसापोपना । उक्खेपना ति । ‘मा एतं एत्थं कथेथा’ ति आचाय उक्खिपनं । सब्बतोभागेन सवत्थुकं सहेतुकं कत्त्वा उक्खेपना समुक्खेपना । अथ वा अदेन्तं दिस्वा ‘अहो दानपती’ ति एवं उक्खिपनं उक्खेपना । ‘महादानपती’ ति एवं सुटु उक्खेपना समुक्खेपना । खिपना ति । कि इमस्स जीवितं बीजभोजिनो ति एवं उप्पण्डना । सङ्कृपना ति । ‘किं इमं अदायको ति भण्थ, या निच्चकालं सब्बेसं पि नथी ति वचनं देती’ ति सुटुतरं उप्पण्डना । पापना ति । अदायकत्तस्स अवण्णस्स वा पापनं । सब्बतोभागेन पापना सम्पापना । अवण्णहारिका ति । ‘एवं मे अवण्णभया पि दस्सती’ ति गेहतो गेहं, गामतो गामं, जनपदतो जनपदं अवण्णहरणं । परपिट्ठिमंसिकता ति । पुरो मधुरं भणित्वा परमुखे अवण्णभासिता । एसा हि अभिमुखं ओलोकेतुं असक्तोन्तास्स परमुखानं पिट्ठिमंसखादनमिव होति, तस्मा परपिट्ठिमंसिकता ति युता । अयं यस्मा वेळुपेसिका विय

विकनी लार ऐसे बहने लगी यानो घडे में रखा थी बह रहा हो । यह सुनकर उस गुहियी ने समझ लिया कि इस मिश्यु को धोखा देना शक्य नहीं है । तब उसने मिश्यु को चूसने के लिये ईख देकर (कुछ ही समय में) भात पकाकर उसे धृत गुड भिन्नत भस्यखण्डों के साथ खाने के लिये दिया । इस तरह किसी वस्तु का ‘सामीय (बहाना=व्याज) बनाकर कहना ‘सामन्तजप्य’ समझना चाहिये ।

परिकथा— जिस बात को जैसे देखा हो, उससे उलटकर उसको कहना ।

उत्त पालिपाठ के निष्पेसिकतानिर्देश मे— अक्षोसना दशविष्य आक्षोश-वस्तुओं से संवादी को कोसना (आकोशन) । (द०—सं. नि० अ० क० १,११,१४) वस्थना— हावी होना, दूसरे का परिभव करते हुए (नीचा दिखाते हुए) बोलना । गरहणा (गरहणा)—‘यह (त्रिरक्त के प्रति) अश्रद्धालु है’, ‘यह अप्रसन्न (चिढ़चिड़ा) रहता है’ इत्यादि प्रकार से दोषारोपण (निन्दा) करना । उक्खेपना—‘इसको यहाँ ऐसा मत कहो—इस प्रकार याणी से उत्क्षेपण (बात करने से रोकना) । समुक्खेपना— सब तरफ से कारण (हेतु) दरसाते हुए बात करने से रोकना । अथवा—अदाता (लोभी, कभूस) के प्रति ‘यह तो महादानपति है’ ऐसी याणी (शब्दावली) का प्रयोग कर उत्क्षेपण करना ही ‘समुक्खेपण’ कहलाता है । खिपना—‘अरे! इस बीजभोगी का भी कोई जीवन है!’ इस प्रकार उपहास करना । सङ्कृपना—‘अरे! इसको अदायक (कुछ भी न देनेवाला) क्यों कह रहे हो, यह तो प्रत्येक याचक को—‘नहीं है, कुछ नहीं है’ ऐसा बचन देता रहता है”—ऐसी बातों से स्पष्टतः उपहास करना । पापना—‘अदायकत्व’ आदि शब्दों से अकीर्ति या निन्दा का पात्र बनाना । सम्पापना— सब तरफ से निन्दा का पात्र बनाना । अवण्णहारिका—‘इस प्रकार इसकी निन्दा करने से भी यह मुझे कुछ दे देगा’—यो सोचकर इस घर से उस घर में, इस गाँव से उस गाँव में, इस जनपद से उस जनपद में किसी की निन्दा करते फिरना । परपिट्ठिमंसिकता सामने भीठी-भीठी बातों करके पीठ पीछे निन्दा करना । यह दुरुण दूसरे की पीठ, जिसे वह सामने से देखने में असमर्थ है, का मात्स खाने के समान है, इसलिये इसको ‘परपिट्ठिमंसिकता’ कहते हैं । अयं युच्चति निष्पेसिकता—क्योंकि जैसे बौंस का बना परिमार्जक (लकड़ी का टुकड़ा)

अब्दङ्गं, परस्स गुणं निष्पेसेति निपुञ्छति, यस्मा वा गन्धजातं निपिसित्वा गन्धमग्ना विषय परगुणे निपिसित्वा विचुण्णेत्वा एसा लाभमग्ना होति, तस्मा निष्पेसिकता ति बुच्चती ति ।

लाभेन लाभं निजिगिंसनतानिदेसे—निजिगिंसनता इतो लद्धं ति । इमम्हा गेहा लद्धं । अमुत्रा ति । अमुकम्हि गेहे । एट्टी ति । इच्छना । गवेष्टी ति । मग्ना । परियेष्टी ति । पुनप्पुनं सग्ना । आदितो पट्टाय लद्धं लद्धं भिक्खं तत्र तत्रे कुलदारकानं दत्ता अन्ते खीरयां लभित्वा गतभिक्षुवत्थु चेत्थ कथेतब्बं । एसना ति आदीनि एट्टी-आदीनमेव वेवचनानि । तस्मा एट्टी ति एसना, गवेष्टी ति गवेसना, परियेष्टी ति परियेसना—इच्छेवमेत्थयोजना वेदितब्बा । अयं कुहनादीनं अत्थो ।

इदानि एवमादीनं च पापधम्मानं ति । एथ्य आदिसदेन “यथा वा पनेके भोन्तो समणब्राह्मणा सद्गादेय्यानि भोजनानि भुज्जित्वा ते एवरूपाय तिरच्छानविज्ञाय मिच्छाजीवेन जीविकं कप्पेन्ति । सेव्यशीदं—अङ्गं, निमित्तं, उप्पातं, सुषिनं, लक्खणं, मूसिकच्छिङ्गं, अगिगहोमं, दद्विहोमं” (दी०१.१-१२)ति आदिना नयेन ब्रह्मजाले बुत्तानं अनेकेसं पापधम्मानं गहणं वेदितब्बं ।

इति च्वायं इमेसं आजीवहेतु पञ्चतानं छन्नं सिक्खापदानं वीतिकमवसेन, इमेसं च “कुहना, लपना, नैमित्तिकता, निष्पेसिकता, लाभेन लाभं निजिगिंसनता” ति एवमादीनं अभ्यन् (उबटन) आदि को पोछ डालता है, उसी तरह यह (दुर्गण) भी दूसरे गुणों को पोछ डालता है, निष्पिष्ट कर डालता है; या फिर क्योंकि जैसे सुगच्छित द्रव्य को पीस कर सुगन्ध खोजी जाती है, वैसे ही यह दूसरों के गुणों को पीसकर, चूर्ण कर अपना लाभ खोजती है, अतः ‘निष्पिष्टक’ कही जाती है ।

लाभ से लाभ खोजने के निर्देश में निजिगिंसनता इतो लद्धं— इस घर से प्राप्त । अमुत्र—अमुक घर में । एड्हि— इच्छा (इष्टि) । गवेष्टि— मार्गणा (खोजना—गवेषणा) ; परियेष्टि— बार-बार खोजना (पर्यणण) । (मिक्षाचर्या के) आरभ्य से प्राप्त मिक्षा को वहाँ वहाँ मिलते जाते परिवारों के बच्चों को देते हुए, अन्त में मिक्षा में मिले क्षीर (मिश्रत अन्न) व यवागू को प्राप्त कर खाने का दृष्टान्त पीछे आयी मिक्षु-कथा की तरह विस्तार से कहना चाहिये । यहाँ (इस प्रसङ्ग में) एसना आदि शब्द ‘एड्हि’ आदि के ही पर्याय (समानार्थक) समझने चाहिये । इस लिये ‘एड्हि’ को एवणा, ‘गवेष्टि’ को गवेषणा (खोज), ‘परियेष्टि’ को पर्यणण (बार-बार खोजना)—यों इस तरह यहाँ शब्दयोजना कर लेनी चाहिये ।

अब एवमादीनं च पापधम्मानं यहाँ आये ‘आदि’ शब्द से दीघनिकाय के ब्रह्मजालसुत में परिगणित उन अनेक पाप-घर्मों का भी संग्रहण कर लेना चाहिये । जैसे वहाँ कहा है—

“यहाँ समाज में प्रतिहित कुछ श्रमण-ब्राह्मण भी गृहस्थ जनों द्वारा श्रद्धा से प्रदत्त भोजन खाकर ऐसी टेढ़ी-मेढ़ी (तिर्यक् योनि कोटि की) दुरुल्लिं विद्याओं का सहारा लेते हुए मिथ्या आजीविकाओं से अपना जीवन निर्वाह करते हैं । जैसे—हाथ आदि अङ्ग देखकर भविष्य बताना, (ज्योतिष-ग्रहगणित), उत्पात (दैवी या प्राकृतिक घटनाओं के शक्तन-अपशक्तन), स्वप्न का फल बताना, सामुद्रिकशास्त्र के लक्षण, चूहों द्वारा कुतरे गये कपड़े देखकर उनका शुभाशुभ फल बताना, किस प्रकार के काहद्रव्य से हवन करने पर यह फल होता है”—(अग्रिहवन) आदि बताना, ‘किस करम्भुल (दर्वी) से कौन हवन कैसा फलदायक होता है’ (दर्वी-होन) बताना ।”

इस प्रकार आजीविका के लिये प्रकाश इन छह शिक्षापदों का व्यतिक्रम करना, ‘कुहन, लपन, नैमित्तिकता, लाभ से लाभ को खोजना आदि प्रकार के अकुशल घर्मों से की गयी जो मिथ्या

पापधम्मानं वसेन पवतो मिच्छाजीवो, या तस्मा सब्बप्पकारा पि मिच्छाजीवा विरति, इदं आजीवपारिसुद्धिसीलं । तत्रायं वचनत्थो—एतं आगम्म जीवन्ती ति आजीवो । को सो ? पञ्चयपरियेसनवायामो । पारिसुद्धी ति परिसुद्धता । आजीवस्स पारिसुद्ध आजीवपारिसुद्ध ।

(घ) पञ्चयसत्रिंसितसीलं

३२. यं पनेतं तदनन्तरं पञ्चयसत्रिंसितसीलं वुत्तं, तथ्य पटिसङ्घा योनिसो ति । उपायेन पथेन पटिसङ्घाय । अत्था, पञ्चवेक्षित्वा ति अत्थो । एत्थ च 'सीतस्स पटिधाताया' ति आदिना नयेन वुत्तपञ्चवेक्षणमेव "योनिसो पटिसङ्घा" ति वेदितब्बं ।

तथ्य चीवरं ति । अन्तरवासकादीसु यं किञ्च । पटिसेवती ति । परिभुज्ञति, निवासेति वा, पारुपति वा । यावदेवा ति । पयोजनावधिपरिच्छेदननियमवचनं । एतकमेव हि योगिनो चीवरपटिसेवने पयोजनं यदिदं सीतस्स पटिधाताया ति आदि, न इतो भिथ्यो । सीतस्सा ति । अज्ञातधातुक्खोभवसेन वा बहिद्वाऽतुपरिणामनवसेन वा उप्पन्नस्स यस्य कस्सच्चि सीतस्स । पटिधाताया ति । पटिहननत्थं । यथा सरीरे आबाधं न उप्पादेति, एवं तस्स

आजीविका हैं, उन सभी तरह की भिद्या आजीविकाओं से जो विरति है—यह 'आजीवपारिशुद्धिशील' है । 'आजीवपरिशुद्धिशील' शब्द का स्तरत अर्थ यह है—जिसके सहारे जीते हैं वह कहलाता है 'आजीव' । वह क्या है ? चीवर आदि ढूँढ़ने का प्रयास । अर्थात् प्रत्ययपर्यष्ठणव्यायाम (प्रयत्न) । 'पारिशुद्धि' कहते हैं परिशुद्धता को । यो यह आजीव की परिशुद्धि ही 'आजीवपारिशुद्धि' कहलाती है ।

(घ) प्रत्ययसत्रिंश्चित शील

३२. इसके पश्चात् जो यह प्रत्ययसत्रिंश्चित शील कहा गया है वहाँ (इस प्रसङ्ग के पालिपाठ^१ में आये) पटिसङ्घा योनिसो का अर्थ है—उपाय से, पथ (शास्त्रोक्त विधि) से एवं प्रतिसङ्घायान (ठीक—ठीक गणना) से, जानकर, प्रत्यवेक्षण कर । यहाँ 'योनिसो पटिसङ्घाय' का अर्थ "शीत के प्रतिधात (ताश) के लिये" आदि पालि—पाठ में कथित विधि से प्रत्यवेक्षण करना योनिशः प्रतिसङ्घायान है—ऐसा तमझना चाहिये ।

वहाँ चीवरं अन्तरवासक (चीवर के नीचे पहनने का छोटा वस्त्र=अण्डर वीयर) आदि मे जो कोई भी वस्त्र । पटिसेवति—उपभोग करता है, पहनता है, ओढ़ता है । यावदेव (केवल) । यह शब्द प्रयोजन (आवश्यकता) की अवधि (सीमा) के परिच्छेदक नियम को घोतित करता है । अर्थात् योगावशर के चीवर आदि धारण करने का इतना ही प्रयोजन है कि जितने भात्र से उसके शरीर को लगने वाले शीत (ठण्ड) आदि दूर रह सके, इसे अधिक नहीं । सीतस्स—शरीर के अन्तरिक धातुक्षेप (ज्वर आदि) के कारण या ऊतुपरिणामादिजन्य बाह्य धातुक्षेप से उत्पन्न जिस किसी तरह

^१. वह पालि—पाठ इस प्रकार है— “इव, मिक्खेषे, मिक्खु (क) पटिसङ्घा योनिसो चीवरं पटिसेवति, यावदेव सीतस्स पटिधाताय, उण्हस्स पटिधाताय, छसमकसवातातपसिरिसपसम्फस्सानं पटिधाताय, यावदेव हिरिकोपीनपटिच्छादनत्थं ।

(ख) पटिसङ्घा योनिसो मिछपात पटिसेवति, ने ददाय, न मदाय, न मण्डनाय, न विभूसनाय, यावदेव इसस्स कायस्स ठितिया यापनाय, विहिसूररतिया, ब्रह्मवरियानुग्रहाय, इति पुराणं च वेदनं पटिसङ्घामि, नवं च वेदनं न उप्पादेस्सामि, यात्रा च मे मविस्ससति, अनवज्जत च फासु विहारो चाति ।

(ग) पटिसङ्घा योनिसो सेनासनं पटिसेवति, यावदेव सीतस्स पटिधाताय, उण्हस्स पटिधाताय, छसमकसवातातपसिरिसपसम्फस्सानं पटिधाताय ।

(घ) पटिसङ्घा योनिसो गिलानपञ्चव्यभेस्सज्जपरिक्खार पटिसेवति, यावदेव उपश्चान वैयावधिकान वेदनान पटिधाताय, अव्यापज्ञपरमताया' ति ॥ (म०नि० १, २.१०; बैद्ध०भा०स०)

विनोदनत्थं । सीतब्बाहते हि सरीरे विकिखतचित्तो योनिसो पदहितुं न सक्षोति, तस्मा 'सीतस्स पटिघाताय चीवरं पटिसेवितब्बं' ति भगवा अनुज्ञासि । एस नयो सब्बत्थ । केवलं हेत्थ उण्हस्सा ति अगिसन्तापस्स । तस्स वनदाहदीसु सम्भवो वेदितब्बो । डंसमकसवातातपसरीपसम्फस्सानं ति । एथं पन डंसा ति, डंसनमविखका, अन्धमविखका ति पि बुच्चन्ति । मकसा मकसा एव । वाता ति । सरज-अरजादभेदा । आतपो ति । सूरियातपो । सरीसपा ति । ये केचि सरन्ता गच्छन्ति दीघजातिका सप्यादयो, तेसं दट्टुसम्फस्सो च फुट्टुसम्फस्सो चा ति दुविधो सम्फस्सो, सो पि चीवरं पारुपित्वा निसिन्तं न बाधति, तस्मा तादिसेसु ठानेसु तेसं पटिघातत्थाय पटिसेविति । यावदेवा ति । पुन एतस्स वचन नियतपथोजनावधिपरिच्छददस्सनत्थं । हिरिकोपीनपटिच्छादनं हि नियतपथोजनं, इतरानि कदाचिं कदाचिं होन्ति । तत्थं हिरिकोपीनं ति तं तं सम्बाधट्टानं । यस्मि यस्मि हि अम्बे विवरियमाने हिरी कुप्पति विनस्सति, तं तं हिरि कोपनतो हिरिकोपीनं ति बुच्चति । तस्स च हिरिकोपीनस्स पटिच्छादनत्थं ति हिरिकोपीनपटिच्छादनत्थं । हिरिकोपीनं पटिच्छादनत्थं ति पि पाठो ।

पिण्डपातं ति । यं किञ्चि आहारं । यो हि कोचि आहारो भिक्खुनो पिण्डोल्येन पते पतितता पिण्डपातो ति बुच्चति । पिण्डानं वा पातो पिण्डपातो, तत्थं तत्थं लङ्घानं भिक्खानं

के शीत का । पटिघाताय—प्रतिहनन (नाश=दूरीकरण) के लिये । जिस विधि से शरीर में किसी प्रकार की वाधा (रोग) उत्पन्न न हो, या (उत्पन्न हो जाय तो) उसके विनाश के लिये । शरीर के शीत से आक्रान्त होने पर व्यथित विक्षिप्तचित्त हो जाने के कारण कार्य का सम्पादन भलीभांति नहीं कर पाता । अतः भगवान् अनुज्ञा देते हैं—“शीत से बचने के लिये चीवर का उपयोग करना चाहिये ॥” यहीं विधि (नय) इस प्रकरण में सर्वत्र समझनी चाहिये । अतः केवल यहाँ (कुछ अतिरिक्त विशिष्ट शब्दों का ही ख्याल्यान कर रहे हैं)—उण्हस्स अश्रिताप (जलन) का । उसे बन-दाह आदि के समय सम्बन्ध जानना चाहिये । (किसी किसी दावाग्नि का सन्ताप शरीर को चीवर से आच्छन्न कर निटाया जा सकता है—यह अभिप्राय है) डंसमकसवातातपसरीसपस्सक्षत्तानं यहाँ 'डंस' का अर्थ है डंसने वाली मक्खी । इसे लोकव्यवहार में 'अन्धमक्खी' कहते हैं । मक्ख का अर्थ है मधुर (मधुक) । वात—आँखी । यह धूलभरी व विना धूल की—यो दो प्रकार की होती है । आतप—धूप, सूर्य का ताप (गरमी) । जारीतप—रेगने वाले और लम्बी आयु वाले सर्प आदि । उनका डेसना दो तरह से होता है—दोतों द्वारा काटने से या उनके शरीर-संस्पर्श से भी । यह चीवर ओढ़ने या धारण करने से कह नहीं देता; अतः वैसे स्थानों पर (जहाँ सर्प आदि का आहुत्य हो) योगावधर चीवर धारण कर इस संस्पर्श से अपना त्राण करता है । यावदेव—केवल । इस शब्द का पुनः प्रयोग (चीवरधारण की) अवधि द्योतित करने के लिये है । (वस्तुतः) गुसाझों का आच्छादन इसका निश्चित प्रयोजन है । अन्य प्रयोजन तो कमी-कमी (विशेष अवसरों) के लिये हैं । यहाँ हिरिकोपीन का अर्थ है—गुसाझ (शिश्र, गुदा) आदि वह वह लम्बा-स्थान । अर्थात् जिस-जिस अङ्ग के अनायृतं (खुले रहने पर) लज्जा (ही) बाधित होती हो, यिन्हं होती हो, यह वह अङ्ग, लम्बावाधक होने के कारण, 'हिरिकोपीन' कहलाता है । यहाँ उस 'हिरिकोपीन के प्रतिच्छादन' के अर्थ में 'हिरिकोपीन-पटिच्छादनत्थं' इस समस्त पद का प्रयोग हुआ है । कोई-कोई यहाँ 'हिरिकोपीन को प्रतिच्छादन के लिये ऐसा द्वितीयासमाप्रयुक्त पाठ भी मानते हैं ।

पिण्डपातं—१. यो कुछ भी आहर वह 'पिण्डपात' कहलाता है । २. भिक्खुओं को भिक्षा के लिये विचरते समय (पिण्डोल्य) पात्र में गिरने के कारण भी यह 'पिण्डपात' कहलाता है । अथवा—

संश्रितातो समूहो ति बुत्तं होति । नेव दवाया ति । न गामदारकादयो विय दवत्थं, कीछानिमित्तं ति बुत्तं होति । न मदाया ति । न मुट्ठिकमलादयो विय मदत्थं, बलमदनिमित्तं पोरिसमदनेमित्तं चाति बुत्तं होति । न मण्डनाया ति । न अन्तेपुरिकेसियादयो विय मण्डनत्थं, अङ्गपच्छानं पीणनभावनिमित्तं ति बुत्तं होति । न विभूसनाया ति । न नटनच्चकादयो विय विभूसनत्थं, पस्त्रच्छविवण्णतानिमित्तं ति बुत्तं होति । एथं च 'नेव दवाया' ति एतं मोरूपनिस्सयप्पहानत्थं बुत्तं । 'न मदाया' ति एतं दोसूपनिस्सयप्पहानत्थं । 'न मण्डनाय न विभूसनाया' ति एतं रागूपनिस्सयप्पहानत्थं । 'नेव दवाय न मण्डनाया' ति चेतं अत्तनो संयोजनुप्तिपटिसेधनत्थं । 'न मण्डनाय न विभूसनाया' ति एतं परस्स पि संयोजनुप्तिपटिसेधनत्थं । चतुर्हि पि चेतेहि अयोनिसो पटिपत्तिया कामसुखलिकानुयोगस्स च पहानं बुत्तं ति वेदितब्बं ।

यावदेवा ति बुत्तत्थमेव । इमस्स कायस्सा ति । एतस्स चतुमहाभूतिकस्स रूपकायस्स । ठितिया ति । पबन्धित्तित्थं । यापनाया ति । पवत्तिया अविच्छेदत्थं, चिरकालद्वित्तित्थं वा । धरूपत्थम्भमिव हि जिणणधरसामिको, अक्खब्जानमिव च साकटिको कायस्स ठित्तित्थं यापनत्थं चेस पिण्डपातं पटिसेवति, न दवमदमण्डनविभूसनत्थं । अपि च ठित्तित्थं जीवितेन्द्रियपत्तापनत्थं ति जीवितेन्द्रियपत्तापनत्थं । तस्मा इमस्स कायस्स ठितिया यापनाया ति एतावता एतस्स कायस्स जीवितेन्द्रियपत्तापनत्थं ति पि बुत्तं होती ति वेदितब्बं । विहिंसूपरतिया

३. पिण्डो (प्रास दो ग्रास मात्र अङ्ग) का यात 'पिण्डपात' कहलाता है । इसका अर्थ हुआ—'यहीं-यहाँ प्रास भिका का संश्रितात—समूह' । नेव दवाय का अर्थ है—ग्रामालोकों की तरह कीड़ा (=दव) के लिये नहीं । न मदाय का अर्थ है—पहलायानों की तरह शरीर का मद (शक्ति) बढ़ाने के लिये नहीं । शास्त्र में 'मद' शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है— १. बलमद और २. पौष्ट्रमद । इस प्रसङ्ग में इन दोनों मदों का ही ग्रहण ग्रन्थकारासम्मत है । न मण्डनाय— न अन्तपुर में रहने वाली स्त्रियों की तरह शारीरिक शोभा (छवि=मण्डल) बढ़ाने के लिये, ताकि शरीर के अङ्ग-प्रत्यक्ष और अधिक सुन्दर (प्रीणन भाव वाले) लगें । न विभूसनाय न नट या नर्तकों (नाचनेवालों) की तरह शरीर को विशृणित करने हेतु शरीर की शोभा (प्रसङ्ग छवि) बढ़ाने के लिये ।

अथ च—यहाँ 'नेव दवाय'—यह पद मोहसम्बन्धी उपनिशद्य के प्रहाण, 'न मदाय'—यह पद द्वेषसम्बन्धी उपनिशद्य ... एवं 'न मण्डनाय, न विभूसनाय'—यह पद मोहसम्बन्धी उपनिशद्य के प्रहाण हेतु कहा गया है । 'नेव दवाय न मदाय' यह पदसमूह स्वकीय संयोजनों (बन्धनों) के उत्पाद का प्रतिवेद्य करने के लिये, और 'न मण्डनाय न विभूसनाय' यह पदसमूह परकीय संयोजनोत्पाद के प्रतिवेद्य के लिये प्रयुक्त हुए हैं । और इन चारों से मिलकर, अयथार्थ प्रतिपत्ति (ज्ञान) एवं कामसुखलिकानुयोग का प्रहाण बताया गया है— ऐसा जानना चाहिये ।

यावदेव— इसका पूर्वांक ही अर्थ है । इमस्स कायस्स— इस वार महाभूतों से निष्पत्त रूपकाय का । ठितिया— निरन्तर स्थित रहने के लिये । यापनाय— जीवनप्रवाह को अविच्छिन्न बनाये रखने के लिये । या चिरकाल तक स्थित रहने के लिये । जीर्णगृह के स्वामी के घर में खम्भा (खम्भ=स्तम्भ) लगाने की तरह, या गाढ़ीवान की गाढ़ी के घुरे में तेल लगाने की तरह इस काया की स्थिति या निर्वाह के लिये पिण्डपात का सेवन करता है; कीड़ा, मद, मण्डन का अलङ्करण के लिये नहीं । अपेतु यहाँ 'स्थिति' शब्द जीवितेन्द्रिय के पर्याय के रूप में प्रयुक्त हुआ है । इसलिये उपर्युक्त हत्तने व्याख्यान के सहारे, 'इमस्स कायस्स ठितिया, यापनाय' का अर्थ 'जीवितेन्द्रिय के प्रवर्तन को बनाये रखने के लिये'—यह भी

ति । विहिंसा नाम जिधच्छा आबाध्देन; तस्या उपरमत्थं पेस पिण्डपातं पटिसेवति, वणालेपनमिव उण्हसीतादीसु तप्पटिकारं विय च । ब्रह्मचरियानुगगहाया ति । सकलसासनब्रह्मचरियस्स च मगगब्रह्मचरियस्स च अनुगगहत्थं । अयं हि पिण्डपातपटिसेवन-पच्या कायबलं निस्साय सिकखतयानुयोगवसेन भवकन्तारनित्थरणत्थं पटिपज्जन्तो ब्रह्मचरियानुगगहाय पटिसेवति, कन्तारनित्थरणत्थिका पुत्तमंसं विय, नदीनित्थरणत्थिका कुलं विय, समुद्रनित्थरणत्थिका नावमिव च ।

इति पुराणं च वेदनं पटिहङ्गामि नवं च वेदनं न उप्पादेस्सामी ति । एवं इमिना पिण्डपातपटिसेवने पुराणं च जिधच्छावेदनं पटिहङ्गामि, नवं च वेदनं अपरिमितभोजनपच्यं आहरहत्थक-अलंसाटक-तत्रवट्क-काकमासक-भुत्तवर्मितकब्राह्मणानं अञ्जतरो विय न उप्पादेस्सामी ति पि पटिसेवति, भेसज्जमिक गिलातो । अथ वा—या अधुना असप्पाया-परिमित-भोजनं निस्साय पुराणकम्मपच्यवसेन उप्पज्जनतो पुराणवेदना ति बुच्चति, सप्पाय-परिमितभोजनेन तस्या पच्यं विनासेन्तो तं पुराणं च वेदनं पटिहङ्गामि । या चायं अधुना करं अयुतपरिभोगकभूपच्यं निस्साय आयतिं उप्पज्जनतो नववेदना ति बुच्चति, युतपरिभोगवसेन तस्या मूलं अनिष्टतेन्तो तं नवं च वेदनं न उप्पादेस्सामी ति एवं येत्थ

समझना चाहिये । विहिंसाया—यहाँ ‘विहिंसा’ का अर्थ है रोग । रोग से बचने के लिये भी । वह पिण्डपात का उपभोग करता है घाव (ब्रण) पर मरहम के लेपन के समान एवं सर्दी-गर्मी आदि होने पर उनके प्रतीकार के समान । ब्रह्मचरियानुगगहाय—समस्त बुद्धशासन में (निहित) ब्रह्मचर्य एवं मार्ग के रूप में ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिये । वह पिण्डपात-सेवन के फलस्वरूप प्राप्त शरीर-बल के सहारे (अधिशील, अधिचित्त, अधिप्रज्ञ-इत्य) शिक्षात्रय की पूर्ति में लगे रहने से, भवकान्तार की पार करने में समन्वय रहते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिये सेवन करता है, जैसे रेगिस्तान पार करने का इच्छुक व्यक्ति मूख भिटाने के लिये अपने पुत्र के मांस को भी खाने का या नदी के पार जाने का इच्छुक किसी बड़े का या समुद्रपारामनेच्छु किसी बड़ी नौका का सहारा लेता है ।

इति पुराणं च वेदनं पटिहङ्गामि नवं च वेदनं उप्पादेस्सामि—‘यो इस पिण्डपातप्रतिसेवन से पुरानी जिधसावेदना (भूख के अनुभव) को निवृत्त करेंगा और इस पिण्डपात के अधिक प्रतिसेवन से होने वाले किसी नये रोग को पैदा नहीं होने देंगा’ यह सोचकर पिण्डपात का सेवन करता है, जैसे कोई रोगी पथ्य या औषध का अल्प या उचित मात्रा में ही उपयोग करता हो ।

यहाँ पिण्डपात के अतिसेवन से होने वाले कुछ रोग, जो कि सामान्यतः उस समय के भोजनभृत ब्राह्मणों में हुआ करते थे, आचार्य यो गिनाये हैं, जैसे—१. आहरहत्थक (अधिक भोजन के कारण दूसरों के हाथ का सहारा लौकर उठना), २. अलंसाटक (अतिभोजन के कारण, धौती ढीली होने पर पुनः बाँधने में असमर्थ होना), ३. तत्रवट्क (अति भोजन से उठने में असमर्थ हो उसी जगह लेट जाना), ४. काकमासक (अतिभोजन से श्वास लेने में असमर्थ ऐसे मुँह खोल कर सोना कि उसके खुले मुँह में कौआ भी अपनी चौच डालकर उसके गले से खाया अन्न निकल ले) एवं ५. भुत्तवर्मितक (जो अधिक खाकर मुख में रखने में असमर्थ हो और वही दमन कर दे) ।

अथवा, इस वाक्य का अर्थ यो कीजिये—‘पूर्व कर्म के कारण (प्रत्यय) वश एवं इस समय अनुचित व अत्यधिक भोजन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने से जो पुरानी वेदना कही जाती है, उचित परिमित भोजन से उस पुरानी वेदना के प्रत्यय का विनाश करते हुए ‘उस पुरानी वेदना को दूर करेंगा’, एवं ‘जो इस समय किये गये अयुत परिभोग-कर्म के फलस्वरूप आगे उत्पन्न होने से नहीं

अथो दद्वब्बो । एतावता युत्तपरिभोगसङ्गहो, अत्तकिलमथानुयोगप्रहानं, धम्मिकसुखा-परिच्छागो च दीपितो होती ति वेदितब्बो ।

यात्रा च मे भविस्सती ति । परिमितपरिभोगेन जीवितन्द्रियुपच्छेदकस्स इरियापथ-भञ्जकस्स वा परिस्सयस्स अभावतो चिरकालगमनसङ्गाता यात्रा च मे भविस्सति इमस्स पञ्चयत्तवुत्तिनो कायस्सा ति पि पटिसेवति, याप्यरेगी विय तप्पञ्चयं । अनवज्जता च फासुविहारो चाति । अयुत्तपरियेसनपटिगण्णपरिभोगपरिवज्जनेन अनवज्जता, परिमित-परिभेगेन फासुविहारो । असप्पायापरिमितपरिभोगपञ्चया अरति-तन्दी-विजम्भिता-विज्ञुगरहादिदोसाभावेन वा अनवज्जता, सप्पायापरिमितभोजनपञ्चया कायबलसम्भवेन फासुविहारो । यावदत्थउद्द-रावदेहकभोजनपरिवज्जनेन वा सेय्यसुखपस्ससुखमिद्धसुखानं पहानतो अनवज्जता, चतुपञ्चा-लोपमत्तऊनभोजनेन चतुइरियापथयोग्यभावपटिपादनतो फासुविहारो च मे भविस्सती ति पि पटिसेवति । वुत्तं पि हेतं—

“चत्तारो पञ्च आलोपे अभुत्वा उदकं पिवे ।

अलं फासुविहाराय पहितत्तस्स भिक्षुनो” ति ॥ (खु० २-३६६)

एतावता च पयोजनपरिग्गहो, मञ्ज्ञमा च पटिपदा दीपिता होती ति वेदितब्बा ।
सेनासनं ति । सेनं च आसनं च । यत्थ यत्थ हि सेति विहारे वा अद्युयोगादिम्हि वा,

देना कही जाती है, युक्त परिभोग से उसके मूल को ही न उत्पन्न होने देकर उस नयी देना को भी उत्पन्न न कर्तुंगा’।

यहाँ तक (के व्याख्यान) से युक्त (उचित) परिभोग का संग्रह, आत्मकलमथानुयोगप्रहाण एवं व्यार्थिक सुख का अपरित्याग—यह सब व्याख्यात हुआ—ऐसा समझना चाहिये ।

यात्रा च मे भविस्सति—‘परिमित (उचित) परिभोग से जीवितन्द्रिय का उपच्छेद (मृत्यु) या ईर्यपथ को बाधित करने वाले उपद्रव (परिश्रय) के अभाव से चिरकाल तक चलते रहना (लग्नमन या जीते रहना) कहलाने वाली मेरी जीवनयात्रा होती रहेगी’ ऐसा सोचकर पिण्डपात का सेवन करता है, जैसे गम्भीर रोगी औषध का सेवन करता हो ।

अनवज्जता च फासुविहारो च—अयुक्त के पर्यवण एवं परिभोग का त्वाग करने से अनवद्यता, परिमित परिभोग करने से सुखविहार । अथवा—अनुचित, अपरिमित परिभोग के प्रत्यय से (उत्पन्न) शरीरबल से उद्भूत उदासी, तन्दा, जम्हाई—इन विद्विन्निर्दित दोषों के अमाव से अनवद्यता, एवं उचित परिमित भोजन के प्रत्यय से उत्पन्न शरीरबल के उत्पाद से सुखविहार । अथवा—जितना हो सके उतना टूंस-टूंस कर भोजन करने के परिर्जन से शाय्यासुख, पार्श्वसुख (आलस्य वा खाट पर पड़े रहना), मृद्द (तन्दा)युक्त आलस्य) सुख के प्रहाण से अनवद्यता: (जितनी भूख हो उससे) चार-पाँच ग्रास भोजन कम कर शरीर को चारो ईर्यपथों के अनुकूल बनाने से मेरी साधना सुखपूर्वक होती रहेंगी’—यह (रोचकर) भी सेवन करता है । त्रिपिटक मे यह भी कहा है—

(“भोजन मे) चार-पाँच ग्रास कम खाकर (उसके स्थान पर) जल पी ले—यही उस निर्वणहेतु प्रयासरत भिक्षु की सुखपूर्विका साधना मे पर्यास (सहायक) होगा ।”

इतने व्याख्यान से प्रयोजन का प्रतिग्रह एवं मध्यमा प्रतिपदा का व्याख्यान हुआ—यह जानना चाहिये ॥

सेनासनं—शयन और आसन । भिक्षु जहाँ जहाँ शयनक्रिया करे, फिर भले ही वह विहार हो

तं सेनं । यत्थ यत्थ आसति निसीदति, तं आसनं । तं एकतो कत्वा सेनासनं ति बुद्धति । उतुपरिस्सयविनोदनपटिसल्लानारामत्थं ति । परिसहनद्वेन उतु येव उतुपरिस्सये । उतुपरिस्सयस्स विनोदनत्थं च पटिसल्लानारामत्थं च । यो सरीराबाधचित्तविक्खेपकरो असप्पायो उतु सेनासनपटिसेवनेन विनोदेतब्बो होति, तस्स विनोदनत्थं एकीभावसुखत्थं चा ति बुतं होति । कामं च सीतपित्तातदिना च उतुपरिस्सयविनोदं बुतमेव । यथा पन चीवरपटिसेवने हिरिकोपीनपटिच्छादनं नियतपयोजनं, इतरानि कदाचि कदाचि भवन्तो ति बुतं, एवमिधापि नियतं उतुपरिस्सयविनोदनं सन्धाय इदं बुतं ति वेदितब्बं ।

अथ वा—अयं बुतप्पकारो उतु उतु येव । परिस्सयो पन दुविधो—पाकटपरिस्सयो च, पटिच्छन्नपरिस्सयो च । तत्थ पाकटपरिस्सयो सीहब्यगधादयो, पटिच्छन्नपरिस्सयो रागदोसादयो । ते यत्थ अपरिगुत्तिया च असप्पायरूपदस्सनादिना च आबाधं न करोन्ति, तं सेनासनं एवं जानित्वा पच्चवेक्षित्वा पटिसेवन्तो भिक्खु पटिसङ्घा योनिसो सेनासनं उतुपरिस्सयविनोदनत्थं पटिसेवती ति वेदितब्बं ।

गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं ति । एत्थ रोगस्स पटिअवनद्वेन पच्ययो, पच्चनीकगमनद्वेना ति अत्थो । यस्स कस्सचि सप्पायस्सेतं अधिवचनं । भिसक्कस्स कम्मं तेन अनुज्ञातता ति भेसज्जं । गिलानपच्चयो च भेसज्जं गिलानपच्चयभेसज्जं । यं किञ्चि

या अभ्युग आदि हो वह 'शयन' कहलाता है । जहाँ—जहाँ भी वह आसीन होता है वह 'आसन' कहलाता है । वे दोनों मिल कर 'शयनासन' कहे जाते हैं । उतुपरिस्सदविनोदन—पटिसल्लानारामत्थं—ऋतु ही ऋतुपरिश्रय है । ऋतु के परिश्रय (=उपदद) को दूर हटाने एवं वित्त को सुखपूर्वक एकाग्र करने (पटिसल्लान) के लिये । जो शरीर में रोग तथा वित्त का विक्षेप कर दृष्टि होते हैं उन्हें ऋतु, शयन आसन आदि के उचित सेवन से दूर करना चाहिये । इस (ऋतुपरिश्रय) को निष्प्रभाव करने के लिये तथा एकाग्रता—सुख की प्राप्ति के लिये इस शब्दसमूह का प्रयोग किया गया है । यद्यपि साधारणत शीतप्रतिद्यातादि के रूप में ऋतुपरिश्रय को निष्प्रभाव करना पहले भी व्याख्यानप्रसङ्ग में कहा जा चुका है, किन्तु जैसे चीवर के उपयोगसम्बन्धी व्याख्यान में ही कौपीनाच्छवदन को चीवर का नियत प्रयोजन बताया गया है, बाकी प्रयोजन तो कादाचित्क ही कहे गये हैं, उसी प्रकार इस व्याख्यानप्रसङ्ग में भी नियत ऋतुपरिश्रय का दूरीकरण (शयनासन में) बताने के लिये यह कहा गया है—ऐसा जानना चाहिये ।

अथवा यो भी व्याख्यान किया जा सकता है—ऋतु का व्याख्यान तो साधारणतः जो होता है वही है । हाँ, उसका परिश्रय दो प्रकार का है— १. प्रकटपरिश्रय और २. प्रच्छन्नपरिश्रय । उनमें, सिह व्याघादि प्रकटपरिश्रय के रूप में देखे जाते हैं और राग—द्वेष आदि प्रच्छन्नपरिश्रय के रूप में । वे जहाँ छिपकर न रहने व अयुक्त रूपदर्शन आदि के कारण बाधा न पहुँचाते हों (क्योंकि व्याघादि तो छिपकर न रहने एवं राग—द्वेषादि अयुक्त रूपदर्शन से ही बाधा पहुँचते हैं) । उस शयन—आसन को यो जानकर, सोच—विचार कर सेवन करने वाला भिसु ऋतुपरिश्रय को निष्प्रभाव करने के लिये प्रज्ञा से सम्यक्तया जानकर शयनासन का उपयोग करता है—इस प्रकार समझना चाहिये ।

गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं— यहाँ रोग के प्रत्ययन (विपक्ष) अर्थ मे 'प्रत्यय' का प्रयोग है । इसका अर्थ है—(रोग के) विरुद्ध होना । जो कुछ भी (रोग के विरुद्ध) युक्त है, पश्य (सप्पाय) है, अनुकूल है—उसका यह अधिवचन (पर्याय) है । इसके द्वारा भिषक् (वैद्य) का विकित्साकर्म अनुज्ञात

गिलानस्स सप्पायं भिसक्ककम्मं तेलमुफाणितादी ति बुत्तं होति । परिक्खारो ति घन “सतहि नगरपरिक्खारेहि सुपरिक्खतं होति” (अं०३-२३४) ति आदीसु परिक्खारे बुच्चति । “रथो सीलपरिक्खारेहि ज्ञानक्खो चक्कवीरियो” (सं०४-७) ति आदीसु अलङ्कारो । “ये च खो इमे पब्बजितेन जीवितपरिक्खारा समुदानेतब्बा” (म०१-१४१) ति आदीसु सम्भारो । इधं घन सम्भारो पि परिवारो पि बृहति तं हि गिलानपच्चयभेसज्जं जीवितस्स परिक्खारे पि होति, जीवितनासकाबाधुपत्तिया अन्तरं अदत्ता रक्खणतो सम्भारो पि ; यथा चिरं पवत्तति, एवमस्स कारणभावतो, तस्मा परिक्खारो ति बुच्चति । एवं गिलानपच्चयभेसज्जं च हं परिक्खारे चाति गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं ; गिलानस्स यं केंकिष्ठं सप्पायं भिसक्कानुज्जातं तेलमधुफाणितादिजीवितपरिक्खारं ति बुत्तं होति ।

उप्पन्नानं ति । जातानं भूतानं निष्पत्तानं । वेष्याबाधिकानं ति । एत्थं व्याबाधो ति पातुक्खोभो, तं समुद्धाना च कुट्टगण्डपिल्कादयो । व्याबाधथो उप्पत्रात् वेष्याबाधिका । वेदनानं ति । दुक्खवेदना अकुसलविपाकवेदना, तासं वेष्याबाधिकानं वेदनानं । अव्याबज्ज्ञपरमताया ति । निदुक्खपरमताय । याव तं दुक्खं सब्जं पहीनं होति तावा ति अथो ।

हेता है, अतः यह मैवज्य है। ग्लान (रोगी) का प्रत्यय (पश्य) ही ‘मैवज्य’ है, अतः यह ‘ग्लानप्रत्ययमैवज्य’ है। रोगी की जो कुछ भी पथ्यानुकूल औषधियाँ हैं जैसे तैल, मधु, धूत, फाणित (=फेन से उत्पन्न दस्तु) धूत भी दूध के फेन से निकलता है, अतः ‘फाणित’ कहलाता है—सभी ‘मैवज्य’ कहलाती हैं। परिक्खार—यह शब्द त्रिपिटक में स्थान—स्थान पर कई अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। जैसे—“सात नगर—परिक्खारों से सुपरिक्षृत होता है” (अ०निं० ३-२३४) आदि स्थानों में ‘परिक्खार’ शब्द परिवार (खाई से धिरे रहना) अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। “आर्यमार्गलीपी रथ शीलपरिक्खार से सम्पन्न है, व्यान भासना इसकी धुरी एवं उस भासना की प्राप्ति के लिये उद्योग (वीर्य) करना उसका चक्र है”—यहाँ परिक्खार शब्द अलङ्कार (आभूषण) अर्थ में प्रयुक्त है। “प्रग्रजित के द्वारा ये जीवनपरिक्खार (जीवनसाधन) जुटाने गोया है”—यहाँ ‘परिक्खार’ शब्द ‘साधन’—अर्थ में प्रयुक्त है। परन्तु प्रस्तुत प्रसक्त में इस शब्द का ‘सम्भार’ (संग्रह) या ‘परिवार’ अर्थ ही उचित है, क्योंकि वह ग्लानप्रत्ययमैवज्य जीवन का साधन भी होता है और जीवन—नाशक रोगों की उत्पत्ति के लिये अवसर न देते हुए, रक्षा करने से ‘सम्भार’ भी होता है। विरकाल तक चलते रहने का कारण होने से ‘परिक्खार’ कहा जाता है। यो, वह ग्लानप्रत्ययमैवज्य भी है और परिक्खार भी, अतः यह हुआ ‘ग्लानप्रत्ययमैवज्यपरिक्खार’! उसको दैदौ द्वारा अनुज्ञात तैल, मधु, धूत आदि जो कुछ भी औषध हो उन्हें जीवन—परिक्खार कहा गया है।

उप्पन्नानं—जन्मे दुओं का, प्रामुर्भूत दुओं का, निर्वृत्त हुओं का । वेष्याबाधिकानं यहाँ व्याबाधा का अर्थ है शरीरगत धातुक्खोभ एवं उत्पन्न कुहरोग, गलगण्ड या द्राण आदि विकार। व्याबाधा है उत्पन्न हुआ ‘वैष्याबाधिक’ कहलाता है। वेदनानं दुखात्मक वेदना या अकुशल—विपाक वेदना का। अव्याबज्ज्ञपरमताय—दुखरहित होने के लिये। अर्थात् जब तक वह रोगनिमित्तक दुख सर्वात्मकतया निर्मल न हो तब तक के लिये (—यह अर्थ) समझना चाहिये ।

१. अद्वक्षा में ये सात ‘नगरपरिक्खार’ बताये गये हैं: जैसे—(१) एसिका (इन्द्रकील), (२) खाई, (३) विस्तृत गां, (४) विशाल अमुः-भाष्टगार, (५) सेना, (६) चतुर द्वारपाल और (७) ऊँची व ढौँढी यहारवीवारी। परन्तु श० निं० (४, ६, ३) में इस गणना में कुछ मिश्रत दिव्यायी देवी हैं; जैसे—(१) किवाह, (२) खाई, (३) नीव, (४) बहारवीवारी (प्राकार), (५) इन्द्रकील, (६) ऊँचट एवं (७) बहारवीवारी का द्विगुण या त्रिगुण विस्तार।

एवमिदं सङ्केपतो पटिसङ्का योनिसो पच्चयपरिभोगलक्षणं पच्चयसत्रिस्तसीलं वेदितब्बं । वचनत्थे पनेत्थ—चीवरादयो हि यस्मा ते पटिच्च निस्साय परिभुज्ञमाना पाणिनो अयन्ति पवत्तन्ति, तस्मा पच्या ति वुच्चन्ति । ते पच्ये सत्रिस्तं ति पच्चयसत्रिस्तं ॥

चतुपारिसुद्धिसम्पादनविधि

१. पातिमोक्खसंवरसुद्धिसम्पादनविधि

३३. एवमेतस्मि चतुब्बधे सीले सद्ग्राय पातिमोक्खसंवरो सम्पादेतब्बो । सन्द्वासाधनो हि सो, सावकविसयातीतता सिक्खापदपञ्चत्तिया । सिक्खापद-पञ्चत्तियाचनपटिक्खेपो चेत्थ निदस्सनं । तस्मा यथा पञ्चतं सिक्खापदं अनवसेसं सद्ग्राय समादियित्वा जीविते पि अपेक्खं अकरोन्तेन साधुकं सम्पादेतब्बं । वुतं पि हेतं—

“किकी व अण्डं चमरी व वालधिं, पियं व पुत्तं नयनं व एककं ।

तथेव सीलं अनुरक्खमानका सुपेसला होथ सदा सागरवा” ति ॥

अपरं पि वुतं—“(सेव्यथापि महासमुद्दो ठितधम्मो नातिवकामति) एवमेव खो, पहारद, यं मया सावकानं सिक्खापदं पञ्चतं, तं मम सावका जीवितहेतु पि नातिकमन्ती” (अं० निं० ३-३०९) ति । इमस्मि च पनत्थे अटवियं चोरेहि बद्धयेरानं वत्थूनि वेदितब्बानि ।

महावत्तन्निटवियं किर थेरं चोरा काळवलीहि बन्धित्वा निपञ्चेसुं । थेरे यथानिपन्नो

यो, संक्षेप में यह प्रतिसङ्कृत्यान् (सूक्ष्म विश्लेषण) से अली-आंति समझकर प्रत्ययपरिभोग वाले प्रत्ययसत्रिश्रित शील को जानना चाहिये । उत्त वाक्यावलि का सरलार्थ यह है—क्योंकि उनके प्रत्यय (कारण) से परिभोग करते हुए प्राणी चलते हैं, अपने जीवन में गति लाते हैं, अतः चीवर आदि ‘प्रत्यय’ कहे जाते हैं । उन प्रत्ययों से सत्रिश्रित (सांख्य) शील ‘प्रत्ययसत्रिश्रित’ कहलाता है ।

चार परिशुद्धिसम्पादनविधियाँ

(४) प्रतिमोक्खसंवरसुद्धिसम्पादनविधि

३३. यो, इस उपर्युक्त चतुविधि शील में श्रद्धा द्वारा प्रतिमोक्खसंवर पूर्ण करना चाहिये; क्योंकि उस शील की प्राप्ति में श्रद्धा ही साधन (सहारा) है । नये शिक्षापदों की प्रशासि (रचना, व उसका दूसरों को उपदेश) श्रावक के अधिकार से बाहर की बात है । इसमें (विनयपिटक-पाराग्निक खण्ड में आयी) आयुष्मान् सारिपुत्र द्वारा भगवान् से नये शिक्षापदों की प्रशासि की याचना पर भगवान् द्वारा उसका निवेद बतालाने वाली कथा ही प्रमाण (निदर्शन) है । इसलिये (भगवान् द्वारा) जैसे ही शिक्षापद (साधनाविधि) प्रकाश हैं उन पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए, अपने जीवन को भी दाव पर लगा कर, उनको पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिये । क्योंकि कहा भी है—

“जैसे टिटही (पक्षी) अपने अण्डे की, चमरी (जाति की गी) अपनी पूँछ की, माता (अपने इकलौते) पुत्र की, काणा (अपनी बची) एक आँख की रक्षा करता है; ऐसे ही तुम अपने शील की रक्षा करते हुए (उसके प्रति) प्रेम और गौरव रखने वाले बनो ॥

और (अमृतरनिकाय ३-३०९ में) भी कहा है— (“जैसे महासमुद्र अपने स्थान पर स्थित रहता हुआ अपने तट को कभी नहीं लौंगता.) उसी तरह प्रद्वाद! मैंने अपने श्रावकों के लिये जो शिक्षापद प्रशास किये हैं, उन्हें वे अपने जीवन पर सङ्कट आने पर भी, अतिक्रान्त नहीं करते” । इस प्रसङ्ग को प्रमाणित करने के लिये (त्रिपिटक में आयी) वन में चौरों द्वारा शृङ्खलाबद्ध भिक्षुओं की कथाएँ प्रस्तुत करनी चाहिये । (जैसे—)

च सत् दिवसानि बड़ेत्वा अनागमिफलं पापुणित्वा तत्थेव कालं कत्वा ब्रह्मलोके निष्वत्ति ।

अपरं पि थेरं तम्बपणिणदीपे पूतिलताय अन्धित्वा निपज्जापेसु । सो बनदाहे आगच्छन्ते वशिं अच्छन्दित्वा विपस्सनं पटुपेत्वा समसीसी हुत्वा परिनिष्कायि । दीघभाणकअभयथ्येरो पश्चहि भिक्खुस्तेहि सद्धिं आगच्छन्तो दिस्वा थेरस्स सरीरं झापेत्वा चेतियं कारापेसि । तस्मा अज्जो पि सद्धो कुलपुत्तो—

पातिमोक्खं विसोधेन्तो अप्पेव जीवितं जहे ।

पञ्चतं लोकनाथेन न भिन्दे सीलसंबरं ॥

२. इन्द्रियसंबरसुद्धिसम्पादनविधि

३४. यथा च पातिमोक्खसंबरो सद्भाय, एवं सतिया इन्द्रियसंबरो समादेतब्बो । सतिसाधनो हि सो, सतिया अधिद्वितानं इन्द्रियानं अभिज्ञादीहि अनन्यास्सबनीयतो । तस्मा “वरं, भिक्खुवे, तत्त्वाय अयोसलाकाय आदित्ताय सम्पज्जलिताय सजोतिभूताय चक्षुन्द्रियं सम्पलिमहु, न त्वेव चक्षुविज्जेयेसु रूपेसु अनुव्यञ्जनसो निमित्तगाहो” (सं० ३-१५२) ति आदिना नयेन आदित्तपरियायं समनुस्सरित्वा रूपादिसु विसयेसु

(१) महावर्तनी अटवी (विन्द्याटवी या हिमालय के पार्श्वस्थित किसी पर्वत की उपत्यका के नामदेश) में कालवनी (कोई विशेष लता) से बाँध कर स्थधिर को लिटा दिया । स्थधिर ने उसी वस्त्रमा में (लेटे ही लेटे) सात ही दिनों में विपश्यना बढ़ाकर अनागमिफल प्राप्त करते हुए वही वस्त्रधीर त्याग कर ब्रह्मलोक में अवतार लिया ।

(२) एक अन्य स्थधिर को भी चौरों ने पूतिलता (गिलोय बेल) से बाँधकर वही पटक दिया । शहद में उस स्थधिर ने, बन में आग लग जाने पर लता को दिना तोड़े ही (क्योंकि हरी लता को तोड़ना शिक्षापदों में पाचित्य दोष माना गया है) विपश्यना कर के जीवितसमसीसी (‘या तो मेरी मृत्यु ही होगी या इस सङ्कल्प को ही पूरा करूँगा’— ऐसे दृढ़ निश्चयी होकर निर्वाण प्राप्त कर लिया । दीर्घभाणक (दीधनिकाय को कण्ठतः सुनाने वाले) अभ्य—स्थधिर ने, पौचं सी भिक्षुओं के साथ आते हुए, उस निर्वाणप्राप्त भिक्षु को उस अवस्था में देखकर उसके शरीर का संस्कार करते हुए उस पर चैत्य नमा दिया । अतः अन्य ब्रह्मावान् कुलपुत्र को भी—

प्रातिमोक्ष (भिक्षुनिष्ठमो) का, जैसा कि भेगवान् ने उन्हें प्रक्षाप किया है, विशुद्ध द्वदय से पालन करते हुए, भले ही इस कर्तव्यपूर्ति में उसके प्राण ही क्यों न चले जाय, शीलसंबर का उल्लङ्घन कदापि वही करना चाहिये ॥

(२) इन्द्रियसंबरसुद्धिसम्पादनविधि

३४. जैसे प्रातिमोक्षसंबरशील का पालन स्मृति के सहारे होता है वैसे ही इन्द्रियसंबरशील श पालन भी स्मृति के सहारे सम्पन्न करना चाहिये, क्योंकि उस संबर की रक्षा में स्मृति का ही लक्ष्य है । अतः स्मृति से अधिहित होने के कारण (उस योगावचर की) इन्द्रियों अभिव्यादि दुर्गुणों से ग्रस्ताहित नहीं होती । अतः “भिक्षुओ! भले ही कोई गर्भ, जलती, धघकती, चमकती लौहे की गलाकाओं से चक्षुरिन्द्रिय को फोड़ डाले, परन्तु चक्षुर्विक्षेय रूपसम्बन्धी विषयों में अनुव्यञ्जन (आकार, बनावट) के अनुसार निमित्त का ग्रहण करना कथमपि अछान्ति नहीं” इत्यादि त्रिपिटिकोत्त इन से आदित्यपर्यायसूक्त का स्मरण कर, रूपादि विषयों में चक्षुर्द्वारा आदि से उत्पन्न विज्ञान का लोक आदि को प्रोत्साहित करने वाले निमित्त आदि के ग्रहण को निरन्तर बनी रहने वाली स्मृति से ग्रहण हुए हुए इस इन्द्रियसंबर को करना चाहिये । इसके, इस प्रकार न पालन करने पर, पूर्वांक

चक्रघटारादिपवत्तस्स विज्ञाणस्स अभिज्ञादीहि अन्वास्सवनीयं निभित्तादिग्गाहं असम्मुख्य सतिया निसेष्ठेतेन एस साथुकं सम्पादेतब्बो । एवं असम्पादिते हि एतस्मि पातिमोक्खसंवरसीलं पि अनद्धनियं होति अचिरटुतिकं, असंविहितसाखापरिवारमिव सस्सं । हञ्जते चायं किलेसचोरेहि, विवटद्वारे विय गामो परस्सहारीहि । चित्तं चस्स रागो समतिविज्ञति, दुच्छ्रमगारं बुट्टि विय । बुतं पि हेत—

“रूपेसु सदेसु अथो रसेसु गन्धेसु फस्सेसु च रक्ख इन्द्रियं ।

एते हि द्वारा विवटा अरकिखता हन्ति गामं व परस्सहारिनो” ॥

“यथा अगारं दुच्छ्रनं बुट्टि समतिविज्ञति ।

एवं अभावितं चित्तं रागो समतिविज्ञती” ति ॥ (खु० १-१३)

सम्पादिते पन तस्मि पातिमोक्खसंवरसीलं पि अद्धनियं होति चिरटुतिकं, सुसंविहितसाखापरिवारमिव सस्सं । न हञ्जते चायं किलेसचोरेहि, सुसंबुतद्वारे विय गामो परस्सहारीहि । न चस्स चित्रं रागो समतिविज्ञति, सुच्छ्रमगारं बुट्टि विय । बुतं पि चेत—

“रूपेसु सदेसु अथो रसेसु गन्धेसु फस्सेसु च रक्ख इन्द्रियं ।

एते हि द्वारा पिहिता सुसंबुता न हन्ति गामं व परस्सहारिनो” ॥

“यथा अगारं सुच्छ्रनं बुट्टि न समतिविज्ञति ।

एवं सुभावितं चित्तं रागो न समतिविज्ञती” ति ॥ (खु० १-१४)

अयं पन अतिउड्टुदेसना । चित्तं नामेतं लहुपरिवतं, तस्मा उप्पन्नं रागं असुभमनसि-

प्रातिमोक्खसंवरशील भी बहुत समय लक साथ न देने वाला या बहुत समय दिघर न रहने वाला हो जाता है, जैसे कि कटीले शाखा-समूहों के अवरोध से न धेरी हुई धान (शस्य) की खेती । अन्त में यह वलेशरस्ती ओरों से मार डाला जाता है, जैसे खुले द्वारों वाला ग्राम लुटेरो द्वारा लूट लिया जाता है । उस अवस्था में राग इसके चित्त में प्रविष्ट हो जाता है, जैसे लीक से न छाये हुए घर में वर्षा का जल धुस जाता है । (त्रिपिटक में) कहा भी है—

“रूप, शब्द, रस, गन्ध एवं स्पर्श के विषयों में अपनी इन्द्रियों को सुरक्षित रखें, क्योंकि ये खुले इन्द्रियद्वार अरकित साधक को बैसे ही मार देते हैं जैसे खुले द्वारों वाले ग्राम को लुटेरे लूट ले जाते हैं ।

“जैसे लीक से न छायी हुई छत वाले घर में वर्षा का जल दिना किसी अवरोध के प्रविष्ट हो जाता है, उसी तरह साधनाभ्यास में आलसी भिशु के चित्त में राग आदि अकुशल धर्म प्रविष्ट हो जाते हैं ।

किर, इस (इन्द्रियस्वर) का पालन किये जाने पर वह प्रातिमोक्खसंवर दूर तक साथ देने वाला (अद्धनिय) तथा चिरकालस्थायी होता है; जैसे केटीली आङ्गियों से धेरी हुई धान की खेती । यह साधक वलेशरस्ती ओरों से नहीं भोरा जाता । इसके इस शुद्ध चित्त में राग भी नहीं प्रविष्ट हो पाता, जैसे सञ्जन घर में वर्षा का जल । कहा भी है—

“रूप के ... पूर्ववत् ... बचाओ । इन इन्द्रियद्वारों के बन्द होने पर विषय साधक को उसी तरह नहीं मार पाते, जैसे पिहितद्वार (बन्द दरवाजों वाले) ग्राम को लुटेरे नहीं लूट पाते ॥”

“जिस तरह सम्पाद्याचादित घर में वर्षा का जल नहीं प्रविष्ट हो पाता, उसी तरह जिसके इन्द्रियद्वार संवृत हैं उसके भावित चित्त में राग नहीं धुस पाता ॥” (खु० १-१४)

कारेन विनोदेत्वा इन्द्रियसंवरो सम्पादेतब्बो, अधुनापञ्चजितेन बङ्गीसत्थेरेन विय । थेरस्स कि अधुनापञ्चजितस्स पिण्डाय चरतो एकं इतिथं दिस्वा रागो उप्पज्जि । ततो आनन्दत्थेर आह—

“कामरागेन डग्हामि चित्तं मे परिडग्हति ।

साधु निष्कापनं ब्रूहि अनुकम्पाय, गोतमा” ति ॥

थेरो आह—

“सञ्चाय विपरियेसा चित्तं ते परिडग्हति ।

निमित्तं परिवज्जेहि सुभं रागूपसंहितं ।

असुभाय चित्तं भावेहि एकग्नं सुसमाहितं ॥

सङ्कुरे परतो पस्स दुक्खतो नो च अत्ततो ।

निष्कापेहि महारागं मा डग्हित्थो पुनर्भुनं” ॥ ति ॥ (सं० १-१८८)

थेरो रागं विनोदेत्वा पिण्डाय चरि ।

अपि च—इन्द्रियसंवरपूरकेन भिक्षुना कुरण्डकमहालेणवासिना चिन्तगुप्तत्थेरेन विय चोरकमहाविहारवासिना भग्नामित्तत्थेरेन विय च भवितव्यं । कुरण्डकमहालेणे किर सततं बुद्धान्नं अभिनिष्क्रमनचित्कम्मं मनोरमं अहोसि, सम्बहुला भिक्षु सेनासनचारिकं आहिण्डन्ना चित्तकम्मं दिस्वा “मनोरमं, भन्ते, चित्तकम्मं” ति आहंसु । थेरो आह—“अतिरेकसट्टि मे, आवुसो, वस्सानि लेणे वसन्तस्स ‘चित्तकम्मं अत्थी’ ति पि न आनामि,

हघर यह देशना (बुद्धोपदेश) अत्युक्तृष्ट है, उघर वह वित्त जल्दी-जल्दी परिवर्तित होने याला है। अतः उत्पन्न राग को अशुभ-चिन्तनपद्धति से दूर कर कुछ ही समय पूर्व प्रप्रजित बङ्गीस त्थाविर के समान इन्द्रियसंवर शील का पालन करना चाहिये। उस नवप्रदर्जित भिक्षु को निशा करने जाते समय किसी स्त्री के प्रति कामराग उत्पन्न हो गया। उसने आनन्दस्थाविर से पूछा—

“हे गौतम! मैं कामराग (रूपी अग्नि) से जला जा रहा हूँ। इस अग्नि के शमन (निर्वापण) का कोई उपाय बतलाइये?”

(आनन्द) स्थाविर ने कहा—

“संज्ञा के विपर्यय (विपरीत संज्ञा) से तुम्हारा वित्त रागाग्नि से जल रहा है। तुम उस राग की ओर प्रवृत्त करने वाले शुभ (स्त्री-सौन्दर्य) निमित्त का त्वाग कर दो; (अपितु) वित्त को एकाग्र व तुम्हाहित करं इस अशुभ की भावना करो। संस्कारों को परतः (प्रतीत्य) समुत्पन्न अत एव अनित्य समझते हुए इर्हे दुखमय एवं अनात्म के रूप मे समझो। इस तरह इस कामराग की अतिरात्या को समाप्त कर डालो। इससे बार-बार जलो नहीं।”

यो, आनन्दस्थाविर की सत्प्रेरणा से उस स्थाविर ने अपने कामराग को समाप्त कर पुनः निकाटन प्रारम्भ किया।

अपि च, इस इन्द्रियसंवर के पूरक को कुरण्डकमहालेणवासी भिक्षु चित्रगुप्तस्थाविर या चोरकमहाविहारवासी महामित्रस्थाविर की तरह आवरण वाला होना चाहिये।

(१) कुरण्डकमहालेण मे सात बुद्धों के संसार-(गृह)- त्वाग की चित्र-रचना अतिमनोद्दरणी। कभी बहुत से भिक्षु, शयनासन की खोज मे घूमते हुए वहाँ आये। उन्होंने वहाँ उस चित्रकर्म को

१. यह आनन्द को गोत्र-नाम से सम्बोधन है।

अज दानि चक्रबुमन्ते निस्साय जातं” ति । थेरेन किर एतकं अद्वानं वसन्तेन चक्रघुं उम्मीलेत्वा लेण न उल्लोकितपुब्बं । लेणद्वारे चस्स महानागरुक्खो पि अहोसि । सो पि थेरेन उद्धं न उल्लोकितपुब्बो । अनुसंवच्छरं भूमियं केसरनिपातं दिस्का वस्स पुण्यितभावं जानाति ।

राजा थेरस्स गुणसम्पत्तिं सुत्वा वन्दितुकामो तिकखातुं पेसेत्वा अनागच्छन्ते थेरे तर्स्मि गामे तरुणपुत्तानं इत्थीनं थने बन्धापेत्वा लञ्छापेसि “ताव दारका थञ्जं मा लभिंसु, याव थेरो न आगच्छती” ति । थेरो दारकानं अनुकम्पाय महागामं अगमासि । राजा सुत्वा—“गच्छथ, भणे, थेरं पवेसेथ, सीलानि गणिहस्सामी” ति अन्तेपुरं अभिहरापत्वा वन्दित्वा भोजेत्वा—“अज, भन्ते, ओकासो नरिथ, स्वे सीलानि गणिहस्सामी” ति थेरस्स पतं गहेत्वा थोकं अनुगन्त्वा देविया सद्धुं वन्दित्वा निवत्ति । थेरो राजा वा वन्दतु देवी वा, “सुखी होतु, महाराजा ति” वदति । एवं सत दिवसा गता । भिक्षु आहंसु—“किं, भन्ते, तुम्हे रञ्जे पि वन्दमाने देविया पि वन्दमानाय, ‘सुखी होतु, महाराज’ इच्छेव वदथा” ति । थेरो “नाहं, आवुसो, राजा ति वा देवी ति वा ववत्थानं करोमी” ति वत्वा सत्ताहातिकम्पे “थेरस्स इथ वासो दुक्खो” ति रञ्जा विस्तजितो कुरण्डकमहत्तेण गन्त्वा रत्तिभागे चङ्गमं आरुहि । नागरुक्खे अधिवत्था देवता दण्डदीपिकं गहेत्वा अट्टासि । अथस्स कम्मटुनं

देखकर स्थविर से कहा—“भन्ते! यह वित्ररचना तो बहुत सुन्दर बड़ी है।” स्थविर बोले—“आयुष्मानो! मुझे इस लेण में रहते आज साठ वर्ष से अधिक हो गये । मैं अब तक नहीं जान पाया कि यहाँ दीवालों पर कोई वित्ररचना भी है । आज आप जैसे चक्षुष्मानों के कारण मैं यह जान पाया हूँ।” स्थविर ने इतने सभय से वहाँ रहते हुए भी आँखे खोल कर उस लेण को ऊपर—नीचे से नहीं देखा था । इस गुफा के द्वार पर एक नागकेशर (प्रशुग्राम) का विशाल वृक्ष था । उसे भी स्थविर ने कभी ऊपर से नीचे तक पूरा नहीं देखा था । वे प्रतिवर्ष (ऋतु आने पर) भूमि पर गिरी उसके फूलों की केसर देखकर इस वृक्ष का पुष्पित होना भर ही जान पाते थे ।

राजा ने इस स्थविर का जनता में फैला यशश्वर सुनकर, उनको सम्मान करने हेतु निमन्त्रण दिया, दूत भेजने पर मी जब स्थविर नहीं आये तो राजा ने उस ग्राम की दूध पीते बच्चों याली सभी स्त्रियों के स्तन बँधवा दिये कि “जब तक स्थविर यहाँ आकर हमे दर्शन नहीं देंगे तब तक कोई बच्चा दूध नहीं पी सकेगा।” तब स्थविर उन बच्चों पर अनुग्रह करके भहाग्राम (राजधानी) पहुँचे । राजा ने स्थविर का आगमन सुनकर, अपने अधीनस्थ लोगों को आदेश दिया—‘जाओ! स्थविर को सम्मानपूर्वक अन्दर लाओ, मैं उनसे सदाचार की दीक्षा लूँगा।’ यो राजा ने स्थविर को अन्त पुर में ढुलाकर उनका यथोचित प्रणाम—वन्दना—सम्मान कर भोजन करा कर, यह कहा—“भन्ते! आज अब सभय नहीं है, कल मैं आप से शील की दीक्षा लूँगा।” वह स्थविर का पात्र सम्मान—प्रदर्शनार्थ हाथ में ले अपनी रानी के साथ कुछ दूर जाकर वहाँ स्थविर को प्रणाम कर वापस लौट आया । स्थविर ने भी “राजा ने प्रणाम किया या रानी ने”—यह बिना ही देखे ‘महाराज! सुखी रहें—यह आशीर्वद दिया । यो, सात दिन बीत गये । तब साथ के भिक्षुओं ने स्थविर से पूछा—“भन्ते, आप राजा या रानी—दोनों में से किसी के द्वारा प्रणाम करने पर दोनों को ही ‘महाराज! सुखी रहें’ यही आशीर्वद क्यों देते हैं?” स्थविर ने कहा—“आयुष्मानो! राजा या रानी मैं मैं कोई भेद (यद्यपि विवेक) नहीं कर पाता।” स्थविर के ऐसा कहे जाने पर, साताह भर सभय बीतने पर, राजा ने सोचकर कि “स्थविर को यहाँ रहना कष्टकर लग रहा है” सनकी संसम्मान विदाई कर दी । स्थविर पुनः कुरण्डक भहालीण जाकर रात्रि के समय चक्रमण करने लगे । उस नागकेशर का अधिवासी देवता हाथ में भशाल

अतिपरिसुद्धं पाकटं अहोसि । थेरो “किं नु मे अज्ज कम्पट्टुनं अतिविय पकासती” ति अत्तमनो भज्जिमयामसमनन्तरं सकलं पब्बतं उत्रादयन्तो अरहतं पापुणि ।

तस्मा अज्जो पि अत्तत्थकामो कुलपुत्तो—

मक्टो व अरञ्जिह वने भन्तमिगो विय ।
बालो विय च उत्रस्तो न भवे लोललोचनो ॥
अधो खिपेय्य चकखुनि युगमत्तदसो सिया ।
वनमक्टलोलस्स न चित्तस्स वसं वजे” ॥

महामित्तत्थेरस्सापि मातु विसगण्डकरोगो उप्पज्जि, धीता पिस्सा भिकखुनीसु पब्बजिता होति । सा तं आह—“गच्छ, अच्ये, भातु सन्तिकं गन्त्वा मम अफासुकभावं आरोचेत्वा भेसज्जं आहरा” ति । सा गन्त्वा आरोचेसि । थेरो—“नाहं मूलभेसज्जादीनि संहरित्वा भेसज्जं पचितुं जानामि, अपि च ते भेसज्जं आचिकिखस्सं—‘अहं यतो पब्बजितो, ततो पटाय न मया लोभसहगतेन चित्तेन इन्द्रियानि भिन्दित्वा विसभागरूपं ओलोकितपुब्बं, इमिना सच्चवचनेन मातुया मे फासु होतु’, गच्छ इदं बत्वा उपासिकाय सरीरं परिमज्जा” ति । सा गन्त्वा इममत्थं आरोचेत्वा तथा अकासि । उपासिकाय तं खणं येव गण्डो फेणपिण्डो विय विलीयित्वा अन्तरथायि, सा उद्गुहित्वा “सचे सम्मासम्बुद्धो धरेय्य, कस्मा मम पुतसदिस्सस भिकखुनो जालविचित्रेन हत्येन सीसं न परामसेय्या” ति अत्तमनवाच्यं निष्ठारेसि । तस्मा—

(दण्डदीपिका) लेकर उनके सामने खड़ा हो गया । तभी उनका कर्मस्थान (ध्यान का विषय) अत्यधि ; रूप में प्रकाशित हुआ । स्थविर ने सोचा—“आज मेरा यह कर्मस्थान अन्य दिन की अपेक्षा अर्ध क क्यों प्रकाशित हो रहा है?” यो सोचते हुए उन्होंने प्रसन्न मन से रात्रि के मध्यम प्रहर में अर्हत्व प्राप्त कर लिया । अतः दूसरे स्वाहितविनक्त कुलपुत्र को भी—

जङ्गल में बन्दर के समान, या वन में बहके मृग की तरह, या बाल (मूर्ख) की तरह भयभीत व चश्चल नेत्रों वाला नहीं होना चाहिये ॥ १ ॥

साधक आँखों को नीचा रख, मार्ग में मात्र चार हाथ की दूरी तक देखने वाला हो । वह दनवासी चश्चल बन्दर की तरह अपने चित्त की चश्चलता के फन्दे में न फैसे ॥ २ ॥

महाभित्रस्थविर की माता को दिष्टप्रण (जहरवाद फोड़ा) रोग हो गया था इसकी धीता (पुत्री) भी पहले ही मिक्षुणियों में प्रवर्जित हो चुकी थी । उस माता ने अपनी पुत्री से कहा—“आर्य! तूं जा और अपने भाई के पास जाकर मेरे इस रोग की चर्चा कर उससे इसकी औषध ले आ ।” पुत्री ने जाकर स्थविर को सब कुछ बताया । स्थविर ने कहा—“मैं जडी-बूटिर्या इकट्टाकर उड़े कूट-पीसकर औषधि बनाना नहीं जानता । फिर भी मैं तुम्हे उस रोग की औषधि बता देता हूँ—‘मैं जब से प्रवर्जित हुआ हूँ तब से आज तक मैंने लोभसहगत चित्त से अपनी इन्द्रियों का सम्बन्ध-विच्छेद कर कुछ भी विसभाग (विसदृश) रूप को (जिसे देखने से कामराग उत्पन्न होता है) कभी नहीं देखा—मेरे इस वयन को कह कर माता के शरीर पर अपना हाथ मसल देना ।’ उस पुत्री ने वापस जाकर उक्त वयन कहकर, जैसा स्थविर ने बताया था ऐसे ही किया । उपासिका (माता) का वह विषदृण उसी समय जल के बुलबुले की तरह फूट कर कुछ ही क्षण में ठीक हो गया । तब उसने उठकर अपने आनन्दमय इवयोद्धार इस प्रकार प्रकट किये—‘यदि आज सम्यकसम्बुद्ध होते तो वे क्या मेरे पुत्रसमान इस मिक्षु के शिर को उत्कृष्ट रेखाजाल से अलंकृत अपने हाथ से नहीं सहलाते ।’

कुलपुत्रमानी अज्ञो पि पञ्चजित्वान सासने ।

मित्रत्वेरो व तिष्ठेत्य वरे इन्द्रियसंबरे ॥

(३) आजीवपारिशुद्धिसम्पादनविधि

३५. यथा पन इन्द्रियसंबरो सतिया, तथा वीरियेन आजीवपारिशुद्धि सम्पादेतब्बा । वीरियसाधना हि सा, सम्मारुद्धवीरियस्स मिच्छाजीवप्पहेनसम्भवतो । तस्मा अनेसनं अप्पटिरूपं पहाय वीरियेन पिण्डपातचरियादीहि सम्माएसनाहि एसा सम्पादेतब्बा, परिसुद्धप्पादे येव पच्ये पटिसेवमानेन अपरिसुद्धप्पादे आसीविसे विय परिवज्यता । तत्थ अपरिगग्हितभुतझस्स सहृतो, गणतो, धम्पदेसनादीहि चस्स गुणेहि पसन्नानं गिहीनं सन्तिका उपन्ना पच्या परिसुद्धप्पादा नाम । पिण्डपातचरियादीहि पन अतिपरिसुद्धप्पादा येव । परिगग्हितभुतझस्स पिण्डपात-चरियादीहि भुतगुणे चस्स पसन्नानं सन्तिका भुतझ-नियमानुलोमेन उपन्ना परिसुद्धप्पादा नाम । एकव्याधिखूपसमत्वं चस्स पूतिहरीटकीचतुमधुरेसु उपन्नेसु “चतुमधुरं अज्ञे पि सब्रहाचारिनो परिभुज्जिस्सन्ती” ति चिन्नेत्वा हरीटकीखण्डमेव परिभुज्जमानस्स भुतझसमादानं पतिरूपं होति । एस हि “उत्तमअरियवंसिको भिक्खु” ति दुच्चति ।

ये पनेते चीवरादयो पच्या, तेसु यस्स कस्सचि भिक्खुनो आजीवं परिसोधेन्तस्स चीवरे च पिण्डपाते च निमित्तोभासपरिकथाविज्ञतियो न बढ़न्ति । सेनासने पन अपरिगग्हितभुतझस्स निमित्तोभासपरिकथा बढ़न्ति ।

इत्तलिये—

अपने में कुलपुत्र (श्रेष्ठकुलोत्पत्ति) का अभिमान करने वाले किसी दूसरे व्यक्ति को भी बुद्ध-घर्म में दीक्षा लेकर महामित्र स्वविर के समान इन्द्रियसंबर मे सतत प्रयब्रशील रहना चाहिये ॥

(३) आजीवपारिशुद्धिशीलसम्पादनविधि

३५. जैसे इन्द्रियसंबर सम्यक्समृति के सहारे भावित किया जाता है, ऐसे ही वीर्य के सहारे आजीवपरिशुद्धि की भी भावना (साधना) करनी चाहिये । वह आजीवपरिशुद्धि वीर्यसाधना वाली है, क्योंकि जिसने मलीभाँति वीर्य (=रुद्योग) का साहारा ले लिया है, उसी से उसकी मिथ्या (गलत) आजीविका का प्रहाण सम्भव है । अतः अनुचित अवैषण का त्याग कर, पिण्डपातवर्या आदि सम्योगेषणाओं से इस वीर्य की साधना करनी चाहिये; परिशुद्धरूप से उत्पन्न (प्राप्त) प्रत्ययों का ही उपभोग (=प्रतिसेवन) करने से एवं अपरिशुद्धरूप से उत्पन्न (प्रत्ययों) को सर्प (आशीविक) के समान छोड़ कर । उनमें, धुताङ्ग न धारण किये हुए मिथु के सहृ से, गण से वर्घदेशना आदि गुणों के कारण इससे प्रसन्न गृहस्थों के पास से उत्पन्न (प्राप्त) प्रत्यय ‘परिशुद्ध उत्पाद’ कहलाते हैं । शिक्षाटन आदि से प्राप्त प्रत्यय तो अतिपरिशुद्ध हैं ही । (उधर) धुताङ्ग ग्रहण किये हुए मिथु के भिक्षाटन आदि से एवं उसके गुणों से प्रसन्न गृहस्थों से धुताङ्ग नियमानुकूल प्राप्त प्रत्यय भी ‘परिशुद्ध उत्पाद’ ही कहे जाते हैं । यदि किसी एक रोग के शमन हेतु वह (उपर्युक्त मिथु) गोमूत्र में भिगोयी हर्ष (पूतिहरीटकी) व चार मधुर द्रव्य (१ धी, २. मक्खन, ३. भुजु एवं ४. शर्करा) प्राप्त होने पर, ‘ये चार मधुर तो मेरे अन्य सद्ग्राहाचारी खा लेंगे’—यह सोचकर हर्ष का टुकड़ा ही खाता है तो उसका वह कार्य धुताङ्ग-ग्रहण के अनुकूल ही होता है । लोक मे उसकी ‘यह उत्तम आर्यवश का भिक्खु है’—ऐसी यशोगाद्या फैलने लगती है ।

जो ये वीवर आदि प्रत्यय हैं उनमें चीवर व पिण्डपात के विवय मे आजीवपरिशुद्धि करने

तथ्य निमित्तं नाम सेनासनत्थं भूमिपरिकम्मादीनि करोन्तस्स “किं भन्ते करियति, को कारापेती” ति गिहीहि बुते “न कोची” ति पठिवचनं, यं वा पनञ्जं पि एवरूपं निमित्तकम्मं। ओभासो नाम “उपासका, तुम्हे कुहिं वसथा” ति? “पासादे, भन्ते” ति। “भिक्खून् पन उपासका पासादे न बढ़ती” ति वचनं, यं वा पनञ्जं पि एवरूपं ओभासकम्मं। परिकथा नाम “भिक्खुसङ्क्षस्स सेनासनं सम्बाधं” ति वचनं, या वा पनञ्जा पि एवरूपा परियायकथा। भेसज्जे सब्बं पि बढ़ति। तथा उपन्नं पन भेसज्जं रोगे वूपसन्ते परिभुज्जितुं बढ़ति, न बढ़ती ति?

तथ्य विनयथरा “भगवता द्वारं दिनं, तस्मा बढ़ती” ति वदन्ति। सुत्तनिका पन—“किञ्चापि आपत्ति न होति आजीवं पन कोपेति, तस्मा न बढ़ति” इच्छेव वदन्ति।

यो पन भगवता अनुञ्जाता पि निमित्तोभासपरिकथाविज्ञतियो अकरोन्तो अप्यिच्छतादिगुणे येव निसाय जीवितकषये पि पच्चुपट्टिते अञ्जत्रेव ओभासादीहि उपन्नपञ्चये पठिसेवति, एस “परमसळेखवृत्ती” ति युच्चति, सेव्यथा पि थेरो सारिपुत्रो।

३६. सो किरायस्मा एकर्स्मि समये पविवेकं ब्रूहयमानो महामोग्लानत्थेरेन सद्धिं अञ्जतररस्मि अरञ्जे विहरति, अथस्स एकर्स्मि दिवसे उदरवाताबाधो उपजित्वा अतिदुक्खं जनेसि। महामोग्लानत्थेरो सायन्हसमये तस्सायस्मतो उपढानं गतो। थेरं निपत्रं दिस्वा तं

वाले भिक्षु को निमित्त, अवभास, परिकथा एवं विज्ञसि विहित नहीं हैं, किन्तु शयनासन के विषय में, जिसने धुलाङ्ग का ग्रहण न किया ही ऐसे भिक्षु को निमित्त, अवभास एवं परिकथा विहित हैं।

वहाँ निमित्त कहलाता है—शयनासन के लिये भूमि ठीक—ठाक कराने वाले भिक्षु का, ‘भन्ते! क्या करवा रहे हैं?’ या ‘यह कौन करवा रहा है?’—गृहस्थों द्वारा ऐसा पूछने पर ‘कोई नहीं’—ऐसा उत्तर, या ऐसा ही कोई दूसरा निमित्त कर्म। अवभास (व्यक्ति मारना) कहलाता है—“उपासको! तुम कहाँ रहते हो?” “भन्ते! प्रासाद में!” “पर, उपासको! रहने के लिये भिक्षुओं को प्रासाद कहाँ निले!”—इस तरह का, या अन्य ऐसा ही अवभास कर्म। परिकथा—“भिक्खुसङ्क्ष को शयनासन की परेशानी है”—ऐसे वचन को या इसी तरह के अन्य कथन को ‘परिकथा’ कहते हैं। किन्तु औषध के सम्बन्ध में सब कुछ विहित है।

यहाँ प्रत्र यह है कि औषध प्राप्त होने पर, रोग के शान्त होने पर भी, उसका उपयोग करना चाहित है? वहाँ विनयधर (विनय को प्रमाण मानने वाले) भिक्षुओं द्वारा यह समाधान किया गया है—“भगवान् ने छूट (=अपकाश, द्वार) दे रखी है, इसलिये उसका उपयोग शास्त्रानुमोदित ही है।”

परन्तु यहाँ सौत्रान्तिक (सूत्र को प्रमाण मानने वाले) भिक्षु कहते हैं—‘यद्यपि आपत्ति तो कुछ नहीं प्रभागित होती, परन्तु आजीविका दूषित (कुपित) हो जाती है, अतः विहित (शास्त्रानुमोदित) नहीं है।’

और जो भगवान् द्वारा (शयनासन, मैज्ज्य आदि के सम्बन्ध में) अनुज्ञात निमित्त, अवभास, परिकथा आदि भी न करते हुए, अल्पेक्षुकता आदि गुणों के कारण, ग्राणों पर सङ्कृट आने पर भी, अवभास आदि से उपन्न प्रत्ययों से भिन्न प्रत्ययों का ही सेवन करता है वह ‘परमसळेखवृत्ति’ (कठोर तपस्वी) कहलाता है, जैसे कि स्थविर सारिपुत्र।

३६. एक समय वे (स्थविर सारिपुत्र) प्रविवेक (गण छोड़कर एकान्त में रहने के सुख) में वृद्धि हेतु महामोग्लान स्थविर के साथ किसी ज़ञ्जल में साधना कर रहे थे। एक दिन उनके पेट में शतव्याधि रोग उभर आया, उन्हे बहुत पीड़ा होने लगी। सायद्वाल महामोग्लान आयुष्मान् सारिपुत्र

पवत्ति पुच्छत्वा “पुब्बे ते, आवुसो, केन फासु होती” ति पुच्छि । थेरो आह—“गिहकाले मे, आवुसो, माता सम्प्रियमधुसङ्करादीहि योजेत्वा असम्भवाखीरपायासं अदासि, तेन मे फासूंति । सो पि आयस्या “होतु, आवुसो, सचे मर्हं वा तुम्हं वा पुञ्जं अतिथ, अपेव नाम स्वे लभिस्सामा” ति आह ।

इंयं पन नेसं कथासाकारं चङ्गभनकोटियं रुक्खे अधिवेत्वा देवता सुत्वा “अव्यस्य पायासं उप्पादेस्सामी” ति तावदेव थेरस्स उपद्रुक्कुलं गन्त्वा जेट्पुत्तस्स सरीरं आविसित्वा पीळं जनेसि । अथस्स तिकिच्छानिमितं सन्निपतिते जातके आह—“सचे स्वे थेरस्स एवरूपं नाम पायासं पटियादेथ मुञ्जिस्सामी” ति । ते “तया अवुत्ते पि मयं थेरानं निबद्धं भिक्खुं देमा” ति वत्वा दुतियादिक्षेते तथारूपं पायासं पटियादियिंसु ।

महामोग्गलानथेरो पातो व आगन्त्वा “आवुसो, याव अहं पिण्डाय चरित्वा आगच्छामि, ताव इथेव होही” ति वत्वा गामं पाविसि । ते पनुस्सा पच्चुगग्नत्वा थेरस्स पत्तं गहेत्वा बुत्तप्पकारस्स पायासस्स पूरेत्वा अदंसु । थेरो गमनाकारं दस्सेसि । ते “भुञ्जथ, भन्ते, तुम्हे, अपरं पि दस्सामा” ति थेरं भोजेत्वा पुन पत्तपूरं अदंसु । थेरो गन्त्वा “हन्दावुसो सारिपुत, परिभुजा” ति उपनामेसि । थेरो पि तं दिस्वा “अतिभनापो पायासो, कथं नु खो उप्पन्नो” ति चिन्तेन्तो तस्स उप्पत्तिमूलं दिस्वा । आह—“आवुसो मोग्गलान, अपरिभोगारहो पिण्डपातो” ति । सो पायस्या “मादिसेन नाम आभतं पिण्डपातं न परिभुजती” ति चित्तं पि अनुप्पादेत्वा एकवचनेनेव पत्तं मुखवट्टियं गहेत्वा एकमन्ते निष्क्रिज्जेसि । पायासस्स सह

को देखने गये । स्थविर को रुग्ण देख उनके शरीर की दशा पूछने लगे । सारिपुत्र ने कहा—“आयुष्मन्! गृहस्थाश्रम मेरहते समय मी कभी यह रोग मुझे उमरा था । उस समय मेरी माता ने मुझे धी-मध्य-शार्करा मिलाकर दी थी, उससे मैं स्वस्थ हो गया था ।” आयुष्मन् भोग्गल्लान ने कहा—“ठीक है, आयुष्मन्! यदि तुम्हारे या मेरे भाग्य में होगा तो कल यह औषध-दव्य हम पा ही लेंगे ।”

इनकी इस बातचीत को वहीं पास मेरु खड़े दृक्ष का अधिवासी देवता सुन रहा था । सुनकर उसने सोचा—“आर्य के लिये खीर की व्यवस्था करूँगा ।” (ऐसा सोचकर) उसी ने स्थविर के सेवककुल में जाकर ज्येष्ठ पुत्र के शरीर में प्रवेश कर उसे पीड़ित कर उत्पात मचाया और उसकी चिकित्सा के लिये एकत्र हुए सम्बन्धियों से उसने कहा—“यदि कल स्थविर के लिये ऐसी खीर बना दो तो इसे छोड़ दूँगा ।” उन्होंने “आपके आदेश बिना भी हम तो स्थविरों को नित्य बैंधी ठुई भिक्षा देते हैं”—इस तरह कह कर दूसरे दिन खीर बनवायी ।

चघर महामोग्गलान स्थविर ने प्रातः ही आकर—“आयुष्मन्! जब तक मैं न जाऊँ तब तक तुम यहीं रहना”—यह कहकर वे ग्राम में प्रविष्ट हुए । उन मनुष्यों ने आगे बढ़कर स्थविर से पात्र लेकर इसमें खीर भर कर उनके बापस दे दिया । स्थविर चलने को उद्घत हुए । उन्होंने “मन्ते! आप खाइये, (ते जाने के लिये) और भी दे देंगे!” ऐसा कहकर स्थविर को खिला कर पुनः पात्र भर कर दे दिया । स्थविर ने बापस जाकर सारिपुत्र से कहा—“आयुष्मन् सारिपुत्र! खीर लाया है, इसे खाओ!” स्थविर सारिपुत्र ने वह खीर देखकर कहा—“खीर तो बहुत अच्छी दिखायी दे रही है, कहाँ प्राप्त हुई?” यों पूछते हुए, स्थविर दी दिय दृष्टि से देखकर समग्र प्रकरण को मूलतः (आदि से) समझते हुए पुनः बोले—“आयुष्मन् भोग्गलान! यह भिक्षा तो खाने योग्य नहीं है!” “आयुष्मन् मोग्गलान ने मेरे जैसे द्वारा लायी गयी भिक्षा को भी खाने योग्य नहीं समझा” यों सोचकर उस खीर की तरफ से चित्त छटकर एक ही बार (प्रयास) में पात्र को मुँह की तरफ पकड़ कर एक तरफ आंदा कर दिया । उस

भूमियं पतिपृष्ठाना थेरस्स आबाधो अन्तरधारि, ततो पट्टाय पञ्चचत्तालीस वस्सानि न पुन उप्पज्जि। ततो महामोग्गलानं आह—“आवुसो, वचीविज्जतिं निस्साय उप्पशो पायासो अन्तेसु निकखमित्वा भूमियं चरन्तेसु पि परिभुजितुं अयुत्तरूपो” ति। इमं च उदानं उदानेसि—

“वचीविज्जतिविष्फारा उप्पशं मधुपायसं।

सचे भूतो भवेय्याहं साजीवो गरहितो मम ॥

यदि पि मे अन्तागुणं निकखमित्वा वहि चरे।

नेव भिन्देय्यमाजीवं चजमानो पि जीवितं ॥

आराधेमि सकं चित्तं विवजेमि अनेसनं।

नाहं बुद्धप्पटिकुङ्कुं काहामि च अनेसनं” ति ॥

चिरगुम्बवासिकअम्बखादकमहातिस्मत्येरवत्थु पि चेत्थ कथेतब्बं ।

एवं सब्बथा पि—

अनेसनाय चित्तं पि अजनेत्वा विचक्खणो ।

आजीवं परिसोधेय्य सद्गुप्तजितो यती ति ॥

(४) पञ्चयसत्रिस्तसीलसम्पादनविधि

३७. यथा च वीरियेन आजीवपारिशुद्धि, तथा पञ्चयसत्रिस्तसीलं पञ्चाय सम्पादेतब्बं । पञ्चायासाधनं हि तं, पञ्चवतो पञ्चयेसु आदीनवानिसंसदस्सनसम्तथभावतो ।

खीर का जमीन पर गिरना था कि सारिपुत्र का वह रोग पूर्णतः निवृत हो गया । इतना ही नहीं, उसके बाद “पैतालीस” (या चालीस?) वर्ष तक फिर कभी नहीं उठा । तत्पक्षात् सारिपुत्र ने महामोग्गलान स्थविर से कहा—“आयुष्मन्! वाचिक विजासि (कठकर बनवाने) के कारण प्राप्त खीर को, (अधिक भूख लगने के कारण) आँतों का (शरीर से बाहर) निकलकर भूमिपात हो जाने पर भी, खाना उचित (विहित) नहीं”—और साथ ही यह गाथा उड़ार भी प्रकट किया—

“वाचिक विजासि (किसी भी तरह कह कर या कहलवा कर) के कारण प्राप्त मधुर खीर को यदि मैंने खा लिया होता तो मेरी यह परिशुद्ध आजीविका निन्दित हो गयी होती ॥

“चाहे भेरी आँते (अधिक भूख के कारण) शरीर से बाहर निकल पड़े तो भी मैं आजीव (के नियमों को) नहीं तोड़ूँगा । भले ही किर मेरे प्राण ही क्यों न ढले जायें ॥

“मैं अपने वित को वश (निग्रह) में रखता हूँ । अन्वेषण का त्याग करता हूँ । मैं भगवान् द्वारा निन्दित अन्वेषण को (तो) कभी नहीं करूँगा ॥”

यहाँ विरगुम्बवासी, केवल आप खा कर जीवन-यापन करने वाले, महातिष्ठ स्थविर के जीवनवृत्तान्त की कथा भी कहनी चाहिये । यों सभीं प्रकार से—

धर्म में अद्वा रखकर प्रदर्जित, मतिमान् (विचक्षण) एवं संयत मिशु को, अन्वेषण से चित्त को सर्वथा हटाकर, आजीवपरिशुद्धि का सतत ध्यान रखना चाहिये ।

(५) प्रत्ययसत्रिशितसम्पादनविधि

३७. और जैसे दीर्घ के सहारे आजीवपरिशुद्धि की भावना बतायी गयी, वैसे ही

१. इतिहास हमे बताता है कि सम्बोधिप्राप्ति के बाद भगवान् बुद्ध ने स्वयं ही पैतालीस वर्ष जीवन-लीला की । सारिपुत्र तो भगवान् के शिष्य थे और उनसे पूर्व ही परिनिर्वत्त हो चुके थे । अतः यहाँ यह ‘पैतालीस वर्ष’ शब्द ग्रामाधिक नहीं है । यह अधिक सम्भव है कि लिपिक-प्रभाद से यहाँ किसी अन्य सङ्क्षयाङ्क के स्थान पर प्रमुक्त शब्द में ‘पश्च’ जुड़ गया हो ।—अनु० ।

तस्मा पहाय पच्चयगेधं धम्मेन समेन उप्पत्रे पच्चये यथावुत्तेन विधिना पञ्जाय पच्चवेकिखत्वा परिभुज्ञन्तेन सम्पादेतब्बं ।

तत्थ दुविधं पच्चवेकखणं—पच्चयानं पटिलाभकाले च, परिभोगकाले च । पटिलाभकाले पि हि धातुवसेन वा पटिकूलवसेन वा पच्चवेकिखत्वा ठपितानि चीवरादीनि ततो उत्तरि परिभुज्ञन्तस्स अनवज्ञो व परिभोगो, परिभोगकाले पि । तत्रायं सन्त्रिट्टानकरो विनिच्छयो—

चत्तारो हि परिभोगा—थेव्यपरिभोगो, इणपरिभोगो, दायज्ञपरिभोगो, सामिपरिभोगो ति । तत्र सङ्घभज्ञे पि निसीदित्वा परिभुज्ञन्तस्स दुस्सीलस्स परिभोगो थेव्यपरिभोगो नाम । सीलवतो अपच्चवेकिखत्वा परिभोगो इणपरिभोगो नाम । तस्मा चीवरं परिभोगे परिभोगे पच्चवेकिखत्बं, पिण्डपातो आलोपे आलोपे, तथा असकोन्तेन पुरेभत्त-पच्चाभत्त-पुरिमयाम-मञ्जिक्षमयामपुच्छिमयामेसु । सच्चस्स अपच्चवेकखतो व अरुणं उगच्छति, इणपरिभोगद्वाने तिद्वृति । सेनासनं पि परिभोगे परिभोगे पच्चवेकिखत्बं । भेसज्जस्स पटिगहणे पि परिभोगे पि सतिपच्चयता व वद्वृति । एवं सन्ते पि पटिगहणे सतिं कत्वा परिभोगे अकरोन्तस्सेव आपत्ति, पटिगहणे पन सतिं अकत्वा परिभोगे करोन्तस्स अनापत्ति ।

चतुर्ब्बिधा हि सुद्धि—देसनासुद्धि, संवरसुद्धि, परियेट्टिसुद्धि, पच्चवेकखणसुद्धि ति ।

प्रत्ययसत्रिक्षितशील को प्रज्ञा के सहारे भावित करना चाहिये । उसका साधन प्रज्ञा है; क्योंकि प्रज्ञावान् ही प्रत्ययों की सदोषता या निर्दोषता का सम्यक्या प्रत्यवेक्षण करने में समर्थ है । इसलिये प्रत्ययों को यथोत्त (‘सर्वी-गर्वी’ से बचाने के लिये आदि प्रकार से पूर्वांक्त) विधि से प्रज्ञा की सहायता से प्रत्यवेक्षण कर परिभोग करते हुए सम्पत्र करना चाहिये ।

इस प्रसङ्ग में, यह प्रत्यवेक्षण दो प्रकार है— १. प्रत्ययों के प्रतिलाभकाल में एवं २. उनके परिभोगकाल में । प्रतिलाभ-(प्रासि-) काल में भी धातुमनस्कार (प्रत्यय और उसका उपभोक्ता—दोनों ही धातुमात्र हैं) के रूप में ‘ये सब चीवर आदि स्वयं धृणास्थ नहीं हैं, अपितु इस पूरिकाय के संसर्ग से वैसे हो जाते हैं’—इस प्रतिकूल मनस्कार के साथ प्रत्यवेक्षण कर रखे गये चीवर आदि का बाद में परिभोग करनेवाले का परिभोग भी निर्दोष होता है । और परिभोगकाल में भी यही प्रत्यवेक्षण करे । (वस्तुतः) परिभोगकाल में प्रत्यवेक्षण करने से ही परिभोग निर्दोष होता है । वहाँ (उस प्रसङ्ग में) शास्त्रसम्भूत असनिद्वध (सुनिष्ठित) निर्णय यह है—

परिभोग चार होते हैं— १. स्तेयपरिभोग, २. ऋणपरिभोग, ३. दायादपरिभोग एवं ४. स्वामि-परिभोग । इनमें, १. सङ्घ के बीच बैठकर भी दुशीलतया परिभोग को ‘स्तेयपरिभोग’ कहते हैं; २. शीलवान् का प्रत्यवेक्षण के बिना किया गया परिभोग ‘ऋणपरिभोग’ कहलाता है । अतः (क) चीवर को जब जब पहने—ओढ़े तब तब प्रत्यवेक्षण करना चाहिये । एवं (ख) भिक्षा के एक-एक ग्रास पर भी । ऐसा न कर सकने वाले को दोषहर के भोजन से पूर्व तथा भोजन के बाद प्रथम मध्यम एवं अन्तिम याम में प्रत्यवेक्षण करना चाहिये । यदि उसके प्रत्यवेक्षण के बिना ही सूर्योदय हो जाता तो वह ऋणपरिभोगी हो जाता है । (ग) शयनासन का भी जब जब परिभोग करे तब तब प्रत्यवेक्षण करना चाहिये । (घ) बैषज्य के प्रतिग्रहण एवं परिभोग में भी स्मृति-प्रत्ययता (प्रत्ययविषयक स्मृति बनाये रखना) उचित है । एवं प्रतिग्रहण के समय में स्मृति का प्रयोग स्मरण करके परिभोग के समय वैसा न करने वाला दोषभाक् होता है; किन्तु प्रतिग्रहणकाल में स्मृति न करके भी परिभोगकाल में स्मृति का प्रयोग करने वालों को दोष नहीं लगता ।

तथ देसनासुद्धि नाम प्रतिमोक्षसंवरसीलं । तं हि देसनाय सुज्ञनतो देसनासुद्धी ति वुच्चति । संवरसुद्धि नाम इन्द्रियसंवरसीलं । तं हि “न पुन एवं करिस्सामी” ति चित्ताधिट्टानसंवरेनेव सुज्ञनतो संवरसुद्धी ति वुच्चति । परियेद्विसुद्धि नाम आजीवपरि-सुद्धिसीलं । तं हि अनेसनं पहाय धम्मेन समेन पच्ये उप्पादेन्तास्स परियेसनाय सुद्धता परियेद्विसुद्धी ति वुच्चति । पच्यवेक्खणसुद्धि नाम पच्यसञ्जिस्सतसीलं । तं हि वुत्तप्पकारेन पच्यवेक्खणेन सुज्ञनतो पच्यवेक्खणसुद्धी ति वुच्चति । तेन वुत्त—“पटिगहणे पन सति अकत्वा परिभोगे करोन्तास्स अनापत्ती” ति ।

सत्ततं सेकड़ानं पच्यपरिभोगो दायज्ञपरिभोगो नाम । ते हि भगवतो पुत्ता, तस्मा पितुसन्तकानं पच्ययानं दायादा हुत्या ते पच्ये परिभुज्ञन्ति । किं पनेते भगवतो पच्ये परिभुज्ञन्ति, उदाहु गिहीनं पच्ये परिभुज्ञन्ती ति ? गिहीहि दिना पि भगवता अनुज्ञाताता भगवतो सन्तका होन्ति, तस्मा भगवतो पच्ये परिभुज्ञन्ती ति वेदितव्या । धम्मदायादसुत् (म० १-१८) चेत्थ साधकं । खीणासवानं परिभोगो सामियपरिभोगो नाम । ते हि तण्हाय दासव्यं अतीतता समिनो हुत्या परिभुज्ञन्ति ।

इमेसु परिभोगेसु सामिपरिभोगो च दायज्ञपरिभोगो च सब्बेसं वद्वति । इणपरिभोगो न वद्वति । थेय्यपरिभोगे कथा येय नित्यि । यो पनायं सीलवतो पच्यवेक्खतपरिभोगो, सो

(प्रकरणवश, ‘परिभोग’ के व्याख्यान के मध्य मे ही, शुद्धि का भेद बता रहे हैं—) शुद्धि चार प्रकार की होती है— १. देशनाशुद्धि, २. संवरशुद्धि, ३. पर्यषण—(एरीटि—) शुद्धि एवं ४. प्रत्यवेक्खणशुद्धि । इनमे पूर्ववर्णित (पृ४ ५२) प्रतिमोक्षसंवर शील ही देशनाशुद्धि कहलाता है । इन्द्रियसंवरशील को संवरशुद्धि कहते हैं । वह ‘पुनः ऐसा नहीं कर्स्संग’—इस तरह का चित्त का अधिकान (सङ्कल्प) कर संवर से परिशुद्ध होने के कारण ‘संवरशुद्धि’ कही जाती है । परीटिशुद्धि आजीवपरिशुद्धि शील है । वह अन्वेषण को त्यागकर धर्मानुकूल प्रत्ययोताद करने वाले के पर्यषण से शुद्धि के कारण ‘परीटिशुद्धि’ कहलाती है । तथा प्रत्ययसञ्जित्र शील को प्रत्ययेक्खणशुद्धि कहते हैं । वह उत्त प्रकार के प्रत्यवेक्खण से शुद्धि के कारण ‘प्रत्ययेक्खणशुद्धि’ कहलाती है । इसीलिये कहा गया है—“प्रतिग्रहणकाल मे स्मृति न करके भी परिभोगकाल मे स्मृति करने वाले को दोष नहीं होता ।”

(यों शुद्धि का व्याख्यान पूर्ण हुआ, अब पुनः प्रसङ्गागत अवशिष्ट परिभोगों का व्याख्यान कर रहे हैं—)

३. सात शैस्यो (४ मार्ग प्राप्त एवं ३ फल प्राप्त) का प्रत्ययपरिभोग दायादपरिभोग है । वे भगवान् के पुत्र हैं, अतः पिता के पास रहने वाले प्रत्ययों (सम्पत्ति) का, दायाद (उत्तराधिकारी) होकर ही, उपभोग करते हैं । किन्तु (प्रश्न उठता है—) क्या वे भगवान् के प्रत्ययों का परिभोग करते हैं? या गृहस्थों के प्रत्ययों का? (उत्तर है—) गृहस्थों द्वारा दिये होने पर भी भगवान् द्वारा स्वीकार कर लिये जाने से वे प्रत्यय भगवान् के ही कहलाते हैं । इसीलिये ‘वे भगवान् के प्रत्ययों का परिभोग करते हैं’—ऐसा न समझना चाहिये । धम्मदायादसुत् (म०नि० १-१८) का प्रकरण हमारे इस कथन मे प्रमाण (साधक) है! ४. क्षीणास्त्रयों का परिभोग स्वामिपरिभोग है । वे तुष्णा की दासता से भ्रुक (अतिक्रान्त) ठोकर, स्वामी बनकर उन प्रत्ययों का परिभोग करते हैं ।

इन परिभोगों मे दायादपरिभोग व स्वामिपरिभोग सभी के लिये विहित है । ऋणपरिभोग सबके लिये विहित नहीं है । स्त्रैयपरिभोग की तो बात ही नहीं! (हाँ, एक बात है—) शीलवान् का जो

इणपरिभोगस्स पच्चनीकता आणण्यपरिभोगे वा होति, दायजपरिभोगे येव वा सङ्गहं गच्छति। सीलवा पि हि इमाय सिक्खाय समन्वागतता सेक्खो त्वेव सङ्घायं गच्छति। इमेसु पन परिभोगेसु यस्मा सामिपरिभोगो अग्गो, तस्मा तं पत्थयमानेन भिक्खुना वुतप्पकाराय पच्चवेक्खणाय पच्चवेक्खत्वा परिभुज्जनेन पच्चयसन्निस्सितसीलं सम्पादेतब्बं। एवं करोन्तो हि किञ्चकारी होति। वुत्तं पि चेतं—

“पिण्डं विहारं सयनासनं च आपं च सङ्घाटिरजप्पवाहनं।
सुत्वान धर्मं सुगतेन देसितं सङ्घाय सेवे वरपञ्जसावको ॥
तस्मा हि पिण्डे सयनासने च आपे च सङ्घाटिरजप्पवाहने ।
एतेसु धर्मेसु अनुपलित्तो भिक्खु यथा पोक्खरे चारिबिन्दु ॥”

(ख० १-३२६)

कालेन लङ्घा परतो अनुग्रहा खज्जेसु भोज्जेसु च सायनेसु च ।
मत्तं स जञ्जा सततं उपटितो वणस्स आलेपनरूहने यथा ॥

“कन्तारे पुत्रमंसं व अवखस्सञ्जनं यथा ।
एवं आहरे आहारं यापनत्थममुच्छित्तो” ति ॥

इमस्य च पच्चयसन्निस्सितसीलस्स परिपूरकरिताय भागिनेयसङ्घरक्षित-
सामणेरस्स वत्यु कथेतब्बं। सो हि सम्मा पच्चवेक्खत्वा परिभुज्जि । यथाह—

प्रत्यवेक्षित परिभोग है, वह क्रणपरिभोग का विरोधी (प्रत्यनीक) होने से या तो क्रणरहित परिभोग होता है या दायादपरिभोग में ही संगृहीत हो जाता है। शीलवान् भी इस शिक्षा से समन्वागत होने के कारण ‘शैक्ष्य’ ही कहा जाता है। वर्तोंकि इन चारों परिभोगों में स्वामिपरिभोग श्रेष्ठ है, अतः उस की कामना याले भिक्षु को उसे उक्त प्रकार के प्रत्यवेक्षण से प्रत्यवेक्षित करके परिभोग करते हुए प्रत्ययसन्निश्चित शील का सम्पादन करना चाहिये। ऐसा करने वाला ही ‘कृत्यकारी’ होता है। (त्रिपिटक में) कहा भी है—

“पिण्डपात (भोजन), विहार (साधनास्थल), शयनासन, जल एवं सङ्घाटि आदि से धूल आडते समय श्रेष्ठ प्रशावान् आवक सुगत (बुद्ध) द्वारा उपदेष्ट धर्म को स्मरण कर या सुन कर तदनुसार प्रत्यवेक्षण के साथ परिभोग करे ।

“ऐसा करने से भोजनादि (उपर्युक्त) धर्मी में, भिक्षु उसी तरह लिप (आसक्त) नहीं हो पाता, जैसे पदापत्र पर जलबिन्दु ।” (ख० १-३२६)

“दूसरों की कृपा से समय पर मिले खाद्य एवं भोज्य पदार्थ तथा शयनासन में सर्वदा उपस्थितस्मृति एवं प्रत्यवेक्षक रहते हुए उनका शास्त्रदिहित मात्रा में उपभोग जाने रखना चाहिये, जैसे कि द्रवण का लोपन (मरहम लगाना) आदि जानना आवश्यक होता है।” “जैसे कभी कभी सब सुविधाओं से शून्य निर्जन अरण्य प्रदेश (कान्तारा) में पुत्र का मांस तक खाने की रिक्षति आ जाती है या गाढ़ी के पहिये की धुरी में तैल झालना पड़ता है, इसी तरह आहारकाल में प्रमादरहित एवं अमूर्चित (अमुद्ध) होकर जीवनयापन के लिये आहार का उपभोग करे ।”

और इस प्रत्यसन्निश्चितशील की पूर्ति में उत्साहवर्धक भाविनेय सङ्घरक्षित शामणेर की (त्रिपिटक में आयी) कथा का दृष्टान्त देना चाहिये। वह शामणेर सम्बन्धप्रत्यवेक्षणानन्तर आहार का परिभोग करता था। जैसा कि कहा गया है—

“उपज्ञायो मं भुज्ञमानं सालिकूटं सुनिष्टुतं ।
 ‘मा हेव त्वं सामणेर जिव्हं झापेसि असञ्जतो’॥
 उपज्ञायस्त वचो सुत्वा संवेगमलभिं तदा ।
 एकासने निसीदित्वा अरहत्तं अपापुणिं ॥
 सोहं परिपुण्णसङ्कृष्टो चन्द्रो पञ्चरसो यथा ।
 सब्बासवपरिक्खीणो नत्थ दानि पुनव्वत्वो” ति ॥
 तस्मा अञ्जो पि दुक्खस्त पत्थयन्तो परिक्खयं ।
 योनिसो पञ्चवेक्खित्वा पटिसेवेथ पञ्चये ति ॥
 एवं पातिमोक्खसंवरसीलादिवसेन चतुष्विधं ॥

पठमसीलपञ्चकं

(१) परियन्तपारिसुद्धिसीलं

३८. पञ्चविधिकोद्वासस्त पठमपञ्चके अनुपसम्प्रशसीलादिवसेन अत्थो वेदितञ्चो ।
 वुतं हेतं पटिसम्भिदाय—

“कतमं परियन्तपारिसुद्धिसीलं ? अनुपसम्प्रशानं परियन्तसिक्खापदानं, इदं परियन्त-परिसुद्धिसीलं । कतमं अपरियन्तपारिसुद्धिसीलं ? उपसम्प्रशानं अपरियन्तसिक्खापदानं, इदं अपरियन्तपारिसुद्धिसीलं । कतमं परिपुण्णपारिसुद्धिसीलं ? पुथुज्ञनकल्याणकानं कुसलधम्मे युतानं सेक्खपरियन्ते परिपूरकारीनं काये च जीविते च अनपेक्खानं परिच्छत्जीवितानं, इदं परिपुण्णपारिसुद्धिसीलं । कतमं अपरामृष्टपारिसुद्धिसीलं ? सत्तत्रं सेक्खानं, इदं अपरामृष्ट-

“मेरे उपाध्याय ने मुझको, शालि धान का ठीक तरह से सिद्ध, रण्डा भात (सालिकूट) खाते देखकर, कहा—‘श्रामणेर ! कहीं ऐसा न हो कि तुम असंयत होकर यह भात खाते समय अपनी जीभ जला बैठो ।’

“उपाध्याय के ये वचन सुनकर मुझे उसी समय ऐसा सन्देह (व्यग्रता या दैराग्य) उत्पन्न हुआ । और मैंने एक ही आसन में बैठे-बैठे अर्हत्व प्राप्त कर लिया ।

“वह मैं (अब) पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान परिपूर्णसङ्कल्प हूँ । मेरे सभी आश्रव क्षीण हो चुके हैं, अब मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा ।”

अत अपन दुखों का अन्त चाहने वाले अन्य भिक्षु को भी सम्यकप्रत्यवेक्षण कर के ही प्रत्ययों का प्रतिसेवन (उपभोग) करना चाहिये ॥

यो, प्रातिमोक्षसंवर-आदि भेद के कारण शील चार प्रकार का होता है ॥

प्रथम शीलपञ्चक

(१) पर्यन्तपरिशुद्धिशील— ३८. शील का पाँच प्रकार से विभाजन करते समय प्रथम पञ्चक मैं अनुपसम्प्रशसील आदि के अनुसार अर्थ समझना चाहिये । पटिसम्भिदामग्र मे कहा भी है—

“(१) यह पर्यन्तपरिशुद्धिशील कौन सा है ? अनुपसम्प्रशो (जिन्होने उपसम्पदा ग्रहण नहीं की है) के लिये पर्यन्त शिक्षापदों (के उपदेश) का शील ही ‘पर्यन्तपरिशुद्धिशील’ कहलाता है । (२) अपर्यन्तपरिशुद्धिशील क्या है ? कल्याणकर्मी के सङ्कल्पक (सच्चरित्र), कुशल धर्मों के संग्रहेष्वु एव काय तथा जीवन की अपेक्षा (परवाह) न रखते हुए उसके त्याग तक भी सञ्चद्व पृथग्जनों द्वारा रौक्ष्यपर्यन्त पूर्ण किया जाने वाला शील परिपूर्णपरिशुद्धिशील है । (३) अपरामृष्टपरिशुद्धिशील क्या है ?

परिसुद्धिसीलं । कतमं पटिप्पस्सद्विपारिसुद्धिसीलं ? तथागतसावकानं खीणासबानं पचेकबुद्धानं तथागतानं अरहन्तानं सम्मासम्बुद्धानं, इदं पटिप्पस्सद्विपारिसुद्धिसीलं'' ति (ख० ५-४७) ।

तथ अनुपसम्प्रानं सीलं गणनवसेन सपरियन्तता परियन्तपारिसुद्धिसीलं ति वेदितब्बं । उपसम्प्रानं—

नव कोटिसहस्रानि असीति सतकोटिया ।

पञ्जास सतसहस्रानि छतिंसा च पुनापरे ॥

एते संवरविनया सम्बुद्धेन पक्षिता ।

पेत्यालमुखेन निद्विट्टा सिक्खा विनयसंवरे ति ॥

(२) अपरियन्तपारिसुद्धिसीलं

३९. एवं गणनवसेन सपरियन्तं पि अनवसेसवसेन समादानभावं च लाभयस-आतिअङ्गजीवितवसेन अदिट्टपरियन्तभावं च सन्धाय अपरियन्तपारिसुद्धिसीलं ति वुतं, चिरगुम्बवासिकअव्याखादकमहातिसत्थेरसम् शीलमिव । तथा हि सो आयस्मा—

“धनं चजे अङ्गवरस्स हेतु अङ्गं चजे जीवितं रक्खयामानो ।

अङ्गं धनं जीवितं चापि सब्बं चजे नरो धर्ममनुस्सरत्ती” ति ॥

इमं सपुरिसानुस्सतिं अविजहन्तो जीवितसंसये पि सिक्खापदं अवीतिकम्म तदेव अपरियन्तपारिसुद्धिसीलं निस्साय उपासकस्स पिट्ठिगतो व अरहतं पापुणि । यथाह—

“न पिता न पि ते माता न जाति न पि बन्धवो ।

सात शैक्ष्यों का शील अपरामृष्टपरिशुद्धि शील है । (४) प्रतिप्रश्रव्यपरिशुद्धिशीले क्या है? तथागत के शीणात्मव शिष्यों का, प्रत्येकबुद्धो का, तथागत अर्हत् सम्यक्सम्बुद्धों का शील प्रतिप्रश्रव्यपरिशुद्धिशील है ।

इनमें, अनुपसम्प्रानों के शील को गणना में परिमित (पर्यन्त) होने से पर्यन्तपरिशुद्धिशील कहते हैं ।

उपसम्प्रानों के—नौ हजार करोड़, अस्सी सौ करोड़, पाँच लाख, और छत्तीस—इतने सवर सम्यक्सम्बुद्ध द्वारा प्रकाशित किये गये हैं । जो पेत्याल (पूर्ववत्) के माध्यम से विनयविभाग में निर्दिष्ट है ॥

(२) अपर्यन्तपरिशुद्धिशील— ३९. इस प्रकार गणनावशात् सपर्यन्तशील को भी ग्रहण करने एव लाभ-यश-ज्ञाति-अङ्ग-जीवन (प्राण) के रूप में अदृष्टपर्यन्त (जिसकी सीमा न आँकी जा सके) होने के कारण अपर्यन्तपरिशुद्धि शील कहा गया है । इसके उदाहरण में चिरगुम्बवासी आव्रखादक महातिष्य स्थविर का शीलपालन कहा जा सकता है । जैसा कि उस आयुष्मान् ने—

“अपने श्रेष्ठ अङ्ग की रक्षा हेतु धन का मोह नहीं करना चाहिये । अपने प्राणों की रक्षा में अपने एक अङ्ग के नाश की भी परवाह नहीं करना चाहिये ।”—

इस अभियुक्तोत्ति (सत्यरुचानुस्मृति) का परित्याग करते हुए, प्राण जाने का सन्देह होने पर भी शिक्षापदों का उल्लङ्घन न कर उसी अपर्यन्तपरिशुद्धिशील के आधार पर, उपासक द्वारा अपनी भीठ फेरते ही अर्हत्त्व प्राप्त कर लिया । जैसा कि कहा है—

“यहाँ न तो कोई तेरा पिता है, न तेरी माता, न तेरा सम्बन्धी है, न कोई बन्धु-बन्धी ।

करोतेतादिसं किञ्चं सीलवन्तस्स कारणा ॥
संवेगं जनयित्वान् सम्भसित्वान् योनिसो ।
तस्स पिट्ठुगतो सन्तो अरहतं अपापुणी ॥ ति ॥

(३) परिपुण्णपारिशुद्धिसीलं

४०. पुथुज्जनकल्याणकानं सीलं उपसम्पदतो पट्टाय सुधोतजातिमणि विय सुपरि-कम्मकतसुवण्णं विय च अतिपरिशुद्धता चित्तुप्पादमत्केन पि मलेन विरहितं अरहतस्सेव पदट्टानं होति, तस्मा परिपुण्णपारिशुद्धी ति वुच्यति, महासङ्खरकिखतभागिनेय्य-सङ्खरकिखतत्थेरानं विय ।

महासङ्खरकिखतत्थेरं किर अतिक्रन्तसट्टिवस्सं मरणमञ्जे निपन्नं भिक्खुसङ्घो लोकुत्तरधिगमं पुच्छि । थेरो—“निथि मे लोकुत्तरधर्मो” ति आह । अथस्स उपट्टाको दहरभिक्खु आह—“भन्ते, तुम्हे परिनिष्पुता ति समन्ता द्वादसयोजना मनुस्सा सन्निपतिता तुम्हाकं पुथुज्जनकालकिरियाय महाजनस्स विप्पटिसारो भविस्सती” ति । “आवुसो, अहं मेत्ययं भगवन्तं पस्सस्सामी ति न विपरस्सनं पट्टुयेसिं । तेन हि मं निसीदापेत्वा ओकासं करोही” ति । सो थेरं निसीदापेत्वा बहि निकखन्तो । थेरो तस्स सह निकखमना व अरहतं पत्वा अच्छरिकाय सञ्चं अदासि । सङ्घो सन्निपतित्वा आह—“भन्ते, एवरुपे मरणकाले लोकुत्तरधर्मं निष्पत्तेन्ता दुक्करं करित्था” ति । “नावुसो, एतं दुक्करं, अपि च वो दुक्करं आचिकिखस्सामि—“अहं आवुसो, पञ्चजितकालतो पट्टाय असतिया अञ्जाणपक्तं कम्मं नाम न पस्सामी” ति ।

केवल शीलवानु होने के कारण तुमने ऐसा दुष्कर कार्य कर डाला । और अपने में संवेग (वैराग्य) ऐदा कर, धर्मी का सूक्ष्म विश्लेषण कर उसके पीठ केरते-फेरते ही तुमने अहंत्व प्राप्त कर लिया ।”

(३) परिपुण्णपारिशुद्धिशीलं

४० कल्याणकर्मच्छुक पृथग्जनो का शील, उपसम्पदा ग्रहण करने के समय से (=पट्टाय) आगे भी, अच्छी तरह धोयी उच्च जाति की मणि के समान, या मलार्मींति तपाये गये सुर्दण के समान, अतिपरिशुद्धि होने से अकुशल चित्तोत्पादमात्र द्वारा भी उत्पन्न होने वाले, मूल से रहित अहंत्व का ही कारण (पदस्थान) होता है । इसलिये यह परिपुण्णपारिशुद्धि शील कहा जाता है । इसमें महासङ्खरकित एवं भागिनेय सङ्खरकित स्थविरों का उदाहरण देना चाहिये ।

महासङ्खरकित स्थविर से, जो कि साठ दर्श पार कर चुके थे और मृत्युशीया पर लेटे हुए थे, अभ्युसङ्घ ने उनकी लोकोत्तरधर्म की अधिगिति के विषय में पूछा स्थविर ने कहा—“मुझे अभी लोकात्तर धर्म (अहंत्व) प्राप्त नहीं हुआ है ।” तब उनके सेवक (उपट्टाक) तरुण मिष्ठु ने कहा—“भन्ते! आपको परिनिर्वृत जानकर चारों ओर के द्वादश योजन से दर्शनार्थी श्रद्धालु जन एकत्र हुए हैं । आप के इस पृथग्जनसदृश देहपात से बहुत लोगों को निराशा होगी!” (स्थविर ने कहा—) “आशुभन्! मैं तो मैत्रेय भगवान् के दर्शन करने की प्रतीक्षा में था, इसीलिये मैंने विपश्यना नहीं की । (अब तुम ऐसा करो कि) मुझे सहारा देकर बैठा दो और कुछ देर मुझे एकान्त दे दो ।” वह तरुण मिष्ठु स्थविर को बैठा कर बाहर निकल गया । सङ्घ ने एकत्र होकर स्थविर से कहा—“भन्ते! इस प्रकार मरण-काल उपस्थित होने पर आपने लोकोत्तर धर्म प्राप्त कर अत्यन्त दुष्कर कार्य किया ।” नहीं, आयुष्मानो! यह क्या दुक्कर है! अपितु मैं आपको अपना दुष्कर कार्य बताऊँ कि आयुष्मानो! मैंने प्रदर्ज्या के दिन से लेकर

भागिनेयो पिस्स पञ्चासवस्सकाले एवमेव अरहतं पापुणी ति ।

“अप्पस्सुतो पि चे होति सीलेसु असमाहितो ।

उभयेन नं गरहन्ति सीलतो च सुतेन च ॥

अप्पस्सुतो पि चे होति सीलेसु सुसमाहितो ।

सीलको नं पसंसन्ति तस्सं सम्भजते सुतं ॥

बहुस्सुतो पि चे होति सीलेसु असमाहितो ।

सीलतो नं गरहन्ति नास्सं सम्भजते सुतं ॥

बहुस्सुतो पि चे होति सीलेसु सुसमाहितो ।

उभयेन नं पसंसन्ति सीलेन च सुतेन च ॥

बहुस्सुतं धम्मधरं सपञ्जं बुद्धसावकं ।

नेकज्ञं जग्मोनदस्सेव को तं निन्दितुमरहति ।

देवा पि नं पसंसन्ति ब्रह्मना पि पसंसितो” ति ॥ (अं० २-९)

(४) अपरामद्यापरिशुद्धिशीलं

४१. सेक्खानं पन सीलं दिट्ठिवसेन अपरामद्युत्ता, पुथुज्ञानान् वा पन रागवसेन अपरामद्यालं अपरामद्यापारिशुद्धी ति वेदितव्यं, कुटुम्बियपुत्रतिस्सत्थेरस्स सीलं विय । सो हि आयस्मा तथारूपं सीलं निस्साय अरहते पतिद्वातुकामो वेरिके आह—

‘उभो पादानि भिन्दित्वा सञ्जपेस्सामि वो अहं ।

आज तक कभी भी स्वयं को स्मृतिरहित रख, अज्ञानपूर्वक कोई प्रभाद (विनयपालन में कमी) करते नहीं पाया ।”

इनके भागिनेय (सङ्करकित स्थविर) ने भी पचास वर्ष की अवस्था में इसी तरह अर्हत्व पा लिया था ।

“यदि किसी ने धर्मापदेश का अल्प श्रदण ही किया है और अपने शीलाचार में असंयमी भी है तो वह शील और श्रुत-दोनों ही दृष्टियों से जनता द्वारा गर्हित समझा जाता है ॥

“यदि वह अल्पभूत होने पर भी संयम में तो तपर ही रहता हो तो उसके इस शील के कारण उसकी सभी प्रशंसा करते हैं, यो उसका वह अल्प धर्म-श्रवण भी सम्पन्न (सफल) हो जाता है ॥

इसके विपरीत, यदि कोई बहुश्रुत हो परन्तु उसका अपनी इन्द्रियों पर संयम न हो, तो इस शील के अमाव के कारण जनता में वह निन्दा का पात्र ही रहता है । और उसकी बहुश्रुतता भी तब उसके किसी उपयोग में नहीं आती ॥

“हीं, कोई बहुश्रुत भी हो और दृढ़ इन्द्रियसंयमी भी हो तो उसकी, इस बहुश्रुतता व समाहितता-दोनों के कारण, समाज में अत्यधिक प्रशंसा होती है ॥

(४) अपरामद्यापरिशुद्धिशील

४२. शीक्ष्यों का शील (-दृष्टि) मिथ्यादृष्टि से अपरामद्युत्त होने के कारण एव पृथग्जनों का शील राग से अपरामद्य शील अपरामद्य परिशुद्ध जानना चाहिये, जैसे कौटुम्बिकपुत्र तिथ्य स्थविर का था । उस आयुष्मान ने अपने उस प्रकार के शील के आधार पर अर्हत्व में प्रतीहित होने की इच्छा से अपने विरोधियों को कहा था—

अद्वियामि हरायामि सरागमरणं अहं” ति ॥

“एवाहं चिन्तयित्वा सम्पस्तिवान् योनिसो ।

सम्पत्ते अरुणुगम्हि अरहतं अपापुणिं” ॥ ति ॥

(दी० दु०—२-३३९)

अञ्जतरो पि महाथेरो बाल्हगिलानो सहस्र्या आहारं पि परिभुजितुं असङ्कोन्तो सके मुत्तकरीसे पलिपन्नो सम्परिवत्तति, तं दिस्वा अञ्जतरो दहरो—“अहो, दुक्खा जीवितसङ्कुरा” ति आह । तमेन महाथेरो आह—“अहं, आवुसो, इदानि मिव्यमानो सगसम्पत्तिं लभिस्सम्भिः, नत्यं मे एत्थं संसयो, इमं पनं सीलं भिन्दित्वा लद्धसम्पत्तिं नाम सिक्खं पच्यक्खाय पटिलद्धगिहिभावसदिसी” ति वत्वा “सीलेनेव सद्धिं मरिस्सामी” ति तथेव निपन्नो तमेव रोगं सम्मसन्तो अरहतं पत्वा भिक्षुसङ्कुरस्स इमाहि गाथाहि व्याकासि—

“फुट्टुस्स मे अञ्जतरेन व्याधिना रोगेन बाल्हं दुखितस्स रूपतो ।

परिसुस्सति खिष्पमिदं कल्वेवं पुष्कं यथा पंसुनि आतपे कतं ॥

अञ्जञ्जं जञ्जसङ्कुतं असुचिं सुचिसम्मतं ।

नानाकुणपरिपूरं जञ्जरूपं अपस्सतो ॥

धिरस्तु मं आतुरं पूतिकायं दुग्धन्यियं असुचिं व्याधिधम्मं ।

यथप्पमता अधिमुच्छिता पजा हापेति ममं सुगतूपपतिया” ति ॥

“अपने दोनों पैरों को तोड़कर मैं उन लोगों के पास प्रतिभू (जमानत) के रूप में रखता हूँ। मैं (राग का क्षय किये विना) अपना रागसहित देहपात (मरण) नहीं चाहता; क्योंकि इसमें भुजे लज्जा व धृणा का अनुभव हो रहा है।”

“मैंने यह सोचते हुए भलीभौति मनन करते हुए, सूर्योदय के साथ ही अर्हत्व प्राप्त कर लिया ॥”

एक अन्य महास्थविर भी, जो कि अत्यधिक रोग के कारण भोजन करने में भी असमर्थ हो गये थे, अपने मल-मूत्र में लिपटे, हायनासन पर किसी तरह करवट बदलते रहते थे । उन्हें देखकर दूसरे किसी के मुख से निकल पड़ा—“अरे! ये जीवनसंस्कार कितने दुःखद हैं” । उसको हन महास्थविर ने कहा—“आयुष्ण! मैं यदि अभी मर जाऊं तो मुझे स्वर्ग-सूख तो मिल ही जायगा—इसमें सन्देह नहीं, परन्तु इस शील को भङ्ग कर प्राप्त सम्पत्ति (मिशुत्व) शिक्षा को त्याग कर गृहस्थ हो जाने के समान है अतः मैं तो शील के साथ ही अपना देहपात करूँगा!”— ऐसा कहकर उन्होंने घरी लेटे लेटे उसी रोग के विषय में मनन करते हुए अर्हत्व प्राप्त कर वही उपस्थिति मिशुसङ्कुर से ये गाथाएँ कही—

“मुझे एक रोग होने पर, उस रोग से अतिशय दुखित एवं पीड़ित मेरा यह शरीर पड़ा पड़ा सूख रहा है, जैसे धूप या धूल में पेंडा फूल सूख जाता है।

(“यह शरीर) जिसे लोग मनोहर (सुन्दर) कहते हैं, पर दस्तुतः वह मनोहर नहीं है; उसे लोग ‘पदित्र’ कहते हैं, पर दस्तुतः वह पदित्र नहीं है; क्योंकि यह तो तरह-तरह के मलों से भरा पड़ा है। (केवल) यथार्थ को न देख पाने वालों के लिये ही यह मनोहर या पदित्र हो सकता है।”

“मेरे इस व्याधिग्रस्त, दुर्गन्धमय, अपवित्र स्वभावतः सतत रोगों का शिकार होने वाले (यथाधिर्घमा) अपवित्र शरीर को धिक्कार (धिरस्तु) है, जिसके विषय में प्रमत्त (अधिमूर्च्छित) होकर लोग सुगति-प्राप्ति का मार्ग छोड़ बैठते हैं।”

(५) पटिपस्सद्विपारिसुद्विसीलं

४२. अरहन्तादीनं पन सीलं सब्बद्रथप्पटिपस्सद्विया परिसुद्धता पटिपस्स-
द्विपारिसुद्धी ति वेदितब्बं । एवं परियन्तपारिसुद्विआदिवसेन पञ्चविधं ॥

दुतियसीलपञ्चकं

(पहानसीलादिवसेन)

४३. दुतियपञ्चके पाणातिपातादीनं पहानादिवसेन अत्थो वेदितब्बो । वुतं हेतं
पटिसम्भिदायं—

“पञ्च सीलानि—पाणातिपातस्स पहानं सीलं, वेरमणी सीलं, चेतना सीलं, संवरो
सीलं, अवीतिकमो सीलं । अदिश्रादानस्स, कामेसु मिच्छाचारस्स, मुसावादस्स, पिसुणाय
वाचाय, फरुसाय वाचाय, सम्फल्लापस्स, अभिज्ञाय, व्यापादस्स, मिच्छादिट्या, नेकखम्भेन
कामच्छन्दस्स, अव्यापादेन व्यापादस्स, आलोकसञ्ज्ञाय थीनमिद्धस्स, अविक्षेपेन
उद्धच्चस्स, धम्मवक्त्यानेन विचिकिच्छाय, आणेन अविज्ञाय, पामोजेन अरतिया, पठमेन
झानेन नीधरणां, दुतियेन झानेन वितक्षविचारानं, ततियेन झानेन पीतिया, चतुर्थेन झानेन
सुखदुक्खानं, आकासानञ्चायतनसमापत्तिया रूपसञ्ज्ञाय पटिघसञ्ज्ञाय नानत्सञ्ज्ञाय,
विज्ञाणञ्चायतनसञ्ज्ञाय, नेवसञ्ज्ञानासञ्ज्ञायतनसमापत्तिया आकिञ्चञ्चायतनसञ्ज्ञाय,
अनिच्छानुपस्सनाय निच्छसञ्ज्ञाय, दुक्खानुपस्सनाय सुखसञ्ज्ञाय, अनत्तानुपस्सनाय
अत्तसञ्ज्ञाय, निज्जिदानुपस्सनाय नन्दिया, विरागानुपस्सनाय रागस्स, निरोधानुपस्सनाय

(५) प्रतिप्रश्नविधिपरिशुद्धिशील

४२. अर्हत् आदि का शील, सभी दुःखों की शान्ति हो जाने के कारण, सर्वथा परिशुद्ध होने
से प्रतिप्रश्नविधि (शान्ति) परिशुद्धिशील समझना चाहिये ।

यो, पर्यन्तपरिशुद्धि आदि से शील पांच प्रकार का भी होता है ॥

द्वितीय शीलपञ्चकं

४३. शील के इस द्वितीय पञ्चकं-विभाजन में प्राणातिपात आदि के प्रहाणादि भेद से शील
का विभाजन समझना चाहिये । जैसे कि पटिसम्भिदामण्ड में कहा गया है—

“शील पांच होते हैं— १. प्राणातिपात का प्रहाणशील, २. प्राणातिपात से विरमणि (विराम)
शील, ३. वैतनशील, ४. संवरशील एवं ५. अव्यतिक्रम (अनुलहन) शील । चौरी, व्यनिवार, असत्यभावण,
चुगली, कठोर वचन, वाचालता, लोभ, प्रतिहिसा, मिद्यादृष्टि, नैकर्म्य से कामभोगों की इच्छा का,
अव्यापाद से व्यापाद, स्फूर्ति (आलोकसंज्ञा) से स्त्यान (शारीरिक आलस्य) व मृद्ध (मानसिक
आलस्य), चित्त की एकाग्रता से औद्धत्य, धर्म-सम्बन्धी विचार-विमर्श से विचिकित्सा (सन्देह), ज्ञान
से अविद्या, प्रामोद्य (प्रसन्नता) से उदासी (अरति), प्रथम ध्यान से कामच्छन्द आदि छह नीवरण,
द्वितीय ध्यान से विसर्क-विचार, तृतीय ध्यान से प्रीति, चतुर्थ ध्यान से सुख-दुःख, आकाशनन्त्यायतन
की भावना से रूपसंज्ञा प्रतिघसंज्ञा नानात्पत्तेन, विज्ञानानन्त्यायतन की भावना से रूपसंज्ञा प्रतिघसंज्ञा
नानात्पत्तेन, विज्ञानानन्त्यायतन की भावना से आकाशनन्त्यायतनसंज्ञा, आकिञ्चन्नायतन की भावना
से विज्ञानानन्त्यायतनसंज्ञा, नैवसंज्ञानासंज्ञायतन की भावना से आकिञ्चन्नायतनसंज्ञा, अनित्यानुपश्यना
से नित्यसंज्ञा, दुःखानुपश्यना (दुःख के अवलोकन-समीक्षण) से सुखसंज्ञा, अनात्मानुपश्यना से

समुदयस्स, पठिनिस्सगगानुपस्सनाय आदानस्स, खथानुपस्सनाय घनसञ्जाय, वथानुपस्सनाय आयूहनस्स, विपरिणामानुपस्सनाय धुवसञ्जाय, अनिमित्तानुपस्सनाय निमित्तस्स, अप्पणिहितानुपस्सनाय पणिधिया, सुञ्जतानुपस्सनाय अभिनिवेसस्स, अधिपञ्जाधम्म-विपस्सनाय सारादानाभिनिवेसस्स, यथाभूतजाणदस्सनेन सम्मोहाभिनिवेसस्स, आदीन-वानुपस्सनाय आलयाभिनिवेसस्स, पठिसङ्कानुपस्सनाय अप्पिटिसङ्काय, विवट्टानुपस्सन ए सञ्जोगाभिनिवेसस्स, सोतापत्तिमगगेन दिट्टे कट्टानं किलेसानं, सकदागाभिमगेन ओळारिकानं किलेसानं, अनागभिमगेन अणुसहगतानं किलेसानं, अरहत्तमगेन सब्बकिलेसानं पहानं सीलं, वेरमणी.... चेतना.... संवरो.... अवीतिकमो सीलं।

एवरूपानि सीलानि चित्तस्स अविष्प्रिटिसाराय संवत्तन्ति, पामोज्जाय, पीतिया, एसद्धिया, सोमनस्साय, आसेवनाय, भावनाय, बहुलीकम्माय, अलङ्काराय, परिक्खाराय, परिवाराय, पारिपूरिया, एकन्तनिष्विदाय, विरागाय, निरोधाय, उपसमाय, अभिज्जाय, सम्बोधाय, निष्वानाय संवत्तन्ती” (खु० ५-५१) ति।

४४. एथ च पहानं ति कोचि धम्मो नाम निथि अञ्जत्र बुत्पकारानं पाणातिपातादीनं अनुप्पादमत्ततो। यस्मा पन तं तं पहानं तस्स तस्स कुसलधम्मस्स पतिट्टानट्टेन उपधारणं होति, विकम्पाभावकरणेन च समाधानं, तस्मा पुब्बे बुत्तेनेव (१३ पिट्टे) उपधारण-समधानसङ्कातेन सीलनट्टेन सीलं ति बुत्तं। इतरे चत्तारो धम्मा ततो ततो वेरमणिवसेन, तस्स तस्स संवरवसेन, तुभ्यसम्पयुत्तचेतनावसेन, तं तं अवीतिकमनवसेन

आत्मसङ्गा, निर्वदानुपश्यना से नन्दी (आसक्ति), वैराग्यानुपश्यना से राग, निरोधानुपश्यना से समुदय (जन्म), प्रतिनिसर्गानुपश्यना से आदान, क्षयानुपश्यना से धन (एकत्र) सङ्गा, व्यय (नाश) की अनुपश्यना से आयूहन (राशिकरण), विपरिणाम (विनाश) की अनुपश्यना से ध्वंससङ्गा, अनिमित्तानुपश्यना से निमित्त, अप्रणिहितानुपश्यना से प्रणिधि (निष्क्रिय), शून्यतानुपश्यना से अभिनिवेश (धर्मात्मदृष्टि), अधिगङ्घर्मपश्यना से सार-ग्रहण के अभिनिवेश, यथाभूतज्ञानदर्शन से सम्मोहाभिनिवेश, आदीनव (दोष) की अनुपश्यना से आलय-(तृष्णा-) अभिनिवेश, प्रतिसङ्क्षया-(प्रज्ञा-) अनुपश्यना से आलय-(तृष्णा-) अभिनिवेश, प्रतिसङ्क्षया-(प्रज्ञा-) अनुपश्यना से अप्रतिसङ्क्षया, वियर्त (निर्वाण) अनुपश्यना से क्षेत्रज्ञानभिनिवेश, छोतआपरि मार्ग से दृष्टिज्ञ्य कलेशो, सकृदागामी मार्ग से स्थूल कलेशो, अनागामी मार्ग से सूक्ष्म कलेशो, अर्हत्व भार्गो से सभी स्थूल-सूक्ष्म कलेशों का प्रहाण प्रहाणशील कहलाता है। विभणि, चेतना, संवर... अव्यातिक्रमशील कहलाता है।

“ऐसे शील दिति को अपक्षात्ताप (अविप्रतिसार) प्राप्तोद्य, प्रीति, प्रश्रविष्य (शान्ति), सोमनस्य, असेवन, भावन, बहुलीकरण (आधिक्य) अलङ्कार (रौभा), परिष्कार, परिवार, परिपूर्ति, ऐकान्तिक शोग्य, ग्लानि (उपेक्षा) निरोध, उपशय, अभिज्ञा, सम्बोधि एव निर्वाण के निकट पहुँचाने वाले होते हैं।”

४५. यहौं ‘प्रहाण’ उक्त प्रकार के प्राणातिपात आदि के अनुप्पाद के अतिरिक्त कोई अन्य शब्द नहीं है, क्योंकि विभिन्न (व्यक्तिश एक-एक) प्रहाण उस उस कुशल धर्म के आधार (प्रतिहान) के अर्थ में ‘धारण करने वाला’ होता है, एवं कम्पनाभाव (स्थिरता) के कारण ‘समाधान’ है, अतः पूर्णक (पृष्ठ १३) प्रकार से ही उपधारण-समाधानरूपी शीलन अर्थ में शील कहा गया है।

अन्य विरमणि आदि चार धर्म उस उस के विरमण व उस-उस के संवर में, उन दोनों से

च चेतसो पवत्तिसञ्चावं सन्धाय चुता । सीलट्रो पन तेसं पुब्बे पकासितो येवा ति । एवं पहानसीलादिवसेन पञ्चविधं ॥

एतावता च किं सीलं ? केनद्रेन सीलं ? कानस्स लक्खण-रस-पञ्चुपट्टान-पदट्टानानि ? किमानिसंसं सीलं ? कतिविधं चेतं सीलं ?—ति इमेसं पञ्चानं विस्सज्जनं निष्ठितं ॥

(६) सीलस्स सङ्क्लिलेसो

४५. यं पन चुतं “को चस्स सङ्क्लिलेसो ? किं बोदानं ?” ति । तत्र बदाम—खण्डादिभावो सीलस्स सङ्क्लिलेसो, अखण्डादिभावो बोदानं । सो पन खण्डादिभावो लाभयसादिहेतुकेन भेदेन च, सत्तविधमेथुनसंयोगेन च सङ्गहितो । तथा हि यस्स सत्तसु आपत्तिकञ्चन्येसु आदिम्हि वा अन्ते वा सिक्कापदं भिन्नं होति, तस्स सीलं परियते छिन्साटको विय खण्डं नाम होति । यस्स पन वेमज्जे भिन्नं, तस्स मज्जे छिद्दसाटको विय छिह्नं नाम होति । यस्स पटिपाटिया द्वे तीणि भिन्नानि, तस्स पिट्टिया वा कुच्छिया वा उष्टुतेन विसभागवण्णेन काल्परत्तादीनं अञ्जतरसरीरवण्णा गावो विय सबलं नाम होति । यस्स अन्तस्तरा भिन्नानि, तस्स अन्तरन्तरा विसभागवण्णबिन्दुविचित्रा गावी विय कम्मासं नाम होति । एव ताव लाभादिहेतुकेन भेदेन खण्डादिभावो होति ।

४६. एवं सत्तविधमेथुनसंयोगवसेन । चुतं हि भगवता—

समृक्त चेतना एवं उस उस का व्यतिक्रम न करने वाले के अव्यतिक्रम के रूप में वित्त की प्रवृत्ति की सत्ता का उल्लेख करते हैं । उनके पहले, शीलयान् का अर्थ बताया ही जा चुका है । यो, प्रहाणशील आदि भेद से भी शील पाँच प्रकार का होता है ।

हठने व्याख्यान से, शील क्या है? किस अर्थ में शील है? इस शील के लक्षण, रस, प्रत्युपस्थान एवं पदस्थान क्या है? शील का माहात्म्य क्या है? शील के प्रकार (भेद) कितने हैं?—इन सभी (पाँच) प्रश्नों का उचित, विस्तृत एवं शास्त्रानुकूल उत्तर दे दिया गया ।

(६) शील का संक्लेश

४५. उनमे अब एक प्रश्न अनुत्तरित रह गया— इस शील का संक्लेश एवं व्यवदान (शुद्धि) क्या है? इसके विषय में हमारा कहना है—

शील का खण्डित हो जाना शील का संक्लेश है और खण्डित न हो पाना (अखण्ड रहना) शील का व्यवदान (शुद्धि) है । (१) लाभ-यश आदि के कारण हुए खण्डन से और (२) सात प्रकार के मैथुन-संयोग में इस खण्डन भाव का संग्रह विद्यानो द्वारा किया गया है । जिसका शिक्षापद सात आपत्तिस्तकन्धों में से प्रारम्भ या अन्त में खण्डित हो जाता है, उसका शील, किनारे पर फटे कपड़े की भाँति, खण्ड (विभक्त) हो जाता है । और जिसका शिक्षापद मध्य में खण्डित हो जाता है उसका शील मध्य में छिद्रित हुए कपड़े की भाँति छिद्र (छिद्रित) कहा जाता है । जिसका शिक्षापद परिपाटी (क्रम) से दो या तीन बार खण्डित हो चुका है उसके शील को पीठ या पेट पर काली चितकबरी चितियो वाली गौ की तरह शाढ़ल (चितकबरा) कहते हैं । जिसका शिक्षापद रुक-रुक कर खण्डित होता रहता है उसके शील को इधर उधर चित्तियो के कारण वित्र विवित्र गौ के समान कल्पाष (अधिक काला रग मिले हुए या चित्तकबरे रग वाला) कहते हैं । इस प्रकार लाभ आदि के कारण खण्डित होने से ‘खण्डित होना’ आदि कहलाता है ।

“इथ, ब्राह्मण, एकच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा सम्पा ब्रह्मचारी पटिजानमानो न हेव खो मातुगामेन सद्दिं द्वयन्द्यसमापत्ति समापज्जति, अपि च खो मातुगामस्स उच्छादनं परिमद्दनं न्हापने सम्बाहनं सादियति, सो तदस्सादेति, त निकामेति, तेन च वित्ति आपज्जति। इदं पि खो, ब्राह्मण, ब्रह्मचरियस्स खण्डं पि छिद्दं पि सबलं पि कम्मासं पि। अयं बुच्चति, ब्राह्मण, अपरिसुद्धं ब्रह्मचरियं चरति संयुक्तो मेथुनेन संयोगेन, न परिमुच्चति जातिया, जराय, मरणेन....पे०.... न परिमुच्चति दुकखस्मा ति वदामि। (१)

“पुन च परं, ब्राह्मण इधेकच्चो समणो वापे०.... पटिजानमानो न हेव खो मातुगामेन सद्दिं द्वयन्द्यसमापत्ति समापज्जति। न पि मातुगामस्स उच्छादनंपे०.... सादियति। अपि च खो मातुगामेन सद्दिं सञ्जाघति संकीर्णति सङ्कलायति। सो तदस्सादेति पे०.... न परिमुच्चति दुकखस्मा ति वदामि। (२)

“पुन च परं, ब्राह्मण इधेकच्चो समणो वापे०.... न हेव खो मातुगामेन सद्दिं द्वयन्द्यसमापत्ति समापज्जति। न पि मातुगामस्स उच्छादनंपे०.... सादियति। न पि मातुगामेन सद्दिं सञ्जाघति संकीर्णति सङ्कलायति। अपि च खो मातुगामस्स चक्षुना चक्षु उपनिज्ञायति पेक्खति, सो तदस्सादेतिपे०.... न परिमुच्चति दुकखस्मा ति वदामि। (३)

“पुन च परं, ब्राह्मण, इधेकच्चो समणो वापे०.... न हेव खो मातुगामेन.... न पि मातुगामस्स.... न पि मातुगामेन.... न पि मातुगामस्स....पे०.... पेक्खति। अपि च चरं। मातुगामस्स सद्दं सुणाति तिरोकुट्टा वा तिरोपाकारा वा हसन्तिया वा भणन्तिया वा गायनि या वा रोदन्तिया वा, सो तदस्सादेतिपे०.... दुकखस्मा ति वदामि। (४)

४६। इसी तरह अधोलिखित सात प्रकार के मैथुन-संयोग के भेद से शील का खण्डितभाव कहा गया है। (अनुत्तरनिकाय में) कहा भी है—

“ब्राह्मण! यहाँ कोई श्रमण या ब्राह्मण पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी होने का दावा करता हुआ किसी स्त्री के साथ सम्मोग (जोड़ा खाना=द्वयन्द्यसमापत्ति) तो नहीं करता, परन्तु स्त्रियों से उच्चटन लगाने, मालिश (परिमर्दन) व खान करवाने या शरीर दबवाने (सम्बाहन) का काम करता है, वह उसमें रस लेता है, उसको चाहता है और उसमें सन्तोष का अनुभव करता है। ब्राह्मण! उसका यह कार्य उसके ब्रह्मचर्य का खण्ड भी है, छिद्र भी है, शबल भी है और कलाब भी। ब्राह्मण! इसी को कहा जाता है कि वह अपरिशुद्ध ब्रह्मचर्य का आवरण कर रहा है, मैथुन के संयोग से युक्त है। ऐसा पुरुष जाति, बुढ़ापा, मृत्यु एवं दुःख से कभी छुटकारा नहीं पाता—ऐसा मैं कहता हूँ। (१)

“और फिर ब्राह्मण! यद्यपि यहाँ कोई श्रमण-ब्राह्मण...पूर्वकृत...दावा करता हुआ किसी स्त्री के साथ सम्मोग नहीं करता, न किसी स्त्री से उच्चटन...काम करवाता है, अपितु स्त्री के साथ हास-परिहास करता है, कीड़ा करता है, मनोरञ्जन करता है, उसके क्रिया-कलाप में रस लेता है...वह दुख से छुटकारा नहीं पा सकता—ऐसा मेरा मानना है। (२)

“और फिर, ब्राह्मण! यद्यपि यहाँ कोई श्रमण-ब्राह्मण...पूर्वकृत...न रस लेता है, फिर भी वह स्त्रियों की ओर आँख से आँख मिलाकर देखता है, बार-बार देखता है उसमें आस्वाद (रस) लेता है दुख से नहीं छूटता—ऐसा मेरा कहना है। (३)

“और फिर ब्राह्मण! यद्यपि यहाँ कोई श्रमण ब्राह्मण...पूर्वकृत...आस्वाद नहीं लेता है, फिर भी दीवाल के पीछे (आड़) से या चहारदीवारी की ओट से स्त्रियों के हँसने, बोलने, गाने या रोने के

“पुन च परं, ब्राह्मण, इधेकच्चो समणो वा....पे०.... न हेव खो मातुगामेन। न पि मातुगामस्स....न पि मातुगामेन.... न पि मातुगामस्स....पे०....रोदन्तिया वा। अपि च खो यानिस्स तानि पुञ्जे मातुगामेन सद्दिं हसितलपितकीळितानि, तानि अनुस्सरति, सो तदस्सादेति....पे०....दुक्खस्मा ति वदामि। (५)

“पुन च परं, ब्राह्मण, इधेकच्चो समणो वा....पे०.... न हेव खो मातुगामेन....पे०....न पि मातुगामस्स....पे०.... न पि यानिस्स तानि पुञ्जे मातुगामेन सद्दिं हसितलपितकीळितानि, तानि अनुस्सरति। अपि च खो पस्सति गहपतिं वा गहपतिपुत्रं वा पञ्चहि कामगुणेहि समपितं समझीभूतं परिचारयमानं, सो तदस्सादेति....पे०....दुक्खस्मा ति वदामि। (६)

“पुन च परं, ब्राह्मण, इधेकच्चो समणो वा....पे०.... न हेव खो मातुगामेन....पे०....न पि पस्सति गहपतिं वा गहपतिपुत्रं वा....पे०....परिचारयमानं। अपि च खो अञ्जतं देवनिकायं पणिधाय ब्रह्मचरियं चरति—‘इमिनाहं सीलेन वा वतेन वा तपेन वा ब्रह्मचरियेन वा देवो वा भविस्सामि देवञ्जतरो वा’ ति। सो तदस्सादेति, तं निकामेति, तेन च वित्ति आपज्जति। इदं पि खो, ब्राह्मण, ब्रह्मचरियस्स खण्डं पि छिद्दं पि सबलं पि कम्भासं पी’” (अं० ३-१९४) ति। (७)

एवं लाभादिहेतुकेन भेदेन च सत्तविधमेथुनसंयोगेन च खण्डादिभावो सङ्घाहितो ति वेदितव्यो ॥

(७) सीलस्स वोदानं

४७. अखण्डादिभावो पन सब्बसो सिक्खापदानं अभेदेन, भित्रानं च सप्पटिकम्मानं

शब्द सुनता है, वैसे शब्द सुनने में रस लेता है...दुख से छुटकारा नहीं पाता—ऐसी मेरी मान्यता है। (४)

“और फिर, ब्राह्मण! यद्यपि यहाँ कोई श्रमण या ब्राह्मण...न स्त्री के साथ...न स्त्री से...न स्त्री का...रोने का शब्द सुनता है, किन्तु स्त्रियों के साथ पूर्वकृत हास परिहास, आलाप और क्रीड़ा को स्मरण करता है, स्मरण कर उसमें रस लेता है...दुख से नहीं छूट पाता—ऐसा मैं कहता हूँ। (५)

“और फिर, ब्राह्मण! यद्यपि यहाँ कोई श्रमण...न तो स्त्री के साथ...न स्त्री से...न स्त्री का...न स्त्रियों के साथ...स्मरण करता है, अपितु वह पञ्च कामगुणों के प्रति समर्पित, तल्लीन व उनका व्यवहार (उपभोग) करने वाले गृहपति या उसके पुत्र को देखता है, उसके व्यवहार में रस लेता है...दुख से छुटकारा नहीं पाता—ऐसा मैं कहता हूँ। (६)

“और फिर ब्राह्मण! यद्यपि यहाँ कोई श्रमण या ब्राह्मण...न तो स्त्री के साथ...न व्यवहार करने वाले गृहपति या उसके पुत्र को ही देखता है, फिर भी वह चातुर्महाराजिक आदि किसी देवनिकाय (देवसमूह) की ग्रासि का सङ्कल्प कर ब्रह्मचर्य धारण करता है कि ‘मैं इस शील, व्रत, तप या ब्रह्मचर्य के प्रभाव से देवता हो जाऊँ।’ वह उसमें आस्वाद लेता है, उसे चाहता है, उसमें सन्तोष का अनुभव करता है। ब्राह्मण! यह (उसके) ब्रह्मचर्य का खण्डित होना भी है छिद्रित होना भी है, शब्दलित होना भी है और कल्पाशित होना भी। (७)

यो उस शील के लाभ आदि भेद से तथा सप्तविध मैथुन के संयोग—भेद से खण्ड, छिद्र, शब्द, कल्पाश आदि भेद (संक्षेप) संगृहीत होते हैं—वह जानना चाहिये।

७. शीलव्यवदान

४७. उस शील का अखण्डतादिभाव—सर्वत शिक्षापदों का खण्डन न होने के रूप में,

पटिकम्मकरणेन, सत्तविधमथुनसंयोगाभावेन च, अपराय च कोधो उपनाहो मक्खो पळाखो इस्सा मच्छरियं माया साठेयं थभ्यो सारभ्यो मानो अतिमानो भद्रो पमादो-ति आदीनं पापथम्पानं अनुप्तिया, अप्यिच्छता-सन्तुष्टिता-सलेखतादीनं च गुणानं उप्तिया सङ्घाहितो ।

यानि हि सोलानि लाभादीनं पि अत्थाय अभिन्नानि, पमाददोसेन वा भिन्नानि पि पटिकम्मकरानि, मेथुनसंयोगेहि वा कोधूनाहादीहि वा पापथम्पेहि अनुपहतानि, तानि सब्बसो अखण्डानि अच्छिद्वानि असबलानि अकम्मासानी ति बुच्चन्ति । तानि येव भुजिस्सधावकरणतो च भुजिस्सानि, विज्ञुहि पसत्थता विज्ञुपसत्थानि, तण्हादित्तीहि अपरामटुत्ता अपरामटुत्तानि, उपचारसमधिं वा अप्पनासमधिं वा संवत्त्यन्ती ति समाधिसंवत्तनिकानि च होन्ति । तस्मा नेसं एस अखण्डादिभावो 'वोदानं' ति वेदितब्बो ।

४८. तं पनेतं वोदानं द्वीहाकारोहि सम्पज्जति—सीलविपत्तिया च आदीनवदस्सनेन, सीलसम्पत्तिया च आनिसंसदस्सनेन । तत्थ “पञ्चिमे, भिक्खवे, आदीनवा दुस्सीलस्स सीलविपत्तिया” (दी० २-६९) ति एवमादिसुत्तनयेन सीलविपत्तिया आदीनवो दट्टब्बो ।

अपि च दुस्सीलो पुण्गलो दुस्सील्यहेतु अपनापो होति देवमनुस्सानं, अनुसासनीयो सब्बहचारीनं, दुक्खितो दुस्सील्यगरहासु, विष्टिसारी सीलवर्तं पसंसासु, ताय च पन दुस्सील्यताय साणसाटको विय दुब्बण्णो होति । ये खो पनस्स दिट्टानुगतिं आपज्जन्ति, तेसं दीघरतं अपायदुक्खावहनतो दुक्खसम्पस्सो । येसं देव्यधर्मं पटिगण्हति, तेसं न

प्रतिकर्म (सुधार या साशोधन) किये जाने योग्य खण्डित शिक्षापदों का सुधार करने के रूप में, उपर्युक्त सप्तविध मैथुनसंयोग के अभाव से; और अन्य पापधर्मो, जैसे—क्रोध, उपनाह (बद्ध वैर), भ्रष्ट (दूसरों को नीच एव अपने को उच्च दिखाने का भाव), प्रदाश (ईर्ष्यायुक्त द्वेष) ईर्ष्या, मात्सर्य, माया, शार्थ, स्तम्भ, हिंसा, मान, अतिमान, मद-प्रमाद आदि दोषों की अनुपत्ति के रूप में, एवं अल्पेच्छता, सन्तोष एवं कठोर तपस्या आदि गुणों की उत्पत्ति के रूप में संगृहीत है ।

जो शील लाभ-आदि के लिये भी खण्डित नहीं किये जाते, या प्रमादवश भज्ज होने पर जिनका प्रतिकर्म (प्रायश्चिता) कर लिया जाता है, अथवा जो शील मैथुनसंयोग या क्रोध-उपनाह आदि अकुशल धर्मों से उपहत (खण्डित) नहीं है, वे सभी अनुपहत, अच्छिद तथा अशबल, या अकल्पाष कहलाते हैं । वे ही (तृष्णा के) दासत्व भाव से मुक्त कराने वाले अतः भुजिष्य; विद्वानों द्वारा प्रशासाप्राप्त है अत विद्वत्प्राप्तस्तः; तृष्णादृष्टि से बद्ध नहीं है अतः अपरामृष्ट; एवं उपचार समाधि या अर्पणा समाधि को प्राप्त कराने वाले हैं अतः समाधिसंवर्तनिक हैं । यो, उन शीलों का यह अखण्डादि भाव ही उसकी 'विशुद्धि' है ।

४९. पिर वह शीलविशुद्धि दो प्रकार से सम्पन्न होती है— १. शीलविपत्ति अर्थात् शील का खण्डित होना आदि के दोष-दर्शन से एवं २. शीलसम्पत्ति (शीलसंग्रह) के माहात्म्य-दर्शन से । इनमे "भिक्षुओ! दुशील की शील-विपत्ति में पाँच दोष हैं"—(दी० २-६९) इत्यादि सूत्रवचनों के अनुसार शीलविपत्ति में दोष देखना चाहिये ।

और फिर, दुशील पुद्रल १. स्वयं दुशील हाने के कारण, देवताओं और भनुष्यों के लिये दुर्दीर्घन (अपनाप-धृणास्पद) होता है; २. अपने सब्बहचारियों के लिये वह अनुशासनीय नहीं रह जाता, ३. लोक मे अपने उस दुराचार की निन्दा के कारण दुखी रहता है, (उसके विपरीत) ४. लोक मे शीलवानों की प्रशसा से पछताता रहता है, ५. और वह अपनी उस दुशीलता के कारण सन के

महफलकरणतो अप्पांघो । अनेकवस्सगणिकगृथकूपो विय दुब्बिसोधनो । छवालातमिव उभतो परिचाहिरो । भिक्खु भावं पटिजानन्तो पि अभिक्षु येव गोगणं अनुबन्धगद्रभो विय, सततुब्बिगो सब्बवेरिकपुरिसो विय, असंवासारहो मतकळेवरं विय । सुतादिगुणयुत्तो पि सब्रह्मचारीनं अपूजारहो सुसानगिं विय ब्राह्मणानं । अभब्जो विसेसाधिगमे अन्यो विय रूपदस्सने । निरासो सद्गम्भे चण्डालकुमारको विय रजे । 'सुखितोस्मी' ति मञ्जमानो पि दुकिदतो व अगिंकखन्धपरियाये उत्तदुकुखभागिताय ।

४९. दुस्सीलानं हि पञ्चकामाणपरिभोगवन्दनमाननादिसुखस्सादगथितचित्तानं तप्त्वयं अनुस्सरणमतेनापि हृदयसन्तापं जनयित्वा उण्हलोहितुगारप्पवत्तनसमर्थं अतिकटुकं दुक्खं दस्सेतो सब्बाकारेन पञ्चकुखकम्मविपाको भगवा आह—

"पस्सथ नो तुम्हे, भिक्खवे, अमुं महन्तं अगिंकखन्धं आदितं सम्पज्जलितं सजोतिभूतं" ति ? "एवं, भन्ते" ति । "तं किं मञ्जथ, भिक्खवे, कतमं नु खो परं यं अमुं महन्तं अगिंकखन्धं आदितं सम्पज्जलितं सजोतिभूतं आलिङ्गेत्वा उपनिसीदेव्य वा उपनिपञ्जेव्य वा, यं खत्तियकञ्जं वा ब्राह्मणकञ्जं वा गहपतिकञ्जं वा मुदुतलुनहत्थथपादं आलिङ्गेत्वा उपनिसीदेव्य वा उपनिपञ्जेव्य वा" ति ? "एतदेव, भन्ते, वरं यं खत्तियकञ्जं वा पे०.... उपनिपञ्जेव्य वा । दुक्खं हेतं, भन्ते, यं अमुं महन्तं अगिंकखन्धं पे०....

वस्त्रों की तरह दुर्बर्घ हो जाता है । जो लोग इस दुराचारी का अनुस्सरण करते हैं वे विरकाल तक अपाय-दुर्गति-योनियों में दुख भोगते हुए दुख के भागी होते हैं । वह जिनका दान ग्रहण करता है उनका वह अपात्र को दान, अल्पफल होने के कारण, लोक में अल्पपूर्जाह ही हो पाता है; अनेक वर्षों से भरते जा रहे मलकूप की तरह उसका शोधन (सफाई) दुक्कर होता है । चिता की जलने से बड़ी लकड़ी के समान वह दोनों ओर (आमण्यफल एवं सांसारिक सुख) से निरर्थक हो जाता है, वह भिक्षु होने का दावा करता हुआ भी वस्तुतः अभिक्षु ही है । वह तो ऐसा ही है जैसे गायों के बीच गंध चल रहा है । वह सबसे ऐर रखने के कारण सदैव उदिग्ग रहता है । उसे कोई भी अपने पास बैठा कर उसी तरह प्रसन्न नहीं होता जैसे कोई शव को अपने पास रख कर प्रसन्न नहीं होता । श्रुत आदि गुणों से युक्त होता हुआ भी वह अपने सब्रह्मचारियों में उसी तरह सम्मानास्पद नहीं हो पाता जैसे ब्राह्मणों के लिये इमशान की आधि । वह विशेष (मार्ग-फल) की प्राप्ति में असमर्थ एवं रूपदर्शन की वास्तविकता पहचानने में अन्धे के समान है । सद्गम्भ की प्राप्ति में वह उसी तरह असकल या अयोग्य होता है जैसे कोई चण्डालपुत्र कहीं का राज्य पाने में अयोग्य होता है । वह दुशील 'मैं सुखी हूँ'-ऐसा मानते तुए भी वस्तुतः दुखी ही रहता है, क्योंकि वह अग्निस्कन्धपर्यायसूत्र (अ० निं० ३-२५१) में कथित दुखों का भागी रहता है ।

४९. भगवान् ने पौँच कामगुणों के परिभोग, वन्दन, मान आदि का सुखों के आस्वाद में लुभ्य चित्तवाले इन दुशीलों के अनुस्मरणमात्र से हृदय में सन्ताप के उत्पादक, उष्ण रक्त का वमन करा देने में समर्थ एवं अतिरीक्षी पीडादायक दुखों का प्रत्यक्ष कर्मविपाक यों दिखाया है—

"भिक्षुओ! देख रहे हो इस जलते लपलपाते चमकते अग्निपुज्ज को?" "हाँ, भन्ते!" "तो क्या मानते हो, भिक्षुओ? इस जलते लपलपाते चमकते महान् अग्निपुज्ज को आलिङ्गन में लेकर बैठना या लेटना अच्छा है या किसी अति सुकोमल हाथ ऐर वाली क्षत्रिय, ब्राह्मण या गृहपति की कन्या को आलिङ्गनबद्ध कर बैठना या लेटना अच्छा है?" "भन्ते! महान् अग्निपुज्ज को आलिङ्गनबद्ध करने की अपेक्षा तो यहीं अच्छा होगा कि हम किसी ... गृहपति कन्या को आलिङ्गनबद्ध कर बैठे या लेटे रहें;

उपनिषद्ज्ञ वा" ति। "आरोचयामि वो, भिक्खुवे, पटिवेदयामि वो, भिक्खुवे, यथा एवं देव तस्स वरं दुस्रीलस्स पापधम्मस्स असुचिसङ्क्लस्सरसमाचारस्स पटिच्छत्रकम्मन्तस्स अस्समणस्स समणपटिबद्धकामगुणपरिभोगपञ्चयं दुक्खं दस्सेत्वा अवस्सुतस्स कसम्बुजातस्स यं अमुं महत्तं अग्गिक्खन्तं....पे०....उपनिषद्ज्ञ वा। तं किस्से हेतु? ततो निदानं हि सो, भिक्खुवे, मरणं वा निगच्छेय्य मरणमत्तं वा दुक्खं, न त्वेव तप्पच्चया कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपञ्जेय्या" ति (अं० निं० ३-२५१)।

एवं अग्गिक्खन्धुपमाय इत्थपटिबद्धपञ्चकामगुणपरिभोगपञ्चयं दुक्खं दस्सेत्वा एतेव उपायेन—

(क) "तं किं मञ्जथ, भिक्खुवे, कतमं तु खो वरं यं बलवा पुरिसो दब्लाय वाल्लरञ्जुया उभो जङ्गा घेत्वा घंसेय्य, सा छविं छिन्देय्य, छविं छेत्वा चम्मं छिन्देय्य, चम्मं छेत्वा मंसं छिन्देय्य, मंसं छेत्वा न्हारुं छिन्देय्य, न्हारुं छेत्वा अट्टुं छिन्देय्य, अट्टुं छेत्वा अट्टिमिङ्गं आहच्च तिद्देय्य? यं वा खत्तियमहासालानं वा ब्राह्मणमहासालानं वा गहपतिमहासालानं वा अभिवादनं सादियेय्या ति च?

(ख) "तं कि मञ्जथ, भिक्खुवे, कतमं तु खो वरं यं बलवा पुरिसो तिणहाय सत्तिया तेलधोताय पच्चोरस्मि पहेरेय्य? यं वा खत्तियमहासालानं वा ब्राह्मणमहासालानं वा गहपतिमहासालानं वा अञ्जलिकम्मं सादियेय्या ति च?

क्योंकि इस महान् अग्गिपुञ्ज को आलिङ्गनबद्ध कर बैठना तो अत्यन्त पीड़ाकर हो जायगा।" "मिक्षुओ! मैं तुम से कहता हूँ, तुम्हें बताता हूँ कि उस दुशील, पापी, अपवित्र मल की राशि के सदृश, सन्दिग्ध प्रचलन कर्मयुक्त, अश्रमण होते हुए भी अश्रमणभाव का दावा करने वाले, अब्रहाम्बारी होते हुए भी ब्रह्मावारित्व का दावा करने वाले, आभ्यन्तर (मानसिक) अपवित्रता से पूर्ण, मिथ्याश्रुत (अवश्रुत) अर्थात् गुणमुख से सुने हुए को उलट देने वाले, कूड़े की राशि के सदृश व्यक्ति के लिये तो यही अधिक अच्छा होगा कि वह ऐसा जीवन जीने की अपेक्षा उस अग्गिपुञ्ज को आलिङ्गनबद्ध कर बैठे या लेट जाय। वह क्यो? वह इसलिये मिक्षुओ! कि वह अग्गिपुञ्ज को आलिङ्गनबद्ध करने के कारण मर सकता है या मरणतुल्य कषण पा सकता है; परन्तु इस कारण मरने के बाद उसका पतन, उसकी दर्गति या उसका किन्तु नरकयोनियों में जन्म तो नहीं होगा!"

इस प्रकार, इस अग्गिपुञ्ज की उपमा द्वारा स्त्रियों से सम्पृक्त पाँच कामगुणों के परिभोग से होने वाले दुःख का वर्णन कर भगवान् ने इससे आगे उसी उपाय (पद्धति) से सात दृष्टान्तों से सापेक्ष दुःखों का और भी विस्तृत वर्णन किया है—

(क) "तो क्या मानते हो, मिक्षुओ! कौन सी बात तुम्हें अच्छी लगती है कि (१) कोई बलवान् पुरुष सुदृढ, धोड़े की पूँछ के बालों से बनी रस्सी से किसी के दोनों पैरों की दोनों जांघों को बँधवा कर हत्ता रगड़े कि वह रस्सी उसकी जांघों की ऊपरी त्वचा को काट दे, उसे काट कर भीतरी त्वचा को भी काट कर मॉस को भी काट डाले, मांस को काट कर खाय़ओ (मेटी नसों) को भी काट डाले, यो वह ज्ञायुओं को काट कर क्रमशः अस्तिय को काटती हुई मज्जा पर जाकर रुके, या (२) यह अच्छा लगता है—कोई क्षत्रिय महासार (जिसके कोष में सौ करोड़ की राम्पति हो—(द३० अभिं० प्य० ३३७-३९), ब्राह्मण महासार या गृहपति महासार तुम्हें अभिवादन करे?"

(ख) "तो क्या मानते हो, मिक्षुओ! (१) क्या यह अच्छा है कि—कोई बलवान् पुरुष तैल से

(ग) “तं किं मञ्जथ, भिक्खुवे, कतमं नु खो वरं यं बलवा पुरिसो तत्तेन अयोपद्देन आदित्तेन सम्पज्जलितेन सजोतिभूतेन कायं सम्पलिवेठेच्य, यं वा खत्तियमहासालानं वा ब्राह्मणमहासालानं वा गहपतिमहासालानं वा सद्गादेय्यं चीवरं परिभुजेय्या ति च ?

(घ) “तं किं मञ्जथ, भिक्खुवे, कतमं नु खो वरं यं बलवा पुरिसो तत्तेन अयोसङ्कुना आदित्तेन सम्पज्जलितेन सजोतिभूतेन मुखं विवरित्वा तत्तं लोहगुरुं आदित्तं सम्पज्जलितं सजोतिभूतं मुखे पक्षिखपेच्य, तं तस्स ओढुं पि डहेच्य, मुखं पि, जिर्वं पि, कण्ठं पि, उदरं पि डहेच्य, अन्तं पि, अन्तगुणं पि आदाय अधोभागं निक्खमेच्य, यं वा खत्तिय... ब्राह्मण... गहपतिमहासालानं वा सद्गादेय्यं पिण्डपातं परिभुजेय्या ति च ?

(ङ) “तं किं मञ्जथ, भिक्खुवे, कतमं नु खो वरं यं बलवा पुरिसो सीसे वा गहेत्वा खन्थे वा गहेत्वा तत्तं अयोमश्चं वा अयोपीठं वा आदित्तं सम्पज्जलितं सजोतिभूतं अभिनिसीदापेच्य वा अभिनिपज्जापेच्य वा, यं वा खत्तिय... ब्राह्मण... गहपतिमहासालानं वा सद्गादेय्यं मञ्जपीठं परिभुजेय्या ति च ?

(च) “तं किं मञ्जथ, भिक्खुवे, कतमं नु खो वरं यं बलवा पुरिसो उद्धपदं अधोसिरं गहेत्वा तत्ताय अयोकुम्भया पक्षिखपेच्य आदित्ताय सम्पज्जलिताय सजोतिभूताय, सो तथं फेणुद्देहकं पच्चमानो सकिं पि उद्धं गच्छेच्य, सकिं पि अधो गच्छेच्य, सकिं पि तिरियं गच्छेच्य, यं वा खत्तिय.... ब्राह्मण.... गहपतिमहासालानं वा सद्गादेय्यं विहारं परिभुजेय्या ?” (अं० नि० ३-२५२) ति च ।

भींगी तीखी छुरी से ठीक छाती पर प्रहार करे या (२) यह अच्छा है कि किसी क्षत्रिय, ब्राह्मण या गृहपति महासार के द्वारा हाथ जोड़कर किये गये प्रणाम को स्वीकार करे ?”

(ग) “तो क्या मानते हो, मिश्नुओ! कि (१) क्या यह अच्छा है कि किसी बलवान् पुरुष के द्वारा जलते लपलपाते चमकते लोहे के पत्र द्वारा शरीर को परिवेष्टित करवाया जाय (२) या यह अच्छा है कि किसी क्षत्रिय ब्राह्मण या गृहपति महासार द्वारा प्रदत्त चीवर से वह शरीर ढका जाय ?”

(घ) तो क्या मानते हो, मिश्नुओ! कि (१) क्या यह अच्छा है—कोई बलवान् पुरुष तपती, जलती, लपलपाती, चमकती लोहे की सँडसी से मुँह खोल कर उसमे तपता, जलता, लपलपाता, चमकता लोहे का गोला डाले तब वह उसका ओढ़ भी, मुख भी, कण्ठ भी, उदर भी जलाये और वह बड़ी आंतो व छोटी आंतो को लेकर नीचे से निकले, या (२) यह अच्छा है कि किसी क्षत्रिय, ब्राह्मण या गृहपति महासार द्वारा श्रद्धाप्रदत्त पिण्डपात का परिभोग किया जाय ?”

(ङ) तो क्या मानते हो, मिश्नुओ! इनमें कौन सी बात तुम्हे अच्छी लगती है—(१) क्या कोई बलवान् पुरुष शिर या कन्धा पकड़ कर तपते लपलपाते जलते लोहे की चारपाई या चौकी पर बैठाये, लिटाये? या (२) किसी क्षत्रिय ब्राह्मण या गृहपति महासार द्वारा श्रद्धापूर्वक प्रदत्त चारपाई या चौकी (मञ्जपीठ) का उपभोग करे ?”

(च) “तो क्या मानते हो, मिश्नुओ! तुम्हें क्या अच्छा लगता है कि (१) कोई बलवान् पुरुष किसी को ऊपर पैर और नीचा सिर (यो उलटा लटका) कर तपती जलती, लपलपाती लौह-कुम्ही (लंगडे के बड़े कटाह) में डाल दे और वह वहाँ झाग छोड़कर पकते हुए कभी ऊपर, कभी नीचे या कभी तिरछे उलट-पुलट होता रहे? या (२) फिर किसी क्षत्रिय ब्राह्मण या गृहपति महासार द्वारा निर्मापित विहार का (स्वसाधनाहेतु) उपभोग करे ?”

५०. इमाहि वालरज्जु-तिणहसति-अयोपट्टु-अयोगुळ-अयोमङ्ग-अयोपीठ-
अयोकुम्भीउपमाहि अभिवादनअञ्जलिकम्मचीवरणिष्टपातमञ्चपीठविहारपरिभोगपच्चयं दुक्खं
दस्सेसि ।

तस्मा—

अगिगकम्बाच्छालिङ्गन- दुक्खादिकदुक्खकदुक्फलं ।
अविजहतो कामसुखं सुखं कुतो भिन्नसीलस्स ॥ १ ॥
अभिवादनसादने किं नाम सुखं विपन्नसीलस्स !
दल्लहवाल्लरज्जुधंसन- दुक्खाधिकदुक्खभगिस्स ॥ २ ॥
सद्गानं अञ्जलिकम्मसादने किं सुखं असीलस्स !
सत्तिप्पहारदुक्खाधिमत्तदुक्खस्स यं हेतु ॥ ३ ॥
चीवरपरिभोगसुखं किं नाम असंयतस्स येन चिरं !
अनुभवितब्बो निरये जलितअयोपट्टुसम्फस्सो ॥ ४ ॥
मधुरो पि पिण्डपातो हलाहलविसूपमो असीलस्स ।
आदित्ता गिलितब्बा अयोगुळा येन चिररतं ॥ ५ ॥
सुखसम्मते पि दुक्खो असीलिनो मञ्चपीठपरिभोगो ।
यं बाधिस्सन्ति चिरं जलितअयोमङ्ग-पीठानि ॥ ६ ॥

५०. यों, भगवान् ने इन १ बालों की रस्ती, २. तीक्ष्ण छुरी (शक्ति), ३. तपते चपटे लोहे का पत्र, ४. तपते लोहे का गोला, ५. अग्नि से तपती लोहे की चारपाई या तख्ता, ६. तपते लोहे का कटाह— इन छह उपमाओं से अभिवादन, करबद्ध प्रणाम, चौवर, पिण्डपात, शयनासन (चौकी, चारपाई), विहार के परिमोग की अपेक्षा द्वारा दुखों का विशद वर्णन किया है।

इसलिये—

जो अश्रिपुअ के आलिङ्गन से समुद्रत दुख से भी अपेक्षाकृत अधिक कष्टदायक एवं कटु फल देने वाले काम-सुख को नहीं त्यागता, ऐसे खण्डितशील पुद्गल को सुख कहाँ! ॥ १ ॥

सुदृढ रस्सी के बन्धन-घर्षण से जन्य दुख से भी अधिक दुख भोगने वाले विपन्नशील (विनष्ट शील वाले) व्यक्ति को क्षत्रिय द्वाहाणादि द्वारा कृत अभिवादन में क्या सुख मिल सकता है! ॥ २ ॥

श्रद्धालुओं का साअलि प्रणाम स्थीकार करने में खण्डितशील व्यक्ति को क्या सुख मिलेगा, जब कि उसका खण्डित शील ही उस शक्तिप्रहार से होने वाले दुख से भी अधिक दुख का उत्पादक है! ॥ ३ ॥

उस शीलरहित असंयमी के लिये चीवरपरिभोग का क्या सुख मिलेगा जब कि उसे, उस असंयम के कारण नरक में जाकर, जलते लौहपत्र का स्पर्श सहन करना पड़ता है! ॥ ४ ॥

उस शीलरहित के लिये मधुर मिकान्न भी हलाहल विष के समान है, जिसके (शीलराहित्य के) कारण उसे दीर्घकाल तक जलता हुआ अयोगोलक (लोहे का गोला) मुख मे रखना पड़ता है! ॥ ५ ॥

अत्यधिक सुखपरिभोग की उपस्थिति भी उस अशीलवान् के लिये दुखेन लभ्य ही कही जानी चाहिये, क्योंकि उसे तो अपने किये पापों का फल भोगने के लिये लोहे की बनी चारपाई का उपभोग करना है! ॥ ६ ॥

दुस्सीलस्स विहारे सद्गदेव्यमिति !
जालतेसु निवसितब्बं येन अयोकुभिमज्जेसु ॥ ७ ॥
सङ्क्षस्मरसमाचारो कसम्बुजातो अवस्थुतो पापो ।
अन्तोपूती ति च यं निन्दन्तो आह लोकग्रह ॥ ८ ॥
थी जीवितं असञ्जतस्स तस्स समणज्ञवेसधारिस्स ।
अस्समणस्स उपहतं खतमत्तानं वहन्तस्स ॥ ९ ॥
गूढं चिय कुणपं विय भण्डनकामा विवज्जयन्तीध ।
यं नाम सीलवन्तो सन्तो किं जीवितं तस्स ॥ १० ॥
सब्बभयेहि अमुतो मुतो सब्बेहि अधिगमसुखेहि ।
सुषिहितसगद्वारो अपायमण्णं समारूळ्हो ॥ ११ ॥
करुणाय वत्थुभूतो कारुणिकजनस्स नाम को अञ्जो ।
दुस्सीलसमो दुस्सीलताय इति बहुविधा दोसा ति ॥ १२ ॥

एवमादिना पचवेक्खणेन सीलविपतियं आदीनवदस्सनं, ब्रुत्प्यकारविपरीततो
सीलसम्पत्तिया आनिसंसदस्सनं च वेदितब्बं ॥

५१. अपि च—

तस्स पासादिकं होति पत्तचीवरथारणं ।
पब्बज्ञा सफला तस्स यस्स सीलं सुनिम्पलं ॥ १ ॥

दुशील की श्रद्धा से बनवाये विहारों में भी क्या आसक्ति हो पायी जब कि उसे स्वकृत पापों
के फलस्वरूप लोहे के बने कड़ाहों की ही तीव्र तपन सही है! ॥ ७ ॥

जिस (दुशील) की निन्दा में लोकगुरु भगवान् ने स्वक्षीमुख से स्वदं कहा है कि वह पापी
तो (जनमानस में) सन्दिव्य जीवन बिताने वाला, कूड़े-कर्कट के समान (त्याज्य), श्रुत के विरुद्ध
आचरणकर्ता एवं हृदय से अशुचि (कलुषित) अतएव लोकनिन्दित ही माना जाना चाहिये ॥ ८ ॥

उसके जीवन को विकार है, क्योंकि असयमी होने से वह अमण-वेषधारी होकर भी अमण
भाव से दूर है। वह (अपने दुर्घटमां से) अपने ही जीवन की जड़ खोद रहा है! ॥ ९ ॥

जिसको समाज में अपना यश चाहने वाले भीलवान् जन गूढ (मल) व सडे मुर्दे की तरह
अपने पास भी नहीं फटकने देते, उसे दूर से ही भगा देते हैं, ऐसे दुशील के जीवन से क्या लाभ!”
॥ १० ॥

(दुशील तो) सर्व प्रकार के भय से धिरा हुआ (अमुक्त) तथा सभी मार्ग-फल—प्राप्ति-सुखों
से दूर है, वशित है और जिसके लिये स्वर्ग का द्वार सदा के लिये बन्द हो चुका है तथा वह अपाय
(नरक—) मार्ग पर जाने के लिये अपने कदम बढ़ा चुका है ॥ ११ ॥

(मला बताइये) करुणावानों की करुणा का पात्र ऐसे दुशीलों के अतिरिक्त किसे कहा जा
सकता है जिसमें दुशीलता के कारण अनेक प्रकार के दोष घर कर गये हैं! ॥ १२ ॥

इस प्रकार प्रत्यवेक्षण से, शील के क्षय में दोष-दर्शन एवं इसके विपरीत शीलसम्पत्ति के
माहात्म्यदर्शन को समझना चाहिये ।

५१. (शील-सम्पत्ति के माहात्म्य में) और भी कहा गया है—

जिस भिक्षु का शील स्वच्छ (प्रासादिक—सभी जनों को प्रसन्न करने वाला) है उसका पात्र-
चीवर धारण करना एवं प्रवृज्या (भिक्षुभाव) ग्रहण करना सफल है ॥ १ ॥

अत्तानुवादादिभयं सुद्धसीलस्स भिक्खुनो ।
 अन्थकारं विय रवि हदयं नावगाहति ॥ २ ॥
 सीलसम्पत्तिया भिक्खु सोभमानो तपोवने ।
 पभासम्पत्तिया चन्दो गगने विय सोभति ॥ ३ ॥
 कायगन्धो पि पामोज्जं सीलवन्तस्स भिक्खुनो ।
 करोति अपि देवान् सीलगन्धे कथा व का ॥ ४ ॥
 सञ्जेसं गन्धजातानं सम्पत्तिं अभिभुव्यति ।
 अविघाती दिसा सब्बा सीलगन्धो पवायति ॥ ५ ॥
 अप्पका पि कता कारा सीलवन्ते महफला ।
 होन्ती ति सीलवा होति पूजासकारभाजनं ॥ ६ ॥
 सीलवन्ते न बाधन्ति आसवा दिट्ठधिम्मिका ।
 सम्परायिकदुखानं मूलं खणति सीलवा ॥ ७ ॥
 या मनुस्सेसु सम्पत्ति या च देवेसु सम्पदा ।
 न सा सम्पत्रसीलस्स इच्छतो होति दुष्प्रभा ॥ ८ ॥
 अच्चन्तसन्ता पन या अयं निष्कानसम्पदा ।
 मनो सम्पत्रसीलस्स तमेव अनुधावति ॥ ९ ॥
 सब्बासम्पत्तिमूलमिह सीलमिह इति पण्डितो ।
 अनेकाकारव्योकारं अनिसंसं विभावये ति ॥ १० ॥

शुद्धशील भिक्षु के मन में स्वनिन्दा आदि का भय वैसे ही नहीं रहता जैसे भूर्य के प्रकाश में अन्धकार ॥ २ ॥

स्व-शीलसम्पत्ति के कारण भिक्षु तपोवन में वैसे ही शोभित होता है, जैसे आकाश में अपनी आः-सम्पत्ति से चन्द्रमा शोभित होता है ॥ ३ ॥

शीलवान् भिक्षु के शरीर की सुगन्ध ही देवताओं को आङ्गादित कर देती है, फिर उसके हील की गन्ध का तो कहना ही कथा ॥ ४ ॥

इस शील की गन्ध जटी प्रकार की गन्धों को अभिभूत करती (दशाती) तुई सभी दिशाओं में अवाघ रूप से प्रवाहित होती रहती है ॥ ५ ॥

‘शीलवान्’ के प्रति किया गया अल्पात्र भी उपकार महान् फलदारी होता है—ऐसा जानकर लज्जनों द्वारा वह पूजा और सम्मान का पात्र बन जाता है ॥ ६ ॥

शीलवान् को लौकिक आत्मव (चित्तविकार) पीड़ित नहीं करते। और वह स्वधर्मसाधना से परलौकिक दुखों को तो समूल ही नह कर डालता है ॥ ७ ॥

मनुष्यों या देवताओं के अधीन जो भी सम्पत्ति है वह शीलवान् को, इच्छा करने पर, कुछ भी दुर्लभ नहीं होती ॥ ८ ॥

इतने पर भी, शीलसम्पत्र भिक्षु का मन तो अत्यन्त शान्त निर्वाण पद की ओर ही दौड़ता है ॥ ९ ॥

यों, सर्वसम्पत्तिमूलक इस शील के विषय में पण्डित (बुद्धिमान) जनों को इसके अनेकविध महात्म्य या गुण के विषय में सम्यक्तया ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये ॥ १० ॥

एवं हि विभावयतो सीलविपत्तितो उब्बजित्त्वा सीलसम्पत्तिनिः मानसं होति । तस्मा यथाकुतं इमं सीलविपत्तिया आदीनवं इमं च सीलसम्पत्तिया आनिसंसं दिस्वा सञ्चादरेत् सीलं बोदयेत्वं ति ॥

५२. एतावता च 'सीले पतिष्ठाय नरो सपञ्जो' ति इमिस्सा गाथाय सीलसमाधि-पञ्जामुखेन देसिते विसुद्धिमण्डे सीलं ताव परिदीपितं होति ।

इति साधुजनपायोज्जत्त्वाय कर्ते विसुद्धिमण्डे
सीलनिहेसो नाम यठमो परिच्छेदो ॥



इस प्रकार चिन्तन—भनन (विभावना=) करने वालों का भन शीलविपत्ति की ओर से उदासीन होकर शीलसम्पत्ति की प्राप्ति की तरफ झुका रहता है । अतः यथाकथित शीलविपत्ति के दोष तथा इस शीलसम्पत्ति का माहात्म्य देखकर सर्वथा आदर के साथ स्वकीय शील को परिशुद्ध करना चाहिये ॥

५२. यहाँ तक 'सीले पतिष्ठाय नरो सपञ्जो' इस गाथा के सहारे, शील समाधि एवं प्रज्ञा के भेद से उपदेष्ट इस विशुद्धिमार्ग ग्रन्थ में शील का विवरण साङ्गोषाङ्क (परिदीपित) हुआ ।

साधुजनों के प्रयोदहेतु उचित इस विशुद्धिमार्ग (ग्रन्थ) में
शीलनिर्देश नामक प्रथम परिच्छेद समाप्त ॥



२. ध्रुतज्ञनिदेसो (द्रुतियो परिच्छेदो)

१. इदानि येहि अप्पिच्छतासन्तुष्टितादीहि गुणेहि बुतप्पकारस्स सीलस्स वोदानं होति, ते गुणे सम्पादेतुं यस्मा समादित्रसीलेन योगिना ध्रुतज्ञसमादानं कातब्जः । एवं हिस्स अप्पिच्छतासन्तुष्टितासलेखपविवेकापच्यविरियारभ्यभरतादिगुणसलिलविक्खालितमलं सीलं चेव सुपरिसुद्धं भविस्सति, वतानि च सम्पज्जिस्सति । इति अनवज्जसीलब्जतगुण-परिसुद्धसल्लभसमाचारो पोराणे अरियवंसतये पतिष्ठाय चतुर्थस्स भावनारामतासङ्गातस्स अरियवंसस्स अधिगमारहो भविस्सति, तस्मा ध्रुतज्ञकथं आरभिस्साम ।

तेरस ध्रुतज्ञानि

२. भगवता हि परिच्छलोकामिसानं काये च जीविते च अनपेक्खानं अनुलोमपटिपदं येव आरथेतुकामानं कुलपुत्रानं तेरस ध्रुतज्ञनि अनुज्ञातानि । सेव्य थीदं—१. पंसुकूलिकज्ञं, २. तेचीवरिकज्ञं, ३. पिण्डपातिकज्ञं, ४. सपदानचारिकज्ञं, ५. एकासनिकज्ञं, ६. पत्तपिण्डिकज्ञं, ७. खलुपच्छाभित्तिकज्ञं, ८. आरञ्जिकज्ञं, ९. रुक्खमूलिकज्ञं, १०. अम्बोकासिकज्ञं, ११. सोसानिकज्ञं, १२. यथास्थितिकज्ञं, १३. नेसज्जिकज्ञं ति ।

तेसं अत्थादितो विनिच्छयो

तथ—

अत्थतो लक्खणादीहि समादानविधानतो ।

ध्रुताज्ञनिर्देश (द्वितीय परिच्छेद)

ध्रुताज्ञकथा—प्रयोजन

१. अब मैं ध्रुताज्ञ—कथा का आरभ करूँगा, क्योंकि जिन अल्पेच्छुता, सन्तोष आदि गुणों द्वारा प्रथम शीलनिर्देश मेरे उत्तर प्रकार के शील की विशुद्धि (=व्यवदान) होती है, उन गुणों की प्राप्ति के लिये शील का पालन करने वाले योगावचर को इन ध्रुताज्ञों का धारण करना अत्यावश्यक है । यों, इस योगावचर के अल्पेच्छुता, सन्तोष, विवेक, क्लेशक्षय, कुशल के लिये उद्योग एवं अल्प आवश्यकताओं (=सुभरता) वाला होना आदि गुणरूपी जल से प्रक्षालित शील भी परिशुद्ध होगा एवं व्रत मी पूर्ण होगा । इस तरह जब उस योगी का आचरण, अभिनन्दनीय शीलद्रवतरूपी गुणों द्वारा शुद्ध हो जायगा, तब वह प्राचीन योगियों द्वारा परिपालित आर्थवशत्रय (१. चीवर, २. पिण्डपात एवं ३. रायनासन से सन्तोष) में परिषित होकर चतुर्थ 'मावनारामत' नामक आर्थवश की प्राप्ति के योग्य होगा । अतः योगावचर भिक्षु को इन सब ध्रुताज्ञों का ज्ञान कराने के लिये यहाँ ध्रुताज्ञवर्णन आवश्यक है ।

तेरह ध्रुताज्ञों का नाम

२. मगवान् ने लाभ-सत्कार आदि लौकिक भोग (लोक—आस्ति) के त्यागी, शरीर और जीवन के प्रति निरपेक्ष (बेपरवाह) एवं अनुलोम प्रतिपदा (=विपश्यना) को ही पूर्ण करने के इच्छुक कुलपुत्रों के हितार्थ तेरह (१३) ध्रुताज्ञों का विधान किया है । वे तेरह ध्रुताज्ञ ये हैं—

१. पांशुकूलिकाज्ञं, २. त्रैचीवरिकाज्ञं, ३. पिण्डपातिकाज्ञं, ४. सापदानचारिकाज्ञं, ५. एकासनिकाज्ञं, ६. पात्रपिण्डिकाज्ञं, ७. खलुपच्छाद्वत्किकाज्ञं, ८. आरण्यिकाज्ञं, ९. वृक्षमूलिकाज्ञं, १०. आध्यवकाशिकाज्ञं, ११. इमाशानिकाज्ञं, १२. याथास्थितिकाज्ञं एवं १३. नैषदिकाज्ञं ।

पभेदतो भेदतो च तस्स तस्सानिसंसंसतो ॥ १ ॥

कुसलतिकतो चेव धुतादीनं विभागतो ।

समासब्बासतो चापि विज्ञातब्बो विनिच्छयो ॥ २ ॥

३. तथ्य अत्थतो ति ताव—पथिक-सुसान-संकारकूटादीनं यत्थ कत्थचि पंसूनं उपरि ठितता अञ्जुगतद्वेन तेसु तेसु पंसुकूलमिथा ति पंसुकूलं । अथ वा पंसु विय कुच्छितभावं उलती ति पंसुकूलं, कुच्छितभावं गच्छती ति युतं होति । एवं लद्धनिष्वचनस्स पंसुकूलस्स धारणं पंसुकूलं, तं सीलमस्सा ति पंसुकूलिको । पंसुकूलिकस्स अङ्गं पंसुकूलिकङ्गं । अङ्गं ति कारणं युच्चति । तस्मा येन समादानेन सो पंसुकूलिको होति, तस्सेतं अधिवचनं ते वेदितव्यं । (१)

एतेनेव नयेन सङ्खाटि-उत्तरासङ्ग-अन्तरवासकसङ्खातं तिच्चीवरं सीलमस्सा ति तेच्चीवरिको । तेच्चीवरिकस्स अङ्गं तेच्चीवरिकङ्गं । (२)

भिक्खासङ्खातानं पन आमिसपिण्डानं पातो ति पिण्डपातो, परेहि दिनानं पिण्डानं पते निपतनं ति युतं होति । तं पिण्डपातं उच्छति तं तं कुलं उपसङ्खमन्तो गवेसती ति पिण्डपातिको । पिण्डाय वा पतितुं वतमेतस्सा ति पिण्डपाती । पतितुं ति चरितुं । पिण्डपाती एव पिण्डपातिको । पिण्डपातिकस्स अङ्गं पिण्डपातिकङ्गं । (३)

दानं युच्चति अवखण्डनं, अपेतं दानतो ति अपदानं, अनवखण्डनं ति अत्थो । सह

धुताङ्गों का अर्थ आदि से विनिष्ठय

इन धुताङ्गों का—१. अर्थ, २. लक्षण आदि, ३. ग्रहण (सम्पादन) करने के विधान, ४. उनके प्रभेद, ५. भेद (=भक्त), उस उसके माहात्म्यबोधन, ६. कुशलत्रिक के भाघ्यम, ७. धुत-आदि के विभाग एवं ८. संक्षेप या विस्तार से भी विनिष्ठय (=निर्णय) जानना चाहिये ।

३. उनमें, अर्थ से विनिष्ठय इस प्रकार है—(क) पथ, इमशान, कूड़े के ढेर, जहाँ-कहीं धूल में पढ़ा हुआ, उनके बीच धूल (=पाशु) के किनारे (=कूल) के समान, ऊपर उठा उठा सा—इन अर्थों में ‘पांशुकूल’ है । अथवा (ख) पाशु के समान कुत्सित भाव को प्राप्त, या कुत्सित भाव की ओर जाता है—इसलिये भी ‘पांशुकूल’ है । ऐसे निर्वचन (=अभिप्राय) वाले पांशुकूल को धारण करना ही ‘पांशुकूल’ कहलाता है । वह (पांशुकूल) इस भिक्षु का शील है, अतः वह भिक्षु ‘पांशुकूलिक’ कहलाता है । इस पांशुकूल को धारण करने से वह ‘पांशुकूलिक’ बनता है उसी में यह शब्द अभिप्रेत है—ऐसा जानना चाहिये । (१)

इस प्रकार १. सङ्खाटी, २. उत्तरासङ्ग एवं ३. अन्तर्वासक नाभक तीन चीवर धारण करने का भी एक शील होता है, इस शील को धारण करने वाला भिक्षु त्रैचीवरिक कहलाता है । इस त्रैचीवरिक का अङ्ग (कारण) हुआ— त्रैचीवरिकाङ्ग (तेच्चीवरिकङ्ग) । (२)

(क) ‘भिक्षा’ नामक अङ्ग के पिण्डों का गिरना (=पात) ‘पिण्डपात’ अर्थात् दूसरों के दिये हुए अप्रपिण्डों का पात्र में गिरना कहलाता है । जो भिक्षु उस पिण्डपात को यहाँ-वहाँ से, इघर-उघर से एकत्र करता है, इस-उस परिवार में जाफर उसे खोजता है अतः वह ‘पिण्डपातिक’ है । (ख) अथवा—पिण्ड के लिये पतन करना जिसका व्रत है वह ‘पिण्डपातिक’ है । यहाँ ‘पतन’ का अर्थ है—चरना (=विचरण करना) । ऐसा पिण्डपात करने वाला ही ‘पिण्डपातिक’ कहलाता है । इस पिण्डपातिक का अङ्ग कहलाया—पिण्डपातिकाङ्ग (पिण्डपातिकङ्ग) । (३)

अपदानेन सपदानं, अवखण्डनरहितं, अनुष्ठानं ति वुतं होति । सपदानं चरितुं इदमस्स सीलं ति सपदानचारी, सपदानचारी एव सपदानचारिको । तस्स अङ्गं सपदानचारिकङ्गं । (४)

एकासने भोजनं एकासनं, तं सीलमस्सा ति एकासनिको । तस्स अङ्गं एकासनिकङ्गं । (५)

दुतियभाजनस्स पठिक्षिखत्ता केवलं एकस्मि येव पत्ते पिण्डो पत्तपिण्डो । इदानि पत्तपिण्डगहणे पत्तपिण्डसञ्जं कत्वा पत्तपिण्डो सीलमस्सा ति पत्तपिण्डको । तस्स अङ्गं पत्तपिण्डकङ्गं । (६)

'खलू' ति पटिसेधनत्थे निपातो । पवारितेन सता पच्छा लङ्घं भतं पच्छाभत्तं नाम, तस्स पच्छाभत्तस्स भोजनं पच्छाभत्तभोजनं, तस्मि पच्छाभत्तभोजने पच्छाभत्तसञ्जं कत्वा पच्छाभत्तं सीलमस्सा ति पच्छाभत्तिको । न पच्छाभत्तिको खलुपच्छाभत्तिको । समादानवस्तेन पठिक्षिखत्तातिरित्तभोजनस्सेतं नामं ।

अद्वकथायं पन वुतं—'खलू' ति एको सकुणो, सो मुखेन फलं गहेत्वा तस्मि प-तिते पुन अङ्गं न खादति, तदिसो अयं ति खलुपच्छाभत्तिको । तस्स अङ्गं खलुपच्छाभत्तिकङ्गं । (७)

अरज्जे निवासो सीलमस्सा ति आरज्जिको । तस्स अङ्गं आरज्जिकङ्गं । (८)

'दान' का अर्थ है—अपने से पृथक् करना (अवखण्डन), या काटना । दान से रहित होना=अपदान, अर्थात् अनवखण्डन (=अन्तर-रहितता) । अपदानसहित हुआ—सापदान; अर्थात् अवखण्डनरहित । यों (मिक्षाहेतु) प्रत्येक धर यापदान विचरण करना जिस मिक्षा का शील हो वह यापदानचारिक कहलाता है और उसका अङ्ग कहलाया— सापदानचारिकङ्ग (सपदानचारिकङ्ग) । (९)

एक आसन पर रहते हुए भोजन कर्म को 'एकासन' कहते हैं । वह एक आसन का भोजन जिस मिक्षा का शील है, वह मिक्षु ऐकासनिक (एकासनिक) कहलाता है । उसका अङ्ग हुआ ऐकासनिकङ्ग (एकासनिकङ्ग) । (५)

द्वितीय पात्र के परित्याग से, केवल एक ही पात्र में पड़ा हुआ पिण्ड (ग्रास-दो ग्रास भोजन) 'पात्रपिण्ड' कहलाता है । अब पात्रपिण्ड-ग्रहण को पात्रपिण्ड नाम देकर, पात्रपिण्ड है शील जिसका यह हुआ पात्रपिण्डिक । उसका अङ्ग (द्रव) पात्रपिण्डकाङ्ग (पत्तपिण्डकङ्ग) कहा जाता है । (६)

'खलू' इस निपात पद का अर्थ है—प्रतिवेद (भोजनकर्ता द्वारा) निषेध कर देने के बाद मिले शत-भत्त (अर्थात् भोज्य पदार्थ) को 'पच्छाभत्त' कहते हैं । उस पच्छाभत्त के भोजन को 'पच्छाभत्त' नाम देकर, क्योंकि पच्छाभत्त उस मिक्षा का शील है, इसलिये वह मिक्षु 'पच्छाभत्तिक' कहलाया । एक शर भोजन-ग्रहण के पश्चात् अतिरित्त (दुबारा) भोजन को अस्तीकार कर देने वाले साधक का यह (पच्छाभत्तिक शब्द) पर्याय है ।

किन्तु अद्वकथा में लिखा है—'खलू' एक पक्षी का नाम है । वह मुख में फल लेकर, उसके पीर जाने के बाद, पुनः दूसरा (फल) नहीं खाता, उसी के समान यह पच्छाभत्तिक मिक्षु है । उसके अङ्ग ही खलुपच्छाभत्तिकङ्ग (खलुपच्छाभत्तिकाङ्ग) कहलाते हैं ॥ (७)

अरण्य (जङ्गल) के एकान्त प्रदेश में रहना ही जिसका स्वभाव बन गया हो वह आरण्यक (आरज्जिक) कहलाता है । उसका अङ्ग हुआ—आरज्जिकङ्ग (आरण्यकङ्ग) । (८)

रुक्खमूले निवासो रुक्खमूलं, तं सीलमस्सा ति रुक्खमूलिको । रुक्खमूलिकस्स अङ्गं रुक्खमूलिकङ्गं । (९)

अब्दोकासिक-सोसानिकङ्गेसु पि एसेव नयो । (१०-११)

यदेव सन्थतं यथासन्थतं, 'इदं तु यह पापुणाती' ति एवं पठमं उद्दिष्टेनासनसेत अधिवचनं । तस्मि यथासन्थते विहरितुं सीलमस्सा ति यथासन्थतिको । तस्स अङ्गं यथासन्थतिकङ्गं । (१२)

सयन पटिक्खिपित्वा निसज्जाय विहरितुं सीलमस्सा ति नेसज्जिको । तस्स अङ्गं नेसज्जिकङ्गं । (१३)

४. सब्बानेव पनेतानि तेन तेन समादानेन धुतकिलेसता धुतस्स भिक्खुनो अङ्गानि, किलेसधुननतो वा धुतं ति लद्धवोहारं जाणं अङ्गमेतेसं ति धुतङ्गानि । अथ वा धुतानि च तानि पटिपक्खनिद्धननतो अङ्गानि च पटिपत्तिया ति पि धुतङ्गानि ।

एवं तत्रेत्य अथतो विज्ञातव्यो विनिष्ठयो ॥

५. सब्बानेव पनेतानि समादानचेतनालक्खणानि । बुत्तं पि चेतं—“यो समादियति, सो पुगलो । येन समादियति, चित्तचेतसिका एते धम्मा । या समादानचेतनां, तं धुतङ्गं । यं

वृक्षमूल मे निवास को ही सक्षेप मे (उत्तरपदलोपी समाप्त कर) 'वृक्षमूल' (रुक्खमूल) कहते हैं। वृक्षमूल जिसका शील हो वह 'वृक्षमूलिक' कहलाता है। और उस वृक्षमूलिक का अङ्ग हुआ वृक्षमूलिकङ्ग (रुक्खमूलिकङ्ग) । (९)

आभ्यवकाशिकाङ्ग (अब्दोकासिकङ्ग) एवं इमाशानिकाङ्ग शब्दो के व्याख्यान मे भी यही विधि अपनायी जानी चाहिये । अर्थात् खुले आकाश के नीचे ही (कभी भी किसी वृक्षमूल के नीचे या गुहा व विहार आदि मे) रहने वाले साधक के व्रत को आभ्यवकाशिकाङ्ग कहते हैं । (१०)

इसी तरह इमशान (मुर्दा जलाने के स्थान) मे ही रहने वाले साधक के व्रत को इमाशानिकाङ्ग (सोसानिकङ्ग) कहते हैं । (११)

जो भी पहली बार विछा दिया गया हो या जैसा विछा दिया गया हो, वह हुआ यथाश्रन्थत (यथासन्थत) । 'यह आप के लिये है'— इस प्रकार प्रथम उद्देश्य कर दिये गये यथानासन का यह यथासस्थित शब्द पर्याय है । उस यथासस्थित पर वैठना ही जिसका व्रत हो—वह यथासस्थितिकाङ्ग कहलाता है (यथासन्थितिकङ्ग) । (१२)

शयन का परित्याग कर, बैठे ही बैठे सब कियाएं करना जिसका व्रत हो वह कहलाता है— नैषधिक । उसका व्रत हुआ— नैषधिकङ्ग (नेसज्जिकङ्ग) ॥ (१३)

६ ये सभी (उपर्युक्त) व्रत (क) इनको धारण करने के फलस्वरूप कलेशो को नष्ट (धुत) कर देने वाले परिशुद्ध (धुत) भिक्षु के अङ्ग है—इसलिये, (ख) या कलेशो को नष्ट कर देने के कारण 'धुत' कहा जाने वाला ज्ञान इनका अङ्ग है—इसलिये, (ग) अथवा वे धुत है, क्योंकि वे विपक्ष (कलेशादि प्रतिपक्ष) को धुन डालते हैं, एवं (घ) वे अङ्ग है, क्योंकि वे मार्ग है—इसलिये वे सभी धुताङ्ग कहलाते हैं।

यो, यहाँ उन सभी का अर्थों से विनिष्ठय जानना चाहिये ॥

५ ग्रहण (समादान) करने की चेतना इन सभी का लक्षण है । (अष्टुकक्ष मे) यह कहा भी गया है— “जो ग्रहण करता है वह 'पुद्गल' है । जिससे ग्रहण करता है वे 'वित्तचेतसिक धर्म' हैं । जो ग्रहण की गयी चेतना है वह 'धुताङ्ग' है । जिसे त्यागता है वह 'वस्तु' है” ।

पटिक्खिपति, तं वत्थूः' ति । सब्बानेव च लोलुप्पविद्धुसनरसानि, निलोलुप्पभाव-
यच्चुपद्गानानि, अप्पिच्छतादिअरियधम्मपद्गानानि ।

एवमेत्य लक्खणादीहि वेदितब्बो विनिष्ठयो ॥

समासव्यासतो वर्णना

६. समादानविधानतो ति आदीसु पन पञ्चसु सब्बानेव धुतज्ञनि, धरमाने भगवति
भगवतो व सन्तिके समादातब्बानि । परिनिब्बुते, महासावकस्स सन्तिके । तस्म असति
खीणासवस्स, अनागामिस्स, सकदागामिस्स, सोतप्रनस्स, तिपिटकस्स, द्विपिटकस्स,
एकपिटकस्स, एकसङ्गीतिकस्स, अद्वकथाचरियस्स । तस्म असति धुतज्ञधरस्स, तस्म
पि असति चेतियङ्गणं सम्भजित्वा उकुटिं निसीदित्वा सम्मासम्बुद्धस्स सन्तिके वदन्तेन
विय समादातब्बानि । अपि च सयं पि समादातुं वट्टति एव ।

एत्य च चेतियपञ्चते द्वे भातिकत्थेरानं जेद्वकभातु धुतज्ञाप्यच्छताय वत्थु कथेत्वं ।
अवं ताव साधारणकथा ॥

इदानि एकेकस्स समादान-विधान-प्यभेद-भेदानिसंसे वर्णयिस्साम—

१. पंसुकूलिकङ्गकथा

७. (क) पंसुकूलिकङ्गं ताव “गहपतिदानचीवरं पटिक्खिपामि”, “पंसुकूलिङ्गं
समादियामी” ति इमेसु द्वीसु वचनेसु अञ्जतरेन समादित्रं होति । इदं तावेत्य समादानं ।

इन सभी का रस—लोलुपता (लोभ, वासना) का नाश है ।

प्रत्युपस्थ्यन— लोलुपता से रहित होना है ।

पदस्थान— अल्पेच्छता आदि आर्य (श्रेष्ठ धर्म) इनके पदस्थान है ।

यो, यहौं लक्षणादि से विनिष्ठय जानना चाहिये ॥

६. समादानविधानतो— ऊपर गाथा मे कहे ‘ग्रहण करने का विधान’ आदि (१. समादान,
२. विधान, ३. प्रभेद, ४. भेद एवं ५. उस-उस का माहात्म्य) पाँचों मे सभी धुतज्ञ भगवान् के जीवन-
काल मे, साक्षात् भगवान् से ही ग्रहण करने चाहिये । (उनके) परिनिर्वृत हो जाने पर महाश्रवक (भगवान् के प्रभुख शिष्य) से, उनके भी न होने पर, (क्रमशः) क्षीणत्रव, अनागामी, सकृदागामी,
श्वेतआपश्च, त्रिपिटकधर, द्विपिटकधर, एकपिटकधर एकसङ्गीतिक (जिसे पाँच निकायों मे से कोई
एक निकाय कण्ठस्थ हो), अद्वकथाचार्य (जिसे अद्वकथा कण्ठस्थ हो) से ग्रहण करना चाहिये । उनके
न होने पर धुताङ्गधारी से, उसके भी न होने पर किसी चैत्य का आँगन स्वच्छ कर, धूतों के बल
बैठकर, मानो भगवान् तथागत के सामने ही उपरेशन कर रहा हो, ग्रहण करना चाहिये । यो स्वयं भी
ग्रहण किया जा सकता है । यहौं चैत्यपर्वतवासी दो स्थविर-भ्राताओं मे ज्येष्ठ स्थविर भ्राता की
अल्पेच्छता-कथा^१ कहनी चाहिये ।

^१. एक स्थविर नैवायिकव्रतधारी थे, किन्तु यह बात कोई नहीं जानता था । एक दिन वे रात्रि मे शयनहेतु बिछो
बौद्धी पर बैठे हुए थे । तभी बिजली की धमक के सहारे उन्हे देखकर दूसरे मिशु ने पूछा—“क्या, भन्ते! आप
नैवायिक है?” स्थविर ने धुतज्ञ के प्रति अल्पेच्छता के कारण उसी क्षण लैटकर, कुछ समय बाद, पुन धुतज्ञ
धारण किया ।—टैका ।

(इस कथा का तात्पर्य यह है कि धुतज्ञ को, जहाँ तक बने पडे, साधक द्वारा गोपनीय रखना चाहिये ।
इनका पालन करते हुए भी, इनका व्यर्थ जन-प्रचार न होने दे ।—अनु० ।)

(ख) एवं समादिशभुतझेन पन तेन सोसानिकं, पापणिकं, रथियचोळं, सङ्कारचोळं, सोत्थियं, न्हानचोळं, तित्थचोळं, गतपच्चागतं, अगिंगदहूं, गोखायितं, उपचिकाखायितं, उन्दुरखायितं, अन्तच्छित्रं, दसच्छित्रं, घजाहटं, थूपचीवरं, समणचीवरं, आभिसेकिकं, इद्विमयं, पान्थिकं, वाताहटं, देवदत्तियं, सामुद्दियं ति एतेसु, अञ्जतरं चीवरं गहेत्वा फालेत्वा दुब्बलद्वानं पहाय थिरद्वानानि धोवित्वा चीवरं कत्वा पोराणं गहपतिचीवरं अपनेत्वा परिभुज्जितब्बं।

तथ्य सोसानिकं ति सुसाने पतितकं। पापणिकं ति। आपणद्वारे पतितकं। रथियचोळं ति। पुञ्जतिकेहि वातपानन्तरेन रथिकाय छिन्नितं चोळकं। सङ्कारचोळं ति। सङ्कारद्वाने छिन्नितचोळकं। सोत्थियं ति। गङ्गमलं पुञ्जित्वा छिन्नितवत्थं। तिस्सामच्चमाता किर सताघनकेन वथेन गङ्गमलं पुञ्जापेत्वा “पंसुकूलिका गणिहस्सन्ती” ति तालवेळिमगे छड्डापेसि। भिक्षु जिणकद्वानतथमेव गणहन्ति। न्हानचोळं ति। यं भूतवेजेहि ससीसं न्हपिता कालकण्णियचोळं ति छड्डेत्वा गच्छन्ति। तित्थचोळं ति। न्हानतिथे छिन्नितपिलोतिका। गतपच्चागतं ति। यं मनुस्सा सुसाने गत्वा पच्चागता न्हत्वा छड्डेन्ति। अगिंगदहूं ति। अगिंगना दहूप्पदेसं। तं हि मनुस्सा छड्डेन्ति। गोखायितादीनि पाकटानेव। तादिसानि पि हि

यह उपर्युक्त सभी ध्रुताक्रों का संक्षिप्त व्याख्यान (समाप्त—कथा) है। अब आर्ग क्रमशः एक-एक के ग्रहण, विधान, प्रभेद, भेद एवं माहात्म्य का वर्णन करेंगे।

१. पांशुकूलिकाज्ञ

१. समादान—(क) (इन ध्रुताक्रों में प्रथम) पांसुकूलिकाज्ञ इन दो वचनों (प्रतिज्ञाओं) में से किसी एक (वचन) द्वारा ग्रहण किया जाता है—१. ‘गृहपतियो द्वारा किये गये चीवर का परित्याग करता हूं’ या २. ‘पांसुकूलिक व्रत धारण करता हूं’। यह वचन ग्रहण करना समादान है।

(ख) इस तरह जिसने ध्रुताक्र ग्रहण किया है उसे इमाशानिक, आपणिक, रथिकचोल, सङ्कारचोल, स्वस्तिवस्त्र, आनवस्त्र, तीर्थवस्त्र, गतप्रत्यागत, अग्रिदाध, गोखादित, उपचिकाखादित, उन्दुरखादित, अन्तश्छित्र, दशच्छित्र, घजाहट, स्तूपचीवर, श्रमणचीवर, आभिसेकिक, इद्विमय, पान्थिक, वाताहट, देवदत्त, सामुद्दिक—इनमें से किसी भी एक वस्त्र को लेकर (इसका जीर्ण भाग) फोड़कर, पृथक् कर और मजबूत (काम में आने योग्य) भाग को साफ़कर, चीवर बनाकर, पुराने गृहपति द्वारा प्रदत्त चीवर को उतार कर (इस चीवर का) परिभोग करना चाहिये।

(अब आचार्य इन उपर्युक्त शब्दों की पदशः व्याख्या कर रहे हैं—)

वहाँ इमाशानिक का अर्थ है—इमशान में पड़ा हुआ। आपणिक—दूकान के सामने नीचे सड़क पर फेंका हुआ। रथिकचोल—पुण्यार्थियों द्वारा खिड़की के रास्ते (आर्ग) पर फेंका हुआ। सङ्कारचोल—धूरे पर फेंका हुआ। स्वस्तिवस्त्र—(प्रस्तुत के पक्षात) गर्भ—मल को पोछकर फेंका हुआ। तिथ्य अमात्य की माता ने सौ कार्बापण के मूल्य वाले वस्त्र (=मूल्यवान् वस्त्र) से गर्भ—मल को पोछवा कर, “पांशुकूलिक मिशु ग्रहण कर लोगे” (—इस उद्देश्य से) तालवेणि (=महाग्राम=लकड़ा की राजधानी, एवं अनुराधपुर में एक मार्ग का नाम)—मार्ग पर फेंकता दिया। मिशुओं ने (उसे चीवरों के) फटे स्थानों की मरम्मत करने के लिये ले लिया। आनवस्त्र—ओझाओं (=भूत—वैद्यो) के द्वारा आन करवाये गये लोग जिस वस्त्र को “यह अभागा वस्त्र है”— ऐसा सोच छोड़कर चले जाते हैं। तीर्थवस्त्र—(घाट आदि) नहाने के स्थानों पर छोड़ दिये गये जीर्ण वस्त्र। गतप्रत्यागत—जिसे लोग इमशान से वापस आकर आन करने के बाद छोड़ देते हैं। अग्रिदाध—जिसके कुछ भाग अग्नि से जल गये हों, उसे लोग

मनुस्सा छड़ेन्ति । धजाहटं ति । नावं आरोहन्ता धजं बन्धित्वा ठपितं, तं द्विनं पि सेनानं गतकाले गहेतुं वट्टिति । शूपचीवरं ति । विभिकं परिक्षिपत्वा बलिकम्मं कर्तं । समणचीवरं ति । भिक्खुसन्तकं । आभिसेकिकं ति । रज्जो अभिसेकटुने छद्वितचीवरं । इद्विमयं ति । एहिभिक्खुचीवरं । पन्थिकं ति । अन्तरामग्ने पतितकं । यं पन सामिकानं सतिसम्मोसेन पतितं, तं थोकं रक्खित्वा गहेत्वब्बं । वाताहटं ति । वातेन पहरित्वा दूरे पातितं । तं पन सामिके अपस्सनेन गहेतुं वट्टिति । देवदत्तियं ति । यं अनुरुद्धत्येरस्स विय देवताहि दिनकं । सामुद्दियं ति । समुद्वीचीहि थले उस्सारितं ।

८. यं पन 'सङ्घस्स देमा' ति दिनं चोळकभिक्खाय वा चरमानेहि लङ्घं, न तं पंसुकूलं । भिक्खुदत्तिये पि यं वस्सगेन गाहेत्वा वा दीयति, सेनासनचीवरं वा होति, न तं पंसुकूलं । नो गाहापेत्वा दिन्मेव पंसुकूलं । तत्रापि यं दायकेहि भिक्खुस्स पादमूले निक्खितं, तेन पन भिक्खुना पंसुकूलिकस्स हत्थे ठपेत्वा दिनं, तं एकतोसुद्धिकं नाम । यं भिक्खुनो हत्थे ठपेत्वा दिनं, तेन पन पादमूले ठपितं, तं पि एकतोसुद्धिकं । यं भिक्खुनो पि पादमूले ठपितं, तेनापि तथेव दिनं, तं उभतोसुद्धिकं । यं हत्थे ठपेत्वा लङ्घं, हत्थेयेव ठपितं, तं अनुकृष्टचीवरं नाम । इति इमं पंसुकूलभेदं जत्वा पंसुकूलिकेन चीवरं परिभुजित्वब्बं ति इदमेत्य विधानं ।

छोड़ देते हैं । धजाहटत्—नाव पर सधार ढोने वाले धजज (—झंडा) बाँधकर सधार होते हैं, उसे उन्हे अँखों से ओङ्कार हो जाने के बाद ग्रहण रहता है, उसे भी दोनों (पक्षों की) सेनाओं के चले जाने फँ बाद लिया जा सकता है । स्तूपशीवर=चैत्य को धेर कर बलिकर्म (हवन) के पास चढ़ाया हुआ । श्रमण—चीवर =भिक्षु से प्राप्त चीवर । आभिसेकिक=राजा के अभिसेक-स्थल पर छोड़ दिया गया वस्त्र । ऋद्धिमय=‘आओ भिक्षु’—‘चीवर’ । पान्थिक=यात्रियों द्वारा यात्रा के बीच रास्ते में गिराया हुआ । किन्तु जो (उसके) स्वामी की असावधानी से गिर गया हो, उसे कुछ रुक कर लेना चाहिये । (यह सोचकर रुकना चाहिये कि सम्भवतः जिसका वस्त्र हो वह पुनः आकर ले जाय) । वाताहटत्=हवा के द्वारा उड़कर दूर जाकर गिरा हुआ । उसे भी (उसके) स्वामी के न दिखायी देने पर लिया जा सकता है । देवदत्त=जो अनुरुद्ध स्थिवर (को दिये गये) के समान, देवताओं द्वारा दिया गया हो । सामुदिक=समुद्र की लहरों द्वारा किनारे पर लगाया गया । (९)

८. विधान— किन्तु जो 'सङ्घ के लिये दे रहे हैं' इस प्रकार (कहकर) दिया गया है, या जो वस्त्र माँगते हुए चारिका करने से मिला है, वह 'पाशुकूल' नहीं है । भिक्षु द्वारा दिये गये में से भी, जो शर्षावास के अन्त में भिक्षु के द्वारा गृहस्थ से लेकर पाशुकूलिक को दिया जाता है, या जो शयनासन—चीवर (शयनासन—चौकी बनवाकर 'इस शयनासन का परिभोग करने वाले भिक्षु का शयनासन चीवर का भी उपयोग करे'—यह कहकर दिया गया चीवर) है, वह पाशुकूल नहीं है । ग्रहण न करके दिया गया चीवर ही पाशुकूल है । उसमें भी, जो दाता द्वारा भिक्षु के चरणों पर रख दिया गया है और फिर उसे भिक्षु द्वारा पाशुकूलिक के हाथ पर रख दिया गया है, वह एक ओर से शुद्ध है । जो (गृहस्थ द्वारा) भिक्षु के हाथ में रखकर दिया गया हो एव उसके द्वारा पाशुकूलिक के चरणों पर रख दिया गया हो, वह भी एक ओर से शुद्ध है ।

१ कभी—कभी जब भगवान् किसी प्रदर्श्येष्ठु को 'आओ भिक्षु' कहकर प्रवर्ज्या के लिये आमन्त्रित करते थे, तब इस शिष्य के पूर्वकृत पुण्यों के प्रमाव से उसके शरीर पर वस्त्र (—काण्डा या वस्त्र) आ जाते थे । भगवान् के ऋद्धिबल से इसके प्रकट होने के कारण इसे 'ऋद्धिमय' कहा गया है । (द०—विनय०, महावग्ग, ख० १) ।

९. अयं पन पभेदो—तथो पंसुकीलिका, उक्षटो मञ्जिमो मुदू ति । तत्थ सोसानिकं येव गणन्तो उक्षटो होति । ‘पब्बजिता गणिहसन्ती’ ति ठपितकं गणन्तो मञ्जिमो । पादमूले ठपेत्वा दिनकं गणन्तो मुदू ति ।

१०. तेसु यस्स कस्सचि अत्तनो रुचिया गिहिदिनकं सादितक्खणे धुतङ्गं भिज्जति । अयमेत्थं भेदो ।

११. अयं पनानिसंसो—“पंसुकूलचीवरं निस्साय पब्बज्ञा” (विं० ३-१००) ति चक्षनतो निस्सायनुरूपपतिपत्तिसब्बावो, पठमे अरियवंसे पतिट्टानं, आरक्खदुक्खाभावो, अपरायत्तवुत्तिता, चौरभयेन अभयता, परिभोगतण्हाय अभावो, सम्पणसारुप्यपरिक्खारता, “अप्पानि चेव सुलभानि च तानि च अनवज्ञानी” (अं० निं० २-२९) ति भगवता संवर्णिणत-पञ्चयता, पासादिकता, अप्पिच्छतादीनं फलनिष्फति, सम्मापटिपत्तिया अनुब्रूहनं, पच्छमाय जनताय दिट्टानुगतिआपादनं ति ।

मारसेनाविघाताय पंसुकूलधरो यति ।

सन्नद्धकवचो युद्धे खत्तियो विय सोभति ॥

पहाय कासिकादीनि चरवत्थानि धारितं ।

यं लोकगरुना, को तं पंसुकूलं न धारये ॥

जो मिक्षु के चरणों पर भी दिया गया है और उसके द्वारा उसी प्रकार दिया भी गया है वह दोनों ओर से युद्ध है । जो हाथ पर रख कर दिया गया है और फिर हाथ पर ही रखा गया है, वह निष्ठा कोटि का (अनुत्तरैष) चीवर है । इस प्रकार पाशुकूलिक को पाशुकूल चीवर का यह भेद जानकर चीवर का परिभोग करना चाहिये—यही विधान है । (२)

९. प्रभेद—इस पाशुकूलिक के तीन प्रकार (प्रभेद) होते हैं—उत्कृष्ट, मध्यम एव निष्ठा (=मुदु) । उनमे केवल शमाशानिक (वस्त्र) को ही ग्रहण करने वाला उत्कृष्ट होता है । ‘प्रव्रजित (मिक्षु) ले लेगे’—इस प्रकार सोचकर इस रखे गये को ग्रहण करने वाला मध्यम होता है । चरण पर रखकर दिये गये को ग्रहण करने वाला निष्ठा (मुदु) होता है । (३)

१० भेद—गृहस्थ द्वारा दिये गये इनमे से किसी भी चीवर को अपनी रुचि से ग्रहण करने के क्षण मे ही धुताङ्ग खण्डित हो जाता है । यही धुताङ्ग का भेद (=भक्त, नाश) कहलाता है ।

११ माहात्म्य यह है—“पाशुकूल चीवर के आधार पर प्रवज्ञा है” इस देशना-चक्षन के अनुसार पाशुकूल का माहात्म्य इस प्रकार है—नि श्रय (१ भिक्षाटन, २ पाशुकूल चीवर, ३ वृक्षमूल के नीये शशन एव ४ रुणावस्था मे शोभूत्रदिवाध हरै) के अनुरूप प्रतिपत्ति का होना प्रथम आर्यवर्ष मे (चीवर से सन्तोष का) प्रतिष्ठान, (अधिक वस्त्र होने पर उनकी) रक्षा करने के दुख का अभाव, परिभोग-तृष्णा (अधिक होने पर ‘किस को पहनै—इस तृष्णा’) का अभाव, श्रमण के अनुरूप परिष्कार (पहनावा) होना, “वे वस्त्र अल्प हैं किन्तु सुलभ और निर्दोष हैं”—इस प्रकार भगवान् द्वारा प्रशसित होने के कारण प्रसन्नता, अल्पेच्छा (लोभराहित्य) आदि गुणों की पूर्णता, सम्यक् प्रतिपत्ति (ज्ञान) की वृद्धि, आगामी परम्परा (पीढ़ी) के लिये आदर्श होना ।

आचार्य अब तीन गाथाओं के माध्यम से इन्हीं धुताङ्गों का माहात्म्य (आनुशस्य) बता रहे हैं—

मार की सेना के नाश के लिये पाशुकूलधारी यति (मिक्षु) युद्ध मे कवच धारण किये हुए, सन्नद्ध योद्धा के समान शोभित होता है ॥

काशी के बने मूल्यवान् वस्त्र आदि को त्याग कर (स्वय) लोकगुरु (भगवान्-युद्ध) ने जिसे धारण किया, उस पाशुकूल को भला कौन धारण नहीं करेगा ॥

तस्मा हि अतनो भिक्खु पटिब्जं समनुस्सरं ।
योगाचारानुकूलम्हि पंसुकूले रतो सिया ॥ ति ॥

अथ ताव पंसुकूलिङ्गे समादानविधानप्यभेदभेदानिसंस्वरणना ॥

२. तेचीवरिकङ्गकथा

१२. तदनन्तरं पन तेचीवरिकङ्गे “चतुर्थचीवरं पटिकिखपामि”, “तेचीवरिकङ्गं समादियामी” ति इमेसं अञ्जतरवचनेन समादित्रं होति ।

१३. तेन पन तेचीवरिकेन चीवरदुस्सं लभित्वा याव अफासुकभावेन कातुं वा न सकोति, विचारकं वा न लभति, सूचिआदीसु वास्स किञ्चि न सम्पज्जाति, ताव निकिखापितब्जं । निकिखत्पच्या दोसो नतिथि । रजितकालतो पन पट्टाय निकिखापितुं न वटृति, धुतझ्ञचोरो नाम होति । इदमस्स विधानं ।

१४. पभेदतो पन अयं पि तिविधो होति । तथ्य उद्घट्टेन रजनकाले पठमं अन्तरवासकं वा उत्तरासङ्गं वा रजित्वा तं निवासेत्वा इतरं रजितब्जं । तं पारुपित्वा सङ्घाटि रजितब्जा । सङ्घाटि पन निवासेतुं न वटृति । इदमस्स गामन्तसेनासनं वत्तं । आरब्जके पन द्वे एकतो थोवित्वा रजितुं वटृति । यथा पन किञ्चि दिस्वा सकोति कासावं आकङ्गित्वा उपरि कातुं, एवं आसने ठाने निसीदितब्जं । मण्डिग्रामस्स पन रजनसालायं रजनकासावं नाम होति, तं निवासेत्वा वा पारुपित्वा वा रजनकम्मं कातुं वटृति । मुदुकस्स सभागभिक्खुनं चीवरानि निवासेत्वा वा पारुपित्वा वा रजनकम्मं कातुं वटृति । तत्रद्रुकपच्यत्थरणं पि तस्स वटृति, परिहरितुं पन न वटृति । सभागभिक्खुनं चीवरम्पि अन्तरन्तरा परिभुजितुं वटृति ।

इसलिये मिष्ठु अपनी उपसम्पदा के समय ‘हाँ, भन्ते!’ कहकर की गयी प्रतिज्ञा का स्मरण करते हुए योगियों के आचार के अनुकूल पाशुकूल में रत रहे ॥

इस प्रकार यह पाशुकूलिक के विषय में ग्रहण, विधान, प्रभेद, भेद एवं माहात्म्य का वर्णन समाप्त हुआ ॥

२. त्रैचीवरिकाङ्ग

१२ तत्पश्चात् द्वितीय त्रैचीवरिकाङ्ग (नामक धुताङ्ग) ‘चतुर्थ चीवर का परित्याग करता हूँ’ या २ ‘त्रैचीवरिकाङ्ग ग्रहण करता हूँ’— इनमें से किसी एक वचन के द्वारा ग्रहण किया जाता है ।

१३. वह त्रैचीवरिक मिष्ठु यदि चीवर के लिये कपड़ा पा जाय तो उसे तब तक रख सकता है, जब तक कि अस्वस्थान के कारण चीवर बनाने में असमर्थ हो, विचारक (सहायक मिष्ठु या शमणेर) न मिले, या चीवर बनाने के साधन सुई आदि में से कुछ न मिले । इस प्रकार कपड़े को कुछ समय रख छोड़ने में भी दोष नहीं है । किन्तु कपड़ा रङ्ग जाने के बाद नहीं रखा जा सकता । रखने वाला ‘धुताङ्गचौर’ कहा जाता है । यह इसका विधान है ।

१४ प्रभेद से यह भी तीन प्रकार का होता है । १ (क) उनमें जो उत्कृष्ट है उसे रेंगते समय पहले अन्तर्वासक को या उत्तरासङ्ग को रग कर, उसे पहन कर फिर दूसरे को रगना चाहिये । उसे ओढ़कर सङ्घाटी रगनी चाहिये । किन्तु सङ्घाटी को पहनना नहीं चाहिये । यह ग्राम के पास वाले शयनासन के लिये कहा गया है । (ख) (शयनासन) में दो को एक साथ धोकर रङ्गा जा सकता है । किन्तु (ऐसी स्थिति में) उसे (वस्त्रों के) समीप ही बैठना चाहिये, ताकि यदि कोई दिखायी पड़ जाय तो काषाय को खीचकर अपने ऊपर डाला जा सके । २ मध्यम के लिये (विधान है कि) रङ्गने के

धुतङ्गतेचीवरिकस्स पन चतुर्थं वत्तमानं अंसकासावमेव बट्टति । तं च खो वित्थारतो विदित्यि, दीघतो तिहत्थमेव बट्टति ।

१५. इमेसं पन तिण्णं पि चतुर्थकचीवरं सादितक्षणे येव धुतङ्गं भिजति । अयमेत्थ भेदो ।

१६. अयं पनानिसंसो—तेचीवरिको भिक्षु सन्तुष्टो होति कायपरिहारिकेन चीवरेन, तेनस्स पवित्रानो विय समादायेव गमनं, अप्पसमारम्भता, वत्थसश्रिधिपरिवज्जनं, सल्लहुकवुत्तिता, अतिरेकचीवरलोलुप्पहानं कप्पिये मत्तकारिताय सल्लेखवुत्तिता, अप्येच्छतादीनं फलनिष्फत्ती ति एवमादयो गुणा सम्पज्जन्ती ति ।

अतिरेकवत्थथं पहाय सञ्चिधिविवज्जितो धीरो ।

सन्तोससुखरसञ्चू तिचीवरथरो भवति योगी ॥

तस्मा सपत्तचरणो पक्षणो व सचीवरो व योगिवरो ।

सुखमनुविचरितुकामो चीवरनियमे रति कथिरा ॥ ति ॥

अर्थं तेचीवरिकङ्गे समादानविधानप्यभेदभेदानिसंसबण्णना ॥

३. पिण्डपातिकङ्गकथा

१७. पिण्डपातिकङ्गं पि “अतिरेकलाभं पटिक्षिपामि”, “पिण्डपातिकङ्गं समादियामि” ति इमेसं अञ्जतरवचनेन समादित्रं होति ।

स्थान में (एक) रक्षने का काशाय (=वस्त्रों को रक्षते समय पहनने के लिये रक्षा गया काशाय) होता है, उसे पहन या ओढ़कर रक्षाई का कार्य किया जा सकता है ३. निष्ठ के लिये विधान है कि वह सत्रहवचारी भिक्षुओं का चीवर पहन या ओढ़कर रंगाई का काम कर सकता है । वहों विस्तर पर पड़ा हुआ चादर भी उसके लिये विहित है, किन्तु उसे लेकर चल देना विहित नहीं है । साथी भिक्षुओं का चीवर भी सभय का अन्तर रखते हुए प्रयुक्त करना चाहिये ।

धुताङ्गधारी भिक्षु के लिये चौथे वस्त्र के रूप में केवल कन्धे पर धारण किया जाने वाला काशाय ही विहित है । उसे भी दोडाई में एक बालिश्त (विदित्यि) और लम्बाई में तीन साथ का (मफलर की तरह) होना चाहिये ।

१५. इन तीनों का धुताङ्ग भी चौथे चीवर को धारण करते ही भज्ज हो जाता है । यह भेद है ।

१६. इस त्रैचीवरिकाङ्ग का माहात्म्य यह है—त्रैचीवरिक भिक्षु शरीर की शीत आदि से रक्षा करने वाले चीवर भात्र से सन्तुष्ट होता है, इसलिये इस धुताङ्ग के पालन से उसमें—अपने पङ्क्तों के साथ पक्षी की तरह चीवर को साथ लेकर जाना, कम वस्त्रों को रखने वाला होना, अधिक वस्त्रों के साथ रखने की प्रवृत्ति का त्याग, भार—रहितता, अतिरिक्त चीवर के प्रति लोलुपता (राग या लोभ) का न होना, विहित में (भी) मात्रा का ध्यान रखने से उपेक्षावृत्ति, अल्पेच्छता आदि गुणों की प्राप्ति—आदि गुण पूर्णता प्राप्त करते हैं ।

तीन चीवर धारण करने वाला योगी अतिरिक्त वस्त्र की तृष्णा (वासना) को त्यागकर, सग्रह से रहित हो, सन्तोष—सुख के रस को जानने वाला होता है ॥

इसलिये अपने पङ्क्तों के साथ विचरण करने वाले पक्षी के समान शरीर पर पहने—ओढ़े चीवर के ही साथ सुखपूर्वक विचरण करने का इच्छुक वह योगी चीवर के नियमपालन के आग्रह में आनन्द का अनुभव करे ॥

यह त्रैचीवरिकाङ्ग (के विषय) में ग्रहण, विधान, प्रभेद, भेद एवं माहात्म्य का वर्णन है ॥

१८. तेन पन पिण्डपातिकेन सङ्ख्यभत्तं, उद्देसभेत्तं, निमन्तनभत्तं, सलाकभत्तं, पक्षिखं, उपोसथिं, पाटिपदिं, आगन्तुकभत्तं, गमिकभत्तं, गिलानभत्तं, गिलानुपद्माकभत्तं, विहारभत्तं, धुरभत्तं, वारभत्तं ति एतानि चुद्देस भत्तानि न सादितव्यानि । सचे पन “सङ्ख्यभत्तं गणहथा” ति आदिना नयेन अवत्वा “अम्हाकं गेहे सङ्खो भिक्खं गणहाति, तुम्हे पि भिक्खं गणहथा” ति वत्वा दिग्गानि होन्ति, तानि सादितुं बद्धन्ति । सङ्खोतो निरामिससलाका पि विहारे पक्षभत्तं पि बद्धति येवा ति । इदमस्स विधानं ।

१९. पधेदतो पन अयं पि तिविधो होति । तत्य उक्कटो पुरतो पि पच्छतो पि आहटीभिक्खं गणहाति, बहिद्वारे ठत्वा पतं गणहन्तानि पि देति, पटिकमनं आहरित्वा दिन्नभिक्खं पि गणहाति, तं दिवसं पन निसीदित्वा भिक्खं न गणहाति । मञ्ज्ञामो तं दिवसं निसीदित्वा पि गणहाति, स्वातनाय पन नाथिवासेति । मुदुको स्वातनाय पि पुनर्दिवसाय पि भिक्खं अधिवासेति । ते उभो पि सेरिविहारसुखं न लभन्ति, उक्कटो व लभति । एकस्मि किर गामे अरियवंसो होति, उक्कटो इतरे आह—“आयामावुसो, धम्मसवनाया” ति । तेसु एको ‘एकनमिहि, भन्ते, मनुस्सेन निसीदापितो’ ति आह । अपरो ‘मया, भन्ते, स्वातनाय एकस्स

३. पिण्डपातिकान्

१७. तृतीय पिण्डपातिकान् भी १. “अतिरिक्त लाम को त्यागता हूँ”, या २. “पिण्डपातिकान् का ग्रहण करता हूँ”—इनमें से किसी एक देशनावदन द्वारा ग्रहण किया जाता है ।

१८. उस पिण्डपातिक को १. सङ्ख—भोजन (समष्टि भण्डारा), २. कुछ भिक्षुओं के उद्देश्य से दिया गया भोजन, ३. निमन्त्रण—भोजन (=निमन्त्रित कर दिया गया भोजन), ४. शलाका—भोजन (=निष्ठित सङ्ख्या में शलाकाएँ सङ्ख में भेजकर उतने ही भिक्षुओं को निमन्त्रित करके दिया गया भोजन), ५. पाकिक (पखवारे का) भोजन, ६. उपोसथ का भोजन, ७. प्रतिपदा का भोजन, ८. आगन्तुक भोजन (=आगन्तुकों के लिये दिया गया भोजन), ९. पथिकों के लिये, १०. रोगी के लिये, ११. रोगी के परिचारक के लिये, १२. विहार में, १३. किसी ग्रावान घर में, १४. ग्रामवासियों के द्वारा वार (=रवि, सोम आदि विशेष वार) के अनुसार दिया जाने वाला भोजन—यह चौदह (१४) प्रकार का भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिये । किन्तु यदि “सङ्ख—भोजन ग्रहण कीजिये” आदि प्रकार से न कहकर “मेरे घर सङ्ख भोजन ग्रहण करता है, आप भी भिक्षा ग्रहण करें”—आदि प्रकार से कह कर दिया गया हो तो उन (भोजनों) को ग्रहण करना विहित है । सङ्ख द्वारा निरामिष शलाका (औषध आदि के लिये दी गयी शलाका) एवं विहार में पकाया गया भात भी विहित है । वह इसका विधान है ।

१९. प्रब्रह्म की दृष्टि से यह भी तीन प्रकार का होता है । इनमें, १. उत्तम द्रवी सामने से या फीछे से भी लाई गयी भिक्षा को ग्रहण करता है, दरवाजे के बाहर खड़े रहकर पात्र ग्रहण करने वाले को भी भिक्षा के लिये पात्र देता है, आसनशाला में लाकर दी गयी भिक्षा भी ग्रहण करता है; किन्तु उस दिन प्रतीक्षा में बैठे रहकर भिक्षा नहीं ग्रहण करता । और २. मध्यम द्रवी उस दिन बैठकर भी ग्रहण करता है, किन्तु आगे दिन के लिये नहीं स्वीकार करता । ३. निम्न (मुदुक) द्रवी अगले दिन के लिये एवं उससे भी एक दिन आगे के लिये भिक्षा स्वीकार करता है । इन दोनों को ही स्वच्छन्द विहार का सुख नहीं मिल पाता, उत्कृष्ट द्रवी ही उसे प्राप्त करता है ।

एक ग्राम में ‘आर्यशा’ (इस सूत्र का उपदेश) हो रहा था । उत्कृष्ट ने दूसरों से कहा—“आओ, आयुषानो! धर्मश्रवण करने के लिये चलें” । उनमें से एक ने कहा—“भन्ते, एक व्यक्ति के द्वारा मैं भिक्षा के लिये बैठाया गया हूँ!” दूसरे ने कहा—मैंने कल के लिये एक व्यक्ति की भिक्षा

भिक्खा अधिवासिता' ति । एवं ते उभो परिहीना । इतरो पातो व पिण्डाय चरित्वा गन्त्वा धम्मरसं पटिसंवेदेसि ।

२०. इमेसं पन तिणं पि सङ्घभत्तादिअतिरेकलाभं सादितक्षणे व धुतङ्गं भिज्जति । अयमेत्थं भेदो ।

२१. अयं पनानिसंसो—“पिण्डयालोपभोजनं निस्साय पब्बजा” (वि०३-५५) ति वचनतो निस्सयानुरूपपटिपत्तिसञ्चावो, दुतिये अरियवंसे पतिष्ठानं, अपरायत्तवुत्तिता, “अप्पानि चेव सुलभानि च तानि च अनक्षानी” (अं० २-२९) ति भगवता संविष्णितपच्यता, कोसज्जनिम्मद्दनता, परिशुद्धाजीवता, सेखियपटिपत्तिपूरणं, अपरपोसिता, परानुगगहकिरिया, मानप्पहानं, रसतण्णानिवारणं, गणभोजन-परम्परभोजन-चारित्त-सिक्खापदेहि अनापत्तिता, अप्पिच्छतादीनं अनुलोमवुत्तिता, सम्मापटिपत्तिबूहूनं, पच्छिमजनतानुकम्पनं ति ।

पिण्डयालोपसन्तुद्वो अपरायत्तजीविको ।

पहीनाहरलोलुप्तो होति चातुहिसो यति ॥

विनोदयति कोसज्जं आजीवस्स विसुज्जति ।

तस्मा हि नातिमञ्जेय भिक्खाचरियाय सुमेधसो ॥

एवरूपस्स हि—

“पिण्डपातिकस्स भिक्खुनो अत्तभरस्स अनञ्चपोसिनो ।

“चीकार की है ।” इस प्रकार वे दोनों धर्मश्रवण से बढ़ित रह गये । परन्तु दूसरे (=उत्कृष्ट) ने कुछ प्रातः ही मिक्षाटन के लिये जाकर (बाद में) धर्मरस का आस्थादान किया ।

२०. इन तीनों का ही धुताङ्ग सङ्घ-भोजन आदि अतिरिक्त लाभ का ग्रहण करते ही भङ्ग हो जाता है । ये भेद हैं ।

२१. इस धुताङ्ग का माहात्म्य यह है—“पिण्ड पिण्ड करके मिले हुए ग्रास के भोजन पर प्रद्रज्या आधृत है” इस देशना-वचन के अनुसार माहात्म्य इस प्रकार है—निश्रय के अनुरूप प्रतिपत्ति का होना, दूसरे आर्यवंश (पिण्डपात्र में सन्तोष) में प्रतिहित होना, दूसरे के प्रति निर्भरता का अभाव, “वे अल्प तो हैं, परन्तु सुलभ भी हैं एवं निर्दोष भी”—इस प्रकार भगवान् द्वारा प्रशसित होने के कारण, आलस्य का नाश, परिशुद्ध आजीविका का होना, शैक्ष्य प्रतिपत्ति की पूर्ति, किसी दूसरे के पालन-पोषण का उत्तरदायित्व वहन न करना, दूसरों पर अनुग्रह करना, मान का नाश, रस-तृष्णा (वासना) का निवारण, गण-भोजन, परम्परा-भोजन, चारित्र (विषयक) शिक्षापदों के उल्लंघन से होने वाली आपत्ति का न होना, अल्पेष्ठता आदि के समनुरूप होना, सम्यक् प्रतिपत्ति की वृद्धि, आगामी परम्परा (पीढ़ी) पर अनुकम्पा ।

पिण्ड पिण्ड ग्रास से सन्तुष्ट, स्वतन्त्र जीविका वाला, आहारविषयक लोलुपता (लोब) से रहित यति (मिक्ष) चारों दिशाओं में निर्भय (बेखटक) होकर जाने वाला होता है ।

(मिक्षाटन) आलस्य को दूर करता है, आजीविका की परिशुद्धि करता है । इसलिये मेधावी अनु-मिक्षाटन की अवहेलना कभी न करे ॥

इस प्रकार के—

“दूसरे का भरण-पोषण न करने वाले, मन, दबन, कर्म तीनों में समानक्रिय पिण्डपातिक

देवापि पिहयन्ति तादिनो नो चे लाभसिलोकनिस्सितो” ॥ ति ॥

(खु० नि० १-९८)

अयं पिण्डपातिकङ्गे समादानविधानप्यभेदभेदनिसंस्वरणाना ॥

४. सपदानचारिकङ्गकथा

२२. सपदानचारिकङ्गे पि “लोलुप्पचारं पटिक्खपापि”, “सपदानचारिकङ्गं समादियापि” ति इमेसं अञ्जतरवचनेन समादित्र होति ।

२३. तेन पन सपदानचरिके गामद्वारे उत्था परिस्सयाभावो सल्लक्षेतब्बो । यस्सा धरद्वारे वा रच्छाय वा गामे वा किञ्चि न लभति, अगामसञ्चं कत्वा गन्तव्यं । यत्थ किञ्चि लभति, तं पहाय गन्तुं न वृत्ति । इमिना च भिक्खुना कालतरं पविसितव्यं, एवं हि अफासुकद्वानं पहाय अञ्जतरथं गन्तुं सक्रियस्ति । सचे पनस्स विहारे दानं देन्ता, अन्तरामागे वा आगच्छन्ता मनुस्सा पत्तं गहेत्था पिण्डपातं देन्ति, वृत्ति । इमिना च मणं गच्छन्तेनापि भिक्खाचारवेलायं सम्भतगामं अनतिक्रमित्वा चरितव्यमेव । तथं अलभित्वा वा थोकं लभित्वा वा गामयटिपाटिया चरितव्यं इदमस्स विधानं ।

२४. पभेदतो पन अयं पि तिविधो होति । तथं उड्ढुषो पुरतो आहटभिक्खं पि पच्छतो आहटभिक्खं पि पटिक्खमनं आहरित्वा दिव्यमानं पि न गणहाति, पत्तद्वारे पन पत्तं विस्सज्जेति । इमस्मि हि धुतङ्गे महाकस्सपत्थरेन सदिसो नाम नर्त्य । तस्स पि भिक्षु के आचरण से देवता भी स्वृहा (ईर्ष्या) करते हैं, यदि वह अपने लाभ और प्रशंसा की ओर झुकने वाला न हो ॥”

यह पिण्डपातिकाङ्ग के विषय में ग्रहण, विधान, प्रभेद, भेद एवं माहात्म्य का वर्णन है ॥

४. सापदानचारिकाङ्ग

२२. चतुर्थं सापदानचारिकाङ्ग भी १. “लोलुप्प स्वभाव को त्यागता हूँ”, या २. “सापदानचारिकाङ्ग का ग्रहण करता हूँ”—इनमें से किसी एक देशना—वचन द्वारा ग्रहण किया जाता है ।

२३. उस सापदानचारिक को ग्राम के द्वार पर खड़े होकर विघ्न—बाधा (=परिश्रय; उद्भूत सांड कुर्चे आदि या वैश्या शराबी आदि के उपद्रव) के न होने का विचार कर लेना चाहिये । जिस गली या गाँव में विघ्न—बाधा होती है, उसे छोड़कर अन्यत्र चारिका करना चाहित है । जिस घर, गली या ग्राम में कुछ भी नहीं मिलता, उसे ग्राम न मानते हुए आगे बढ़ जाना चाहिये । हाँ, जहाँ कुछ मिलता हो, उसे छोड़कर (आगे) जाना उचित नहीं है । भिक्षु को समय रहते ही ग्राम में प्रवेश करना चाहिये । यो, वह असुविधाजनक स्थान छोड़कर दूसरी जगह भी जा सकेगा । यदि इस (भिक्षु) को विहार में दान देते हुए, या बीच रास्ते में आते हुए भनुष्य इसका पात्र लेकर पिण्डपात दे देते हैं, तो वह विहित है । इसे मार्ग में जाते हुए भी, भिक्षाटन के समय जो ग्राम मार्ग में पढ़ जाय उसका अतिक्रमण न करते हुए चारिका करनी चाहिये । वहाँ कुछ भी न पाकर या अत्यं सा पाकर ग्राम—परिपाटी (=ग्रामों में अन्तर ढाले विना भिक्षाटन की परिपाटी) के अनुसार चारिका करनी चाहिये । यह इसका विधान है ।

२४. प्रभेद से यह भी त्रिविध होता है । इनमें १. उत्कृष्ट भ्रंती सामने से आयी या पीछे से आयी या आसनशाला में लाकर दी गयी भिक्षा भी नहीं ग्रहण करता, किन्तु प्राप्त द्वार पर भिक्षा के लिये पात्र देता है । इस धुताङ्ग के पालकों में महाकाशयप स्थविर के समान दूसरा कोई नहीं हुआ । २.

पत्तविस्समुद्रानमेव पञ्चायति । मण्डिमो पुरतो वा पच्छतो वा आहटं पि पटिकमनं आहटं पि गण्हति, पत्तद्वारे पि पत्तं विस्सज्जेति, न पन भिकखं आगमयमानो निसीदति । एवं सो उक्तपिण्डपातिकस्स अनुलोमेति । मुदुको तं दिवसं निसीदित्वा आगमेति ।

२५. इमेसं पन तिणं पि स्तोलुप्पचारे उप्पत्रसत्ते धृतङ्गं भिज्जति । अयमेत्थ भेदो ।

२६. अयं पनानिसंसो—कुलेसु निच्चनवकता, चन्दूपमता, कुलमच्छेरप्पहानं, समानुकम्पिता, कुलूपकादीनवाभाषो, अव्वानानभिनन्दना, अभिहारेन अनस्थिकता, अप्पिच्छतादीनं अनुलोमवृत्तिता ति ।

चन्दूपमो निच्चनवो कुलेसु अमच्छरी सब्बसमानुकम्पो ।

कुलूपकादीनवविष्पमुतो होतीथ भिकखु सपदानचारो ॥

लोलुप्पचारं च पहाय तस्मा ओकिखत्तचक्खु युगमत्तदस्सी ।

आकङ्क्षमानो भुवि सेरिचारं चरेव्य धीरो सपदानचारं ॥ ति ॥

इवं सपदानवारिकाङ्क्षे सपादानविधानप्पभेदभेदानिसंसवणणना ॥

५. एकासनिकङ्ककथा

२७. एकासनिकङ्कं पि “नानासनभोजनं पटिकिखपामि”, “एकासनिकङ्कं समादियामी” ति इमेसं अञ्जतरवचनेन समादित्रं होति ।

२८. तेन पन एकासनिकेन आसनसालायं निसीदत्तेन थेरासने अनिसीदित्वा ‘इदं मय्यं पापुणिस्सती’ ति पटिरूपं आसनं सलकखेत्वा निसीदितब्बं । सचस्स विष्पकते भोजने मध्यम द्रती साबने या पीछे से और आसन—शाला मे लायी गयी (मिक्षा) शी ग्रहण करता है, प्राप्त द्वार पर पात्र भी दे देता है, किन्तु मिक्षा की प्रतीक्षा मे बैठा नहीं रहता । इस प्रकार वह उत्कृष्ट पिण्डपातिक के समान ही होता है । ३. परन्तु निष्प द्रती उस दिन बैठकर प्रतीक्षा करता है ।

२९. इन तीनों का भी धुताङ्ग, लोलुपता के उत्पन्न होते ही, भङ्ग हो जाता है । यह भेद है ।

३०. इस धुताङ्ग का माहात्म्य यह है—कुलों मे नित्य नया बना रहना, चन्द्रमा के समान होना, कुल—मात्सर्य (परिवार के प्रति भोग) का प्रहाण, सब पर मान अनुकम्पा रखना, कुलोपग के दोषों से रक्षित होना, बुलाये जाने का अभिनन्दन न करना, ‘कोई मिक्षा लाकर दे’—ऐसी इच्छा न करना, अल्पेष्ठता आदि के समनुरूप होना ।

सापदानवारी मिष्ठु चन्द्रमा के समान कुलों के लिये नित्य नया दिखायी देने वाला, मात्सर्य न करने वाला, सब पर समान अनुकम्पा रखने वाला एवं कुलोपग आदि के दोषों से मुक्त होता है ॥

इसलिये लोलुपता को छोड़, औंखे नीची किये हुए, चार हाथ की दूरी तक भी देखने वाला, धीर मिष्ठु पृथ्वी पर यथारूपि विचरण करने की इच्छा करता हुआ सापदानवारी बने ॥

यह सापदानवारिकाङ्क्ष के विषय मे ग्रहण, विचान, प्रभेद, भेद और माहात्म्य का वर्णन है ॥

६. एकासनिकाङ्क्ष

२९. पञ्चम एकासनिकाङ्क्ष व्रत भी— १. “अनेक आसनों पर भोजन का त्याग करता हूं” । २. “ऐकासनिकाङ्क्ष का ग्रहण करता हूं”, —इनमें से किसी एक देशना-वचन से ग्रहण किया जाता है ।

३०. ऐकासनिकाङ्क्षती मिष्ठु को आसनशाला मे बैठते समय स्वयिर के आसन पर न बैठकर “यह मेरे लिये उपयुक्त है”— ऐसा विचारते हुए उपयुक्त आसन देखकर बैठना चाहिये । यदि

आचरियो वा उपज्ञायो वा आगच्छति, उद्ग्राय वत्तं कातुं वटृति । तिपिटकचूडाभयत्थेरो पनाह—“आसनं वा रक्खेत्य भोजनं वा, अयं च विष्पकतभोजनो, तस्मा वत्तं करोतु, भोजनं पन मा भुज्जतु” ति । इदमस्स विधानं ।

२९. पधेदतो पन अयं पि तिविधो होति । तथ उक्तद्वो अप्पं वा होतु बहु वा, यद्मि भोजने हृथ्य ओतरेति, ततो अञ्च गणहतुं न लभति । सचे पि मनुस्सा “थेरेन न किञ्चि भुतं” ति सप्तिआदीनि आहरन्ति, भेसज्जात्थमेव वटृन्ति, न आहारथं । मण्डिमपो याव पत्ते भत्तं न खीयति, ताव अञ्च गणहतुं लभति । अयं हि भोजनपरिणयन्तिको नाम होति । मुदुको याव वासना न बुद्धाति, ताव भुजितुं लभति । सो हि उदकपरिणयन्तिको वा होति याव पत्तधोवनं न गणहति ताव भुज्जनतो, आसनपरिणयन्तिको वा याव न बुद्धाति ताव भुज्जनतो ।

३०. इमेसं पन तिणं पि नानासनभोजनं भुतक्षणे धृतज्ञं भिज्जति । अयमेत्थ भेदो ।

३१. अयं पनानिसंसंसो—अप्पाबाधता, अप्पातङ्गता, लहुद्वानं, बलं, फासुविहारो, अनतिरितपच्या अनापत्ति, रसतण्हविनोदनं, अप्पिच्छतादीनं अनुलोमवृत्तिता ति ।

एकासनभोजने रतं न यतिं भोजनपच्या रुजा ।

विसहन्ति, रसे अलोलुपो परिहापेति, न कम्ममत्तां ॥

भोजन समाप्त होने के पहले ही आवार्य या उपाध्याय आ जायं तो उठकर (प्रणामादि) करणीय (कार्य को) करना चाहिये । किन्तु त्रिपिटक चूडाभय स्थविर ने कहा है—“या तो आसन परं बैठा रहकर भोजन समाप्त कर ले, या फिर (यदि भोजन छोडकर करणीय करता है तो) भोजन दुबारा न करे । यह भोजन समाप्त नहीं कर सका, अत करणीय करना हो तो करे, किन्तु फिर से भोजन न करे ।” यह इसका विधान है ।

२९. प्रभेद की दृष्टि से यह भी तीन प्रकार का होता है । इनमें १. उत्कृष्ट व्रती जिस भोजन में हाथ लगा देता है, वह थोड़ा हो या बहुत, उसके अतिरिक्त नहीं ले सकता । यदि लोग स्थविर ने ‘कुछ भी नहीं खाया’ यह सोच धृत—आदि ले आवे तो उसे सोचना चाहिये कि वे धृतादि द्रव्य मैषज्य के लिये ही विहित हैं, आहार के लिये नहीं । २. मध्यम साधक जब तक पात्र में भोजन समाप्त नहीं होता, तब तक ले सकता है । ऐसे साधक को ‘भोजनपर्यन्तक’ कहा जाता है । ३. निम्न व्रती जब तक आसन से उठता नहीं, तब भोजन कर सकता है । वह जब तक पात्र को धो नहीं देता, तब तक भोजन करने से ‘उदकपर्यन्तक’ कहलाता है ।

३०. इन तीनों का धृतज्ञ भी, अनेक आसन से (कई बार) भोजन करते ही, मङ्ग हो जाता है । यह भेद है ।

३१. इस व्रत का माहात्म्य यह है—(शारीर में वायुविकार आदि के कारण होने वाले) कट का अल्प होना, रोग आदि का अल्प त्रास होना, हलकापन, बलं, सुखपूर्वक विहार, अतिरिक्त (भोजन) के कारण होने वाली आपत्ति का न होना, रस-तृष्णा पर नियन्त्रण, अल्पेच्छता आदि के समनुरूप होना ।

एकासन पर भोजनरत मिक्षु को भोजन के कारण (उत्पन्न होने वाले) रोग नहीं सताते । और वह रसास्वादन के विषय में लोभरहित हो अपने कार्य की हानि नहीं करता ॥

इति फासुविहारकारणे सुचिसल्लेखरतूपसेविते ।

जनयेथ विसुद्धमानसो रतिमेकासनभोजने यती ॥ ति ॥

अयं एकासनिकङ्गे समादानविधानप्यभेदभेदानिसंस्वरणना ॥

६. पत्तपिण्डिकङ्गकथा

३२. पत्तपिण्डिकङ्गे पि “दुतियभाजनं पटिक्खिपामि”, “पत्तपिण्डिकङ्गं समादियामी” ति इमेसं अञ्जतरवचनेन समादित्रं होति ।

३३. तेन पन पत्तपिण्डिकेन यागुपानकाले भाजने ठपेत्वा व्यञ्जने लद्धे व्यञ्जनं वा पठमं खादितब्बं, यागु वा पातब्बा । सचे पन यागुयं पक्खिपति, पूतिमच्छकादिम्हि व्यञ्जने पक्खिते यागु पटिकूला होति । अप्पटिकूलमेव च कत्वा परिभुजितुं वट्टुति । तस्मा तथारूपं व्यञ्जनं सन्ध्याय इदं वृत्तं । यं पन मधुसकरादिकं अप्पटिकूलं होति, तं पक्खिपितब्बं । गणहन्तेन च पमाणयुत्पेव गणितब्बं । आमकसाकं हथ्येन गहेत्वा खादितुं वट्टुति । तथा पन अकत्वा पते येव पक्खिपितब्बं । दुतियकभाजनस्स पन पटिक्खित्तता अञ्जं रुक्खपणं पि न वट्टती ति । इदमस्स विधानं ।

३४. पभेदतो पन अयं पि तिविधो होति—तत्थ—१. उक्तद्वुस्स, अञ्जत्र उच्चुखादन-काला, कच्चवरं पि छेद्येतुं न वट्टुति, ओदनपिण्डमच्छमंसपूर्वे पि भिन्दित्वा खादितुं न वट्टुति । २. भज्जिमस्स एकेन हथ्येन भिन्दित्वा खादितुं वट्टुति, हथ्येगी

इसलिये विशुद्धचित्त यति, सुखपूर्वक विहार के कारण एवं पवित्र उपेक्षा भावना में रति से सेवित एकासन-भोजन के प्रति रुक्षान (=रति) उत्पन्न करे ॥

यह ऐकासनिकाङ्ग के विषय में ग्रहण, विधान, प्रथेव, भेद एवं महात्म्य का वर्णन है ॥

६. पात्रपिण्डिकाङ्ग

३२. षष्ठि पात्रपिण्डिकाङ्ग भी १. “द्वितीय पात्र (=भाजन) का त्याग करता हूँ” या २. “पात्रपिण्डिकाङ्ग का ग्रहण करता हूँ”— इनमें से किसी एक देशना-वचन ग्रहण किया जाता है ।

३३. पात्र-पिण्डिक को यदि यवागू (=खिचडी जैसा पतला भात, जिसे पिया जा सके) पीते समय (किसी दूसरे) पात्र में रखकर अथवा (कढ़ी आदि) मिले तो उसे या तो पहले व्यञ्जन खा लेना चाहिये या यवागू पी लेनी चाहिये । यदि (उसी) यवागू में (व्यञ्जन) डाल देगा, तो सुखा कर या नमक आदि लगाकर रखी गयी अग्रिसिद्ध (पकायी गयी) मछली (=पूतिमत्स्यक) आदि का व्यञ्जन (यवागू में) डाल देने पर यवागू ग्रतिकूल (=हानिकारक) हो जायगी । उसे, प्रतिकूल न हो, इस प्रकार ही खाना उचित है । (ऐसी स्थिति में पात्र का प्रयोग आवश्यक हो जाता है) इसलिये उस प्रकार के व्यञ्जन के बारे में यह कहा गया है । किन्तु जो मधु, शक्कर आदि प्रतिकूल नहीं है, उन्हें यवागू में ही डाल देना चाहिये । ग्रहण करते समय भी, मात्रा से ग्रहण करना चाहिये । हरी शाक-सब्जी को हाथ में लेकर ही खाना चाहिये । जब तक ऐसा न करे, पात्र में ही डाल देना चाहिये । द्वितीय पात्र को त्याग चुकने से, किसी अन्य वृक्ष का पत्ता भी (पात्र के रूप में) विहित नहीं है । यह इसका विधान है ।

३४. प्रथेव से यह तीन प्रकार का होता है । उनमें, १ उत्कृष्ट व्रती के लिये तो ईख खाने को छोड़कर अन्य के छिलके आदि भी छोड़ना विहित नहीं है । चावल का ग्रास, मछली, मास, पुआ भी तोड़कर खाना विहित नहीं है । २. मध्यम के लिये एक हाथ से तोड़कर खाना विहित है । इसे

नामेसो । ३. मुदुको पन पत्तयोगी नाम होति, तस्स यं सक्का होति पत्ते पक्षिखपितुं, सब्बं हथेन वा दन्तेहि वा भिन्दित्वा खादितुं खट्टति ।

३५. इमेसं पन तिण्ठं पि दुतियकभाजनं सादितकखणे धुतज्ञं भिज्जति । अयमेत्थ भेदो ।

३६. अयं फनानिसंसंसो—नानारसतण्हविनोदनं, अत्रिच्छताय पहानं, आहारे पयोजन-मत्तदस्सता, थालकादिपरिहरणाखेदाभावो, अविक्खितभोजिता, अप्पिच्छतादीनं अनुलोमवृत्तिता ति ।

नानाभाजनविकखेपं हित्वा ओकिखतलोचनो ।

खणन्तो विय मूलानि रसतण्हाय सुब्बतो ॥

सरूपं विय सन्तुष्टिं धारयन्तो सुमानसो ।

परिभुज्ञेत्य आहारं को अञ्जो पत्तपिण्डका ॥ ति ॥

अयं पत्तपिण्डकङ्गे समादानविधानप्यभेदभेदानिसंस्वरणना ॥

७. खलुपच्छाभत्तिकङ्गकथा

३७. खलुपच्छाभत्तिकङ्गं पि “अतिरितभोजनं पटिक्खिपामि”, “खलुपच्छा-भत्तिकङ्गं समादियामी” ति इमेसं अञ्जतरवचनेन समादितं होति ।

३८. तेन पन खलुपच्छाभत्तिकेन पवारेत्वा पुन भोजनं कप्पियं कारेत्वा न भुजितब्बं । इदमस्स विधानं ।

३९. पधेदतो पन अयं पि तिविधो होति । तत्थ—१. उक्तद्वो यस्मा पठमपिण्डे ‘हस्तयोगी’ (करपात्र) कहते हैं । ३. निष्ठ को ‘पात्रयोगी’ कहते हैं । उसके लिये विधान है कि जो कुछ भी पात्र में डाला जा सकता है, उस सबको वह हाथ से तोड़कर या ढाँत से काट कर खा सकता है ।

३५. इन तीनों का धुताङ्ग दूसरे पात्र को ग्रहण करते ही भङ्ग हो जाता है । यह यहाँ भेद-विनिश्चय हुआ ।

३६. इस ग्रन्थ का माहात्म्य यह है—अनेक प्रकार के रसों के आस्वादन की तृष्णा का उच्छेद, भोजन की अत्यधिक इच्छा का प्रहाण, आहार में शरीर-रक्षा आदि प्रयोजनमात्र को देख ना, वाली आदि ढोने की परेशानी का अमाव, विक्षेपरहित होकर भोजन करना, अल्पेच्छता आदि के समनुरूप होना ।

अनेक पात्रों के होने से उत्पन्न होने वाले विक्षेप का नाश कर, नीची दृष्टि एवं श्रेष्ठ ग्रन्थ को धारण किये हुए, रस-तृष्णा की जड़ को मानो खोदते हुए, अपने अनुरूप सन्तोष किये हुए पात्रपिण्डक इती के अतिरिक्त और भला कौन (इस प्रकार) आहार का परिभोग करेगा ॥

यह पात्रपिण्डकङ्ग के विषय में ग्रहण, विधान, प्रभेद, भेद और माहात्म्य का वर्णन है ॥

८. खलुपक्षाङ्गतिकाङ्ग

३७. खलुपक्षाङ्गतिकाङ्ग भी “१ अतिरिक्त भोजन का परित्याग करता हूँ, २ “खलुपक्षाङ्ग-किंकाङ्ग का ग्रहण करता हूँ”—इनमें से किसी एक देशना-वदन से ग्रहण किया जाता है ।

३८. उस खलुपक्षाङ्गतिकिंक साधक को भोजन कर चुकने के बाद (और लेने से) निषेध कर देने पर किर से भोजन स्थीकार नहीं करना चाहिये । यह इसका विधान है ।

पवारणा नाम नतिथि, तर्स्मि पन अज्ञोहरियमाने अञ्जं पटिकिखपितो होति, तस्मा एवं पवारितो पठमपिण्डं अज्ञोहरित्वा दुतियपिण्डं न भुज्जति । २. मञ्जिमो थर्स्मि भोजने पवारितो, तदेव भुज्जति । ३. मुदुको पन याव आसना न बुद्धाति ताव भुज्जति ।

४०. इमेसं पन तिण्ठं पि पवारितानं कप्पियं कारापेत्वा भुत्तक्खणे धुत्तङ्गं भिजति । अयमेत्थं भेदो ।

४१. अयं पनानिसंसो—अनतिरितभोजनापत्तिया दूरीभावो, ओदरिकत्ताभावो, निरामिससन्निधिता, पुनपरियेसनाय अभावो, अप्पिच्छतादीर्नं अनुलोभवुत्तिता ति ।

परियेसनाय खेदं न याति न करोति सन्निधिं धीरो ।

ओदरिकत्तं पजहति खलुपच्छाभत्तिको योगी ॥

तस्मा सुगतपस्त्वं सन्तोसगुणादिबुद्धिसङ्गनन् ।

दोसे विधुनितुकामो भजेय्य योगी धुत्तङ्गमिदं ॥ ति ॥

अयं खलुपच्छाभत्तिकङ्गे समादानविधानप्यभेदभेदानिसंसवणना ॥

८. आरञ्जिकङ्गकथा

४२. आरञ्जिकङ्गं पि “गामन्तसेनासनं पटिकिखपामि”, “आरञ्जिकङ्गं समादियामी” ति इमेसं अञ्जतरवचनेन समादित्रं होति ।

४३. तेन पन आरञ्जिकेन गामन्तसेनासनं पहाय अरञ्जे अह उठापेतब्बं । तथ

३९. प्रभेद से यह भी तीन प्रकार का होता है। उनमे, १ उत्कृष्ट, क्योंकि प्रथम ग्रास के विषय में हाथ खीचना (=पवारणा) (वैसे तो) नहीं होता है, किन्तु उसे खाते समय, यदि दूसरे (ग्रास) को देने न दे तो रोकना मान लिया जाता है, इसलिये प्रथम ग्रास को खाते समय यदि दूसरे को रोक दिया रहता है तो फिर से दूसरा ग्रास लेकर नहीं खाता । २. मध्यम जिस ग्रास के बाद निषेध कर चुका होता है, उसे ही खाता है। किन्तु ३. निष्प्र जब तक आसन से नहीं उठता तब तक खाता है।

४०. इन तीनों का भी धुत्ताङ्ग, निषेध कर देने के बाद फिर से स्वीकार कर खाते ही, दूर जाता है। यह इसका भेद है ।

४१. इस धुत्ताङ्ग का यह माहात्म्य है—अतिरिक्त भोजन न करने के कारण आपति से दूर रहना, उदरपूर्ति से अधिक न खाना, अन्न का संग्रह न करना, पुन भोजन के लिये अन्वेषण का अभाव, अल्पेच्छा आदि के समनुरूप होना ।

खलुपच्छाद्वकिक योगी भोजन के अन्वेषण का कष्ट नहीं उठाता, सश्नेय नहीं करता एवं पेटूपन (औदरिकत्त) का भी त्याग करता है ॥

इसलिये दोषों को नष्ट कर देने की इच्छा रखने वाले योगी को सुगत द्वारा प्रशसित एवं सन्तोष आदि गुणों की वृद्धि करने वाले इस धुत्ताङ्ग का पालन करना चाहिये ॥

यह खलुपच्छाद्वकिक के विषय में विधान, प्रभेद, भेद एवं माहात्म्य ग्रहण का वर्णन है ॥

९. आरण्यकाङ्ग

४२. अष्टम आरण्यकाङ्ग भी, १ “ग्राम के शयनासन का त्याग करता हूँ” २ “आरण्यकाङ्ग का ग्रहण करता हूँ”—इनमे से किसी एक देशनावचन से ग्रहण किया जाता है।

४३. उस आरण्यक को ग्राम के शयनासन का त्याग कर सूर्योदय के समय अरण्य मे होना

सहिं उपचारेन गामो येव गामन्तसेनासनं । गामो नाम यो कोचि एककुटिको वा अनेककुटिको वा, परिकिखत्तो वा अपरिकिखत्तो वा, समनुस्सो वा अमनुस्सो वा, अन्तमसो अतिरेकचातुमास-निविटो यो कोचि सत्थो पि ।

गामूपचारो नाम परिकिखत्तस्स गामस्स सचे अनुराधपुरस्सेव द्वे इन्दखीला होन्ति, अभ्यन्तरिमे इन्दखीले ठित्स्स थाममज्जिमस्स पुरिस्स लेङुपातो । तस्स लक्खणं—यथा तरणमनुस्सा अत्तनो बलं दस्सेन्ता बाहं पसारेत्वा लेङु खिपन्ति, एवं खित्स्स लेङुपातो पतनद्वानब्धन्तरं ति विनयधरा । सुत्तन्तिका पन काकनिवारणनियमेन खित्स्सा ति वदन्ति । अपरिकिखत्तगमे यं सब्बपञ्चन्तिमस्स घरस्स द्वारे ठितो मातुगामो भाजनेन उदकं छड्नेति, तस्स पतनद्वानं घरूपचारो । ततो वुत्तनयेन एको लेङुपातो गामो, दुतियो गामूपचारो ।

अरञ्जं पन विनयपरियाये ताव “ठपेत्वा गामं च गामूपचारं च सब्बमेतं अरञ्जं” (विं० १-५७) ति वुतं । अभिधर्मपरियाये—“निकखमित्वा बहि इन्दखीला, सब्बमेतं अरञ्जं” (अभिं० २-३०२) ति वुतं । इमस्य पन सुत्तन्तिकपरियाये “आरञ्जकं नाम सेनासनं पञ्चधनुस्तिकं पञ्चिमं” ति इदं लक्खणं । तं आरोपितेन आचरियधनुना परिकिखत्तस्स गामस्स इन्दखीलवो अपरिकिखत्तस्स पठमलेङुपाततो पट्टाय याव विहारपरिक्खेपा मिनित्वा वदत्थपेतब्बं ।

सचे पन विहारो अपरिकिखत्तो होति, यं सब्बपठमं सेनासनं वा भत्तसाला वा

चाहिये । अपनी परिधि (=उपचार, सीपा) के साथ ग्राम ही ‘ग्रामान्त-शयनासन’ है । ग्राम उसे कहते हैं जो एक झोड़ी वाला हो या अनेक घरो वाला हो, घरा हुआ हो या न घरा हुआ, जनसङ्कुल हो या जनशूल्य । यर्हं चार मास से अधिक समय से बसा हुआ सार्थ (=काफिला) भी ग्राम है ।

ग्राम का उपचार (पास-पडोस) यह है—प्राकार से घिरे हुए ग्राम के, यदि अनुराधपुर के तमान दो इन्दकील (=ग्राम के द्वार पर गढ़े हुए दो भजबूत चौखट) हों, तो चौखट के भीतर खड़े मध्यम बल वाले पुरुष द्वारा फेंके हुए ढेले के गिरने के स्थान तक । उसका लक्षण है—

विनयधर के अनुसार जिस प्रकार युक्त अपने बल का प्रदर्शन करते हुए बाँह को फैलाकर ढेला फेंकते हैं, उस प्रकार से फेंका गया ढेला जहाँ घिरे उस स्थान के भीतर उस गाँव की परिधि है; किन्तु सौत्रान्तिक कहते हैं कि कौवे को उडाने के लिये फेंके गये ढेले के गिरने के स्थान तक परिधि है । विना घिरे हुए ग्राम मे, अन्तिम घर के द्वार पर खड़ी स्त्री बत्तन से जो पानी फेंकती है, वह जिस स्थान पर गिरता है वहाँ तक घर की परिधि है । उक्त प्रकार से फेंके गये ढेले के गिरने के स्थान के भीतर ग्राम है एव दूसरे ढेले के गिरने की जगह के भीतर ग्राम का पास-पडोस (उपचार) है ।

अरण्य-विनय की विधि के अनुसार—“ग्राम एवं ग्राम की परिधि छोड़कर, बाकी सब अरण्य है । अभिधर्म की विधि के अनुसार—‘इन्द-कील के बाहर निकल कर, सब अरण्य है’ । किन्तु सूत्रान्ति की विधि के अनुसार—‘आरण्यक शयनासन (ग्राम से) पाँच सौ धनुष (२००० हाथ की दूरी पर होता है)—यह लक्षण है । इस नाप की व्यवस्था (व्याख्या) इस प्रकार करनी चाहिये—घिरे हुए ग्राम के इन्दकील से आचार्य द्वारा चढाये गये धनुष से लेकर एव विना घिरे हुए ग्राम के (विषय मे) प्रथम ढेले के गिरने से लेकर विहार की चहारदीवारी तक ।

यदि विहार मे चहारदीवारी न हो, तो जो सर्वप्रथम शयनासन हो, या पाकशाला, सभागृह,

धुक्षसन्त्रिपातटानं वा बोधि वा चेतियं वा दूरे चे पि सेनासनतो होति, तं परिच्छेदं कल्पा मिनितब्बं ति विनयद्वकथासु वुत्तं ।

मण्डिग्रामद्वकथायं पन विहारस्स पि गामस्सेव उपचारं भीहरित्वा उभित्रां लहुपातानं अन्तका मिनितब्बं ति खुतं । इदमेत्थ पमाणं । सचे पि आसन्ने गामो होति, विहारे ठितेहि मानुसकानं सदो सुव्यति, पब्बतनदीआदीहि पन अन्तरितता न सक्का उजुं गन्तुं । यो तस्स पक्तिमग्गो होति, सचे पि नावाय सञ्चरितब्बो, तेन मग्गेन पञ्चधनुसतिकं गहेतब्बं । यो पन आसन्नामस्स अङ्गसम्पादनत्थं ततो ततो मग्गं पिदहति, अयं धुतङ्गचोरो होति ।

सचे पन आरञ्जकस्स भिक्खुनो उपज्ञायो वा आचरियो वा गिलानो होति, तेन अरञ्जे सप्यायं अलभन्तेन, गामन्तसेनासनं नेत्वा उपद्वातब्बो । कालस्सेव पन निक्खमित्वा अङ्गतद्वाने अरुणं उद्वापेतब्बं । सचे अरुणुद्वानवेलायं तेसं आबाधो वडुति, तेसं येव किच्चं कातब्बं । न धुतङ्गसुद्धिकेन भवितब्बं ति । इदभस्स विधानं ।

४४. पधेदतो पन अयं पि तिविथो होति । तथ— १. उद्धुने सब्बकालं अरञ्जे अरुणं उद्वापेतब्बं । २. मण्डिग्रामो चतारो वस्सिके मासे गामन्ते वसितुं लभति । ३. मुदुको हेमन्तिके पि ।

४५. इमेसं पन तिणं पि यथापरिच्छित्ते काले अरञ्जतो आगन्त्वा गामन्तसेनासने धम्मस्सवनं सुणन्तानं अरुणे उद्गुते पि धुतङ्गं न भिजति । सुत्वा गच्छन्तानं अन्तरामगो उद्गुते पि न भिजति । सचे पन उद्गुते पि धम्मकथिके ‘मुहुतं निपञ्जित्वा गमिस्सामा’ ति

बोधिवृक्ष या चैत्य हो, भले ही वह शथनासन से दूर ही हो तो भी, उसी को सीमा मानते हुए नापना चाहिये—ऐसा दिनय की अद्वकथाओं मे कहा गया है । किन्तु मण्डिग्रामनिकाय की अद्वकथा मे कहा है कि विहार एव ग्राम की परिधियों को छोड़कर, जिस दूरी को नापना है वह दो ढेलों के गिरने के बीच की दूरी है । यह प्रमाण है ।

भले ही ग्राम पास मे हो और लोगों की बातबीत विहार मे रहने वालों को सुनायी पढ़े, फिर भी यदि नदी, पर्वत आदि बीच मे पड़ जाने से सीधे रास्ते से जाना सम्भव न हो, तो पाँच सौ धनुष की दूरी तक सड़क मार्ग से जाना चाहिये, चाहे भले ही पहले नाव से जाना पड़ता हो । किन्तु जो धुत अङ्ग सम्पादन के लिये जान-बूझकर ग्राम के मार्ग को जहाँ तहाँ पत्थर आदि से रोक देता है, वह ‘धुताङ्गचौर’ कहा जाता है ।

यदि आरण्यक का उपाध्याय या आचार्य रुण हो एव अरण्य मे उसे विकित्सा न प्राप्त हो सके, तो भिक्षु को उसे ग्राम के शयनासन मे ले जाकर सेवा करती चाहिये । किन्तु समय रहते ही वहाँ से निकल कर अङ्गयुक्त स्थान (अरण्य) मे (ही) सूर्योदय के समय रहना चाहिये । यदि सूर्योदयकाल मे रोग बढ़ जाता हो तो उन्हीं का कार्य करना चाहिये । उस समय धुताङ्ग की शुद्धि को नहीं देखना चाहिये । यह इसका विधान है ।

४६. प्रवेट से यह भी तीन प्रकार का होता है । उनमे, १. उत्कृष्ट को सूर्योदय के समय सदा अरण्य मे ही होना चाहिये । २. भव्यम द्रती वर्षा के चार महीने ग्राम मे रह सकता है । ३. निष्ठ हेमन्त मे ग्राम मे रह सकता है ।

४७. इन तीनों का भी धुताङ्ग, नियत समय पर अरण्य से आकर ग्राम के शयनासन मे धर्मापदेश सुनते हुए सूर्योदय हो जाने पर भी, भङ्ग नहीं होता । सुनकर जाते समय बीच रास्ते मे

निदायन्तानं अरुणं उद्गृहति, अत्तनो वा रुचिया गामन्तसेनासने अरुणं उद्गृहेति, धुतज्ञं भिजती ति अयमेत्थं भेदो ।

४६. अयं पनानिसंसो—आरञ्जिको भिक्खु अरञ्जसञ्जं मनसिकरोन्तो भव्यो अलद्धं वा समाधिं पटिलद्धं, लद्धं वा रकिखतुं । सत्था पिस्स अत्तमनो होति । यथाह—“तेनाहं नागित, तस्स भिक्खुनो अत्तमनो होमि अरञ्जविहारेना” (अं० ३-८५) ति । पन्तसेनासनवासिनो चस्स असप्यायरूपादयो चित्तं न विक्रिखपन्ति, विगतसन्तासो होति, जीवितनिकन्ति जहति, प्रविवेकसुखरसं अस्सादेति, पंसुकूलिकादिभावो पि चस्स पतिरूपो होती ति ।

पविवितो असंसद्वो पन्तसेनासने रतो ।
आराध्यनो नाथस्स वनवासेन मानसं ॥
एको अरञ्जे निवसं यं सुखं लभते यति ।
रसं तस्स न विन्दन्ति अपि देवा सङ्कटा ॥
पंसुकूलं च एसो व कवचं विय धारयं ।
अरञ्जसञ्जामगतो अवसेसधुतायुधो ॥
समत्थो न चिरस्सेव जेतुं मारं सवाहिनिं ।
तस्मा अरञ्जवासमिष्ठं रतिं कथिराथ पण्डितो ॥ ति ॥

अयं आरञ्जिकङ्के समादानविधानप्यभेदभेदानिसंसवणना ॥

९. रुक्खमूलिकङ्ककथा

४७. रुक्खमूलिकङ्ककं पि “छञ्चं पटिकिखापामि”, “रुक्खमूलिकङ्कं समादियामी” ति इमेसं अञ्जतरबचनेन समादित्रं होति ।

सूर्योदय हो जाने पर भी भज्ज नहीं होता । किन्तु यदि धर्मोपदेशक के उठ जाने पर भी “कुछ देर सो कर जाऊंगा” ऐसा सोचकर सोते हुए ही सूर्योदय हो जाय, या अपनी रुचि से ग्राम के शयनासन में रहते हुए सूर्योदय हो जाय, तो धुताङ्क भज्ज होता है । यह भेद है ।

४८. और इस धुताङ्क का यह माहात्म्य है—आरण्यक भिक्षु अरण्य-संज्ञा का मनस्कार (=मन में अरण्यवास का विचार) करते हुए अभी तक अप्राप्त समाधि को प्राप्त करने या प्राप्त की रक्षा करने में समर्थ होता है । शास्त्र भी इससे प्रसन्न होते हैं । जैसा कि कहा गया है—“नागित, मैं उस भिक्षु के अरण्यविहार से प्रसन्न हूँ” । एकान्तशयनासनवासी इस भिक्षु के चित्त को अनुचित रूप आदि विकृति नहीं करते । यह विनाशकृत रहता है, जिजीविता को छोड़ देता है, प्रविवेक सुख के रस का आस्वादन करता है, पाशुकूल आदि स्थितियाँ भी उसके अनुरूप (अनुकूल) होती हैं ।

सबसे पृथक्, सबसे असमृक्त (ग्राम से दूर), एकान्त शयनासन में रत, वनवास के कारण नाथ (=बुद्ध) के मन को प्रसन्न करता हुआ,

योगी अकेले अरण्य में निवास का जो सुख पाता है, उसके रस को इन्द्रसहित (समस्त) देवता भी नहीं अनुभव कर सकते ॥

अरण्य-संग्राम (=अरण्य में रहते हुए, मार से संग्राम) के लिये गया हुआ योगी, पाशुकूल को कवच की तरह धारण करते हुए एवं शीष धुताङ्कों को आयुधों के रूप में धारण किये हुए, मार-सेना को जीतने में शीघ्र ही समर्थ होता है । इसलिये पण्डित (बुद्धिमान) अरण्यवास में रति करे ॥

यह आरण्यकङ्क के विवर में ग्रहण, विधान, प्रभेद, भेद एवं माहात्म्य का वर्णन है ॥

४८. तेन पन रुक्खमूलिकेन सीमन्तरिकरुक्खं, चेतियरुक्खं, निष्यासरुक्खं, फलरुक्खं, वागुलिरुक्खं, सुसिररुक्खं, विहारमज्जे ठितरुक्खं ति इमे रुक्खे विवजेत्वा विहारपञ्चन्ते ठितरुक्खो गहेतब्बो ति । इदमस्स विधानं ।

४९. पभेदतो पन अयं पि तिविथो होति । तत्थ—१. उद्धटु यथारुचितं रुक्खं गहेत्वा पटिजगापेतु न लभति । पादेन पण्णसटं अपनेत्वा वसितब्बं । २. मञ्ज्विमो तं ठानं सम्पत्तेहि येव पटिजगापेतु लभति । ३. मुदुकेन आरामिकसमण्द्वसे पक्षोसित्वा सोधापेत्वा समं कारापेत्वा वालुकं ओकिरापेत्वा पाकारपरिकरुक्खेपं कारापेत्वा द्वारं योजापेत्वा वसितब्बं । महादिवसे पन रुक्खमूलिकेन तत्थ अनिसीदित्वा अञ्जतथं पटिच्छन्ने ठाने निसीदितब्बं ।

५०. इमेसं पन तिणं पि छन्ने वासं कप्पितकरुक्खणे धुतङ्गं भिज्जति । जानित्वा छन्ने अरुणं उद्गुपितमते ति अङ्गतरभाणका । अयमेत्थं भेदो ।

५१. अयं पननिससो—“रुक्खमूलसेनासनं निस्साय पञ्चजा” (विं० ३-१००) ति वचनतो निस्सायानुरूपपटिपत्तिसञ्चावो, “अप्पानि चेव सुलभानि च तानि च अनवज्ञानी” (अ० नि० २-२९) ति भगवता संविणितपञ्चयतया, अभिष्ठं तरुपण्णविकारदस्सनेन अनिच्छसञ्ज्ञासमुद्घापनता, सेनासनमच्छेरकम्मारामतानं अभावो, देवताहि सहवासिता, अप्पिच्छतादीनं अनुलोमवुत्तिता ति ।

विणितो बुद्धसेष्टुन निस्सयो ति च भासितो ।

१. वृक्षमूलिकाङ्ग

४७ वृक्षमूलिकाङ्ग भी, १ “छाये हुए घर का त्याग करता हूँ”, २ “वृक्षमूलिकाङ्ग का ग्रहण करता हूँ”—इनमे से किसी एक देशनावचन के द्वारा ग्रहण किया जाता है ।

४८ जिस वृक्षमूलिक व्रती को सीमा (=सहृ की सीमा) के सीमीप के वृक्ष, चैत्य वृक्ष, गोद के वृक्ष, फलदार वृक्ष, जिस पर चमगादड रहते हो—ऐसे वृक्ष, कोटर (=छिद्र) वाले वृक्ष, विहार के दीच मे उगे हुए वृक्ष—इन वृक्षों को छोड़कर, विहार के सीमावर्ती किसी स्थिर वृक्ष का ग्रहण करना चाहिये । यह इसका विधान है ।

४९ प्रभेद से यह भी तीन प्रकार का होता है । इनमे १ उत्कृष्ट साधक यथारुचि वृक्ष का ग्रहण करने के बाद उस स्थान को साफ—सुथरा नहीं करवा सकता । उसे केवल पैर से सूखे पत्तो को हटाकर रहना चाहिये । २ मध्यम साधक वहाँ स्योगवश आये हुए लोगों से साफ सुथरा करवा सकता है । ३ निम्न साधक को विहार के श्रामणेरों को बुलाकर, साफ व बराबर करवाकर, बालू छिटवा कर, चहारदीवारी बनवाकर, उसमे दरवाजा लगवाकर रहना चाहिये । किन्तु उत्सव के दिन वृक्षमूलिक को वहाँ न बैठकर किसी दूसरी जगह आड मे बैठना चाहिये ।

५० इन तीनों का भी छत के नीचे निवास करते ही धुताङ्ग भज्ज हो जाता है । अङ्गतरभाणक कहते हैं—“जान—बूझकर छाये हुए स्थान मे सूर्योदय के समय रहने पर” । यह यहाँ भेद है ।

५१ पुन अङ्ग का यह माहात्म्य है—“वृक्षमूल वाले शयनासन के सहारे प्रद्वज्या है” इस वचन के अनुसार निश्चय के अनुरूप प्रतिपत्ति का होना, “अत्य है, किन्तु सुलभ और निर्दीष है” इस प्रकार भगवान् द्वारा प्रशसित होने से, निरन्तर वृक्ष के पत्तों का विकार (=परिवर्तन) देखने से अनित्य सज्जा का उदित होना, शयनासन के प्रति मातर्स्य का हान एव प्रतिक्षण काम मे लगे रहने की प्रवृत्ति (=कम्पारामता) का अभाव, देवताओं के साथ निवास, अल्पेच्छा आदि के समनुरूप होना ।

एकान्तनिवास के लिये श्रेष्ठ बुद्ध द्वारा वर्णित और निश्चय बतलाये गये वृक्षमूल के समान दूसरा निवास कहाँ ॥

निवासो पविवित्तस्स रुक्खमूलसमो कुतो ॥
 आवासमच्छेरहरे देवतापरिपालिते ।
 पविवित्ते वसन्तो हि रुक्खमूलमिह सुब्बतो ॥
 अभिरतानि नीलानि पण्डूनि पतितानि च ।
 पस्सन्तो तस्यण्णानि निच्चसञ्जं पनूदति ॥
 तस्मा हि बुद्धदायज्ञं भावनाभिरतालयं ।
 विवित्तं नातिमञ्जेय्य रुक्खमूलं विचक्खणो ॥ ति ॥
 अयं रुक्खमूलिकङ्गे समादानविधानप्यभेदभेदानिसंस्वरणना ॥

१०. अब्दोकासिकङ्गकथा

५२. अब्दोकासिकङ्गे पि “छन्नं च रुक्खमूलं च पटिक्खिपापि”, “अब्दो-कासिकङ्गं समादियामी” (विं ३-१००) ति इमेसं अञ्जतरवचनेन समादित्रं होति ।

५३. तस्स पन अब्दोकासिकस्स धम्मस्सवनाय वा उपोसथत्थाय वा उपोसथागारं पविसितुं वटृति, सचे पविटुस्स देवो वस्सति, देवे वस्समाने अनिक्खिभित्वा वस्सूपरमे निक्खिभितञ्जं भोजनसालं वा अगिगसालं वा पविसित्वा वत्तं कातुं, भोजनसालाय थेरे भिक्खु भत्तेन आपुच्छितुं उद्दिसन्तेन वा उद्दिसापेसेत्तेन वा छन्नं पविसितुं, बहि दुक्खिक्खित्वानि मञ्जपीठादीनि अन्तोपवेसेतुं च वटृति । सचे मण्गं गच्छन्तेन बुद्धतरानं परिक्खारो गहितो होति, देवे वस्सन्ते मण्गमञ्जो ठितं सालं पविसितुं वटृति । सचे न किञ्चि गहितं होति,

आवासविषयक मात्सर्य को हर लेने वाले, देवताओं द्वारा परिपालित, वृक्ष के नीचे, एकान्त में निवास करते हुए यह सुव्रत ।

प्रारम्भ में लाल, फिर नीले (=नीलिमा लिये हुए हरे) एवं अन्त में सूखने से पीले पत्तों को गिरते हुए देखकर नियसंज्ञा का त्याग कर देता है ।

इसलिये बुद्ध से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त, भावनाओं में रत रहने वालों के घर के समान एकान्त वृक्षमूल की बुद्धिमान् मिक्षु उपेक्षा न करें ।

यह वृक्खमूलिकाङ्ग के विवर में ग्रहण, विधान, प्रभेद, भेद एवं मालात्म्य का वर्णन है ॥

९०. आभ्यवकाशिकाङ्ग

५२ आभ्यवकाशिकाङ्ग (अब्दोकासिकङ्ग) भी १. “छत एव वृक्षमूल का परित्याग करता हूँ”. २. “आभ्यवकाशिकाङ्ग का ग्रहण करता हूँ”— इनमें से किसी एक देशनावचन से ग्रहण किया जाता है ।

५३ (क) उस आभ्यवकाशिक के लिये, धर्मश्रवण—हेतु या उपोसथ के लिये उपोसथ—गृह में प्रवेश करना विहित है । (ख) यदि प्रवेश करने के बाद वर्षा होने लगे तो वर्षा के समय बाहर न निकल कर वर्षा रुक जाने पर निकलना चाहिये । (ग) भोजनशाला या अग्निशाला में जाकर आवश्यक कार्य करने के लिये, भोजनशाला में जाकर स्थविर मिक्षुओं को भोजन हेतु पूछने के लिये या पढ़ने और पढ़ाने के लिये, बाहर रखी हुई चारपाई—चौकी आदि को भीतर रखने के लिये यदि (छाये हुए स्थान) के भीतर प्रवेश करना पड़े तो वह विहित है । (घ) यदि मार्ग में जाते समय अपने से बड़े (मिक्षुओं) का सामान लिये हुए हो और वर्षा होने लगे, तो मध्य मार्ग में (किसी) विश्रामशाला में प्रवेश करना विहित है । (ङ) यदि कुछ नहीं लिया हो

“सालाय उस्सामी” ति वेगेन गन्तुं न वद्विति । पक्तिगतिया गन्त्वा पविट्ठेन पन याव वस्सूपरमा ठत्वा गन्तब्बं ति । इदमस्स विधानं । रुक्खमूलिकस्सापि एसेव नयो ।

५४. पधेदतो पन अयं पि तिविधो होति । तत्थ—१. उङ्कडुस्स रुक्खं वा पब्बं वा गेहं वा उपनिस्साय वसितुं न वद्विति । अब्बोकासे येव चीवरकुटिं कत्वा वसितब्बं । २. मज्जिमास्स रुक्खपब्बतगेहानि उपनिसाय अन्तो अप्पविस्तिवा वसितुं वद्विति । ३. मुदुकस्स अच्छन्नमरियादं पब्बारं पि साखामण्डपो पि पीठपटो पि खेत्तरक्खकादीहि छाड्विता तत्रटुक्कुटिका पि वद्वीति ।

५५. इमेसं पन तिणं पि वास्तव्याय छन्नं वा रुक्खमूलं वा पविट्ठुक्खणे भुतन्नं भिज्जति । जानित्वा तत्थ अरुणं उट्टापितमते ति अद्वृत्तरभाणका । अयमेत्थ भेदो ।

५६. अयं पनानिसंसो—आवासपलिबोधुपच्छेदो, थीनमिद्धपनूहनं, “मिगा विय असङ्गच्चारिनो, अनिकेता विहरन्ति भिक्खुवो” (सं० १-२००) ति पसंसाय अनुरूपता, निस्सञ्ज्ञता, चातुहिसता, अप्पिच्छतादीनं अनुलोमव्युत्तिता ति ।

अनगारियभावस्स अनुरूपे अदुलभे ।

तारापणिवितानम्हि चन्ददीप्यभासिते ॥

अब्बोकासे वसं भिक्खु मिगभूतेन चेत्सा ।

थीनमिद्धं विनोदेत्वा भावनारामतं सितो ॥

तो “शाला में प्रवेश करूँ”—ऐसा सोच, दौड़कर जाना उचित नहीं है। स्वाभाविक गति से जाकर प्रवेश करना चाहिये । एवं जब तक वर्षा होती रहे तब तक ठहर कर (आगे) जाना चाहिये । यह इसका विधान है। (पूर्वांक) वृक्खमूलिक के लिये भी यहीं विधि है।

५४. प्रब्रेद से यह भी तीन प्रकार का होता है । इनमें १. इस अङ्ग के उत्कृष्ट व्रती की वृक्ष, पर्वत या घर के पास नहीं रहना चाहिये । खुले स्थान पर चीवर का तम्बू बनाकर रहना विहित है । २. मध्यम साधक वृक्ष, पर्वत या घर के समीप (=उनकी आड़ में) रह सकता है, किन्तु वहाँ अन्त प्रवेश करना (=उनकी छाया में आना) विहित नहीं है । और ३. निम्न व्रती के लिये ऐसी गुफा जिसमें मर्यादा (गुफा के ऊपर पत्थर को काट कर छज्जे जैसा बना दिया जाना कि पानी गुफा में न घुसे) न काटी गयी हो, लता-मण्डप, गोद से कड़ा किया गया कपड़ा (=पीठपट), खेत के रखवालों के द्वारा वहाँ छोड़ी गयी कुटी (=मचान) भी विहित है ।

५५. इन तीनों का धूताङ्ग, निवास करने के प्रयोजन से, छाये हुए स्थान या वृक्ष के नीचे प्रविष्ट होते ही भङ्ग हो जाता है । अद्वक्तर-भाणक (अद्वृत्तरनिकायमत्तनुयायी) कहते हैं—“जान-बूझकर वहाँ सूर्योदय के समय बने रहने मात्र से!” ये भेद है ।

५६. इस अङ्ग का यह माहात्म्य है—आवासविधथक विद्ध-आधाओं का विनाश, शारीरिक य मानसिक आलस्य (=स्थान, मृद्ध) का दूर होना, “मिशु लोग मृग के समान अकेले एवं गृहरहित होकर विहार करते हैं”—इस प्रशस्ता के अनुरूप होना, संसर्गरहित होना (निसञ्ज्ञता), चारों दिशाओं में जा सकना, अल्पेच्छता आदि के समनुरूप होना ।

गृह-रहित होकर प्रदद्यन्नकूल भावना के अनुरूप सुलभ, तारागणरूपी मणियों के वितान के समान, जिसमें चन्दमारूपी दीपक से प्रकाश हो रहा हो ।

ऐसे आकाश के नीचे रहते हुए मिशु मृग के समान (सज्जा) मन से स्थान-मृद्ध को दूर कर, भावना करने में लगा दुआ हो ।

पविवेकरसस्सादं नचिरस्सेव विन्दति ।

यस्मा, तस्मा हि सप्यञ्जो अञ्जोकासतो सिया ॥ ति ॥

अयं अञ्जोकासिकङ्गे समादानविधानप्यभेदभेदानिसंबण्णना ॥

११. सोसानिकङ्गकथा

५७. सोसानिकङ्गे पि “न सुसानं पटिक्खिपामि”, “सोसानिकङ्गं समादियामी” ति इमेसं अञ्जतरवचनेन समादित्रं होति ।

५८. तेन पन सोसानिकेन यं घनुस्सा ग्रामं निवेसन्ता “इदं सुसानं” ति वव्वत्थपेत्ति, न तत्थ वसितब्बं । न हि मतसरीरे अञ्जापिते तं सुसानं नाम होति, झापितकालतो पन पटाय सचे पि द्वादसवस्सानि छड्डितं, तं सुसानमेव ।

तस्मि पन वसन्तेन चङ्गम्-मण्डपादीनि कारेत्वा मञ्चपीठं पञ्जपेत्वा पानीय-परिभोजनीयं उपटापेत्वा धर्मं वाचेनेन न वसितब्बं । गरुकं हि इदं धुतज्ञं, तस्मा उपश्चपरि-स्सयविधातत्थाय सङ्घृत्येरं वा राजयुतकं वा जानापेत्वा अप्यभर्तेन वसितब्बं । चङ्गमन्तेन अद्विक्खिकेन आळाहनं औलोकेन्तेन चङ्गमितब्बं ।

सुसानं गच्छन्तेनापि महापथा उक्तम् उप्यथमगोन गन्तब्बं । दिवा देव आरम्मणं वव्वत्थपेतब्बं । एवं हस्स तं रत्तिं भयानकं न भविस्सति, अमनुस्सा रत्तिं विरवित्वा विरवित्वा आहिष्ठन्ता पि न केनचि पहरितब्बा । एकदिवसं पि सुसानं अगन्तुं न वटृति । मज्जामयं मं

क्योकि वह शीघ्र ही एकान्तविन्नतन (=प्रविवेक) का रसास्वादन करता है, अतः प्रजा गान् शिक्षु खुले मैदान मे रहने का अभ्यास करे ॥

यह आश्ववकाशिकाङ्ग के विषय मे ग्रहण, विधान, प्रसेद, मेद माहात्म्य का वर्णन हुआ ॥

५९. इमाशानिकाङ्ग

५७ इमाशानिकाङ्ग मी १ “श्मशान का परित्याग नहीं करूँगा” या २ “श्माशानिकाङ्ग को ग्रहण करता हूँ”— इनमे से किसी एक देशना-दक्षन से ग्रहण किया जाता है ।

५८ उस इमाशानिक साधक को केवल इसलिये किसी स्थान पर नहीं रहना चाहिये कि गाँव बसाने वालों ने उसके विषय मे “यह श्मशान है”—ऐसा मान लिया है । क्योकि जब तक वहाँ कोई मृत शरीर जलाया न जाय, तब तक वह श्मशान नहीं है । किन्तु, यदि शव एक बार जला दिया गया तो, जलाने के समय से वह श्मशान है, भले ही फिर बारह वर्ष तक भी उसे छोड़ दिया जाय (=उसमे शव न जलाया जाय) ।

उसमे रहने वाले को चक्रमण—मण्डप आदि बनवाकर, चारपाई या चौकी बिछाकर, पीने एवं नहाने—धोने का पानी रखवा कर धर्म—ग्रन्थ बाँदते हुए नहीं रहना चाहिये । यह धुताङ्ग कठिन है, इसलिये उससे उत्पन्न (हो सकने वाले) उपद्रव (=परिश्रय) को मिटाने के लिये सङ्घ—स्थविर या राज कर्मदारी द्वा० सूचित करके अप्रमाद के साथ रहना चाहिये । चक्रमण करते हुए अँखों को आधा खोले हुए श्मशान की ओर देखते हुए चक्रमण करना चाहिये ।

श्मशान की ओर जाते समय भी उसे मुख्य मार्ग को छोडकर उत्तर्वार्ग से जाना चाहिये । दिन मे ही आलम्बन को अच्छी तरह देखकर भल मे जमा लेना चाहिये । यो करने से उसके लिये वह रात्रि भयानक नहीं होती । अमनुष्यों (=भूत—प्रेतों आदि) के कोलाहल करते हुए घूमते रहने पर भी (उनमे से किसी पर) किसी चीज से प्रहार नहीं करना चाहिये । एक दिन के लिये भी श्मशान न जाना चिह्नित

सुसाने खेपेत्वा पच्छमयामे पटिकभितुं बट्टती ति अङ्गूत्तरभाणका। अमनुस्सानं पियं तिलपिटुमासभत्तमच्छमंसखीरतेलगुल्लादिखज्जभोज्जं न सैवितब्बं। कुलगेहं न पविसितब्बं ति। इदमस्स विधानं।

५९. पधेदतो पन अयं पि तिविधो होति। तथ—१. उक्कडेन यथ भुवडाह-धुवकुणपथुवरोदेनानि अत्थ, तत्थेव चित्तब्बं। २. मञ्जिमस्स तीसु एकस्मि पि सति बट्टति। ३. मुदुकस्स बुत्तनयेन सुसानलक्खणं पत्तमते बट्टति।

६०. इमेसं पन तिणं पि न सुसानिहि वासं कप्पेन धुतङ्गं भिजति। सुसानं अगतदिवसे ति अङ्गूत्तरभाणका। अयमेत्य भेदो।

६१. अयं पनानिसंसो—मरणसमसतिपटिलाभो, अप्पमादविहारिता, असुभनिमित्ताधिगमो, कामराणविनोदनं, अभिष्ठं कायसभावदस्सनं, संवेगबहुलता, आरोग्यमदादिप्पहानं, भयभेरवसहनता, अमनुस्सानं गृहभावनीयता, अप्पिच्छतादीनं अनुलोभवुतिता ति।

सोसानिकं हि मरणानुसतिप्यभावा निद्घगतं पि न फुसन्ति पमाददोसा।

सम्पस्सतो च कुणपानि बहूनि तस्स कामानुभाववसगं पि न होति चित्तं॥

संवेगमेति विपुलं न मदं उपेति सम्पा अथो घटति निष्पुतिमेसमानो।

सोसानिकङ्गमिति नेकगुणावहता निष्पाननिन्हहदयेन निसेवितब्बं॥ ति॥

अवं सोसानिकङ्गे समादानविधानप्यभेदभेदानिसंस्वरणना॥

नहीं है। अङ्गूत्तरभाणक कहते हैं कि रात्रि के मध्यम प्रहर को श्मशान मे बिताकर पिछले प्रहर मे लौटना चाहिये। (श्माशानिक को) अमनुष्यों को प्रिय लगाने वाले खाद्य पदार्थ जैसे— तिल की पिण्डी (=कसार), उर्द भिला कर बनाया गया चावल, मछली, मास, दूध, तेल, गुड आदि खाद्य—भोज्य नहीं खाना चाहिये। ऐसे घरों मे, जहाँ परिवार रहते हो, नहीं जाना चाहिये। यह इसका विधान है।

५९. प्रभेद से यह भी तीन प्रकार का होता है। इनमे इस अङ्ग के १. उत्कृष्ट साधक को जहाँ निरन्तर शव—दाह होता हो, जहाँ निरन्तर शव पडे रहते हो, जहाँ हमेशा रोना—पीटना मचा रहता हो वही रहना चाहिये। २. मध्यम के लिये तीनों मे से एक के भी होने पर (रहना) विहित है। ३. निष्प्र के लिये पूर्वोत्त श्मशान का लक्षण प्राप्त होने मात्र से वहाँ रहना विहित है।

६०. इन उत्कृष्ट आदि तीनों का भी धृताङ्ग किसी ऐसे स्थान मे, जो श्मशान नहीं है, निवास करते ही भङ्ग हो जाता है। परन्तु अङ्गूत्तरभाणक कहते हैं कि जिस दिन श्मशान नहीं जाता उस दिन। यह भेद है।

६१. और इसका भास्त्रात्म्य यह है—मृत्यु की स्मृति का बने रहना, अप्रमाद के साथ विहार, अशुभ निमित्त की प्राप्ति, काम—राण का निराकरण, निरन्तर शरीर के स्वभाव (=अशुचि, नशरता आदि) का दर्शन, सवेग (दैराय) की अधिकता, आरोग्य के अभिमान का प्रहाण, भय एव भयङ्करता के प्रति सहनशीलता, अमनुष्यों के लिये सम्मान (=गौरव) का पात्र होना, अल्पेच्छा आदि के समनुरूप होना।

श्माशानिक को मरणानुस्मृति के प्रभाव से नीद मे भी प्रभाव से उत्पन्न होने वाले दोष स्पर्श नहीं कर पाते। अनेक शब्दों को देखते हुए, उसका चित्त कामराण के वशीभूत नहीं होता।

अत्यधिक सवेग उत्पन्न होता है, अभिमान नहीं होता। निर्वाण का अन्वेषण करते हुए भलीभांति उद्योग करता है। इसलिये जिसका हृदय निर्वाण की ओर झुका हुआ हो, उसे अनेक गुणों के उत्पादक इस श्माशानिकाङ्ग का सेवन करना चाहिये।।

यह श्माशानिकाङ्ग के विषय मे ग्रहण, विधान, प्रभेद, भेद एव माहात्म्य है॥

१२. यथासन्थतिकङ्गकथा

६२. यथासन्थतिकङ्ग पि “सेनासनलोलुप्पे पटिक्खिषणामि”, “यथासन्थतिकङ्ग समादियामि” ति इमेसं अञ्जतरवचनेन समादिनं होति।

६३. तेन पन यथासन्थतिकेन यदस्स सेनासनं “इदं तु यहं पापुणाती” ति गाहितं होति, तेनेव तुदुब्बं, न अञ्जो उद्घापेतब्बो । इदमस्स विधानं ।

६४. पधेदतो पन अयं पि तिविधो होति; तथ—१. उक्कद्वो अत्तनो पत्तसेनासनं दूरे ति वा अच्चासने ति वा, अमनुस्सदीघजातिका उपद्रुतं ति वा, उण्हं ति वा सोतलं ति वा पुच्छतुं न लभति । २. मञ्जिष्ठो पुच्छतुं लभति, गन्त्वा पन ओलोकेतुं न लभति । ३. मुदुको गन्त्वा ओलोकेत्वा सच्चस्स तं न रुचति, अञ्जं गहेतुं लभति ।

६५. इमेसं पन तिण्णं पि सेनासनलोलुप्पे उप्पन्नमते धुतङ्गं भिजाती ति । अयमेत्थ भेदो ।

६६. अयं पनानिसंसो—“यं लङ्घं तेन तुदुब्बं” (खु० ३: १-३१) ति वुतोवादकरणं, सब्रह्यचारीनं हितेसिता, हीनपणीतविकप्परिच्छागो, अनुरोधविरोधप्पहानं, अत्रिच्छताय द्वारपिदहनं, अपिच्छतादीनं अनुलोभवुतिता ति ।

यं लङ्घं तेन सन्तुद्वो यथासन्थतिको यति ।

निव्विकप्पो सुखं सेति तिण्णसन्थरणेसु पि ॥

न सो रजति सेदुम्हि हीनं लङ्घा न कुप्पति ।

१३. यथासंस्तृतिकाङ्ग (यथासन्थतिकङ्ग)

६२. यथासंस्तृतिकाङ्ग भी “१. शयनासन के प्रति लोलुपता का परित्याग करता हूँ”, या २ “यथासंस्तृतिकाङ्ग का ग्रहण करता हूँ”— इनमें से किसी एक देशनावचन के द्वारा ग्रहण किया जाता है ।

६३. उस यथासंस्तृतिक को जो भी शयनासन ‘यह आपके लिये है’—इस प्रकार कहकर दिया जाय, उसी से सन्तुष्ट रहना चाहिये । किसी दूसरे को उसे (उसके आसन से) नहीं उठाना चाहिये । यह इसका विधान है ।

६४. प्रबेद से यह भी तीन प्रकार का होता है । उनमे— १. उत्कृष्ट यह नहीं पूछ सकता है कि क्या मेरा शयनासन दूर है या बहुत पास है? यहाँ वहाँ अमनुष्यों या दीर्घजातिक (सार्व आदि) का उपद्रव हो सकता है? अथवा गर्म है या शीतल है? २. मध्यम पूछ सकता है, किन्तु जाकर निरीक्षण नहीं कर सकता । ३. निष्प्र जाकर, देखकर, यदि उसे न रुचे तो दूसरा ग्रहण कर सकता है ।

६५. इन तीनों का भी धुताङ्ग शयनासन के प्रति लोलुपता उत्पन्न होते ही भक्त हो जाता है । यह भेद है ।

६६. इसका माहात्म्य यह है—“जो मिले उससे सन्तोष करना चाहिये”— इस भगवद्वचन का पालन, साधियों का हितेशी होना, ‘यह हीन है’, ‘यह उत्तम है’—ऐसे विकल्प (ऊहापोह) का परित्याग, सहमति एवं विरोध का प्रहाण, अत्यधिक इच्छा के द्वार बन्द करना, अत्येच्छता आदि के समनुरूप होना ।

जो भिल जाय उसी से सन्तुष्ट यथासंस्तृतिक यति विकल्परहित होकर धास के बिछौने पर भी सुखपूर्वक सोता है ।

सब्रह्मचारिनवके हितेन अनुकम्पति ॥

तस्मा अरियसताचिण्णं मुनिपुङ्गवविष्णितं ।

अनुयुज्ञेथ मेधावी यथासन्धतरामतं ॥ ति ॥

अयं यथासन्धतिकङ्गे समादानविधानप्यभेदभेदानिसंसवण्णना ॥

१३. नेसज्जिकङ्गकथा

६७. नेसज्जिकङ्गं पि “सेव्यं पटिकिखपामि”, “नेसज्जिकङ्गं समादियामी” ति इमेसं अञ्जतरवचनेन समादितं होति ।

६८. तेन पन नेसज्जिकेन रत्तिया तीसु यामेसु एकं यामं उद्ग्राय चङ्गमितब्बं । इरियापथेसु हि निपञ्जितुमेव न वटृति । इदमस्स विधानं ।

६९. पभेदो पन अयं पि तिविधो होति; तत्थ—१. उङ्गद्गुस्स नेव अपस्सेन, न दुस्सपल्लत्थिका, न आयोगपट्टो वटृति । २. मण्डिग्नामस्स इमेसु तीसु यं किञ्चिं वटृति । ३. मुदुकस्स अपस्सेन पि दुस्सपल्लत्थिका पि आयोगपट्टो पि बिब्बोहनं पि पञ्चङ्गो पि सतङ्गो पि वटृति । पञ्चङ्गो पन पिंडिअपस्सयेन सद्धिं कतो । सतङ्गो नाम पिंडिअपस्सयेन च उभतोपस्सेसु अपस्सयेहि च सद्धिं कतो । तं किर पीठाभयत्थेरस्स अकंसु । थेरो अनागामी हुत्वा परिनिब्बायि ।

७०. इमेसं पन तिण्णं पि सेव्यं कण्ठितमते धुतङ्गं भिज्जति । अयमेत्थ भेदो ।

वह श्रेष्ठ के प्रति राग नहीं करता और हीन को पाकर क्रोध नहीं करता । नवीन सब्रह्मचारियों के हित के लिये अनुकम्पा करता है ।

इसलिये मेधावी भिषु को आर्यजनों से सेवित, मुनिपुङ्गव (=भगवान् बुद्ध) द्वारा प्रशसित यथासंस्तृतिक-विहार (साधना) में निरन्तर संलग्न रहना चाहिये ॥

यह यथासंस्तृतिकाङ्ग के विवर में समादान, विधान, प्रभेद, भेद एवं भावात्म्य का वर्णन समाप्त हुआ ॥

१४. नैषधिकाङ्ग

६७. तेरहवाँ नैषधिकाङ्ग भी १. “शाय्या का परित्याग करता हूँ”, या २. नैषधिकाङ्ग का ग्रहण करता हूँ—इनमें से किसी एक देशनावचन से ग्रहण किया जाता है ।

६८. उस नैषधिक ब्रती को रात्रि के तीन प्रहरों में से एक प्रहर में उठकर चक्रमण करना चाहिये । ईर्यापथों में से शयन ही उसके लिये विहित नहीं है । यह इसका विधान है ।

६९. प्रभेद से यह भी तीन प्रकार का है । उनमें १. उत्कृष्ट के लिये न तो किसी सहारे का पीठ का टेकना, न ‘दुस्सपल्लत्थिका’ (‘कपड़ा या लई को गोल कर बनाया हुआ मसनद, जिससे पीठ को सहारा दिया जा सके’) न ‘आयोगपट्ट’ (वस्त्र आदि के द्वारा स्वशारीर को किसी खूँटी आदि अचल पदार्थ से बांधे रखना, ताकि शरीर की निषीदन-अवस्था में बाधा न आवे) ही विहित है । २. मध्यम के लिये इन तीनों में से कोई भी विहित है । ३. निम्न के लिये पीठ टेकना भी, दुस्सपल्लत्थिका भी, आयोगपट्ट भी, तकिया भी, पञ्चाङ्ग एवं सप्ताङ्ग भी विहित है । पीठ के लिये टेक के साथ बनाये गये चार पाद वाले आसन को पञ्चाङ्ग कहते हैं । पीठ के लिये टेक के साथ ही, दोनों हाथों के लिये भी टेक के लिये बनाये गये चार पाद वाले आसन को सप्ताङ्ग कहते हैं । सम्बद्धतः इसे पीठाभय स्थविर के लिये पहले-पहल बनाया गया था । स्थविर अनागामी होकर परिनिवृत्त हुए थे ।

७०. इन तीनों का ही धुतङ्ग इनके द्वारा शाय्या का सेवन (उपयोग) करते ही भज्ज हो जाता है । यह भेद है ।

७१. अयं पनानिसंसो—“सेव्यसुखं पस्ससुखं मिद्धसुखं अनुयुतो विहरती” (दो० ३-१८५) ति खुतस्स सेतसो विनिबन्धस्स उपच्छेदनं, सब्बकम्भट्टानानुयोगसप्यायता, पासादिकइरियापथता, विरियारम्भानुकूलता, सम्मापटिपत्तिया अनुबूहनं ति।

आभुजित्वान पलङ्गं पणिधाय उजुं तनु।

निसीदन्तो विकम्पेति मारस्स इदयं यति॥

सेव्यसुखं मिद्धसुखं हित्वा आरद्धवीरियो।

निसज्जाभिरतो भिक्षु सोभयन्तो तपोवनं॥

निरामिसं पीतिसुखं यस्मा समधिगच्छति।

तस्मा समनुयुजेद्य धीरो नेसज्जिकं वतं॥ ति॥

अयं नेसज्जिकङ्गे समादानविधानयभेदभेदानिसंस्करणना॥

धुतङ्गपकिण्ठककथा

७२. इदानि—

कुसलत्तिकतो चेव धुतादीनं विभागतो।

समासव्यासतो चापि विज्ञातज्जो विनिच्छयो॥ (वि० म० २/३)

ति इमिस्सा गाथाय वसेन वण्णना होति।

तत्ता कुसलत्तिकतो ति सब्बानेव हि धुतङ्गानि सेक्ख-पुशुज्जन-खीणासवानं वसेन सिया कुसलानि, सिया अव्याकतानि, नरिथ धुतङ्गं अकुसलं ति।

यो पन वदेद्य—“पापिच्छो इच्छापकतो आरज्जिको होती” (अं० २-४६३)

७१. और इसका यह माहात्म्य है—‘शाया-सुख, पार्श्व-सुख (=बगल में किसी के होने का सुख), निदा-सुख में रत हो विहरता है’—इस वचन में उक्त वित्त के बन्धन का नाश, सभी कर्मस्थानों में लगने की अनुकूलता, प्रासादिक (शारीरिक सुविधायुक्त) ईर्यापथ का होना, उद्योग के अनुकूल होना, सम्यक् प्रतिपत्ति की वृद्धि।

शरीर को सीधा रख, पचासन लगाकर बैठा हुआ यति भार (काम) के इदय को कमित करता है।

शाया-सुख एवं निदासुख का त्याग कर, उद्योगी, बैठने में रत भिक्षु तपोवन को सुशोभित करता हुआ निरामिष (=विशुद्ध) प्रीतिसुख प्राप्त करता है, अतः धैर्यवान् साधक नैषधिक व्रत में लगा रहे॥

यह नैषधिकान् के समादान, प्रभेद आदि का वर्णन पूर्ण हुआ॥
धुताभ्युप्रकीर्णककथा

७२. अब—

कुशल-त्रिक, धुत आदि के विभाग का संक्षेप एवं विस्तार से भी इन धुताङ्गों का विनिश्चय (निर्णय) जानना चाहिये। अतः इस पूर्वान्त गाथा के अनुसार इन धुताङ्गों के विश्व में अवशिष्ट वर्णन किया जा रहा है।

इनमें, कुशलत्रिक से—सभी धुताङ्ग शैक्ष्य, पृथग्जन, खीणासव व के अनुसार कुशल हो सकते हैं या अहंत के सन्दर्भ में अव्याकृत हो सकते हैं; किन्तु धुताङ्ग अकुशल नहीं हो सकता।

यदि कोई कहे कि “अरण्य में रहने वाला (भी) पापमय इच्छा वाला, स्वच्छन्दवार होता है”

ति आदिवचनतो अकुसलं पि धुतङ्गं ति ? सो चत्तब्बो—न मयं 'अकुसलचितेन अरज्जे न वसती' ति वदाम । यस्स हि अरज्जे निवासो, सो आरज्जिको । सो च पापिच्छो वा भवेष्य, अपिच्छो वा । इमानि पन तेन तेन समादानेन धुतकिलेसत्ता धुतस्स भिक्षुनो अङ्गानि, किलेसधुननतो वा धुतं ति लङ्घवोहारं आणं अङ्गमेतेसं ति धुतङ्गानि । अथ वा—धुतानि च तानि पटिपक्खानिद्वननतो अङ्गानि च पटिपतिया ति पि धुतङ्गानी ति वृत्तं । न च अकुसलेन कोचि धुतो नाम होति, यस्सेतानि अङ्गानि भवेष्युं; न च अकुसलं किञ्चित् धुनाति, येसं तं अङ्गं ति कल्पा धुतङ्गानी ति वृच्चेष्यं । नापि अकुसलं चीवरलोलुप्पादीनि चेव निद्वनाति, पटिपतिया च अङ्गं होति, तस्मा सुवृत्तमिदं—“नरिथ अकुसलं धुतङ्गं” ति ॥

येसं पि कुसलतिकविनिमुत्तं धुतङ्गं, तेसं अत्थतो धुतङ्गमेव नरिथ । असन्तं कस्स धुननतो धुतङ्गं नाम भवित्सति ! “धुतगुणे समादाय वसती” ति वचनविरोधो पि च नेसं आपज्जति, तस्मा तं न गहेतब्बं” ति ।

अयं ताव कुसलतिकतो वर्णना ।

७३. धुतादीनं विभागतो ति । धुतो वेदितब्बो, धुतवादो वेदितब्बो, धुतथम्मा वेदितब्बा, धुतङ्गानि वेदितब्बानि, कस्स धुतङ्गसेवना सप्पाया ?— ति वेदितब्बं ।

७४. तथ्य धुनो ति । धुतकिलेसो वा पुगगलो, किलेसधुननो वा धम्मो ।

आदि वचनो के अनुसार धुताङ्गं भी अकुशल होता है? तो उससे कहना चाहिये—हम नहीं कहते हैं कि अकुशल चित्त से कोई अरण्य में नहीं रह सकता । जो कोई भी अरण्य में निवास करता है, वह आरण्यक है, चाहे वह पापमय इच्छा वाला हो या अल्पेच्छ हो । किन्तु, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ये उस भिक्षु के अङ्ग (अभ्यास, नियम) हैं जो धुत है, जिसने इनमें से किसी-एक को धारणे करने से क्लेशों को धुत (=विचलित) कर दिया है, अथवा क्लेशों को धुन डालने के कारण धुत कहा जाने वाला ज्ञान इनका अङ्ग है, इसलिये ये धुताङ्ग हैं । अथवा, प्रतिपक्ष (विरोधी दुर्गणों) का धुनन करने के कारण धुत हैं एव प्रतिपत्ति (मार्ग) होने के कारण अङ्ग है—ऐसा भी कहा जाता है । अकुशल के द्वारा तो कोई भी धुत (=परिशुद्ध) नहीं होता, जिसके कि ये अङ्ग हो । और न ही अकुशल किसी को धुनता है, जिसका अङ्ग मानकर उन्हे धुताङ्ग कहा जाय । अकुशल न तो चीवर के प्रति लोलुप्ता आदि को धुनता है और न प्रतिपत्ति का अङ्ग ही होता है । इसलिये यह ठीक ही कहा गया है कि “अकुशल धुताङ्ग नहीं होता” ॥

जिनका (अनुराधपुर के अभ्यगिरिविहार के निवासी स्थविरो का जिनके अनुसार धुताङ्ग प्रज्ञाप्तिमात्र=नाम या सज्जा मात्र है—) यह भी कहना है कि “धुताङ्ग कुशल-त्रिक शैक्ष्य पृथग्जन क्षीणास्व आदि से बाहर है, उनके लिये वस्तुतः धुताङ्ग है ही नहीं” । जब वे हैं ही नहीं, तो किसके धुनने से धुताङ्ग नाम होगा! “धुतगुणों का ग्रहण करने के लिये प्रधृत होता है”—इस वचन से भी उन स्थविरों का विरोध होता है, अतः उनके मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता ॥

यह कुशल-त्रिक के अनुसार धुताङ्ग का वर्णन है ॥

७५. धुत आदि के विभाग से— धुत को जानना चाहिये, धुतवादी को जानना चाहिये, धुत-धम्मा ५८८ यदै जानना चाहिये, धुतङ्गों को जानना चाहिये (एव) धुताङ्ग किसके लिये उपयुक्त है?—इसे जानना चाहिये ।

७६. धुत— यहों ‘धुत’ से ऐसे पुद्गल का तात्पर्य है जिसके क्लेश धुन दिये अर्थात् विचलित

७५. धुतवादो ति । एत्थ पन— १. अतिथ धुतो न धुतवादो, २. अतिथ न धुतो धुतवादो, ३. अतिथ नेव धुतो न धुतवादो, ४. अतिथ धुतो चेव धुतवादो च ।

तत्थ यो धुतङ्गेन अत्तनो किलेसे धुनि, परं पन धुतङ्गेन न ओवदति, नानुसासति, बक्षलतथ्येरो विय, अयं धुतो न धुतवादो । यथाह—“तयिदं आयस्मा बक्षलो धुतो न धुतवादो” ति । (१)

यो पन न धुतङ्गेन अत्तनो किलेसे धुनि, केवलं अज्जे धुतङ्गेन ओवदति अनुसासति, उपनन्दथ्येरो विय, अयं धुतो धुतवादो । यथाह—“तयिदं आयस्मा उपनन्दो सक्यपुत्रो न धुतो धुतवादो” ति । (२)

यो उभयविपश्चो, लाकुदायी विय, अयं नेव धुतो न धुतवादो । यथाह—“तयिदं आयस्मा लाकुदायी नेव धुतो न धुतवादो” ति । (३)

यो पन उभयसम्पश्चो, धम्मसेनापति विय, अयं धुतो चेव धुतवादो च । यथाह—“तयिदं आयस्मा सारिपुत्रो धुतो चेव धुतवादो चा” ति । (४)

७६. धुतधम्मा वेदितव्या ति । अप्पिच्छिता, सन्तुष्टिता, सल्लेखता, पविवेकता, इदमतिथा ति, इमे धुतङ्गचेतनाय परिवारका पञ्च धम्मा “अप्पिच्छितं येव निस्साया” (अं० २-४६४) ति आदि वचनतो धुतधम्मा नाम । तत्थ अप्पिच्छिता च सन्तुष्टिता च अलोभो । सल्लेखता च पविवेकता च द्वासु धम्मेसु अनुपत्तिं अलोभे च अमोहे च । इदमतिथा जाणमेव । तत्थ च अलोभेन पटिकखेपवत्थुसु लोभं, अमोहेन तेस्वेव आदीनवपटिच्छादकं मोहं धुनाति । अलोभेन च अनुज्ञातानं पटिसेवनमुखेन पवत्तं

कर दिये गये हों या वह धर्म (=स्तिथि) जो क्लेशों का धुनना सूचित करता है । वास्तविक धुतवादी समझने के लिये उसे निष्पालिखित रूप में चार भागों में बाँटकर समझना चाहिये ।

७५. धुतवादी— जैसे १. कोई धुत है, धुतवादी नहीं है; २. धुत नहीं है, धुतवादी है; ३. न धुत है; न धुतवादी है एवं ४. कोई धुत भी है धुतवादी भी है ।

इनमें, १. जो बक्षुल स्थविर के समान धुताङ्ग से अपने क्लेशों को धुन डालता है, किन्तु दूसरे को धुताङ्ग धारण करने का परामर्श या उपदेश नहीं करता वह धुत है, धुतवादी नहीं । जैसा कि कहा गया है—“यह आयुष्मान् बक्षुल धुत है, धुतवादी नहीं” २. किन्तु जो धुताङ्ग से अपने क्लेशों को नहीं धुनता, अपितु केवल दूसरे को सलाह या उपदेश देता है वह सउपनन्द स्थविर के समान धुत नहीं है, धुतवादी है । जैसा कि कहा गया है—“यह आयुष्मान् उपनन्द शाकयुपत्र धुत नहीं, धुतवादी है” ३. जो लाकुदायी के समान दोनों से रहित है, वह धुत है न धुतवादी है । जैसा कि कहा गया है—“यह आयुष्मान् लाकुदायी न धुत है, न धुतवादी” ४. जो धर्मसेनापति (सारिपुत्र) के समान दोनों से युक्त है, वह धुत भी है और धुतवादी भी है, जैसा कि कहा गया है—“यह आयुष्मान् सारिपुत्र धुत भी है, धुतवादी भी है” ।

७६. धुत-धर्मों को भी जानना चाहिये— अल्पेच्छता, सन्तोष, संपेक्षा, प्रविवेक, इदमस्तिता— ये धुताङ्गचेतना के परिवार (रूप) पाँच धर्म धुत धर्म हैं, “अल्पेच्छ के ही आधार पर” आदि वचन के अनुसार । उनमें, अल्पेच्छता और सन्तोष अलोभ है । ‘इदमस्तिता’ ज्ञान ही है । वह अलोभ के द्वारा विरोधी वस्तुओं में लोग को एवं अमोह के द्वारा उनमें ही दोषों को छिपाये रहने वाले मोह को धुनता है । अलोभ के द्वारा कामसुखोपभोग को, जौः त्रिः प्रतिसेवन के माध्यम से अनुज्ञात (=बतलाया गया)

कामसुखानुयोगं, अपोहेन धुतङ्गेसु अतिसल्लेखमुखेन पवतं अत्तकिलमथानुयोगं धुनाति। तस्मा इमे धम्मा 'धुतथम्मा' ति वेदितव्या ।

७६. धुतङ्गानि वेदितव्यानी ति । तेरस धुतङ्गानि वेदितव्यानि—पंसुकूलिकङ्गं...पै०.... नेसज्जिकङ्गं ति । तानि अत्थतो लक्खणादीहि च बुतानेव ।

७७. कस्स धुतङ्गसेवना सप्पाया ति । रागचरितस्स चेव मोहचरितस्स च । कस्मा ? धुतङ्गसेवने हि दुक्खापटिपदा चेव सल्लेखविहारो च । दुक्खापटिपदं च निसाय रागे वूपसम्मति । सल्लेखं निसाय अप्पमत्तस्स मोहो पहीयति । आरञ्जिकङ्गरुक्खमूलिकङ्ग—पटिसेवना चा एत्थ दोसचरितस्सापि सप्पाया । तथ हिस्स असङ्घट्टियमानस्स विहरतो दोसो पि वूपसम्मती ति ॥

अयं धुतादीनं विभागतो वर्णना ॥

७९. समाप्त्यासतो ति । इमानि पन धुतङ्गानि समाप्ततो तीणि सीसङ्गानि, पञ्च असम्भवङ्गानी ति अट्ठेव होन्ति । तत्थ सपदानचारिकङ्गं, ऐकासनिकङ्गं, अब्दोकासिकङ्गं ति इमानि तीणि सीसङ्गानि । सपदानचारिकङ्गं हि रक्खन्तो पिण्डपातिकङ्गं पि रक्खस्सति । ऐकासनिकङ्गं च रक्खतो पल्लिपिण्डकङ्गखलुपच्छाभत्तिकङ्गानि पि सुरक्खणीयानि भविस्सन्ति । अब्दोकासिकङ्गं रक्खन्तास्स किं अतिथ रुक्खमूलिकङ्गयथासन्धतिकङ्गेसु रक्खतव्यं नाम ! इति इमानि तीणि सीसङ्गानि; आरञ्जिकङ्गं, पंसुकूलिकङ्गं, त्रैयीवरिकङ्गं, नेसज्जिकङ्गं, सोसानिकङ्गं ति इमानि पञ्च असम्भवङ्गानि चा ति अट्ठेव होन्ति ।

है, धुनता है: अमोह के द्वारा धुताङ्गो में, अति उपेक्षा से प्रवृत्त 'स्वयं को कष्ट देते रहने की प्रवृत्ति' (=अत्तकिलमथानुयोग) को धुनता है। इसलिये ये धर्म 'धूत धर्म' समझे जाने चाहिये ।

७७. धुताङ्गों को भी जानना चाहिये— तेरह धुताङ्गों को जानना चाहिये । जैसे—१. पांशुकूलिकाङ्ग... १३. नैषधकाङ्ग । उनके अर्थ एवं लक्षण आदि इसी प्रकरण मे पहले कहे ही जा चुके हैं ।

७८. किसके लिये धुताङ्ग का सेवन उपयुक्त है?— रागचरित एवं मोहचरित के लिये । क्यो? क्योकि धुताङ्गसेवन दुखप्रतिपद एवं उपेक्षाविहार हैं । दुख—प्रतिपद से राग शान्त हो जाता है । एवं जो उपेक्षा के कारण प्रमादरहित है, उसका मोह नष्ट हो जाता है । आरण्यकाङ्ग या वृक्षमूलिकाङ्ग का सेवन द्वेषचरित के लिये भी उपयुक्त है । एकान्त होने के कारण वहाँ उसके सङ्घर्षरहित होकर विहार करने से उसका द्वेष भी शान्त हो जाता है ॥

यह धुत आदि का, विभाग के अनुसार, वर्णन समाप्त हुआ ॥

७९. संक्षेप (समाप्त) और विस्तार (व्याप्त) से— ये धुताङ्ग, संक्षेप मे, तीन प्रधान (=शीर्ष) अङ्ग एव पौर्व असम्भव अङ्ग—इस प्रकार कुल आठ ही होते हैं । उनमे, सापदानचारिकाङ्ग, ऐकासनिकाङ्ग, आभ्यवकाशिकाङ्ग—ये शीर्ष अङ्ग हैं, क्योकि सापदानचारिकाङ्ग, ऐकासनिकाङ्ग, आभ्यवकाशिकाङ्ग—ये शीर्ष अङ्ग हैं; क्योकि सापदानचारिकाङ्ग का पालन करने वाला पिण्डपातिकाङ्ग का भी पालन करेगा । ऐकासनिकाङ्ग का पालन करते हुए पात्रपिण्डक एवं खलुपच्छाभत्तिकाङ्ग का भी पालन हो जायगा । आभ्यवकाशिकाङ्ग के लिये वृक्षमूलिकाङ्ग और यथासरत्तुतिकाङ्ग का पालन का महत्व रखता है । इस प्रकार ये तीन प्रधान अङ्ग एवं आरण्यकाङ्ग, पांशुकूलिकाङ्ग, त्रैयीवरिकाङ्ग, नैषधिकाङ्ग, रमाशानिकाङ्ग... ये पौर्व असम्भव अङ्ग—(सङ्कलनया) आठ ही होते हैं ।

पुन द्वे चीवरपटिसंयुतानि, पञ्च पिण्डपातपटिसंयुतानि, पञ्च सेनासनपटिसंयुतानि, एकं विरियपटिसंयुतं ति एवं चत्तारो व होन्ति । तत्थ नेसजिकङ्गं विरियपटिसंयुतं । इतरानि पाकटानेव ।

पुन सब्बानेव निस्सयवसेन द्वे होन्ति पञ्चयनिस्सितानि द्वादस, विरियनिस्सितं एकं ति । सेवितब्बासेवितब्बवसेन पि द्वे येव होन्ति । यस्य हि धूतज्ञं सेवेन्तस्स कम्पटानं वढृति, तेन सेवितब्बानि । यस्स सेवतो हायति, तेन न सेवितब्बानि । यस्स एन सेवतो पि असेवतो पि बडृतेव, न हायति, तेनापि पच्छिमं जनतं अनुकम्पन्तेन सेवितब्बानि । यस्सापि सेवतो पि असेवतो पि न वढृति, तेनापि सेवितब्बानि येव आश्रितं बासात्थाया ति ।

एवं सेवितब्बासेवितब्बवसेन दुविधानि पि सब्बानेव चेतनावसेन एकविधानि होन्ति । एकमेव हि धूतज्ञं समादानचेतना ति । अद्भुकथायं पि बुत्तं—“या चेतना, तं ‘धूतज्ञं’ ति वदन्ती” ति ।

८०. व्यासतो पन भिक्खुनं तेरस, भिक्खुनीनं अद्व, सामणेरानं द्वादस, सिक्खमान-सामणेरीनं सत्त, उपासक-उपासिकानं द्वे ति द्वाचतालीस होन्ति । सचे पन अब्बोकासे आरञ्जिकङ्गसम्पन्नं सुसानं होति, एको पि भिक्खु एकप्पहरेन सब्बधूतज्ञानि परिभुञ्जतुं सकोति । भिक्खुनीनं पन आरञ्जिकङ्गं खलुपच्छाभत्तिकङ्गं च द्वे पि सिक्खापदेनेव पटिक्खितानि; अब्बोकासिकङ्गं, रुक्षमूलिकङ्गं, सोसानिकङ्गं ति इमानि तीणि

पुन इनमे दो अङ्ग चीवरसम्बन्धी, पैँच पिण्डपातसम्बन्धी, पैँच शयनासनसम्बन्धी, एक वीर्यसम्बन्धी—इस प्रकार चार ही होते हैं । उनमे नैषदिक्यकाङ्गं वीर्यसम्बन्धी है, अन्य स्पृष्ट है । किर निश्रय के अनुसार ये सभी दो अङ्गों मे अन्तर्भूत हो जाते हैं । जैसे—प्रत्ययसत्रित्रित बारह एवं वीर्यसत्रित्रित एक ।

सेवनीय एव असेवनीय के अनुसार भी दो ही होते हैं । धूताङ्ग का पालन करते हुए जिसका कर्मस्थान बढ़ता है, उसके लिये सेवनीय है । जिसका कर्मस्थान धूताङ्ग का पालन करते हुए घटता है, उसके लिये असेवनीय है । किन्तु जिसका कर्मस्थान पालन करते हुए या पालन न करते हुए भी बढ़ता ही है घटता नहीं है, उसके लिये भी आगामी परम्परा (पीढ़ी) के प्रति अनुकम्पा करते हुए सेवनीय है; और जिसका कि पालन करते हुए भी, न पालन करते हुए भी नहीं बढ़ता है, उसके लिये भी भविष्य के लिये, अभ्यास डालने के उद्देश्य से, सेवनीय है ।

इस प्रकार सेवनीय-असेवनीय भेद से, दो प्रकार के होने पर भी, वे सभी चेतना के अनुसार एक प्रकार के होते हैं; क्योंकि धूताङ्ग को ग्रहण करने की चेतना एक ही है । अद्भुकथा मे भी कहा गया है—“जो चेतना है उसे ही धूताङ्ग कहा जाता है” ।

८० किर विस्तार से— भिक्षुओं के लिये तेरह, भिक्षुणियों के लिये आठ, आमणेरियों के लिये सात, उपासक-उपासिकाओं के लिये दो—ये द्वयालीस (४२) होते हैं ।

यदि खुले आकाश के नीचे, आरण्यकाङ्गसम्पन्न (=अरण्य की विशेषताओं से युक्त) इमशान हो, तो (वहाँ) एक भी भिक्षु एक ही साथ सभी धूताङ्गों का परिभोग कर सकता है । भिक्षुणियों के लिये तो आरण्यकाङ्ग एवं खलुपच्छाद्धकिकाङ्ग—ये दोनों शिक्षापद के द्वारा ही निषिद्ध कर दिये गये हैं । आभ्यवकाशिकाङ्ग, वृक्षमूलिकाङ्ग, श्माशानिकाङ्ग—इन तीनों का पालन कठिन है । भिक्षुणी को किसी सहायिका के विना नहीं रहना चाहिये । एवं इस प्रकार के स्थान मे समान इच्छा बाली सहायिका दुर्लभ

दुर्प्रियहारनि । भिक्खुनिया हि दुतियिकं विना वसितुं न वद्वति । एवरूपे च लाने समानच्छन्दा दुतियिका दुलभा । सचे पि लभेत्य संसद्विहारतो न मुचेत्य । एवं सति यस्सत्थाय धुतङ्गं सेवेत्य, स्वेषस्ता अथो न सम्पज्जेत्य । एवं परिभुजितुं असक्तुणेत्यताय पञ्च हापेत्वा भिक्खुनीं अद्वेव होन्ती ति वेदितब्बानि ।

यथावृत्तेसु पन उपेत्वा तेचीवरिकङ्गे सेसानि द्वादसे सामणेरानं, सत्त सिक्खमान-सामणेरीने वेदितब्बानि । उपासकउपासिकानं पन एकासनिकङ्गं, पत्तपिण्डकङ्गं ति इमानि द्वे पतिरूपानि चेव सबका च परिभुजितुं ति द्वे धुतङ्गानी ति एवं व्यासतो द्वेचतालीस होन्ती ति ॥

अयं समाप्त-व्याप्ततो वर्णना ॥

एतावता च “सीले पतिद्वाय नरो सपञ्चो” ति इमस्सा गाथाय सीलसमाधि-पञ्चामुखेन देसिते विशुद्धिमण्डे येहि अप्यच्छतासन्तुष्टितादीहि गुणेहि युतप्यकारस्स सीलस्स चोदानं होति, तेसं सम्पादनत्थं समादातब्बधुतङ्गकथा भासिता होति ॥

इति साधुजनपामोजात्याय कर्ते विशुद्धिमण्डे
धुतङ्गनिर्देशो नाम दुतियो परिच्छेदो ॥



होती है। यदि प्राप भी हो जाय तो संसर्ग-विहार से मुक्ति नहीं मिल सकती। फिर धुतङ्ग का पालन कैसे होगा! ऐसा होने पर, जिस उद्देश्य से धुतङ्ग का पालन करना है, उस उद्देश्य की पूर्ति ही नहीं हो सकती। यों, पालन असम्भव होने से भिक्षुणियों के लिये पौच (धुतङ्गों) को कम करके, आठ ही धुतङ्ग होते हैं—ऐसा जानना चाहिये।

पूर्वीक (तेरह) मे से त्रैवीषरिकाङ्ग को छोड़कर शेष बारह श्रमणों के लिये, सात शिक्षमाणा और आमणेरियों के लिये समझना चाहिये। ऐकासनिकाङ्ग एवं पात्रपिण्डकाङ्ग उपासक-उपासिकाओं के अनुरूप है एवं वे उनके पालन मे समर्थ भी हैं। इसलिये उनके लिये दो धुतङ्ग ही कहे गये हैं। इस प्रकार विस्तार से (ये सब) बयालीस होते हैं ॥

यह सक्षेप एव विस्तार से धुतङ्गों का वर्णन हुआ ॥

यहाँ तक, “सीले पतिद्वाय नरो सपञ्चो” इस गाथा के अनुसार, शील, समाधि और प्रज्ञा के अनुसार उपदिष्ट विशुद्धिमार्ग मे उक्त प्रकार के शील की जिन अल्पेच्छता, सन्तोष आदि गुणों से शुद्धि होती है, उन (गुणों) की पूर्ति के लिये ग्रहण करने योग्य धुतङ्गों का परिचय करा दिया गया है ॥

साधुजनों के प्रमोद हेतु रचित इस विशुद्धिमार्ग (ग्रन्थ) में
धुतङ्गनिर्देश नामक द्वितीय परिच्छेद समाप्त ॥



कम्पटुनगणनिदेसो

(ततियो परिच्छेदो)

समाधिकथा

१. इदानि यस्मा एवं धूतङ्गपरिहरणसम्पादितेहि अपिच्छतादीहि गुणेहि परियोदाते इमस्मि सीले पतिटुतेन “सीले पतिटुय नरो सपञ्जो चितं पञ्जं च भावयं” ति वचनतो चित्तसीसेन निटुतो समाधि भावेतब्बो । सो च अति सङ्क्षेपदेसितता विज्ञातुं पि ताव न सुकरो, पोव भावेतुं, तस्मा वित्थारं च भावनानवं च दस्तेतुं इदं पञ्जाकम्म होति—

को समाधि ? केनटुन समाधि ? कानस्स लक्खणरसपच्चुपटुनपटुनानि ? कतिविधो समाधि ? को चस्स सङ्क्लेसो ? किं बोदानं ? कथं भावेतब्बो ? समाधिभावनाय को अनिसंसो ति ?

समाधिस्त्रूप

२. तत्रिदं विसज्जनं—

को समाधी ति ? समाधि बहुविधो नानप्यकारको । तं सब्बं विभावयितुं आरब्धमानं विसज्जनं अधिष्ठेतं चेव अत्थं न साधेत्य, उत्तरि च विक्खेणाय संवत्तेत्य, तस्मा इधाधिष्ठेतमेव सन्धाय बदाम—कुशलवित्तेकगता समाधि ।

कर्मस्थानग्रहणनिर्देश

(तृतीय परिच्छेद)

समाधिनिरूपण

१. अब क्योंकि इस प्रकार धूतङ्ग धारण करने से पूर्ण होने वाले अल्पेच्छता आदि गुणों से परिशुद्ध इस शील मे प्रतिष्ठित मिक्षु को “सीले पतिटुय....चितं पञ्जं च भावयं” इस देशना-वचन मे ‘चित’ शीर्षक से निर्दिष्ट समाधि की भावना करना चाहिये, इस समाधि का अतिसंक्षेप मे वर्णन करने से पहले तो उसे जानना ही सरल नहीं, फिर उसकी भावना करना तो और भी कठिन है; अतः उसकी दिस्तार से व्याख्या एवं भावना-विधि प्रदर्शित करने के लिये ये प्रश्न किये जाते हैं—

(१) समाधि का स्वरूप क्या है? (२) किस अर्थ मे समाधि है? (३) इसके लक्षण, रस, प्रत्युपस्थान एवं पदस्थान क्या है? (४) समाधि के कितने प्रकार भेद हैं? (५) इसका संक्लेश (वित्तमल) क्या है? (६) यवदान (शुद्धि) क्या है? (७) इसकी भावना कैसे करनी चाहिये? (८) इस की भावना का माहात्म्य क्या है?

२. इन उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर क्रमशः ये हैं—

(१) समाधि का स्वरूप

समाधि क्या है? शास्त्र मे समाधि बहुविध एवं नाना प्रकार की बतायी गयी है। यदि किसी एक उत्तर के द्वारा उन सब की व्याख्या का प्रयास करें तो ऐसा उत्तर न तो वक्ता के अभिप्राय को और न ही किसी अर्थ (उद्देश्य) को सिद्ध कर पायगा, अपितु वह आगे ब्रह्म (विक्षेप) का भी कारण हो सकता है; अतः यहाँ केवल अभिप्रेत प्रश्न के विषय मे ही कहते हैं कि “कुशल चित्त की एकाग्रता ही समाधि है”।

विसुद्धिमण्ड

केनद्रेन समाधि ?

३. केनद्रेन समाधी ति ? समाधानद्रेन समाधि । किमिदं समाधानं नाम ? एकारम्पणे चित्तचेतसिकानं समं सम्मा च आधानं, रूपनं ति वुत्तं हति । तस्मा यस्स धम्मसानुभावेन एकारम्पणे चित्तचेतसिका समं सम्मा च अविक्षिप्तमाना अविष्प्रकिण्णा च हुत्वा तिट्ठन्ति, इदं 'समाधानं' ति वेदितब्बं ।

समाधिस्स लक्खणादीनि

४. कानस्स लक्खणरसपच्चुपट्टानपदट्टानानी ति ? एत्थ पन अविक्षेपलक्खणो समाधि, विक्षेपविद्धंसनरसो, अविक्षणपच्चुपट्टानो । "सुखिनो चित्तं समाधियती" (दी० निं० १-६५) ति वचनतो पन सुखमस्स पदट्टानं ।

समाधिभेदा

५. कतिविधो समाधी ति ? अविक्षेपलक्खणेन ताव एकविधो ।

उपचार-अप्पनावसेन दुविधो, तथा लोकिय-लोकुत्तरवसेन सप्तीतिकनिष्ठीतिक-वसेन सुखसहगत-उपेक्षासहगतवसेन च ।

तिविधो हीनमज्जिमपणीतवसेन, तथा सवितक्षसविचारादिवसेन, पीतिसहगतादि-वसेन, परित्तमहगगतप्यमाणवसेन च ।

चतुर्ब्बधो दुख्यापटिपदादन्धभिज्ञादिवसेन, तथा परित्तपरित्तरम्मणादिवसेन, चतुर्ज्ञानझवसेन, हानभागियादिवसेन, कामावचरादिवसेन, अधिपतिवसेन च ।

(२) किस अर्थ में समाधि शब्द का प्रयोग है?

३. किस अर्थ में समाधि है? अर्थात् समाधि का अर्थ क्या है? समाधानं के अर्थ में 'समाधि' शब्द का प्रयोग है। यह समाधान क्या है? एक आलम्बन में चित्त-चैतसिको का एक समान एव सम्यक् रूप से आधान (=टिकाना) करना ही समाधान कहा गया है। इसलिये जिस धर्म के कारण (=आनुभाव से=बल से, कारण से) एक आलम्बन में चित्त-चैतसिक एक समान एव सम्यक् रूप से विक्षेपरहित एव अविप्रकीर्ण (=एकजुट) होकर रहते हैं, उसे 'समाधान' समझना चाहिये ।

(३) समाधि के लक्षण आदि

४. इसके लक्षण, रस, प्रत्युपस्थान, पदस्थान क्या है? समाधि का लक्षण है अविक्षेप (=वित्त का ध्येय विषय से न हटना)। इसका रस (=कार्य) है विक्षेप का विष्वस (=विनाश) करना। और कम्पन रहित होना प्रत्युपस्थान है। (ध्येय विषय के प्रति वित्त-चैतसिको के, निर्वातस्थित दीपशिखावत्, कम्पनरहित दर्तन के रूप में समाधि को समझना चाहिये ।) "सुखी का वित्त समाधिस्थ होता है"—इस भगवद्वचन के अनुसार सुख इसका पदस्थान (=आसन्न कारण) है।

(५) समाधि के भेद

५. समाधि के कितने भेद हैं?— समाधि उक्त अविक्षेप लक्षण के अनुसार एकविध है।

तथा उपचार-अर्पण के अनुसार द्विविध है। एव लौकिक लोकोत्तर, प्रीतिसहित प्रीतिरहित, सुखसहगत उपेक्षासहगत—इन भेदों से भी द्विविध है ।

हीन, मध्यम, प्रणीत के अनुसार त्रिविध है। तथा सदितक्ष सविचार आदि या प्रीतिसहगत आदि एव परित्र, महङ्गत, अप्रमाण आदि के अनुसार भी त्रिविध हैं।

दुखप्रतिपद, दन्ध अभिज्ञा (=धुंधला या मन्द अपरोक्ष ज्ञान) आदि के अनुसार चतुर्विध हैं।

पञ्चविधो पञ्चकनये पञ्चज्ञानङ्गवसेना ति ।

समाधिएककदुकानि

६. तत्थ एकविधकोद्वासो उत्तानतथो येव ।

दुविधकोद्वासे—छन्नं अनुस्तिद्वानानं, मरणस्सतिथा, उपसमानुस्तिया, आहार पटिकूलसञ्ज्ञाय, चतुधातुववत्थानस्सा ति इमेसं वसेन लङ्घचित्तेकगता, या च अप्पनासमाधीनं पुब्बभागे एकगता, अयं उपचारसमाधि । “पठमस्स ज्ञानस्स परिकम्म पठमस्स ज्ञानस्स अनन्तरपच्येन पच्यो” (अभिं० ७ : २-३४१) ति आदि वचनतो पन या परिकम्मानन्तरा एकगता, अयं अप्पनासमाधी ति एवं उपचारप्यनावसेन दुविधो ।

दुतियदुके—तीसु भूमिसु कुसलचित्तेकगता लोकियो समाधि । अरियमग्गसम्प्रयुक्ता एकगता लोकुत्तरो समाधी ति एवं लोकिय-लोकुत्तरवसेन दुविधो ।

ततियदुके—चतुक्कनये द्वीसु, पञ्चकनये तीसु ज्ञानेसु एकगता सप्पीतिको समाधि । अवससेसु द्वीसु ज्ञानेसु एकगता निष्पीतिको समाधि । उपचारसमाधि पन सिया सप्पीतिको, सिया निष्पीतिको ति एवं सप्पीतिक-निष्पीतिकवसेन दुविधो ।

चतुर्थदुके—चतुक्कनये तीसु, पञ्चकनये चतुसु ज्ञानेसु एकगता सुखसहगतो समाधि । अवससेसम्म उपेक्खासहगतो समाधि । उपचारसमाधि पन सिया सुखसहगतो, सिया उपेक्खासहगतो ति एवं सुखसहगत-उपेक्खासहगतवसेन दुविधो ।

तथा परित्र, परित्रालम्बन आदि के अनुसार, चार ध्यान एव हानभागीय आदि के अनुसार भी, कामावचारादि भेद से भी, तथा अधिपति भेद से भी चतुर्विधि है ।

पञ्चक नय (=पाँच ध्यानों को मानने वाली विधि) मे पञ्च ध्यानाङ्गों के अनुसार पञ्चविधि है । समाधि के एकक एवं द्विक विभाग

६ उनमे, ‘एकविधि’ समाधिबोधक वर्ग का अर्थ स्पष्ट ही है ।

द्विविधि (समाधि) वर्ग मे— छ अनुस्मृति-स्थान, भरण-स्मृति, उपसमानुस्मृति, आहार मे प्रतिकूलसज्जा, चतुर्धातुव्यवस्थापन—इनके द्वारा प्राप्त वित्त की एकाग्रता एव अर्णा समाधि के पूर्व की एकाग्रता उपचार समाधि है । “प्रथम ध्यान का परिकर्म (=प्रारम्भिक कृत्य) प्रथम ध्यान का अनन्तरप्रत्यय (=आसन्न कारण) होने से प्रत्यय है”—आदि वचनों के अनुसार जो परिकर्म के अनन्तर आने वाली एकाग्रता है, वह अर्णा समाधि है । इस प्रकार उपचार एव अर्णा के भेद से (समाधि) द्विविधि है ।

द्वितीय द्विक मे—=कामावचर, रूपावचर एवं अरूपावचर—इन तीनों भूमियों मे कुशल वित्त की एकाग्रता लोकिक समाधि है । आर्यमार्गसम्प्रयुक्त एकाग्रता लोकोत्तर समाधि है । इस प्रकार लोकिक एवं लोकोत्तर भेद से भी यह द्विविधि है ।

तृतीय द्विक मे—=चार ध्यान मानने वाली विधि चतुर्थ नय मे दो ध्यानों मे एव पाँच ध्यान मानने वाली विधि पञ्चक नय मे तीन मे जो एकाग्रता होती है वह प्रीतिसहित समाधि है । अवशिष्ट दो ध्यानो मे प्राप्त एकाग्रता प्रीतिरहित समाधि है; उपचारसमाधि प्रीतिसहित भी हो सकती है, प्रीतिरहित भी । इस प्रकार प्रीतिसहित एव प्रीतिरहित भेद से वह द्विविधि है ।

चतुर्थ द्विक मे—चतुर्थ नय मे तीन ध्यानो मे, एवं पञ्चक नय मे चार ध्यानो मे जो एकाग्रता होती है वह सुखसहगत समाधि है । अवशिष्ट ध्यानो मे जो एकाग्रता होती है वह उपेक्खासहगत समाधि है । उपचार-समाधि सुखसहगत भी हो सकती है, उपेक्खासहगत भी । यो, समाधि सुखसहगत एवं उपेक्खासहगत भेद से भी द्विविधि है ।

समाधितिकानि

७. तिकेसु—पठमन्तिके पटिलद्वमतो हीनो, नातिसुभावितो मञ्जिमो, सुभावितो वसिष्ठो पणीतो ति एवं हीन—मञ्जिम—पणीतवसेन तिविधो ।

दुतियन्तिके—पठमञ्जिमानसमाधि सद्दिं उपचारसमाधिना सवितक्षसविचारो । पञ्चकनये दुतियञ्जानसमाधि अवितक्षविचारमतो । यो हि वितक्षमते येव आदीनवं दिस्वा विचारे अदिस्वा केवलं वितक्षप्पहमनमतं आकह्मानो पठमञ्जिमानं अतिक्रमति, सो अवितक्षविचारमतं समाधिं पटिलभति । तं सन्धायेतं बुतं । चतुर्कनये पन दुतियादीसु पञ्चकनये ततियादीसु तीसु झानेसु एकगता अवितक्षविचारो समाधी ति एवं सवितक्षसविचारादिवसेन तिविधो ।

ततियन्तिके—चतुर्कनये आदितो द्वीसु, पञ्चकनये च तीसु झानेसु एकगता पीतिसहगतो समाधि । तेस्वेवं ततिये च चतुर्थे च झाने एकगता सुखसहगतो समाधि । अवसाने उपेक्खासहगतो । उपचारसमाधि पन पीतिसुखसहगतो आ होति उपेक्खासहगतो वा ति एवं पीतिसहगतादिवसेन तिविधो ।

चतुर्थन्तिके—उपचारभूमियं एकगता परित्तो समाधि । रूपावचरारूपावचरकुसले एकगता भग्नगतो समाधि । अरियमण्गसम्प्रयुक्ता एकगता अप्पमाणो समाधी ति एवं परित्त—महगगतप्पमाणवसेन तिविधो ।

समाधिचतुर्कानि

८. चतुर्केसु पठमचतुर्के—अतिथ समाधि दुक्खापटिपदो दन्धाभिज्जो, अतिथ

समाधि के त्रिक

१७. त्रिको मे—प्रथम त्रिक में जो समाधि प्रतिलब्धमात्र है, परन्तु अभ्यस्त नहीं है, यह हीन है; जिसका अधिक अभ्यास नहीं किया गया है वह मध्यम है और जो पूर्ण अभ्यस्त कर ली गयी है, जिसे दश (स्यायतता) में कर लिया गया हो, वह प्रणीत (=उत्तम) है। इस प्रकार हीन, मध्यम एवं उत्तम भेद से त्रिविध है।

द्वितीय त्रिक मे—उपचार समाधि के साथ प्रथम ध्यान की समाधि 'सवितर्क—सविचार' है। पञ्चक नय मे, द्वितीय ध्यान की समाधि 'अवितर्क—विचारमात्र' है। जो वितर्क मात्र मे ही दोष देखकर एवं विचार मे दोष न देखकर वितर्क के प्रहाण मात्र की इच्छा करते हुए प्रथम ध्यान का अतिक्रमण करता आगे बढ़ता है, वह 'अवितर्कविचारमात्र समाधि' का लाभ करता है। उसी के सन्दर्भ मे यह कहा गया है। चतुर्क नय मे प्रथम दो ध्यानो एवं पञ्चक नय मे प्रथम तीन ध्यानो मे प्राप्त एकाग्रता 'अवितर्क—अविचार समाधि' है। इस तरह सवितर्क—सविचार आदि भेद से समाधि त्रिविध है।

तृतीय त्रिक मे—चतुर्क नय मे प्रथम दो एवं पञ्चक नय मे प्रथम तीन ध्यानो मे जो एकाग्रता होती है वह 'प्रीतिसहगत समाधि' है। उन्हीं तृतीय एवं चतुर्थ ध्यानो मे एकाग्रता को 'सुखसहगत समाधि' कहते हैं। शेष 'उपेक्खासहगत' है। उपचारसमाधि 'प्रीतिसुखसहगत' या 'उपेक्खासहगत' होती है। इस प्रकार, प्रीतिसहगत आदि के भेद से यह त्रिविध है।

चतुर्थ त्रिक मे—उपचारभूमि मे एकाग्रता 'परित्त (=कुशल वित्त के कामावचर भाव के कारण परिमित) समाधि' है। रूपावचर, अरूपावचर के कुशल वित्त की एकाग्रता 'महद्रत (=महान) समाधि' है। आर्यमार्मसम्प्रयुक्त एकाग्रता 'अप्रमाण (=अपरिमित) समाधि' है। इस प्रकार, परित्त, महद्रत, अप्रमाण के भेद से भी यह समाधि त्रिविध है।

दुखापटिपदो खिप्पाभिज्ञो, अतिथि सुखापटिपदो दन्धाभिज्ञो, अतिथि सुखापटिपदो खिप्पाभिज्ञो ति ।

तथ्य पठमसमन्नाहारतो पट्टाय याव तस्स तस्स ज्ञानस्स उपचारं उप्पज्ञति, ताव पवत्ता समाधिभावना पटिपदा ति बुच्चति । उपचारतो पन पट्टाय याव अप्पना, ताव पवत्ता पञ्जा अभिज्ञा ति बुच्चति । सा फेनेसा पटिपदा एकच्चस्स दुक्खा होति, नीवरणादिप-च्चनीकथम्मसमुदाचारणहणताय किछा असुखासेवना ति अत्थो । एकच्चस्स तदभावेन सुखा । अभिज्ञा पि एकच्चस्स दन्धा होति मन्दा असीघप्पवति । एकच्चस्स खिप्पा अमन्दा सीघप्पवति ।

तथ्य यानि परतो सप्पायासप्पायानि च, पलिबोधुपच्छेदादीनि पुब्बकिच्चानि च, अप्पनाकोसलानि च वण्णयिस्साम, तेसु यो असप्पायसेवी होति, तस्स दुक्खा पटिपदा दन्धा च अभिज्ञा होति । सप्पायसेविनो सुखा पटिपदा खिप्पा च अभिज्ञा । यो पन पुब्बभागे असप्पायं सेवित्वा अपरभागे सप्पायसेवी होति, पुब्बभागे वा सप्पायं सेवित्वा अपरभागे असप्पायसेवी, तस्स वोमिस्सकता वेदितब्बा । तथा पलिबोधुपच्छेदादिकं पुब्बकिच्चं असप्पादेत्वा भावनमनुयुत्स्स दुक्खा पटिपदा होति विपरियायेन सुखा । अप्पनाकोसलानि पन असप्पादेन्तस्स दन्धा अभिज्ञा होति । सप्पादेन्तस्स खिप्पा ।

तमाधि-चतुष्क

८ चतुष्कों मे प्रथम चतुष्क में—(१) दुखप्रतिपद, दन्ध-अभिज्ञा (मन्द ज्ञान) समाधि है, (२) दुखप्रतिपद, क्षिप्र-अभिज्ञा (=शीघ्रता से प्रवर्तित होने वाला अपरोक्ष ज्ञान) समाधि है, (३) सुखप्रतिपद, दन्ध-अभिज्ञा समाधि है, (४) सुखप्रतिपद, क्षिप्र-अभिज्ञा समाधि है—यो इस समाधि के बारे भेद गिनाये गये हैं ।

इनमे, प्रथम सचेतन प्रतिक्रिया से लेकर किसी ध्यान का उपचार (स्थैर्य) उत्पन्न होने तक जो समाधि की भावना है, उसे 'प्रतिपद' (या प्रतिपदा) कहते हैं । एवं उपचार से लेकर अर्पण तक प्रवृत्त जो प्रक्षा होती है, वह 'अभिज्ञा' कही जाती है । नीवरण (=कामच्छन्द, व्यापाद, स्त्यानभूद्द, औद्दत्य-कौकृत्य एव विविक्त्सा) आदि विपरीत धर्मों के समुदाचार (=उत्पन्न होने) से एवं उनके द्वारा चित्त का ग्रहण कर लिये जाने से वह प्रतिपद किसी-किसी के लिये दुखद होती है, अर्थात् सुख के साथ सेवनीय (भावनीय) नहीं होती । किसी को उन नीवरण आदि के अभाव से वही सुखद होती है । अभिज्ञा (=अपरोक्ष ज्ञान) भी किसी-किसी को शुंधली या मन्द एवं शीघ्र प्रवृत्त न होने वाली होती है और किसी को क्षिप्र, (त्वरित) अमन्द व शीघ्र प्रवृत्त होने वाली होती है ।

आगे हम जो अनुकूल (सप्पाय) अननुकूल (असप्पाय) का, परिबोध (=पलिबोध=विघ्न-बाधा) के उपच्छेदक प्रारम्भिक कृत्यों का एवं अर्पणा-कौशल का वर्णन करेंगे, उनमें जो अनुकूल का सेवन करने वाला होता है, उसे प्रगति (=प्रतिपद) मे दुख का अनुभव होता है एवं उसका अपरोक्ष ज्ञान शुंधला (मन्द) होता है । अनुकूलसेवी को प्रगति करने मे सुख का अनुभव होता है एवं उसका अपरोक्ष ज्ञान क्षिप्र (आटिति) होता है । किन्तु जो पहले अननुकूल का सेवन कर बाद मे अनुकूल का सेवन करने वाला होता है अथवा पहले अनुकूल का सेवन कर बाद मे अननुकूल का सेवन करने वाला होता है, उसकी प्रतिपद एवं अभिज्ञा को भिन्नत प्रकार का जानना चाहिये । तथा परिबोध (=ज्ञान के बाधक धर्म) के उपच्छेद आदि पूर्व मे ही करणीय कृत्यों का सम्मादन किये विना ही जो भावना मे लगा हुआ है, उसकी प्रगति 'दुखद' होती है तथा इसके विपरीत की 'सुखद' । अर्पणा-

अपि च तण्हाअविज्ञावसेन समथविपस्सनाधिकारवसेन चापि एतासं पभेदो वेदितब्बो । तण्हाभिभूतस्स हि दुक्खापटिपदा होति । अनभिभूतस्स सुखा । अविज्ञाभिभूतस्स च दन्धा अभिज्ञा होति । अनभिभूतस्स खिप्पा । यो च समधे अकताधिकारो, तस्स दुक्खापटिपदा होति । कताधिकारस्स सुखा । यो पन विष्पस्सनाय अकताधिकारो होति, तस्स दन्धा अभिज्ञा होति । कताधिकारस्स खिप्पा ।

किलेसिन्द्रियवसेन चापि एतासं पभेदो वेदितब्बो । तिब्बकिलेसस्स हि मुदिन्द्रियस्स दुक्खापटिपदा होति दन्धा च अभिज्ञा, तिकिखन्द्रियस्स पन खिप्पा अभिज्ञा । मन्दकिलेसस्स च मुदिन्द्रियस्स सुखा पटिपदा होति दन्धा च अभिज्ञा, तिकिखन्द्रियस्स पन खिप्पा अभिज्ञा ति ।

इति इमासु पटिपदाअभिज्ञासु यो पुगलो दुक्खाय पटिपदाय दन्धाय च अभिज्ञाय समाधिं पापुणाति, तस्स सो समाधि दुक्खापटिपदो दन्धाभिज्ञो ति चुच्छति । एस नयो सेसतये पीति । एवं दुक्खापटिपदा दन्धाभिज्ञादिवसेन चतुब्बिधो ।

दुतिथचतुक्ते—अतिथ समाधि परितो परितारम्मणो, अतिथ परितो अप्पमाणारम्मणो, अतिथ अप्पमाणो परितारम्मणो, अतिथ अप्पमाणो अप्पमाणारम्मणो ति । तथ्य यो समाधि अप्पगुणो उपरिङ्गानस्स पच्चयो भवितुं न सक्तोति, अयं परितो । यो पन अचहुते आरम्मणे पवत्तो, अयं परितारम्मणो । यो पगुणो सुभावितो, उपरिङ्गानस्स पच्चयो भवितुं सक्तोति, अयं अप्पमाणो । यो च वहुते आरम्मणे पवत्तो, अयं अप्पमाणारम्मणो । चुत-
कौशल का सम्पादन न करने वाले की अभिज्ञा 'मन्द' होती है और सम्पादन करने वाले की 'क्षिप्र' ।
(६)

इसके अतिरिक्त, तृष्णा—अविद्या के अनुसार एवं शमथ—विषयना के अधिकार के अनुसार भी इनका विशेष भेद जानना चाहिये । तृष्णा से अभिभूत की प्रगति दुखद होती है, अनभिभूत की सुखद । अविद्या से अभिभूत की अभिज्ञा मन्द होती है, अनभिभूत की क्षिप्र । जिसने शमथ में अधिकार (वश) प्राप्त नहीं किया है, उसकी प्रगति दुखद होती है और जिसने उसमें अधिकार प्राप्त कर लिया है, उसकी सुखद । जिसने विषयना में अधिकार प्राप्त नहीं किया है, उसकी अभिज्ञा मन्द होती है और अधिकार—प्राप्त की क्षिप्र । (२)

क्लेश एवं इन्द्रियों के भेद से भी इनका प्रभेद जानना चाहिये । तीव्र क्लेश वाले एवं मृदुइन्द्रिय (=मन्दबुद्धि) पुद्गल की प्रगति दुखद होती है एवं अभिज्ञा मन्द होती है । तीक्ष्णेन्द्रिय की अभिज्ञा क्षिप्र होती है । मन्दक्लेश एवं मृदुइन्द्रिय की प्रगति सुखद एवं अभिज्ञा मन्द होती है, किन्तु तीक्ष्णेन्द्रिय की अभिज्ञा क्षिप्र होती है । (३)

यो, इन प्रगतियों एवं अभिज्ञाओं में जो पुद्गल दुखद प्रगति एवं मन्द अभिज्ञा के साथ समाधि प्राप्त करता है, उसकी वह समाधि दुख—प्रतिपद, दन्ध—अभिज्ञा वाली कही जाती है । यही विधि शेष तीनों में भी है । इस तरह यह दुख प्रतिपद दन्ध—अभिज्ञा के भेद से चतुर्विध है । (४)

द्वितीय चतुर्थ में— समाधि के चार भेद हैं । १. परित्र परित्रालम्बन, २. परित्र अप्रमाणालम्बन, ३. अप्रमाण परित्रालम्बन एवं ४. अप्रमाण अप्रमाणालम्बन । इनमें, जो समाधि अल्पगुण अर्थात् रस्त्य मात्रा में भावित होने से एवं उच्चस्तरीय ध्यान का कारण बनने में असमर्थ है वह परित्र (=परिभित, सीमित) है । और जो समाधि अवर्धित (=न बढ़ने वाले) आलम्बन में प्रवृत्त होती है, वह परित्रालम्बन है । जो प्रगुण अर्थात् अतिमात्रा ज्ञावर्धित है एवं जिसकी सम्यक् रूप से भावना की गयी है अथवा जो

लक्खणवोमिस्सताय पन वोमिस्सकनयो वेदितब्बो । एवं परित्त-परित्तारम्पणादिवसेन चतुष्विधो ।

ततियचतुष्के— विकखामिभतनीवरणान् वितक्कविचारपीतिसुखसमाधीनं वसेन एञ्जिकं पठमं ज्ञानं, ततो वूपसन्तवितक्कविचारं तिवज्जिकं दुतियं, ततो विरतभीतिकं दुवज्जिकं ततियं, ततो पहीनसुखं उपेक्खावेदनासहितस्स समाधिनो वसेन दुवज्जिकं चतुर्थं । इति इमेसं चतुर्तं ज्ञानानं अङ्गभूता चत्तारो समाधी होन्ति । एव चतुर्ज्ञानज्ञवसेन चतुष्विधो ।

चतुर्थचतुष्के— अतिथि समाधि हानभागियो, अतिथि ठितिभागियो, अतिथि विसेसभागियो, अतिथि निष्वेधभागियो । तथ्य पच्चनीकसमुदाचारवसेन हानभागियता, तदनुधम्मताय सतिया सण्ठनवसेन ठितिभागियता, उपरिविसेसाधिगमवसेन विसेसभागियता, निष्विदासहगतसञ्ज्ञामनसिकारसमुदाचारवसेन निष्वेधभागियता च वेदितब्बा । यथाह— “पठमस्स ज्ञानस्स लाभि कामसहगता सञ्ज्ञामनसिकारा समुदाचरन्ति हानभागिनो पञ्चा । तदनुधम्मता सति सन्तिद्विति ठितिभागिनो पञ्चा । अवितक्कसहगता सञ्ज्ञामनसिकारा समुदाचरन्ति विसेसभागिनो पञ्चा । निष्विदासहगता सञ्ज्ञामनसिकारा समुदाचरन्ति विरगृपसंहिता, निष्वेधभागिनो पञ्चा” (अभिं० २-३९२) ति । ताय पन पञ्ज्ञाय सम्प्रयुक्ता समाधी पि चत्तारो होन्ती ति । एवं हानभागियदिवसेन चतुष्विधो ।

उच्चस्तरीय ध्यान का प्रत्यय हो सकती है, वह अप्रमाण (=अपरिमित) है । जो वर्धित आलम्बन मे प्रवृत है, वह अप्रमाणालम्बन है । उक्त लक्षणो से मिश्रित समाधि की विभि भी मिश्रित ही जाननी चाहिये । यो यह समाधि परित्त-परित्तालम्बन आदि भेद से चतुर्विधि कही गयी है ।

तृतीय चतुष्के में— नीवरणो का दमन (=विष्कम्भन) कर दिये जाने के पश्चात् प्राप्त होने वाले वितर्क, विचार, प्रीति, सुख एवं एकाग्रता—इन पाँच अङ्गों वाले प्रथम ध्यान की, तत्पश्चात् वितर्क-विचार को छोड़कर तीन अङ्गों वाले द्वितीय ध्यान की, प्रीतिरहित दो अङ्गों वाले तृतीय ध्यान की, तदन्तर सुखरहित उपेक्खावेदना एवं एकाग्रता—इन दो अङ्गों वाले चतुर्थ ध्यान की—यो इन चार ध्यानों की अङ्गभूत समाधियों भी चार प्रकार की होती है । इस प्रकार इन चार ध्यानाङ्गों के अनुसार समाधि भी चतुर्विधि है ।

चतुर्थ चतुष्के में— एक हानिभागीय समाधि है, दूसरी स्थितिभागीय, तीसरी विशेषभागीय एवं चौथी निर्वेदभागीय समाधि है । इनमे १. हानभागीय (=प्रत्यनीक समुदाचार) से, २. स्थिति-भागीयता उस समाधि के अनुरूप स्मृति के सरथान (=ठहराव) से ; तथा ३. विशेषभागीयता उच्चतर विशेषता की प्राप्ति एवं ४. निर्वेदभागीयता को निर्वेद के साथ सज्ञा एवं मनस्कार की प्राप्ति की योग्यता के रूप मै जानना चाहिये । जैसा कि कहा है—“प्रथम ध्यान का लाभ करने वाले, कामसहगत अर्थात् हिन्द्यसुख की इच्छा से युक्त को जब सज्ञा एवं मनस्कार प्राप्त करने की योग्यता होती है, तब प्रज्ञा हानिभागिनी होती है । जब उसकी समाधि के अनुरूप स्मृति बनी रहती है, तब स्थितिभागिनी प्रज्ञा होती है । जब वितर्क से रहित, सज्ञा एवं मनस्कार को प्राप्त करने की योग्यता होती है तब विशेषभागिनी प्रज्ञा होती है और जब उसकी निर्वेदयुक्त दैराग्यसहगत संज्ञा एवं मनस्कार प्राप्त करने की योग्यता होती है तब निर्वेदभागिनी प्रज्ञा होती है” ।

उन (चार प्रकार की प्रज्ञाओं) से युक्त समाधियों भी चार होती हैं । इस प्रकार हानभागीय आदि भेद से भी समाधि चतुर्विधि है ।

पञ्चम चतुर्थे— कामावचरो समाधि, रूपावचरो समाधि, अरूपावचरो समाधि, अपरियापनो समाधी ति एवं चत्तारो समाधी । तथ सब्बा पि उपचारेकागता कामावचरो समाधि, तथा रूपावचरादिकुसलचितेगता इतरे तयो ति । एवं कामावचरादिवसेन चतुर्भिर्थो ।

छठुचतुर्थे— “छन्दं चे भिक्खु अधिपतिं करित्वा लभति समाधिं, लभति चित्तस्सेकगतं—अयं बुच्चति छन्दसमाधि । विरियं चे भिक्खु ... पे०...चितं चे भिक्खु ... पे०...वीमंसं चे भिक्खु, अधिपतिं करित्वा लभति समाधिं, लभति चित्तस्सेकगतं—अयं बुच्चति वीमंसासमाधी” (अभिं २-२६४) ति । एवं अधिपतिवसेन चतुर्भिर्थो ।

९. पञ्चके— यं चतुक्खभेदे बुत्तं दुतियं ज्ञानं, तं वितक्कमत्तातिकमेन दुतियं, वितक्कविचारातिकमेन ततियं ति एवं द्विधा भिन्नित्वा पञ्च ज्ञानानि वेदितब्बानि । तेसं अङ्गभूता च पञ्च समाधी ति । एवं पञ्चज्ञानङ्गवसेन पञ्चविधता वेदितब्बा ।

समाधिसङ्क्लिलेसवोदानं

१०. को चस्स सङ्क्लिलेसो ? किं वोदानं ति ? एत्थ पन विस्सज्जनं विभङ्गे बुत्तमेव । बुत्तं हि तथ—“सङ्क्लिलेसं ति हानभागियो धम्मो । वोदानं ति विसेसभागियो धम्मो” (अभिं २-४०६) ति । तथ “पठमस्स ज्ञानस्स लाभि कामसहगता सञ्जामसिकारा समुदाचरन्ति हानभागिनी पञ्चा” (अभिं २-३९२) ति इमिना नयेन हानभागियधम्मो वेदितब्बो । “अवितक्कसहगता सञ्जामसिकारा समुदाचरन्ति विसेसभागिनी पञ्चा” (अभिं २-३९२) ति इमिना नयेन विसेसभागियधम्मो वेदितब्बो ।

पञ्चम चतुर्थ में— १. कामावचर समाधि, २. रूपावचर समाधि, ३. अरूपावचर समाधि एवं ४. अपर्यापत्र (=असमाप्त अर्थात् मार्ग-) समाधि—इस प्रकार चार समाधियाँ हैं । इनमें, सभी प्रकार की उपचार एकाग्रता कामावचरसमाधि है । इसी प्रकार अन्य तीन क्रमशः रूपावचर, अरूपावचर एवं अपर्यापत्र के साथ सम्प्रयुक्त कुशल वित्त की एकाग्रता हैं । इस प्रकार कामावचर आदि के अनुसार भी वह चतुर्विध है ।

चठु चतुर्थ में— “यदि भिक्षु छन्द (=इक्षम) को प्रमुखता देकर (=अधिपति कर) समाधि अर्थात् वित्त की एकाग्रता का लाभ करता है, तो इसे ‘छन्दसमाधि’ (=छन्द के द्वारा प्राप्त समाधि) कहते हैं । यदि भिक्षु वीर्य को ... ‘वीर्यसमाधि’, यदि भिक्षु वित्त को ... ‘वित्त समाधि’, यदि भिक्षु मीमांसा (=प्रज्ञा) को प्रमुखता देकर समाधि प्राप्त करता है, वित्त की एकाग्रता का लाभ करता है तो इसे ‘मीमांसा-समाधि’ कहते हैं ।” इस प्रकार अधिपति के अनुसार भी समाधि चतुर्विध है ।

समाधि का पञ्चक

१. समाधिपञ्चक में— जिसे चतुर्थ भेद (=चतुर्थ नय) में द्वितीय ध्यान कहा गया है, यही उसे वितक्कमत्र के अतिक्रमण से द्वितीय एवं वित्क विचार के अतिक्रमण से तृतीय—इस प्रकार दो भेद करके पाँच ध्यान जानना चाहिये । उन्हीं की अङ्गभूत पाँच समाधियाँ हैं । इस प्रकार पाँच ध्यानान्नों के भेद से समाधि को पञ्चविध जानना चाहिये ।

समाधि का संकलेश और व्यवदान

१०. इसका संकलेश (चित्तमल) क्या है? एवं इसका व्यवदान (शुद्धि) क्या है? इसका उत्तर विभङ्ग में दे ही दिया गया है । वहाँ कहा गया है—“संकलेश हानिमार्गीय धर्म हैं । व्यवदान विशेषभारीय धर्म है” (अभिं २-३९२)—इस वचन के सहारे से हानभारीय धर्म जानना चाहिये । “जब अवितक्कसहगत

दसपलिबोधकथा

११. कथं भावेतब्बो ति । एत्थ पन यो ताव अयं लोकियलोकुत्तरवसेन द्विविधो ति आदीसु अरियमग्गसम्पयुत्तो समाधि युत्तो, तस्स भावनानयो पञ्चाभावनानयेनेव सङ्घहितो । पञ्चाय हि भाविताय सो भावितो होति । तस्मा तं सन्धाय एवं भावेतब्बो ति न किञ्चिं विसुं वदाम ।

यो पनायं लोकियो, सो युत्तनयेन सीलानि विसोधेत्वा सुपरिसुद्धे सीले पतिष्ठितेन यास्स दससु पलिबोधेसु पलिबोधो अत्थ, तं उपच्छिन्दित्वा कम्पट्रानदायकं कल्याणमित्तं उपसङ्क्षिप्त्वा अत्तनो चरियानुकूलं चत्तालीसाय कम्पट्रानेसु अञ्जतरं कम्पट्रानं खुदकपलिबोधुपच्छेदं गहेत्वा समाधिभावनाय अननुरूपं विहारं पहाय अनुरूपे विहारे विहरनेन कत्वा सब्बं भावनाविधानं अपरिहापेनेन परिबोधो भावेतब्बो ति अथमेत्थ सङ्घेपो ।

१२. अयं पन वित्थारो । यं ताव युत्तं—“यास्स दससु पलिबोधेसु अत्थ, तं उपच्छिन्दित्वा” ति, एत्थ—

आवासो च कुलं लाभो गणो कम्पं च पञ्चमं ।

अद्भानं जाति आवाधो गन्धो इद्धी ति ते दसा ति ॥

इमे दस पलिबोधा नाम । तथ्य आवासो येव आवासपलिबोधो । एस नयो कुलादीसु ।

(=वित्करहित के साथ) संज्ञा एव मनस्कार का समुदाचार होता है तब प्रज्ञा विशेषभागिनी होती है” (अभिं २-३९२)। इस वचन से विशेषभागीय धर्म जानना चाहिये ।

दस पलिबोध (=परिबोध=समाधि के बाधक)

११. इसके बाद, प्रश्न या—इसकी भावना कैसे करनी चाहिये? अर्थात् इसकी साधनाविधि क्या है? उत्तर है—जो “यह लौकिक एवं लोकोत्तर के अनुसार द्विविध है” आदि (वचनों) में आर्यमार्गसम्पयुक्त समाधि कही गयी है, उसकी भावना (साधना) करने की विधि प्रज्ञा की भावना करने की विधि (आगे परिच्छेद २२) में ही संगृहीत है; क्योंकि प्रज्ञा की भावना किये जाने पर वह भी भावित हो जाती है । अतः उसके सन्दर्भ में हम “उसकी इस प्रकार भावना करनी चाहिये”—ऐसा कुछ विशेष पृथक् रूप से नहीं कहना चाहते ।

किन्तु लौकिक समाधि की भावना में कही गयी विधि के अनुसार शील का विशेषधन कर, सुपरिशुद्ध शील में प्रतिष्ठित हो, दस परिबोधों में से जो उसका परिबोध है उसे नष्ट कर (समाधि के उपयुक्त) कर्मस्थान बतलाने पौले कल्याणमित्र (=साधनामार्ग में सहायक, आचार्य) के पास जाकर चालीस कर्मस्थाने में से अपने अनुरूप कर्मस्थान का ग्रहण कर, समाधि भावना के जो अनुरूप न हो ऐसे विहार को छोड़ अनुरूप विहार में रहते हुए, क्षुद्र (=छोटे-छोटे) परिबोधों को नाश कर एवं भावना करने के सभी विधानों का पालन करते हुए—(इस प्रकार) करनी चाहिये— यह संक्षेप में वर्णन है ।

१२ विस्तार से वर्णन इस प्रकार है—जो कहा गया है कि “दस परिबोधों में से जो उसका परिबोध है उसका उपच्छेद कर” उसमे—

यहाँ १ आवास, २ कुल, ३ लाभ, ४ गण, ५ कर्म, ६ मार्ग, ७ जाति (=सम्बन्धीजन), ८ आवाध (=रोग), ९ ग्रन्थ एव १० ऋद्धि—ये परिबोध होते हैं ।

१३. तत्थ आवासो ति । एको पि ओवरको बुच्चति, एकं पि परिवेण, सकलो पि सझारामो । स्वायं न सब्बस्सेव पलिबोधो होति । यो पनेतथ नवकम्मादीसु उस्सुकं वा आपज्जति, बहुभण्डसञ्चिचयो वा होति, येन केनचिं वा कारणेन अपेक्खवा पटिबद्धचित्तो, तस्सेव पलिबोधो होति, न इतरस्स ।

त्रिन्दं चत्थु—द्वे किर कुलपुत्ता अनुराधपुरा निकखमित्वा अनुपुब्बेन थूपारामे पब्बजिंसु । तेसु एको द्वेमातिकां पाणुण कत्वा पञ्चवस्सिको हुत्वा पवारेत्वा पाचीनखण्डराजिं नाम गतो । एको तत्थेव वसति । पाचीनखण्डराजिगतो तत्थ चिरं वसित्वा थेरो हुत्वा चिन्तेसि—“पटिसङ्कानसारुप्पिमिदं ठारं, हन्दं नं सहायकस्सापि आरोचेमी” ति । ततो निकखमित्वा अनुपुब्बेन थूपारामं पाविसि । पविसन्तं येव च नं दिस्वा समानवस्सिकतथेरो पञ्चुगन्त्वा पत्तचीवरं पटिगहेत्वा वर्तं अकासि ।

आगन्तुकत्थेरो सेनासनं पविसित्वा चिन्तेसि—“इदानि मे सहायो सप्तिं वा फाणिं वा पानकं वा पेसेस्सति । अयं इमर्सिंस नगरे चिरनिवासी” ति । सो रन्ति अलद्धा थातो चिन्तेसि—“इदानि उण्डुकेहि गहितं यागुखज्जकं पेसेस्सती” ति । तं पि अदिस्वा “पहिनता नत्थि, पविट्टुस्स मञ्जे दस्सन्ती” ति पातो व तेन सङ्दिं गामं पाविसि । ते द्वे एकं वीथिं चरित्वा उल्लङ्घमतं यागु लभित्वा आसनसालायं निसीदित्वा पिविंसु ।

ये ही दस परिबोध हैं । इनमे आवास (रहने का स्थान) ही आवासपरिबोध है । कुल आदि में भी इसी विधि से कुलपरिबोध आदि जानने चाहिये ।

१३. इनमे, ‘आवास’ किसी प्रसङ्ग मे एक कमरे को भी, एक परिवेण (=विहार मे मिक्षुवास के लिये बनाया गया या धिरा हुआ स्थान) को भी, कभी कभी पूरे विहार को भी ‘आवास’ कहा जाता है । यह आवास सभी के लिये पलिबोध नहीं होता । जो निर्माण के नये-नये कर्मों आदि के प्रति उत्सुक होता है, या बहुत से सामानों का संग्रह किये रहता है, या जिस किसी कारण से प्रतिबद्धचित् (=किसी विशेष लौकिक कार्य के प्रति बैंधे हुए मन वाला) होता है, उसी के लिये यह आवास परिबोध होता है, अन्य के लिये नहीं ।

वर्णों (=शास्त्र मे) यह कथा (आती) है—दो कुलपुत्र अनुराधपुर से निकल कर एक के बाद एक करके स्तुपाराम (थूपाराम) मे प्रवृजित हुए । उनमे से एक मिक्षु दो मातृकाओं (धर्मविनय या मिक्षु-मिक्षुनी-प्रातिमोक्ष) को सीखकर एवं (वरिष्ठता के क्रम मे) पौँच वर्षों की वरिष्ठता प्राप्त कर प्रवारणा (=वर्षावास के पश्चात् होने वाली मिक्षुओं की सभा) मे भाग लेने के पश्चात् खण्डराजि (अनुराधपुर की पूर्व दिशा मे पर्वत-छण्डों के बीच वनों की पक्ति) मे चला गया । दूसरा (मिक्षु) वही रह गया । प्राचीन खण्डराजि मे गया हुआ (मिक्षु) बहुत समय तक वही रहते हुए स्थविर होकर सोचने लगा—“यह स्थान एकान्तवास के योग्य है । अपने साथी को भी बतलाऊंगा ।” यो विचार कर, वर्ण से निकल, क्रमशः स्तुपाराम पहुँचा । उसे प्रवेश करते हुए देखते ही समान वय के उसके उसी साथी स्थविर ने आगे बढ़कर, उसके हाथ से पात्र और चीर लेकर आगन्तुक अतिथि के प्रति जो भी करणीय होता है वह किया ।

आगन्तुक ने स्थविर के शयनासन मे प्रवेश कर सोचा—“अब मेरा साथी धी, राब या कोई पेय भेजेगा, क्योंकि वह इस नगर मे बहुत समय से रह रहा है ।” उसने रात्रि मे (वह सब) न पाकर, प्रातः सोचा—“इस समय सेवको के हाथ से यवागू और (कुछ) खाने के लिये भेजेगा ।” तब भी उसे (आता) न देखकर उसने—“इस समय लाने वाले (लोग) नहीं हैं, सम्भवत ग्राम मे प्रवेश करने पर

ततो आगन्तुको चिन्तेसि—“निबद्धयागु भञ्जे नतिथ, भत्तकाले इदानि मनुस्मा पणीतं भत्तं दस्यन्ती” ति। ततो भत्तकाले पि पिण्डाय चरित्वा लद्धमेव भुजित्वा इतरो आह—“किं, भन्ते, सब्बकालं एवं यापेथा” ति? “आमावुसो” ति। “भन्ते, पाचीनखण्डराजि फासुका, तत्थ गच्छाया” ति। थेरो नगरतो दक्खिणद्वारेन निक्खमन्तो कुम्भकारागममण्ण पटिपजि। इतरो आह—“किं पन, भन्ते, इमं भग्नं पटिप्रत्था” ति? “ननु त्वं, आवुसो, पाचीनखण्डराजिया वण्णं अभासी” ति? “किं पन, भन्ते, तुम्हाकं एतत्कालं वसितद्वाने न कोचि अतिरेकपरिकारो अथवी” ति? “आमावुसो, मञ्जपीठं सङ्घुकं, तं पटिसमितमेव, अञ्जं किञ्चि नत्थी” ति! “मय्यं पन, भन्ते, कत्तदण्डो तेलनाळितपाहनथविका च तत्थेवा” ति। “तया, आवुसो, एकदिवसं वसित्वा एत्कां ठथितं” ति? “आम, भन्ते!”

सो पसन्नचित्तो थेरं वन्दित्वा “तुम्हादिसानं, भन्ते, सब्बत्थ अरञ्जवासो येव। थूपारामो चतुर्नं बुद्धानं धातुनिधानद्वानं, लोहपासादे सप्यायं धम्मस्वनं महाचेतियदस्सनं थेरदस्सनं च लम्भति, बुद्धकालो विय पवत्तति। इधेव तुम्हे वसथा” ति। दुतियदिवसे पत्तचीवरं गहेत्वा सयमेव अगमासी ति। ईदिसस्स आवासो न पलिबोधो होति। (१)

कुलं ति। जातिकुलं वा, उपद्वाककुलं वा। एकच्चस्स हि उपद्वाककुलं पि “सुखितेसु सुखितो” (अभिं २-४२५) ति आदिना नयेन संसद्वस्स विहरतो पलिबोधो होति, सो देवे— ऐसा सोचकर सबेरे ही उसने साथी के साथ ग्राम में प्रवेश किया। उन दोनों ने एक गली में चारिका करते हुए एक करखुल यवागू पाकर उसे आसनशाला में बैठकर पी लिया।

तब आगन्तुक मिष्टु ने सोचा—“सम्भवतः यवागू आदि की बैंधी मिष्टा का प्रवलन यहाँ नहीं है, अब (दोपहर के) भोजन समय लोग सम्भवतः उत्तम भाव दें।” फिर भोजन के समय भी मिष्टाटन करते हुए जो भी मिला उसी को खाकर, आगन्तुक मिष्टु ने कहा—“भन्ते, वया आप हर समय ऐसे ही काम चलाते हैं?” “हाँ, आयुष्मन्!” “भन्ते, प्राचीन खण्डराजि भुखदायक (स्थान) है, वही चलेंगे।” स्थविर ने नगर के दक्षिण द्वार से निकलते समय कुम्भकार ग्राम जाने वाला रास्ता पकड़ा (जो कि प्राचीन खण्डराजि की ओर जाता था)। दूसरे ने कहा—“भन्ते, आपने यह रास्ता क्यों पकड़ लिया?” “आयुष्मन्! क्या तुमने प्राचीन खण्डराजि की प्रशंसा नहीं की थी?” “किन्तु भन्ते, आप इतने समय से जहाँ रह रहे हैं, वहाँ क्या कोई भी वस्तु सङ्ग की सम्पत्ति के अतिरिक्त नहीं है, जिसे लिये विना ही चल पड़े?” “हाँ, आयुष्मन्। चौकी-चारपाई सङ्ग की है, उन्हें तो सङ्ग को सौप ही चुका हूँ और कुछ नहीं है।” “किन्तु भन्ते, मेरी लाठी, तेल रखने की फोफी और जूता रखने का थैला वहाँ है।” “आयुष्मन्! तुमने एक दिन रुकने पर ही इतना कुछ इकट्ठा कर लिया?” “हाँ, भन्ते!”

अपनी भूल समझ कर, उसने प्रसन्न मन से स्थविर को प्रणाम कर कहा—“भन्ते, आप जैसों के लिये तो सर्वत्र जङ्गल में रहने के ही चमान है। स्तूपाराम चारों बुद्धों (=इस बदकल्प के बार बुद्ध—कंकुसन्ध, कोणागमन, कश्यप एवं गौतम) की धातु के निधान (=रखने) का स्थान है। लौहप्रासाद (अनुराधपुर में एक मिष्टु—आवास) में धर्म का अनुकूल श्रवण, महाचैत्य (अनुराधपुर का सुवर्णमाली चैत्य) और स्थविरो का दर्शनलाभ होता है। जिस काल में बुद्ध जीवित थे उस काल के समान यहाँ का जीवन है। आप यहीं रहे।” इस प्रकार कहकर दूसरे दिन उसने अपना पात्र और दीवर लेकर अकेले ही प्रस्थान किया। इस प्रकार के लिये आवासपरिद्वाय नहीं होता। (१)

कुल—जाति—कुल या सेवक—कुल। किसी—किसी के लिये सेवककुल (=सेवकों का कुल) मी “सुखी होने पर सुखी” (अभिं २-४२५) आदि वचन के अनुसार संसर्गविहार (=एक साथ

कुलमानुसकेहि विना धर्मस्सवनाय सामन्तविहारं पि न गच्छति । एकच्चस्स मातापितरो पि पलिबोधा न होन्ति, कोण्डकविहारवासित्थेरस्स भागिनेव्यदहरभिक्खुनो विय ।

सो किर उद्देसत्थं रोहणं अगमासि । थेरभगिनी पि उपासिका सदा थेरं तस्स पवतिं पुच्छति । थेरो एकदिवसं 'दहरं आनेस्सामी' ति रोहणाभिमुखो पायासि ।

दहरो पि "चिरं मे इधु बुत्थं, उपज्ञायं दाति पस्सित्वा उपासिकाय च पवतिं जत्वा आगमिस्सामी" ति रोहणतो निक्खिप्ति । ते उभो पि गङ्गातीरे समागच्छिंसु । सो अञ्जतरस्मि रुक्खमूले थेरस्स वत्तं कत्वा "कुहिं यासी" ति पुच्छितो तमर्थं आरोचेसि । थेरो "सुदु ते कतं, उपासिका पि सदा पुच्छति, अहं पि एतदत्थमेव आगतो, गच्छ त्वं, अहं पन इधेव इमं वस्सं वसिस्सामी" ति तं उथ्योजेसि । सो वस्सूपनायिकदिवसे येव तं विहारं पत्तो । सेनासनं पिस्स पितरा कारितमेव पत्तं ।

अथस्स पिता दुतियदिवसे आगन्त्वा "कस्स, भन्ते, अम्हाकं सेनासनं पत्तं" ति पुच्छन्तो "आगन्तुकस्स दहरस्सा" तं सुत्वा तं उपसङ्खमित्वा बन्दित्वा आह— "भन्ते, अम्हाकं सेनासने वस्सं उपगतस्स वत्तं अत्थी" ति । "किं, उपासका" ति? "तेमासं अम्हाकं येव घेरे भिक्खुं गृहेत्वा पवारेत्वा गमनकाले आपुच्छितब्बं" ति । सो तुष्णिभावेन अधिवासेसि । उपासको पि घरं गन्त्वा "अम्हाकं आवासे एको आगन्तुको अच्यो उपगतो सक्षक्षं उपटाटाब्बो" ति आह । उपासिका "साथू" ति सम्पटिच्छित्वा पणीतं खादनीयं भोजनीयं पटियादेसि । दहरो पि भत्काले जातिघरं अगमासि । न नं कोचि सज्जानि ।

रहने) के कारण पलिबोध होता है । वह कुल के लोगों के दिना धर्मश्रमदण के लिये समीपवर्ती विहार में नहीं जा पाता । किसी किसी के लिये भाता-पिता भी परिबोध नहीं होते, कोण्डकविहारवासी स्थविर के भणिनीपुत्र तरुण मिशु के समान ।

कहते हैं कि वह तरुण मिशु अध्ययन (उद्देश) के लिये रोहण (दक्षिणी लङ्घा का एक जनपद) गया । स्थविर की बहन उपासिका थी वह स्थविर से उस (अपने पुत्र) का कुशल-समाचार सर्वदा पूछती थी । एक दिन स्थविर ने 'तरुण को ले आऊँ' सोचकर रोहण की ओर प्रस्थान किया ।

तरुण मी "यहाँ रहते हुए बहुत दिन हो गये, अब उपाध्याय का दर्शन कर और उपासिका (अपनी माँ) का कुशल-समाचार लेकर लौटूंगा" (ऐसा सौचकर) रोहण से निकला । वे दोनों ही गङ्गा के किनारे मिल गये । उस तरुण मिशु ने एक पेड़ के नीचे करणीय कृत्य करके "कहाँ जा रहे हो?" इस तरह पूछे जाने पर उसे अपना उद्देश्य बतलाया । स्थविर ने—"तुमने अच्छा किया, उपासिका भी सदा पूछती रहती है । मैं भी तुम्हें ही लेने आया हूँ । तुम जाओ, मैं इस बार यहीं वर्षावास करूँगा" ऐसा कहकर उसे विदा कर दिया । वह तरुण मिशु भी, जिस दिन से वर्षावास का आरम्भ होने वाला था, ठीक उसी दिन विहार पहुँचा । संयोगदश उसने शयनासन भी वही प्राप्त किया जो उसके पिता ने बनवाया था ।

तत्पश्चात् दूसरे दिन उसके पिता ने विहार मे आकर पूछा—"भन्ते, मेरा शयनासन किसे मिला है?" "आगन्तुक तरुण को!" यह सुनकर उसके पास जाकर दन्दना की और कहा—"भन्ते, वर्षावास के लिये मेरे शयनासन को प्राप्त करने वाले के लिये एक ब्रह्म है?" "वह क्या, उपासक?" "तीन महोने मेरे ही घर पर मिशा ग्रहण कर प्रवारणा के बाद अपने प्रस्थान का समय सूचित करना होता है!" उसने भौंन रहकर स्वीकार कर लिया । उपासक ने भी घर जाकर कहा—"हमारे घर पर एक आर्य आने वाले हैं, उनका अच्छी तरह सत्कार करना चाहिये" । उपासिका ने "बहुत अच्छा"

सो तेमासं पि तत्थ पिण्डपातं परिभुजित्वा वस्त्रंवृत्थो “अहं गच्छामी” ति आपुच्छ । अथस्स आतका “स्वे, भन्ते, गच्छथा” ति दुतियदिवसे घेरे येव भोजेत्वा तेलनाळिं पूरेत्वा एकं गुळपिण्डं नवहत्थं च साटकं दत्वा “गच्छथ, भन्ते” ति आहंसु । सो अनुभोदनं कत्वा रोहणाभिमुखो पायासि ।

उपज्ञायो पिस्स पवारेत्वा पटिपथं आगच्छन्तो पुळे दिढ्हुढने येव तं अद्दस । सो अञ्जतरस्मि रुक्खमूले थेरस्स वतं अकासि । अथ नं थेरो पुच्छ—“किं, भद्रमुख, दिढ्हुढ ते उपासिका” ति ? सो “आम, भन्ते” ति सब्बं पवतिं आरोचेत्वा तेन तेलन थेरस्स पादे मक्खेत्वा गुळेन पानकं कत्वा तं पि साटकं थेरस्सेव दत्वा थेरं वन्दित्वा “मय्हं, भन्ते, रोहणं येव सप्यायं” ति अगमासि । थेरो पि विहारं आगन्त्वा दुतियदिवसे कोरण्डकगामं पविसि ।

उपासिका पि “मय्हं भाता मम पुत्तं गहेत्वा इदानि आगच्छती” ति सदा मग्गं ओलोकयमाना व तिटुति । सा तं एकमेव आगच्छन्तं दिस्वा “मतो मे मञ्जे पुत्तो, अयं थेरो एकको व आगच्छती” ति थेरस्स पादमूले निपतित्वा परिदेवमाना रोदि । थेरो “नूनं दहरो अप्पिच्छताय अंतानं अजानापेत्वा व गतो” ति तं समस्सासेत्वा सब्बं पवतिं आरोचेत्वा पत्तथविकतो तं साटकं नीहरित्वा दस्सेसि ।

उपासिका पसोदित्वा पुत्तेन गतदिसाभिमुखा उरेन निपज्जित्वा नमस्समाना आह—
कहकर स्वीकार किया एवं अच्छे अच्छे खाद्य, भोज्य बनाये । तरुण भी भोजन के समय अपने सामन्धियों के घर पहुँचा । किन्तु उसे किसी ने पहचाना नहीं ।

उसने तीन महीने तक वही भोजन करते हुए वर्षाकाल पूर्णकर, “मैं जा रहा हूँ”— इस प्रकार सूचित किया । तब उसके सामन्धियों ने “भन्ते, कल जाइयेगा” ऐसा (कहकर) दूसरे दिन घर पर ही भोजन करा, तेल की फोकी (चोगी-तेलनाडी भर) कर, एक गुड़ का पिण्ड और नौ हाथ वस्त्र देकर “जावे, भन्ते” कहा । उसने आशीर्वाद देकर (=अनुभोदन कर) रोहण के लिये प्रस्थान किया ।

उसके उपाध्याय ने भी प्रवारणा के बाद लौटकर आते समय पहले वाले स्थान पर ही उसे देखा । उसने एक पेड़ के नीचे स्थिर के प्रति करणीय कृत्य किया । तब स्थिर ने उससे पूछा—“सुमुख, क्या तुमने उपासिका को देखा?” उसने “हाँ, भन्ते”—ऐसा कहकर सब सामाचार सुनाकर उस तेल से जो उसे मिला था स्थिर के पैरों को मलकर, गुड़ के साथ पानी मिलाकर, वह वस्त्र भी स्थिर को ही देकर “भन्ते, मेरे लिये रोहण ही अनुकूल है” ऐसा कहकर चला गया । स्थिर ने भी दिवार मे पहुँचकर दूसरे दिन कोरण्डकगाम मे प्रवेश किया ।

उपासिका भी यह सोचकर कि “मेरा भाई मेरे पुत्र को लेकर अब आता ही होगा” सदी रास्ता देखती रहती थी । वह उसे एकाकी आते देखकर “सम्भवतः मेरा पुत्र मर गया है, क्योंकि ये स्थिर एकाकी ही आ रहे हैं” ऐसा (सोचकर) स्थिर के चरणों पर पिर कर बिलाप करने लगी । स्थिर ने “निष्ठय ही तरुण अल्पेच्छता के कारण, स्वयं का परिचय दिये बिना ही, चला गया”—ऐसा सोचकर उसे सान्त्वना दी एव सब वृत्तान्त सुनाकर, उसकी अल्पेच्छता के प्रमाण के रूप मे वह इस्त्र थैले से निकाल कर दिखलाया ।

उपासिका ने प्रसन्न होकर, जिस दिशा की ओर उसका पुत्र गया था उस दिशा मे साईर्ण प्राण कर कहा—“प्रतीत होता है कि मेरे पुत्र के समान किसी मिक्षु को ही जीता—जागता उदाहरण

“मध्यं पुतसदिसं वत मञ्जे कायसक्षिक कत्वा भगवा रथविनीतपटिपदं (म० १-१९२), नालकपटिपदं (खु० १-३७७), तुवट्टकपटिपदं (खु० १-४१०) चतुपच्चयसन्तोसभावनारामतादीपकं महाअरियवंसपटिपदं (अं० २-३०) च देसेसि। विजातमातुया नाम गेहे तेमासं भुञ्जमानो पि ‘अहं पुत्तो त्वं माता’ ति न चकखति, अहो अच्छरियभनुस्तो” ति। एवरूपस्य मातापितरो पि पलिबोधा न होन्ति; पगेव अञ्जं उपटुक्कुलं ति। (२)

लाभो ति। चत्तारो पच्या। ते कथं पलिबोधा होन्ति? पुञ्जबन्तस्स हि भिक्खुनो गतगतद्वाने मनुस्सा महापरिवारे पच्ये देन्ति। सो तेसं अनुमोदेन्तो धर्मं देसेन्तो समणधर्मं कातुं ओकासं न लभति। अरुणुगमनतो याव पठमयामो, ताव मनुस्ससंसागो न उपच्छिज्जति। पुन बलवपच्चूसे येव बाहुल्यिकपिण्डपातिका आगन्त्वा “भन्ते, असुको उपासको उपासिका अमच्चो अमच्छधीता तुम्हाकं दस्मनकामा” ति वदन्ति। सो ‘गण्ह, आवुसो, पत्तचीवरं’ ति गमनसज्जो व होती ति निच्यब्यावटो। तस्सेव ते पच्या पलिबोधा होन्ति। तेन गणं पहाय यथं नं न जानन्ति, तथं एककेन चरितब्बं। एवं सो पलिबोधो उपच्छिज्जाति ति। (३)

गणो ति। सुलन्तिकगणो वा आभिधर्मिकगणो वा। यो तस्स उद्देसं वा परिपुच्छं वा देन्तो समणधर्मस्स ओकासं न लभति, तस्सेव गणों पलिबोधो होति, तेन सो एवं उपच्छिन्दितब्बो—सचे तेसं भिक्खून् बहु गहितं होति, अप्य अवसिद्धुं, तं निटुपेत्वा अरञ्जं पविसितब्बं। सचे अप्य गहितं, बहु अवसिद्धुं, योजनतो परं अगन्त्वा अन्तोयोजन-परिच्छेदे अञ्जं गणवाचकं उपसङ्क्रमित्वा “इमे आयस्मा उद्देसादीहि सङ्गणहतू” ति वत्तब्बं।

मानकर भगवान् ने ‘रथविनीतप्रतिपद’, ‘नालकप्रतिपद’, ‘तुवट्टकप्रतिपद’, ‘चतुश्चात्ययसन्तोष-भावनारामता-दीपकं महाअरियवशप्रतिपद् का उपदेश दिया था। तभी तो जन्म देने वाली माता के घर तीन महीने भोजन करते हुए भी “मै पुत्र हूँ, तुम माता हो” ऐसा नहीं कहा। अहा! अद्भुत व्यक्ति है!” इस जैसे के लिये माता पिता भी परिबोध नहीं होते। फिर अन्य किसी सेवककुल की तो बात ही क्या! (२)

लाभ— चीवर आदि चार प्रत्ययों का लाभ। वे किस प्रकार परिबोध होते हैं? पुण्यावान् भिक्षु जहाँ-जहाँ जाता है, लोग वहाँ उसे बहुत से प्रत्यय (=भोजन आदि) देते हैं। उसके पास उनको आशीर्वाद व धर्मदेशना करते हुए, श्रमण-धर्म का पालन करने के लिये समय नहीं बच पाता। सूर्योदय से तात्रि के प्रथम प्रहर तक उसे लोगों से बातचीत करने से ही अवकाश नहीं मिलता। फिर दूसरे दिन भी प्रातः से ही धन-साम्पत्ति के लोभी पिण्डपातिक (=भिक्षा के इच्छुक) भिक्षु आकर, “भन्ते! अमुक उपासक, उपासिका, अमात्य या अमात्य की पुत्री आपके दर्शन के इच्छुक है”— इस प्रकार कहते हैं। वह “आयुष्णन् पात्र चीवर उठाओ” कहकर जाने के लिये उद्यत होता है। इस प्रकार सदा व्यग्र बना रहता है। उसी के लिये वे प्रत्यय ‘परिबोध’ होते हैं। अतः उसे दूसरो (=गण) को छोड़कर जहाँ उसे लोग न जानते हों वहाँ अकेले ही विचरण करना चाहिये। इस प्रकार वह लाभ-परिबोध नष्ट होता है। (३)

गण—सौत्रान्तिक गण (=सूत्रपिटक के अध्येता छात्रों का समूह) हो या आभिधर्मिक गण। जो उसे पढ़ाते हुए या प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्रमण धर्म के लिये अवकाश नहीं पाता, उसी के लिये यह गण—परिबोध होता है। अतः उस परिबोध को यो नष्ट करना चाहिये—यदि उन भिक्षुओं ने अधिक भाग सीख लिया हो और कुछ ही अवशिष्ट हो तो उसे पूर्ण कर ज़ज़ल मे चले जाना चाहिये। यदि कुछ ही सीखा हो, अधिकतम शेष रहा हो तो एक योजन से अधिक दूर न जाकर, एक योजन के भीतर

एवं अलभपानेन “मर्हं, आवुसो, एकं किंचं अतिथि, तुम्हे यथाकासुकट्टानानि गच्छथा” ति गणं पहाय अत्तनो कर्मं कत्तब्बं ति। (४)

कर्मं ति नवकर्मं। तं करोनेन वड्कोआदीहि लद्धलङ्घं जानितब्बं, कताकते उस्सुकं आपज्जितब्बं ति सब्बदा पलिबोधो होति। सो पि एवं उपच्छन्दितब्बो—सचे अप्यं अवसिद्धुं होति निद्वपेतब्बं। सचे बहुं सङ्खिकं चे नवकर्मं, सङ्खस्स वा सङ्खभारहारकभिक्षुं वा निव्यादेतब्बं। अत्तनो सन्तकं च, अत्तनो भारहारकानं निव्यादेतब्बं। तादिसे अलभन्ते सङ्खस्स परिच्छजित्वा गन्तब्बं ति। (५)

अन्द्रानं ति मग्गगमनं। यस्स हि कत्थचि पब्बज्ञापेक्षो वा होति, पच्यजातं वा किञ्चिलद्धब्बं होति। सचे तं अलभन्तो न सक्तोति अधिवासेतुं, अरञ्जं पविसित्वा समणधम्यं करोन्तस्स पि गमिकचित्तं नाम दुप्पटिविनोदनीयं होति, तस्मा गन्त्वा तं किंच तीरेत्वा व समणधम्ये उस्सुकं कातब्बं ति। (६)

आती ति विहारे आचरियुपज्ञायसद्विविहारिकअन्तेवासिकसमानुपज्ञायकसमा-नाचरियका, घरे माता पिता भाता ति एवमादिका। ते गिलाना इमस्स पलिबोधा होन्ति, तस्मा सो पलिबोधो उपद्वित्वा तेसं पाकतिककरणेन उपच्छन्दितब्बो।

तथ उपज्ञायो ताव गिलानो सचे लहुं न वुट्टाति, यावजीवं पि पटिजिगितब्बो।

ही रहने वाले किसी दूसरे गणवाचक (=कक्षाध्यापक) के पास जाकर, “आयुष्मन्! अध्यापन आदि के द्वारा इनकी सहायता करे”—यो कहना चाहिये। इस प्रकार का गणवाचक न मिले तो छात्रों को “आयुष्मानो! मुझे एक कार्य करना है, तुम लोगों को जहाँ अध्यापन आदि की सुविधा हो, उहाँ जाओ”—कहकर गण को छोड़ अपने श्रमण-धर्म के पालन में लग जाना चाहिये॥ (४)

कर्म—(निर्माण-कार्य)। उस (निर्माण आदि कर्म) को करने वाले के लिये यह जानना आवश्यक हो जाता है कि बढ़ई आदि को क्या (सामग्री) प्राप्त है, क्या नहीं? क्या किया गया है, क्या नहीं?—इस विषय में उत्सुकता रखनी यड़ती है। यो निर्माण-कर्म सर्वदा परिबोध होता है। उसको भी इस प्रकार नष्ट करना चाहिये—यदि कुछ ही कार्य अवशिष्ट हो तो उसे सम्पन्न कर देना चाहिये। यदि अधिक (अवशिष्ट) हो एवं यदि सङ्ख के लिये निर्माण-कार्य चल रहा हो, तो सङ्ख को या सङ्ख के कार्यों का उत्तरदायित्व वहन करने वाले अन्य मिक्षुओं को या अपने किसी परिवित को सौप देना चाहिये। यदि ऐसे लोग न मिले तो निर्माणाधीन वस्तु सङ्ख को दान कर, चले जाना चाहिये॥ (५)

मार्ग—मार्गगमन। यदि किसी (मिक्षु) से कोई व्यक्ति कहीं प्रद्रव्या करने की अपेक्षा कर रहा हो या उस मिक्षु को कोई शीवरादि प्रत्यय प्राप्त करना हो और उसे प्राप्त किये विना रहा न जा सके तो यह उसके लिये परिबोध होता है; क्योंकि भले ही वह ज़बल में जाकर श्रमण-धर्म (=ध्यान आदि) करने लगे, किन्तु उस यात्रा के विषय में विनित मन को नियन्त्रित करना सरल नहीं होगा। इसलिये पहले जहाँ जाना हो वहाँ जाकर, उस कार्य को पूर्ण कर फिर श्रमण-धर्म के प्रति उत्सुक होना चाहिये॥ (६)

ज्ञाति— विहार मे आचार्य, उपाध्याय, साध विहार करने वाले मिक्षु, शिष्य, एक उपाध्याय के शिष्य, एक आचार्य के शिष्य, घर मे माता-पिता, भाई आदि। इनके रोगी होने पर वे इस मिक्षु के लिये परिबोध होते हैं। इसलिये उनकी सेवा-शुश्रूषा करके, उहाँ पहले जैसा (नीरोग) करके उस परिबोध को नष्ट करना चाहिये।

इनमे, उपाध्याय यदि रोगी होने पर शीघ्र अच्छे नहीं होते तो वे जब तक जिये तब तक

तथा पञ्चज्ञाचरियो उपसम्पदाचरियो सद्विहारिको उपसम्पादितपञ्चाजितअन्तेवासिक-समानुपञ्चायका च । निस्सयाचरियउद्देसाचरियनिस्सयन्तेवासिकउद्देसन्तेवासिकसमाना-चरियका पन याव निस्सयउद्देसा अनुपच्छिन्ना, ताव पटिजग्गितब्बा । पहोन्तेन ततो उद्धं पि पटिजग्गितब्बा एव ।

मातापितूसु उपञ्ज्ञाये विय पटिपाजितब्बं । सचे पि हि ते रज्जे ठिता होन्ति, पुत्रो च उपद्रुतं पच्चासीसन्ति, कातब्बमेव । अथ तेसं भेसज्जनं निथि, अत्तनो सन्तकं दातब्बं । असति भिक्खाचरियाय परिवेसित्वा पि दातब्बमेव । भातुभगिनीनं पन तेसं सन्तकमेव योजेत्वा दातब्बं । सचे निथि अत्तनो सन्तकं तावकालिकं दत्वा पच्छा लभन्तेन गण्ठितब्बं । अलभन्तेन न चोदेतब्बा । अञ्जातकस्स भगिनिसामिकस्स भेसज्जं नेव कातुं न दातुं बट्टुति । “तुम्हं सामिकस्स देही” ति वत्वा पन भगिनिया दातब्बं । भातुजायाय पि एसेव नयो । तेसं पन पुत्रा इमस्स आतका एवा ति तेसं कातुं बट्टुती ति । (७)

आबाधो ति । यो कोचि रोगो सो बाध्यमानो पतिबाधो होति, तस्मा भेसज्जकरणेन उपच्छन्दितब्बो । सचे पन कतिपाहं भेसज्जं करोन्तस्स पि न बूपसम्पति, “नाहं तुम्हं दासो, न भतको, तं येवहि पोसेन्तो अनमतगे संसारबट्टे दुक्खं पत्ता” ति अत्तभावं गरहित्वा सम्पणधम्मो कातब्बो ति । (८)

गन्धो ति । परियत्तिहरणं । तं सज्जायादौहि निच्चब्बावटस्सेव पलिबोधो होति, न

उनकी सेवा करनी चाहिये । इसी प्रकार प्रवर्ज्या देने वाले आचार्य... उपसम्पदा देने वाले आचार्य..., साथ-साथ विहार करने वाले मिष्टु... जिन्हें प्रवर्ज्या दी है..., जिन्हें उपसम्पदा दी है—ऐसे शिष्य... और समान उपाध्याय के शिष्य...यदि रोगी...सेवा करनी चाहिये, किन्तु निश्रय देने वाले आचार्य, पाठ कराने वाले आचार्य, वह शिष्य जिसे निश्रय दिया हो एवं समान आचार्य के विषय में विधान है कि जब तक निश्रय एवं पाठ चलता रहे तब तक या आवश्यकता हो तो बाद में भी सेवा—शुश्रूषा करनी ही चाहिये ।

माता-पिता की भी, उपाध्याय के ही समान सेवा—शुश्रूषा करनी चाहिये । यदि वे उसी राज्य में रहते हों, जिसमें पुत्र रहता है और पुत्र से सेवा की अपेक्षा करते हों, तो सेवा करनी ही चाहिये । यदि उनके पास औषध नहीं है तो अपने पास से देनी चाहिये । अपने पास न होने पर भिक्षाटन कर उसे खोज कर भी देनी चाहिये । किन्तु भाई या बहन को उन्हीं के पास की औषधि देनी चाहिये । यदि उनके पास न हो, तो अपने पास से उस समय के लिये देकर बाद में उसके बदले में दूसरी ले लेनी चाहिये । किन्तु यदि वापस न मिले तो देने के लिये बाध्य नहीं करना चाहिये । जिसके साथ रक्त का सम्बन्ध नहीं है—ऐसी बहन के पति के लिये न तो औषध बनानी चाहिये और न ही देनी चाहिये । किन्तु “अपने स्वामी को दे दो”—ऐसा कहकर बहन को देना चाहिये । भ्रातृजाया के विषय में भी यही नियम है । किन्तु उसका पुत्र तो इसका रक्त—सम्बन्धी (=ज्ञाति) ही है, इसलिये उसके लिये औषध बनाना चाहित है । (७)

आबाध—किसी भी प्रकार का रोग । जब यह रोग पीड़ित करता है तब परिबोध होता है । इसलिये, विकित्सा करके इसे नष्ट करना चाहिये । यदि कुछ दिनों तक विकित्सा करने पर भी रोग शान्त न हो तो स्वयं की इस प्रकार भर्तना कर उसकी उपेक्षा करते हुए श्रमण-धर्म का ही यातन करना चाहिये—“न मैं तुम्हारा दास हूँ, न ही वेतनभोगी सेवक हूँ, तुम्हें ही पालते हुए फैने इस अनादि संसार में अपार दुःख भोगा है” (८)

इतरस्स। तत्रिमानि वत्थूनि—भज्जिभभाणकदेवत्थेरो किर मलयवासिदेवत्थेरस्स सन्तिकं गन्त्वा कम्मट्टानं याचि। थेरो “कीदिसोसि, आबुसो, परियत्तिं” ति पुच्छ। “मज्जिमो मे, भन्ते, पगुणो” ति। “आबुसो, मज्जिमो नामेसो दुप्परिहारो, भूलपण्णासं सञ्जायन्तस्स मज्जिमपण्णासको आगच्छति, तं सञ्जायन्तस्स उपरिपण्णासको, कुतो तुयहं कम्मट्टानं” ति? “भन्ते, तुम्हाकं सन्तिकं कम्मट्टानं लभित्वा पुन न ओलोकेस्सामी” ति कम्मट्टानं गहेत्वा एकूनवीसतिवस्सानि सञ्जायं अकत्वा वीसतिमे वस्से अरहत्तं पत्वा सञ्जायतत्थाय आगतानं भिक्खुनं “वीसति मे, आबुसो, वस्सानि परियत्तिं अनोलोकेन्तस्स, अपि च खो कतपरिच्छयो अहमेत्य, आरभथ” ति वत्वा आदितो पट्टाय याव परियेसना एकब्बज्जने पिस्स कहु नाहोसि।

करुळियगिरिवासिनागत्थेरो पि अट्टारसवस्सानि परियत्तिं छडुत्वा भिक्खुनं धातुकथं उहिसि। तेसं गामवासिकथेरेहि सङ्घिं संसन्देन्तानं एकपञ्चो पि उप्पटियाटिया आगतो नाहोसि।

महाविहारे पि तिपिटकचूलाभयत्थेरो नाम ‘अट्टुकथं अनुगहेत्वा व पञ्चनिकाय-मण्डले तीणि पिटकानि परिवत्तेस्सामी’ ति सुवर्णभेरि पहरापेसि। भिक्खुसङ्घो “कतमा-चरियानं उग्गहो, अत्तनो आचरियुग्महं येव वदतु, इतरथा वत्तु न देमा” ति आह। उपञ्जायो पि न अत्तनो उपट्टानं आगतां पुच्छ—“त्वं आबुसो, भेरि पहरापेसी” ति? “आम, भन्ते”।

ग्रन्थ- ग्रन्थों के प्रति उत्तरदायित्व (=पर्यातिहण)। वह उसके लिये परिबोध होता है जो सदा परायण आदि मे लगा रहता है, अन्य के लिये नहीं। इस विषय मे ये कथाएँ (दृष्टान्त) हैं—कहते हैं कि मज्जिमभाणक (=मज्जिमनिकाय का पारायण करने वाले) देव^१ स्थविर ने मलय (=वर्तमान लहु का त्रिकोणमलय प्रदेश) निवासी देव स्थविर के पास जाकर कर्मस्थान (=समाधि के आलम्बन) की याचना की। स्थविर ने पूछा—“आयुष्मन्! ग्रन्थो मे तुम्हारी कैसी गति है?” “मन्ते, मुझे मज्जिमनिकाय कर्णस्थ है” “आयुष्मन्! मज्जिम एक कठिन उत्तरदायित्व है। जब तक कोई प्रथम पचास (मूलपण्णासक) गद करता है, तभी बीच के पचास (मज्जिमपण्णासक) सामने आ जाते हैं। फिर उन्हें याद करते हुए ही बाद के अन्तिम पचास (उपरिपण्णासक)! तुम्हारे पास कर्मस्थान (का अवकाश) कहाँ है?” उसने “मन्ते, आपसे कर्मस्थान पाकर फिर उन ग्रन्थों को नहीं देखूँगा” इस प्रकार कहकर, कर्मस्थान हांह कर उश्चीस वर्ष तक पारायण नहीं किया। एवं बीसवे वर्ष मे अर्हत्व प्राप्त कर लिया। इसके पश्चात् पारायण के लिये आये हुए मिक्षुओं से कहा—“आयुष्मन्! दर्शो से मैने इन ग्रन्थों को देखा नहीं है, फिर मी उनके विषय मे ज्ञान है, इसलिये आरम्भ करो” यो प्रारम्भ से लेकर अन्ततक एक भी व्यञ्जन अक्षर) के विषय मे उन्हे सन्देह हैचकिचाहट नहीं हुई। (क)

करुळियगिरियासी नागस्थविर ने भी अट्टारह वर्ष तक ग्रन्थों को छोड़ देने पर भी मिक्षुओं ही धातुकथा का पारायण करके सुनोया। जब उन्होने ग्रामवासी मिक्षुओं से इसकी परीक्षा करवायी तो पापा कि एक भी प्रश्न ऐसा नहीं था जो (पारायण-क्रम) से उघर-उघर हो। (ख)

महाविहार मे भी त्रिपिटक चूलाभय नामक स्थविर ने “अट्टुकथा (=अर्थकथा) को दिना पढ़े ही पञ्चनिकाय-मण्डल (दीघनिकाय आदि पाँच निकायों के विशेषज्ञों के मण्डल) मे तीन पिटकों की शास्त्रा कर्णेगा”—इस प्रकार कहते हुए स्वर्ण-मेरी बजवायी। मिक्षुसङ्घ ने कहा—“किन आचार्यों की

१. किसी-किसी पुस्तक मे ‘देव’ के स्थान मे ‘रेवत’ शब्द भी मिलता है।

“किं कारण” ति ? “परियतिं, भन्ते परिवतेस्सामी” ति । “आवुसो अभय, आचरिया इंदं पदं कथं वदन्ती” ति ? “एवं वदन्ति, भन्ते” ति । थेरो ‘हुं’ ति पटिबाहि । पुन सो अज्जेन अज्जेन परियायेन “एवं वदन्ति, भन्ते” ति तिक्खतुं आह । थेरो सब्बं “हुं” ति पटिबाहित्वा “आवुसो, तया पठमे कथितो एव चाचरियमग्गो, आचरियमुखतो पन अनुग्रहितता, ‘एवं आचरिया वदन्ती’ ति सण्ठातुं नासकिं । गच्छ, अत्तनो आचरियान सन्तिके सुणाही” ति । “कुहिं, भन्ते, गच्छामी” ति ? “गङ्गाय परतो रोहणजनपदे तुलाधारपञ्चतविहारे सब्बपरियतिको महाधर्मरकिखतत्थेरो नाम वसति, तस्स सन्तिकं गच्छा” ति । “साधु, भन्ते” ति थेरं वन्दित्वा पञ्चहि भिक्खुसतेहि सद्दिं थेरस्स सन्तिकं गन्त्वा वन्दित्वा निसीदि । थेरो “कस्मा आगतोसी” ति पुच्छि । “धर्मं सोतुं, भन्ते” ति । “आवुसो अभय, दीधर्मज्ञमेसु मं कालेन कालां पुच्छन्ति । अवसेसं पन मे तिंसमतानि वस्सानि न ओलोकितपुञ्च । अपि च त्वं रत्तं मम सन्तिके परिवतेहि । अहं ते दिवा कथयिस्सामा” ति सो “साधु, भन्ते” ति तथा अकासि ।

परिवेणद्वारे महामण्डपं कारेत्वा गामवासिनो दिवसे दिवसे धर्मसवनत्थाय आगच्छन्ति । थेरो रत्तं परिवति । तं दिवा कथयन्तो अनुपुञ्चन देसनं निदुपेत्वा अभयत्थेरस्स सन्तिके तटिकाय निसीदित्वा “आवुसो महं कम्मटानं कथेही” ति आह । “भन्ते किं

यह शिक्षा है? आप अपने ही आचार्य की शिक्षा की व्याख्या करे, अन्यथा हम बोलने नहीं देंगे।” जब वे उपाध्याय के पास गये तो उन्होने भी पूछा—“तुमने भेरी बजवायी (=घोषणा करवायी) है?”

“हाँ, भन्ते!” “किसलिये?” “भन्ते, त्रिपिटक की व्याख्या करूँगा” । “आयुष्मन् अभय! आचार्य इस पद के विषय मे क्या कहते हैं?” “भन्ते, यह कहते हैं।” स्थविर ने हुं कहकर खण्डन किया । फिर उन्होने तीन बार मित्र-मित्र प्रकार से ‘यह कहते हैं, भन्ते’ कहा । स्थविर ने सभी का हुं कहकर खण्डन किया एव कहा—“आयुष्मन्! तुमने पहले जो कहा है, वही आचार्य द्वारा समर्थित मार्ग है; किन्तु व्योकि तुमने आचार्य के मुख से विषय का ग्रहण नहीं किया, इसलिये निष्प्रयोरूपक नहीं कह पाये कि “आचार्य यह कहते हैं”。 जाओ और अपने आचार्य से इसे सीखो।” “भन्ते, कहाँ जाऊँ?” “गङ्गापार रोहण जनपद मे तुलाधारपर्वतविहार मे सभी पिटको मे निष्णात महाधर्मरक्षित नामक स्थविर रहते हैं, उनके पास जाओ।” वे “बहुत अच्छा, भन्ते” कहकर स्थविर की बन्दना कर पाँच सौ मिक्युओं के साथ स्थविर के पास जाकर, बन्दना कर, बैठ गये । स्थविर ने पूछा—“किसलिये आये हो?” “भन्ते, धर्म-प्रवण करने के लिये।”

“आयुष्मन् अभय, शिष्यगण मुझसे दीधनिकाय और मज्जामनिकाय समय-समय पर पूछते रहते हैं इसलिये वे स्मृति मे हैं; किन्तु अवशिष्ट निकायों को तो मैने तीस वर्षों तक देखा भी नहीं है। फिर भी तुम रात्रि के समय उन्हे मेरे समीप पढो। प्रात मैं तुम्हे उनका तात्पर्य बतलाऊँगा।” उन्होने “बहुत अच्छा, भन्ते” कहकर वैसा ही किया ।

महाधर्मरक्षित के परिवेण के द्वार पर ग्रामवासी एक विशाल मण्डप बनवाकर प्रतिदिन धर्मश्रवण के लिये आया करते थे । अभय स्थविर रात्रि मे पढते थे । दूसरे दिन कथा कहते हुए क्रमशा देशना समाप्त कर अभय स्थविर के समीप चट्ठी (=चटाई) पर बैठकर महाधर्मरक्षित स्थविर ने कहा—“आयुष्मन्! मेरे लिये कर्मस्थान कहो।” “भन्ते, क्या कह रहे हैं? क्या मैने आप से ही श्रवण नहीं किया है? मैं आपको ऐसा क्या बतलाऊँगा जो आपको ज्ञान नहीं है।” तब स्थविर ने कहा—“आयुष्मन्! यह मार्ग उस व्यक्ति के लिये कुछ और ही महत्त्व रखता है जो वास्तव मे इस पर चला

भणथ ? ननु मया तुम्हाकमेव सन्तिके सुतं ! किमहं तुम्हेहि अञ्जातं कथेस्सामी ?" ति ततो नं थेरो "अञ्जो एस, आवुसो, गतकस्स मग्गो नामा" ति आह ।

अभयथेरो किर तदा सोतापन्नो होति । अथस्स सो कम्पट्रानं दत्वा आगन्त्वा लोहपासादे धर्मं परिवत्तेन्तो थेरो परिनिष्ठुतो ति अस्सोसि । सुत्वा "आहरथावुसो चीबरं" ति चीबरं पासपित्वा "अनुच्छविको, आवुसो, अन्हाकं आचरियस्स अरहत्तमग्गो । आचरियो नो, आवुसो, उजु आजानीयो । सो अत्तनो धर्मन्तेवासिकस्स सन्तिके तट्टिकाय निसीदित्वा 'मर्हं कम्पट्रानं कथेही' ति आह । अनुच्छविको, आवुसो, थेरस्स अरहत्तमग्गो" ति । एवरूपानं गन्थो पलिबोधो न होती ति । (९)

इद्दी ति । पोथुज्जनिका इद्धि । सा हि उत्तानसेव्यकदारको विय तरुणसस्सं विय च दुप्परिहारा होति । अप्पमत्तकेनेव भिज्जति । सा पन विपस्सनाय पलिबोधो होति, न समाधिस्स, समाधिं पत्वा पत्तब्बतो । तस्मा विपस्सनतिथकेन इद्धिपलिबोधो उपच्छिन्दितब्बो, इतरेन अवसेसा ति । (१०)

अयं ताव पलिबोधकक्षाय वित्तारो ॥

कम्पट्रानदायककथा

१४. कम्पट्रानदायकं कल्याणमित्तं उपसङ्ख्यमित्वा ति । एत्थ पन दुविधं कम्पट्रानं—सञ्चात्थककम्पट्रानं, पारिहारियकम्पट्रानं च । तत्थ सञ्चात्थककम्पट्रानं नाम भिक्खुसङ्खादीसु मेत्ता मरणस्सति च, असुभसञ्चा ति पि एके ।

कम्पट्रानिकेन हि भिक्खुना पठमं ताव परिच्छिन्दित्वा सीमटुकभिक्खुसङ्घे 'सुखिता

है'! अभय स्थविर उस समय योतआपत्र हो चुके थे । तब उन्होने कर्मस्थान देकर वापस आकर लोहप्रासाद मे धर्म का पारायण करते हुए स्थविर परिनिष्ठुत हो गये" ऐसा सुना । सुनकर "आयुष्मन्! चीवर लाओ" ऐसा कहकर प्रस्थान के निमित्त चीवर ओढकर कहा— "आयुष्मन्! अर्हत् मार्ग हमारे आचार्य को शोभा देता था । आयुष्मन्, हमारे आचार्य सरल और कुलीन थे । उन्होने अपने धर्मशिष्य के पास चाटाई पर बैठकर "मेरे लिये कर्मस्थान बतलाओ" ऐसा कहा था । आयुष्मन्! इस स्थविर को अर्हत् मार्ग ही शोभा देता था" । (१)

इस प्रकार के साधकों के लिये ग्रन्थ—परिबोध नहीं होता । (१)

ऋद्धि— अर्थात् पृथग्जनों की ऋद्धि । उत्तान सोने वाले शिशु (=नवजात शिशु जो करवट नहीं बदल सकता) के समान और नये पौधे के समान उसकी रक्षा करने में कठिनाई होती है । अत्यमात्र असावधानी से भी वह नष्ट हो जाता है । किन्तु वह विपश्यना के लिये परिबोध होती है, समाधि के लिये नहीं, क्योंकि वह समाधि द्वारा ही प्राप्त होती है । इसलिये विपश्यना के इच्छुक को ऋद्धि—परिबोध नष्ट करना चाहिये, अन्य को अवशिष्ट ९ पलिबोधों को दूर करना चाहिये ॥ (१०)

यो यह परिबोध का विस्तृत वर्णन पूर्ण तुआ ॥

कर्मस्थान—प्रदाता (कम्पट्रानदायक)

कर्मस्थान देने वाले कल्याणमित्र के पास जाकर— कर्मस्थान दो प्रकार का होता है— १. सबके लिये उपयोगी (=सर्वार्थक) कर्मस्थान एवं २. विशेष कर्मस्थान । सबके लिये उपयोगी कर्मस्थान है— मिशुसङ्घ आदि के प्रति मैत्री एवं मरणानुसृति । कोई कोई अशुभ संज्ञा को भी सबके लिये मानते हैं ।

कर्मस्थान ग्रहण करने वाले मिशु को पहले सीमित रूप में मैत्री भावना करते हुए सीमा-

‘होन्तु अब्यापज्ञा’ ति मेत्ता भावेतब्जा । ततो सीमटुकदेवतासु, ततो गोचरगाममिह इस्सरजने, ततो तथ मनुस्से उपादाय सब्जसत्तेसु । सो हि भिक्खुसङ्घे मेत्ताय सहवासीनं मुदुचित्तं जनेति । अथस्स ते सुखसंवासा होन्ति । सीमटुकदेवतासु मेत्ताय मुदुकतचित्ताहि देवताहि धम्मिकाय रक्खाय सुसंविहितरक्खो होति । गोचरगाममिह इस्सरजने मेत्ताय मुदुकतचित्तसन्तानेहि इस्सरेहि धम्मिकाय रक्खाय सुरुक्खितपरिक्खारो होति । तथ मनुस्सेसु मेत्ताय पसादितचित्तेहि तेहि अपरिभूतो हुत्वा विचरति । सब्जसत्तेसु मेत्ताय सब्जत्थ अप्पिटिहतचारो होति ।

भरणस्सतिया पन ‘अवस्सं मया मरितब्बं’ ति चिन्तेतो अनेसनं पहाय उपरूपरि बहुमानसंवेगो अनोलीनवृत्तिको होति । असुभसञ्चापरिचितचित्तस्स पनस्स दिब्बानि पि आरम्मणानि लोभवसेन चित्तं न परियादियन्ति ।

एवं बहूपकारता सब्जत्थ अतथ्यितब्बं इच्छितब्बं ति च अधिष्ठेतस्स योगानुयोग-कम्पस्स ठानं चा ति सब्जत्थककम्पटानं ति बुच्चति ।

चत्तालीसाय पन कम्पटानेसु यं यस्स चरियानुकूलं, तं तस्स निचं परिहरितब्बता उपरिमस्स च उपरिमस्स भावनाकम्पस्स पदटुमत्ता पारिहारियकम्पटानं ति बुच्चति । इति इमं दुविधं पि कम्पटानं यो देति अयं कम्पटानदायको नाम, तं कम्पटानदायकं ।

विशेष मे रहने वाले भिक्षुसङ्घ के प्रति ‘ये सुखी हो, कष्टहित हो’—इस प्रकार मैत्रीभावना करनी चाहिये । तत्पक्षात् उस सीमा के भीतर रहने वाले देवताओं के प्रति, तत्पक्षात् वहाँ के सभी मनुष्यों एवं उन मनुष्यों पर निर्भर रहने वाले सभी प्राणियों के प्रति । वह भिक्षुसङ्घ के प्रति मैत्री भावना का अन्यास करने के कारण अपने साथ रहने वालों के वित्त मे मृदुता उत्पन्न करता है । अतः उसके लिये वे सभी सुखपूर्वक साथ रहने वाले बन जाते हैं । उस सीमा विशेष मे रहने वाले देवताओं के प्रति मैत्री के कारण मृदुचित देवता उसकी धर्मसम्पत् सुरक्षा करते हैं । जहाँ वह भिक्षाटन करता है, उस ग्राम के प्रमुख व्यक्तियों के प्रति मैत्री के कारण, मृदु वित्तसन्तान (कोमल विचारो) वाले वे प्रमुख मनुष्य उसकी धर्मसम्पत् सुरक्षा करते हैं, जिससे उसका परिवार सुरक्षित होता है । वह वहाँ के मनुष्यों के प्रति मैत्री के कारण, उन प्रसन्न-चित्त मनुष्यों द्वारा अपमानित न होते हुए, विचरण करता है । सभी प्राणियों के प्रति मैत्री के कारण सर्वत्र निर्बाध रूप से विहार करता है ।

वह साधक मरण—स्मृति द्वारा “मै अवश्य मर्लगा”—ऐसा सोचते हुए, अनुचित अन्वेषण को छोड़कर क्रमशा वर्धमान सदेग से युक्त एव रागरहित जीवन जीने वाला वाला होता है । जिस व्यक्ति का वित्त अशुभसज्जा से परिचित (=उसका अभ्यासी) होता है, उसके वित्त मे तो दिव्य स्वर्ग आदि आलम्बन भी लोभ उत्पन्न नहीं कर सकते ।

इस प्रकार उन्हे मैत्री, मरणस्मृति एवं अशुभसज्जा को सबके लिये उपयोगी कहा जाता है, क्योंकि इनके बहु-उपकारी होने से सर्वत्र इनकी आवश्यकता पड़ती है एवं कर्मस्थान कहा जाता है । ये अभिप्रेत योग (=समाधि) मे अनुयोग (=संयुक्त) करने वाले कर्म के स्थान हैं । (१)

विशेष (=पारिहारिक) कर्मस्थान वह है जो कि किसी के लिये उसकी चर्या के अनुकूल किसी एक कर्मस्थान के रूप मे चालीस कर्मस्थानों मे से चुना गया यह विशेष (=परिहार्य=स्वीकार्य) है, क्योंकि वह उस भिक्षु के लिये इसे सर्वदा साथ—साथ लिये रहना आवश्यक होता है एवं क्योंकि यह उत्तरोत्तर विकसित होने वाले भावनाकर्म का आसन्न कारण है । इस प्रकार इस द्विविध कर्मस्थान को जो ऐता है वह कर्मस्थान—प्रदाता है । (२)

कल्याणमित्तं ति ।

“पियो गरु भावनीयो वत्ता च वचनकर्खमो ।

गम्भीरं च कथं कक्ता नो चट्ठाने नियोजको ॥ ति ॥ (अं० ३-१७७)

एवमादिगुणसमन्नागतं एकन्तेन हितेसिं चुड़िपकखे ठितं कल्याणमित्तं ।

“ममं हि, आनन्द, कल्याणमित्तं आगम्य जातिधम्मा सत्ता जातिया परिमुच्चन्ती” (सं० १-७८) ति आदिवचनतो पन सम्मासम्बुद्धोयेव सब्बाकारसम्पत्रो कल्याणमित्तो । तस्मा तर्स्मि सति तस्सेव भगवतो सन्तिके गहितकम्पटानं सुगृहितं होति । परिनिष्पुते पन तर्स्मि असरीतिया महासावकेसु यो धरति, तस्स सन्तिके गहेतुं धट्टति । तर्स्मि असति यं कम्पटानं गहेतुकामो होति, तस्सेव वसेन चतुक्षपञ्चकञ्जानानि निष्पत्तेत्वा ज्ञानपदटुनं विसर्सनं वडेत्वा आसवकर्खयप्ततस्स खीणासवस्स सन्तिके गहेतब्बं ।

किं पन खीणासवो ‘अहं खीणासवो’ ति अत्तानं पकासेती ति? किं वत्तब्बं? कारकभावं हि जानित्वा पकासेति । ननु अस्सगुत्तथेरो आरद्धकम्पटानस्स भिक्खुनो ‘कम्पटानकारको अयं’ ति जानित्वा आकासे चम्खण्डं पञ्चापेत्वा तत्थ पलङ्केन निसिन्नो कम्पटानं कथेसी ति!

तस्मा सचे खीणासवं लभति, इच्छेतं कुसलं । नो चे लभति, अनागमिसकदागामि-सोतापत्रज्ञानलाभिपुथुजनतिपिटकधरद्विपिटकधरएकपिटकधरेसु पुरिमस्स पुरिमस्स सन्तिके । एकपिटकधरे पि असति, यस्स एकसङ्गीति पि अटुकथाय सन्धिं पगुणा, सयं च लज्जे

कल्याणमित्र कौन है?

‘प्रिय, गौरव एव सम्मान का पात्र, धर्मवक्ता, वचनों को सहने या गम्भीर प्रवचन करने वाला एवं अनुचित कार्यों में न लगाने वाला’ आदि भगवदुक्त गुणों से युक्त, पूर्णरूप से हितैषी एवं सब की उन्नति (वृद्धि) चाहने वाला कल्याणमित्र कहा जाता है।

‘आनन्द, मुझ कल्याणमित्र के पास आकर उत्पत्ति स्वभाव वाले सत्त्व उत्पत्ति से विपुक्त होते हैं’ आदि भगवद्वचनों के अनुसार तो सम्यक्सम्बुद्ध ही सर्वाकारसम्पत्र (=उपर्युक्त सभी विशेषताओं से सम्पन्न) कल्याणमित्र हैं । इसलिये उनके जीते जी (उपर्युक्त रहते) उन्हीं से ग्रहण किया गया कर्मस्थान ही वस्तुतः ‘सम्यक्तया ग्रहण किया गया’ कहा जा सकता है । उनके परिनिवृत हो जाने पर, अस्सी महाश्रावकों में से जो जीवित हो, उनके सभीप ग्रहण करना चाहिये । उनके भी जीवित न रहने पर, जिस कर्मस्थान को ग्रहण करने की इच्छा हो, उसी के अनुसार चार एवं पाँच व्यान मानने वाले नय के अनुसार क्रमशः चतुर्ष्क पञ्चक व्यानों को उत्पन्न कर, व्यान की आसन्नकारण विपश्यना का वर्धन कर, जिसके आस्त्र शीण हो चुके हों ऐसे क्षीणास्त्रव भिक्षु से ग्रहण करना चाहिये ।

प्रश्न— किन्तु क्या क्षीणास्त्रव “मैं क्षीणास्त्रव हूँ” इस प्रकार अपने को स्वयं प्रकाशित (घोषित) करता है? इस विषय में क्या करना चाहिये?

उत्तर— जब, वह जान लेता है कि उसकी शिक्षा का पालन किया जायगा, वह (स्वयं को) प्रकाशित करता है । क्या अश्वगुप्त स्थविर ने कर्मस्थान का आरम्भ कर चुके भिक्षु के लिये “यह कर्मस्थान का पालन करने वाला है”—ऐसा जानकर आकाश मे चर्मखण्ड विघ्नकर, उस पर पदासन से बैठ कर एवं इस प्रकार ऋद्धिबल का प्रदर्शन करते हुए कर्मस्थान नहीं बतलाया था!

इसलिये क्षीणास्त्रव भिक्षु गिल जाय तो बहुत अच्छा है । यदि न मिले तो अनागमी, सकृदागमी, शोतापन, द्यानलाभी पृथग्जन, त्रिपिटकधर, द्विपिटकधर या एकपिटकधर ने से क्रमशः किसी एक

होति, तस्स सन्ति के गहेतब्बं। एवरूपो हि तन्तिधरो वंसानुरक्खको पवेणीपालको आचरियो आचरियमतिको व होति, न अत्तनोमतिको होति। तेनेव पोराणकत्थेरा ‘लज्जी रक्खस्सति, लज्जी रखिस्सती’ ति तिक्खतुं आहंसु।

पुङ्के वुत्खीणासवादयो चेत्थ अत्तना अधिगतमण्गमेव आचिक्खन्ति। बहुसुतो पन तं तं आचरियं उपसङ्कमित्वा उग्गहपरिपुच्छानं विसोधितता इतो चितो च सुत्तं च कारणं च सल्लक्खेत्वा सप्पायासप्पायं योजेत्वा गहनद्वाने गच्छन्तो महाहत्थी वियमहामण्गं दसेन्तो कम्मट्टानं कथेसति। तस्मा एवरूपं कम्मट्टानदायकं कल्याणमित्तं उपसङ्कमित्वा तस्स वत्पटिपतिं कत्वा कम्मट्टानं गहेतब्बं।

सचे पनेतं एकविहारे येव लभति, इच्छेतं कुसलं। नो चे लभति, यत्थ सो वसति, तथ्य गन्तब्बं। गच्छन्तेन च न धोतमक्खितेहि पादेहि उपाहना आरहित्वा छतं गहेत्वा तेलनाळिमधुकाणितादीनि गाहापेत्वा अन्तेवासिकपरिवृतेन गन्तब्बं। गमिकवत्तं पन पूरेत्वा अत्तनो पत्तचीवरं सयमेव गहेत्वा अन्तरामण्गे यं यं विहारं पविसति सब्बत्थ वत्पटिपतिं कुरुमानेन सल्लहुकपरिक्खारेन परमसल्लेखवृत्तिना हुत्वा गन्तब्बं।

तं विहारं पविसन्तेन अन्तरामण्गे येव दन्तकट्टुं कपियं कारापेत्वा गहेत्वा पविसितब्बं। न च “भुहुतं विस्समित्वा पादधोवनमक्खनादीनि कत्वा आचरियस्स सन्ति कं गमिस्सामी” ति अञ्जं परिवेणं पविसितब्बं। कस्मा ? सचे हिस्स तत्र आचरियस्स विसभागा भिक्षू भवेय्युं, ते आगमनकारणं पुच्छित्वा आचरियस्स अवण्णं पकासेत्वा-‘नद्वोसि सचे तस्स सन्ति कं आगातो’ ति विप्पटिसारं उप्पादेय्युं, येन ततो व पटिनिवत्तेय्य। तस्मा आचरियस्स वसनद्वानं पुच्छित्वा उजुकं तत्येव गन्तब्बं।

के न रहने पर दूसरे के समीप ग्रहण करना चाहिये। यदि एकपिटकधर भी न मिले, तो जिसे अहुकथा के साथ एक भी समीति (निकाय) कण्ठस्थ है एवं स्वतः लज्जावान् हो उससे ग्रहण करना चाहिये। इस प्रकार का तन्तिधर (=बुद्धवचन कण्ठस्थ करने वाला) बुद्ध के वश का रक्षक, परम्परापालक आचार्य अपने आचार्य की मति के अनुसार चलने वाला होता है, अपनी मति के अनुसार चलने वाला नहीं। इसीलिये प्राचीन समय के स्थविरों ने ऐसे मिक्षु की तरफ सङ्केत करते हुए तीन बार कहा है “लज्जावान् (वंश की) रक्षा करेगा, लज्जावान् (वंश की) रक्षा करेगा।”

पूर्वीक शीणासद आदि अपने द्वारा अधिगत (अनुभूत) मार्ग को ही बतलाते हैं। किन्तु जो बहुश्रुत होता है वह उस आचार्य के पास जाकर अपने सीखे हुए का एवं प्रश्नोत्तरो (शङ्का-समाधानों) के सहारे इधर उधर से सूत्र एवं तर्क (=कारण) का सञ्चय कर, अनुकूल एवं अनुकूल की योजना (=व्यवस्था) कर, महामार्ग (सरल निष्कटक मार्ग) दिखलाते हुए, गहन स्थान मे जाने वाले हाथी के समान, कर्मस्थान बतलायगा। इसलिये ऐसे कर्मस्थानोपदेशः कल्याणमित्र के पास जाकर उसके प्रति करणीय (सेवा-पूजा) करके कर्मस्थान का ग्रहण करना चाहिये।

यदि वह उसी विहार मे गिल जाय, तब तो बहुत ही अच्छा है। यदि न मिले तो वह जहाँ रहता हो वहाँ जाना चाहिये। जाते समय उसे (जिजासु को) पैर धोकर, तैल लगाकर, जूता पहन, छाता एवं तेल की फौफी, शहद, राब आदि लेकर चलने वाले शिष्यों से धिरे हुए नहीं जाना चाहिये। अपितु जाने के पूर्व अपने कर्त्तव्यों को पूर्ण कर, अपना पात्र-चीवर स्वयं ही लेकर एवं बीच रास्ते मे जो जो विहार पड़े, उन सबमें करणीय कर्म वन्दन-पूजन करते हुए, बहुत कम सामान लेकर और परम उपेक्षावृत्ति वाला होकर जाना चाहिये।

सचे आचरियो दहरतरो होति, पत्तचीवरपटिगग्हणादीनि न सादितब्बानि । सचे बुद्धतरो होति, गन्त्वा आचरियं बन्दित्वा ठातब्बं । “निकिखपावुसो, पत्तचीवरं” ति बुतेन निकिखपितब्बं । “पानीयं पिवा” ति बुतेन सचे इच्छति पातब्बं । “पादे धोवाही” ति बुतेन न ताव पादा धोवितब्बा । सचे हि आचरियेन आभतं उदकं भवेत्य, न सारुप्यं सिया । “धोवाहावुसो, न मया आभतं, अज्जेहि आभतं” ति बुतेन पन यत्थ आचरियो न पस्सति, एकरूपे पटिच्छत्रे वा ओकासे, अब्बोकासे विहारस्सा पि वा एकमन्ते निसीदित्वा पादा धोवितब्बा ।

सचे आचरियो तेलनाळिं आहरति, उद्ग्रहित्वा उभोहि हत्थेहि सक्षचं गहेतब्बा । सचे हि न गष्टेत्य, “अयं भिक्षु इतो एव पट्टाय साम्भोगं कोपेती” ति आचरियस्स अज्जथतं भवेत्य । गहेत्वा पन न आदितो व पादा मक्खेतब्बा । सचे हि तं आचरियस्स गतब्बज्जनतेलं भवेत्य, न सारुप्यं सिया । तस्या सीसं मक्खेत्वा खन्धादीनि मक्खेतब्बानि । “सब्बपारिहारिय-तेलमिंदं, आवुसो, पादे पि मक्खेही” ति बुतेन पन थोकं सीसे कत्वा पादे मक्खेत्वा “इमं तेलनाळिं ठपेमि, भन्ते” ति वत्वा आचरिये गणन्ते दातब्बा ।

आगतदिवसतो पट्टाय “कम्भट्टानं मे, भन्ते, कथेथ” इच्चेवं न वत्तब्बं । दुतियदिवसतो पन पट्टाय, सचे आचरियस्स पक्तिउपट्टाको अतिथ, तं याचित्वा वत्तं कातब्बं । सचे याचितो पि न देति, ओकासे लङ्घे येव कातब्बं । करोन्तेन च खुद्दकमज्ज्ञममहन्तानि तीणि दन्तकट्टानि उपनामेतब्बानि । सीतं उण्हं ति दुविधं मुखथोवनउदकं च न्हानोदकं च पटियादेतब्बं । ततो यं आचरियो तीणि दिवसानि परिभुज्जति, तादिसमेव निचं उपनामेतब्बं ।

उस आचार्य के विहार में प्रवेश करने वाले को रास्ते में ही दातौन तुडवाकर प्रवेश करना चाहिये, क्योंकि भिक्षु के लिये हरे-भरे वृक्षों से पते आदि तोड़ना वर्जित=अकल्प्य है । उसे यह सोचकर कि “कुछ समय विश्राम कर, पैर धोकर, तैल लगाकर आचार्य के पास जाऊँगा”, किसी अन्य परिवेष में प्रवेश नहीं करना चाहिये, क्योंकि यदि वहाँ उस आचार्य के विरोधी भिक्षु, उसके आगमन का कारण पूछकर उस आचार्य की निन्दा करते हुए “यदि उनके पास गये तो समझो कि नष्ट हो गये!”—इस प्रकार उसके मन में पश्चात्ताप (=ग्लानि) उत्पन्न कर देंगे । जिससे कि सम्बवत् वह जिज्ञासु आचार्य के पास न जाकर वहाँ से वापस लौट सकता है । इसलिये उसे आचार्य का स्थान पूछकर सीधे वही जाना चाहिये ।

यदि आचार्य उससे आयु में छोटे हों तो उनसे पात्र—चीवर ग्रहण आदि नहीं करवाना चाहिये । यदि उससे बड़े हों, तो जाकर आचार्य की वन्दना कर खड़े हो जाना चाहिये । “आयुष्णन्। पात्र—चीवर रख दो”—ऐसा कहने पर रख देना चाहिये । “जल पी लो”—कहने पर, यदि इच्छा हो तो पी लेना चाहिये । “पैर धो लो”—कहने पर उसी समय नहीं धोना चाहिये, क्योंकि यदि जल आचार्य के द्वारा लाया गया हो, तो उसे उपयोग में लेना उचित नहीं हो सकता । किन्तु “धो लो, आयुष्णन्! यह भरे द्वारा नहीं, अपितु किसी अन्य द्वारा लाया गया है”—कहने पर जहाँ आचार्य की दृष्टि न पड़ती हो, ऐसे आवरण वाले स्थान पर या विहार के खुले मैदान में ही एकान्त में बैठकर पैर धोना चाहिये ।

यदि आचार्य तैल की फोफी लेकर आये, तो उठकर दोनों हाथों से आदर के साथ लेना चाहिये । यदि ग्रहण नहीं करे तो आचार्य यह अन्यथा भी सोच सकते हैं—“यह भिक्षु अभी से (इसके) उपभोग को बुरा समझता है” किन्तु इसे लेकर पहले पैरों पर ही नहीं मलना चाहिये, क्योंकि यदि

नियमं अकत्वा यं वा तं वा परिभुज्ञन्तस्स यथालद्धं उपनामेतब्बं । किं बहुना वुत्तेन ? यं तं भगवत् “अनेत्वासिकेन, भिक्खुवे, आचरियम्हि सम्मा वत्तितब्बं । तत्रायं सम्मा वत्तना—कालस्सेव उद्ग्राय उपाहना ओमुञ्जित्वा एकंसं उत्तरासङ्गं करित्वा दन्तकद्वं दातब्बं, मुखोदकं दातब्बं, आसनं पञ्जापेतब्बं । सचे यागु होति, भाजनं थोवित्वा यागु उपनामेतब्बा” (वि० ३-५८) ति आदिकं खन्थके सम्मा वत्तं पञ्जत्तं, तं सब्बं पि कातब्बं ।

एवं वत्तसम्पत्तिया गरु आराध्यमानेन सायं बन्दित्वा ‘याही’ ति विस्सज्जितेन गन्तब्बं । यदा सो ‘किस्सागतोसी’ ति पुच्छति तदा आगमनकारणं कथेतब्बं । सचे सो नेव पुच्छति, वत्तं पन सादियति, दसाहे वा पक्खे वा वीतिवते एकदिवसं विस्सज्जितेनपि अगन्त्वा ओकासं कारेत्वा आगमनकारणं आरोचेतब्बं । अकाले वा गन्त्वा ‘किमत्थं आगतोसी?’ ति पुट्टेन आरोचेतब्बं । सचे सो ‘पाते व आगच्छा’ ति बदति, पातो व गन्तब्बं ।

सचे पनस्स ताय वेलाय पिताबाधेन वा कुच्छि परिडृश्यति, अगिगमन्दताय वा भत्तं न जीरति, अञ्जो वा कोचि रोगो बाधति, तं यथाभूतं आविकत्वा अत्तनो सप्पायवेलं वह तैल आचार्य के अङ्गो पर मला जाने वाला तैल हो तो उसे पैरो पर मलना उचित नहीं होगा । इसलिये सिर पर मलकर फिर कन्धे आदि पर मलना चाहिये । किन्तु यदि आचार्य कहे कि “आयुष्मन् ! यह तैल सर्वत्र व्यवहार में आने वाला है, पैरो को भी मल लो” तो थोड़ा सा सिर पर रखकर, पैरों पर मलकर “भन्ते, इस तैल की फोफी को रख रहा हूँ”—ऐसा कहकर, आचार्य के से लेने पर दे देना चाहिये ।

जिस दिन वह पहुँचा हो उसी दिन यह नहीं कहना चाहिये कि—“भन्ते, मुझे कर्मस्थान बतलाइये” यदि आचार्य का कोई स्थायी सेवक हो, तो उससे सेवा का अवसर मौँग कर दूसरे दिन से करणीय करना चाहिये । यदि वह भाँगने पर भी अवसर न दे, तो अवसर पाने पर स्वयं ही करना चाहिये । सेवा करने वाले आगन्तुक भिक्षु को छोटी, मङ्गली और बड़ी—तीन आकार की दातौन लाकर देना चाहिये । मुख धोने एवं नहाने के लिये ठण्डा और गर्म—दोनों प्रकार के जल का प्रबन्ध करना चाहिये । तत्पश्चात् आचार्य ने तीन दिनों तक जो आहार लिया हो, उसी प्रकार का आहार उन्हे प्रतिदिन लाकर देना चाहिये । यदि आचार्य कोई नियम न रखते हुए कुछ भी खा लेते हो, तो जो भिल जाय वही लाकर देना चाहिये । अधिक कहने से दया लाभ? भगवान् ने—“शिष्य को आचार्य के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिये । अच्छा व्यवहार यह है—ठीक समय पर उठकर, जूते उतार कर, उत्तरासङ्ग को एक कन्धे पर कर, मुख धोने के लिये दतुअन व जल देना चाहिये, आसन बिछाना चाहिये । यदि यवागू हो तो पात्र धोकर यवागू लाकर देना चाहिये” आदि इस प्रकार स्कन्धक (विनयपिटक के भगवान्ग) में जो सम्प्रव्यवहार बतलाया है, वह सभी करना चाहिये ।

इस प्रकार सेवा—शुश्रूषा से गुरु को प्रसन्न करने वाले को सायद्वाल वन्दना करने के बाद ‘जाओ’ कहकर विदा कर दिये जाने पर चले जाना चाहिये । जब कि वे पूछे ही नहीं । किन्तु सेवा करवा ले तो दस दिन या पन्द्रह दिन बीत जाने पर, विदा कर दिये जाने पर भी न जाकर, कहने की परिस्थिति बनाकर, आने का कारण कहना चाहिये । या विना समय के ही जाकर “किसलिये आये हो?” ये पूछे जाने पर कहना चाहिये । यदि वे कहे कि “प्रातः ही आओ” तो प्रातः ही जाना चाहिये ।

यदि उस समय पित बिगड़ने से उसके पेट में जलन हो रही हो या अग्रिमान्द्य के कारण भोजन न पच रहा हो या कोई दूसरे रोग से पीड़ित हो तो उनसे सच बताकर अपने लिये उपयुक्त

आरोचेत्वा ताय वेलाय उपसङ्कमितब्बं । असप्यायवेलायं हि बुच्चमानं पि कम्पट्रानं न सक्षा होति मनसिकातुं ति ।

अयं कम्पट्रानदायकं कल्याणमित्तं उपसङ्कमित्वा ति एत्य वित्थारो ॥
चरियाकथा

१५. इदानि अत्तनो चरियानुकूलं ति । एत्थ चरिया ति छ चरिया—रागचरिया, दोसचरिया, मोहचरिया, सद्घाचरिया, बुद्धिचरिया, वितक्कचरिया ति । केचि पन रागादीनं संसागसत्रिपातवसेन अपरा पि चत्तस्सो, तथा सद्घादीनं ति इमाहि अद्भुति सद्धिं चुद्धस इच्छन्ति । एवं पन भेदे बुच्चमाने रागादीनं सद्घादीहि पि संसगं कत्वा अनेका चरिया होन्ति । तस्मा सङ्क्षेपेन छलेव चरिया वेदितब्बा । चरिया, पक्ति, उस्सत्रता ति अत्थतो एकं ।

तासं वसेन छलेव पुगला होन्ति—रागचरितो, दोसचरितो, मोहचरितो, सद्घाचरितो, बुद्धिचरितो, वितक्कचरितो ति ।

तत्थ यस्मा रागचरितस्स कुसलप्पवत्तिसमये सद्घा बलवती होति, रागस्स आसन्न-गुणता । यथा हि अकुसलपक्खे रागो सिनिद्धो नातिलूखो, एवं कुसलपक्खे सद्घा रागो वत्थकामे परियेसति, एवं सद्घा सीलादिगुणे । यथा रागो अहितं न परिच्छजति, एवं सद्घा हिते न परिच्छजति, तस्मा रागचरितस्स सद्घाचरितो सभागो ।

यस्मा पन दोसचरितस्स कुसलप्पवत्तिसमये पञ्चा बलवती होति, दोसस्स
समय का सुज्ञाव देकर उसी समय जाना चाहिये, क्योंकि अनुचित समय पर उपदिष्ट कर्मस्थान मन में बैठाया नहीं जा सकता ।

यो, यह 'कर्मस्थान-प्रदाता कल्याणमित्र के पास जाकर' की व्याख्या है ॥

चर्या-वर्णन

१५. अब 'अत्तनो चरियानुकूलं' का वर्णन करें—यहाँ चर्या का तात्पर्य है छह चर्याएँ । वे है—१. रागचर्या, २. द्वेषचर्या, ३. मोहचर्या, ४. श्रद्धाचर्या, ५. बुद्धिचर्या एवं ६. वितर्कचर्या । कोई-कोई राग आदि को समृक्त (मिला जुला) कर चार अन्य (=१ राग-मोहचर्या, २. द्वेष-मोहचर्या, ३. राग-द्वेषचर्या, ४. राग-द्वेष-मोहचर्या) और वैसे ही श्रद्धा आदि को भी (मिलाकर) इन आठ के साथ (=पूर्वोक्त चार मिश्रित चर्याओं एवं १. श्रद्धा-बुद्धिचर्या, २. श्रद्धा-वितर्कचर्या, ३. बुद्धि-वितर्कचर्या, ४. श्रद्धा-बुद्धि-वितर्कचर्या—इन कुल आठ चर्याओं के साथ पूर्वोक्त छह को मिलाकर चौदह नामते हैं । किन्तु यदि इस प्रकार भेद बतलाने लगे तो राग आदि को श्रद्धा आदि के साथ भी मिलाकर अनेक चर्याएँ होगी । इसलिये सक्षेप में छह ही चर्याएँ जाननी चाहिये । चर्या, प्रकृति (=स्वभाव), स्वभावगत विशेषता (अन्य धर्मों की अपेक्षा रागादि की अधिकता)—ये सभी समानार्थक (शब्द) हैं ।

इन चर्याओं के भेद से छह की प्रकार के व्यक्ति भी होते हैं—१. रागचरित, २. द्वेष चरित, ३. मोहचरित, ४. श्रद्धाचरित, ५. बुद्धिचरित एवं ६. वितर्कचरित ।

इनमें, क्योंकि रागचरित वाले व्यक्ति में जब कुशल वित्त उत्पन्न होता है, तब उसकी श्रद्धा बलवती होती है; क्योंकि वह राग से मिलते-जुलते गुण वाली होती है, इसलिये रागचरित का श्रद्धाचरित समानधर्मा है । जिस प्रकार अकुशल के विषय में राग लिंगध होता है, बहुत रुक्ष नहीं, वैसे राग कामसुखों को खोजता है और श्रद्धा भी शीत अदि गुणों को खोजती है । जिस प्रकार राग अहित को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार श्रद्धा हित को नहीं छोड़ती । अत रागचरित श्रद्धाचरित का समानधर्म है ।

आसन्नगुणता । यथा हि अकुसलपक्षे दोसो निस्सनेहो न आरम्भणं अल्लीयति, एवं कुसलपक्षे पञ्जा । यथा च दोसो अभूतं पि दोसमेव परियेसति, एवं पञ्जा भूतं दोसमेव । यथा दोसो सत्तपरिवज्जनाकारेन पवतति, एवं पञ्जा सङ्घारपरिवज्जनाकारेन, तस्मा दोसचरितस्स बुद्धिचरितो सभागो ।

यस्मा पन मोहचरितस्स अनुप्पन्नानं कुसलानं धर्मानं उप्पादाय वायममानस्स येभुय्येन अन्तरायकरा वितक्षा उप्पज्जन्ति, मोहस्स आसन्नलक्खणता । यथा हि मोहो परिष्वाकुलताय अनवट्टितो, एवं वितक्षो नानप्पकारवितक्षनताय । यथा च मोहो अपरियोगाहनताय चश्चलो, तथा वितक्षो लहुपरिक्षप्पनताय, तस्मा मोहचरितस्स वितक्षचरितो सभागो ति ।

१६. अपरे तण्हामानदिट्टवसेन अपरा पि तिस्सो चरिया वदन्ति । तत्थ तण्हा राणो येव, भानो च तंसम्प्रयुत्ता ति तदुभयं रागचरियं नातिवत्ति । मोहनिदानता च दिट्टिया दिट्टिचरिया मोहचरियमेव अनुपतति ।

चरियानिदानं

१७. ता पनेता चरिया किंनिदाना ? कथं च जानितव्वं—‘अयं पुगलो रागचरितो, अयं पुगलो दोसादीसु अञ्जतरचरितो’ ति ? किंचरितस्स पुगलस्स किं सप्पायं ति ?

१८. तत्र पुरिमा ताव तिस्सो चरिया पुब्बाचिण्णनिदाना धातुदोसनिदाना चा ति एकच्चे वदन्ति । पुञ्चे किर इट्टप्पयोगसुभकम्भवहुलो रागचरितो होति, सगा चा चवित्वा

क्योकि द्वेषचरित व्यक्ति में कुशल चित्त उत्पन्न होने के समय प्रज्ञा बलवती होती है, क्योकि वह द्वेष से मिलते-जुलते गुण वाली है, इसलिये द्वेषचरित बुद्धिचरित का समानधर्मा है । जिस प्रकार अकुशल पक्ष में द्वेष ज्ञेहरहित होता है, आलम्बन में लीन नहीं होता, इसी प्रकार कुशल पक्ष में प्रज्ञा होती है । जिस प्रकार द्वेष असत् दोष को भी खोजता रहता है उसी प्रकार प्रज्ञा सत् दोष को खोजती रहती है । जिस प्रकार द्वेष सत्त्वों के प्रति परिवर्जन (=अस्तीकार) के रूप में प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार प्रज्ञा सस्कारों के प्रति परिवर्जन के रूप में प्रवृत्त होती है । अतः द्वेषचरित बुद्धिचरित से मिलते-जुलते गुण वाला होता है ।

क्योकि जब मोहचरित अनुत्पन्न कुशल धर्मों के उत्पाद का प्रयास करता है, तब प्रायः विद्वाकारी वितर्क उपस्थित होते हैं, क्योकि वितर्क मोह से मिलते-जुलते लक्षण वाला है । इसलिये मोहचरित का वितर्कचरित सभीपर्धमा है । जिस प्रकार मोह व्याकुलता के कारण अस्थिर होता है, उसी प्रकार वितर्क भी अनेक प्रकार के वितर्क करने के कारण अनवस्थित होता है । जिस प्रकार मोह आलम्बन में संयुक्त न होने के कारण चश्चल कहा जाता है, उसी प्रकार वितर्क भी कुद्र परिकल्पनारैं करने के कारण चश्चल होता है । अतः मोहचरित का वितर्कचरित तुल्यधर्मा कहलाता है ।

१६. अन्य विद्वान् तुष्णा, मान और दृष्टि के भेद से तीन अन्य चर्याएँ भी स्वीकार करते हैं । इनमें तुष्णा तो राग ही है और मान उससे सम्प्रयुक्त होता है । इसलिये वे दोनों वस्तुतः रागचरित से मिल नहीं हैं । एवं क्योकि दृष्टि मोह से उत्पन्न होती है, इसलिये दृष्टिचरित का भी नोहचरित में ही समावेश है ।

चर्या के कारण (निदान)

१७. उस चर्या का निदान क्या है? एवं यह कैसे जानना चाहिये कि “यह पुद्रल रागचरित है? यह पुद्रल द्वेष आदि अन्य चरित वाला है? किस चरित वाले पुरु. त के लिये व्यथा अनुकूल है?”

१८. उनमें, पूर्व की तीन चर्याएँ (राग, द्वेष एवं मोह) पूर्वकृत कर्मों के अभ्यास एवं धातु या

इधूपपत्रो । पुब्बे छेदनवधबन्धनवेरकम्भबहुलो दोसचरितो होति, निरयनागयोनीहि वा चवित्वा इधूपपत्रो । पुब्बे मज्जपानबहुलो सुतपरिपुच्छाविहीनो च मोहचरितो होति, तिरच्छानयोनिया वा चवित्वा इधूपपत्रो ति । एवं पुब्बाचिणनिदाना ति वदन्ति ।

द्विन्नं पन धातुनं उस्सन्ता पुगलो मोहचरितो होति, पथवीधातुया च आपोधातुया च । इतरासं द्विन्नं उस्सन्ता दोसचरितो । सब्बासं समता पन रागचरितो ति ।

दोसेसु च सेम्हाधिको रागचरितो होति । वाताधिको मोहचरितो सेम्हाधिको वा मोहचरितो, वाताधिको वा रागचरितो ति । एवं धातुदोसनिदाना ति वदन्ति ।

तथ यस्मा पुब्बे इट्टप्पयोगसुभकम्भबहुला पि सग्गा चवित्वा इधूपपत्रा पि च न सब्बे रागचरिता येव होन्ति, न इतरे वा दोसमोहचरिता । एवं धातुनं च यथाकुत्तेव नयेन उस्सदनियमो नाम नत्थि । दोसनियमे च रागमोहद्यमेव वुतं, तं पि च पुब्बापरविरुद्धमेव । सङ्घाचरियादेसु च एकिस्सा पि निपानं न वुतमेव, तस्मा सब्बमेत्त अपरिच्छिन्नवचन्त ।

१९. अयं पनेत्थ अट्टकथावरियानं मतानुसरेन विनिष्ठादो । वुतं हेतं उस्सदकित्तने—“इमे सत्ता पुब्बहेतुनियमेन लोभुस्सदा, दोसुस्सदा, मोहुस्सदा, अलोभुस्सदा, अदोसुस्सदा, अमोहुस्सदा च होन्ति ।

“यस्स हि कम्मायूहनक्खणे लोभो बलवा होति अलोभो मन्दो, अदोसामोहा दोष के कारण होती है—ऐसा कोई कोई यिद्वान् कहते हैं। उनके अनुसार, पूर्व जन्म में इष्ट अर्थात् प्रिय के अन्वेषण में लगा हुआ, प्रायः शुभ कर्म करने वाला अथवा स्वर्ग से च्युत होकर यहाँ पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला रागचरित होता है । पूर्व जन्म में अधिकतया काटने—मारने, बाँधने और द्वेष (वैर) से प्रेरित कर्म करने वाला या नरक अथवा नाग योनि में मरकर यहाँ उत्पन्न होने वाला द्वैषचरित होता है । पूर्व जन्म में अत्यधिक मद्यपायी और ज्ञान की बातें सुनने एवं उनके विषय में जिजासा से प्रेरित होकर प्रश्न करने से रहित अथवा पशु (तिरक्षीन) योनि में मरकर यहाँ उत्पन्न होने वाला मोहचरित होता है । इस प्रकार कहा जाता है कि चर्चा पूर्व-अभ्यास के कारण होती है ।

दो धातुओ—पृथ्वी एवं जल की प्रबलता से पुद्रल मोहचरित होता है । अन्य दो धातुओ—तेज एवं वायु की प्रबलता से द्वैषचरित होता है । सभी धातुओं की समता होने के कारण रागचरित होता है ।

वात, पित्त एवं कफ इन तीनो दोषो मे, जिसमे कफ (=श्लेष्मा) की अधिकता होती है वह रागचरित होता है, जिसमे वात की अधिकता होती है वह मोहचरित होता है । अथवा, किसी किसी के मतानुसार जिसमे कफ की अधिकता होती है वह मोहचरित एवं जिसमे वात की अधिकता होती है, वह रागचरित होता है । इस प्रकार, चर्चा धातु और दोष के कारण होती है—ऐसा कहा जाता है ।

वस्तुतः इनमे पूर्व योनि मे इष्ट के अन्वेषण मे लगे हुए एवं अधिकतया शुभकर्मकर्ता एवं स्वर्ग से पतित होकर यहाँ उत्पन्न हुए सभी सत्त्व भी रागचरित ही होते हों और दूसरे द्वेष-मोहचरित—ऐसी बात नहीं है । इसी प्रकार धातुओं की पूर्वाक विधि द्वारा कोई विशद (=व्यापक) नियम सूचित नहीं होता । दोष नियम मे भी राग और मोह—दो का ही उल्लेख है, और यह भी पूर्वापर क्रम से परस्पर विरुद्ध ही है । एवं अद्वावर्या आदि मे से एक का भी कारण इस विषय मे नहीं बतलाया गया । इसलिये यह सब अनिश्चित (=अपरिच्छिक) कथन ही है ।

१९. अट्टकथा के आचार्यों के मतानुसार इस वट्टव का विनिष्ठय (निर्णय) इस प्रकार है—विशद (=प्रधान, उत्सद) के स्पष्टीकरण मे इस प्रकार कहा गया है—

बलवन्तो दोसमोहा मन्दा, तस्स मन्दो अलोभो लोभं परियदातुं न सकोति । अदोसामोहा पन बलवन्तो दोसमोहे परियदातुं सकोन्ति । तस्मा सो तेन कम्मेन दिनपटिसन्धिवसेन निष्वत्तो लुद्धो होति सुखसीलो अकोधनो पञ्चवा वजिरूपमआणो ।

“यस्स पन कम्मायूहनकखणे लोभदोसा बलवन्तो होन्ति अलोभादोसा मन्दा, सोमोहो च बलवा मोहो मन्दो, सो पुरिमनयेनेव लुद्धो चेव होति दुट्ठो च । पञ्चवा पन होति वजिरूपमआणो दत्ताभयस्थरो विय ।

“यस्स कम्मायूहनकखणे लोभादोसमोहा बलवन्तो होन्ति इतरे मन्दा, सो पुरिमनयेनेव लुद्धो चेव होति दन्धो च, सीलको पन होति अकोधनो बहुलत्थेरो विय ।

“तथा यस्स कम्मायूहनकखणे तयो पि लोभदोसमोहा बलवन्तो होन्ति अलोभादयो मन्दा, सो पुरिमनयेनेव लुद्धो चेव होति, दुट्ठो च मूळहो च ।

“यस्स पन कम्मायूहनकखणे अलोभदोसमोहा बलवन्तो होन्ति इतरे मन्दा, सो पुरिमनयेनेव अलुद्धो अप्पकिलेसो होति, दिव्वारम्पणं पि दिस्वा निज्जलो, दुट्ठो पन होति दन्धपञ्चो च ।

“यस्स पन कम्मायूहनकखणे अलोभादोसमोहा बलवन्तो होन्ति इतरे मन्दा, सो पुरिमनयेनेव अलुद्धो अदुट्ठो च सीलको च, दन्धो पन होति ।

“तथा यस्स कम्मायूहनकखणे अलोभदोसमोहा बलवन्तो होन्ति इतरे मन्दा, सो पुरिमनयेनेव अलुद्धो चेव होति पञ्चवा च, दुट्ठो च पन होति कोधनो ।

“ये सत्त्व पूर्व हेतुनियम के कारण, पूर्वकृत कर्मों के संस्कारवश, लोभप्रधान, द्वेषप्रधान, मोहप्रधान, अलोभप्रधान और अमोहप्रधान होते हैं ।

“जिस (पुद्गल) की प्रतिसन्धि (=कर्म-आयूहन) के क्षण में लोभ बलवान् होता है और अलोभ मन्द, अद्वेष-अमोह बलवान् होते हैं और द्वेष-मोह मन्द, उसका मन्द अलोभ लोभ को अभिभूत नहीं कर सकता, किन्तु उसके अद्वेष एवं अमोह बलवान् होने के कारण द्वेष और मोह को अभिभूत कर सकते हैं । इसीलिये वह उस कर्म के द्वारा दी गयी प्रतिसन्धि के कारण उत्पन्न होने से लोभी, विलासी (=सुखसील) अकोधी, प्रज्ञावान् एव वज्जसदृश ज्ञान वाला होता है ।

“किन्तु जिसकी प्रतिसन्धि के क्षण में लोभ और द्वेष बलवान् होते हैं एव अलोभ तथा अद्वेष मन्द, अमोह बलवान् होता है मोह मन्द, वह पहले कही गयी विधि के अनुसार ही लोभी एवं द्वेषी होता है, किन्तु प्रज्ञावान् एव वज्ज के समान ज्ञान वाला होता है, दत्ताभय स्थविर के समान ।

“जिसकी प्रतिसन्धि के क्षण में लोभ, अद्वेष और मोह बलवान् होते हैं एव अन्य मन्द, वह पहले कही गयी विधि के अनुसार ही लोभी और मन्द (मन्दबुद्धि या अलस) होता है; किन्तु वह शीलवान् अकोधी भी होता है, जैसे बाहुल रथविर थे ।

“एवं जिसकी प्रतिसन्धि के क्षण में द्वेष एव मोह तीनों ही बलवान् होते हैं एव अलोभ आदि मन्द, वह पूर्वोक्त विधि के अनुसार ही निर्लोभ एवं जल्प कलेशी वाला होता है । दिव्य आलम्बनों को देखकर भी आस्थर (=धित) नहीं होता । किन्तु द्वेषी और मन्द-बुद्धि होता है ।

“जिसकी प्रतिसन्धि के क्षण में अलोभ, अद्वेष एव मोह बलवान् होते हैं एव अन्य मन्द, वह पूर्वोक्त विधि के अनुसार ही निर्लोभ और अद्वेषी होता है, किन्तु शीलवान् और मन्दबुद्धि भी होता है ।

“यस्स पन कम्मायूहनकखणे तथो पि अलोभादेसामोहा अलवन्तो होन्ति लोभादयो मन्दा, सो पुरिमनयेनेव महासहूरकिखतस्थेरो विय, अलुद्गो अदुद्गो पञ्जवा च होति” ति। (म० अठ०२/३७३/७४)

एथं च यो लुद्गो वुत्तो, अयं रागचरितो। दुदुदन्या दोसमोहचरिता। पञ्जवा बुद्धिचरितो। अलुद्गुभदुद्गु पसन्नपकतिताय सद्गाचरिता। यथा वा अमोहपरिवारेन कम्मुना निष्क्रितो बुद्धिचरितो, एवं बलवसद्गुपरिवारेन कम्मुना निष्क्रितो सद्गाचरितो, कामवितक्ता-दिपरिवारेन कम्मुना निष्क्रितो वितक्तचरितो, लोभादिना वोमिस्सपरिवारेन कम्मुना निष्क्रितो शेमिस्सचरितो ति। एवं लोभादीसु अञ्जतरञ्जतरपरिवारं पटिसन्धिजनकं कर्म्मं चरियानं निदानं ति वेदितब्बं॥

२०. यं पन वुत्तं—“कथं च जानितब्बं—‘अयं पुगलो रागचरितो’” ति आदि। तत्रायं नयो—

इरियापथतो किञ्चा भोजना दस्सनादितो।

धम्मप्यवत्तितो चेव चरियायो विभावये ॥ ति ॥

२१. तत्थ इरियापथतो ति सागचरितो हि पकतिगमनेन गच्छन्तो चातुरियेन गच्छति, सणिकं पादं निकिखपति, समं निकिखपति, समं उद्धरति, उक्तिकं चस्स पदं होति। दोसचरितो पादगोहि खणन्तो विय गच्छति, सहसा पादं निकिखपति सहसा उद्धरति, अनुकड़ितं चस्स पदं होति। मोहचरितो परिष्याकुलाय गतिया गच्छति, छम्भितो विय पदं निकिखपति,

जिसकी प्रतिसन्धि के क्षण में अलोभ, अद्वेष, अमोह बलवान् हो और दूसरे मन्द; वह पूर्वोक्त विधि से निर्लोभ एवं प्रजावान् होता है साथ ही द्वेषी एवं क्रोधी भी।

“किन्तु जिसकी प्रतिसन्धि के क्षण में अलोभ, अद्वेष, अमोह तीनों ही बलवान् होते हैं एवं लोभ आदि मन्द, वह पूर्वोक्त विधि के अनुसार ही महासहूरकित स्थविर के समान, निर्लोभ, अद्वेष तथा प्रकाशन् होता है।” (म० अठ०)

यहाँ जिसे ‘लोभी’ कहा गया है, वह रागचरित है। द्वेषी (=द्विष्ट) एवं भन्द कमशः द्वेषचरित तथा मोहचरित है। प्रजावान् बुद्धिचरित है। निर्लोभ एवं अद्वेष प्रसत्र (अद्वालु) प्रकृति के होने के कारण शद्गाचरित हैं। अथवा, जो अमोह के साथ रहने वाले कर्म से उत्पन्न है, वह बुद्धिचरित है। इसी प्रकार जो बलवती श्रद्धा के साथ रहने वाले कर्म से उत्पन्न है, वह श्रद्धाचरित है। काम, वितकं आदि के साथ रहने वाले कर्म से उत्पन्न वितकंचरित है। जो लोभ आदि में से हस या उस के साथ रहने वाले कर्म से उत्पन्न है, वह मिश्रित चरित है। इस प्रकार लोभ आदि में से हस या उस के साथ रहने वाले प्रतिसन्धिजनक कर्म को चर्चा का कारण जानना चाहिये।

द्वृत के रागचरितत्व आदि जानने की विधि

२०. किन्तु जो यह कहा गया है—“कैसे जानना चाहिये कि यह पुद्गल रागचरित है?” आदि, उस विषय में विधि है—“ईर्यापथ, कृत्य (=कर्म), भोजन, दर्शन आदि एवं धर्म की प्रवृत्ति से भी है चर्याएं जानी जा सकती हैं।”

२१ उनमें, ईर्यापथ से—१. रागचरित जब स्वाभाविक गति से चलता है तब सावधानी के साथ चलता है, धीरे-धीरे पैर रखता है, एक समान गति से रखता है, एक समान गति से उठाता है। उसके पैरों का मध्य भाग पृथ्वी का स्पर्श नहीं करता। २. द्वेषचरित पैरों के अग्रभाग से पृथ्वी की फालों ऊपरे तुए चलता है। जल्दी-जल्दी पैर रखता है, जल्दी-जल्दी उठाता है। वह पैर रखता है तो

छम्भितो विय उद्धरति, सहसानुपीळितं चरस पदं होति। चुतं पि चेतं मागणिडय-
सुनुप्पत्तिं—

“रत्तस्स हि उक्षुटिकं पदं भवे, दुट्टस्स होति अनुकृतिं पदं।

मूळहस्स होति सहसानुपीळितं, विवट्टच्छदस्स इदमीदिसं पदं”॥ ति ॥

आनं पि रागचरितस्स पासादिकं होति मधुराकारं, दोसचरितस्स थद्धाकारं, मोहचरितस्स आकुलाकारं। निसज्जाय पि एसेव नयो। रागचरितो च अतरमानो समं सेव्यं पञ्जापेत्वा सणिकं निपञ्जित्वा अङ्गपञ्चङ्गानि समोधाय पासादिकेन आकरेन सयति, बुद्धापियमानो च सीधं अबुद्धाय सङ्क्रितो विय सणिकं पटिवचनं देति। दोसचरितो तरमानो यथा था तथा था सेव्यं पञ्जापेत्वा पक्षिखतकायो भाकुटिं कत्वा सयति, बुद्धापियमानो च सीधं बुद्धाय कुपितो विय पटिवचनं देति। मोहचरितो दुस्सण्ठानं सेव्यं पञ्जापेत्वा विक्षिखतकायो बहुलं अधोमुखो सयति, बुद्धापियमानो च हुङ्कारं करोन्तो दन्वं बुद्धति। सद्धाचरितादयो पन यस्मा रागचरितादीनं सभागा, तस्मा तेसं पि तादिसो व इरियापथो होती ति ॥ (१)

एवं ताव इरियापथतो बरियायो विभावये॥

किञ्च्चा ति। सम्भजनादीसु च किञ्चेसु रागचरितो साधुं सम्भजनिं गहेत्वा अतरमानो बालिकं अविष्पकिरन्तो सिन्दुबारुसुमसन्थरमिथ सन्थरन्तो सद्धं समं सम्भजति। दोसचरितो गाल्हं सम्भजनिं गहेत्वा तरमानरूपो उभतो बालिकं उस्सोरेन्तो खरेन सद्देन ऐसा लगता है मानो खींच-खींच कर रख रहा है। ३. मोहचरित हडबडाया हुआ सा चलता है, हिचकिचाता हुआ पैर रखता है और हिचकिचाता हुआ ही उठाता है, पृथ्वी को एकाएक दबाता हुआ सा पैर रखता है। मागणिडयसूत्र की उपपति (व्याख्याक्रम) में भी कहा गया है—

“रागरत्क का पद-निक्षेप भद्र्यभाग से पृथ्वी का स्पर्श न करने वाला (=उक्षुटिक) होता है। द्वेषी का पद खींच कर रखा जानेवाला (=अनुकृति) होता है। मूळ का सहसा दबाने वाला (=सहसानुपीडित) एवं विवर्तच्छद (=कलेशारहित होकर भवपारगामी) का पद इस प्रकार का होता है।”

खडे होने की क्रिया का ढंग भी रागचरित का दूसरों के लिये प्रसन्नता (श्रद्धा) उत्पन्न करने वाला एवं सुन्दर होता है, द्वेषचरित का अकड़ (गर्द) के साथ एवं मोहचरित का चश्मलता (हृदडी) के साथ। बैठने की क्रिया में भी ऐसा ही है। रागचरित विना किसी व्याकुलता के, विस्तर को ठीक से धीरे-धीरे विछाकर, अङ्ग-प्रत्यक्षों को समेट कर सुन्दर ढंग से सोता है। उठाये जाने पर सहसा न उठकर, सशङ्कित-सा धीरे से उत्तर देता है। द्वेषचरित जल्दी-जल्दी, जैसे-तैसे विस्तर विछाकर, शरीर को विस्तर पर फेंके हुए सा, नाक-भी चढाये हुए सोता है। उठाये जाने पर भी सहसा उठकर, क्रोधित के समान उत्तर देता है। मोहचरित ऊटपटांग ढंग से विस्तर विछाकर, शरीर को विक्षिप्त जैसा करके, प्रायः नीचे की ओर मुँह किये हुए सोता है एवं उठाये जाने पर हूँ करता हुआ सुस्ती के साथ उठता है। श्रद्धारहित आदि चूँकि रागचरित आदि के समान चर्या वाले हैं, अत उनका भी वैसा ही ईर्यापथ होता है।।

इस प्रकार ईर्यापथ के अनुसार वर्याओं को जानना चाहिये॥

कृत्य से— झाडू लगाने (सफाई) आदि के कार्यों में, रागचरित अच्छी तरह से झाडू पकड़कर धीरे धीरे, बालू को न छीटते हुए जैसे कोई सिन्दुबार (=निर्णयडी) के फूल बटोर रहा हो। ऐसे बटोरते हुए सही ढंग से एवं सभी स्थानों पर एक समान झाडू लगाता है। द्वेषचरित दृढ़ता से झाडू पकड़ कर,

असुद्धं विसमं सम्भज्जति । मोहचरितो सिथिलं सम्भजनिं गहेत्वा सम्परिवतकं आलोक्यमानो असुद्धं विसमं सम्भज्जति ।

यथा सम्भजने, एवं चीवरधोवनरजनादीसु पि सब्बकिञ्चेसु निपुणभुरसमसक्तच-
कारी रागचरितो, गङ्गहथद्विसमकारी दोसचरितो, अनिपुणब्याकुलविसमापरिच्छन्नकारी
मोहचरितो । चीवरधारणं पि च रागचरितस्स नातिगाल्हं नतिसिथिलं होति पासादिकं
परिमण्डलं । दोसचरितस्स अतिगाल्हं अपरिमण्डलं । मोहचरितस्स सिथिलं परिब्याकुलं ।
सद्वाचरितादयो तेसं येवानुसारेन वेदितब्बा, तंसभागत्ता ति ॥ (२)

एवं किञ्चतो चरियायो विभावये ॥

भोजना ति । रागचरितो सिनिद्धमधुरभोजनपियो होति, भुजमानो च नातिमहन्तं
परिमण्डलं आलोपं कत्वा रसपटिसंवेदी अतरमानो भुज्जति, किञ्चिदेव च सादुं लभित्वा
सोमनसं आपज्जति । दोसचरितो लूखाअम्बलभोजनपियो होति, भुजमानो च मुखपूरकं
आलोपं कत्वा अरसपटिसंवेदी तरमानो भुज्जति, किञ्चिदेव च असादुं लभित्वा दोमनसं
आपज्जति । मोहचरितो अनियतरुचिको होति, भुज्जमानो च अपरिमण्डलं परित्तमालोपं
कत्वा भाजने छेष्टन्तो मुखं मकडेन्तो विकिखत्तचितो तं तं वितक्तेन्तो भुज्जति । सद्वाचरितादयो
पि तेसं येवानुसारेन वेदितब्बा, तंसभागत्ता ति ॥ (३)

एवं भोजनतो चरियायो विभावये ॥

दस्सनादितो ति । रागचरितो ईसकं पि भनोरमं रूपं दिस्वा विम्बयजातो विय चिरं

जलदी—जल्दी दोनों ओर बालू उडाते हुए कर्कश शब्द के साथ गलत ढग से और आधा अधूरा झाड़
लगाता है । मोहचरित झाड़ को ढीला पकड़ते हुए चारों तरफ खिंखेरता हुआ सा झाड़ लगाता है ।

जिस प्रकार झाड़ लगाने में, उसी प्रकार चीवरों के धोने, रँगने आदि सभी कृत्यों में भी
निपुणता व सुन्दरता के साथ, एक समान ऐव आदर के साथ करने वाला रागचरित, कस-कस कर,
अकड़ के साथ, असमान रूप से कार्य करने वाला द्वेषचरित होता है । फूहड़पन के साथ, घबड़ाहट
के साथ, असमान रूप से और अनिश्चय के साथ करने वाला मोहचरित होता है । चीवर धारण भी
रागचरित का न तो अधिक कसा और न ही अधिक ढीला, देखने में अच्छा लगने वाला और चारों
ओर से बराबर होता है । द्वेषचरित का चीवर बहुत कसा हुआ और ऊँचा—नीचा होता है । मोहचरित
का ढीला—दाला और अस्त—थस्त । श्रद्धाचरित आदि को भी उन्हीं के अनुसार जानना चाहिये, उनके समानधर्मी होने से ॥

इस प्रकार कृत्य से चर्याओं को जानना चाहिये ॥

भोजन से—रागचरित को खिंचाध और मधुर भोजन प्रिय होता है और भोजन करते समय
वह बहुत बड़ा नहीं, अपितु सामान्य आकार का गोल—गोल ग्रास बनाकर स्वाद लेते हुए थीरे थीरे
खाता है । थोड़ा—सा भी स्वादु भोजन उसे प्रिय होता है द्वेषचरित को थोड़ा भी सूखा या और खट्टा
भोजन प्रिय होता है । खाते समय मुँह मर जाय—इतना बड़ा ग्रास बनाकर, स्वाद के प्रति उदासीन
रहता हुआ जल्दी जल्दी खाता है । थोड़ा सा भी नीरस (भोजन) पाकर वह अप्रसन्न हो जाता है ।
मोहचरित की रूचि अनियत होती है वह भोजन करते समय छोटा छोटा और टेढ़ा मेढ़ा ग्रास बनाकर
बर्तन में छीटता हुआ, मुख में लगाता हुआ, विक्षिप्त चित के साथ, यह वह ऐसा—वैसा वितर्क करते
हुए खाता है । श्रद्धाचरित आदि को भी उन्हीं के अनुसार जानना चाहिये, उनके समानधर्मी होने से ॥

इस प्रकार एवं के अनुसार उर्द्धांते को जानना चाहिये ॥

ओलोकेति, परितं पि गुणे सञ्जति, भूतं पि दोसं न गणहाति, पक्षमन्तो पि अमुच्चितुकामो व हुत्वा सापेक्खो पक्षमति । दोसचरितो ईसकं पि अमनोरमं रूपं दिस्वा किलन्तरूपो विय न चिरं ओलोकेति, परिते पि दोसे पटिहञ्जति, भूतं पि गुणं न गणहाति, पक्षमन्तो पि मुच्चितुकामो व हुत्वा अनपेक्खो पक्षमति । मोहचरितो यं किञ्चित् रूपं दिस्वा परपञ्चयिको होति, परं निन्दनं सुत्वा निन्दति, पसंसन्तं सुत्वा पसंसति, सयं पन अञ्जानुपेक्खाय उपेक्खको व होति । एस नयो सदसवनादीसु पि । सद्गाचरितादयो पन तेसं येवानुसारेन वेदितव्या, तंसभागत्ता ति ॥ (४)

एवं दस्सनादितो चरियायो विभावये ॥

धर्मप्यवर्त्तितो चेवा ति । रागचरितस्स च माया, साठेयं, मानो, पापिच्छता, महिच्छता, असन्तुष्टिता, सिद्धं, चापल्यं ति एवमादयो धम्मा बहुलं पवतन्ति । दोसचरितस्स कोधो, उपनाहो, मक्खो, पळासो, इस्सा, मच्छरियं ति एवमादयो । मोहचरितस्स थीनं, मिळं, उद्धच्चं, कुकुच्चं, विचिकिच्छा, आदानग्राहिता, दुष्प्रिणिस्सगिंगता ति एवमादयो । सद्गाचरितस्स मुत्तवागता, अरियानं दस्सनकामता, सद्गम्मं सोतुकामता, पामोज्जबहुलता, असरता, अमायाचिता, पसादनीयेसु ठानेसु पसादो ति एवमादयो । बुद्धिचरितस्स सोवचस्ता, कल्याणमितता, भोजने मतज्जुता, सतिसम्पज्जञं, जागरियानुयोगो, संवेजनीयेसु ठानेसु संवेगो, संविगग्स्स च योनिसो पथानं ति एवमादयो । वितक्कचरितस्स भस्सबहुलता,

दर्शन आदि से— रागचरित यदि कहीं थोडा भी मनोरम रूप देखता है तो उसे देर तक चकित सा देखता रहता है । साधारण गुणों के प्रति भी वह आकर्षित हो जाता है । दोष के होने पर भी उसका ग्रहण नहीं करता, उस पर ध्यान नहीं देता । प्रस्थान करते समय दुखी होकर इस प्रकार वहाँ से जाता है मानो छोड़कर जाने की इच्छा न हो रही हो । द्वेषचरित थोड़ा भी अमनोरम रूप देखकर उसे देर तक नहीं देखता रह सकता, मानो क्लान्त हो गया हो । छोटे-छोटे दोषों पर भी उसकी दृष्टि पड़ जाती है । जो गुण वर्तमान हैं, उनको भी ग्रहण नहीं करता । प्रस्थान करते समय, दुखी न होते तुए भी वहाँ से इस प्रकार जाता है मानो पीछा छुड़ाना चाह रहा हो । मोहचरित किसी भी रूप को देखते समय दूसरों का अनुकरण करता है । दूसरों को निन्दा करते सुन कर निन्दा करता है, प्रशंसा करते सुनकर प्रशंसा करता है, किन्तु रथय अज्ञानजन्य उपेक्षा से युक्त होता है । शब्द—श्रवण आदि के बारे में भी ऐसा ही है । श्रद्धाचरित आदि को भी, उनके समानरूपों होने से, उन्हीं के अनुसार जानना चाहिये ॥

इस प्रकार दर्शन आदि के अनुसार वर्याओं को जानना चाहिये ॥

धर्मप्रवृत्ति से भी— रागचरित में माया, शाठ्य, मान, पाप की इच्छा, महत्त्वाकाशा, असन्तोष, बनाव—शृकार, चञ्चलता आदि धर्म अधिकता से रहते हैं । द्वेषचरित में क्रोध, उपनाह (बद्धवैरता), प्रक्ष (दूसरे के गुणों को आगे न आने देने वाला), प्रदाश (निहुरता), ईर्ष्या, मात्सर्य (कृपणता) आदि, मोहचरित में स्त्यान (मानसिक आलस्य), मृद्द (शारीरिक आलस्य), औद्धत्य (उद्धतता), कौकृत्य (पक्षात्ताप), विचिकित्सा (शाङ्का—सन्देह) आदानग्राहिता (हठधर्मिता) दुष्प्रिणिसर्गिता (अपने दुराग्रह पर स्थिर रहना) आदि, श्रद्धाचरित में मुक्तहस्त हो दान करने की प्रवृत्ति, आर्यों के दर्शन में रुदि, सद्गम्मश्रवण की इच्छा, प्रसन्नता का आधिक्य, सरलता, सहजता, प्रसन्न होने के अवसर पर प्रसन्न होना आदि, बुद्धिचरित में आज्ञाकारिता, कल्याणमित्र की सञ्जति, भोजन में मात्रा का ज्ञान, स्मृति एवं सजगता (=सम्प्रजन्य), जागरणशील होना, सदेग के अवसर पर प्रसन्न होना आदि, बुद्धिचरित में आज्ञाकारिता, कल्याणमित्र की सञ्जति, भोजन में मात्रा का ज्ञान, स्मृति एवं

गणरामता, कुसलानुयोगे अरति, अनवट्टितकिच्चता, सतिं धूमायना, दिवा पञ्जलना, हुराहुरं धावना ति एवमादयो धम्मा बहुलं पवत्तन्ति ति ॥ (५)

एवं धम्मपद्धतितो चरियायो विभावये ॥

२२. यस्मा पन इदं चरियाविभावनविधानं सम्बाकारेन नेव पाठ्यं, न अटुकथायं आगतं, केवलं आचरियमतानुसारेन बुतं, तस्मा न सारतो पच्छेतब्दं । रागचरितस्स हि बुतानि इरियापथादीनि दोसचरितादयो पि अप्पमादविहारिनो कातुं सङ्केन्ति । संसद्वचरितस्स च पुगलस्स एकस्सेव भिन्नलक्षणा इरियापथादयो न उपपञ्चन्ति । यं एनेतं अटुकथासु चरियाविभावन-विधानं बुतं, तदेव सारतो पच्छेतब्दं । बुतं हेतं—“चेतोपरियजाणस्स लाभी आचरियो चरियं जत्वा कम्मट्टानं कथेस्सति, इतरेन अन्तेवासिको पुच्छितब्दो” () ति । तस्मा चेतोपरियजाणेन वा तं वा पुगलं पुच्छित्वा जानितब्दं—अयं पुगलो रागचरितो, अयं दोसादीसु अञ्जतरस्चरितो ति ।

२३. किं चरितस्स पुगलस्स किं सप्पायं ति । एत्थ पन सेनासनं ताव रागचरितस्स अधोत्वेदिकं भूमट्टुकं अकतपञ्चारकं तिणकुटिकं पण्णसालादीनं अञ्जतरं रजोकिण्णं जतुकाभरितं, ओलुगगविलुगं अति उच्चं वा अतिनीचं वा उज्जङ्गलं सासङ्घं असुचि विसंममगं, यत्थ मङ्गलीठं पि मङ्गलभरितं दुरुपं दुखणां, यं ओलोकेन्तस्सेव जिगुच्छा उपञ्जति, सप्पायं । निवासनपारुपनं अन्तच्छिंशं ओलम्बविलम्बसुतकाकिण्णं

सम्यक् रूप से प्रयास करना आदि, वितर्कचरित में वाचालता, सामाजिकता, कुशल के प्रति रति न होना, जिस कार्य का उत्तरदायित्व लिया हो उसे पूरा न करना, रातभर धृत्याते रहना, दिनभर जलते रहना, मन को इधर उधर दौड़ाते रहना—आदि धर्म अधिकता से रहते हैं ॥

इस प्रकार धर्मपूर्वति के अनुसार चर्याओं को जानना चाहिये ॥

२२. आचार्य का भत— चूंकि चर्याओं को पहचानने के विषय में पूर्वोक्त विधान समग्रतः न तो पालि (=क्रिप्तिक) में, न ही अटुकथाओं में प्राप्त होता है, अपितु केवल आचार्यों के मतानुसार कहा गया है, अतः इसे प्रामाणिक नहीं मानना चाहिये । क्योंकि, उदाहरण के रूप में रागचरित के लिये जो ईर्यापथ आदि इत्तलाये गये हैं, उन्हें अप्रमाद के साथ दिवार करने वाले द्वेषचरित भी पूर्ण कर सकते हैं । साथ ही, मिश्रितचरित वाले व्यक्ति के ईर्यापथ आदि विशिष्ट लक्षणों को जानने का जो विधान बतलाया गया है, उसे ही प्रामाणिक मानना चाहिये । कहा भी गया है—“चेतःपर्यायज्ञान (=पर-वित का ज्ञान) जिसे प्राप्त हो, ऐसा ही आचार्य (शिष्य की) चर्या को जानकर उसे कर्मस्थान बतलायगा । अन्य (जिसे ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं है) को शिष्य से प्रश्न पूछना चाहिये और उन प्रश्नों का वह जो उत्तर दे, उन्हीं के आधार पर उसके स्वभाव को समझना चाहिये ।” इस प्रकार चेत पर्यायज्ञान से या उस व्यक्ति से शूलकर जानना चाहिये कि यह व्यक्ति रागचरित है या द्वेष आदि किसी अन्य चरित का है ।

२३ किस चरित के व्यक्ति के लिये व्या अनुकूल है?— इनमें रागचरित के लिये—

(क) ऐसा शयनासन अनुकूल है जो कि अपरिशुद्ध वेदी वाला, भूमि पर ही बनाया हुआ, जिसमें छज्जा (=पद्मार) न हो, घास-फूस की झोपड़ी या पर्णकुटी आदि में से कोई एक, धूल से परा, जहाँ दमगादड़ बहुतायत से रहते हों, दोलायमान (=हिलता-झुलता) हो, अबुत ऊँचा या बहुत नीचा, जङ्गल से घिरा हुआ, जहाँ (जङ्गली जानवरों आदि का) आतङ्क हो, जहाँ जाने का रास्ता गन्दा और ऊँचा-नीचा (ऊबड़-खाबड़) हो, जहाँ चौकी-चारपाई भी खटमलों से भरी और इतनी भरी हो कि देखते ही अरुचि उत्पन्न हो जाय ।

जालपूवसदिसं, साणि विय खरसप्फस्सं किलिं भारिकं किच्छपरिहरणं सप्पायं । पत्तो पि दुब्बण्णो मत्तिकापत्तो वा आणिगणितकाहतो अयोपत्तो वा गरुको दुस्सप्टानो सीसकपालमिव जेगुच्छो वटृति । भिक्खाचारगमगो पि अमनापो अनासन्नगामो विसमो वटृति । भिक्खाचारगामो पि यथ मनुस्सा अपस्सन्ता विय चरन्ति, यथ एककुले पि भिक्खुं अलभित्वा निक्खमन्तं “एहि, भन्ते” ति आसमसालं पवेसेत्वा यागुभतं दत्वा गच्छन्ता गावी विय वजे पवसेत्वा अनवलोकेन्ता गच्छन्ति, तादिसो वटृति । परिविसक-मनुस्सा पि दासा वा कम्मकरा वा दुब्बण्णा दुहसिका किलिंवसना दुग्गन्था जेगुच्छा, ये अचित्तीकारेन यागुभतं छडेन्ता विय परिविसन्ति, तादिसा सप्पाया । यागुभतखज्जकं पि लूखं दुब्बणं सामाकुद्रूसककणाजकादिमयं पूतितकं बिलङ्गं जिणणसाकसुपेय्यं, यं किञ्चिदेव केवलं उदरपूरमतं वटृति । इरियापथो पिस्स ठानं वा चङ्गमो वा वटृति । आरम्भणं नीलादीसु वण्णकसिणेसु यं किञ्चिं अपरिसुद्धवण्णं ति । इदं रागचरितस्स सप्पायं । (१)

दोसचरितस्स सेनासनं नातिउच्चं नातिनीचं छायूदकसम्पन्नं सुविभत्तभित्तिधम्सोपानं सुपरिनिष्टिमालाकम्पलताकम्मनानाविधचित्कम्मसमुज्जलं समसिनिष्टमुद्भूमितलं, ब्रह्मवि-

(ख) पहनने-ओढने के कपडे भी ऐसे हो कि जिनके किनारे फटे हुए हों, जगह-जगह जालीदार पुए के समान सूत निकल रहा हो, जिनका स्थर्श सन की तरह रखा हो, जो मैले, भारी एवं कठिनाई से ले जाने योग्य हों ।

(ग) पात्र (मे) भद्र रङ्ग, अनगढ पेदे और जोड़ों वाला भिंडी का पात्र या भारी और अनगढ, कणाल की तरह जुगुप्सा उत्पन्न करने वाला लोहे का पात्र विहित है ।

(घ) भिक्षाटन का भार्ग भी ऐसा होना चाहिये जो मनोरम न हो, ग्राम के समीप न हो और ऊबड़-खाबड़ हो ।

(ङ) जहाँ वह भिक्षाटन के लिये जाय, वह ग्राम भी ऐसा हो जहाँ लोग उसे अनदेखा (उपेक्षा) करते हुए धूमते रहते हों, जहाँ एक भी कुल से भिक्षा न पाकर प्रस्थान करते समय ‘आइये, भन्ते’ कहकर आसन-शाला में प्रवेश करा कर लोग यवागू-भात देकर इस प्रकार चले जाते हो जैसे गाय को पशुशाला में धुसाकर लोग (पीछे मुड़कर) दिना देखे ही चले जाया करते हैं ।

(च) परोसने वाले दास या कर्मचारी ऐसे हों जो काले-कलूटे, कुरूप, मैले-कुचैले वस्त्र पहने हुए, दुर्घान्धयुक्त, जुगुप्सा उत्पन्न करने वाले हों और जो यवागू-मात को इस प्रकार उपेक्षा से परोसते हों मानो फेक रहे हों ।

(छ) यवागू-भात आदि खाद्य भी ऐसा होना चाहिये जो कि रुखा-सूखा, देखने में अच्छा न लगने वाला, सावं, कोदो, खुदी आदि से बना हुआ हो, सड़ा मट्ठा, काजी, सूखे-सड़े शाक का सूप-जो कुछ भी केवल पेट भरने मात्र के लिये हो ।

(ज) उसके लिये ईर्यापथ में केवल खड़े रहना य टहलना विहित है ।

(झ) आलञ्चन के रूप में नील आदि वर्ण कसिणों (कात्स्याँ) में से कोई अपरिशुद्ध वर्ण विहित है यह (सब) रागचरित के लिये अनुकूल हैं । (१)

द्वेषचरित का शायनासन—(क) न बहुत ऊँचा न बहुत नीचा, उचित छाया और जल से युक्त, दीवारो, छम्मो और सीढियो के द्वारा अच्छी तरह से विभाजित, मालाओ और लताओ से

मानपिव कुसुमदामविच्रिवण्णचेलवितानसमलङ्कृतं सुपञ्जतसुचिमनोरमत्थरणमञ्चपीठं, तथ वासत्थाय निकिञ्जतकुसुमवासगन्धसुगन्धं यं दस्सनमत्तेनेव पीतिपामोजं जनयति, एवरूपं सप्पायं ।

तस्स पन सेनासनस्स मग्गो पि सब्बपरिस्सयविमुत्तो सुचिसमतलो अलङ्कृतपटियत्तो व बटृति । सेनासनपरिक्षारो पेत्थ कीठमङ्गुणदीघजातिमूसिकानं निस्सयपरिच्छन्दनत्थं नातिबहुको, एकमञ्चपीठमत्तमेव बटृति । निवासनपारुपनं पिस्स चीनपट्टसोभारपट्टकोसेव्य-कप्पासिकसुखुमखोमादीनं यं यं पणीतं, तेन तेन एकपट्टं वा दुपट्टं वा सल्लहुकं समणसारुप्येन सुरतं सुद्धवण्णं बटृति । पत्तो उदकबुब्लुळमिव सुसंण्ठानो मणि विय सुमट्टो निम्मलो, समणसारुप्येन सुपरिसुद्धवण्णो अयोमयो बटृति । भिक्खाचारमग्गो परिस्सयविमुत्तो समो मनापो नातिदूरनाच्चासनग्रामो बटृति । भिक्खाचारग्रामो पि यथ भनुस्सा “इदानि अय्यो आगमिस्सती” ति सित्तसम्मट्टे पदेसे आसनं पञ्चापेत्वा पञ्चुगन्त्वा पतं आदाय घरं पवेसेत्वा पञ्चत्तासने निसीदापेत्वा सङ्कच्चं सहत्था परिविसन्ति, तादिसो बटृति । परिवेसका पनस्स ये होन्ति अभिरूपा पासादिका सुन्हाता सुविलिता धूपवासकुसुमगन्धसुरुभिनो नानाविरागसुचिमनुज्जवत्थभरणपटिमण्टिता सङ्कच्चकारिनो, तादिसा सप्पाया । यागुभत्त-खज्जकं पि वर्णगन्धरसम्पन्नं ओजवन्तं मनोरमं सब्बाकारपणीतं यावदत्थं बटृति । इरियापथो

सुसज्जित, जो अनेक प्रकार की चित्रकारी से सुशोभित हो, जिसकी सतह सब तरफ बराबर, चिकनी और भुलायम हो, जो ब्रह्मविभान की तरह फूलों की झालरो और रंग-बिरंगे कपड़ों के चैंदोये से सुसज्जित हो, जहाँ रहने के लिये चौकी-चारपाई ऐसी हो जिस पर साफ-सुन्दर बिछावन अच्छी तरह से बिछाया गया हो, जोकि वहाँ बिखेरे गये फूलों की गन्ध से सुगन्धित हो, जिसे देखते ही ग्रीति और प्रमोद उत्पन्न हो जाय ।

(ख) उसके शयनाशासन का भार्ग भी सभी प्रकार के उपद्रवों से रहित, साफ-सुधरा, समतल, अलङ्कृत ही होना चाहिये । शयनासन में साज-सज्जा बहुत-अधिक न हों, एक ही चौकी-चारपाई हो, जिससे कि कीड़े, खटमल, सौंप, चूहे आदि का उपद्रव न हो सके ।

(ग) उसके पहनने ओढ़ने के दस्त्र भी चीन देश के कपड़े, सोमार देश के कपड़े, सिल्क, महीन सूती कपड़े, भीम (=एक प्रकार का रेशमी कपड़ा) आदि जो भी उत्तम कपड़े हैं; उनसे बने हुए इकहरे या दुहरे, हल्के एवं ब्रमणोचित, अच्छी तरह से रंगे हुए और परिशुद्ध वर्ण के होने चाहिये ।

(घ) पात्र जल के बुलबुले के समान सुगढ (सब तरफ से बराबर गोल), मणि के समान चमकीली कलई से युक्त, स्वच्छ, ब्रमणोचित, परिशुद्ध वर्ण के लोहे का बना हुआ होना चाहिये ।

(ङ) भिक्षाटन का भार्ग भी उपद्रवों से रहित, समतल, सुन्दर, न ग्राम से बहुत दूर और न बहुत पास होना चाहिये ।

(व) जहाँ वह भिक्षाटन के लिये जाय, वह ग्राम भी ऐसा होना चाहिये जहाँ के लौग ‘अब आर्य आते होगे’—ऐसा सौचकर पानी छिड़कर, झाड़ लगाकर साफ किये स्थान पर आसन बिछाकर, आगे बढ़कर पात्र लेकर घर मे प्रवेश कराये और बिछाये गये आसन पर बैठा कर आदर के साथ अपने हाथ से परोसें ।

(छ) जो परोसने वाले हों वे सुन्दर, मन प्रसन्न कर देने वाले, अच्छी तरह से खान किये हुए, (चन्दन आदि का) लेप लगाये हुए, धूप, सुगन्धित पुष्प आदि के प्रयोग से अलंकृत हो और आदर

पिस्स सेव्या वा निसज्जा वा बट्टति । आरम्भणं नीलादीसु व्यष्णकसिणेसु यं किञ्चि सुपरिसुद्धवणं ति । इदं दोसचरितस्स सप्पायं । (२)

मोहचरितस्स सेनासनं दिसामुखं असम्बाधं बट्टति, यत्थ निसिन्नस्स विवटा दिसा खायन्ति, इरियापथेसु चङ्गमो बट्टति । आरम्भणं पनस्स परितं सुप्पमत्तं सरावमत्तं वा खुद्वकं न बट्टति । सम्बाधस्मि हि ओकासे वितं भिष्यो सम्मोहं आपञ्जति, तस्मा विपुलं महाकसिणं बट्टति । सेसं दोसचरितस्स बुत्सदिसमेवा ति । इदं मोहचरितस्स सप्पायं । (३)

सद्गाचरितस्स सब्बं पि दोसचरितमिह बुत्तविधायं सप्पायं । आरम्भणेसु चरस्स अनुस्सतिद्वानं पि बट्टति । (४)

बुद्धिचरितस्स सेनासनादीसु इदं नाम असप्पायं ति नत्थि । (५)

वितक्कचरितस्स सेनासनं विवटं दिसामुखं, यत्थ निसिन्नस्स आरामबन-पोक्करणीरामणेव्यकानि गामनिगमजनपदपटिपाठियो, नीलोभासा च पब्बता पञ्जायन्ति, तं न बट्टति । तं हि वितक्कविधावनस्सेव पच्यो होति । तस्मा गम्भीरे दीरमुखे वनपटिच्छान्ने हथिकुच्छिपञ्चारमहिन्दगुहासदिसे सेनासने वसितब्बं । आरम्भणं पिस्स विपुलं न बट्टति । तादिसं हि वितक्कवसेन सन्थावनस्स पच्यो होति । परितं पन करने वाले हों । यवागू-भात (आदि) खाय भी देखने मे अच्छे सुगन्धित, सुस्वादु, पौधिक, रुचिकर, सभी प्रकार से शुभ और मन भर कर खाने योग्य (=पर्याप्त मात्रा में) होना उसके लिये विहित है।

(ज) आलम्बन नीलादि दर्ण-कसिणों मे से कोई परिशुद्ध वर्ण होना चाहिये । यह सब द्वेषचरित के अनुकूल हैं । (२)

मोहचरित का शयनासन— ऐसा होना चाहिये जो खुला हुआ हो, जहों बैठकर चारों दिशाओं मे देखा जा सके । इर्यापथों मे चंकमण विहित है । इसका आलम्बन छोटा नहीं होना चाहिये, अर्थात् जैसे कि परिमित, सूप मात्र या शाराव (=सकोरा) मात्र अर्थात् इस प्रकार के लघु परिमाण का पृथ्यीकसिण, क्योंकि परिमित स्थान मे वित्त और भी अधिक सम्मूढ हो जाता है, इसलिये विशाल महाकसिण विहित है । शेष द्वेषचरित के लिये कहे गये के समान ही है । यह सब मोहचरित के लिये अनुकूल है । (३)

शद्गाचरित के लिये द्वेषचरित के विषय मे कथित विधान अनुकूल है । आलम्बनो मे इसके लिये, पूर्वांक के अतिरिक्त, बुद्धानुस्मृति आदि छह कर्मस्थान भी विहित है । (४)

बुद्धिचरित के लिये तो शयनासन आदि के विषय मे ऐसा कुछ भी नहीं है जो अनुकूल न हो । (५)

वितक्कचरित का शयनासन ऐसा नहीं होना चाहिये जो खुला हुआ, दिशाओं की ओर अभिमुख हो और जहों बैठकर बाग-बगीचे, बन, तालाब आदि सुरन्ध स्थान, ग्राम, निगम, जनएव ठीक से दिखलायी पडते हों और नीलाभ पर्वत दिखलायी पडते हों, क्योंकि वह सब तो वितर्क के इधर-उधर दौडने (=कल्पना की उडान) का ही कारण होगा । इस लिये उसे गहरी गुफा के द्वार पर, बन से धिरे हुए, हस्तिकुचिपञ्चार (=लका मे एक पर्वत-गुफा) और महेन्द्रगुफा (=अनुराधपुर मे आज भी बहुमान और महेन्द्र स्थविर का शयनासन रह चुकी एक गुफा) के समान शयनासन मे रहना चाहिये । इसके लिये आलम्बन भी विपुल (=विस्तृत) नहीं होना चाहिये । उस प्रकार का आलम्बन तो वितर्क के उत्पन्न होने से मन के इधर-उधर दौडने का ही कारण होता है । अत इसके लिये-

बहूति। सेसं रागचरितस्स बुत्तसदिसमेवा ति। इदं वितक्कचरितस्स सप्यायं। (६) अयं अत्तनो चरियानुकूलं ति एत्थ आगतचरियानं पभेदनिदानविभावनसप्यायपरच्छेदतो वित्थारो।

चत्तालीसकम्मटुनकथा

न च ताव चरियानुकूलं कम्मटुनं सम्बाकारेन आविकतं। तं हि अनन्तरस्स मातिकाप-दस्स वित्थारे सयमेव आविभविस्ति॥

२४. तस्मा यं बुत्तं “चत्तालीसाय कम्मटुनेसु अञ्जतरं कम्मटुनं गहेत्वा” ति, एत्थ—१. सङ्कातनिदेसतो, २. उपचारप्पनावहतो, ३. ज्ञानप्पभेदतो, ४. समतिक्कमतो, ५. वङ्कुनावङ्कु-नतो, ६. आरम्मणतो, ७. भूमितो, ८. गहणतो, ९. पच्यतो, १०. चरियानुकूलतो ति इमेहि ताव दसहाकारेति कम्मटुनविनिच्छयो वेदितञ्चो।

२५. तत्थ सङ्कातनिदेसतो ति। “चत्तालीसाय कम्मटुनेसु” ति हि बुत्तं, तत्रिमानि चत्तालीस कम्मटुनानि—दस कसिणा, दस असुभा, दस अनुस्सतियो, चत्तारो ब्रह्मविहारा, चत्तारो आरुप्या, एका सज्जा, एकं ववत्थानं ति।

तत्थ—१. पथ्यीकसिणं, २. आपोकसिणं, ३. तेजोकसिणं, ४. वायोकसिणं, ५. नीलकसिणं, ६. पीतकसिणं, ७. लोहतकसिणं, ८. ओदातकसिणं, ९. आलोककसिणं, १०. परिच्छिन्नाकाशकसिणं ति इमे दस कसिणा।

१. उद्भुमातकं, २. विनीलकं, ३. विपुब्बकं, ४. विच्छिदकं, ५. विक्खायतिकं,
आलम्बन परिमित ही विहित है। शेष रागचरित के लिये वर्णित के समान ही है। यह सब वितर्कचरित के लिये अनुकूल है। (६)

यह ‘अत्तनो चरियानुकूलं’ में आयी चर्याओं के प्रभेद, निदान, यहावन एवं अनुकूलता-निर्धारण आदि के अनुसार व्याख्या है॥

इतने पर भी चर्यानुकूल कर्मस्थान का सर्वांशतः व्याख्यान नहीं हो पाया। यह तो आगे नात्का-पदो के व्याख्यानप्रसङ्ग में स्वयं ही विषुत हो जायगा।

चालीस कर्मस्थान

२४ इसलिये, जो कहा गया है कि—“चालीस कर्मस्थानों में से किसी एक कर्मस्थान का ग्रहण करके”—इसमें कर्मस्थान का विनिश्चय इन दस के अनुसार जानना चाहिये—

१. सङ्कातानिर्देश के अनुसार एवं २. उपचार तथा अर्पण के वाहक, ३. व्यान के प्रभेद, ४. समतिक्कमण, ५. वर्धन तथा अवर्धन, ६. आलम्बन, ७. भूमि, ८. ग्रहण, ९. प्रत्यय तथा १०. चर्या की अनुकूलता के अनुसार।

२५. संख्यानिर्देश के अनुसार—“चालीस कर्मस्थानों में किसी कर्मस्थान का ग्रहण कर”—इस प्रकार कहा गया था। वे चालीस कर्मस्थान ये हैं—१० कसिण (कात्स्य), १० अशुभ, १० अनुस्मृतियों, ४. ब्रह्मविहार, ४ आरुप्य, १ सज्जा तथा १ व्यवस्थान (=४०)।

इनमें दस कसिण ये हैं—१. पृथ्वीकसिण, २. जलकसिण, ३. तेजकसिण, ४. वायुकसिण, ५. नीलकसिण, ६. पीतकसिण, ७. लोहित (=लाल) कसिण, ८. श्वेतकसिण, ९. आलोककसिण एवं १०. परिच्छिन्नाकाशकसिण।

दस अशुभ हैं—१. उद्भुमातक (=फूला हुआ शब), २. विनीलक (=नीला पड़ चुका शब).

६. विकिखतकं, ७. हतविकिखतकं, ८. लोहितकं, ९. पुलुवकं, १०. अटुकं ति इमे दस असुभा।

१. बुद्धानुस्सति, २. धर्मानुस्सति, ३. सङ्घानुस्सति, ४. सीलानुस्सति, ५. चागानुस्सति, ६. देवतानुस्सति, ७. मरणानुस्सति, ८. कायगतासति, ९. आनापानस्सति, १०. उपसमानुस्सति ति इमा दस अनुस्सतियो।

१. मेता, २. करुणा, ३. मुदिता, ४. उपेक्षा ति इमे चत्तारो ब्रह्मविहारा।

१. आकाशानज्ञायतनं, २. विज्ञाणज्ञायतनं, ३. आकिञ्चञ्जायतनं, ४. नेवसज्जानासञ्ज्ञायतनं ति इमे चत्तारो आरुप्या। आहारे पटिकूलसञ्ज्ञा एका सञ्ज्ञा। चतुधातुववत्थानं एकं ववत्थानं ति। एवं सङ्घातनिदेसतो विनिच्छयो वेदितब्बो ॥ (१)

२६. उपचारप्यनावहतो ति। उपेत्वा कायगतासति च आनापानस्सति च अवसेसा अटु अनुस्सतियो, आहारे पटिकूलसञ्ज्ञा, चतुधातुववत्थानं ति इमानेव हेत्थ दस कम्पटुनानि उपचारावहानि, सेसानि अप्पनावहानि। एवं उपचारप्यनावहतो ॥ (२)

२७. झानप्यभेदतो ति। अप्पनावहेसु चेत्थ आनापानस्सतिया सङ्घं दस कसिणा चतुर्ज्ञानिका होन्ति। कायगतासतिया सङ्घं दस असुभा पठमज्ञानिका। पुरिमा तयो ब्रह्मविहारा तिकज्ञानिका। चतुर्थब्रह्मविहारो चत्तारो च आरुप्या चतुर्थज्ञानिका ति। एवं झानप्यभेदतो ॥ (३)

३. विपुवक (=जिसमें जगह—जगह पर पीब निकल रही हो, ऐसा शब्द), विच्छिदक (=कटा हुआ शब्द), ५. विक्षयितक (=कुत्ते आदि के द्वारा जिसके अङ्ग—प्रत्यक्ष खा लिये गये हों, ऐसा शब्द), ६. विविखतक (=जिसके अङ्ग प्रत्यक्ष इधर उधर विखरे पड़े हों, ऐसा शब्द), ७. हतविकिखतक (=जिसके अङ्ग—प्रत्यक्ष काट—काट कर विखरे दिये गये हों, ऐसा शब्द), ८. लोहितक (=रक्त से लिप्त शब्द), ९. पुलुवक (=फिरियों से भरा हुआ शब्द) और १०. अटिक (=अस्थिपञ्चमात्र)।

दस अनुस्मृतियाँ हैं— १. बुद्धानुस्मृति, २. धर्मानुस्मृति, ३. सङ्घानुस्मृति, ४. शीलानुस्मृति, ५. त्यागानुस्मृति, ६. देवतानुस्मृति, ७. मरणानुस्मृति, ८. कायगता स्मृति, ९. आनापानस्मृति एवं १०. उपचारानुस्मृति।

चार ब्रह्मविहार हैं— १. मैत्री, २. करुणा, ३. मुदिता एवं ४. उपेक्षा।

चार आरुप्य हैं— १. आकाशानन्त्यायतन, २. विज्ञानानन्त्यायतन, ३. आकिञ्चन्यायतन एवं ४. नैवसंज्ञानासंज्ञायतन।

एक संज्ञा है— आहार में प्रतिकूल संज्ञा।

एक व्यवस्थान है— चतुर्धातुव्यवस्थान।

इस प्रकार संख्या—निर्देश के अनुसार विनिश्चय जानना चाहिये। (१)

२६. उपचार और अर्पण के वाहक के रूप में— कायगता स्मृति एवं आनापानस्मृति को छोड़कर आठ अनुस्मृतियाँ, आहार में प्रतिकूल संज्ञा एवं चतुर्धातुव्यवस्थान—ये ही दस कर्मस्थान उपचार के वाहक हैं, शब्द अर्पण के वाहक हैं।

इस प्रकार, उपचार एवं अर्पण के वाहक के अनुसार विनिश्चय जानना चाहिये। (२)

२७. ध्यान के प्रबेद से— अर्पण के वाहकों में दस कसिण, आनापान स्मृति के साथ, चार ध्यानों को लाने वाले होते हैं। कायगतास्मृति के साथ दस अशुभ प्रथम ध्यान को, प्रथम तीन

२८. समतिक्रमतो ति । द्वे समतिक्रमा—अङ्गसमतिक्रमो च, आरम्णणसमतिक्रमो च । तथ सब्बेसु पि तिक्रतुक्षज्ञानिकेसु कम्भट्टानेसु अङ्गसमतिक्रमो होति वितक्रिविचारादीनि ज्ञानङ्गानि समतिक्रमित्वा तेस्वेवारमणेसु दुतियज्ञानादीनं पत्तब्बतो, तथा चतुर्थब्रह्मविहारे । सो पि हि मेतादीनं येव आरम्णणे सोमनस्सं समतिक्रमित्वा पत्तब्बो ति । चतुर्सु पन आरुप्येसु आरम्णणसमतिक्रमो होति । पुरुषेसु हि नवसु कसिणेसु अञ्जतरं समतिक्रमित्वा आकासानज्ञायतनं पत्तब्बं, आकासादीनि च समतिक्रमित्वा विज्ञाणज्ञायतनादीनि । सेसेसु समतिक्रमो नन्तरीति । एवं समतिक्रमतो ॥ (४)

२९. वद्धुनावद्धुनतो ति । इमेसु चत्तालीसाय कम्भट्टानेसु दस कसिणेव वद्धुतव्वानि । यतकं हि ओकासं कसिणेन फरति, तदब्बन्तरे दिब्बाय सोतधातुया सद्दं सोतुं, दिब्बेन चक्रखुना रूपानि पस्सितुं परसत्तानं चेतसा चित्तमञ्जातुं समत्थो होति ।

कायगतासति पन असुभानि च न वद्धुतव्वानि । कस्मा? ओकासेन परिच्छिन्नता आनिसंसाभावा च । सा च नें ओकासेन परिच्छिन्नता भावनानये आविभविस्तति । तेसु पन वद्धुतेसु कुणपरासि येव वद्धुति, न कोचि आनिसंसो अतिथ । वुतं पि चेतं सोपाक-पञ्चाव्याकरणे—“विभूता, भगवा, रूपसञ्ज्ञा, अविभूता अट्टिकसञ्ज्ञा” ति । तत्र हि निमित्ववद्धुनवसेन रूपसञ्ज्ञा विभूता ति वुता, अट्टिकसञ्ज्ञा अवद्धुनवसेन अविभूता ति वुता ।

ब्रह्मविहार तीन ध्यानों को, चतुर्थ ब्रह्मविहार एवं चार आरुप्य चतुर्थ ध्यान को लाने वाले होते हैं ।

इस प्रकार ध्यान-प्रभेद से के अनुसार विनिश्चय जानना चाहिये । (३)

२८ समतिक्रमण के अनुसार—दो समतिक्रमण हैं—१. अङ्ग-समतिक्रमण एवं २. आलम्बन-समतिक्रमण । उन सभी कर्मस्थानों में जो कि तीन और चार ध्यानों को लाते हैं, अङ्ग का समतिक्रमण होता है । क्योंकि द्वितीय ध्यान आदि की प्राप्ति उहीं प्रथम ध्यान आदि के आलम्बनों में वितर्क और विचार का समतिक्रमण करके की जाती है; वैसे ही चतुर्थ ब्रह्मविहार में भी करनी चाहिये, क्योंकि उसकी प्राप्ति भी ऐत्री आदि के आलम्बन में सीमनस्य का समतिक्रमण करके होती है । किन्तु चार आरुप्यों में आलम्बन का समतिक्रमण होता है । प्रथम नौ कसिणों में से किसी का समतिक्रमण करके आकाशानन्दाययन की प्राप्ति होती है आदि । शेष में समतिक्रमण नहीं होता ।

इस प्रकार समतिक्रमण के अनुसार विनिश्चय जानना चाहिये । (४)

२९ वर्धन—अर्कधन के अनुसार—इन चालीस कर्मस्थानों में से केवल दस कसिणों का ही वर्धन (=उनको अपने ध्यान में बढ़ाते जाना) करना चाहिये । कसिण का विस्तार जिस सीमा तक होता है, उसी के भीतर साधक दिव्यश्रोत्र से शब्द सुनने, दिव्यचक्षु से रूप को देखने और परचित के ज्ञान में समर्थ होता है ।

किन्तु कायगता स्मृति का या अशुभो का भी वर्धन नहीं करना चाहिये । क्यों? क्योंकि वे किसी स्थानविशेष में परिच्छिन्न (=सीमित) और गुण-रहित हैं । वह उनकी स्थानविशेष में परिच्छिन्नता भावनानय में विदेवन करते समय स्पष्ट की जायगी । यदि उन अशुभों का वर्धन किया जाय (=अनेक शब्दों को आलम्बन बनाया जाय) तो शब्दों की राशि में ही वृद्धि होगी, जिससे कोई लाभ नहीं है । सुपाकप्रश्न व्याकरण में यह कहा भी गया है—“मगवन्, रूपसञ्ज्ञा पूर्णतः स्पष्ट (=विभूता) है, अस्थिकसञ्ज्ञा अस्पष्ट (=अविभूता) है ।” यहाँ, निमित्त के वर्धन का प्रयोगन होने से रूपसञ्ज्ञा को स्पष्ट कहा गया है । एवं अवधर्क के सहारे अस्थिक सञ्ज्ञा को अविभूत कहा गया है ।

यं पनेतं “केवलं अट्टिकसञ्जाय अफरि पथविं इमं” (ख० २-२३८) ति वुतं, तं लाभिस्स सतो उपट्रानाकारवसेन वुतं । यथेव हि धम्मासोककाले करबीकसकुणो समन्ता आदासभित्तीसु अत्तनो छायं द्रिस्वा सञ्चिदिसासु करबीकसञ्जी हुत्वा मधुरं गिरं निच्छोरेसि, एवं थेरो पि अट्टिकसञ्जाय लाभिता सञ्चिदिसासु उपट्रितं निमित्तं पस्सन्तो ‘केवला पि पथवी अट्टिकभरिता’ ति चिन्तेसी ति ।

यदि एवं, या असुभज्ञाननं अप्पमाणारम्मणता खुता सा विरुद्धती ति ? सा च न विरुद्धति । एकच्चो हि उद्भुमातके वा अट्टिके वा महन्ते निमित्तं गण्हाति, एकच्चो अप्पके । इमिना परियायेन एकच्चस्स परित्तारम्मणं जाणं होति, एकच्चस्स अप्पमाणारम्मणं ति । यो वा एतं वडुने आदीनवं अपस्सन्तो वडेति, तं सन्धाय “अप्पमाणारम्मणं” ति वुतं । आनिसंसाभावा पन न वडेतञ्चानी ति ।

यथा च एतानि, एवं सेसानि पि न वडेतञ्चानि । कस्मा ? तेसु हि आनापाननिमित्तं ताव वडुयतो वातरासि येव वडुति, ओकासेन च परिच्छिन्नता न वडेतञ्चं । ब्रह्मविहारा सत्तारम्मणा, तेसं निमित्तं वडुयतो सत्तरासि येव वडुय्ये, न च तेन अत्थो अतिथ, तस्मा तं पि न वडेतञ्चं । यं पन वुतं—“मेतासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा” (दी० १-२१०) ति आदि, तं परिगगहवसेनेव वुतं । एकावासट्टिआवासादिना हि अनुकूलेन एकिस्सा दिसाय सते परिगगहेत्वा भावेन्तो एकं

किन्तु यह जो कहा गया है कि “मैंने केवल अस्थि-सङ्गा के इस समग्र पृथ्वी को व्याप कर दिया है”, वह इस प्रकार की सङ्गा का लाभ करने वाले व्यक्ति को जैसा दिखायी देता है, उसके अनुसार कहा गया है । जैसा कि सञ्चाट धर्मशौक के समय में कोई करबीक पक्षी चारों ओर शीशे की दीवारों में अपनी छाया देखकर ‘सभी दिशाओं में करबीक (पक्षी) हैं—ऐसा समझकर मधुर स्वर में बोल पढ़ा था (द० ८० नि० ८० क० ३, ३२८-३) उसी प्रकार स्थविर (सिङ्गाल पितर) ने अस्थिक सङ्गा का लाभ करने से सभी दिशाओं में उपस्थित निमित्त को देखते हुए “सम्पूर्ण पृथ्वी कङ्कालों से भरी हुई है”— इस प्रकार चिन्तन किया था ।

शास्त्र— यदि ऐसा है तो अशुभ (आलम्बनो) घ्यानों की व्याख्या में जो अप्रमाण आलम्बन का वर्णन है, उसका विरोध होगा?

समाधान— उसका विरोध नहीं होगा; क्योंकि कोई साधक दीर्घकार उद्भुमातक में या कङ्काल में निमित्त का ग्रहण करता है, कोई लघु आकार वाले में । तदनुसार किसी का परित्रालम्बन ज्ञान होता है, तो किसी का अप्रमाणालम्बन । अथवा जो इसके वर्धन में दोष न देखते हुए उसे बढ़ाता है, उसी के सन्दर्भ में ‘अप्रमाणालम्बन’ कहा गया है । किन्तु क्योंकि उनके वर्धन में कोई गुण (आनुशंस्य) नहीं है, इसलिये वर्धन नहीं करना चाहिये ।

और जैसे इनको, वैसे ही शेष को भी नहीं बढ़ाना चाहिये । क्यों? क्योंकि उनमें आनापाननिमित्त का वर्धन करने से वातराशि ही बढ़ेगी और उसका स्थान भी परिच्छिन्न अर्धतः नासिकापुट है, इसलिये इसमें दोष होने से एवं स्थान में परिच्छिन्न होने से, नहीं बढ़ाना चाहिये ।

ब्रह्मविहारों के आलम्बन सत्त्व होते हैं । उनका निमित्त बढ़ाने में सत्तराशि में ही वृद्धि होगी और यह लक्ष्य नहीं है; इसलिये उसका भी विस्तार नहीं करना चाहियें । किन्तु जो कहा गया है—“मैत्रीयुक्त चित्त से एक दिशा को सर्वाशतः घ्यान में लेकर” आदि, वह परिग्रह के अनुसार ही कहा गया है; एक आवास, दो आवास के क्रम से एक दिशा के सत्त्वों का ग्रहण कर भावना करने से “एक

दिसं फरित्वा ति वुतो, न निमित्तं वड्डेन्तो । पटिभागनिमित्तमेव चेत्थ नतिथ, यदयं वड्डेव्य । परित्तअप्पमाणरम्मणता पेत्थ परिगग्हवसेनेव वेदितज्जा ।

आरुप्पारम्मणेसु पि आकाशं कसिणुधाटिभत्ता । तं हि कसिणापगमवसेनेव मनसि कातब्बं । ततो परे वड्डयतो पि न किञ्चि होति । विज्ञाणं सभावधम्मता । न हि सक्षा सभावधम्मं वड्डेतुं । विज्ञाणापगमो विज्ञाणस्स अभावमत्तता । नैवसञ्जानासञ्जायतनारम्मणं सभावधम्मता येव न वड्डेतब्बं । सेसानि अनिमित्तता । पटिभागनिमित्तं हि वड्डेतब्बं नाम भवेव्य । बुद्धानुस्सतिआदीनं च नेव पटिभागनिमित्तं आरम्मणं होति । तस्मा तं न वड्डेतब्बं ति । एवं वड्डावड्डनतो । (५)

३०. आरम्मणतो ति । इमेसु च चत्तालीसाय कम्भडानेसु दस कसिणा, दस असुभा, आनापानस्सति, कायगतासस्ती ति इमानि द्वावीसति पटिभागनिमित्तारम्मणानि, सेसानि न पटिभागनिमित्तारम्मणानि । तथा दससु अनुस्सतीसु ठपेत्वा आनापानस्सतिं च कायगतासस्तिं च अवसेसा अद्व अनुस्सतियो, आहारे पटिकूलसञ्ज्ञा, चतुधातुववत्थानं, विज्ञाणाङ्गायतनं, नैवसञ्जानासञ्जायतनं ति इमानि द्वादस सभावधम्मारम्मणानि । दस कसिणा, दस असुभा, असुभानस्सति, कायगतासस्ती ति इमानि द्वावीसति निमित्तारम्मणानि । सेसानि छ न वत्तव्बारम्मणानि । तथा विपुब्बकं, लोहितकं, पुलुवकं, आनापानस्सति, आपोकसिणं, तेजोकसिणं, वायोकसिणं, थं च आलोककसिणे सूरियादीनं ओभासमण्डलारम्मणं ति दिशा को सर्वशः ध्यान मे लेकर” कहा गया है, निमित्त का वर्धन करने से नहीं । यहाँ तो प्रतिभागनिमित्त है ही नहीं, जिसका वर्धन किया जाय । परित्र-अप्रमाण आलम्बनता को भी यहाँ परिग्रह के लिये ही जानना चाहिये ।

आरुप्य-आलम्बनो मे भी आकाशकसिण का उद्घाटनमात्र है, क्योंकि आकाश में ही कसिण रह सकता है । वह कसिण के अभाव के रूप में ही बोधगम्य है । यदि उसका वर्धन भी किया जाय तो भी कुछ नहीं होगा । विज्ञान स्वभावधर्मता है । स्वमात्र धर्म का वर्धन सम्भव नहीं है । विज्ञान का न होना विज्ञान का अभावमात्र है । नैवसञ्जानासञ्जायतन आलम्बन भी स्वभावधर्मता ही है, अतः उसे भी नहीं बढ़ाना चाहिये । शेष निमित्तरहित है, इसलिये उनका भी वर्धन नहीं करना चाहिये, क्योंकि प्रतिभागनिमित्त ही वर्धनीय है । एवं बुद्धानुस्सति आदि प्रतिभागनिमित्त नहीं हैं । इसलिये उनका वर्धन नहीं करना चाहिये । यह वर्धन-अवर्धन के अनुसार कर्मस्थान का विनिश्चय है । (५)

३०. आलम्बन के अनुसार— इस चालीस कर्मस्थानों मे दस कसिण, दस असुभ, आनापानस्मृति, कायगता स्मृति—ये बाईस प्रतिभागनिमित्त आलम्बन हैं । (अर्थात् इनके आलम्बन प्रतिभागनिमित्त हैं) । शेष कर्म-स्थान प्रतिभागनिमित्त-आलम्बन नहीं हैं । तथा दस अनुस्मृतियों मे आनापानस्मृति एव कायगता स्मृति को छोड़कर अवशेष आठ अनुस्मृतियाँ, एक आहार मे प्रतिकूल सज्जा, एक चतुर्धातुव्यवस्थान, एक विज्ञानानन्द्यायतन, एक नैवसञ्जानासञ्जायतन—ये बारह स्वभावधर्मावलम्बन हैं । दस कसिण, दस असुभ, आनापानस्मृति, कायगता स्मृति—ये बाईस निमित्तालम्बन हैं । शेष छ ह इस प्रकार से न कहे जा सकने योग्य आलम्बन हैं । तथा विपुब्बक पीव निकलते रहने के कारण, लोहितक रक्त बहते रहने के कारण, पुलुवक कीडे रेगते रहने के कारण, आनापान स्मृति, जलकसिण, तेजकसिण, वायुकसिण, और आलोककसिण के अन्तर्गत सूर्य आदि प्रभासमण्डल

इमानि अट्टु चलितारम्मणानि, तानि च खो पुब्बभागे । पटिभागं पन सत्रिसिन्नप्रेव होति । सेसानि न चलितारम्मणानी ति । एवं आरम्मणतो ॥ (६)

३१. भूमितो ति । एत्थ च दस असुभा, कायगतासति, आहारे पटिकूलसञ्चा ति इमानि द्वादस देवेसु नप्वत्तन्ति । तानि द्वादस आनापानस्सति चा ति इमानि तेरस ब्रह्मलोके नप्वत्तन्ति । अरूपभवे नम ठपेत्वा चत्तारे आरूपे अङ्गं नप्वत्तति । मनुस्सेसु सञ्चानि पि पवत्तन्ती ति । एवं भूमितो ॥ (७)

३२. गहणतो ति । दिष्टुफुद्गुसुतगगहणतो येत्थ विनिच्छयो वेदितब्बो । तत्र ठपेत्वा वायोकसिणं सेसा नव कसिणा, दस असुभा ति इमानि एकूनबीसति दिट्टेन गहेतब्बानि । पुब्बभागे चकखुना ओलोकेत्वा निमित्तं नेसं गहेतब्बं ति अत्थो । कायगतासतियं तचपञ्चकं दिट्टेन, सेसं सुतेना ति एवं तस्सा आरम्मणं दिष्टुसुतेन गहेतब्बं । आनापानस्सति फुट्टेन, वायोकसिणं दिष्टुफुट्टेन, सेसानि अट्टारस सुतेन गहेतब्बानि । उपेक्षाब्रह्मविहारे चत्तारे आरूप्या ति इमानि चेत्थ न आदिकमिमकेन गहेतब्बानि, सेसानि पञ्चतिंस गहेतब्बानी ति । एवं गहणतो ॥ (८)

३३. पच्ययतो ति । इमेसु पन कम्पदृष्टेसु ठपेत्वा आकासकसिणं सेसा नव कसिणा आरूप्यानं पच्या होन्ति । दस कसिणा अभिज्ञानं । तयो ब्रह्मविहारा चतुर्थब्रह्मविहारस्स । हेट्टिमं हेट्टिमं आरूप्यं उपरिमस्स उपरिमस्स । नैवसञ्चानासञ्जायतनं निरोधसभापत्तिया । सञ्चानि पि सुखविहारविपस्सनाभवसम्पत्तानं ति । एवं पच्ययतो ॥ (९)

प्रकाश के गतिशील होने से—ये आठ सचल आलम्बन हैं, किन्तु प्रारम्भिक स्तर पर प्रतिभाग तो निश्चल ही होता है।

इस प्रकार आलम्बन के अनुसार कर्मस्थान का विनिश्चय है ॥ (६)

३१. भूमि के अनुसार— दस अशुभ, एक कायगता स्मृति, एक आहार में प्रतिकूल संज्ञा— ये बारह (कर्मस्थान) देवताओं में नहीं पाये जाते । ये बारह एवं एक आनापानस्मृति— ये तेरह ब्रह्मलोके में नहीं पाये जाते । किन्तु अरूप भव (=अरूप धातु) में चार आरूप्यों को छोड़कर अन्य कोई भी कर्मस्थान नहीं पाया जाता । मानवों में ही ये सब (चालीस) पाये जाते हैं ।

इस प्रकार भूमि के अनुसार विनिश्चय है ॥ (७)

३२. ग्रहण के अनुसार— दृष्ट, स्पृष्ट एवं श्रुत के स्य में ग्रहण के अनुसार भी विनिश्चय जानना चाहिये । उन चालीस कर्मस्थानों में, वायुकसिण को छोड़कर शेष ९ कसिण, १० अशुभ=इन उत्तीर्ण (११) को दृष्ट रूप में ग्रहण करना चाहिये । तात्पर्य यह है कि पहले और देखकर पश्चात् इसका निमित्त ग्रहण करना चाहिये । कायगता स्मृति में त्वचा आदि पाँच (केश, लोम, नख, दाँत और त्वचा) को देखकर, शेष को सुनकर—इस प्रकार उसका आलम्बन देख—सुन कर ग्रहण करना चाहिये । उपेक्षा ब्रह्मविहार एवं चार आरूप्य—ये उसके द्वारा, जिसने अभी समाधि के अभ्यास का प्रारम्भ ही किया है, ग्रहण किये जाने योग्य नहीं हैं । शेष पैतीस ग्रहण किये जाने योग्य हैं ।

इस प्रकार ग्रहण के अनुसार विनिश्चय जानना चाहिये ॥ (८)

३३. कारण (=प्रत्यय) के अनुसार— इन कर्मस्थानों में आकाशकसिण को छोड़कर शेष नी कसिण आरूप्यों के प्रत्यय होते हैं । दस कसिण अभिज्ञाओं के तीन ब्रह्मविहार चतुर्थ ब्रह्मविहार के । नीचे-नीचे के आरूप्य ऊपर-ऊपर के (आरूप्यों के) । नैवसञ्जानासञ्जायतन निरोधसभापत्ति का । ये सभी सुखविहार, विपश्यना और भवसम्पत्ति (=श्रेष्ठ योनियों में जन्म) के प्रत्यय हैं ।

३४. चरियानुकूलतो ति । चरियानं अनुकूलतो पेत्थ विनिच्छयो वेदितब्बो । सेव्यथीदं—रागचरितस्स ताव एत्थ दस असुभा कायगतासती ति एकादस कम्मटानानि अनुकूलानि । दोसचरितस्स चत्तारो ब्रह्मविहारा, चत्तारि वण्णकसिणानी ति अष्टु । मोहचरितस्स वितक्कचरितस्स च एकं आनापानस्सतिकम्मटानमेव । सद्भाचरितस्स पुरिमा छ अनुस्सतियो । बुद्धिचरितस्स मरणस्सति, उपसमानुस्सति, चतुर्धातुववत्थानं, आहरे षट्कूलसञ्ज्ञा ति चत्तारि । सेसकसिणानि चत्तारो च आहप्पा सञ्ज्ञचरितानं अनुकूलानि । कसिणेसु च यं किञ्चि परित्तं वितक्कचरितस्स, अप्पमाणं मोहचरितस्सा ति ।

एवमेत्थ “चरियानुकूलतो विनिच्छयो वेदितब्बो” ति ॥ (१०)

सञ्ज्ञं चेतं उजुविपञ्चनीकवसेन च अतिसप्पायवसेन च वुत्तं । रागादीनं पन अविक्खिभिका सद्भादीनं वा अनुपकारा कुसलभावना नाम नाथि ।

वुत्तं पि चेतं मेधियसुते—“चत्तारो धम्मा उत्तरि भावेतब्बा । असुभा भावेतब्बा रागस्स पहानाय । मेत्ता भावेतब्बा ब्यापादस्स पहानाय । आनापानस्सति भावेतब्बा वितक्कपञ्चेदाय । अनिच्छसञ्ज्ञा भावेतब्बा अस्मिमानसमुद्घाताया” (खु० १-१०५) ति ।

राहुलसुते पि—“मेत्तं, राहुल, भावनं भावेही” (म० २-१०४) ति आदिना नयेन एकस्सेव सत्त कम्मटानानि वुत्तानि । तस्मा वचनमते अभिनिवेसं अकत्वा सञ्ज्ञत्थ अधिप्पायो परियेसितब्बो ति ।

अयं कम्मटानं गहेत्वा ति एत्थ कम्मटानकथाविनिच्छयो ।

इस प्रकार, प्रत्यय के अनुसार विनिश्चय जानना चाहिये । (९)

३४. चर्या के अनुकूल होने के अनुसार—चर्या के अनुकूल होने के अनुसार भी विनिश्चय जानना चाहिये । यथा—रागचरित के लिये दस अशुभ एवं कायगता स्मृति—ये ग्यारह कर्मस्थान अनुकूल हैं । द्वेषचरित के लिये चार ब्रह्मविहार एवं चार वर्ण—कसिण—ये आठ । मोहचरित के लिये और वितर्कचरित के लिये केवल एक आनापानस्मृति कर्मस्थान ही अनुकूल है । शद्भाचरित के लिये—प्रथम छह अनुस्मृतियाँ । बुद्धिचरित के लिये—मरणस्मृति, उपशमानस्मृति, चतुर्धातुव्यवस्थापन, आहार में प्रतिकूल सज्जा—ये चार । शेष कसिण और चार आस्पद्य सभी चरितों के लिये अनुकूल हैं । कसिणों में जो कोई परिमित है वह वितर्कचरित के लिये, जो कोई अप्रमाण है वह मोहचरित के लिये अनुकूल है । (१०)

इस प्रकार चर्या के अनुकूल विनिश्चय जानना चाहिये ।

यह सब स्पष्ट विरोध के रूप में एवं पूर्ण अनुकूलता के रूप में निर्दिष्ट है । किन्तु ऐसी कोई भी कुशलभावना नहीं है, जो रागादि का शमन करनेवाली एवं श्रद्धादि की सहायक न हो ।

मेधियसुत में यह कही भी कहा है—“इसके गुणों की परिपूर्णता, कल्याणमित्रता, अच्छी बातों को सुनना, बल और बुद्धि—इन पाँच बातों के पक्षात्, चार धर्मों की भावना करनी चाहिये । राग के प्रहाण के लिये अशुभ की भावना करनी चाहिये, द्वेष के प्रहाण के लिये मैत्री की भावना करनी चाहिये, वितर्क को दूर करने के लिये आनापानस्मृति की भावना करनी चाहिये, अस्मिमान (मै हूँ—यह अभिभान) दूर करने के लिये अनित्यसंज्ञा की भावना करनी चाहिये ।”

राहुलसुत में भी—“राहुल, मैत्रीभावना का अभ्यास करो” आदि प्रकार से एक मै ही सात कर्मस्थान (१. मैत्री, २. करुणा, ३. मुदिता, ४. उपेक्षा, ५. अशुभ, ६. अनित्यसंज्ञा, ७. आनापानस्मृति)

३५. गहेत्वा ति । इमस्स पन पदस्स अयमत्थदीपना—“तेन योगिना कम्मट्टानदायकं कल्याणमित्तं उपसङ्गमित्वा” ति एत्थ बुत्तनयेनेव बुत्तप्पकारं कल्याणमित्तं उपसङ्गमित्वा, बुद्धस्स वा भगवतो, आचरियस्स वा अत्तानं निव्यातेत्वा सम्प्रश्नासयेन सम्प्रश्नाधिमुक्तिना च हुत्वा कम्मट्टानं याचितब्बं ।

३६. तत्र “इमाहं भगवा अत्तभावं तुम्हाकं परिच्छजामी” ति एवं बुद्धस्स भगवतो अत्ता निव्यातेत्वब्बो । एवं हि अनिव्यातेत्वा पन्तेसु सेनासनेसु विहरन्तो भेरवारमणे आपाथमागते सन्थिमित्तुं असक्कोन्तो गामन्तं ओसरित्वा गिहीहि संसद्वो हुत्वा अनेसनं आपज्जित्वा अनयब्बसनं पापुणेय्य । निव्यातितत्तभावस्स पनस्स भेरवारमणे आपाथमागते पि भयं न उप्पज्जति । “ननु तया, पण्डित, पुरिमेव अत्ता बुद्धानं निव्यातितो” ति पच्चवेक्खतो पनस्स सोमनस्समेव उप्पज्जति ।

यथा हि पुरिस्स उत्तमं कासिकवत्थं भवेत्य । तस्स तर्स्म मूसिकाय वा कीटेहि वा खादिते उप्पज्जेय्य दोमनस्सं । सच्च पन तं अचीवकस्स भिक्खुनो ददेय्य, अथस्स तं तेन भिक्खुना खण्डाखण्डं करियमानं दिस्वा पि सोमनस्समेव उप्पज्जेय्य । एवंसम्पदमिदं वेदितब्बं ।

३७. आचरियस्य निव्यातेन्तेना पि “इमाहं, भन्ते, अत्तभावं तुम्हाकं परिच्छजामी” ति चतुर्ब्बं । एवं अनिव्यातितत्तभावो हि अत्तजनीयो वा होति दुव्वचो वा अनोवादकरो, येनकामङ्गमो वा आचरियं अनापुच्छा व यत्थिच्छति तत्थ गन्ता । तमेन आचरियो आमिसेन बतला दिये गये हैं । इसलिये शब्दभात्र में अभिनिवेश न कर, सर्वत्र अभिप्राय का अन्वेषण करना चाहिये ।

यह “कर्मस्थान को ग्रहण करके”—इस वाक्याश में ‘कर्मस्थान’ का व्याख्यातक वर्णन है ॥

३४. ग्रहण कर के— इस पद का अभिप्राय यह है—“उस योगी को कर्मस्थानप्रदाता कल्याणमित्र के पास जाकर” इस प्रकार से कही गयी विधि के अनुसार ही उक्त प्रकार के कल्याणमित्र के पास जाकर, भगवान् बुद्ध या आचार्य के प्रति स्वयं को समर्पित कर सच्चे अध्याशय एवं सच्ची अधिमुक्ति के साथ कर्मस्थान की याचना करनी चाहिये ।

३६. वहाँ “भगवान्, यह मैं आपके लिये आत्माव का परित्याग करता हूँ”—इस प्रकार से भगवान् बुद्ध के लिये स्वयं को समर्पित कर देना चाहिये । इस प्रकार समर्पित न करने पर सुदूरवर्ती शयनासनों में विहार करते समय यदि भयानक आलम्बन सामने आ जाय, तो वह स्थिर नहीं रह पायेगा । एवं सम्भव है कि वह ग्राम में लौटकर गृहस्थों के संसार में पड़कर साधन में अनुचित अन्वेषण करते हुए विनाश को प्राप्त हो जाय । यदि वह समर्पित हो जाता है तो भयानक आलम्बनों के सामने आ जाने पर भी भय नहीं उत्पन्न होगा, अपितु “पण्डित” क्या तुमने पहले ही स्वयं को बुद्ध के लिये समर्पित नहीं कर दिया है—“ऐसा विचार करते हुए उसका उसमें सौमनस्य ही उत्पन्न होगा ।

जैसे कि किसी व्यक्ति के पास काशी का बना उत्तम वस्त्र हो, यदि उसे चूहे या कीड़े खा डालें तो उसे दुख होगा, किन्तु वह उसे ऐसे मिथु को दे दे जिसके पास चीवर न हो तो उस वस्त्र को मिथु के द्वारा टुकड़े-टुकड़े किया जाता हुआ देखकर भी उसे प्रसन्नता ही होगी । यहाँ भी ऐसा ही है ।

३७. आचार्य के लिये समर्पित होने वाले को भी “भन्ते! यह मैं आपके लिये आत्मभाव का परित्याग करता हूँ”—“इस प्रकार कहना चाहिये । इस प्रकार से समर्पित न होने पर दोष दिखलाने योग्य (=तर्जनीय) नहीं होता, या उसे सरलता से कुछ कहा नहीं जा सकता, यह आज्ञाकारी नहीं

वा धर्मेन वा न सङ्गण्हाति, गूळ्हं गन्थं न सिवखापेति । सो इमं दुविधं सङ्गं अलभन्तो सासने पतिदुः न लभति, न चिरस्सेव दुस्सील्यं वा गिहिभावं वा पापुणाति । निव्यातिततभावो पन नेव अतज्जनीयो होति, न येनकामङ्ग्नमो, सुवचो आचरियायत्तवुत्ति येवे होति । सो आचरियतो दुविधं सङ्गं लभन्तो सासने खुद्धिं विरुद्धिं वेपुलं पापुणाति चूळपिण्ड-पातिकतिस्सत्येरस्स अन्तेवासिका विय ।

थेरस्स किर सन्तिकं तयो भिक्खु आगमंसु । तेसु एको “अहं, भन्ते, तुम्हाकमत्थाया” ति वुते ‘सतपोरिसे पपाते पतितुं उस्सहेष्यं’ ति आह । दुतियो “अहं, भन्ते, तुम्हाकमत्थाया” ति वुते ‘इमं अतभावं गणिहतो पट्टाय पासाणपिद्वे धंसेन्तो निवसेसं खेपेतु उस्सहेष्यं’ ति आह । ततियो “अहं, भन्ते, तुम्हाकमत्थाया” ति वुते “अस्सासपस्सासे उपरुच्चित्वा कालकिरियं कातुं उस्सहेष्यं” ति आह । थेरो “भब्बा बतिमे भिक्खु” ति कम्बटुनं कथेसि । ते तस्स ओवादे ठत्वा तयो पि अरहतं पापुणिंसूति अयमनिसंसो अत्तिव्यातने । तेन वुतं—“बुद्धस्स वा भगवतो आचरियस्स वा अतानं निव्यातेत्वा” ति ।

३८. सम्पन्नज्ञासयेन सम्पन्नाधिमुक्तिना च हुत्वा ति । एत्थ पन तेन योगिना अलोभादीनं वसेन छहाकरेहि सम्पन्नज्ञासयेन भवितव्यं । एवं सम्पन्नज्ञासयो हि तिस्सनं बोधीनं अञ्जतरं पापुणाति । यथाह—“छ अज्ञासाया बोधिसत्तानं बोधिपरिपाकाय संवत्तन्ति, अलोभज्ञासया च बोधिसत्ता लोभे दोसदस्साविनो । अदोसज्ञासया च बोधिसत्ता दोसे दोसदस्साविनो । अमोहज्ञासया च बोधिसत्ता मोहे दोसदस्साविनो । नेकखम्मज्ञासया च होता । अथवा यथेच्छाचारी होता है, आचार्य से दिना पूछे जहाँ चाहता है, वहाँ चला जाता है । उसे आचार्य भौतिकं वस्तुरैं या धर्म का उपदेश नहीं देता, गूढ़ गन्थों की शिक्षा नहीं देता । वह ये दोनों सग्रह न पाकर शासन मे प्रतिहालाभ नहीं कर पाता, अपितु शीघ्र ही दुराचारी या गृहस्थ हो जाता है । समर्पित कर देने से कभी भी दोष दिखलाने योग्य नहीं होता, न यथेच्छाचारी होता है, न उसे आसानी से कुछ कहा जा सकता है, वह आचार्य के अधीन ही रहने वाला होता है । वह आचार्य से द्वितीय संग्रह प्राप्त कर चूळपिण्डपातिक लिङ्घ स्थविर के शिष्यों के समान, शासन मे शृद्धिविस्तार और विपुलता प्राप्त करता है ।

स्थविर के समीप तीन भिक्षु आये । उनमे से एक ने कहा—“भन्ते, ‘आपके हित मे हैं’ (=आचार्य के हित मे हैं) ऐसा कहे जाने पर मैं सौ पोरसा गहरे प्रपात मे गिरने के लिये तैयार हूँ ।” दूसरे ने कहा—“भन्ते, ‘आपके हित मे हैं’—ऐसा कहे जाने पर मैं अपना एडी से लेकर पूरे का पूरा शरीर पत्थर की छड्हान से धिस—धिसकर समाप्त कर देने के लिये तैयार हूँ ।” तीसरे कहा—“भन्ते, ‘आपके हित मे हैं’—ऐसा कहे जाने पर मैं श्वास—प्रश्वास को रोकर मर जाने के लिये तैयार हूँ ।” स्थविर ने “ये भिक्षु निश्चित रूप से उत्त्रति करेंगे”—ऐसा सोचकर कर्मस्थान बतलाया । इसीलिये कहा गया है—“भगवान् बुद्ध के लिये या आचार्य के लिये स्वयं को समर्पित करके ।”

३८ अध्याशय और अधिमुक्ति से सम्पन्न होकर— उस योगी को अलोभ आदि छह आकारों मे अध्याशयसम्पन्न होना चाहिये । इस प्रकार का अध्याशयसम्पन्न तीन ज्ञानों मे से किसी एक को प्राप्त करता है । जैसा कि कहा गया है—“छ अध्याशय बोधिसत्त्वों के बोधि-परिपाक के लिये होते हैं । १. अलोभ अध्याशय से सम्पन्न बोधिसत्त्व लोभ मे दोष देखते हैं । २. अद्वैष अध्याशय से सम्पन्न बोधिसत्त्व द्वेष मे और ३. अमोह अध्याशय से सम्पन्न बोधिसत्त्व मोह मे दोष देखते हैं । ५. नेकमर्ट (=गृहत्यागयुक्त

बोधिसत्ता घरावासे दोसदस्साविनो । पविवेकज्ञासया च बोधिसत्ता सङ्गणिकाय दोसदस्साविनो । निस्सरणज्ञासया च बोधिसत्ता सब्बभवाभीषु दोसदस्साविनो'' ति । ये हि केचि अतीतानागतपञ्चुपत्रा सोतापत्रासकदागामिअनागामिखीणासवपच्चेकबुद्ध-सम्मासम्बुद्धा, सब्बे ते इमेहेव छहाकारेहि अत्तना अत्तना पत्तब्बं विसेसं पत्ता । तस्मा इमेहि छहाकारेहि सम्पत्रज्ञासयेन भवितब्बं ।

तदधिमुतताय पन अधिमुत्तिसम्पत्रेन भवितब्बं । समाधाधिमुतेन समाधिगरुकेन समाधिपञ्चारेन, निष्वानाधिमुतेन निष्वानगरुकेन निष्वानपञ्चारेन च भवितब्बं ति अत्थो ।

३९. एवं सम्पत्रज्ञासयाधिमुत्तिनो पनस्स कम्मट्टानं याचतो चोतेपरियाणलाभिना आचरियेन चित्ताचारं ओलोकेत्वा चरिया जानितब्बा । इतरेन किं चरितोसि ? के वा ते भम्मा बहुलं समुदाचरन्ति ? किं वा ते मनसिकरोते फासु होति ? कतरास्मि वा ते कम्मट्टाने चित्तं नमती ? ति एवमादीहि नयेहि पुच्छित्वा जानितब्बा । एवं जत्वा चरियानुकूलं कम्मट्टानं कथेतब्बं ।

४०. कथेनेन च तिविधेन कथेतब्बं— १. पक्तिया उगगहितकम्मट्टानस्स एकं हे निसज्जानि सज्जायं कारेत्वा दातब्बं । २. सन्तिके वसन्तस्स आगतागतक्षणे कथेतब्बं । ३. उगगहेत्वा अञ्जत्र गन्तुकामस्स नातिसङ्कृतं नातिवित्थारिकं कत्वा कथेतब्बं ।

तथ्य परथ्वीकसिणं ताव कथेनेन चत्तारो कसिणदोसा, कसिणकरणं, कतस्स

(प्रत्रज्ञा) अध्याशय से सम्पत्र बोधिसत्त्व गृहवास में, ५. प्रविवेक (एकान्तसेवन) अध्याशय से बोधिसत्त्व समाज में एवं ६. निसरण अध्याशय से बोधिसत्त्व सभी भवगतियों में दाव देखते हैं । जो कोई भी अतीत, अनागत एवं प्रत्युपत्र ज्ञोतआपत्र, सकृदागामी, अनागामी, क्षीणाभ्व, प्रत्येकबुद्ध, सम्यकसम्बुद्ध हैं; उन सबने इन्हीं छह आकारों से अपने अपने प्राप्तव्यविशेष को पाया । इसलिये इन छह आकारों से अध्याशयसम्पन्न होना चाहिये ।

'अधिमुक्ति से' का अर्थ यह है कि अधिमुक्ति से सम्पत्र होना चाहिये । समाधि के प्रति अधिमुक्ति, उसके प्रति गौरव, झुकाव, निर्वाण के प्रति अधिमुक्ति, व गौरव उसके प्रति झुकाव रखना चाहिये ।

३९. इस प्रकार अध्याशय-अधिमुक्ति के सभ्यादक साधक द्वारा कर्मस्थान की याचना की जाने पर चेत्पर्याय-ज्ञान के लामी आचार्य को उसकी वित्तवृत्ति का अवलोकन कर चर्या जानी चाहिये । अन्य को 'तुम्हारा क्या चरित है?' 'कौन से धर्म तुमसे बहुधा प्रवृत्त होते हैं?' 'तुम्हे किसे मन में लाना अच्छा लगता है?' 'मुझे चित्त का झुकाव किस कर्मस्थान के प्रति है?' आदि प्रकार से पूछ कर जानना चाहिये । यो जानकर चर्या के अनुकूल कर्मस्थान बतलाना चाहिये ।

४०. कर्मस्थान कहने वाले को उसे तीन प्रकार से कहना चाहिये— १. जिसने स्वयं ही कर्मस्थान सीख लिया हो, उसे एक-दो बैठक मे पारायण करवा कर कर्मस्थान दे देना चाहिये । (यहाँ यह ध्यातथ्य है कि आचार्य से ग्रहण किये विना इस विषय मे सफलता नहीं मिलती) । २. जो सपीप ही रहने वाला हो, वह जब जब आये तब बतलाना चाहिये । ३. जो ग्रहण करके कही और जाना चाहता हो उसे न तो बहुत सक्षेप मे और न ही बहुत विस्तार से बतलाना चाहिये ।

पृथ्वीकसिण बतलाने वाले को १. चार कसिण-दोष, २. कसिण का निर्माण, ३. किंवे हुए

भावनानयो, दुविधं निमित्तं, दुविधो समाधि, सत्तविधं सप्पायासप्पायं, दसविधं अप्पनाको-
सङ्ग, चिरियसमता, अप्पनाविधानं ति इमे नव आकारा कथेतब्बा । सेसकम्मट्टानेसु पि
तस्स तस्स अनुरूपं कथेतब्बं । तं सब्बं तेसं भावनाविधाने आविभविस्सति ।

एवं कथिथमाने पन कम्मट्टाने तेन योगिना निमित्तं गहेत्वा सोतब्बं ।

४१. निमित्तं गहेत्वा ति । इदं हेट्टिमपदं, इदं उपरिमपदं, अयमस्स अत्थो,
अयमधिप्पायो, इदमोपम्मं ति एवं तं तं आकारं उपनिबन्धित्वा ति अत्थो । एवं निमित्तं
गहेत्वा सकच्चं सुणन्तेन हि कम्मट्टानं सुगहितं होति । अथस्स तं निस्साय विसेसाधिगमो
सम्पज्जति, न इतररस्सा ति ।

अयं “गहेत्वा” ति इमस्स पदरस्त अत्थपरिदीयना ॥

एतावता कल्याणमित्तं उपसङ्कमित्वा अत्तनो चरियानुकूलं चत्तालीसाय
कम्मट्टानेसु अञ्जतरं कम्मट्टानं गहेत्वा ति इमानि पदानि सब्बाकारेन वित्थरितानि
होन्ती ति ॥

इति साधुजनपामोजत्थाय कते विशुद्धिमग्ने समाधिभावनाधिकारे
कम्मट्टानगणनिदेसो नाम ततियो परिच्छेदो ॥



की भावनाविधि, ४. द्विविध निमित्त, ५. द्विविध समाधि, ६. सत्तविध अनुकूल-प्रतिकूल, ७. दशविध
अर्पणाकौशल, ८. वीर्यसमता एव ९. अर्पणाविधान—ये नौ (९) आकार (=पक्ष) बतलाने चाहिये ।

शेष कर्मस्थानों को भी उन उन की अनुकूल विधि से बतलाना चाहिये । यह सब आगे
भावनाविधान प्रकरण में स्पष्ट किया जायेगा ।

किन्तु जब कर्मस्थान बतलाया जा रहा हो, तब योगी को निमित्त का ग्रहण कर सुनना
चाहिये ।

४१. निमित्त का ग्रहण कर के— अर्थात् ‘यह पहले का पद है’, ‘यह आगे का पद है’,
‘इसका यह अर्थ है’, ‘यह अभिप्राय है’, ‘यह उपमा है’—इस प्रकार प्रत्येक पक्ष को सम्बद्ध करके—
इस प्रकार निमित्त का ग्रहण कर, आदर के साथ सुनने से कर्मस्थान का सम्यक्तया ग्रहण होता है ।
तब उसी के सहारे उसे विशिष्टता की प्राप्ति (विशेषाधिगम) होती है, दूसरे को नहीं ॥

यह ‘गहेत्वा’—इस पद का व्याख्यान है ।

यहाँ तक पीछे पालि पाठ में आये कल्याणमित्तं उपसङ्कमित्वा अत्तनो चरियानुकूलं चत्तालीसाय
कम्मट्टानेसु अञ्जतरं कम्मट्टानं गहेत्वा—इन पदों की सभी पक्षों से व्याख्या कर दी गयी ॥

साधुजनों के प्रमोदहेतु विरचित इस विशुद्धिमार्ग ग्रन्थ के
समाधिभावनाधिकार में

‘कर्मस्थानग्रहणनिर्देश’ तृतीय परिच्छेद समाप्त ॥



पथवीकसिणनिहेसो

(चतुर्थो परिच्छेदो)

१. इदानि यं बुतं “समाधिभावनाय अननुरूपं विहारं पहाय अनुरूपे विहारे विहरन्तेना” ति एत्य यस्स ताव आचरियेन सद्दिं एकविहारे वसतो फासु होति, तेन तत्थेव कम्पट्रानं परिसोधेन्तेन वसितब्बं । सचे तत्थ फोसु न होति, यो अज्जो गावुते वा अहुयोजने वा योजनमते पि वा सप्पायो विहारो होति, तत्थ वसितब्बं । एवं हि सति कम्पट्रानस्स किस्मिश्चिदेव ठाने सन्देहे वा सतिसम्मोसे वा जाते कालस्सेव विहारे वत्तं कत्वा अन्तरामगे पिण्डाय चरित्वा भत्किच्चपरियोसाने येव आचरियस्स वसनट्रानं गन्त्वा तं दिवसं आचरियस्स सन्तिके कम्पट्रानं सोधेत्वा दुतियदिवसे आचरियं वन्दित्वा निक्खमित्वा अन्तरामगे पिण्डाय चरित्वा अकिलभन्तो येव अत्तो वसनट्रानं आगन्तुं सक्खिस्सति । यो पन योजनप्यमाणे पि फासुकट्रानं न लभति, तेन कम्पट्राने सब्बं गण्डट्रानं छिन्दित्वा सुविसुद्धं आवज्जनप्रतिबद्धं कम्पट्रानं कत्वा दूरं पि गन्त्वा समाधिभावनाय अननुरूपं विहारं पहाय अनुरूपे विहारे विहातब्बं ।

अननुरूपविहारो

२. तत्थ अननुरूपो नाम अट्टारसत्रं दोसानं अज्जतरेन समझागतो । तत्रिमे अट्टारस दोसा—महतं, नवतं, जिण्णतं, पन्थनिस्सततं, सोण्डी, पण्णं, पुष्कं, फलं, पत्थनीयता,

पृथ्वीकसिणनिर्देश

(चतुर्थं परिच्छेदं)

१. अब, पीछे जो कहा गया है कि ‘समाधि भावना के अननुरूप (प्रतिकूल) विहार को छोड़कर अनुरूप विहार में विहरते हुए’ (छृ १२५) वहीं जिस जिस को आचार्य के साथ एक ही विहार में रहने आदि की सुविधा तथा अनुकूलता हो, उसे वहीं कर्मस्थान का परिशोधन करते हुए रहना चाहिये । यदि वहीं सुविधा न हो तो गव्यूति, अव्ययोजन या एक योजन के अन्दर जो भी अनुकूल विहार हो वहीं रहना चाहिये । ऐसा होने से कर्मस्थान के किसी भी स्थल के विषय में सन्देह या विस्मृति उत्पन्न होने पर समय रहते ही विहार में करणीय करके, बीच मार्ग में आने वाले ग्रामादि में भिक्षाटन करते हुए भोजन समाप्त कर, आचार्य के निवासस्थान पर जाकर, उस दिन आचार्य के पास कर्मस्थान का शोधन कर, दूसरे दिन आचार्य की बन्दना करके विहार से निकलकर मार्ग में भिक्षाटन करते हुए, यह विना थके ही अपने निवासस्थान पर पहुँच सकेगा ।

यदि एक योजन के भीतर भी सुविधाजनक स्थान न मिले तो उसे कर्मस्थान के विषय में सभी दुरुह स्थलों का स्पष्टीकरण कर (=ग्रन्थिस्थान को काटकर) कर्मस्थान को सुविशुद्ध एवं आवर्जनप्रतिबद्ध (समाधि की अनुकूलता के लिये स्वानुरूप) करके दूर जाकर भी समाधि भावना के अननुकूल विहार को छोड़कर अनुरूप विहार में साधनाभ्यास करना चाहिये ।

अननुरूप (=यास के लिये अयोग्य) विहार

२. उनमे ‘अननुरूप विहार’ उसे कहते हैं जो अट्टारह दोषों में से किसी एक से युक्त हो। अहुरह दोष ये हैं—(१) बड़ा होना, (२) नया होना, (३) जीर्ण (=पुराना टूटा-फूटा) होना, (४) मार्ग

३. अग्निधानप्यवीपिका कोश के अनुसार ‘गव्यूति’ ५६०० गज (एक भूमि-माप) को कहते हैं ।

नगरसत्रिस्तता, दारुसत्रिस्तता, खेत्तसत्रिस्तता, विसभागानं पुगलानं अतिथा, भट्टनसत्रिस्तता, पच्चन्तसत्रिस्तता, रजसीभसत्रिस्तता, असप्यायता, कल्याणमितानं अलाभो ति इमेसं अद्वारसत्रं दोसानं अञ्जतरेन दोसेन समन्वयतो अननुरूपो नाम, न तथ्य विहातब्बं ।

कस्मा ?

महाविहारे ताव बहु नानाछन्दा सन्निपतन्ति । ते अञ्जमञ्जं पटिविरुद्धताय वत्तं न करोन्ति, बोधिथङ्गाणदीनि असम्भट्टनेव होन्ति, अनुपद्वापितं पानीयं परिभोजनीयं । तत्रायं 'गोचरगामं पिण्डाय चरिस्सामा' ति पत्तचीवरं आदाय निकखन्तो सचे पस्सति वत्तं वा अकतं, पानीयघटं वा रितं, अथानेन वत्तं कातब्बं होति, पानीयं उपद्वापेतब्बं । अकरोन्तो वत्तभेदे दुक्षटं आपज्जति, करोन्तस्स कालो अतिकमति, अतिदिला पविट्टो निद्विताय भिक्षाय किञ्चि न लभति । पटिसल्लानगतो पि सामणेरदहरभिक्षूनं उच्चासदेन सहृकम्भेहि च विक्षिपति । (१)

यथं पन सब्बं वत्तं कतमेव होति, अवसेसा पि च सहृद्वना नतिथ । एवरुपे महाविहारे पि विहातब्बं ।

नवविहारे बहु नवकम्भं होति, अकरोन्तं उज्ज्ञायन्ति । (२)

के समीप होना, (५) प्याऊ, (६) पते, (७) फूल, (८) फल के समीप होना, (९) पर्वत-शिखर पर होना^१, (१०) नगर के समीप होना, (११) काठ (ऐसे वृक्ष जिनसे ईंधन प्राप्त होता है) के समीप होना, (१२) खेत के समीप होना, (१३) बेमेल (बिरोधी) व्यक्तियों का होना, (१४) यात्रियों के विश्रामस्थल के पास होना, (१५) म्लेच्छ (गन्दे लोगों के) देश के पास होना, (१६) राज्य की सीमा के पास होना, (१७) अननुकूलता एवं (१८) कल्याणिमित्रों का न मिलना । इन अद्वारह दोषों में से किसी से भी युक्त विहार अननुरूप कहा जाता है । वहाँ साधनाभ्यास नहीं करना चाहिये ।

किसलिये ?

(१) महाविहार में बहुत से नाना प्रकार की अभिरुचियों वाले लोग रहते हैं । वे पारस्परिक दिशि के चलते करणीय (विहार में वैत्य और बोधिवृक्ष के पास आड़ लगाना, घड़े में जल रखना आदि) नहीं करते । बोधि-वृक्ष के आँगन आदि विना झाङे-झुहारे ही रह जाते हैं, नहाने-धोने का जल भी नहीं भरा गया रहता है । ऐसी स्थिति में वहाँ 'गोचर (=जहाँ भिक्षा माँगनी हो, ऐसे) ग्राम में भिक्षाटन कर्लंगा' इस प्रकार सोचकर निकलते हुए यदि वह देखता है कि करणीय नहीं किया गया है या जल का घडा खाली पड़ा है, तो उसे यह करणीय करना पड़ता है, जल भरना पड़ता है । न करने पर इतरभूमि होने से दुष्कृत (=दुक्षट) होता है, और करने पर समय अतिक्रान्त जाता है । दिन चढ़े ग्राम में प्रवेश करने पर भिक्षा में कुछ नहीं मिलता । एकान्त में ध्यान करते समय भी श्रामणेरों और तरुण भिक्षुओं के जोर जोर से बोलने और सहृ के कार्यों से उसका वित्त विक्षिप्त होता है ।

किन्तु जहाँ सभी करणीय पूरे कर लिये जाते हों और जहाँ विक्षोभ के अन्य कारण भी न हों, ऐसे महाविहार में ही रहना चाहिये ।

(२) नव (निर्भित) विहार में बहुत से निर्माण-कर्म करने पड़ते हैं । जो नहीं करता उस पर

१. 'पत्ता' का परम्पराग्राम अर्थ है पर्वतशिखर । देखें अभिं० प०, पृष्ठ १०८ । किन्तु भिक्षु ज्ञानमौलि ने 'पत्तनीयता' का अर्थ 'प्रसिद्धि' किया है एवं भिक्षु धर्मरक्षित ने 'पूजनीय स्थान' । —अनु०

यथ पन भिक्खू एवं बदनि—“आयस्मा यथासुखं समणधर्मं करोतु, मयं नवकर्मं करिस्सामा” ति, एवरुपे विहातब्बं ।

जिणणविहारे पन बहु पटिजग्गितब्बं होति, अन्तमसो अत्तनो सेनासनमत्तं पि अपटिजग्गान्तं उज्ज्ञायन्ति, पटिजग्गान्तस्स कम्मटुनं परिहायति । (३)

पञ्चनिस्सिते महापथविहारे रतिदिवं आगन्तुका सन्निपतन्ति । विकाले आगतानं अत्तनो सेनासनं दत्वा रुक्खमूले वा पासाणपिट्ठे वा वसितब्बं होति, पुनदिवसे पि एवमेवा ति कम्मटुनस्स ओकासो न होति । यथ पन एवरुपो आगन्तुकसम्बाधो न होति, तथ विहातब्बं । (४)

सोण्डी नाम पासाणपोक्खरणी होति । तथ पानीयत्थं महाजनो समोसरति, नगरवासीनं राजकुलूपक्तथेरानं अन्तेवासिका रजनकम्मत्थाय आगच्छन्ति, तेसं भाजनदाशदोणिकादीनि पुच्छन्तानं असुके च असुके च ठाने ति दस्सेतब्बानि होन्ति, एवं सब्बकालं पि निच्चव्यावटो होति । (५)

यथ नानाविधं साकपण्णं होति, तथस्स कम्मटुनं गहेत्वा दिवाविहारं निसिन्नस्सा पि सन्तिके साकहारिका गायथमाना पण्णं उच्चनन्तियो विसभागसदसङ्घट्टनेन कम्मटुनन्तरायं करोन्ति । (६)

यथ पन नानाविधा मालागच्छा सुपुणिता होन्ति, तत्रा पि तादिसो येव उपद्वो । (७)

अन्य मिक्षु क्रोध करते हैं ।

किन्तु जहों मिक्षु ऐसा कहते हो—“आयुष्मन्! सुखपूर्वक श्रमण, धर्म का पालन करे, यह निर्माण—कार्य हम कर लेंगे तो ऐसे नवविहार मे रहना चाहिये ।

(३) जीर्ण—शीर्ण विहार मे सुधारने के लिये बहुत-कुछ हुआ करता है । जो मिक्षु कम से कम अपने शथनासन तक का सुधार नहीं करता, उस पर अन्य मिक्षु क्रोध करते हैं । सुधार करने पर कर्मस्थान की हानि होती है ।

(४) भार्ग के रामीप—मुख्य भार्ग के पास वाले विहार मे रात—दिन आगन्तुक आया करते हैं । असमय मे आने वालों को अपना शथनासन देकर ऐड के नीचे या किसी प्रस्तर—शिला पर रहना पड़ता है । हो सकता है दूसरे दिन भी ऐसा ही हो जाय । इस प्रकार कर्मस्थान के लिये समय नहीं बच पाता । किन्तु जहों इस प्रकार आगन्तुकों की भीड़—भाड़ न हो, वहाँ रहना चाहिये ।

(५) सोण्डी—पाषाण—पुञ्चरिणी (=पहाड़ी प्राकृतिक जलाशय) को ‘सोण्डी’ कहते हैं । वहाँ जल के लिये बहुत से लोग आते रहते हैं, नगरवासी या राजघरानों द्वारा प्रश्रयप्राप्त स्थविरो के शिष्यागण वस्त्रों की रँगाई के लिये आते हैं । जब ये पूछते हैं कि बर्तन, लकड़ी, द्वोणिका (=रँगाई के लिये कुण्डी) आदि कहाँ है? तब उन्हें ‘यहाँ है, वहाँ है’ इस प्रकार दिखलाना पड़ता है । इस प्रकार वह लोगों से निरन्तर धिरा रहता है ।

(६) पत्र—जहों अनेक प्रकार के साग—पात के धौधे होते हैं, वहाँ जब यह मिक्षु कर्मस्थान ग्रहण कर दिन मे साधना के लिये बैठता है, तब भी उसके आस—पास साग तोडने वाली स्त्रियाँ गती हुई, पत्ते तोडती हुई विपरीत (स्त्रियों का दर्शन, शब्द—श्रवण आदि मिक्षु के लिये अनुपयुक्त=विपरीत) शब्दों से कर्मस्थान मे विच्छ करती हैं ।

१ जीर्ण विहार मे भी जहों मिक्षु इस प्रकार कहते हो—“आयुष्मन्! सुखपूर्वक श्रमणधर्म का पालन करे, हम सुधार कर लेंगे” तो, ऐसे मे रहना चाहिये—यह भी विधि प्राप्त होती है, परन्तु पहले कह दी जाने से यहाँ पुन नहीं कही गयी । — अनु० ।

यत्थ नानाविधं अम्बजम्बुपनसादिफलं होति, तत्थ फलतिथका आगन्त्वा याचन्ति, अदेन्तस्स कुञ्जन्ति, बलक्षारेन वा गणहन्ति। सायन्हसमये विहारभज्ञे चङ्गमन्तेन ते दिस्वा "किं, उपासका, एवं करोथा" ति बुत्ता यथारुचि अकोसन्ति। अबासाय पिस्स परकमन्ति। (८)

पथनीये पन लेणसम्मते दक्खिणगिरि-हस्तिकुच्छि-चेतियगिरि-चित्तलपब्बत-सदिसे विहारे विहरन्ते 'अयमरहा' ति सम्भावेत्वा वन्दितुकामा मनुस्सा समन्ता ओसरन्ति, तेनस्स न फासु होति। (९)

यस्स पन तं सप्पायं होति, तेन दिवा अञ्जत्र गन्त्वा रत्तिं वसितब्बं।

नगरसन्निस्सते विसभागारमणानि आपाथमागच्छन्ति, कुम्भदासियो पि घटेहि निषंसन्तियो गच्छन्ति, ओकमित्वा मग्गं न देन्ति, इस्सरमनुस्सा पि विहारमज्ञे साणिं परिक्षिपित्वा निसीदन्ति। (१०)

दारुसन्निस्सये पन यत्थ कटुनि च दब्बूपकरणरुक्खा च सन्ति, तत्थ कठुहारिका एब्बेवृत्तसाकुपूफहारिका विय अफासुं करोन्ति, 'विहारे रुक्खा सन्ति, ते छिन्दित्वा घरानि करिस्सामा' ति भनुस्सा आगन्त्वा छिन्दन्ति। सचे सायन्हसमयं पधानघरा निकखमित्वा विहारमज्ञे चङ्गमन्तो ते दिस्वा "किं उपासका एवं करोथा" ति वदति, यथारुचि अकोसन्ति, अबासाय पिस्स परकमन्ति। (११)

यो पन खेत्तसन्निस्सतो होति समन्ता खेत्तेहि परिवारितो, तत्थ मनुस्सा

(७) पुष्ट— जहाँ नाना प्रकार के लता—गुल्म फूले हुए होते हैं, वहाँ भी उक्त प्रकार का शपदव होता है।

(८) फल— जहाँ अनेक प्रकार के आम, जामुन, कटहल आदि फल वृक्ष होते हैं, वहाँ फल वाहने वाले आकर माँगते हैं, न देने पर कुद्ध होते हैं क्योंकि वह विहार के बीच चक्रमण करते हुए, उन्हे देखकर—'उपासको! ऐसा क्यों कर रहे हो' कहता है तो वे उसे मन ने कोसते हैं। उसे उस विहार से हटा देने का भी प्रयत्न करते हैं।

(९) पर्वत-स्थल में— दक्खिणगिरि, हस्तिकुच्छि, चैत्यगिरि, चित्तल पर्वत जैसी गुफाओं के समान (बने) विहार में साधना करने वाले को 'यह अहं है' इस सम्मानना से, प्रणाम करने की इच्छा वाले लोग चारों ओर से आते हैं, जिससे उसकी साधना में असुविधा होती है।

किन्तु जिसके लिये यह सुविधाजनक हो उसे, दिन में अन्यत्र जाकर, रात में ऐसे स्थान पर रहना चाहिये।

(१०) नगर के समीप (विहार में)— विपरीत आलम्बन (—स्त्री आदि) मार्ग में आ जाते हैं। घडा लेकर चलने वाली दासियों (=पनिहारिने) भी घडों से रगडती हुई जाती है, बीच में आकर उसे मार्ग नहीं देती। ऐश्वर्यवाली पुरुष विहार के बीच टाट दिछाकर ढैठ जाते हैं।

(११) लकड़ियों के पास— जहाँ लकड़ियों और लकड़ी के सामान बनाने योग्य वृक्ष होते हैं, लकड़हारिने पूर्वोक्त साग और फूल तोड़ने वालियों के ही समान असुविधा उत्पन्न करती हैं; 'विहार में वृक्ष हैं, उन्हे काटकर घर बनायेंगे' ऐसा सोचकर मनुष्य आकर वृक्ष काटते हैं। यदि सायन्हाल समाधि-कक्ष से निकलकर विहार के बीच चक्रमण करते हुए उन्हे देखकर वह—'उपासको, ऐसा क्यों करते हो'—ऐसा कहता है, तो वे उसे जैसे भन में आता है कैसे कोसते हैं, उसे वहाँ से हटाने का भी प्रयत्न करते हैं।

विहारमज्जेयेव खलं कत्वा धञ्जं मदन्ति, पमुखेसु सदन्ति, अञ्जं पि बहुं अफासुं करोन्ति। यत्रापि महासङ्घभोगो होति, आरामिका कुलानं गावो रुधन्ति, उदकवारं परिसेधेन्ति, मनुस्सा चीहिसीसं गहेत्वा “पस्सथ तुम्हाके आरामिकानं कम्मं” ति सङ्घस्स दस्सेन्ति। तेन तेन कारणेन राजराज-महामत्तानं घरद्वारं गन्तब्बं होति। अयं पि खेत्तसन्निस्सतेनेव सङ्गहितो। (१२)

विसभागानं पुगगलानं अतिथता ति। यत्थ अञ्जमञ्जं विसभागवेरी भिक्खु विहरन्ति, ये कलहं करोन्ता “मा, भन्ते, एवं करोथा” ति वारियमाना “एतस्स पंसुकूलिकस्स आगतकालतो पट्टाय नटुम्हा” ति वत्तारो भवन्ति। (१३)

यो पि उदकपट्टनं वा थलपट्टनं वा निस्सितो होति, तत्थ अभिष्णुं नावाहि च सत्येहि च आगतमनुस्सा ‘ओकासं देथ, पानीयं, लोणं देथा’ ति षट्टयन्ता अफासुं करोन्ति। (१४)

पच्चन्तसन्निस्सते पन मनुस्सा बुद्धादीसु अप्पसन्ना होन्ति। (१५)

रजसीपसन्निस्सते राजभयं होति। तं हि पदेसं एको राजा ‘न मर्हं वसे वत्तती’ ति पहरति, इतरो पि ‘न मर्हं वसे वत्तती’ ति। तत्रायं भिक्खु कदाचि इमस्स रञ्जा विजिते विचरति, कदाचि एतस्स। अथ नं ‘चरपुरिसो अर्थं’ ति मञ्जमाना अनयव्यसनं पापेन्ति। (१६)

असप्पायता ति। विसभागरूपादिआरम्मणसमोसरणेन वा अमनुस्सपरिग्निहताय वा असप्पायता। तत्रिदं वत्थु—एको किर थेरो अरञ्जे वसति। अथस्स एका यक्षिणी

(१७) खेत के समीप— जो विहार खेतो से चारों ओर से धिरा हुआ होता है, वहाँ मनुष्य विहार के बीच मे ही ऊखल (=जिसमे अनाज का कूटा जाता है) बनाकर धान कूटते हैं, औसारों मे पसारते हैं और भी बहुत प्रकार से उद्घिन्न करते हैं। जहाँ भी सङ्घ की महती सम्पत्ति होती है, वहाँ विहार मे रहने वाले लोग गृहस्थ कुलों की गायों को घुसने नहीं देते, पानी की बारी का निषेध करते हैं। लोग सूखते हुए धान की बालियों को सिरो से पकड़कर “देखिये अपने विहारवासियों की करतूत!” इस प्रकार सङ्घ को दिखाते हैं। इस—उस कारण से राजा, राजमन्त्रियों के घर जाना पड़ता है—यह भी ‘खेत के समीप विहार’ मे ही संगृहीत है।

(१८) विष्णुरीत (=विरोधी) व्यक्तियों का रहना— जहाँ परस्पर विरोधी, वैरी भिक्षु रहते हैं, जो कि कलह करने पर यदि “भन्ते, ऐसा मत करिये” इस प्रकार रोके जाते हैं तो “इस पाशुकूलिक के आते ही हम तो विनष्ट हो गये!”—ऐसा झाक्काहट के कारण कहते हैं।

(१९) बन्दरगाह या विश्रामालय के पास जो विहार होता है, वहाँ रात—दिन नाव से या सार्थ (=काफिले) के साथ आये हुए लोग “स्थान दीजिये, जल दीजिये, नमक दीजिये” इस प्रकार धक्कामुक्की करते हुए साधना से व्यवधान करते रहते हैं।

(२०) सीमावर्ती विहार में— लोग बुद्ध आदि के प्रति श्रद्धा नहीं रखते (सम्भवतः इसलिये कि वे सीमा के पार रहने वाले विधर्मियों के सम्पर्क मे आते हैं) अतः वहाँ भी नहीं रहना चाहिये।

(२१) राज्य की सीमा के समीप विहार में—राजा का भय होता है। उस प्रदेश पर एक राजा “यह क्षेत्र मेरे वश मे क्यों नहीं रहता” ऐसा सोचकर आक्रमण करता है तो दूसरा भी ‘मेरे वश मे क्यों नहीं रहता’ ऐसा सोचकर। वहाँ यह भिक्षु कभी इस राजा के विजित क्षेत्र मे विचरता है तो कभी उसके। अतः इसे ‘यह गुपचर है’ ऐसा मानकर प्रताडित करते हैं।

पण्णसालद्वारे ठत्वा गायि । सो निक्खमित्वा द्वारे अट्टासि । सा गन्त्वा चङ्गमनसीसे गायि । थेरो चङ्गमनसीसं अगमासि । सा सतपोरिसे पपाते ठत्वा गायि । थेरो पटिनिवत्ति । अथ नं सा वेगेन गहेत्वा “मया, भन्ते, न एको न द्वे तुम्हादिसा खादिता” ति आह । (१७)

कल्याणमित्तानं अलाभो ति । यत्थ न सका होति आचरियं वा आचरियसमं वा उपज्ञायं वा उपज्ञायसमं वा कल्याणमित्तं लद्दु । तत्य सो कल्याणमित्तानं अलाभो महादोसो येवा ति । इमेसं अट्टारसब्रं दोसानं अञ्जतरेन समन्वागतो अननुरूपो ति वेदितब्बो । (१८)

बुत्तं पि चेत्तं अट्टुकथासु—

“महावासं नवावासं जरावासं च पन्थनि ।
सोण्डं पण्णं च पुण्कं च फलं पतिथतमेव च ॥
नगरं दारुना खेतं विसभागेन पट्टनं ।
पच्चन्तसीमासप्पायं यत्थ मित्तो न लक्ष्यति ॥
अट्टुसेतानि ठानानि इति विज्ञाय पण्डितो ।
आरका परिवज्जेयं मग्नं सप्पिटिभवं यथा” ति ॥

अनुरूपविहारो

३. यो पन गोचरगामतो नातिदूरनाच्चासन्नतादीहि पञ्चहि अङ्गेहि सपन्नागतो, अयं अनुरूपो नाम । बुत्तं हेतं भगवता—“कथं च, भिक्खुवे, सेनासनं पञ्चङ्गसमन्वागतं होति ?

(१९) अनुपयुक्तता—विपरीतरूप (=स्त्री आदि) आलम्बनों के संयोग के कारण या अमुखों (यक्ष आदि) के द्वारा परिगृहीत होने के कारण प्रतिकूलता ।

इस प्रभाव में यह कथा है—कहते हैं कि एक स्थविर जङ्गल में रहते थे । उस समय एक यक्षिणी ने उनके द्वार पर खड़े होकर एक गीत गाया तो वे निकल कर द्वार पर आ रुँदे हुए । तब उसने जाकर चक्रमण (=स्थल) के छोर पर गाया । स्थविर चक्रमणस्थल के छोर पर आये । फिर उसने सौ पोरसा गहरे (जल—) प्रपात में खड़े होकर गाया । स्थविर लौटने लगे । तब उसने दौड़कर उहें पकड़ कर कहा—“भन्ते, मैंने तुम्हारे जैसे न एक, न दो को अर्थात् बहुतों को खाया है ।”

(२०) कल्याणमित्रों का न मिलना—जहाँ आचार्य या आचार्य के समान उपाध्याय या उपाध्याय के समान कल्याणमित्रों को मिलना सम्भव न हो । उसमें भी कल्याणमित्रों का न मिलना तो महादोष ही है ।

इन अट्टारह दोषों में से किसी एक से भी युक्त स्थान को अनुपयुक्त जानना चाहिये ॥

अट्टुकथाओं में यह कहा भी गया है—

“महा आवास (=विहार), नव आवास, जीर्ण आवास, मार्ग के समीप वाला, सोण्डी, पते, फूल, फल से युक्त, पर्वतशिखर पर स्थित, नगर के समीप, लकडियों के पास, खेत के पास, विरोधियों से युक्त, यात्री विश्रामस्थल, सीमावर्ती देश, राज्य की सीमा पर स्थित, अननुकूल, जहाँ कल्याणमित्र न मिलें- इन अट्टारह स्थानों को इस प्रकार दोष से युक्त जानकर पण्डितजन इनका भयावह मार्ग के समान दूर से ही परित्याग कर दें ॥

अनुरूप (अनुकूल) विहार

३. जो (विहार) ‘गोचर-ग्राम से न बहुत दूर, न बहुत पास’ आदि पांच अङ्गों से युक्त होता है, वह अनुरूप कहा जाता है । क्योंकि भगवान् ने भी यह कहा है—‘मिशुओ! किस प्रकार का

इथं भिक्खुवे, सेनासनं नातिदूरं होति नाच्चासनं गमनागमनसप्तन्त्रं, दिवा अप्पाकिण्णं रत्तं अप्पसदं अप्पनिधोसं, अप्पं समकसवातातपसरीसपसम्फस्सं होति, तस्मि खो पन सेनासने विहरन्तस्स अप्पकसिरेनेव उप्पज्जन्ति चौवरीपिण्डपातसेनासनगिलानपच्यभेसज्जपरिक्खारा, तस्मि खो पन सेनासने थेरा भिक्खु विहरन्ति बहुसुता आगतागमा धम्मधरा विनयधरा मातिकाधरा, ते कालेन कालं उपसङ्गमित्वा परिपुच्छति परिपञ्चति— ‘इदं, भन्ते, कथं, इमस्स को अत्थो ?’ ति, तस्स ते आयस्मन्तो अविवटं चेव विवरन्ति, अनुत्तानीकतं च उत्तानीकरोन्ति, अनेकविहितेसु च कहुद्वानियेसु धम्मेसु कहुं पटिविनोदेन्ति । एवं खो, भिक्खुवे, सेनासनं पश्चङ्गसमन्नागतं होती” (अं० ४-११०) ति ।

अयं “समाधिभावनाय अनुरूपं विहारं पहाय
अनुरूपे विहारे विहरन्तेना” ति एत्य वित्थारे ॥

खुदकपलिबोधा

४. खुदकपलिबोधुपच्छेदं कत्वा ति । एवं पतिरूपे विहारे विहरन्तेन ये पिस्स से होन्ति खुदकपलिबोधा, ते पि उपच्छन्दितब्बा । सेष्यथीदं—दीघानि केसनखलोमानि छिन्दितब्बानि । जिणवीक्रेसु दल्हीकम्मं वा तुश्रकम्मं वा कातब्बं । किलिद्वानि वा रजितब्बानि । सचे पत्ते मलं होति, पत्तो पचितब्बो । मञ्चपीठादीनि सोधेतब्बानी ति ।

अयं ‘खुदकपलिबोधुपच्छेदं कत्वा’ ति एत्य वित्थारे ॥

भावनाविधिकथा

५. इदानि सब्बं भावनाविधानं अपरिहापेनेन भावेतब्बो ति । एत्य अयं पथवीकसिणं आदिं कत्वा सब्बकम्भद्वानवसेन वित्थारकथा होति । एवं उपच्छन्द्रखुदकपलि-शयनासन पाँच अङ्गों से युक्त होता है? यहों, मिक्षुओ! १. (कोई-कोई) शयनासन न तो बहुत दूर होता है, न बहुत यास, आवगमन (की सुविधा) से सम्पन्न होता है; दिन में बहुत अधिकं भीड़-भाड़ नहीं होती और रात में कोलाहल कम होता है; २. उस शयनासन में विहार करने वाले को चीवर, भोजन, ओषधि और पथ्य अनायास मिल जाया करते हैं; ३. उस शयनासन में स्थविर मिक्षु विहार करते हैं जो बहुश्रुत, आगमों में पारब्रह्म, धर्मधर, विनयधर एवं मातृकाधर होते हैं । ४. उनके पास समय-समय पर जाकर वह पूछता है—“मनो, यह कैसे होता है? इसका क्या अर्थ है?” ५. उसके लिये वे आयुष्मान् ढंके हुए को उघाड़ देते हैं, अस्पष्ट को स्पष्ट कर देते हैं और शङ्खा उत्पन्न करने वाले अनेक धर्मों के बारे में शङ्खा दूर कर देते हैं । मिक्षुओ, इस प्रकार शयनासन पाँच अङ्गों से युक्त होता है ॥ (अं० ४-१००)

यह ‘समाधि-भावना के अनुरूप विहार को त्यागकर अनुरूप विहार करते हुए’ वाक्याश की व्याख्या है ॥

छोटे-छोटे (=खुदक) पलिबोध

४. खुदकपलिबोधुपच्छेदं कत्वा—(छोटे-छोटे परिबोधों का नाश करके— पृ० १२५)—यों अनुरूप विहार में विहरते हुए जो इसके छोटे-छोटे पलिबोध भी हों, उनका भी नाश कर देना चाहिये । जैसे—बढ़े हुए केश, नख, लामों को काट देना चाहिये । फटे चीवरों को सिलने या पैबन्द लगाने का काम कर लेना चाहिये । वे गन्दे हों तो उन्हें पुनः रङ्ग लेना चाहिये । जो पात्र मैले हों उन्हें (साफ कर) रङ्ग लेना चाहिये । चारपाई, चौकी आदि साफ कर लेनी चाहिये ॥

यह ‘छोटे-छोटे परिबोधों का नाश करके’ की व्याख्या है ।

बोधेन हि भिक्खुना पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिकन्तेन भत्तसम्मदं पटिविनोदेत्वा पविविते ओकासे सुखनिसिन्नेन कताय वा अकताय वा पथविया निमित्तं गणहत्ब्बं ।

६. बुद्धं हेतं—

“पथवीकसिणं उग्रगणहन्तो पथवियं निमित्तं गणहाति कते वा अकते वा, सन्तिके नो अन्तके, सकोटिये नो अकोटिये, स्वतुमे नो अवतुमे; सपरियन्ते नो अपरियन्ते, सुप्पमते वा सरावमते वा । सो तं निमित्तं सुगगहितं करोति, सूपधारितं उपाधारेति, सुववित्थितं ववत्थपेति । सो तं निमित्तं सुगगहितं कत्वा, सूपधारितं उपाधारेत्वा, सुववित्थितं ववत्थपेत्वा, आनिसंसदस्सावी रतनसज्जी हुत्वा, चित्तीकारं उपटुपेत्वा सम्प्यायमानो तर्स्मि आरम्भणे वित्तं उपनिबन्धति ‘अद्भा इमाय पटिपदाय जरामरणम्हा मुच्चस्सामी’ ति । सो विविच्चेव कामेहि—पे०— पठमं ज्ञानं उपसम्पञ्ज विहरती” () ति ।

७. तत्थ येन अतीतभवे पि सासने वा इसिपब्बज्ञाय वा पब्बजित्वा पथवीकसिणे चतुष्कपञ्चकज्ञानानि निब्बत्तिपुब्बनि, एवरूपस्स पुञ्जवतो उपनिस्सयसम्बन्धस्स अकताय पथविया कसितद्वाने वा खलमण्डले वा निमित्तं उपञ्जति मङ्गकत्थेरस्स क्रिय । तस्स किरायस्मतो कसितद्वानं ओलोकेन्तस्स तंठानप्पमाणमेव निमित्तं उदपादि । सो तं बहुत्वा पञ्चकज्ञानानि निब्बतेत्वा झानपदद्वानं विपस्सनं पटुपेत्वा अरहतं पापुणि ।

८. यो पनेवं अकताधिकारो होति, तेन आचरियस्स सन्तिके उग्रगहितकम्मद्वानविधानं

भावनाविधान

५. अब, सबं भावनाविधानं अपरिहायेन्तेन भावेतत्वं (भावनाविधान में से किसी को भी न छोड़ते हुए भावना करनी चाहिये—पृष्ठ १२५)—इस पृथ्वीकसिण से प्रारम्भ कर सभी कर्मस्थानों की व्याख्या की जायगी । इस प्रकार छोटे छोटे परिवोधों का नाश कर चुके, भोजन के पक्षात् शिक्षाटन से लौटे भिक्षु को भोजन से उत्पन्न तन्द्रा को दूरकर, एकान्त स्थान पर सुविधा से बैठकर (भिट्टी से बृत्ताकार) बनाये या न बनाये गये पृथ्वी के निमित्त को ग्रहण करना चाहिये ।

६. क्योंकि किसी प्राचीन टीका में यह कहा गया है—“पृथ्वीकसिण का उद्ग्रहण (=ग्रहण) करने वाला कृत या अकृत, सान्त न कि अनन्त, कोणसहित न कि कोणरहित, वर्तुलाकार न कि अवर्तुलाकार, सर्पन्त (=सीमित) न कि अपर्यन्त (=असीमित), सूपमात्र या शरावमात्र परिमाण वाले पृथ्वी—निमित्त का ग्रहण करता है । वह उस निमित्त को भलीभाँति ग्रहण करता है, धारण करता है और मन में सुव्यवस्थित करता है । वह उस निमित्त को भलीभाँति ग्रहण कर, धारण कर, सुव्यवस्थित कर, इसके भावात्प्य को देखने वाला एव इसे रक्त के समान समझने वाला होकर, उसके प्रति मन में आंदर उत्पन्न कर, उसे प्रिय मानते हुए, यह सोच कर कि “अवश्य ही मैं इस मार्ग के सहारे जरामरण से मुक्त हो जाऊँगा” उस आलाम्बन में वित्त लगाता है । वह कामनाओं से रहित होकर...पूर्वतः...प्रथम व्यान को प्राप्त कर विहरता है ।” ()

७. जिसने पूर्वजन्म में भी (बुद्ध—) शासन में या ऋषि (बुद्ध—) प्रदर्जना में प्रदर्जित होकर पृथ्वीकसिण में चतुर्थ—पञ्चक ध्यानों को पहले ही प्राप्त कर लिया है, ऐसे पुण्यवान् उपनिश्रयसम्बन्ध को (गोलाकार) न बनाये गये पृथ्वीकसिण में (जैसे कि) जोते तुर स्थान (=खेत) में या खलमण्डल (खलिहान) में निमित्त उत्पन्न हो जाता है, मध्यक स्थविर के समान । उन आयुष्मान् को जोते गये स्थान को देखते हुए उस रथान के प्रभाण (=आकार) का ही निमित्त उत्पन्न हुआ । उन्होने उसका वर्धन कर ध्यानपञ्चक को प्राप्त कर, ध्यान के पदस्थान विपश्यना का अभ्यास कर अर्हत्व प्राप्त किया ।

अविराथेत्वा चतारो कसिणदोसे परिहन्तेन कसिणं कातब्बं । नील-पीत-लोहित-ओदात-सम्भेदवसेन हि चतारो पथवीकसिणदोसा । तस्मा नीलादिवण्णं मत्तिकं अगगहेत्वा गङ्गावहे मत्तिकासदिसाय अरुणवण्णाय मत्तिकाय कसिणं कातब्बं । तं च खो विहारमञ्जे सामणेरादीनं सञ्चरणद्वाने न कातब्बं । विहारपच्चने पन पटिच्छन्नद्वाने पब्बारे वा पण्णसालाय वा संहारिमं वा तत्रटुकं वा कातब्बं ।

तत्र संहारिमं चतुसु दण्डकेसु पिलोतिकं वा चम्मं वा कटसारकं वा बन्धित्वा तथ अपनीतिणमूलसक्खरकथलिकाय सुमदिताय मत्तिकाय वुत्पमाणं वट्टु लिप्पेत्वा कातब्बं । तं परिकम्पकाले भूमियं अत्थरित्वा ओलोकेतब्बं । तत्रटुकं भूमियं पदुमकण्णिकाकारेन खाणुके आकोटेत्वा वल्लीहि विनन्धित्वा कातब्बं । यदि सा मत्तिका नप्होति, अथो अञ्जं पकिखपित्वा उपरिभागे सुपरिसोधिताय अरुणवण्णाय मत्तिकाय विदत्थचतुरङ्गुलवित्थारं वट्टु कातब्बं । एतदेव हि पमाणं सन्ध्याय—“सुप्पमते वा सरावमते वा” ति वुत्तं । “सान्तके नो अनन्तके” ति आदि पनस्स परिच्छेदत्थाय वुत्तं ।

९. तस्मा एवं वुत्पमाणपरिच्छेदं कत्वा रुक्खपणिका विसभागवण्णं समुद्घेति, तस्मा तं अगगहेत्वा—पासाणपणिकाय धंसेत्वा समं भेरीतलसदिसं कत्वा तं ठानं सम्पज्जित्वा नहात्वा आगन्त्वा कसिणमण्डलतो अद्वृतेय्यहत्थन्तरे पदेसे पञ्जते विदत्थचतुरङ्गुलपादके सुअत्थते पीठे निसीदितब्बं । ततो दूरतरे निसिन्नस्स हि कसिणं न उपट्टुति, आसन्नतरे कसिणदोसा पञ्जायन्ति । उच्चतरे निसिन्नेन गीवं ओनमित्वा ओलोकेतब्बं होति, नीचतरे जण्णुकानि रुजन्ति ।

८. किन्तु जो पूर्वजन्म का सुकृत न होने से, अकृताधिकारी है, उसे आचार्य के समीप स्त्रीये गये कर्मस्थान की विधि को भज्ञन करते हुए, कसिण के चार दोषों को दूर करते हुए कसिण बनाना चाहिये । नील, पीत, लोहित, अवदात भेद के अनुसार पृथ्वीकसिण के चार दोष होते हैं । इसलिये नील आदि वर्ण वाली मिट्टी को न लेकर गङ्गा के झोत की मिट्टी के समान अरुण रंग की मिट्टी से कसिण बनाना चाहिये, एवं उसे विहार में ऐसे स्थान पर नहीं बनाना चाहिये जहाँ श्रामणेर आदि इधर उधर घूमते रहते हों; अपितु विहार की सीमा पर स्थित किसी प्रक्षेप स्थान पर, पब्मार (=छज्जे) के नीचे, पर्णशाला में ले जाया जाने वाला या वही रहने वाला पृथ्वीकसिण बनाना चाहिये ।

(१) ले जाये जाने वाले कसिण को चार डण्डों में कपडा, चमड़ा या चटाई बाँधकर उस पर तुण, जड़, कंकड़ से रहित गूँथी तुई मिट्टी से, कहे गये परिमाण का गोला लीपकर बनाना चाहिये । परिकर्म (=ध्यान के प्राथमिक स्तर) के समय उसे भूमि पर रखकर देखना चाहिये । (२) वही रहने वाले को भूमि पर कमल की कर्णिका (=बाहरी आच्छादन) के आकार के खूंटे गाड़कर लताओं से बाँधकर बनाना चाहिये । यदि यह साफ की तुई मिट्टी पर्याप्त न हो, तो नीचे दूसरी मिट्टी डालकर ऊपर अच्छी तरह से साफ की तुई अरुण रंग की मिट्टी से एक बालिश्त चार अङ्गुल विस्तार वाला दृत बनाना चाहिये । इसी परिमाण के स्त्रिये ‘सुप्पमात्र या शरावमात्र’ कहा गया है । ‘सान्त, न कि अनन्त’ आदि उसकी सीमा के निर्धारण के लिये कहा गया है ।

९. अतः इस प्रकार कथित परिमाण का वृत्त बनाकर, क्योंकि कुचन्दन आदि वृक्ष की लकड़ी से बनी तुई पाणिका (=एक प्रकार का चम्पच) रंग को विपरीत (लाल) कर देती है, अतः उसे न लेकर पत्थर की पाणिका से धिसकर समतल, नगाढ़े के तले जैसा करके, उस स्थान को झाड़कर नहाने के बाद आकर कसिणमण्डल से ढाई हाथ की दूर पर बिछी तुई चार अङ्गुल के पायों वाली

१०. तस्मा खुत्तनयेनेव निसीदित्वा “अप्यसादा कामा” ति आदिना नयेन कामेसु आदीनवं पच्चवेक्षित्वा कामनिस्सरणे सञ्चदुक्खसमतिकमस्स उपायभूते नेकखम्मे जाताभिलासेन बुद्ध-धर्म-सङ्घगुणानुस्सरणेन पीतिपामोजं जनयित्वा “अयं दानि सा सञ्चबुद्ध-पच्चेकबुद्ध-अरियसावकेहि पटिपश्चा नेकखम्पपटिपदा” ति पटिपत्तिया सञ्चातगारवेन “अद्वा इमाय पटिपदाय पविवेकसुखरसस्स भागी भविस्सामी” ति उत्साहं जनयित्वा समेन आकरेन चक्रवूनि उम्मीलेत्वा निमित्तं गणहन्तेन भावेतब्बं ।

११. अतिडम्मीलयतो हि चक्रवू किलमति, मण्डलं च अतिविभूतं होति, तेनस्स निमित्तं नुप्यज्जति । अतिमन्दं उम्मीलयतो मण्डलं अविभूतं होति, चित्तं च लीनं होति, एवं पि निमित्तं नुप्यज्जति । तस्मा, आदासतले मुखनिमित्तदस्सिना विय, समेन आकरेन चक्रवूनि उम्मीलेत्वा निमित्तं गणहन्तेन भावेतब्बं ।

न वर्णो पच्चवेक्षितब्बो, न लक्खणं मनसि कातब्बं । अपि च—वर्णं अमुङ्गित्वा निस्सयसवणं कत्वा उत्सदवसेन पण्णतिधम्मे चित्ते पटुपेत्वा मनसि कातब्बं । पथवी, मही, मेदिनी, भूमि, वसुधा, वसुन्धरा ति आदीसु पथवीनामेसु यं इच्छति, यदस्स सञ्चानुकूलं होति, तं वत्तब्बं । अपि च ‘पथवी’ ति एतदेव नामं पाकटं, तस्मा पाकटवसेनेव ‘पथवी’, ‘पथवी’ ति भावेतब्बं । कालेन उम्मीलेत्वा कालेन निम्मीलेत्वा आवज्जितब्बं । याव उग्गहनिमित्तं नुप्यज्जति, ताव कालसर्तं पि कालसहस्सं पि ततो भिय्यो पि एतेनेव नयेन भावेतब्बं ।

चौकी (पीठ) पर बैठना चाहिये । उससे अधिक दूर पर बैठने वाले के लिये कसिण समीप नहीं रह पाता, और उससे अधिक पास बैठने पर कसिण के दोष दिखायी देने लगते हैं । इसी तरह उससे अधिक ऊँचाई पर बैठने पर गर्दन झुका कर देखना पड़ता है या उससे अधिक नीचे बैठने पर धुतने दुखने लगते हैं ।

१० अतः पूर्वक्त विधि से साढे तीन हाथ वाले परिमाण के प्रदेश में चार बालिस्त चौडे पीठ पर बैठकर “कामभोग अल्पस्वाद हैं” आदि प्रकार से कामनाओं के दोष का प्रत्यवेक्षण करते हुए, काम के निःसरण एवं समस्त दुःखों के समतिक्रमण के उपायस्वरूप निष्क्रमण (=ध्यान) के अभिलाषी को बुद्ध, धर्म, सह के गुण—स्मरणों द्वारा प्रीतिप्रामोदय उत्पत्त कर “यही वह सर्वबुद्ध, प्रत्येकबुद्ध, अहंत, श्रावकों द्वारा प्रतिपत्र निष्क्रमण भार्ग है”—यों विचार करते हुए प्रतिपत्ति के प्रति गौरव करते हुए “अवश्य ही इस प्रतिपत्ति से एकान्त भुख के रस का भागी बनौगा” इस प्रकार उत्साह उत्पत्त कर, सामान्य ढंग से आँखें खोलकर निमित्त का ग्रहण करते हुए भावना करनी चाहिये ।

११. क्योंकि अधिक खोलने से आँख थक जाती है, मण्डल भी बहुत अधिक स्पष्ट हो जाता है, इस लिये इसे निमित्त नहीं उत्पत्त होता । बहुत कम खोलने से मण्डल अस्पष्ट होता है और दित्त भी अलसाथा सा रहता है, अतः इस प्रकार भी निमित्त उत्पत्त नहीं होता । इसलिये दर्पण के तल में मुख की प्रतिच्छवि देखने वाले के समान, सामान्य ढंग से आँखें खोलकर निमित्त का ग्रहण करते हुए भावना करनी चाहिये । न वर्ण का प्रत्यवेक्षण करना चाहिये, न लक्षण को मन में लाना चाहिये । साथ ही, ध्यान में वर्ण को न छोड़ते हुए, आधार कसिण की वर्ण के अनुकूल भावना करते हुए प्रमुखतः प्रज्ञाधर्म में दित्त को स्थापित कर मन में स्त्रे आना चाहिये । पृथ्वी, मही, मेदिनी, भूमि, वसुधा, वसुन्धरा आदि पृथ्वी के नामों में जिसे वह चाहे, जो उसकी संज्ञा (=चेतना) के अनुकूल हो, उसका उच्चारण करना चाहिये । फिर भी ‘पृथ्वी’—यही नाम सरल है, अतः सरलता के कारण ‘पृथ्वी’,

१२. तत्सेवं भावयतो यदा निम्मीलेत्वा आवज्जन्तस्स उम्मीलितकाले विय आपाथं आगच्छति, तदा उग्रहनिमित्तं जातं नाम हेति । तस्य जातकालतो पट्टाथं न तर्स्मि ठाने निशीदितब्बं । अत्त्वा वसनद्वानं पविसित्वा तथं निस्त्रेन भावेतब्बं । पादैधोवनपथश्चपरिहारत्थं पनस्स एकपटलिकुपाहना च कत्तरदण्डो च इच्छितब्बो । अथानेन सचे तरुणो समाधि केनचिदेव असप्यायकारणेन नस्ति, उपाहना आरुहं कत्तरदण्डं गहेत्वा तं ठानं गन्त्वा निमित्तं आदाय आगन्त्वा सुखनिस्त्रेन भावेतब्बं, पुनर्पुनं समन्वाहरितब्बं, तक्षाहतं वितक्षाहतं कातब्बं ।

तस्य एवं करोन्तस्स अनुक्तमेन नीवरणानि विक्खम्भन्ति, किलेसा सन्त्रिसीदन्ति, उपचारसमाधिना चित्तं समाधियति, पटिभागनिमित्तं उप्पज्जति ।

१३. तत्रायं पुरिमस्स च उग्रहनिमित्तस्स इमस्स च विसेसो—उग्रहनिमित्ते कसिणदोसो पञ्जायति । पटिभागनिमित्तं थविकतो नीहटादासमण्डलं विय सुधोतसङ्घधालं विय चलाहकन्तरा निकखन्तचन्दमण्डलं विय, मेघमुखे बलाका विय, उग्रहनिमित्तं पदालेत्वा निकखन्तभिव ततो सतपुणं सहस्रगुणं सुपरिसुद्धं हुत्वा उपद्वाति । तं च खो नेव वण्णकत्तं, न सणठानवन्तं । यदि हि तं ईदिसं भवेत्य, चक्खुविज्ञेयं सिया ओळारिकं सम्मसनूपं तिलविषणब्बाहतं । न पनेतं तदिसं । केवलं हि समाधिलाभिनो उपद्वानकारमतं सञ्जजमेति ।

‘पृथ्वी’—इस प्रकार ही भावना करनी चाहिये । कुछ देर आँखे खोलकर तो कुछ देर बन्द करके निरीक्षण—मनन करते रहना चाहिये । जब तक उद्ग्रहण—निमित्त उत्पन्न नहीं हो जाता, तब तक इसी विधि से सौ बार, हजार बार या उससे भी अधिक बार भावना करनी चाहिये ।

१२. उसके इस प्रकार भावना करते रहने पर, जब उसे आँखे बन्द करके मनन करने पर आँखें खुली रहने के समय के ऊसा ही निमित्त स्पष्ट रूप से दिखायी देने लगे तब समझना चाहिये कि उद्ग्रह—निमित्त उत्पन्न हो गया । उसके उत्पन्न हो जाने के समय से उस स्थान पर नहीं बैठना चाहिये । अपने निवासस्थान में प्रवेश कर वहाँ बैठ कर भावना करनी चाहिये । पैर धोने के सङ्कट से बचने के लिये यदि इसके पास एक पैरों को ढंकने वाला जूता और एक छड़ी हो तो अच्छा है । एव यदि इसकी तरुण ($=$ नवोदित) समाधि किसी भी प्रतिकूल कारण से नष्ट हो जाती है तो जूता पहन कर छड़ी लेकर उस स्थान पर जाकर निमित्त को लेकर फिर आकर सुखपूर्वक बैठकर ही भावना करनी चाहिये, पुनः पुनः ध्यान करना चाहिये, तर्क—वितर्क करना चाहिये ।

ऐसा करते रहने पर उसके नीवरण क्रमशः दूर हो जाते हैं, कलेश बैठ ($=$ दब) जाते हैं, उपचारसमाधि द्वारा चित्त समाहित हो जाता है (एवं) प्रतिभागनिमित्त ($=$ कसिणमण्डल के बराबर परिशुद्ध, वैसा ही निमित्त) उत्पन्न होता है ।

१३. पहले के उस उद्ग्रहनिमित्त और इस प्रतिभागनिमित्त में यह अन्तर है—उद्ग्रहनिमित्त में कसिण का दोष जान पड़ता है । किन्तु प्रतिभागनिमित्त खोली में से निकाले गये गोलाकार दर्पण के समान, सीप से बनायी गयी थाली के समान, बादलों के बीच से निकले चन्दमण्डल के समान, मेघों के बांध बलाका ($=$ बगुले) के समान प्रभास्तर, उद्ग्रहनिमित्त को भेदकर निकलते हुए के समान उस उद्ग्रहनिमित्त से सौ गुना, हजार गुना परिशुद्ध रूप में प्रतीत होता है । और वह भी न तो रंग के साथ, न संस्थान ($=$ आकृति) के साथ । यदि वह ऐसा न भी हो तो आँखों से जान होने योग्य, स्थूल, पकड़ने

उपश्मकालतो च पनस्स पद्माय नीवरणानि विक्रमभितानेव होन्ति, किलेसा सन्त्रिसिन्ना व, उपचारसमाधिना चित्तं समाहितमेवा ति ।

१४. दुविधो हि समाधि—उपचारसमाधि च, अप्पनासमाधि च । द्वीहाकारेहि चित्तं समाधियति—उपचारभूमियं वा, पटिलाभभूमियं वा । तथ्य उपचारभूमियं नीवरणप्यहनेन चित्तं समाहितं होति, पटिलाभभूमियं अङ्गपातुभावेन ।

१५. द्विनं पन समाधीनं इदं नानाकरणं—उपचारे अङ्गानि न थामजातानि होन्ति । अङ्गानं अथामजातता यथा नाम दहरो कुमारको उक्खिपित्वा ठपियमानो पुनप्युनं भूमियं पतति; एमेव उपचारे उप्पन्ने चित्तं कालेन निमित्तं आरम्भणं करोति, कालेन भवद्वं ओतरति । अप्पनायं पन अङ्गानि थामजातानि होन्ति । तेसं थामजातता यथा नाम बलवा पुरिसो आसना बुद्धाय दिवसं पि तिष्ठेत्य, एवमेव अप्पनासमाधिम्हि उप्पन्ने चित्तं सकिं भवद्वबारं छिन्दित्वा केवलं पि दिवसं तिष्ठति । कुसलाजवनपटिपाटिवसेनेव पवतती ति ।

तत्र यदेत उपचारसमाधिना सद्धिं पटिभागनिमित्तं उप्पन्नं, तस्स उप्पादनं नाम अतिदुक्करं । तस्मा सचे तेनेव पलङ्गेन तं निमित्तं वद्वेत्वा अप्पनं अधिगन्तुं सकोति, सुन्दरं । नो चे सकोति, अथानेन तं निमित्तं अप्पमत्तेन चक्रवत्तिगच्छेः विथ रक्खितब्बं । एवं हि—

निमित्तं रक्खतो लद्धपरिहनि न विज्ञति ।

आरक्खम्हि असन्तर्म्हि लद्धं लद्धं विनस्सति ॥

योग्य, तीन लक्षणो (अनित्य, दुख, अनात्म) से युक्त हो । किन्तु वह ऐसा नहीं होता । केवल समाधि के लाभी को ही प्रतीत आकारमात्र ज्ञात होता है । इसके उत्पन्न होने के समय से ही उस (भिन्न) के नीवरण अवरुद्ध ही होते हैं, कलेश भी दबे हुए ही रहते हैं एवं चित्त उपचारसमाधि से समाहित ही हुआ करता है ।

समाधि के प्रकार (=भेद)

१४. समाधि द्विविध होती है— १. उपचारसमाधि एवं २. अर्पणासमाधि । दो प्रकार से चित्त समाहित होता है—उपचारभूमि मे (=उपचार की अवस्था मे) या प्रतिलाभ (ध्यान-प्राप्ति) की भूमि मे । इनमे, उपचार-भूमि मे नीवरणप्रहाण से चित्त समाहित होता है और प्रतिलाभ-भूमि मे ध्यान अङ्गों के प्रकट होने से ।

१५. दोनों समाधियों मे यह अन्तर है—उपचारावस्था मे अङ्गभावना बल द्वारा सबल अर्थात् स्थिर नहीं होते । अङ्गों के सबल न होने से—जैसे कि कोई छोटा बच्चा उठकर खड़ा होने पर भी बार बार भूमि पर गिर पड़ता है, ऐसे ही उपचार के उत्पन्न होने पर चित्त कभी निमित्त का आलम्बन करता है तो कभी भवद्वं मे उठकर जाता है । किन्तु अर्पणा मे अङ्ग भवल होते हैं । उनकी सबलता से—जैसे कोई बलवान् पुरुष आसन से उठकर पूरे दिन भर खड़ा रह सकता है, वैसे ही अर्पणासमाधि उत्पन्न होने पर चित्त एक बार भवद्वं के प्रवाह को रोककर पूरी रात व पूरे दिन भी बना रहता है । वह कुशल ज्वनचित की पद्धति के अनुसार ही प्रवर्तित होता है ।

यह जो उपचार-समाधि के साथ प्रतिभाग (अनुकूल) निमित्त उत्पन्न होता है, उसका उत्पन्न होना बहुत कठिन है । इसलिये यदि उसी पर्यङ्क (=आसन) से उस निमित्त का वर्धन करते हुए अर्पणा को पा सके तो बहुत अच्छा हो । यदि ऐसा न कर पावे तो उसे उस निमित्त की अप्रमाद के साथ चक्रवर्ती के गर्भ के समान रक्षा करनी चाहिये । क्योंकि इस प्रकार—

प्राप निमित्त की रक्षा करते हुए हानि नहीं होती, किन्तु रक्षा न करने पर हर बार प्राप किया हुआ निमित्त विनष्ट हो जाता है ॥

सत्तसप्पायसेवनकथा

१६. तत्रायं रक्खणविधि—

आवासो, गोचरो, भस्से, पुगलो, भोजनं, उतु ।
 इरियापथो ति सत्तेरे असप्पाये विवज्जये ॥
 सप्पाये सत्त सेवेथ, एवं हि पटिपञ्जतो ।
 नचिरेनेव कालेन होति कस्तचि अप्पना ॥

(१) तत्रस्स यस्मि आवासे वसन्तस्स अनुप्पत्रं वा निमित्तं नुपञ्जति, उपन्नं वा विनस्ति, अनुपढिता च सति न उपढाति, असमाहितं च चित्तं न समाधियति, अयं असप्पायो । यत्थ निमित्तं उपञ्जति चेव थावरं च होति, सति उपढाति, चित्तं समाधियति नागपञ्चतवासि-पधानियतिसत्येरस्स विय, अयं सप्पायो । तस्मा यस्मि विहारे बहू आवासा होन्ति, तत्थ एकमेकर्स्मि तीणि तीणि दिवसानि वसित्वा यत्थस्स चित्तं एकगं होति, तत्थ वसितब्बं । आवाससप्पायताय हि तम्बपणिणदीपमिह चूळनागलेणे वसन्ता तत्थेव कम्पद्वानं गहेत्वा पञ्चसता भिक्षु अरहतं पापुणिसु । सोतापन्नादीनं पन अञ्जतथ अरियभूमिं पत्वा तत्थ अरहतपत्तानं च गणना नत्थि । एवं अञ्जेसु पि चित्तलपञ्चतविहारादीसु ।

(२) गोचरगामो पन यो सेनासनतो उत्तरेन वा दक्षिणेन वा नातिदूरे दियडुकोसञ्च-न्तरे होति सुलभसम्पन्नभिक्खो, सो सप्पायो । विपरीतो असप्पायो ।

(३) भस्सं ति द्वात्तिंसतिरच्छानकथापरियापत्रं । तं हिस्स निमित्तन्तरप्रधानाय संवत्तति । दसकथावत्थुनिस्सतं सप्पायं, तं पि मत्ताय भावितब्बं ।

सात उपयुक्त सेवन

१६. वहाँ निमित्त की रक्षा करने की विधि इस प्रकार है—

१. आवास, २. गोचर, ३. वार्तालाप, ४. पुदगल, ५. भोजन, ६. ऋतु एवं ७ ईर्यापथ—हन सातों में किसी को भी, अनुपयुक्त होने पर, त्याग दे । और सात उपयुक्तों का सेवन करें । इस प्रकार योजना के अनुसार चलने पर किसी किसी को शीघ्र ही अर्पण की ग्रासि होती है ।

(१) इनमें, इसे जिस आवास में रहते हुए अनुपत्र निमित्त उत्पन्न न हो या उत्पन्न हुआ विनष्ट हो जाय, अनुपरिथित स्मृति उपरिथित न हो, असमाहित चित्त समाहित न हो, वह आवास अनुपयुक्त है । जहाँ नागपर्वत पर रहने वाले पधानिय तिस्स स्थविर के समान निमित्त उत्पत्र होता हो एवं स्थिर भी रहता हो, स्मृति उपरिथित रहती हो, चित्त एकाग्र होता हो वह उपयुक्त है । इसलिये जिस विहार में बहुत से आवास हों, वहाँ एक एक में तीन तीन दिन रहकर, इस प्रकार उनकी परीक्षा कर, जहाँ चित्त एकाग्र हो वहाँ रहना चाहिये । आवास के उपयुक्त होने से ताप्रणीं द्वीप (=लका) की चूळनाग नामक गुफा में रहते हुए वहीं कर्मस्थान ग्रहण कर पाँच सौ भिक्षुओं ने अर्हत्व प्राप्त किया । ऐसे त्रोतापन्न आदि की तो गणना ही नहीं है, जिन्होंने अन्यत्र आर्यमूर्मियों प्राप्त कर वहाँ अर्हत्व पाया । इसी प्रकार दूसरे चित्तल पर्वत के विहार आदि में भी समझें ।

(२) जो गोचर ग्राम शयनासन से उत्तर या दक्षिण की ओर, बहुत दूर नहीं, ढाई कोस के मात्र हो, जहाँ आसानी से भिक्षा मिले, वह उपयुक्त है । विपरीत अनुपयुक्त है ।

(३) वार्तालाप— वार्तालाप के व्यर्थ वार्तालाप (तिरच्छानकथा) के अन्तर्गत आनेवाला वार्तालाप अनुपयुक्त है, क्योंकि वह उसके निमित्त के अन्तर्धान का कारण होता है । दस कथावस्तु

(४) पुगलो पि अतिरच्छानकथिको सीलादिगुणसम्पत्रो, यं निस्साय असमाहितं वा चितं समाधियति, समाहितं वा चितं थिरतरं होति, एवरूपे सप्पायो । कायदल्लीबहुलो पन तिरच्छानकथिको असप्पायो । सो हि तं कहमोदकमिव अच्छं उदकं मलिनमेव करोति, तादिसं च आगम्म कोटपब्बतवासिदहरस्सेव समापत्ति पि नस्सति, पगेव निमित्तं ।

(५) भोजनं पन कस्सचि मधुरं, कस्सचि अम्बिलं सप्पायं होति ।

(६) उतु पि कस्सचि सीतो उज्जो सप्पायो हति । तस्मा यं भोजनं वा उतुं वा सेवनतस्स फासु होति, असमाहितं वा चितं समाधियति, समाहितं वा चितं थिरतरं होति, तं भोजनं सो च उतु सप्पायो । इतरं भोजनं इतरो च उतु असप्पायो ।

(७) इरियापथेषु पि कस्सचि चङ्गभो सप्पायो होति, कस्सचि सयनद्वाननिसज्जानं अञ्जतरो । तस्मा तं आवासं कियं तीणि दिवसानि उपपरिक्रिखत्वा यस्मिं इरियापथे असमाहितं वा चितं समाधियति, समाहितं वा चितं थिरतरं होति, सो सप्पायो । इतरो असप्पायो ति वेदितब्बो ।

इति इमं सत्तविधं असप्पायं वज्रेत्वा सप्पायं सेवितब्बं । एवं पटिप्रत्स्स हि निमित्तासेवनबहुलस्स नचिरेनेव कालेन होति कस्सचि अप्यना ।

दसविधं अप्यनाकोसलं

१७. यस्स पन एवं पि पटिपज्जतो न होति, तेन दसविधं अप्यनाकोसलं सम्पादतब्बं ।

(द३०८० नि० १, १४५; ३, ११३ आदि) पर आघृत वार्तालाप उपयुक्त है, किन्तु उसे मी सीमा मे ही होना चाहिये ।

(४) पुद्गल भी व्यर्थ की बातचीत न करने वाला, शील आदि गुणों से सम्पन्न, जिसके चलते असमाहित चित्त समाहित होता हो या समाहित चित्त और भी स्थिर होता हो—ऐसा उपयुक्त है । शारीर के ही पोषण में लगा रहने वाला और व्यर्थ की बकदास करने वाला अनुपयुक्त है, क्योंकि वह स्वच्छ जल को कीचड़ मिलै जल के समान, साधक को दूषित ही करता है । उसके सम्पर्क से कोटपर्वत नियासी तरुण के समान समापत्ति भी नष्ट हो जाती है, फिर निमित्त का तो कहना ही क्या!

(५) भोजन किसी के लिये मधुर, किसी के लिये खट्टा उपयुक्त होता है ।

(६) ऋतु मी किसी के लिये शीतल तो किसी के लिये उष्ण उपयुक्त होती है । इसलिये जिस भोजन या ऋतु का सेवन करने पर सुख मिले, असमाहित चित्त समाहित हो या समाहित चित्त और भी स्थिर हो, वही भोजन और ऋतु उपयुक्त है । इससे भिन्न भोजन एवं ऋतु अनुपयुक्त है ।

(७) ईर्यापथ मे भी किसी को चक्रमण उपयुक्त होता है तो किसी को सोने, खड़े होने, बैठने मे से कोई एक । इसलिये आवास के ही समान, तीन दिनों तक उसकी परीक्षा करने के पश्चात्, जिस ईर्यापथ मे असमाहित चित्त समाहित होता हो या समाहित चित्त और भी अधिक स्थिर होता हो, वही उपयुक्त है । इससे भिन्न को अनुपयुक्त जानना चाहिये ।

इस प्रकार इस सत्तविध अनुपयुक्त (असप्पाय) को छोड़कर उपयुक्त का सेवन करना चाहिये । इस प्रकार प्रतिपन्न एवं निमित्त का बहुलता से सेवन करने वाले किसी किसी साधक को शीघ्र से अर्पणा की प्राप्ति होती है ।

दस प्रकार का अर्पणाकौशल

१७ जिसे इस प्रकार प्रतिपन्न होने पर भी अर्पणा प्राप्त न होती हो, उसे दस प्रकार ॥

तत्रायं नयो—दसहाकारे हि अप्यनकोसलङ् इच्छितब्बं : १. वत्थुविसदकिरियतो, २. इन्द्रियसमतपटिपादनतो, ३. निमित्तकुसलतो, ४. यस्मि समये चित्तं पगगहेतब्बं तर्स्मि समये चित्तं पगगणहाति, ५. यस्मि समये चित्तं निगगहेतब्बं तर्स्मि समये चित्तं निगगणहाति, ६. यस्मि समये चित्तं सम्पहंसितब्बं तर्स्मि चित्तं सम्पहंसेति, ७. यस्मि समये चित्तं अज्ञुपेक्खितब्बं तर्स्मि समये चित्तं अज्ञुपेक्खति, ८. असमाहितपुण्गलपरिवज्जनतो, ९. समाहितपुण्गलसेवनतो, १०. तदधिमुक्तितो ति ।

(१) तत्थ वत्थुविसदकिरिया नाम अज्ञतिकबाहिरानं वत्थूनं विसदभावकरणं । यदा हिस्स केसनखलोमानि दीधानि होन्ति, सरोरं वा सेदमलग्नहितं, तदा अज्ञतिक वत्थु अविसदं होति अपरिसुद्धं । यदा पन अस्स चीवरं जिणणं किलिंडु दुग्गान्धं होति, सेनासनं वा उक्लापं होति, तदा बाहिरवत्थु अविसदं होति अपरिसुद्धं । अज्ञतिकबाहिरे च वत्थुमि अविसदे उपनेसु चित्तचेतसिकेसु जाणं पि अपरिसुद्धं होति, अपरिसुद्धानि दीपकपल्लिकवट्टि-तेलानि निस्साय उपन्नदीपसिखाय ओभासो विय । अपरिसुद्धेन च जाणेन सङ्घारे सम्पस्तो सङ्घारा पि आविभूता होन्ति, कम्भट्टानमनुयुज्ञतो कम्भट्टानं पि बुद्धि विरूलिंह वेपुलं न गच्छति । विसदे पन अज्ञतिकबाहिरे वत्थुमि उपनेसु चित्तचेतसिकेसु जाणं पि विसदं होति परिसुद्धं, परिसुद्धानि दीपकपल्लिकवट्टितेलानि निस्साय उपन्नदीपसिखाय ओभासो विय । परिसुद्धेन च जाणेन सङ्घारे सम्पस्तो सङ्घारा पि विभूता होन्ति, कम्भट्टानमनुयुज्ञतो कम्भट्टानं पि बुद्धि विरूलिंह वेपुलं गच्छति ।

अर्पणाकौशल का सम्पादन करना चाहिये । इसमें यह विधि है—दस प्रकार के अर्पणाकौशल प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिये—

(१) वस्तु को स्वच्छ करना, (२) इन्द्रियों का सन्तुलन (समत्व) बनाये रखना, (३) निमित्त मे कुशलता प्राप्त करना, (४) चित्त को प्रगृहीत रखने के समय प्रगृहीत रखना, (५) चित्त के निग्रह के समय उसका दमन करना, (६) चित्त को प्रफुल्ल रखने के समय उसका प्रफुल्ल रखना, (७) चित्त की उपेक्षा के समय उपेक्षा करना, (८) जो असमाहित चित्त हो ऐसे पुद्गल का त्याग करना, (९) समाहितचित्त पुद्गल का सेवन (=सम्पर्क) करना, (१०) उस समाधि के प्रति अधिमुक्ति (=निश्चय) करना ।

(१) इनमें, वस्तु को स्वच्छ करने से तात्पर्य है—आन्तरिक एवं बाह्य वस्तुओं को स्वच्छ करना । जैसे कि, जब इस साधक के बाल, नाखून, रोएं बढ़े हुए होते हैं या शरीर पसीने से मैला होता है, तब आन्तरिक वस्तु (मन) अस्वच्छ, अपरिशुद्ध होती है । जब उसका चीवर फटा-पुराना, गन्दा, दुर्गन्धयुक्त होता है या शथनासन गन्दा होता है, तब बाह्य वस्तु (शरीर) अस्वच्छ, अपरिशुद्ध होती है । जब आन्तरिक एवं बाह्य वस्तुएँ अस्वच्छ होती हैं, तब अपरिशुद्ध दीपक, बत्ती (एवं) तेल के आश्रय से उत्पन्न दीप-शिखा के प्रकाश के समान उत्पन्नचित्त-चैतसिकों में ज्ञान भी अपरिशुद्ध होता है । अपरिशुद्ध ज्ञान द्वारा समझने का प्रयास करने पर संस्कार ही स्पष्ट होते हैं, कर्मस्थान में लगने, कर्मस्थानवृद्धि, विकास एवं विपुलता को ग्राप नहीं होता । आन्तरिक एवं बाह्य वस्तुओं के स्वच्छ होने पर, उत्पन्न चित्त-चैतसिकों में ज्ञान भी, परिशुद्ध दीपक, बत्ती, तेल के आश्रय से उत्पन्न दीपशिखा के प्रकाश के समान स्वच्छ एवं परिशुद्ध होता है । परिशुद्ध ज्ञान द्वारा संस्कारों को समझने का प्रयास करने पर संस्कार भी स्पष्ट होते हैं, कर्मस्थान में लगने पर साधक कर्मस्थान की वृद्धि, विकास एवं विपुलता की ओर बढ़ता है ।

(२) इन्द्रियसमत्तपटियादने नाम सद्गुदीनं इन्द्रियानं समभावकरणं । सचे हिस्स सद्गुद्दियं बलवं होति इतरानि मन्दनि, ततो विरियिन्द्रियं पगगहकिचं, सतिन्द्रियं उपषट्टानकिचं, समाधिन्द्रियं अविक्षेपकिचं, पञ्जिन्द्रियं दस्सनकिचं कातुं न सकोति, तस्मा तं धम्मसभावपञ्चवेक्षणेन वा यथा वा भनसिकरोते बलवं जातं, तथा अभनसिकरेन हापेतब्बं । बङ्गलित्येरवत्थु (सं० २-३४१) चेत्य निदस्मनं । सचे पन विरियिन्द्रियं बलवं होति, अथ नेव सद्गुद्दियं अधिमोक्षकिचं कातुं सकोति, न इतरानि इतरकिच्चभेदं, तस्मा तं पस्सद्गुदिभावनाय हापेतब्बं । तत्रापि सोणात्येरवत्थु (विं० ३-२००) दस्सेतब्बं । एवं सेसेसु पि एकस्स बलवभावे सति इतरेसं अताना किञ्चेसु असमत्यता वेदितब्बा ।

विसेसतो पनेत्य सद्गुद्दानं समाधिविरियानं च समतं पसंसन्ति । बलवसद्गुदो हि मन्दपञ्जो मुद्दप्पसओ होति, अवत्थुर्स्मि पसीदति । बलवपञ्जो मन्दसद्गुदो केराटिकपक्षं भजति, भेसज्जसमुद्गुतो विय रोगो अतेकिच्छो होति । उभिन्नं समताय वत्थुर्स्मि येव पसीदति । बलवसमाधिं पन मन्दविरियं समाधिस्स कोसज्जपक्षता कोसज्जं अभिभवति । बलवविरियं मन्दसमाधिं विरियस्स उद्गुच्चपक्षता उद्गुच्चं अभिभवति । समाधिं पन विरियेन संयोजितो कोसज्जे पतितुं न लभति । विरियं समाधिना संयोजितं उद्गुच्चे पतितुं न लभति, तस्मा तदुभयं समं कातब्बं । उभयसमताय हि अप्पना होति ।

(२) इन्द्रियों में समत्व (=सन्तुलन) रखने का तात्पर्य है—श्रद्धा आदि इन्द्रियों को एक समान करना । यदि इस भिन्न की श्रद्धेन्द्रिय तो सबल हो परन्तु अन्य इन्द्रियों निर्बल हो तो वीर्येन्द्रिय पकड़ने (=प्रग्रह) का, स्मृतीन्द्रिय उपरिथत रहने का एवं समाधीन्द्रिय एकाग्रता (=अविक्षेप) का, प्रज्ञेन्द्रिय यथा भूत दर्शन का कार्य नहीं कर सकती, इसलिये उसे चाहिये कि धर्मों के स्वभाव का प्रत्यवेक्षण कर अथवा जैसे व्यान देने से वह इन्द्रिय सबल हुई हो, वैसे व्यान न देकर उसे कम करे, अन्य इन्द्रियों के समान स्थिति में ले आये । यहाँ वङ्गलित्य स्थविर की कथा (सं० २; ३४१) उदाहरण है^१ ।

यदि वीर्येन्द्रिय प्रबल होती है, तो न तो श्रद्धेन्द्रिय अधिमोक्ष (=दृढ़ निश्चय, संकल्प) का कार्य कर सकती है, न ही अन्य इन्द्रियों अन्य कार्य, इसलिये उसे प्रश्नविद्य आदि की भावना द्वारा कम करना चाहिये । यहाँ सोण स्थविर की कथा (विं० ३, २००) का उदाहरण देना चाहिये^२ इसी प्रकार शेष में से किसी एक के सबल होने पर अन्यों की अपने अपने कृत्यों में असमर्थता समझनी चाहिये ।

किन्तु यहाँ (=पाँचों इन्द्रियों में) विशेष रूप से श्रद्धा एवं प्रज्ञा, समाधि एवं वीर्य के समभाव की प्रशंसा की जाती है ।

(क) जिसमें श्रद्धा प्रबल और प्रज्ञा निर्बल है, वह 'मुग्ध प्रसन्न' विना सोचे—विचारे किसी पर श्रद्धा करता है ।

(ख) जिसमें प्रज्ञा प्रबल और श्रद्धा निर्बल होती है, वह शतता की ओर झुक जाता है एवं
१. "वङ्गलित्य श्वविर श्रद्धा की प्रबलता के कारण भगवान् के शरीर की शोभा पर ही मुग्ध रहने से व्यान—भावना नहीं कर सके । एक समय जब वह रोग से पीड़ित थे, तब भगवान् ने उन्हें वह उपदेश दिया—“दक्षाति! मेरे इस पूतीकाय को देखने से क्या लाभ? जो धर्म को देखता है, वही मुझे देखता है” ॥ तत्पक्षात् स्थविर ने सभी इन्द्रियों को एक समान कर अर्हत्वपदाया ।

२. सोण स्थविर ने वीर्य की प्रबलता के कारण, अर्हत्वप्राप्ति हेतु घोर श्रम करते हुए शरीर को धका डाला, पैरों में छाले पड़ गये, किन्तु उनका उत्साह कम नहीं हुआ । तब भगवान् ने उन्हे वीणा का दृष्टान्त देते हुए, अधिक वीर्य न करने का उपदेश दिया । तत्पक्षात् स्थविर ने, सभी इन्द्रियों को एक समान कर, अर्हत्व प्राप्त किया ।

अपि च—समाधिकमिकस्स बलवती पि सद्गा वद्वृति । एवं सदहन्तो ओकप्पेन्तो अप्पनं पापुणिस्सति । समाधिपञ्जासु पन समाधिकमिकस्स एकगता बलवती वद्वृति । एवं हि सो अप्पनं पापुणाति । विप्रस्सनाकमिकस्स पञ्जा बलवती वद्वृति । एवं हि सो लक्षणपटिवेष्टं पापुणाति । उभिन्नं पन समताय पि अप्पना होति येव । सति पन सब्बत्थ बलवती वद्वृति । सति हि चित्तं उद्घव्यपकिञ्चकानं सद्गाविरियेपञ्जानं वसेन उद्घव्यपाततो कोसञ्चपक्षेन च समाधिना कोसञ्चपाततो रक्षति, तस्मा सा लोणधूपनं विय सब्बव्यञ्जनेसु, सब्बकमिककमिकअमच्छो विय च सब्बराजकिञ्चेसु, सब्बत्थ इच्छतत्त्वा । सेनाह—“सति च पन सब्बत्थिका द्रुता भगवता । किं कारणा ? चित्तं हि सतिपटिसरणं, आरक्षपच्चुपद्वाना च सति, न विना सतिया चित्स्स पगगहनिगग्हो होति” ति ।

(३) निमित्तकोसलं नाम पथवीकसिणादिकस्स चित्तेकगगतानिमित्तस्स अकतस्स करणकोसलं, कतस्स च भावनाकोसलं, भावनाय लद्धस्स रक्खणकोसलं च, तं इध अधिष्ठेतं ।

(४) कथं च यस्मि समये चित्तं पगगहेतत्त्वं, तस्मि समये चित्तं पगगण्हाति ?

औषधि की प्रतिक्रिया से उत्पन्न हुए रोग के समान असाध्य होता है । दोनों की समता होने से वस्तु में ही श्रद्धा करता है ।

(ग) जिसमें समाधि सबल और वीर्य निर्बल होते हैं, वह आलस्य के वश में हो जाता है; क्योंकि समाधि आलस्य की पक्षधर है अर्थात् समाधि के अभ्यासी के लिये आलस्य के वशीभूत हो जाना सम्भव है ।

(घ) जिसमें वीर्य सबल एवं समाधि निर्बल होती है, वह औद्धत्य के वश में हो जाता है; क्योंकि वीर्य औद्धत्य का पक्षधर है ।

(ङ) किन्तु वीर्यसमृक्त समाधि का आलस्य में पतन नहीं हो सकता, समाधिसमृक्त वीर्य का औद्धत्य में पतन नहीं हो सकता, अतः उन दोनों को सम करना चाहिये । दोनों की समता से ही अर्पणा होती है ।

इसके अतिरिक्त, समाधि के अभ्यासी में श्रद्धा सबल होनी चाहिये, क्योंकि इस प्रकार श्रद्धा और विश्वास करने से ही वह अर्पणा को प्राप्त करेगा । समाधि और प्रज्ञा में—समाधि के अभ्यासी में एकाग्रता सबल होनी चाहिये । इसी से वह अर्पणा को प्राप्त करता है । विपर्यया (प्रज्ञा) के अभ्यासी में प्रज्ञा सबल होनी चाहिये । इसी प्रकार वह लक्षणप्रतिवेष्ट (=अनित्य, दुःख, अनात्म—इन तीनों लक्षणों का ज्ञान) प्राप्त करेगा । एवं दोनों की समता से तो अर्पणा होती ही है । किन्तु स्मृति को तो सर्वत्र सबल रहना चाहिये । औद्धत्य—पक्षधर श्रद्धा, वीर्य एवं प्रज्ञा के कारण सम्मय औद्धत्य में पतित होने से एवं समाधि, क्योंकि आलस्य की पक्षधर है अतः, आलस्य में पतित होने से, चित्त की रक्षा स्मृति ही करती है । इसलिये सभी व्यक्तियाँ (खाद्य एवं धूप) में नमक के सहयोग (लोणधूपन) के समान एवं सभी राज्यकार्यों में प्रधानमन्त्री (सर्वकार्मिक अमात्य) के समान, वह स्मृति सर्वत्र वाऽच्छनीय है । इसलिये कहा गया है—“भगवान् ने स्मृति को सर्वार्थिका कहा है : क्यो? क्योकि स्मृति ही चित्त के लिये शरण है एवं स्मृति को रक्षा करने वाली के रूप में जाना जाता है ।” के अभाव में चित्त के पग्रह-निग्रह नहीं हुआ करते ।”

(३) निमित्त—कौशल का तात्पर्य है— १. चित्त की एकत्रिता के निमित्त पृथ्वीकसिण आदि, जो अभी तक नहीं किये गये हैं, उन्हें करने का कौशल, २. किये हुए की भावना करने का कौशल, एवं ३. भावना से प्राप्त हुए की रक्षा करने का कौशल (निपुणता) । यहाँ वही (अनित्य) अभिप्रैत है ।

यदास्स अतिसिथिलविरियतादीहि लीनं चित्तं होति, तदा पस्सद्विसम्बोज्जङ्गादयो तयो अभावेत्वा धर्मविचयसम्बोज्जङ्गादयो भावेति। युतं हेतं भगवता—

“सेव्यथापि, भिक्खुवे, पुरिसो परितं अग्गिं उज्जालेतुकामो अस्स, सो तत्थ अल्लानि चेव तिणानि पविष्टपेत्य, अल्लानि च गोमयानि पविष्टपेत्य, अल्लानि च कट्टानि पविष्टपेत्य, उदकवातं च ददेत्य, पंसुकेन च ओकिरेत्य, भब्बो नु खो सो, भिक्खुवे, पुरिसो पा तं अग्गिं उज्जालेतुं” ति? “नो हेतं, भन्ते”। “एवमेव खो, भिक्खुवे, यस्मिं समये लीनं चित्तं होति, अकालो तस्मिं समये पस्सद्विसम्बोज्जङ्गस्स भावनाय, अकालो समाधि....पे०....अकालो उपेक्खासम्बोज्जङ्गस्स भावनाय। तं किस्स हेतु? लीनं भिक्खुवे चित्तं, तं एतेहि धर्मेहि दुसमुद्गापयं होति। यस्मिं च खो, भिक्खुवे, लीनं चित्तं होति, कालो तस्मिं समये धर्मविचयसम्बोज्जङ्गस्स भावनाय, कालो विरियसम्बोज्जङ्गस्स भावनाय। तं किस्स हेतु? लीनं, भिक्खुवे, चित्तं, तं एतेहि धर्मेहि सुसमुद्गापयं होति।

“सेव्यथापि, भिक्खुवे, पुरिसो परितं अग्गिं उज्जालेतुकामो अस्स, सो तत्थ सुक्रान्नानि चेव तिणानि पविष्टपेत्य, सुक्रान्नानि च गोमयानि पविष्टपेत्य, सुक्रान्नानि च कट्टानि पविष्टपेत्य, मुखवातं च ददेत्य, न च पंसुकेन ओकिरेत्य, भब्बो नु खो सो, भिक्खुवे, पुरिसो परितं अग्गिं उज्जालेतुं”? ति “एवं भन्ते” (सं० ४-१०१)

एत्थं च यथासंक आहारवसेन धर्मविचयसम्बोज्जङ्गादीनं भावना वेदितव्या। युतं हेतं-

“अथि, भिक्खुवे, कुसलाकुसला धर्मा, सावज्ञानवज्ञा धर्मा, हीनप्पणीता धर्मा, कण्ठसुक्षसप्तिभागा धर्मा। तत्थ योनिसो मनसिकारबहुलीकारो, अयमाहारो अनुपश्चस्स

(४) यस्मिं समये चित्तं पर्याहितव्यं, तस्मिं समये चित्तं पर्याहितव्यं? (कैसे जिस प्रकार चित्त को पकड़कर रखना चाहिये, उस समय पकड़ कर रखता है?) जब इसका चित्त अत्यन्त दुर्बल तीर्थ आदि के कारण आलस्य से युक्त होता है, तब प्रश्नविचयसम्बोध्यङ्ग आदि लीन बोध्यङ्गों की भावना न कर धर्मविचयसम्बोध्यङ्ग की भावना करता है। क्योंकि मगवान् ने (संयुक्तनिकाय में) कहा भी है—

“मिशुओ, जैसे कोई पुरुष थोड़ी अग्नि जलाना चाहे और वह उसमें कुछ नमी लिये गीले तिनके, गीले कण्डे या गीली लकड़ियाँ ढाले, गीली हवा दे, अग्नि पर घूल बिखेर दे; तो क्या मिशुओ! वह पुरुष थोड़ी भी अग्नि जला पायगा?” “नहीं, भन्ते!” “इसी प्रकार, मिशुओ, जिस समय चित्त आलस्य से युक्त होता है, वह समय प्रश्नविचयसम्बोध्यङ्ग की भावना के लिये अनुपयुक्त है, समाधि....अनुपयुक्त है, उपेक्षा....अनुपयुक्त है। ऐसा क्यों? क्योंकि मिशुओ! आलस्ययुक्त चित्त को इन धर्मों के द्वारा जगाना कठिन होता है। मिशुओ, जिस समय चित्त आलस्ययुक्त होता है, वह समय धर्मविचयसम्बोध्यङ्ग भी भावना के लिये उपयुक्त है, प्रतिसंबोध्यङ्ग...उपयुक्त है। वह क्यों? क्योंकि आलस्ययुक्त चित्त को इन धर्मों द्वारा जगाना सम्भव है।

“मिशुओ, जैसे कोई पुरुष थोड़ी सी अग्नि जलाना चाहे और वह उसमें सूखे तिनके, सूखे कण्डे, सूखी लकड़ियाँ ढाले, मुख से हवा करे, घूल न बिखेरे, तो मिशुओ! क्या वह पुरुष थोड़ी अग्नि जला पायगा?” “हाँ भन्ते!”

यहाँ, प्रत्येक साधक को आहार के अनुसार धर्मविचयसम्बोध्यङ्ग आदि की भावना जाननी चाहिये, क्योंकि संमुक्तनिकाय में कहा गया है—“मिशुओ, कुशल एवं अकुशल धर्म सावद्य (=निन्दनीय)

वा धर्मविचयसम्बोज्ञङ्गस्स उप्पादाय, उप्पन्नस्स वा धर्मविचयसम्बोज्ञङ्गस्स भियोभावाय वेपुल्लाय भावनाय परिपूरिया संवत्तती" (सं० नि० ४-१४) ति।

तथा "अतिथि, भिक्खुवे, आरम्भधातु निक्षमधातु परक्षमधातु। तत्थ योनिसो मनसिकारबहुलीकारो, अथमाहारो अनुप्पन्नस्स वा विरियसम्बोज्ञङ्गस्स उप्पादाय, उप्पन्नस्स वा विरियसम्बोज्ञङ्गस्स भियोभावाय वेपुल्लाय भावनाय परिपूरिया संवत्तती" (सं० नि० ४-१४) ति।

तथा "अतिथि, भिक्खुवे, पीतिसम्बोज्ञङ्गद्वानिया धम्मा। तत्थ योनिसो मनसिकारबहुलीकारो, अथमाहारो अनुप्पन्नस्स वा पीतिसम्बोज्ञङ्गस्स उप्पादाय उप्पन्नस्स वा पीतिसम्बोज्ञङ्गस्स भियोभावाय वेपुल्लाय भावनाय परिपूरिया संवत्तती" (सं० नि० ४-१४) ति।

तत्थ सभावसामञ्जलस्त्वाणपटिवेधवसेन पवत्तमनसिकारो कुसलादीसु योनिसो मनसिकारो नाम। आरम्भधातुआदीनं उप्पादनवसेन पवत्तमनसिकारो आरम्भधातुआदीसु योनिसो मनसिकारो नाम। तत्थ आरम्भधातु ति पठमविरियं वुच्चति। निक्षमधातु ति कोसज्जतो निक्षणतत्ता ततो बलवतरं। परक्षमधातु ति परं ठानं अकमनतो ततो पि बलवतरं। पीतिसम्बोज्ञङ्गद्वानिया धम्मा ति पन पीतिया एव एतं नामं। तस्सापि उप्पादकमनसिकारो व योनिसो मनसिकारो नाम।

अपि च सत्त धम्मा धर्मविचयसम्बोज्ञङ्गस्य उप्पादाय संवत्तति—परिपूच्छकता, वर्त्थुविसदकिरिया, इन्द्रियसमत्पटिपादना, दुष्पञ्जपुगगलपरिवज्ञना, पञ्जवन्तपुगगलसेवना, गम्भीरजाणवरियपञ्चवेक्षणा, तदधिमुत्तता ति।

एव शुक्ल धर्म परस्पर विपरीत होते हैं। उनमें मलीभाँति अभ्यास किया गया जो योनिशोमनस्कार है, वही अनुप्पन्न धर्मविचयसम्बोध्यङ्ग के उत्पाद के लिये अथवा उत्पन्न धर्मविचयसम्बोध्यङ्ग की वृद्धि, विकास एवं भावना की परिपूर्णता के लिये आहार अर्थात् पोषक तत्त्व है।"

तथा—"मिक्षुओ, तीन धातु हैं—आरम्भधातु, निक्षमधातु, परक्षमधातु। उनमें जो भलीभाँति अभ्यास किया गया योनिशोमनस्कार है वही अनुप्पन्न शीर्यसम्बोध्यङ्ग की उत्पत्ति के लिये अथवा उत्पन्न शीर्यसम्बोध्यङ्ग की वृद्धि, विकास एवं भावना की परिपूर्णता के लिये आहार है।"

तथा—"मिक्षुओ, धर्म प्रीतिसम्बोध्यङ्गस्त्वानीय है। उनमें जो मलीभाँति अभ्यास किया गया योनिशोमनस्कार है, वही उत्पन्न प्रीतिसम्बोध्यङ्ग की वृद्धि, विकास एवं भावना की परिपूर्णता के लिये आहार है।"

वहाँ (= "अतिथि भिक्खुवे" आदि द्वारा दर्शित पालि मे) कुशल (धर्म) आदि स्वभाव, सामान्य लक्षण एवं प्रतिवेद के अनुसार प्रवृत्त मनस्कार को योनिशोमनस्कार कहते हैं। आरम्भ धातु आदि के उत्पाद के अनुसार प्रवृत्त मनस्कार को आरम्भ धातु आदि में योनिशोमनस्कार कहते हैं। उनमें, आरम्भधातु को प्रथम शीर्य कहा जाता है। निक्षमण धातु कौसीय से निक्षमण रूप होने के कारण उस आरम्भधातु से शी अधिक सबल है। परक्षम धातु कमिक परवर्ती स्तरों तक पहुँचने के कारण उस निक्षमणधातु से शी अधिक सबल है। प्रीतिसम्बोध्यङ्गस्त्वानीय धर्म स्वयं प्रीति ही है। एवं उसे उत्पन्न करने वाला मनस्कार ही योनिशोमनस्कार है।

इसके अतिरिक्त, (क) धर्मविचयसम्बोध्यङ्ग की उत्पत्ति के लिये सात धर्म हैं—(१) प्रश्न पूछना, (२) वस्तुओं को स्वच्छ रखना, (३) इन्द्रियों में सन्तुलन रखना, (४) मूर्ख व्यक्ति का त्याग, (५)

एकादस धम्मा विरियसम्बोज्जङ्गस्य उप्पादाय संवत्तन्ति—अपायादिभयपच्च-वेक्षणता, विरियायत्तलोकियतोकुत्तरविसेसाधिगमानिसंसदस्सिता, “बुद्धपच्चेकबुद्ध-महासावकेहि गतमग्गो मया गन्तब्बो, सो च न सक्का कुसीदेन गन्तु” ति एवं गमन-वीथिपच्चवेक्षणता, दायकानं महफलभावकरणेन पिण्डापच्चाथनता, “विरियारम्भस्स वण्णवादी मे सत्था, सो च अनतिक्रमनीयसासनो, अम्हाकं च बहूपकारो, पटिपतिया च पूजियमानो पूजितो होति, न इत्तथा” ति एवं सत्थु महापच्चवेक्षणता, “सद्गम्भसद्गम्भ मे महादायज्ञ गहेतब्बं, तं च न सक्का कुसीदेन गहेतुं” ति एवं दायज्ञमहत्तपच्चवेक्षणता, आलोकसञ्चामनसिकार-इरियापथपरिवत्तन-अब्बोकाससेवनादीहि थीनमिद्धविनोदनता, कुसीतपुगलपरिवज्जनता, आरद्धविरियपुगलसेवनता, सम्पर्यधानपच्चवेक्षणता, तदधि-मुत्तता ति ।

एकादस धम्मा पीतिसम्बोज्जङ्गस्स उप्पादाय संवत्तन्ति, बुद्धनुस्सति, धम्म.... सील.... चाग.... देवतानुस्सति, उपसमानुस्सति, लूखपुगलपरिवज्जनता, सिनिद्धपुगल-सेवनता, पसादनियसुत्तन्तपच्चवेक्षणता, तदधिमुत्तता ति ।

इति इमेहि आकारेहि एते धम्मे उप्पादेन्तो धम्मविचयसम्बोज्जङ्गादयो भावेति नाम । एवं “यस्मि समये चित्तं पग्गहेतब्बं तस्मि समये चित्तं पग्गण्हाति” ।

प्रजावान् व्यक्ति का सङ्ग (६) गम्भीर ज्ञान के अभ्यास के लिये क्षेत्र का प्रत्यवेक्षण एवं (७) उस धर्मविचय के प्रति अधिमुक्ति ।

(क) वीर्य सम्बोध्यज्ञ की उत्पत्ति के लिये ग्यारह धर्म हैं—(१) अपाय (=दुर्गति) आदि में भय देखना, (२) दीर्घ के द्वारा प्राप्त होने वाली लौकिक एवं लोकोत्तर विशिष्ट उपलक्ष्यों को लाभप्रद समझना, (३) “बुद्ध, प्रत्येकबुद्ध, महाश्रावक जिस मार्ग से गये उससे मुझे जाना चाहिये और उससे आलसी व्यक्ति नहीं जा सकता”—यो गमनमार्ग का प्रत्यवेक्षण करना, (४) “दाताओं को महान् फल प्राप्त हो”—इस भावना से भिक्षा का समादर करना, (५) “मेरे शास्ता वीर्यारम्भ की प्रशंसा करने वाले हैं एवं उनका शासन उल्लङ्घन करने योग्य नहीं है, हमारे लिये वह बहुत उपकारी है तथा ये प्रतिपत्ति (=आचरण) द्वारा पूजित होने पर ही पूजित होते हैं, अन्यथा नहीं”—इस प्रकार शास्ता के महत्त्व का प्रत्यवेक्षण करना, (६) “सद्दर्म नामक महान् उत्तराधिकार का मुझे ग्रहण करना चाहिये एवं उसे आलसी नहीं ग्रहण कर सकता”—इस प्रकार उत्तराधिकार के महत्त्व का प्रत्यवेक्षण करना, (७) आलोक संज्ञा को मन में लाना (मनस्कार), इर्यापथ में परिवर्तन एवं खुले स्थान के सेवन आदि द्वारा शारीरिक मानसिक आलस्य को दूर करना, (८) आलसी व्यक्ति के संसर्ग का त्याग, (९) उद्योगी व्यक्ति का सेवन (सम्पर्क), (१०) सत्यप्रधान (=आर्य अष्टाङ्गि मार्ग के अन्तर्गत छठे अङ्ग ‘सम्याव्यायाम’ का अधिवचन) का प्रत्यवेक्षण तथा (११) उस वीर्य के प्रति अधिमुक्ति ।

(ग) प्रीतिसम्बोध्यज्ञ के उत्पाद के लिये ग्यारह धर्म हैं—(१) बुद्धानुस्मृति, (२) धर्मानुस्मृति, (३) सङ्गानुस्मृति, (४) शीलानु..., (५) त्यागानु..., (६) देवतानु..., (७) उपशमानुस्मृति, (८-१०) रुक्ष (स्वभाव के) या द्विग्राघ व्यक्ति आदि के प्रति विश में अद्वा उत्पन्न करने वाले सूत्रों का प्रत्यवेक्षण तथा (११) उस प्रीति के प्रति अधिमुक्ति ।

इन आकारों से इन धर्मों को उत्पन्न करता हुआ धर्मविचयसम्बोध्यज्ञ आदि की भावना करता है ।

इस प्रकार “जिस समय चित्त को पकड़ना चाहिये, उस समय चित्त को पकड़ता है”—इस पालिपाठ का सङ्गमन हुआ ।

(५) कथं यस्मि समये चित्तं निगहेत्वं तरिमि समये चित्तं निगण्हाति ? यदास्स अचारद्वीरियतादीहि उद्धतं चित्तं होति, तदा धर्मविचयसम्बोज्ज्ञादयो तयो अभावेत्वा पस्सद्विसम्बोज्ज्ञादयो भावेति ।

बुतं हेतं भगवता—

“सेव्यधापि, भिक्खुवे, पुरिसो महन्तं अग्गिकछन्धं निष्पापेतुकामो अस्स, सो तत्थ सुखानि चेव तिणानि पक्षिखपेत्य....पे०....न च पंसुकेन ओकिरेत्य, भव्यो नु खो सो, भिक्खुवे, पुरिसो महन्तं अग्गिकछन्धं निष्पापेतुं” ति ? “नो हेतं, भन्ते !” “एवमेव खो, भिक्खुवे, यस्मिं समये उद्धतं चित्तं होति, अकालो तस्मि समये धर्मविचयसम्बोज्ज्ञाद्यस्स भावनाय, अकालो विरिय....पे०....अकालो पीतिसम्बोज्ज्ञाद्यस्य भावनाय । तं किस्स हेतु ? उद्धतं, भिक्खुवे, चित्तं, तं एतेहि धर्मेहि दुखप्रसमयं होति । यस्मिं च खो, भिक्खुवे, समये उद्धतं चित्तं होति, कालो तस्मि समये पस्सद्विसम्बोज्ज्ञाद्यस्स भावनाय, कालो उपेक्षासम्बोज्ज्ञाद्यस्स भावनाय । तं किस्स हेतु ? उद्धतं, भिक्खुवे, चित्तं, तं एतेहि धर्मेहि सुखप्रसमयं होति ।”

“सेव्यधापि, भिक्खुवे, पुरिसो महन्तं अग्गिकछन्धं निष्पापेतुकामो अस्स, सो तत्थ अलानि चेव तिणानि पक्षिखपेत्य....पे०....पंसुकेन च ओकिरेत्य, भव्यो नु खो सो, भिक्खुवे, पुरिसो महन्तं अग्गिकछन्धं निष्पापेतुं” ति ? “एवं भन्ते” (सं० ४-१०२) ति ।

एत्यापि यथासकं आहारवसेन पस्सद्विसम्बोज्ज्ञादीनं भावना वेदितव्या । बुतं हेतं भगवता—“अतिथि, भिक्खुवे, कायपस्सद्विचित्रप्रस्तद्धि । तत्थ योनिसो मनसिकार-बहुलीकारे, अयमाहारो अनुपत्रस्स वा पस्सद्विसम्बोज्ज्ञाद्यस्स उप्पादय, उपत्रस्स वा पस्सद्विसम्बोज्ज्ञाद्यस्स भिष्योभावाय वेपुलाय भावनाय पारिपुरिया संवत्तती” (सं० निं० ४-१५) ति ।

(५) कैसे “जिस समय चित्त का निग्रह करना चाहिये उस समय चित्त का निग्रह करता है” ? जब इस भिष्यु का चित्त अत्यधिक बीर्य आदि के कारण उद्धत होता है, तब धर्मविचयसम्बोध्यङ्ग आदि तीन सम्बोध्यङ्गों की भावना न कर प्रश्रविधिसम्बोध्यङ्ग की भावना करनी चाहिये । क्योंकि भगवान् ने कहा है—“भिष्युओ, जैसे कोई पुरुष अग्नि की विशाल राशि को बुझाना चाहे और वह उसमें सुखे हुए तिनके डाले...पूर्वपत्...उसपर धूल न डाले, तो क्या भिष्युओ ! अग्नि की उस विशाल राशि को वह बुझा सकेगा?” “नहीं, भन्ते !” “इसी प्रकार भिष्युओ, जिस समय चित्त उद्धत होता है, वह समय धर्मविचयसम्बोध्यङ्ग की भावना के लिये अनुपयुक्त है, बीर्य...प्रीति...अनुपयुक्त है । वह क्यों ? क्योंकि जो चित्त उद्धत है, वह इन धर्मों से शान्त होता है । भिष्युओ ! जिस समय चित्त उद्धत हो, वही समय प्रश्रविधिसम्बोध्यङ्ग की भावना के लिये उपयुक्त है, समाधि...उपेक्षा...उपयुक्त है । वह क्यों ? क्योंकि भिष्युओ ! जो चित्त उद्धत है वह इन धर्मों से शान्त होता है ।

“जैसे, भिष्युओ ! कोई पुरुष अग्नि की विशाल राशि को बुझाना चाहे और वह उसमें गीले तिनके डाले...पूर्वपत्...धूल बिखेर दे, तो क्या, भिष्युओ ! वह पुरुष अग्नि की विशाल राशि को बुझा पायगा?” “हाँ, भन्ते !”

यहाँ भी हर एक के लिये आहार के अनुसार प्रश्रविधिसम्बोध्यङ्ग की भावना जाननी चाहिये; क्योंकि संयुक्तिकाय में भगवान् ने यह कहा है—

‘भिष्युओ ! प्रश्रविधि दो है—कायप्रश्रविधि एव चित्तप्रश्रविधि । उनमें भलीभौति अभ्यास किया गया

तथा “अतिथि, भिक्खुवे, समर्थनिमित्तं अब्यग्ननिमित्तं। तत्थ योनिसो मनसिकारबहु-लीकारो, अयमाहारो अनुप्पत्रस्स वा समाधिसम्बोज्ञङ्गस्स उप्पादाय, उप्पत्रस्स वा समाधिस-म्बोज्ञङ्गस्स भिष्योभावाय वेपुलाय भावनाय पारिपूरिया संवत्तती” (सं० निं० ४-१५) ति।

तथा “अतिथि, भिक्खुवे, उपेक्खासम्बोज्ञङ्गटुनिया धम्मा। तत्थ योनिसो मनसि-कारबहुलीकारो, अयमाहारो अनुप्पत्रस्स वा उपेक्खासम्बोज्ञङ्गस्स उप्पादाय, उप्पत्रस्स वा उपेक्खासम्बोज्ञङ्गस्स भिष्योभावाय वेपुलाय भावनाय पारिपूरिया संवत्तती” (सं० निं० ४-१५) ति।

तत्थ यथास्स पस्सद्विआदयो उप्पत्रपुब्बा, तं आकारं सद्वक्खेत्वा तेसं उप्पादनवसेन पवत्तमनसिकारो व तीसु पि षदेसु योनिसो मनसिकारो नाम। समर्थनिमित्तं ति च समर्थस्सेवेतं अधिवचनं। अविक्खेपट्टेन च तस्सेव अब्यग्ननिमित्तं ति।

अपि च सत्त धम्मा पस्सद्विसम्बोज्ञङ्गस्स उप्पादाय संवत्तन्ति—पणीतभोजनसेवनता, उत्तुसुखसेवनता, इरियापथसुखसेवनता, मज्जतापयोगता, सारद्वकायपुगलपरिवज्जनता, पस्सद्वकायपुगलसेवनता, तदधिमुत्तता ति।

एकादस धम्मा समाधिसम्बोज्ञङ्गस्स उप्पादाय संवत्तन्ति—वत्थुविसद्ता, निमित्त-कुसलता, इन्द्रियसमतपटिपादनता, समये चित्तस्स निगगहणता, समये चित्तस्स पग्गहणता, निरस्सादस्स चित्तस्स सद्वासंवेगवसेन साप्हाहंसनता, सम्मापवत्तस्स अज्ञुपेक्खणता, जो योनिशोभनस्कार है, वह अनुप्तन्न प्रश्रव्विसम्बोध्यङ्ग की उत्पत्ति के लिये अथवा उत्पन्न प्रश्रव्विसम्बोध्यङ्ग की वृद्धि, विकास एव भावना की परिपूर्णता के लिये आहार है।”

तथा—“मिक्षुओ! शमर्थनिमित्त एवं अव्यग्ननिमित्त भी हैं। उनमें भलीभांति अभ्यास किया गया जो योनिशोभनस्कार है, वह अनुप्तन्न समाधिसम्बोध्यङ्ग की उत्पत्ति के लिए तथा उत्पन्न समाधिसम्बोध्यङ्ग की वृद्धि, विकास एवं भावना की परिपूर्णता के लिये आहार है।”

तथा—“मिक्षुओ! धर्म उपेक्खासम्बोध्यङ्गस्थानीय है। उनमें जो भलीभांति अभ्यास किया गया योनिशोभनस्कार है, वह अनुप्तन्न उपेक्खासम्बोध्यङ्ग की उत्पत्ति के लिये या उत्पन्न उपेक्खासम्बोध्यङ्ग की वृद्धि, विकास एवं भावना की परिपूर्णता के लिये आहार है।”

यहाँ “अतिथि, भिक्खुवे” आदि द्वारा दर्शित पालि में तीनों पदों (उदाहरणवाक्यों) में जो ‘योनिशोभनस्कार’ शब्द आया है, उस का तात्पर्य है—उसमें प्रश्रव्विआदि पूर्व समय में जिस प्रकार उत्पन्न हुए हैं, उस आकार, उपाय, विधि का निरीक्षण करते हुए, उनकी उत्पत्ति के अनुसार प्रवृत्त भनस्कार शमर्थनिमित्त शमर्थ का ही अधिवचन (र्याव) है। अविक्षेप के अर्थ में उसी शमर्थ का अधिवचन अव्यग्न—निमित्त है।

(क) प्रश्रव्विसम्बोध्यङ्ग की उत्पत्ति के लिये सात धर्म हैं—(१) उत्तम भोजन का सेवन, (२) सुखकर छठु का सेवन, (३) सुखकर ईर्यापथ का सेवन, (४) मध्यस्थ (=तटस्थ) रहना, (५) आकामक (-हिंसक, कोषी) प्रकृति के व्यक्तियों का त्वाग, (६) शान्त प्रकृति के व्यक्तियों की सेवा, (७) उस (प्रश्रव्विआ) के प्रति अधिमुक्ति।

(ख) समाधिसम्बोध्यङ्ग की भावना के लिये ग्यारह धर्म हैं—(१) वस्तुओं को स्वच्छ रखना,

असमाहितपुगलपरिवज्जनता, समाहितपुगलसेवनता, ज्ञानविमोक्षपच्चवेक्खणता, तदधिमुत्तता ति ।

पञ्च धम्मा उपेक्खासम्बोज्जङ्गस्स उप्पादाय संबत्तन्ति—सत्तमज्जत्तता, सङ्खार-मञ्जत्तता, सत्तसङ्खारकेलाथनपुगलपरिवज्जनता, सत्तसङ्खारमञ्जत्तपुगलसेवनता, तदधिमुत्तता ति । इति इमेहाकरोहि एते धम्मे उपादेनो पस्सद्विसम्बोज्जङ्गादयो भावेति नाम । एवं “यस्मि समयं चित्तं निग्नहेतत्त्वं तस्मि समये चित्तं निग्नण्हाति” ।

(६) कथं यस्मि समये चित्तं सम्पहंसितत्त्वं तस्मि समये चित्तं सम्पहंसेति? यदास्स पञ्जापयोगमन्दताय वा उपसमसुखानिधिगमेन वा निरस्सादं चित्तं होति, तदा न अटुसंवेगवत्थुपच्चवेक्खणेन संवेजेति । अटु संवेगवत्थूनि नाम—जाति-जरा-व्याधि-मरणानि चत्तारि, अपायदुक्खं पञ्चमं, अतीते बट्टमूलकं दुक्खं, अनागते बट्टमूलकं दुक्खं, पच्चुप्पत्रे आहारपरियेट्टिमूलकं दुक्खं ति । बुद्ध-धम्म-सङ्खगुणानुस्मरणेन चर्स सप्सादं जनेति । एवं “यस्मि समये चित्तं सम्पहंसितत्त्वं तस्मि समये चित्तं सम्पहंसेति” ।

(७) कथं यस्मि समये चित्तं अङ्गुष्ठेविखतत्त्वं तस्मि समये चित्तं अङ्गुष्ठे-वखति? यदास्स एवं पटिपञ्चतो अलीनं अनुद्धतं अनिरस्सादं आरम्मणे समप्पवत्तं समवीथि-

(२) निमित्त-कौशल, (३) इन्द्रियों में समत्व बनाये रखना, (४) उचित समय पर वित का निग्रह करना, (५) उचित समय पर वित का प्रग्रह करना, (६) उपेक्षायुक्त (=आस्वादरहित) वित को अद्वा एवं संवेग के द्वारा प्रफुल्कित करना, (७) जो ठीक तरह से घटित हो रहा हो, उसके प्रति उपेक्षा बनाये रखना, (८) असमाहित व्यक्ति का त्वाग, (९) समाहित व्यक्ति की सेवा, (१०) ध्यान एवं विमोक्ष का प्रत्यवेक्षण करना एवं (११) उस समाधि के प्रति अधिगुरुत्ति ।

(ग) उपेक्षासम्बोध्यज्ञ की उत्पत्ति के लिये पाँच धर्म है— (१) सभी प्राणियों के प्रति तटस्थता, (२) सभी संस्कारों के प्रति तटस्थता, (३) प्राणियों एवं संस्कारों के प्रति समत्व रखने वाले व्यक्तियों का त्वाग, (४) प्राणियों एवं संस्कारों के प्रति तटस्थ रहने वाले व्यक्तियों की सेवा, (५) उस (उपेक्षा) के प्रति अधिगुरुत्ति । ऐसे इन आकारों (उपायों) से इन धर्मों की उत्पत्ति करते हुए प्रश्रविधसम्बोध्यज्ञ आदि की भावना करता है । इस प्रकार—“जिस समय वित का निग्रह करना चाहिये उस समय वित का निग्रह करता है” (—इस वाक्याश का व्याख्यान पूर्ण दुआ) ।

(६) कैसे जिस समय वित को प्रफुल्कित (=प्रोत्साहित, समुत्तेजित) करना चाहिये, उस समय वित को प्रफुल्कित करता है? जब इस भिन्न का वित प्रज्ञा के अल्प प्रयोग के कारण या उपशम- (=शान्ति) सुख को प्राप्त न कर सकने के कारण अनश्वरा रहता है, तब वह साधक आठ संवेग-वस्तुओं के प्रत्यवेक्षण द्वारा इसे संवेगयुक्त (=उत्तेजित) करता है । वे आठ संवेग-वस्तु हैं— (१-४) जाति, जरा, व्याधि, मरण—ये चार, (५) अपाय-दुःख पाँचवीं (६) अतीतकाल में भव-चक्र में पड़ने से उत्पन्न दुःख, (७) अनागत काल में भव-चक्र में पड़ने से उत्पन्न हो सकने वाला दुःख एवं (८) प्रत्युत्पन्न काल में आहार की खोज से उत्पन्न दुःख । बुद्ध, धर्म एवं सङ्ख के स्मरण से इस वित में प्रसन्नता (प्रीति) उत्पन्न होती है । इस प्रकार—“जिस समय वित को प्रफुल्कित करना चाहिये उस समय वित को प्रफुल्कित करता है”— इस वाक्य का यह व्याख्या है ॥

(७) कैसे “जिस समय वित की उपेक्षा करनी चाहिये उस समय वित की उपेक्षा करता है”? जब इस प्रकार योजनानुसार चलते हुए उपेक्षा वित आलस्य एवं औद्दत्य से रहित, समाधि के

पटिपन्नं चित्तं होति, तदास्स पग्गहनिग्गहसम्बहंसनेसु न व्यापारं आपज्ञति, सारथि विय सम्पवत्तेसु अस्सेसु । एवं “यस्मि समये चित्तं अज्ञुपेक्षिखतब्दं तर्स्मि समये चित्तं अज्ञुपेक्षति” ।

(८) असमाहितपुग्गलपरिवज्जनता नाम नेकखम्पटिपदं अनारुद्धपुग्गानं अनेककिञ्चपसुतानं विकिञ्चतहृदयानं पुग्गलानं आरका परिच्छागो ।

(९) समाहितपुग्गलसेवनता नाम नेकखम्पटिपदं पटिपन्नानं समाधिलाभीनं पुग्गलानं कालेन कालं उपसङ्गमनं ।

(१०) तदधिमुक्तता नाम समाधिअधिमुक्तता, समाधिग्रु-समाधिनिश्च-समाधियोण-समाधिपञ्चारता ति अत्थो ।

एवमेत दसविधं अप्पनाकोसलं सम्पादेतब्दं ॥

१८. एवं हि सम्पादयतो अप्पनाकोसलं इमं ।

पटिलद्वे निमित्तस्मि अप्पना सम्पवत्तति ॥

एवं हि पटिपन्नस्स सचे सा नप्पवत्तति ।

तथा पि न जहे योगं वायमेथेव पण्डितो ॥

हित्वा हि सम्भावायामं विसेसं नाम भानवो ।

अधिगच्छे परितं पि ठानमेतं न विज्ञति ॥

आशादरहित, आलम्बन में समान रूप से प्रवृत्, शान्ति के भार्ग पर चलने वाला होता है, तब स भान भाल से चलने वाले थोड़े के विषय में सारथि के समान, इस भिशु को प्रग्रह, निग्रह, प्रफुक्ति करने आदि के व्यापार की आवश्यकता नहीं रहती। यह दुआ—“जिस समय चित्त की उपेक्षा करनी चाहिये, उस समय चित्त की उपेक्षा करता है” इस वाक्य का याख्यान।

(८) असमाहितपुग्गलपरिवज्जनता का तात्पर्य है—जिन्होने नैष्कार्यमार्ग पर चलना प्रारम्भ नहीं किया हो, जो अनेक कार्यों में लगे रहने वाले एवं विक्षिप्त चित्त वाले व्यक्ति हों, उनका दूर से ही परित्याग।

(९) समाहितपुग्गलसेवनता का तात्पर्य है—नैष्कार्य-भार्ग पर चलने वाले एवं समाधिप्राप्त सज्जनों के पास समय-समय पर जाते रहना।

(१०) तदधिमुक्तता का तात्पर्य है समाधि के प्रति अधिमुक्ति रखना, समाधि के प्रति गौरव रखना....प्रवृत्ति रखना, उसके प्रति रुक्मान एवं सुकाव रखना।

ऐसे दस प्रकार से अर्पणा—कौशल का सम्पादन करना चाहिये ॥

१८. इस प्रकार इस अर्पणाकौशल का सम्पादन करते हुए, प्राप्त निमित्त में अर्पणा उत्पन्न होती है।

इस भार्ग पर चलने वाले को भी यदि वह अर्पणाकौशल उत्पन्न न हो, तब भी पण्डित (=बुद्धिमान्) को चाहिये कि वह प्रयत्न करता रहे, योग को छोड़े नहीं ॥

क्योंकि कोई भी मनुष्य भलीभांति सम्यक् प्रयत्न किये विना थोड़ी—थोड़ी सी भी उपलब्धि कर ले—ऐसा सम्भव नहीं है ॥

अतः बुद्धिमान् व्यक्ति चित्त की प्रवृत्ति के आकार का निरीक्षण कर, सन्तुलित उद्योग के साथ पुनःपुनः चित्त को योग से युक्त करे ॥

चित्तप्रवर्त्तिआकारं तस्मा सल्लक्षयं बुधो ।
समतं विरियस्सेव योजयेथ पुनप्पुनं ॥
ईसकं पि लयं यन्तं पगणहेथेव मानसं ।
अच्चारद्दं निसेधेत्वा सममेव पवतये ॥

निमित्ताभिमुखपटिपादनं

रेणुमिह उप्पलदले सुते नावाय नाठिया ।
यथा मधुकरादीनं पवति सम्पवणिता ॥
लीन-उद्घतभावेहि मोचयित्वान सब्बसो ।
एवं निमित्ताभिमुखं मानसं पटिपादये ॥ ति ॥

१९. तत्रायं अत्थदीपना—यथा हि अछेको मधुकरो असुकस्मि रुक्खे पुण्कं पुण्कितं ति जत्वा तिक्खेन वेगेन पक्खन्दो तं अतिक्खमित्वा पटिनिवत्तेन्तो खीणे रेणुमिह सम्पापुणाति। अपरो अछेको भन्देन जवेन पक्खन्दो खीणे येव सम्पापुणाति। छेको पन समेन जवेन पक्खन्दो सुखेन पुफ्फरासिं सम्पत्वा यावदिच्छकं रेणुं आदाय मधुं सम्पादेत्वा मधुसं अनुभवति ।

यथा च सल्लक्षत्तअन्तेवासिकेसु उदकथालगते उप्पलपत्ते सत्थकम्मं सिक्खत्तेसु एको अछेको वेगेन सत्थं पातेन्तो उप्पलपत्तं द्विष्ठा वा छिन्दति, उदके वा पवेसेति । अपरो अथेको छिज्जनपवेसनभया सत्थकेन फुसितुं पि न विसहति । छेको पन समेन पयोगेन तत्थ सत्थप्पहारं दस्सेत्वा परियोदातसिप्पो हुत्वा तथारूपेसु ठानेसु कम्मं कत्वा लाभं लभति ।

अल्पमात्र भी आलस्य में पड़े हुए मन को पकड़ कर रखे, वीर्य के अतिरेक अत्यारम्भ को रोककर सन्तुलन बनाये रखे ॥

निमित्ताभिमुख प्रवृत्ति का प्रतिपादन

पराग, कमल, दल, सूत, नाव, व नाड़ी (फोंफी) में जैसे मधुमक्खी आदि की प्रवृत्ति वर्णित है, वैसे ही आलस्य—औद्धत्य भावों से मन को सर्वथा छुड़ा कर निमित्त की ओर लगाना चाहिये ॥

१९. उर्ता =उन “रेणुमिह” आदि दोनों गाथाओं के अर्थ की व्याख्या इस प्रकार है—जिस प्रकार कोई अनाडी (अकुशल) मधुमक्खी ‘अमुक वृक्ष पर फूल लगे हैं’ ऐसा जानकर तीव्र वेग से उड़ते हुए उस अभीष्ट फूल को लाँघ कर आगे चली जाती है, फिर पीछे लौटने पर पराग झर चुकने पर ही उस अभीष्ट पुष्प तक पहुँच पाती है, दूसरी अनाडी मधुमक्खी भी मन्द गति से उड़ते हुए पराग झर जाने पर ही पहुँच पाती है, किन्तु चतुर (=कुशल) समान गति से उड़ते हुए सुखपूर्वक फूलों के पास पहुँच कर इच्छानुसार पराग लेकर, मधु के स्वाद का आनन्द लेती है । (१)

और जैसे जल भरी शाली में रखे हुए कमल के पत्ते पर शस्त्रकर्म (=चीर-फाड़ करना) सीखने वाले शल्यक (=शल्यविकित्सक) के शिष्यों में से कोई अनाडी शिष्य तेजी के साथ शस्त्र चलाकर या तो कमल के पत्ते को दो शारों में काट डालता है, या फिर उसे जल में डुबा देता है, दूसरा अनाडी इस ढर से कि कहीं कट न जाय या जल में डूब न जाय, शस्त्र को छाय लगाने का भी साहस नहीं करता; पर चतुर शिष्य उस स्थिति में सन्तुलित प्रथास द्वारा शस्त्र-ग्रहार का प्रदर्शन कर, शिल्प (=शल्यकिया) में प्रवीणता दिखाता हुआ तदनुरूप परिस्थितियों में कार्य कर पुरस्कार पाता है । (२)

यथा च “यो चतुर्ब्यामप्पमाणं मङ्गटसुतं आहरति, सो चत्तारि सहस्रानि लभती” ति रज्जा युते एको अछेकपुरिसो वेगेन मङ्गटकसुतं आकडून्तो तहिं तहिं छिन्दति येव। अपरो अछेको छेदनभया हत्येन फुसितुं पि न विसहति। छेको पन कोटितो पद्माय समेन पयोगेन दण्डके वेषेत्वा आहरित्वा लाभं लभति।

यथा च अछेको नियामको बलववाते लङ्घारं पूरेतो नावं विदेसं पक्खन्दापेति। अपरो अछेको मन्दवाते लङ्घारं आरोपेन्तो नावं तत्थेव ठपेति। छेको पन मन्दवाते लङ्घारं पूरेत्वा बलववाते अहूलङ्घारं कत्वा सोत्थिना इच्छितद्वानं पापुणाति।

यथा च “यो तेलेन अछेडून्तो नालिं पूरेति, सो लाभं लभती” ति आचरियेन अनेवासिकानं युते एको अछेको लाभलुद्धो वेगेन पूरेतो तेलं छेडूति। अपरो तेलछडूनभया आसिञ्चितुं पि न विसहति। छेको पन समेन पयोगेन पूरेत्वा लाभं लभति।

एवमेव एको भिक्षु “उपन्ने निमित्ते सीधमेव अप्पनं पापुणिस्सामी” ति गाळ्हं विरियं करोति, तस्स चित्तं अच्चारद्विविरियता उद्धच्चे पतति, सो न सक्तोति अप्पनं पापुणितुं। एको अच्चारद्विविरियताय दोसं दिस्वा, ‘किं दानि मे अप्पनाया’ ति विरियं हापेति। तस्स चित्तं अतिलीनविरियता कोसज्जे पतति, सो पि न सक्तोति अप्पनं पापुणितुं। यो पन ईसकं पि लीनं लीनभावतो, उद्धतं उद्धच्चतो मोचेत्वा समेन पयोगेन निमित्ताभिमुखं पवर्ततेरि, सो अप्पनं पापुणाति। तादिसेन भवितब्बं।

और जैसे “जो चार व्याम (१ व्याम=६फुट) की लम्बाई वाले मकड़ी के सूत को लायगा वह चार हजार पायेगा!” इस प्रकार राजा द्वारा कहे जाने पर कोई अनाडी पुरुष तेजी से मकड़ी का सूत छींच कर निकालते हुए जहाँ तहाँ से तोड़ जालता है; दूसरा अनाडी टूट जाने के डर से हाथ लगाने का भी साहस नहीं करता, किन्तु चतुर पुरुष सन्तुलित प्रयास द्वारा किनारे से लेकर अन्त तक डण्डे ने सूत लपेट कर राजा के सामने लाकर पुरस्कार पाता है। (३)

और जैसे कोई अनाडी माँझी (नाविक-नियामक) तेज हवा में पाल तान कर नाव को दिरेश (गिलत जगह) में पहुँचा देता है, दूसरा अनाडी धीमी हवा में पाल उतार देता है जिससे नाव वहीं की वहीं ढहर जाती है, किन्तु चतुर माँझी धीमी हवा में पूरा पाल तान कर और तेज हवा में आधा पाल तानकर सुरक्षित रूप से अभीष्ट स्थान पर पहुँच जाता है। (४)

और जैसे “जो तेल को दिना गिराये उसे फोकी (शीशी) में भरेगा, वह पुरस्कार पायेगा”—इस प्रकार आचार्य द्वारा शिष्यों को सफेत किये जाने पर कोई अनाडी शिष्य, तेजी से भरते हुए, तेल गिरा देता है; दूसरा मुर्ख, शिष्य तेल गिर जाने के डर से तेल उड़ेलने का भी साहस नहीं करता, किन्तु चतुर शिष्य सन्तुलित प्रयास द्वारा कथित विधि से भरकर पुरस्कार पाता है। (५)

इसी प्रकार कोई भिक्षु “निमित्त उत्पन्न हो गया, अब शीघ्र ही अर्पणा को प्राप्त करौंगा”—इस प्रकार सोचकर दृढ़ उद्योग करता है। इस अत्यधिक उद्योग के कारण उसके चित्त का औद्धत्य में पतन हो जाता है, अतः वह अर्पणा प्राप्त नहीं कर पाता। दूसरा कोई अत्यधिक उद्योग में दोष देखकर “अब मुझे अर्पणा से क्या?”—ऐसा सोचकर उद्योग करना ही छोड़ देता है। यो, अत्यन्त उद्योग के कारण, उसके चित्त का कौसीद्य में पतन हो जाता है। वह भी अर्पणा प्राप्त नहीं कर पाता। किन्तु जो अत्यमात्र आलस्यापुरुष चित्त को आलस्य से उद्भूत चित्त को औद्धत्य से छुड़ाकर उसे सन्तुलित प्रयास द्वारा निमित्त की ओर प्रवृत्त करता है, वही अर्पणा प्राप्त कर पाता है। भिक्षु को ऐसा ही प्रयास करना चाहिये।

इममत्यं सन्धाय एतं ब्रुतं—

“रेणुम्हि उप्पलदले, सुते, नावाय, नालिया ।
यथा मधुकरादीनं पवत्ति सम्मवण्णिता ॥
लीनउद्गुतभावेहि मोचयित्वान सब्बसो ।
एवं निमित्ताभिमुखं मानसं पटिपादये ॥ ति ॥

पठमज्ञानकथा

२०. इति एवं निमित्ताभिमुखं मानसं पटिपादयतो पनस्स ‘इदनि अप्पना इज्जिसस्ती’ ति भवद्भं उपच्छिद्वित्वा ‘पथवी, पथवी’ ति अनुयोगवसेन उपद्वितं तदेव पथवीकसिणं आरम्भण क्रत्वा मनोद्वारावज्जनं उप्पज्जति । ततो तर्स्मि येवारम्भणे चत्तारि पञ्च वा जवनानि जवन्ति । तेसु अवसाने एकं रूपावचरं सेसानि कामावचरानि । पक्तिचित्तेहि बलवतरवितक्ष-विचारपीतिसुखचित्तेकगतानि यानि अप्पनाय परिकम्ता परिकम्मानी ति पि, यथा गामादीनं आसन्नपदेसो गामूपचारो नगरूपचारो ति बुच्चति, एवं अप्पनाय आसन्नता समीपचारिता वा उपचारानी ति पि, इतो पुम्बो परिकम्मानं, उपरि अप्पनाय च अनुलोमतो अनुलोमानी

इसी अर्थ के सन्दर्भ में (ऊपर) यह कहा गया है—‘रेणुम्हि...उप्पलदले...मानस पटिपादये’॥ (पराग में...वित लगाना चाहिये)।

प्रथमध्यान-वर्णन

२०. इस प्रकार निमित्त की ओर मन को प्रवृत्त करने वाले इस (भिक्षु) में ‘इसके बाद अर्पणा उत्पन्न होगी’—इस प्रकार भिक्षु की जानकारी में भवद्भं का उपच्छेद करके ‘पृथ्वी, पृथ्वी’ इस अनुपोग के अनुसार उपरिष्ठ उसी पृथ्वीकसिण को आलम्बन बनाकर मनोद्वारावर्जनं वित्त उत्पन्न होता है । तत्पश्चात् उसी आलम्बन में चार या पाँच जवनवित्त जवनं करते हैं । उनका अवसान होने पर एक रूपावचर एवं शेष कामावचरवित्त उत्पन्न होते हैं; जो कि साधारण वित्तों की अपेक्षा बलवत्तर वित्तक, विचार, प्रीति, सुख एवं एकाग्रता से युक्त होते हैं; जो कि अर्पणा के ‘परिकर्म’ होने से परिकर्म भी एवं जैसे ग्राम आदि का आसन्न प्रदेश या गामीपचार नगरोपचार कहा जाता है, वैसे ही अर्पणा के आसन्न या समीपवर्ती होने से ‘उपचार’ एवं फहले आने वाले परिकर्म के या बाद में आने वाली अर्पणा के अनुलोम (=अनुरूप) होने से ‘अनुलोम’ भी कहे जाते हैं । और जो इनमें से अनिम है वह

१. “भवस्स अङ्गं भवद्भं” भव के अङ्ग को ‘भवद्भं’ कहते हैं । अर्थात् उत्पत्तिभव की अविच्छिन्न प्रवृत्ति को भवद्भं कहते हैं । (द०—प०८०, पृ० १०४—१०५)

२. मनोद्वारावर्जन—वीथिसन्तति के पहले भवद्भसन्तति होती है । जब अभिनव आलम्बन अवभासित होता है तब उस भवद्भसन्तति को पुनः उत्पन्न होने से रोकने के लिये उसका अवरोध करना आवर्जन का कृत्य है । यह आवर्जन नवीन आलम्बन का ग्रहण करने के लिये वीथिसन्तति के उत्पाद हेतु घित्तसन्तति द्वो नवीन आलम्बन की तरफ जग्मित्यु करता है । चक्षुर्द्वार आदि पाँच (इन्द्रियों के) हाँरों में होने वाले आवर्जन को ‘मनोद्वारावर्जन’ कहते हैं । (द०—प०८०, पृ० १०५)

३. ‘जवतीति जवनं’—देव से गमन करना ‘जवन’ कहलाता है । जवनवित्त आहे एक बार उत्पन्न हो या अनेक बार, अर्थात् देवपूर्वक उत्पन्न होता है । आलम्बन का अनुभव करना या रस लेना जवन का कृत्य है । (द०—८० दी०, पृ० १०५)

४. ‘परिकर्मेति अप्प अभिसङ्कुरोतीति परिकर्म’—जो वित्त अर्पणा का अभिसङ्कार करता है वह ‘परिकर्म’ है, अर्थात् अर्पणा का उत्पाद करने वाला वित्त । (द०—विभा०, पृ० ११२)

५. अर्पणा के न समीप और न बहुत दूर वित्त को ‘उपचार’ कहते हैं । (द० विसु० महा०, प्र० भा०, पृ० ११२)।

ति पि बुच्चन्ति । यं चेत्थ सञ्जन्तिमं, तं परित्गोत्ताभिभवनतो महगगत्गोत्तभावनतो च गोत्रभूति पि बुच्चति ।

अग्रहितगगहणेन पनेत्थ पठमं परिकम्मं, दुतियं उपचारं, ततियं अनुलोमं, चतुर्थं गोत्रभूति । पठमं वा उपचारं, दुतियं अनुलोमं, ततियं गोत्रभूति, चतुर्थं पञ्चमं वा अप्पनाचितं । चतुर्थमेव हि पञ्चमं वा अप्पेति, तं च खो खिष्पाभिज्ज-दन्त्याभिज्जवसेन । ततो परं जवनं पतति, भवङ्गस्स वारो होति ।

२१. आधिधमिकगोदत्तत्येरो पन “पुरिमा पुरिमा कुसला धम्मा पच्छिमानं कुसलानं धम्मानं आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो” (अभिं० ७: १-८) ति इमं सुतं वत्वा “आसेवनपञ्चयेन पच्छिमो पच्छिमो धम्मो बलवा होति, तस्मा छट्टे पि सत्तमे पि अप्पना होती” ति आह । तं अटुकथासु “अत्तनो मतिमत्तं थेरस्सेतं” ति वत्वा पटिक्खितं ।

२२. चतुर्थपञ्चमेसु येव पन अप्पना होति, परतो जवनं पततिं नाम होति, भवङ्गस्स आसन्नता ति चुतं । तं एवं विचारेत्वा बुतता न सक्ता पटिक्खिपितुं । यथा हि पुरिसो छिनपपाताभिमुखो धावन्तो ठातुकामो पि परियते पादं कल्पा ठातुं न सकोति पपाते एव पतति, एवं छट्टे वा सत्तमे वा अप्पेतुं न सकोति, भवङ्गस्स आसन्नता । तस्मा चतुर्थपञ्चमेसु येव अप्पना होती ति वेदितव्या ।

२३. सा च पन एकचित्कदाणिका येव । सत्तसु हि ठानेसु अद्वानपरिच्छेदो नाम परित्र गोत्र को अभिभूत करने से एवं महद्रत गोत्र की भावना करने से ‘गोत्रभू’ भी कहा जाता है ।

(इन चार चित्तों में से प्रथम को परिकर्म, उपचार एवं अनुलोम—इन तीन नामों से कहा जा सकता है। द्वितीय एवं तृतीय चित्त को भी इन तीन नामों से कहा जा सकता है,) किन्तु गृहीत का ग्रहण न करते हुए (=युनरावृति से बचते हुए), प्रथम को ‘परिकर्म’, द्वितीय को ‘उपचार’, तृतीय को ‘अनुलोम’, चतुर्थ को ‘गोत्रभू’ कहा जाता है । अथवा, प्रथम को उपचार, द्वितीय को अनुलोम, तृतीय को गोत्रभू एवं चतुर्थ या पञ्चम को अर्पणाचित्त कहा जाता है । किंप्र अभिज्ञा एवं मन्द अभिज्ञा के अनुसार वह चतुर्थ या पञ्चम चित्त अर्पणा होता है । उसके बाद जवन का पात होता है, फिर भवङ्ग का अवसर आता है ।

२४. किन्तु आधिधर्मिक गोदत्त स्थविर “पूर्व-पूर्व के कुशल धर्म पञ्चात्-पञ्चात् के कुशल धर्मों के आसेवन प्रत्यय होने से प्रत्यय है” (अभिं० ७, १-८) इस सूत्र का उद्दरण देकर कहते हैं कि “आसेवन प्रत्यय से पञ्चात् का धर्म सबल होता है, इसलिये अर्पणा छढे और सातवें पर भी होती है!”

इस मत का अटुकथाओं में “वह स्थविर का अपना विचारमात्र है” कहकर खण्डन किया गया है ।

२२. कहा गया है कि “चौथे-पाँचवे में ही अर्पणा होती है । उसके बाद भवङ्ग की समीपता के कारण, जतन—पात होता है!” क्योंकि यह (मत) इस प्रकार विचार करने के बाद कहा गया है, अतः इसका खण्डन नहीं किया जा सकता । जिस प्रकार कोई व्यक्ति दूटे हुए तटवाले प्रपात की ओर दौड़ते हुए खड़े होने की इच्छा करने पर भी, किनारे पर पैर रखकर खड़ा नहीं हो पाता, प्रपात में गिर ही पड़ता है, उसी प्रकार चौथे पाँचवे में ही अर्पणा होती है—यही समझना चाहिये ।

^१ ‘गोत्र भवति अभिभवतीति गोत्रभू’ । अर्थात् पृथग्जन के गोत्र (=सत्कायदृष्टि एवं विचिकित्सा से सम्बुद्ध वित्तसन्तति) का अभिभव करने वाला वित्त ‘गोत्रभू’ है ।

नतिथ—पठमप्पनायं, लोकियाभिज्ञासु, चतुर्सु मगोसु, मगानन्तरे फले, रूपारूपभवेसु भवज्ञज्ञाने, निरोधस्स पच्ये नेवसञ्ज्ञानासञ्ज्ञायतने, निरोधा बुद्धहन्तस्स फलसमापत्तियं ति । एथ मगानन्तरं फलं तिण्यं उपरि न होति । निरोधस्स पच्ययो नेवसञ्ज्ञानासञ्ज्ञायतनं द्विष्टं उपरि न होति । रूपारूपेसु भवज्ञस्स परिमाणं नतिथ । सेसद्वानेसु एकमेव चित्तं ति । इति एकचित्कथणिका येव अप्यना, ततो भवज्ञपातो । अथ भवज्ञं बोच्छिन्दित्वा ज्ञानपच्यवेक्खणत्थाय आवज्ञानं, ततो ज्ञानपच्यवेक्खणं ति ।

२४. एतावता च पनेस “विविच्येव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितकं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति” (अभिं० १-४५) । एवमनेन पञ्चज्ञविष्पर्हीनं पञ्चज्ञसमन्वयतं तिविधकल्याणं दसलक्षणसम्पन्नं पठमं झानं अधिगतं होति पथशीकसिणं ।

२५. तत्थ विविच्येव कामेहि ति । कामेहि विविच्चित्वा, विना हुत्वा, अपक्रमित्वा । यो पनाथमेत्थ एवकारो, सो नियमत्थो ति वेदितब्बो । यस्मा च नियमत्थो, तस्मा तर्मिं पठमज्ञानं उपसम्पज्ज विहरणसमये अविज्ञानानानं पि कामानं तस्स पठमज्ञानस्स पटिपक्खभावं कामपरिच्छागेनेव चस्स अधिगमं दीपेति ।

कथं? ‘विविच्येव कामेहि’ ति एवं हि नियमे करियमाने इदं पञ्ज्ञायति—नूनमिमस्स ज्ञानस्स कामा पटिपक्खभूता येसु सति इदं नप्यवत्तति, अन्यकारे सति पदीयोभासो विय ।

२३. किन्तु यह अर्पणा एक चित्त-क्षण वाली ही होती है । सात स्थितियो (=स्थानों) में काल-परिच्छेद नहीं होता—प्रथम अर्पणा में, लौकिक अभिज्ञाओं में, चार मार्गों में, मार्ग के बाद फल में, रूप और अरूप भवों में होने वाले भवज्ञ ध्यान में, निरोधे के प्रत्यय—नैवसञ्ज्ञानसञ्ज्ञायतन में, निरोध से उठने वाले की फलसमाप्ति में । यहाँ, मार्ग के अनन्तर आने वाला फल संख्या में तीन चित्तों से अधिक नहीं होता । रूप और अरूप भवों में चित्तों की संख्या का परिमाण नहीं है । शेष स्थितियों में एक ही चित्त होता है । अतः अर्पणा एक चित्त-क्षण की ही होती है, तत्पश्चात् भवज्ञपात हो जाता है । तब भवज्ञ को रोक कर, ध्यान के प्रत्यवेक्षण के लिये आवर्जन होता है, तत्पश्चात् ध्यान का प्रत्यवेक्षण होता है ।

२४. यहाँ तक “विविच्येव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितकं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति” (अभिं० १-४५) । एवमनेन पञ्चज्ञविष्पर्हीनं पञ्चज्ञसमन्वयतं तिविधकल्याणं दसलक्षणसम्पन्नं पठमं झानं अधिगतं होति पथशीकसिण (कामो से विरहित अर्थात् वियुक्त) होकर ही और अकुशल धर्मों से विरहित होकर, वितर्क—विचार सहित विवेक से उत्पन्न प्रीति और सुखवाले प्रथम ध्यान को प्राप्त कर विहरता है” (अभिं० १-४५) । और वह पञ्चाङ्गविरहित, पञ्चाङ्गसमन्वित, तीन प्रकार से उत्तम, दस लक्षणों से सम्पन्न, पृथ्वीकसिण का प्रथम ध्यान प्राप्त कर चुका होता है । इस पालिपाठ का व्याख्यान हुआ ।

२५. इस ध्यान-पालि में विविच्येव कामेहि—“कामो से विरहित होकर ही”—कामो से वियुक्त होकर (उनके) विना होकर, दूर होकर । और यहाँ जो ‘एव’ (‘ही’) शब्द का प्रयोग किया गया है, उसे नियम के अर्थ में समझना चाहिये । चूंकि वह नियमार्थ है अतः यह सूचित करता है कि उस प्रथम ध्यान से युक्त होकर विहरने के समय, नहीं रहने वाले कामों का उस प्रथम ध्यान से तिरोध है, एव काम के परित्याग से ही उस प्रथम ध्यान की प्राप्ति होती है ।

तेसं परिच्छागेनेव चस्स अधिगमो होति, ओरिमतीरपरिच्छागेन पारिमतीरस्सेव, तस्मा नियमं करोती ति ।

तत्थ सिया—कस्मा पनेस पुब्बपदे येव वुत्तो, न उत्तरपदे ? किं अकुसलेहि धम्मेहि अविविच्चा पि ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरेत्या ति ? न खो पनेतं एवं दट्टब्बं । तंनिस्सरणतो हि पुब्बपदे एस वुत्तो । कामधातुसमतिक्रमनतो हि कामरागपटिपक्खतो च इदं ज्ञानं कामानमेव निस्सरणं । यथाह—“कामानमेतं निस्सरणं यदिदं नेकखम्मं” (दी० ३-२१२) ति ।

उत्तरपदे पि पन यथा—

“इथेव, भिक्षुव्वे, समणो, इथ दुतियो समणो” (म० १-१०) ति । एत्थ एवकारो आनेत्वा बुच्चति, एवं वत्तब्बो । न हि सक्का इतो अञ्जेहि पि नीक्षणसङ्कातेहि अकुसलेहि धम्मेहि अविविच्च ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरितुं । तस्मा “विविच्चेव कामेहि विविच्चेव अकुसलेहि धम्मेहि” ति एवं पदद्वये पि एस दट्टब्बो । पदद्वये पि च किञ्चापि ‘विविच्चा’ ति इमिना साधारणवचनेन तदङ्गविवेकादयो कायविवेकादयो च सब्बे पि विवेका सङ्गहं गच्छन्ति, तथा पि कायविवेको, चित्तविवेको, विक्खम्भनविवेको ति तयो एव इथ दट्टब्बा ।

२६. कामेही ति । इमिना पन पदेन ये च निहेसे “कतमे वत्थुकामः ? मनापिका रूपा” (खु० ४: १-१) ति आदिना नयेन वत्थुकामा वुत्ता, ये च तत्थेव विभद्धे च “छन्दो कामो, रागो कामो, छन्दरागो कामो, सङ्कृप्तरागो

कैसे? ‘कामो से वियुक्त होकर ही’—ऐसा निर्धारित करने पर यह ज्ञात होता है—अवश्य ही काम इस ध्यान के प्रतिपक्षरूप है, जिनके होने पर यह नहीं होता, अन्धकार एवं प्रकाश के समान, अर्थात् अन्धकार प्रकाश के समान, काम एवं ध्यान साथ—साथ नहीं रह सकते । एवं इस ओर के तट के परित्याग से ही उस ओर के तट की प्राप्ति के समान, उन कामों के परित्याग से ही इस प्रथम ध्यान की प्राप्ति होती है । अतः नियम किया गया है ।

वहाँ (=ध्यानसम्बन्धी पालि के विषय में) यह पूछा जा सकता है—“किसलिये यह (‘ही’=‘एव’ शब्द) पूर्व पद (पूर्व गद्याश “विविच्चेव कामेहि”) में ही कहा गया है, उत्तर पद में नहीं? क्या अकुशल धर्मों से दिरहित हुए विना भी ध्यान को प्राप्तकर विहार किया जा सकता है? ऐसा नहीं समझना चाहिये । उनसे (=कामधातु से) निःसरण के अर्थ में ही यह पूर्वपद में कहा गया है । कामधातु से समतिक्रमण रूप होने से, कामराग का प्रतिपक्षभूत होने से, यह ध्यान काम से ही निःसरण है । जैसा कि कहा है—“यह जो नैष्काम्य है यही कामों से निःसरण है” । कभी—कभी उत्तरपद में भी इस ‘एव’ का प्रयोग हुआ है । जैसा कि—“भिक्षुओ, यहाँ त्रमण है, यहाँ (ही) दूसरा त्रमण है” । यहाँ ‘एव’ (ही) लाकर (मानकर ही) कहा गया है—यही कहना चाहिये । यहाँ, नीवरणसङ्काक अन्य अकुशल धर्मों से रहित हुए विना ध्यान प्राप्त कर विहारना सम्भव नहीं है । इसलिये “कामो से विरहित होकर ही, अकुशल धर्मों से विरहित होकर ही”—इस प्रकार दोनों में इस ‘ही’ को समझना चाहिये । दोनों पदों में भी यद्यपि “विभक्त (=विरहित) होकर” इस सामान्य वचन से तदङ्गविवेक आदि और कायविवेक आदि सभी विवेक में संगृहीत हो जाते हैं; तथापि कायविवेक, विशिष्टविवेक एवं विष्कम्भणविवेक—तीनों को यहाँ समझना चाहिये ।

२६. कामेहि (कामो से)—इस पद से जो कि निहेस (=महानिहेस ग्रन्थ) में—“किन्तने वस्तुकाम (=वस्तु के रूप में काम) हैं? भन को प्रिय लगाने वाले (=मनाप) रूप” आदि प्रकार से वस्तुकाम कहे गये हैं और वहाँ तथा विभद्ध में “छन्द काम है, राग काम है, छन्द राग काम है, सङ्कल्प

कामो— इमे वुच्चन्ति कामा” (अभिं २-३०८) ति एवं किलेसकामा बुत्ता, ते सब्बे पि सङ्कहिता इच्छेव दट्टब्बा। एवं हि सति विविच्चेव कामेही ति ‘वत्थुकामेहि पि विविच्चेवा’ ति अथो युज्जति, तेन कायविवेको बुत्तो होति। विविच्च अकुसलेहि धम्मेही ति। किलेसकामेहि सब्बाकुसलेहि वा विविच्चा ति अथो युज्जति, तेन चितविवेको बुत्तो होति। पुरिमेन चेत्थ वत्थुकामेहि विवेकवचनतो एव कामसुखपरिच्चागो, दुतियेन किलेसकामेहि विवेकवचनतो नेकखम्मसुखपरिग्गहो विभावितो होति।

एवं वत्थुकामकिलेसकामविवेकवचनतोयेव च एतेसं पठमेन सङ्क्लिलेसवत्थुप्पहानं, दुतियेन सङ्क्लिलेसप्पहानं। पठमेन लोलाभावस्स हेतुपरिच्चागो, दुतियेन बालभावस्स। पठमेन च पयोगसुद्धि, दुतियेन आसयपोसनं विभावितं होती ति विज्ञातब्बं। एस ताव नयो कामेही ति एत्थ बुत्तकामेसु वत्थुकामपक्खे।

किलेसकामपक्खे पन छन्दो ति च रागो ति च एवमादीहि अनेकभेदो कामच्छन्दो येव कामो ति अधिष्ठेतो। सो च अकुसलपरियपत्रो पि समानो “तत्थ कतमो कामो? छन्दो कामो” (अभिं २-३०८) ति आदिना नयेन विभङ्गे ज्ञानपटिपक्खतो विसुं बुत्तो। किलेसकामत्ता वा पुरिमपदे बुत्तो, अकुसलपरियापत्रता दुतियपदे। अनेकभेदतो चस्स कामतो ति अवत्था कामेही ति बुत्तं।

अञ्जेसं पि च धम्मानं अकुसलभावे विज्ञमाने “तत्थ कतमे अकुसला धम्मा? काम है, राग काम है, सङ्कल्प राग काम है—इन्हें काम कहा जाता है”—इस प्रकार कलेशकाम कहे गये हैं, उन सबको हसी में संगृहीत समझना चाहिये। ऐसी स्थिति में “कामो से विरहित होकर ही” का अर्थ इस प्रकार समझना चाहिये—“वस्तुकामो से भी विरहित होकर ही”, एवं इसके द्वारा ‘कायविवेक’ बतलाया गया है।

विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि (अकुशल धम्मो में विरहित होकर)—इसका अर्थ यह समझना चाहिये—कलेश कामों से या सभी अकुशलों से विरहित होकर। इसके द्वारा ‘वित्तविवेक’ बतलाया गया है। एवं इस प्रकार प्रथम के द्वारा ‘कामसुखों का परित्याग’ सूचित होता है, क्योंकि यहाँ केवल वस्तुकामों से विरहित होना कहा है। दूसरे से नैष्काम्य में सुख का परिग्रह सूचित होता है, क्योंकि यह ‘कलेशकामों से विरहित होना’ बतलाया है।

‘यों ‘वस्तुकाम, कलेशकाम, विवेककाम’ जो कहा गया है, उनमें प्रथम (=वस्तुकामविवेक) से संकलेशवस्तु का प्रहाण एवं दूसरे से संकलेश का प्रहाण; प्रथम से लोलुपता के हेतु का परित्याग, दूसरे से अविद्या (बालभाव) का, प्रथम से प्रयोग—(=आजीव) शुद्धि एवं दूसरे से आशय (=अभिरुचि) का परिष्कार सूचित होता है—ऐसा जानना चाहिये।

जब ‘कामों से’ काम का तात्पर्य ‘वस्तुकाम’ समझा जाता है, तब यह उपर्युक्त नियम है; किन्तु यदि उन्हें कलेशकाम के अर्थ में लिया जाय तो छन्द, राग आदि अनेक भेदों वाले कामच्छन्द से ही ‘काम’ का तात्पर्य है। और यद्यपि वह काम ‘अकुशल’ में समाप्ति है, तथापि “वहों कौन काम है? छन्द काम है” आदि प्रकार से विभङ्ग में ध्यान का प्रतिपक्ष होने से पृथक् रूप से कहा गया है। अथवा, कलेशकाम होने से पूर्वपद में एवं अकुशल में समाप्ति होने से उत्तरपद में कहा गया है। एवं इस काम के अनेक भेद होने से एकवचन—काम से—न कहकर ‘कामों से’—ऐसा द्वयवचन का प्रयोग किया गया है।

एवं यद्यपि अन्य धर्मो में भी अकुशलता हो सकती है, किन्तु “उनमें कौन अकुशल है?

कामच्छन्दो” (अभिं०२-३०८) ति आदिना नयेन विभङ्गे उपरि ज्ञानज्ञानं पच्चनीक-पटिपक्खभावदस्सनतो नीवरणानेव वुत्तानि। नीवरणानि हि ज्ञानज्ञपच्चनीकानि, तेसं ज्ञानज्ञानेव पटिपक्खानि, विद्धुसंकानि विधातकानी ति वुत्तं होति। तथा हि “समाधि कामच्छन्दस्स पटिपक्खो, पीति व्यापादस्स, वितको थीनमिद्धस्स, सुखं उद्धच्छकुकुच्चस्स, विचारो विचिकिच्छाया” ति पेटके वुत्तं।

एवमेत्थ “विविच्चेव कामेही” ति इमिना कामच्छन्दस्स विक्खम्भनविकेको वुत्तो होति। विविच्च अकुसलेहि धम्मेही ति इमिना पञ्चनं पि नीवरणानं, अगहितगग्हणेन पन पठमेन कामच्छन्दस्स, दुतियेन सेसनीवरणानं। तथा पठमेन तीसु अकुसलमूलेसु पञ्चकाम-गुणभेदविसयस्स लोभस्स, दुतियेन आघातवत्थुभेदादिविसयानं दोसमोहानं। औधादीसु वा धम्मेसु पठमेन कामोघकामयोगकामासवकामुपादानअभिज्ञाकायगन्थकामरागसंयोजनानं, दुतियेन अवसेसओष-योगासव-उपादान-गन्थ-संयोजनानं। पठमेन च तण्डाय तंसम्पयुत-कानं च, दुतियेन अविज्ञाय तंसम्पयुतकानं च। अपि च, पठमेन लाभसम्पयुतानं अद्वृतं चित्तुप्पादानं, दुतियेन सेसानं चतुनं अकुसलचित्तुप्पादानं विक्खम्भनविकेको वुत्तो होती ति वेदितब्बो। अयं ताव “विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेही” ति एत्थ अत्थस्यकासना।

२७. एतावता च पठमस्स ज्ञानस्स पहानज्ञं दस्सेत्वा इदानि सप्पयोगज्ञं दस्सेतुं सवितक्कं सविचारं ति आदि वुत्तं। तथं वितक्कं वितक्को, ऊहनं ति वुत्तं होति। स्वायं कामच्छन्द” (अभिं० २, ३०८) आदि प्रकार से विभङ्ग में बाद के ध्यानज्ञों से उनकी विपरीतता, प्रतिपक्खभाव, प्रदर्शित करने के लिये केवल नीवरण ही कहे गये हैं। नीवरण ध्यानज्ञों के विपरीत है, ध्यानज्ञ ही उनके प्रतिपक्ष हैं, विध्वसक हैं, विधातक हैं—ऐसा कहा गया है। कैसे ही—“समाधि कामच्छन्द का प्रतिपक्ष है, प्रीति व्यापाद (=बुरी इच्छा) की, वित्कं स्त्यान-मृद्द का, सुखं औद्यत्य-कौकृत्य का, विचार विचिकित्सा का प्रतिपक्ष”—इस प्रकार पेटक (=महाक्वान द्वारा देशित पिटकों की सर्वर्णना) में कहा गया है।

इस प्रकार यहाँ—“कामों से विरहित होकर”—इससे कामच्छन्द का विष्कम्भण-विवेक बतलाया गया है। और “अकुशल धर्मों से विरहित होकर” इससे पौर्णो नीवरणों का भी। किन्तु पुनरावृत्ति न करने पर, प्रथम के द्वारा कामच्छन्द का, द्वितीय द्वारा शेष नीवरणों का एवं प्रथम द्वारा तीन अकुशलमूलों में ‘पञ्च कामगुण’ भेद वाले विषय के लोभ का, द्वितीय द्वारा आघातवस्तु के भेद आदि विषयों वाले (=आघात के लिये विभिन्न परिस्थितियाँ ही जिनके क्षेत्र हैं, ऐसे) शेष एवं मोह का। अथवा प्रथम द्वारा ओषध आदि धर्मों में से काम-ओषध, काम-योग, काम-आस्त्रव, काम-उत्पादन, अभिध्या (=विद्ययत लोभ), काम-गन्थ और काम-राग संयोजनों का, द्वितीय द्वारा शेष ओषध, योग, आस्त्रव, उपादान, गन्थ और संयोजन का। एवं प्रथम द्वारा तृष्णा का एवं उससे सम्प्रयुक्तों का, द्वितीय से अविद्या का और उससे सम्प्रयुक्तों का। और कैसे ही—प्रथम द्वारा लौभसम्प्रयुक्त आठ वित्तोत्पादों का, द्वितीय द्वारा शेष वार अकुशल धित्तोत्पादों का ‘विष्कम्भणविवेक’ कहा गया है—ऐसा तात्पर्य तमग्ना चाहिये।

यह—“कामों से विरहित होकर ही, अकुशल धर्मों से विरहित होकर” की व्याख्या (अर्थ प्रकाशन) है।

२७ यहाँ तक प्रथम ध्यान के द्वारा प्रहाण (=त्याग) दिये गये अङ्गों को प्रदर्शित कर अव

आरम्भणे चित्तस्स अभिनिरोपनलक्खणो, आहानपरियाहननरसो । तथा हि तेन योगावचरो आरम्भणं वितक्काहतं वितक्कपरियाहतं करोती ति वुच्चति, आरम्भणे चित्तस्स आनयन-पच्चुपट्टानो ।

विचरणं विचारो, अनुसञ्चरणं ति वुतं होति । स्वायं आरम्भणानुमज्जनलक्खणो, तथ सहजातानुयोजनरसो, चित्तस्स अनुपबन्धनपच्चुपट्टानो ।

सन्ते पि च नेसं कत्थचि अविप्पयोगे, ओळारिकट्टेन पुब्बङ्गमट्टेन च घटाभिभातो विय चेतसो पठमाभिनिपातो वितक्को । सुखुमट्टेन अनुमज्जनसभावेन च घटानुरबो विय अनुपबन्धो विचारो । विष्णवाचा चेत्य वितक्को पठमप्पत्तिकाले परिष्पन्दनभूतो चित्तस्स, आकासे उप्पतितुकामस्स पक्खिनो पक्खविक्खेपो विय, पदुमाभिमुखपातो विय च गन्धानुबन्धचेतसो भमरस्स । सन्तवुति विचारो नातिपरिफन्दनभावो चित्तस्स, आकासे उप्पतितस्स पक्खिनो पक्खप्पसारणं विय, परिष्पामनं विय च पदुमाभिमुखपतितस्स भमरस्स पदुमस्स उपरिभागं ।

दुकनिपातट्टकथायं पन “अकासे गच्छतो महासकुणस्स उभोहि पक्खेहि वातं गहेत्वा पक्खे सम्रिसीदापेत्वा गमनं विय आरम्भणं चेतसो अभिनिरोपनभावेन पवत्तो वितक्को । वातगगहणत्यं पक्खे फन्दापयमानस्स गमनं विय अनुमज्जनभावेन पवत्तो विचारो” () ति वुतं, तं अनुपबन्धेन पवत्तित्यं युज्जति । सो पन नेसं विसेसो पठमदुतियज्ञानेसु पाकटो होति ।

‘सम्प्रयोग’ (=ध्यान के साथ सम्प्रयुक्त होने वाले) अज्ञों को प्रदर्शित करने के लिये “सदितकं सदिविचार” आदि कहा गया है । उनमें, विशेष रूप से तर्क, ऊहन करना, ‘वितर्क’ है । इसका लक्षण अपने आलम्बन में वित को प्रवृत्त करना है, इसका रस (=कार्य) प्रहाण करना, निरन्तर प्रहाण करना है । यो वह साधक आलम्बन को वितर्कहत कर डालता है—ऐसा कहा जाता है । आलम्बन में वित को ले आना इसका प्रत्युपस्थान है ।

आलम्बन में विचरण करना, निरन्तर विचरण करना ‘विचार’ है । अपने आलम्बन का अनुमज्जन (=मर्दन, रगड़ान) —इसका लक्षण है, उसमें सहजात धर्मों को लगाये रखना—इसका रस है, आलम्बन के साथ वित को बाँधे रखना—इसका प्रत्युपस्थान है ।

और यद्यपि कहीं-कहीं वे परस्पर पृथक् रूप में नहीं पाये जाते, तथापि वितर्क आलम्बन के प्रति वित का प्रथम अभिनिपात (=शुक्राव) है, इस अर्थ में कि वह स्थूल एवं पूर्णगामी है, घण्टे पर आघात के समान । विचार वित का आलम्बन में अनुबन्ध है, इस अर्थ में कि वह सूक्ष्म एवं अनुमज्जन स्वभाव का है, घण्टे की प्रतिष्ठानि (अनुर्जा) के समान । एवं इनमें, वितर्क विस्फुरण (=स्पन्दन) युत है, विचार-प्रक्रिया की प्रथम उत्पत्ति के समय वित का स्पन्दन रूप है, आकाश में उड़ने की इच्छा करने वाले पक्षी द्वारा अपने पह्लों को हिलाने-डुलाने के समान, या गन्ध से आकृष्ट वित वाले भौंरे द्वारा कमल-पुष्प पर मैंडराने के समान ।

विचार की वृत्ति शान्त है । वह वित का, आकाश में उड़ने वाले पक्षी के पह्ले फैलाने के समान और कमल के फूल पर मैंडराने वाले भौंरे द्वारा कमल के ढीक ऊपर मैंडराने के समान अतिस्पन्दन रूप है ।

अकृतरनिकाय के दुकनिपात की अद्वक्षा में कहा गया है—“आकाश में उड़ते हुए विशाल पक्षी द्वारा दोनों पह्लों में डवा लेकर, उहैं बलपूर्वक नीचे कुकाकर उड़ने के समान, आलम्बन के प्रति वित को आरोपणभाव से प्रवृत्त करना वितर्क, एवं डवा लेने के लिये पह्लों को हिलाते हुए उड़ते रहने

अपि च—मलग्गहितं कंसभाजनं एकेन हत्येन दद्वग्गहणहत्थो विय वितक्षो, परिमज्जनहत्थो विय विचारो । तथा कुम्भकारस्स दण्डप्पहरेन चक्रं भपयित्वा भाजनं करोन्तस्स उप्पीळनहत्थो विय वितक्षो, इतो चितो च सञ्चरणहत्थो विय विचारो । तथा मण्डलं करोन्तस्स मञ्ज्ञे सञ्चिरुम्भित्वा ठितकण्टको विय अभिनिरोपनो वितक्षो, बहि परिब्बमनकण्टको विय अनुमज्जनो विचारो ।

इति इमिना च वितक्षेन इमिना च विचारेन सह वतति रुक्खो विय पुष्फेन चा ति इदं झानं “सवितक्षं सविचारं” ति बुच्छति । विभङ्गे पन “इमिना च वितक्षेन इमिना च विचारेन उपेतो हेति समुपेतो” (अभिं० २-३०९) ति आदिना नयेन पुण्णलधिद्वाना देसना कता । अत्थो पन तत्रापि एवमेव दट्टब्ज्ञो ।

२८. विवेकजं ति । एत्थ विवित्ति विवेको, नीवरणविविगमो ति अत्थो । विवित्तो ति वा विवेको, नीवरणविवित्तो झानसम्प्रयुतधम्मरासी ति अत्थो । तस्मा विवेका, तस्मिं वा विवेके जातं ति विवेकजं ।

२९. पीतिसुखं ति । एत्थ पीणयती ति पीति । सा सम्प्रियायनलक्खणा, कायचित्त-पीणनरसा, फरणरसा वा, ओदयपच्चुपद्वाना । सा पनेसा १. खुदिका पीति, २. खणिका पीति, ३. ओकन्तिका पीति, ४. उज्जेगा पीति, ५. फरणा पीती ति पञ्चविधा होति ।

तत्थ खुदिका पीति सरीरे लोमहंसमत्तमेव कातुं सकोति । खणिका पीति खणे के समान अनुमज्जनभाव से प्रवृत्त करना ‘विचार’ है । वह कथन अनुप्रबन्धन के सहारे चित्तप्रवृत्ति में युक्त होता है । उनका वह भेद प्रथम और द्वितीय ध्यानों में (जब ध्यान पौच अङ्गों वाला माना जाता है) स्थृण होता है ।

और भी—जिसमे मैल बैठ गया हो, ऐसे कौसे के बर्तन को दृढतापूर्वक पकड़ने वाले हाथ के समान वितर्क हैं; माँजने वाले हाथ के समान विचार हैं । एवं—दण्डप्रहार से बाक घूमाते हुए बर्तन बनाने वाले कुन्हार के मिट्ठी के लोदे को दबाने वाले हाथ के समान ‘वितर्क’ हैं; आकार देने के लिये यहाँ—वहाँ फिरने वाले हाथ के समान ‘विचार’ हैं । तथा—परकाल से गोल बनाने (=कागज आदि पर गोल आकार खीचने) वाले यत्कि द्वारा बीच में गड़ाकर खड़े किये गये कौटे के समान आलम्बन में चित्त का आरोपण करना ‘वितर्क’ है; बाहर घूमने (=आकार सीधने) वाले कौटे के समान अनुमज्जन करना ‘विचार’ है ।

इस प्रकार, पुण्ययुक्त दृष्ट के समान यह प्रथम ध्यान इस वितर्क एवं विचार के साथ रहना है, अतः उसे ‘सवितर्क सविचार’ कहा जाता है । किन्तु विज्ञ में “इस वितर्क से और इस विचार से युक्त, संयुक्त होता है” आदि प्रकार से प्रदूषक के विषय में देशना की गयी है । किन्तु वहाँ भी अर्थ तो यही (=उपर्युक्त ही) समझना चाहिये ।

२८. विवेकजं—यहाँ विवित करना ही विवेक है । इसका अर्थ है नीवरणों से रहित होना । अथवा विवित (सी) विवेक है । इसका अर्थ है नीवरणों से विवित (=रहित), ध्यान से सम्प्रयुक्त धर्मों का समूह । उस विवेक से या उस विवेक में उत्पन्न है अतः विवेकज है ।

२९. पीतिसुखं—यहाँ—तृप्त करती है या बढ़ाती है इसलिये प्रीति है । आलम्बन में अनुरक्त करना इसका लक्षण है । काय व वित को तृप्त करना या बढ़ाना इसका रस है । (जब प्रीति उत्पन्न होती है तब चित्त विकसित कमल के समान खिल जाता है, सम्पूर्ण शरीर तृप्त एवं बृहित—बढ़ा हुआ प्रतीत होता है ।) गदगद (ओदयश) होना इसका प्रत्युपस्थान है ।

खणे विज्ञुप्पादसदिसा होति । ओङ्कन्तिका पीति समुद्दीतीरं वीचि विय कायं ओङ्कमित्वा ओङ्कमित्वा भिज्जति । उब्बेगा पीति बलवती होति, कायं उद्गगं कत्वा आकासे लङ्घाप-नप्पमाणप्पत्ता ।

तथा हि पुण्णवंशिकवासुी महातिस्सत्येरो पुण्णमदिवसे सायं चेतियङ्गणं गन्त्वा चन्दालोकं दिस्वा महाचेतियाभिमुखो हुत्वा “इमाय वत वेलाय चतस्सो परिसा महाचेतियं वन्दन्ती” ति पक्तिया दिट्ठारम्मणवसेन बुद्धारम्मणं उब्बेगापीतिं उप्पादेत्वा सुधातले पहटचित्रगण्डुको विय आकासे उपतित्वा महाचेतियङ्गणे येव पतिद्वासि ।

तथा गिरिकण्डकविहारस्स उपनिस्सये वत्तकालकगामे एका कुलधीता पि बलवबुद्धारम्मणाय उब्बेगापीतिया आकासे लङ्घेसि ।

३०. तस्सा किर मातापितरो सायं धम्मस्ववनत्थाय विहारं गच्छन्ता “अम्म, त्वं गरुभारा अकाले विचरितुं न सक्षोसि, मयं तुव्हं पतिं कत्वा धम्मं सोस्सामा” ति अगमंसु । सा गन्तुकामा पि तेसं चचनं पटिबाहितुं असक्षोन्ति धरे ओहायित्वा धराजिरे टत्वा चन्दालोकेन गिरिकण्डके आकासचेतियङ्गणं ओलोकेन्ता चेतियस्स दीपपूजं अद्दस, चतस्सो च परिसा मालागन्धादीहि चेतियपूजं कत्वा पदकिञ्चणं करोन्तियो भिक्खुसङ्घस्स च गणसञ्जायसद्दं अस्सोसि । यथस्सा “धञ्जा वतिमे ये विहारं गन्त्वा एवरूपे चेतियङ्गणे अनुसञ्चितिरुं एवरूपं च मधुरधम्मकथं सोतुं लभन्ती” ति मुत्तारसिसदिसं चेतियं पस्सन्तिया एव

वह प्रीति पाँच प्रकार की होती है—१. क्षुद्रिका, २. क्षणिका, ३. अवकान्तिका, ४. उद्गेगा एव ५. स्फुरणा ।

इनमें, क्षुद्रिका प्रीति शरीर में केवल लोभर्षण (=रोमांच) कर सकती है । क्षणिका प्रीति क्षण—क्षण पर विद्युत्पाद के समान होती है । अवकान्तिका प्रीति समुद्र तट की तरङ्ग के समान शरीर में फैल—फैलकर समाप्त हो जाती है । उद्गेगा प्रीति सबल होती है । यह शरीर को ऊपर की ओर आकाश में उछालती हुई—सी प्रीति होती है ।

वैसे ही (जैसे कि) पुण्णवंशिक निवासी महातिष्य स्थविर ने पूर्णिमा के दिन सायंकाल दैत्य के औंगन में जाकर चन्द्रमा के प्रकाश को देख महाचैत्य की ओर मुख करके—“अह! इस समय तो चारों परिषदे (भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक, उपासिका) महाचैत्य की वन्दना कर रही है”—ऐसा सोचकर स्वाभाविक रूप से दीख रहे आलम्बन द्वारा बुद्ध को आलम्बन बनाकर उस में उद्गेगा प्रीति उत्पन्न की । एवं प्लास्टर की गयी (चिकनी) सतह पर चित्रित गेंद के समान स्थविर आकाश में उड़कर सीधे महाचैत्य के औंगन में ही जाकर खड़े हुए ।

३०. वैसे ही, गिरिकण्डक महाविहार के पास वत्तकालक ग्राम में एक कुलपुत्री भी बुद्ध को आलम्बन बनाकर सबल उद्गेगा प्रीति (उत्पन्न करने) से उड़कर आकाश में चली गयी थी ।

उसके माता-पिता ने सायङ्गाल धर्मश्रवण के लिये विहार जाते समय “पुत्रि! तुम गर्भिणी हो, यो कुसमय में चलना—फिरना तुम्हारे लिये सम्भव नहीं है, (अतः तुम यही रहो), हम तुम्हारे प्रति पुण्य-दान का सङ्कल्प कर धर्म-श्रवण करेंगे”—ऐसा कहकर प्रस्थान किया । वह भी जाना चाहती थी, परन्तु उन पूज्यों की बात टाल नहीं सकी । अतः उसने घर में ही रहकर घर के आँगन में खड़ी होकर चौदानी में गिरिकण्डक के आकाशचैत्य (=पर्वत पर बने हुए चैत्य) के आँगन की ओर देखते हुए चैत्य की दीप—पूजा, आरती को देखा, और जब चारों परिषदे माला—गन्ध आदि से चैत्य की पूजा कर प्रदक्षिणा कर रही थी, तब भिक्खुसङ्घ के सामूहिक धर्मवाचन को सुना । तब उसने—“अह! ये धन्य हैं

उब्बेगापीति उदपादि । सा आकासे लङ्घित्वा माता पितून् पुरिमतरं येव आकासतो चेतियङ्ग्ने ओरुहु चेतियं वन्दित्वा धम्मं सुणमाना अट्टासि ।

अथ नं मातापितरो आगन्त्वा “अम्म, त्वं कतरेन मग्ने आगतासी” ति पुच्छ्चसु । सा “आकासेन आगताम्हि, न मग्नेना” ति वत्त्वा “अम्म, आकासेन नाम खीणासवा सञ्चरन्ति, त्वं कथं आगता?” ति बुत्ता आह—“मयं चन्द्रालोकेन चेतियं ओलोकेन्तिया ठिताय बुद्धारम्मणा बलवधीति उपज्जि । अथाहं नेव अत्तनो ठितभावं, न निसिन्नभावं अञ्जासिं, गहितनिमित्तेनेव पन आकासे लङ्घित्वा चेतियङ्ग्नं पतिद्विताम्ही” ति । एवं उब्बेगापीति आकासे लङ्घापनप्यमाणा होति ।

फरणापीतिया पन उपनाय सकलसरीं धमित्वा पूरितवत्थि विय महता उदकोषेन पक्खन्दपब्बतकुच्छि विय च अनुपरिपुर्ण होति ।

३१. सा पनेसा पञ्चविधा पीति गब्बं गणहन्ती परिपाकं गच्छन्ती दुविधं पस्सद्धिं परिपूरेति— कायथपस्सद्धिं च, चित्तपस्सद्धिं च । पस्सद्धिं गब्बं गणहन्ती परिपाकं गच्छन्ती दुविधं पि सुखं परिपूरेति—कायिकं च, चेतसिकं च । सुखं गब्बं गणहतं परिपाकं गच्छन्तं तिविधं समाधिं परिपूरेति—खणिकसमाधिं, उपचारसमाधिं, अप्पनासमाधिं ति । तासु या अप्पनासमाधिस्सं मूलं हुत्वा वङ्गमाना समाधिसम्पयोगं गता फरणापीति, अयं इमर्सिं अथ्ये अधिष्पेता पीती ति ।

३२. इतरं पन सुखनं सुखं, सुदु वा खादति खणति च कायचित्ताबाधं ति सुखं । तं जो विहार मे जाकर इस प्रकार चैत्य के आँगन मे धूम-फिर रहे हैं, ऐसी मधुर धर्मकथा सुन पा रहे हैं—“ऐसा सोचते हुए मुक्ताराशि के समान, चौंदीनी मे घबल चैत्य को देखते-देखते ही उसे उद्देशा प्रीति उत्पन्न हुई । वह उडकर आकाश मे पहुँची और माता—पिता से पहले ही, आकाश मार्ग से जाकर चैत्य के आँगन मे उतार कर चैत्य की वन्दना कर, धर्मश्रवण करती हुई खड़ी हो गयी ।

तब माता—पिता ने वहाँ आने पर उससे पूछा—“पुत्रि! तुम किस रास्ते से आयी हो?” उसने कहा—“आकाश से आयी हूँ, रास्ते से नहीं ।” “पुत्रि! आकाश से तो शीणात्रव साधक ही आ सकते हैं, तुम कैसे आ गयी?” ऐसा पूछे जाने पर उसने कहा—“मैं जब चौंदीनी मे चैत्य को देखती हुई खड़ी थी, तब मुझे बुद्ध-आलम्बन मे सबल प्रीति उत्पन्न हुई । तब मुझे यह जान नहीं रहा कि—मैं खड़ी हूँ या बैठी हूँ । ग्रहण किये हुए निमित्त से ही आकाश मे उडकर चैत्य के आँगन मे आ गयी हूँ ।” अतः उद्देशा प्रीति इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वह शरीर की ऊपर उठाकर आकाश मे ले जा सके ।

स्फरणा प्रीति— उत्पन्न होने पर सम्पूर्ण शरीर मे फैल जाती है, जैसे चमड़े आदि की थेली पूक भार कर भर दी गयी हो, और जैसे पर्वत की कुक्षि (=तलहटी मे खाली जगह) विशाल जल-प्रवाह से भर गयी हो ।

३१. यह पौर्व प्रकार की प्रीति जब गौरव—(आधिकथ=गर्भ) शालिनी होती है, परिपङ्क होती है, तब द्विविध प्रश्रव्यि (शान्ति) (१. कायप्रश्रव्यि एव २. चित्तप्रश्रव्यि) कों परिपूर्ण करती हैं । प्रश्रव्यि गौरवशालिनी एव परिपङ्क होकर द्विविध सुख (कायिक और चेतसिक) को परिपूर्ण करती है । सुख मी अतिशयता को पाकर व परिपङ्क होकर त्रिविध समाधि--क्षणिक समाधि, उपचार समाधि, अर्पणा समाधि को परिपूर्ण करता है । इनमे जो अर्पणा समाधि की मूल बनकर बढ़ने वाली, समाधि के साथ सम्पुक्त होकर विस्तार पाने वाली स्फरणा प्रीति है, यही इस सन्दर्भ मे अभिप्रेत है ।

३२. किन्तु अन्य शब्दो मे, सुखी करना ही सुख है, अथवा काय—चित्त के आबाध (=कष्ट,

सातलकखणं, सम्प्रयुक्तानं उपबूहनरसं, अनुग्रहपच्युपट्टानं। सति पि च नेसं कत्थचि अविष्पश्योगे इष्टारम्मणपटिलाभतुद्वि पीति । पटिलङ्घसानुभवनं सुखं । यत्थ पीति, तत्थ सुखं । यत्थ सुखं, तत्थ न नियमतो पीति । सङ्कारकखन्धसङ्ग्रहिता पीति, वेदनाक्खन्धसङ्ग्रहितं सुखं । कन्ताराखित्रसं वननुदकदस्मनसवनेसु विय पीति, वनच्छायापवेसनउदकपरिभोगेसु विय सुखं । तस्मि तस्मि समये पाकटभावतो चेतं बुतं तिवेदितब्धं । इति अर्थं च पीति इदं च सुखं अस्स ज्ञानस्स, अस्मि वा ज्ञाने अथी ति इदं ज्ञानं पीतिसुखं ति बुच्छति ।

३३. अथ वा पीति च सुखं च पीतिसुखं, धर्मविनयाद्यो विय । विवेकजं पीति-सुखमस्स ज्ञानस्स, अस्मि वा ज्ञाने अथी ति एवं पि विवेकजं पीतिसुखं । यथेव हि ज्ञानं, एवं पीतिसुखं पेत्थ विवेकजमेव होति । ते चस्स अतिथि, तस्मा एकपदेनेव “विवेकजं पीतिसुखं” ति पि बुतं युज्जति । विभङ्गे पन “इदं सुखं इमाय पीतिया सहगतं” (अभिं० २-३०९) ति आदिना नदेन बुतं । अथो पन तत्थापि एवमेव ददुब्ज्जो ।

३४. पठमं ज्ञानं ति । इदं परतो आविभविस्सति । उपसम्पद्जा ति । उपगन्त्वा, पापुणित्वा ति बुतं होति । उपसम्पादयित्वा वा, निष्फादेत्वा ति बुतं होति । विभङ्गे पन “उपसम्पद्जा ति पठमस्स ज्ञानस्स लाभो पटिलाभो पत्ति सम्पत्ति फुसना सच्चिकिरिया उपसम्पदा” (अभिं० २-३०२) ति बुतं । तस्सा पि एवमेव अथो ददुब्ज्जो ।

विहरती ति । तदनुरूपेन इरियापथविहारेन इतिवृत्तप्यकारज्ञानसमझी हुत्वा अत्-दुखं को अच्छी तरह खाता है या खनता है, इसलिये सुख है । उसका लक्षण शीतल होना है । भस्मायुक्तों को बढ़ाना इसका रस है । अनुग्रह इसका प्रत्युपस्थान है । यद्यपि कहीं-कहीं दे प्रीति और सुख पृथक् नहीं रहते, तथापि इष्ट आलम्बन के प्रतिलाभ से उत्पन्न सन्तुष्टि प्रीति है, प्रतिलङ्घ (प्राप्त) का अनुभव सुख है । जहाँ प्रीति है, वहाँ सुख है, किन्तु जहाँ सुख है, वहाँ प्रीति का होना आदरश्यक नहीं है । प्रीति संस्कारस्कन्ध में संगृहीत है; और सुख वेदनाक्खन्ध में । कान्तार (=गहन वन) में ध्याकुल पथिक द्वारा वन में जल को देखने या उसके विषय में सुनने के समान प्रीति है, और सुख है वन में छाया के सेवन और जल के उपभोग के समान । उन-उन समयों में उनकी स्पष्टता होने के कारण यह कहा गया है—ऐसा समझना चाहिये । इस प्रकार इस ध्यान की यह प्रीति है, यह सुख है, अथवा ध्यान में यह है, अतः इस ध्यान को प्रीति-सुख वाला कहा जाता है ।

३३. अथवा, धर्मविनय आदि के समान समस्त पद समझिये—प्रीति और सुख—प्रीतिसुख । इस प्रकार परस्पर स्वतन्त्र पदों के रूप में विवेक से उत्पन्न प्रीतिसुख इस ध्यान का है, या इस ध्यान में है, इसलिये भी प्रीतिसुखविवेकज है । जिस प्रकार ध्यान है, उसी प्रकार प्रीतिसुख भी यहाँ प्रस्तुत प्रसङ्ग में विवेकज ही होता है । और यह विवेकज प्रीतिसुख इस ध्यान का है, इसलिये एक पद के द्वारा ही ‘विवेकज प्रीतिसुख’ इस प्रकार भी कहा जा सकता है । विभङ्ग में—जो “इस सुख द इस प्रीति के साथ” आदि प्रकार से कहा गया है, वहाँ भी उसका अर्थ इसी प्रकार समझना चाहिये ।

३४. प्रथम ध्यान— इसका स्पष्टीकरण आगे (द३०-पृ० २०६, ४४ पै०) किया जायगा । ‘उपसम्पद्ज’— (उपसम्पन्न होकर) पास जाकर, प्राप्त कर । अथवा सम्पादित कर, निष्पादित कर । विभङ्ग में कहा गया है—“उपसम्पद्य का अर्थ है प्रथम ध्यान का लाभ, प्राप्ति, स्पर्श, साक्षात्कार व उपसम्पदा” (अभिं० २, ३०२) । उसका भी यही अर्थ समझना चाहिये ।

विहरती (विहार करता है)—उसके अनुरूप ईर्यापथ में विहार द्वारा, उक्त प्रकार के ध्यान से युक्त होकर, अपनी खड़े होने बैठने आदि की किया (=ईर्या) दृति, पालन, यपन (उन-उन ईर्यापथों

भावस्स इरियं बुत्तिं पालनं यपनं चारं विहारं अभिनिष्फादेति । बुत्तं हेतं विभद्धे—“विहरती ति इरियति वत्तति पालेति यपेति यापेति चरति विहरति, तेन बुच्चति विहरती” (अभिं०२-३०३) ति ।

पञ्चङ्गविष्पहीनादीनमत्थो

३५. यं पन बुत्तं “पञ्चङ्गविष्पहीनं पञ्चङ्गसमन्नागतं ति । तत्थ १. कामच्छन्दे, २. व्यापादो, ३. थीनमिद्धं, ४. उद्धच्चकुच्चं, ५. विचिकिच्छा ति इमेसं पञ्चत्रं नीवरणानं पहानवसेन पञ्चङ्गविष्पहीनता वेदितब्बा । न हि एतेसु अप्पहीनेसु ज्ञानं उपज्जति । तेनस्सेतानि पहानङ्गानी ति बुच्चन्ति ।

किञ्चापि हि ज्ञानकछणे अज्जे पि अकुसला धम्मा पहीयन्ति, तथापि एतानेव विसेसेन ज्ञानन्तरायकरता ।

कामच्छन्देन हि नानाविसयप्पलोभितं चित्तं न एकत्तारम्मणे समाधियति । कामच्छन्दाभिभूतं वा तं न कामधातुप्यहानाय पटिपदं पटिपज्जति । व्यापादेन चारम्मणे पटिहज्जमानं न निरन्तरं पवत्तति । थीनमिद्धाभिभूतं अकम्मज्जं होति । उद्धच्चकुच्चपरेतं अवूपसन्तपेव हुत्वा परिख्यामति । विचिकिच्छाय उपहतं ज्ञानाधिगमसाधिकं पटिपदं नारोहति । इति विसेसेन ज्ञानन्तरायकरता एतानेव पहानङ्गानी ति बुत्तानी ति ।

३६. यस्मा पन वितक्तो आरम्मणे चित्तं अभिनिरोपेति, विचारो अनुप्यबन्धति, तेहि अविक्षेपाय सम्यादितपयोगस्स चेतसो पयोगसम्पत्तिसम्भवा पीति पीणनं, सुखं च उपभूहनं करोति । अथ नं ससेससम्पयुत्थधम्मं एतेहि अभिनिरोपनानुप्यबन्धपीणनउपबूहनेहि के अनुसार रहना), यपन, चर्या विहार का निष्पादन करता है—“विहार करता है अर्थात् क्रिया करता है, वर्तता है, पालन करता है, यपन करता है, यापन करता है, चर्या करता है, विहार करता है—इसलिये कहते हैं कि विहार करता है” (अभिं० २, ३०२)

‘पश्चात्तविप्रहीणा’ आदि शब्दों का अर्थ

३५. जो पीछे (पृ० १९२ में) कहा है कि पञ्चङ्गविष्पहीनं पञ्चङ्गसमन्नागतं (पाँच अझों से रहित, पाँच अझों से युक्त)—उनमें १. कामच्छन्द, २. व्यापाद, ३. स्त्यानगृह्य, ४. औदृत्य-कौकृत्य, ५. विचिकित्सा—इन पाँच नीवरणों के प्रहाण को पश्चात्तरहित होना चाहिये । इनका प्रहाण किये विनाध्यान उत्पन्न नहीं होता, इसलिये ये ‘प्रहाणाङ्क’ कहे जाते हैं ।

यद्यपि ध्यान के क्षण में अकुशल धर्मों का भी प्रहाण होता है, तथापि ये पूर्वोक्त कामच्छन्द आदि ही विशेष रूप से ध्यान की आधक हैं ।

कामच्छन्द के कारण नाना विषयों में लुभ्य चित्त एक आलम्बन में एकाग्र नहीं होता । अथवा कामच्छन्द के वशीभूत यह चित्त, कामधातु के प्रहाण करने वाले मार्ग पर नहीं चल पाता । व्यापाद द्वारा प्रतिडित चित्त आलम्बन के प्रति निरन्तर प्रवृत्त नहीं हो पाता । स्त्यान-गृह्य के वशीभूत चित्त अकम्भर्य होता है । औदृत्य-कौकृत्य द्वारा ग्रस्त वित्त असान्त होकर भटकता रहता है । विचिकित्सा द्वारा उपहत वित्त ध्यान—लाभकारक मार्ग पर आरुद नहीं होता । याँ, इन सभी में विशेष रूप से ध्यान की आधकता होने से इहें ही ‘प्रहाणाङ्क’ कहा जाता है ।

३६. क्योंकि वित्तके आलम्बन की ओर चित्त को प्रवृत्त करता है, विचार आलम्बन में वित्त को बोधता है, उनके द्वारा बाधा उत्पन्न न हो—ऐसा उद्योग करने वाले वित्त में उद्योग की सफलता

अनुग्रहिता एकगता एकत्तरमणे समं सम्मा च आधियति, तस्मा वित्को विचारो पीति सुखं चित्तेकगता ति इमेसं पञ्चवं उपत्तिवसेन पञ्चङ्गसमन्नागतता वेदितब्बा ।

उपत्तेसु हि एतेषु पञ्चसु ज्ञानं उपन्नं नाम होति । तेनस्स एतानि पञ्च समन्नागतङ्गानी ति बुच्चन्ति । तस्मा न एतेहि समन्नागतं अज्जदेव ज्ञानं नाम अथी ति गहेतब्बं । यथा पन अङ्गमत्वसेनेव चतुरङ्गिनी सेना, पञ्चङ्गिकं तुरियं, अट्टिङ्गिको च मागो ति बुच्चति, एवमिदं पि अङ्गमत्वसेनेव पञ्चङ्गिकं ति वा पञ्चङ्गसमन्नागतं ति वा बुच्चती ति वेदितब्बं ।

३७. एतानि च पञ्चङ्गानि किञ्चापि उपचारकछणे पि अस्थ, अथ खो उपचारे पक्तिवित्ततो बलवतरानि । इथ पन उपचारतो पि बलवतरानि रूपावचरलक्षणपत्तानि । एत्थ हि वित्को सुविसदेन आकारेन आरम्मणे चित्तं अभिनिरोपयमानो उपज्ञाति । विचारो अतिविष्य आरम्मणं अनुमज्जमानो । पीतिसुखं सब्बावतं पि कायं फरमानं । तेनेवाह—“नास्स किञ्चिं सब्बावतो कायस्स विवेकजेन पीतिसुखेन अफुटं होती” (दी० १-६५) ति । चित्तेकगता पि हेद्विमिन्ह समुग्गपटले उपरिमं समुग्गपटलं विष्य आरम्मणेसु फुसिता हुत्वा उपज्ञाति—अथमेतेसं इतेहि विसेसो ।

तत्थ चित्तेकगता किञ्चापि सवित्कं सविचारं ति इमस्मि पाठे न निद्विद्वा, तथापि विभङ्गे—“ज्ञानं ति वित्को विचारो पीति सुखं चित्तस्सेकगता” (अधिं० २-३०९) ति एवं बुत्तता अङ्गमेव । येन हि अधिष्पायेन भगवता उद्देशो कतो, सो येव तेन विभङ्गे पकासितो ति ।

(प्रयोग-सम्पत्ति) से उत्पन्न प्रीति प्रसन्न (प्रीणन) करती है एवं सुख दृढ़ि (उपबूहन) करता है । तब शेष सम्युक्त धर्मों के साथ इस वित्त को इन अभिनिरूपण (=लगाना), अनुप्रबन्धन (बांधना) प्रीणन, उपबूहण द्वारा अनुगृहीत (=सहायताप्राप्त) एकाग्रता एक आलम्बन में, समान एवं सम्यक् रूप से टिकती है । अतः १. वितर्क, २. विचार, ३. प्रीति, ४. सुख और ५. एकाग्रता—इन पाँचों की उत्पत्ति के कारण ध्यान की पञ्चाङ्गसुकृता कही गयी है ।

जब ये पाँचों उत्पन्न होते हैं, तभी कहा जाता है कि ध्यान उत्पन्न हुआ । इसलिये ये पाँचों ‘समन्वागत (=युक्त) अङ्ग कहे जाते हैं । अतः यह नहीं समझना चाहिये कि ध्यान कुछ भिन्न है जो इनसे समन्वागत होता है; अपितु जिस प्रकार चतुरङ्गिनी सेना, पञ्चङ्गिक तूर्य (वाद्य), अष्टाङ्गिक मार्ग आदि शब्दों की तरह केवल अङ्गों के अनुसार इसे पञ्चङ्गिक या पञ्चाङ्गसमन्वागत कहा जाता है—ऐसा जानना चाहिये ।

३७. और ये पाँचों अङ्ग यद्यपि उपचार के क्षण में भी होते हैं और उपचार में वे साधारण वित्त की अपेक्षा सबलतर होते हैं; किन्तु यहाँ प्रथम ध्यान में उपचार से भी सबलतर एवं रूपावचर के लक्षणों को प्राप्त किये हुए होते हैं । इनमैं वितर्क वित्त को आलम्बन में विस्तृत रूप से लगाता हुआ उत्पन्न होता है; विचार आलम्बन का अत्तर्धिक मार्जन करते हुए, प्रीति-सुख शरीर को ध्यास करते हुए । इसलिये कहा गया है—“उस भिन्न के शरीर का कोई भी भाग विवेक से उत्पन्न प्रीति-सुख से अव्याप्त नहीं होता ।” वित्त की एकाग्रता भी सन्दूक के निचले भाग पर सन्दूक के ऊपरी भाग ढक्कन के समान आलम्बन को पूरी तरह स्पर्श करती हुई उत्पन्न होती है । अन्यों से यह इसका भेद है ।

इनमें, यद्यपि वित्त की एकाग्रता का उल्लेख ‘सवित्कं सविचार’ इस प्रकार प्रारम्भ होने वाले पाठ में नहीं किया गया है, तथापि विभङ्ग में—“(प्रथम) ध्यान : वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता”

तिविधकल्याणं

३८. तिविधकल्याणं दसलक्खणसम्पन्नं ति । एत्य पन आदिमज्ञपरियोसानवसेन तिविधकल्याणता । तेसं चेव च आदिमज्ञपरियोसानानं स्वक्खणवसेन दसलक्खणसम्पन्नता वेदितम्बा ।

तत्रायं पालि—

“पठमस्स ज्ञानस्स पटिपदाविशुद्धि आदि, उपेक्खानुबूहना मञ्जे, सम्पहंसना परियोसानं । पठमस्स ज्ञानस्स पटिपदाविशुद्धि आदि, आदिस्स कति लक्खणानि ? आदिस्स तीणि लक्खणानि—यो तस्स परिपन्थो ततो चित्तं विशुद्धति, विशुद्धता चित्तं मञ्जिङ्गमं समथनिमित्तं पटिपञ्चति, पटिपञ्चता तथ्य चित्तं पक्खन्दति । यं च परिपन्थतो चित्तं विशुद्धति, यं च विशुद्धता चित्तं मञ्जिङ्गमं समथनिमित्तं पटिपञ्चति, यं च पटिपञ्चता तथ्य चित्तं पक्खन्दति । पठमस्स ज्ञानस्स पटिपदाविशुद्धि आदि, आदिस्स इमानि तीणि लक्खणानि । तेन वुच्चति—पठमं ज्ञानं आदिकल्याणं चेव होति तिलक्खणसम्पन्नं च ।

“पठमस्स ज्ञानस्स उपेक्खानुबूहना मञ्जे, मञ्जस्सस्स कति लक्खणानि ? मञ्जस्स तीणि लक्खणानि—विशुद्धं चित्तं अज्ञुपेक्खति, समथपटिपन्नं अज्ञुपेक्खति, एकत्रुपद्धानं अज्ञुपेक्खति । यं च विशुद्धं चित्तं अज्ञुपेक्खति, यं च समथपटिपन्नं अज्ञुपेक्खति, यं च एकत्रुपद्धानं अज्ञुपेक्खति । पठमस्स ज्ञानस्स उपेक्खानुबूहना मञ्जे, मञ्जस्स इमानि तीणि लक्खणानि । तेन वुच्चति—पठमं ज्ञानं मञ्जेकल्याणं चेव होति तिलक्खणसम्पन्नं च ।

(अभिं २-३०९) इस प्रकार कथित होने से वह एकाग्रता ध्यान का अहं ही है । जिस अभिप्राय से भावान् ने ऐसा कहा, उसी को उन्होंने विमङ्ग में प्रकाशित किया है ।

त्रिविध कल्याण

३८. त्रिविधकल्याणं दसलक्खणं (तीन प्रकार से कल्याणकर, दस लक्षणों से युक्त)—इनमें, तीन प्रकार से कल्याणकर होना आरम्भ, मध्य और अन्त के अनुसार है । उन्हीं आरम्भ, मध्य और अन्त को, लक्षणों के अनुसार, दस लक्षणों से युक्त जानना चाहिये । इस सन्दर्भ में यह पालि है—“प्रथम ध्यान का आरम्भ मार्ग (=प्रतिपदा) विशुद्धि, मध्य में उपेक्षा की वृद्धि एवं प्रसन्नता (=सम्पर्हण) अन्त है । प्रथम ध्यान का आरम्भ मार्गविशुद्धि है । इस ‘आरम्भ’ के कितने लक्षण हैं? आरम्भ के तीन लक्षण हैं—१. जो उस (ध्यान) के बाधक हैं, उनसे चित्त विशुद्ध (विमुक्त) होता है, विशुद्ध होने से चित्त मध्यम (=बीच में आने वाले) शमथ-निमित्त में लगता है, लगने से चित्त वहाँ हर्ष का अनुभव करता है, २ और बाधाओं से चित्त विशुद्ध होता है, विशुद्ध होने से चित्त मध्यम शमथनिमित्त में लगा रहता है और लगने से उसमें चित्त प्रसन्न होता है; ३. प्रथम ध्यान का आरम्भ मार्गविशुद्धि है । ‘आरम्भ’ के ये तीन लक्षण हैं । इसीलिये कहा गया है—‘प्रथम ध्यान आरम्भ में कल्याणकर एवं तीन लक्षणों से युक्त होता है’ ।

“प्रथम ध्यान के मध्य में उपेक्षा की वृद्धि होती है । इस ‘मध्य’ के कितने लक्षण हैं? मध्य के तीन लक्षण हैं—१. भिक्षु विशुद्ध चित्त की उपेक्षा करता है (क्योंकि चित्त को विशुद्ध करने के प्रयास की अब आवश्यकता नहीं रही), शमथ में लगे हुए की उपेक्षा करता है, एकाग्रता की उपेक्षा करता है । एवं २ वह भिक्षु विशुद्ध चित्त की उपेक्षा करता है, शमथ में लगे हुए की उपेक्षा करता है, एकाग्र अवस्था की उपेक्षा करता है, ३. प्रथम ध्यान के मध्य में उपेक्षा की वृद्धि है । मध्य के ये तीन लक्षण हैं : इसीलिये कहा गया है—‘प्रथम ध्यान मध्य में कल्याणकर एवं तीन लक्षणों से युक्त होता है’ ।

“पठमस्स ज्ञानस्स सम्पहंसना परियोसानं। परियोसानस्स कति लक्खणानि? परियोसानस्स चत्तारि लक्खणानि—तथं जातानं धम्मानं अनतिवत्तटेन सम्पहंसना, इन्द्रियानं एकरसटेन सम्पहंसना, तदुपगविरिथवाहनटेन सम्पहंसना, आसेवनटेन सम्पहंसना। पठमस्स ज्ञानस्स सम्पहंसना परियोसानं, परियोसानस्स इमानि चत्तारि लक्खणानि। तेन बुच्छति—पठमं ज्ञानं परियोसानकल्याणं चेव होति चतुलक्खणसम्पत्रं चा” (खू० ५-१९६) ति।

३९. तत्र पटिपदाविसुद्धि नाम ससम्भारिको उपचारो। उपेक्खानुबृहना नाम अप्पना। सम्पहंसना नाम पञ्चवेक्खणा ति एवमेके वर्णयन्ति। यस्मा पन “एकत्तगं चित्तं पटिपदाविसुद्धिपक्खन्दं चेव होति उपेक्खानुबृहितं च जाणेन च सम्पहंसितं” (खू० ५-१९५) ति याळियं बुतं, तस्मा अन्तोअप्पनायमेव आगमनवसेन पटिपदाविसुद्धि, तत्रमज्जन्तुपेक्खाय किञ्चवसेन उपेक्खानुबृहना, धम्मानं अनतिवत्तनादिभावसाधनेन परियोदापकस्स ज्ञानस्स किञ्चनिष्ठतिवसेन सम्पहंसना च वेदितब्बा।

४०. कथं? यस्मि हि वारे अप्पना उपज्जति, तर्स्मि यो नीवरणसङ्कृतो किलेसगणो तस्स ज्ञानस्स परिपन्थो, ततो चित्तं विसुज्ज्ञति। विसुद्धता आवरणविरहितं हृत्वा मञ्जिमं समथनिमितं पटिपञ्चति; मञ्जिमं समथनिमितं नाम समप्पवतो अप्पनासमाधि येव। तदनन्तरं पन पुरिमचित्तं एकसन्ततिपरिणामनयेन तथतं उपगच्छमानं मञ्जिमं समथनिमितं पटिपञ्चति नाम, एवं पटिपञ्चता तथतमुपगमनेन तथं पक्खान्दति नाम। एवं ताव पुरिमचित्ते विज्ञमानाकारनिष्ठादिको पठमस्स ज्ञानस्स उपादाक्खणे येव आगमनवसेन पटिपदाविसुद्धि वेदितब्बा।

४१. एवं विसुद्धस्स पन तस्स पुन विसोधेतब्बाभावतो विसोधने व्यापारं अकरोन्तो

“प्रथम ध्यान का अन्त (=पर्यवक्षान) प्रसन्नता है। इस ‘अन्त’ के कितने लक्षण हैं? अन्त के चार लक्षण हैं— उस (अवस्था) में (१) उत्पन्न धर्मों का अतिरेक नहीं हुआ—इस अर्थ में (अथवा इसलिये) प्रसन्नता होती है। (२) ‘इन्दियों एकरस हैं’—इस अर्थ में प्रसन्नता होती है। (३) ‘उपयुक्त उद्योग का निर्वाह हुआ’—इस अर्थ में प्रसन्नता होती है। इस प्रकार प्रथम ध्यान का अन्त प्रसन्नता (=सम्पर्हण) है। एवं (४) आसेवन (आदृति) के अर्थ में प्रसन्नता होती है। यो ‘अन्त’ के ये चार लक्षण हैं। इसीलिये कहा गया है—प्रथम ध्यान अन्त में कल्याणकर एवं चार लक्षणों से युक्त होता है”।

३९. उनमें पटिपदाविसुद्धि आदि पदों में, ‘प्रतिपदा’ सम्मार के साथ उपचार है। ‘उपेक्षा’ की वृद्धि अर्पण है। किसी किसी का भत है कि ‘प्रसन्नता’ प्रत्यवेक्षण है; किन्तु क्योंकि “एकाग्र चित्त मार्गविशुद्धि में प्रसन्नता का अनुभव करता है, उपेक्षा में वृद्धि, धर्मों के अनतिरेक आदि भावों के निर्वाह द्वारा परिशुद्ध करने वाले ज्ञान के कृत्य की पूर्ति (=निष्ठति) के रूप में प्रसन्नता को जानना चाहिये।

४०. कैसे? जिस वार (चित्तसन्तति) में अर्पणा उत्पन्न होती है, उसमें जो ‘नीवरण’ नामक वर्तेशों का समूह उस ध्यान का बाधक (विरोधी) होता है, उससे चित्त नीवरणरहित होकर विशुद्ध हो जाता है। स्वयं अर्पणा समाधि ही ‘शमथनिमित्त’ के नाम से जानी जाती है। तत्पक्षात् उसके पूर्ववर्ती चित्त के एक चित्तसन्तति में परिणाम करने की विधि के अनुसार उस स्थिति तक पहुँचने से कहा जाता है कि मध्यम शमथनिमित्त में लगता है एवं यह भी कहा जाता है कि वहाँ पहुँचने से प्रसन्नता का अनुभव करता है। अतएव इस मार्ग-विशुद्धि को पूर्ववर्ती चित्त में विद्यमान आकार की चतुष्पति (=निष्ठादन) करने वाली, प्रथम ध्यान के उत्पादक्षण में ही आने वाली के रूप में जानना चाहिये।

४१. इस प्रकार, उस विशुद्ध हुए चित्त की शुद्धि करने की अब कोई आवश्यकता न रह

विशुद्धं चित्तं अज्ञापेकखति नाम । समथभावूपगमनेन समथपटिपञ्चस्स पुन समाधाने व्यापारं अकरोन्तो समथपटिपञ्चं अज्ञापेकखति नाम । समथपटिपञ्चभावतो एव चस्स किलेससंसगं पहाय एकत्रेन उपटितस्स पुन एकत्रुपट्टाने व्यापारं अकरोन्तो एकत्रुपट्टानं अज्ञापेकखति नाम । एवं तत्रमज्ञापेकखाय किञ्चवसेन उपेकखानुब्रह्मना वेदितव्या ।

४२. ये एनेते एवं उपेकखानुब्रह्महिते तत्थ जाता समाधिपञ्चासङ्गाता युगनद्वयम्मा अज्ञमञ्चं अनतिवत्तमाना हुत्वा पवत्ता, यानि च सद्गादीनि इन्द्रियानि नानाकिलेसेहि विमुत्तता विमुत्तिरसेन एकरसानि हुत्वा पवत्तानि, ये चेस तदुपगं तेस अनतिवत्तनएकरसभावानं अनुच्छविकं वीरियं वाहयति, या चस्स तर्स्म खणे पवत्ता आसेवना, सब्बे पि ते आकारा यस्मा जाणेन सङ्क्लिलेसवोदानेसु तं तं आदीनवं च आनिसंसं च दिस्वा तथा तथा सम्पहंसितता विसोधितता परियोदापितत्ता निष्फला व । तस्मा “धम्मानं अनतिवत्तनादिभावसाधनेन परियोदापकस्स जाणस्स किञ्चनिष्फत्तिवसेन सम्पहंसना वेदितव्या” ति युतं ।

४३. तत्थ यस्मा उपेकखावसेन आणं पाकटं होति । यथाह—“तथापग्गहितं चित्तं साधुकं अज्ञापेकखति, उपेकखावसेन पञ्चावसेन पञ्चिन्द्रियं अधिमत्तं होति, उपेकखावसेन नानत्तकिलेसेहि चित्तं विमुच्यति, विमोक्खवसेन पञ्चावसेन पञ्चिन्द्रियं अधिमत्तं होति । विमुत्तता ते धम्मा एकरसा होन्ति । एकरसट्टेन भावना....” (खु० ५-२६१) ति । तस्मा जाणकिच्चभूता सम्पहंसना परियोसानं ति युता ।

जाने से, शुद्धि न करने वाले के बारे मे कहा जाता है कि “विशुद्ध वित्त की उपेक्षा करता है। इसी प्रकार शमथ माव की प्राप्ति हो युक्तने के कारण शमथ मे लगे हुए के द्वारा पुनः एकाग्रता की प्राप्ति का प्रयास न करने से कहा जाता है कि “शमथ मे लगे हुए की उपेक्षा करता है।” शमथ मे लगा हुआ होने से ही, क्लेश का संसर्ग छोड़कर एकाग्र अवस्था मे होने से पुनः एकाग्रता (=प्राप्ति) का प्रयास न करने के कारण कहा गया है कि “एकाग्रता की उपेक्षा करता है।” इस प्रकार उपेक्षा की वृद्धि को तत्रमध्यस्थिता (=मध्यस्थ बने रहना) के कृत्य के रूप मे जानना चाहिये ।

४२ इस प्रकार उपेक्षा की वृद्धि होने पर जो वहाँ उत्पन्न हुए समाधि व प्रज्ञा नामक युगनद्व (एक दूसरे से गूँथे हुए) धर्मं एक दूसरे का अतिरेक न करते हुए प्रवृत्त हुए और जो श्रद्धा आदि इन्द्रियाँ नाना क्लेशों से विमुक्त होने के कारण विमुक्ति के रस से एकरस होती हुई प्रवृत्त हुई एवं उसके अनुरूप दीर्घ का निर्वाह हुआ जो कि उनके ‘अनतिरेक’ एवं ‘एकरस’ भावों=अवस्थाओं के अनुकूल हैं एवं जो उस क्षण मे प्रवृत्त पुनरावृत्ति (आसेवन) है—वे सभी आकार, क्योंकि ज्ञान द्वारा सक्लेश और व्यवदान मे क्रमशः उन उन दोषों और गुणों को देखते हुए वैसे वैसे प्रसन्न होने से, विशुद्ध होने से, परिशुद्ध होने से निष्पन्न (=पूर्ण) ही हैं, इसलिये कला गया है कि प्रसन्नता को “धर्मों के अनतिरेक न करने आदि भावों के साधन से परिशुद्ध करने वाले ज्ञान के कृत्य की निष्पत्ति के, रूप मे जानना चाहिये।”

४३. क्योंकि उपेक्षा के कारण ज्ञान प्रकट होता है, अतः ज्ञान के कृत्य के रूप मे प्रसन्नता ध्यान का ‘अन्त’ कही गयी है । जैसा कि कहा गया है—“उस प्रकार प्रगृहीत (अच्छी तरह पकड़ कर रखे गये, वशीभूत) वित्त की पूर्णरूप से उपेक्षा करता है, उपेक्षा और प्रज्ञा के कारण प्रज्ञेन्द्रिय सबल होती है, उपेक्षा के कारण नाना प्रकार के क्लेशों से वित्त मुक्त होता है, विमोक्ष एवं प्रज्ञा के कारण प्रज्ञेन्द्रिय सबल होती है । विमुक्ति के कारण वे धर्मं एकरस होते हैं । एकरस के अर्थ मे भावना” ...यो, ज्ञान की कृत्यभूत सम्पर्हर्णा ही ‘अन्त’ (पर्यवसान) कहलाती है ।

४४. इदानि पठमं ज्ञानं अधिगतं होति पथवीकसिणं ति एत्थ गणनानुपुञ्जता पठमं। पठमं उप्यन्नं ति पि पठमं। आरम्णूपनिज्ञानतो पच्चनीकज्ञापनतो वा ज्ञानं। पथवीमण्डलं पन सकलद्वेन पथवीकसिणं ति त्रुच्यति, तं निस्साय पटिलङ्घनिमित्तं पि, पथवीकसिणनिमित्ते पटिलङ्घनानं पि। तत्र इमस्मि अत्थे ज्ञानं पथवीकसिणं ति वेदितव्यं। तं सन्धाय—“पठमं ज्ञानं अधिगतं होति पथवीकसिणं” ति।

विरद्धितिसम्पादनं

४५. एवमधिगते पन एतस्मि तेन योगिना बालवेधिना विय सूदेन विय च आकारा परिगग्हेतब्बा। यथा हि सुकुसलो धनुग्गहो बालवेधाय कम्मं कुरुमानो यस्मि वारे बालं विज्ञति, तस्मि वारे अक्षन्तपदानं च धनुदण्डस्स च जियाय च सरस्स च आकारं परिगणेहेत्य—“एवं मे ठितेन एवं धनुदण्डं एवं जियं एवं सरं गहेत्वा बालो विद्धो” ति, सो ततो पट्टाय तथेव ते आकारे सम्पादेन्तो अविराधेत्वा बालं विज्ञेत्य; एवमेव योगिना पि “इमं नाम मे भोजनं भुजित्वा एरुपं पुगलं सेवमानेन एवरुपे सेनासने इमिना नाम इरियापथेन इमस्मि काले इदं अधिगतं” ति एते भोजनसम्पादयाद्यो आकारा परिगग्हेतब्बा। एवं हि सो नष्टे वा तस्मि ते आकारे सम्पादेत्वा पुन उपादेतुं, अप्पुणं वा पगुणं करोन्तो पुनप्पुनं अप्येतुं सकिखस्सति।

४६. यथा च कुसलो सूदो भत्तारं परिविसन्तो तस्स यं यं रुचिया भुजति, तं तं

४४. अब, पठमं ज्ञानं अधिगतं होति पथवीकसिणं (“पृथ्वीकसिण को आलम्बन बनाने वाला प्रथम ध्यान प्राप्त होता है”— यही गणना के क्रम (आनुपूर्वी) में होने से प्रथम ध्यान प्रथम कहा जाता है। पहले उत्पन्न होता है, इसलिये भी प्रथम है। आलम्बन का विन्तन (=उपनिज्ञान) करने से या प्रतिकूल धर्मों को भस्म (=:रात्य=आपन) कर देने से ध्यान है। पृथ्वीमण्डल को ही ‘‘समस्त’’ के अर्थ में पृथ्वीकसिण (=:कसिण=कृत्य=समस्त) कहते हैं, उसके आश्रय से प्राप्त निमित्त को भी तथा पृथ्वीकसिणनिमित्त से प्राप्त ध्यान को भी।

इसी अर्थ में—‘‘पृथ्वीकसिण ध्यान है’—ऐसा जानना चाहिये। उसी को लेकर कहा गया है—“पृथ्वीकसिण के रूप में प्रथम ध्यान प्राप्त होता है।”

विरस्तिसम्पादन

४५. यो, इस (ध्यान) के प्राप्त होने पर, योगी को बालवेदी (=बाण से बाल =केश को खण्ड-खण्ड कर देने वाले धनुर्धर) के समान और रसोहृष्टे (=प्राचक) के समान इसकी प्राप्ति के आकारों (=:प्रकारों) पर भलीभांति विचार करना चाहिये। जिस प्रकार किसी अतिथितुर धनुर्धर को चाहिये कि बाल-वैक्षन कर्म करते समय, जिस वार वह बाल को बेघने में सफल होता है, उस वार अपने पैरों की दिश्यति, धनुर्दण्ड, प्रत्यक्षा, बाण के आकार पर भलीभांति विचार करे—“मेरे द्वारा इस प्रकार ऊँडे रहने पर, ऐसे धनुर्दण्ड, ऐसी प्रत्यक्षा, ऐसे बाण को ग्रहण करने पर यह बाल बैधा गया।” जिससे कि उसके बाद भी वह उन्हीं आकारों का प्रयोग करते हुए बारम्बार निश्चित रूप से बाल को बैध सके; इसी प्रकार योगी को भी—“मुझे यह भोजन करने पर, इस प्रकार के पुद्दल का साथ करने पर, इस प्रकार के शयनासन में, इस ईर्यापथ से, इस कालविशेष में यह ध्यान प्राप्त हुआ”—इस प्रकार भोजन की अनुकूलता आदि आकारों पर भली-भांति विचार करना चाहिये। ऐसा होने पर, यदि वह ध्यान नष्ट भी हो जाय, तो साधक उन आकारों का प्रयोग कर पुनः उत्पन्न करने में, उसका अभ्यास करते समय पुनः पुनः प्राप्त करने में सफल हो सकेगा।

सल्लखेत्वा ततो पट्टाय तादिसं येव उपनामेन्तो लाभस्स भागो होति; एवमयं पि अधिगतक्षणे भेजनादयो आकारे गहेत्वा ते सम्पादेन्तो नद्वे नद्वे पुनप्युनं अप्यनाय लाभी होति। तस्मा तेन वालवेधिना विय सूदेन विय च आकारा परिगग्हेतव्वा।

बुत्त पि चेतं भगवता—

“सेव्यथापि, भिक्खवे, पण्डितो व्यतो कुसलो सूदो राजानं वा राजमहामतं वा नानच्यथेहि सूपेहि पच्युपट्टितो अस्स—अम्बिलगोहि पि तित्तकगोहि पि कटुकगोहि पि मधुरगोहि पि खारिकेहि पि अक्षारिकेहि पि लोणिकेहि पि। स खो सो, भिक्खवे, पण्डितो व्यतो कुसलो सूदो सकस्स भत्तु निमित्तं उगगण्हाति—‘इदं वा मे अज्ज भत्तु सूपेय्यं रुचति, इमस्स वा अभिहरति, इमस्स वा बहुं गण्हाति, इमस्स वा वण्णं भासति, अम्बिलगं वा मे अज्ज भत्तु सूपेय्यं रुचति, अम्बिलगस्स वा अभिहरति, अम्बिलगस्स वा बहुं गण्हाति, अम्बिलगस्स वा वण्णं भासति … पै० अलोणिकस्स वा वण्णं भासती’ ति। स खो सो भिक्खवे, पण्डितो व्यतो कुसलो सूदो लाभी चेव होति अच्छादनस्स, लाभी वेतनस्स, लाभी अभिहारानं। तं किस्स हेतु ? तथा हि सो, भिक्खवे, पण्डितो व्यतो कुसलो सूदो सकस्स भत्तु निमित्तं उगगण्हाति। एमेव खो, भिक्खवे, इधेकच्चो पण्डितो व्यतो कुसलो भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति.... वेदनासु वेदना.... चिते चिता.... धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति आतापी सम्पज्जानो सतिमा विनेय्य लोके अभिज्ञादोमनस्सं। तस्स धम्मेसु धम्मानुपस्सिनो विहरतो चितं समाधियति, उपक्षिलेसा पहीयन्ति। सो तं निमित्तं उगगण्हाति। स खो सो, भिक्खवे, पण्डितो व्यतो कुसलो भिक्खु लाभी चेव होति

४६. और जिस प्रकार कोई कुशल रसोइर्या स्वामी को भोजन परोसते समय वह जो जो लघि से खाता है, उस पर ध्यान देते हुए आगे से उसे वैसा ही भोजन लाकर देने से पुरस्कृत होता है; उसी प्रकार यह भी ध्यान प्राप्ति के क्षण में भोजन आदि के प्रकार पर विचार कर उनका प्रयोग करते हुए बार-बार नष्ट होने पर बार बार अर्पणा का लाभ करता है। इसलिये उसे (१) बालवेदी एवं (२) रसोइये (=सूद) के समान आकार-प्रकार का विचार करना चाहिये।

भगवान् ने भी संयुक्तनिकाय में यह कहा है—

“जैसे, भिक्षुओ, कोई बुद्धिमान्, अनुभवी, चतुर रसोइया राजा या राजा के महामन्त्री के सामने नाना प्रकार के सूप प्रस्तुत करता है—जैसे खट्टा भी, तीता भी, कडुवा भी, मीठा भी, खारा भी, शारशहित भी, नमकीन भी। और भिक्षुओ, वह बुद्धिमान्, अनुभवी, चतुर रसोइया स्वामी के भोजन का निमित्त यो ग्रहण करता है—‘मेरे स्वामी को यह सूप अच्छा लग रहा है, इसी से इसके लिये हाथ बढ़ा रहे हैं, इसे बहुत ले रहे हैं’, या ‘हसकी प्रशंसा कर रहे हैं’, या ‘आज मेरे स्वामी को खट्टा सूप अच्छा लग रहा है, ये खट्टे के लिये हाथ बढ़ा रहे हैं, खट्टा बहुत ले रहे हैं, खट्टे की प्रशंसा कर रहे हैं।’ ...पूर्ववत्... ‘जो नमकीन नहीं है सस्तकी प्रशंसा कर रहे हैं।’ भिक्षुओ, ऐसा वह बुद्धिमान्, अनुभवी, चतुर रसोइया वस्त्र, वेतन और उपहारों को प्राप्त करता है। वह किस लिये? क्योंकि, भिक्षुओ, वह बुद्धिमान्, अनुभवी, चतुर रसोइया स्वामी के निमित्त को ग्रहण करता है। इसी प्रकार, भिक्षुओ, यहाँ कोई कोई बुद्धिमान्, अनुभवी, चतुर भिक्षु साधक, उद्योगी, सम्प्रजन्ययुक्त एवं स्मृतिमान्, लोक में अभिघ्या और दौर्मनस्य का दमन कर, काय में कायानुपरश्यी होकर विहार करता है, वेदना में देवनानुपरश्यी चित्त में ... धर्मी में ... पिहार करता है। धर्मी में धर्मानुपरश्यी होकर विहार करते समय उसका चित्त एकाग्र होता है, उसके उपकरणे नष्ट होते हैं। वह उस निमित्त का ग्रहण करता है।

दिद्वधम्मसुखविहारानं, त्वाभी सतिसम्पजञ्जस्स । तं किस्स हेतु ? तथा हि सो, भिक्खवे, पण्डितो व्यतो कुसलो भिक्खु सकस्स चित्तस्स निमित्तं उगणहाती'' (सं०-४-१२९) ति ।

४७. निमित्तगहणेन चस्स पुन ते आकरे सम्पादयतो अप्यनामतमेव इज्ञति, न चिरट्रानं । चिरट्रानं पन समाधिपरिपन्थानं धम्मानं सुविसोधितता होति ।

यो हि भिक्खु कामादीनवपच्चवेक्षणादीहि कामच्छन्दं न सुदु विक्षम्भेत्वा, कायपस्सद्विवसेन कायदुदुङ्गं न सुप्यटिपस्सद्वं कत्वा, आरम्भधातुमनसिकारादिवसेन थीनमिद्धं न सुदु पटिविनोदेत्वा, समर्थनिमित्तमनसिकारादिवसेन उद्धच्चकुकुच्चं न सुसमूहतं कत्वा, अज्जे पि समाधिपरिपन्थे धम्मे न सुदु विसोधेत्वा ज्ञानं समापज्जति, सो अविसोधितं आसयं पविटुभमरो विय अविसुद्धं उत्थानं पविटुराजा विय च खिप्पमेव निक्षमति । यो पन समाधिपरिपन्थे धम्मे सुदु विसोधेत्वा ज्ञानं समापज्जति, सो सुविसोधितं आसयं पविटुभमरो विय सुपरिसुद्धं उत्थानं पविटुराजा विय च सकलं पि दिवसभागं अन्तोसमापत्तियं येथ होति ।

४८. तेनाहु पोराणा—

“कामेसु छन्दं पटिं विनोदये, उद्धच्चमिद्धं विचिकिच्छपञ्चमं ।

विवेकपामुज्जकरेन चेतसा राजा व सुदुत्तागतो तहिं रमे” ति ॥

तस्मा चिरट्रितिकामेन परिबन्धकधम्मे विसोधेत्वा ज्ञानं समापज्जितब्बं ।

मिशुओ, वह बुद्धिमान्, अनुभवी, चतुर भिक्षु इसी जन्म में सुखपूर्वक विहार एव स्मृतिसम्पज्जन्य का लाभ करता है । वह किसलिये? क्योंकि, मिशुओ, वह बुद्धिमान्, अनुभवी, चतुर भिक्षु स्वकीय वित्त के निमित्त का ग्रहण करता है ।

४९. निमित्त का ग्रहण करते हुए उन प्रकारों का प्रयोग करते हुए केवल अर्पणा ही सिद्ध होती है, ध्यान की विरस्थिति (=देर तक बने रहना) नहीं । विरस्थिति तो ध्यान के बाधक धर्मों का सम्पत्त्या विशोधन करने से ही होती है ।

जो भिक्षु काम-दोषों के प्रत्यवेक्षण आदि द्वारा कामच्छन्द को विना भली प्रकार नष्ट किये, कायप्रश्रव्यिक्ष के द्वारा काय के द्वाहुल्य (=विक्षोभ) को विना भलीभाँति शान्त किये, आरम्भधातु के मनस्कार आदि द्वारा स्त्यान-मृद्ध को विना भलीभाँति दूर किये शमथ निमित्त के मनस्कार द्वारा औदृत्य-कौकृत्य को विना पूर्णतः नष्ट किये, ध्यान के बाधक अन्य धर्मों को भी विना भलीभाँति दूर किये ध्यान प्राप्त करता है, वह अविशुद्ध (जिसके भीतर कोई रुकावट हो) बिल में प्रविष्ट मधुमक्खी के समान और अविशुद्ध उथान में प्रविष्ट राजा के समान शीघ्र ही ध्यान की अवस्था से बाहर आ जाता है । किन्तु जो ध्यान के बाधक धर्मों का भलीभाँति विशोधन कर ध्यान प्राप्त करता है, वह सुविशुद्ध बिल में घुसी मधुमक्खी के समान पूरे दिन भी ध्यान की समापत्ति (=लाभ) में ही रहता है ।

५८. इसीलिये प्राचीन विद्वानों ने कहा है—

“कामो मे छन्दं, प्रतिघ, औदृत्य, मृद्ध एवं पांचवी विचिकित्सा को दूर करे, तथा विवेकी एवं प्रीति (-प्रमोद) से युक्त वित्त से युक्त होकर, अन्त तक स्वच्छ किये गये उथान में गये हुए राजा के समान वही रमता रहे ।”

अतः (ध्यान की) विरस्थिति की कामना से, बाधक धर्मों का विशोधन कर ध्यान प्राप्त

वित्तभावनावेपुल्लत्थं च यथालद्धं पटिभागनिमित्तं वड्हेतब्बं । तस्स द्वे वड्हनाभूमियो—उपचारं, वा, अप्पनं वा । उपचारं पत्वा पि हि तं वड्हेतुं वड्हति, अप्पनं पत्वा पि । एकर्त्तम् पन ताने अवस्सं वड्हेतब्बं । तेन वुत्तं—“यथालद्धं पटिभागनिमित्तं वड्हेतब्बं” ति ।

निमित्तवड्हननयो

४९. तत्रायं वड्हननयो—तेन योगिना तं निमित्तं पत्तवड्हन—पूववड्हन—भत्तवड्हन—लतावड्हन—दुस्सवड्हनयोगेन अवड्हेत्वा यथा नाम कस्सको कसितब्दपुनं नक्षलेन परिच्छन्दित्वा परिच्छेदब्धन्तरे सति, यथा वा पन भिक्खु सीमं बन्धन्ता पठमं निमित्तानि सलकजेत्वा पच्छा । बन्धन्ति; एवमेव तस्स यथालद्धस्स निमित्तस्स अनुक्तमेन एकम्भुलद्भुलतिवम्भुलवतुरम्भुलमत्तं मनसा परिच्छन्दित्वा यथापरिच्छेदं वड्हेतब्बं । अपरिच्छन्दित्वा पन न वड्हेतब्बं । ततो विदत्थि-रत्न-पमुख-परिवेण-विहारसीमानं गाम-निगम-जनपद-राज-समुद्रसीमानं च परिच्छेदवसेन वड्हयन्तेन चक्रबालपरिच्छेदेन वा ततो वा पि उत्तरि परिच्छन्दित्वा वड्हेतब्बं ।

५०. यथा हि हंसपोतका पक्षणानं उट्टिकालतो पट्टाय परित्तं परित्तं पदेसं उप्पत्तना परिचयं कत्ता अनुक्तमेन चन्दिमसूरियसन्तिकं गच्छन्ति; एवमेव भिक्खु वुत्तनयेन निमित्तं परिच्छन्दित्वा वड्हेत्तो याव चक्रबालपरिच्छेदा ततो वा उत्तरि वड्हेति । अथस्स तं निमित्तं वड्हिवड्हितपुने पथविया उम्भुल—विकूल—नदी—विदुग—पञ्चतविसमेसु सम्भुसतसमञ्चाहतं दस्पचम्मं विय होति ।

करना चाहिये । एवं भावना (=समाधि भावना) की परिपूर्णता के लिये, जैसा प्रतिभागनिमित्त उसने प्राप्त किया है, उसे बढ़ाना चाहिये । यहाँ इस वृद्धि के लिये दो उपाय हैं— १. उपचार एवं २. अर्पण । उपचार प्राप्त करने पर उसे बढ़ाना चाहिये, अर्पण प्राप्त करने पर भी उसे बढ़ाना चाहिये । किन्तु किसी एक में तो अवश्य बढ़ाना चाहिये, इसीलिये कहा है—“जैसा प्रतिभागनिमित्त प्राप्त दुआ है, उसे बढ़ाना चाहिये ।”

निमित्त को बढ़ाने की विधि

४९. उस निमित्त के वर्धन (=बढ़ाने) की विधि इस प्रकार है—

उस मिशु को वह निमित्त उस प्रकार नहीं बढ़ाना चाहिये जैसे पात्र, पूआ, भात, लता, वस्त्र आदि को बढ़ाया जाता है, अपितु जैसे कृषक जोतने योग्य स्थान को ढल से धेरकर (=सीधा बढ़ाकर) उसी सीमा के भीतर जोतता है; अथवा जैसे मिशु सीमानिर्धारण करते हुए पहले निमित्तों का विचार कर बाद में उसे बाँधता है; उसी प्रकार उसे यथाप्राप्त निमित्त को क्रमशः एक अम्भुल, दो अम्भुल, तीन अम्भुल, चार अम्भुल सात्र मन द्वारा परिसीमित कर, उस सीमा के अनुसार बढ़ाना चाहिये; दिन परिसीमित किये नहीं । तत्पक्षात् एक बालिश्ट, एक हाथ, एक गलियारा, एक परिवेण (=भदन), एक विहार की सीमा, एक ग्राम-निगम-जनपद-राज्य या समुद्र सीमा तक परिसीमित कर या समस्त बड्हाण्ड (=चक्रबाल) दंक परिसीमित कर या उससे भी आगे परिसीमित कर बढ़ाना चाहिये ।

५०. जिस प्रकार हंसों के बच्चों को जब पहुँ निकलते हैं, तो थोड़ी थोड़ी दूर तक उड़ने का अभ्यास कर क्रमशः वे चन्द्र-सूर्य के पास तक चले जाने की शक्ति पा जाते हैं; इसी प्रकार मिशु यथाविधि निमित्त को परिसीमित कर बढ़ाते हुए समस्त बड्हाण्ड की सीमा तक या उससे भी आगे बढ़ाता है; तब उसका वह निमित्त जिस श्री स्थान में बढ़ाया गया है, उसमें वह पृथ्वी के ऊचे-नीचे

५१. तस्मि पन निमित्ते पत्तपठमज्जानेन आदिकम्भिकेन समाप्तज्ञबहुलेन भवितव्यं, न पच्चवेक्षणबहुलेन। पच्चवेक्षणबहुलस्स हि ज्ञानङ्गानि थूलानि दुब्बलानि हुत्वा उपद्वृहन्ति। अथस्य तानि एवं उपद्वृत्तता उपरि उत्सक्तनाय पच्चयतं आपञ्जन्ति। सो अप्यगुणे ज्ञाने उत्सक्तमानो पत्तपठमज्जाना च परिहायति, न च सक्रोति दुतियं पापुणितुं।

तेनाह भगवा—

“सेय्यथापि, भिक्खुवे, गावी पञ्चतेव्या बाला अब्यत्ता अखेत्तज्जू अकुसला विसमे पञ्चते चरितुं। तस्सा एवमस्स यं नूनाहं अगतंपुञ्चं चेच दिसं गच्छेय्य, अखादितपञ्चानि च तिणानि खादेय्य, अपीतपुञ्चानि च पानीयानि पिबेय्य ति। सा पुरियं पादं न सुप्पतिद्वितं पतिद्वापेत्वा पञ्चिं पादं उद्धरेय्य, सा न चेच अगतंपुञ्चं दिसं गच्छेय्य, न च अखादितपञ्चानि तिणानि खादेय्य, न च अपीतपुञ्चानि पानीयानि पिबेय्य। यस्मि चस्सा पदेसे ठिताय एवमस्सा यं नूनाहं अगतंपुञ्चं चेच....ये०....पिबेय्य ति। तं च पदेसं न सोत्थिना पञ्चागच्छेय्य। तं किस्स हेतु ? तथा हि सा, भिक्खुवे, गावी पञ्चतेव्या बाला अब्यत्ता अखेत्तज्जू अकुसला विसमे पञ्चते चरितुं। एवमेव खो, भिक्खुवे, इथेकछो भिक्खु बालो अब्यत्तो अखेत्तज्जू अकुसलो विविच्चेव कामेहि....ये०....पठमं ज्ञानं उपसम्पद विहरितुं। सो तं निमित्तं नासेवति, न भावेति, न बहुलीकरोति, न स्वाधिद्वितं अधिद्वाति। तस्स एवं होति यं नूनाहं वितक्षिचिचारानं वूपसमाये०....दुतियं ज्ञानं उपसम्पद विहरेय्य ति। सो न सक्रोति स्थान, नदी, दुर्गम स्थल, विषम पर्वतों पर सौ कीले गाड़कर फैलाये गये बैल के चमड़े के समान होता है।

५२ उस निमित्त में प्रथम ध्यान प्राप्त करने वाले प्रारम्भिक योगी को अधिक समय तक ध्यान की स्थिति में रहना चाहिये। अधिकतर प्रत्यवेक्षण नहीं करना चाहिये। जो अधिक प्रत्यवेक्षण करता है, उसके ध्यानाङ्ग स्थूल और दुर्बल रूप में उपस्थित होते हैं। वे इस प्रकार उपस्थित होने पर, आगे के विषय में उत्सुकता के कारण बन जाते हैं। वह मिशु अल्पाण, अपरिचित या उच्चस्तरीय ध्यान के विषय में उत्सुक होने पर, प्राप्त प्रथम ध्यान से भी हाश थो बैठता है और द्वितीय ध्यान तो प्राप्त ही नहीं कर पाता।

इसलिये भगवान् ने कहा है—‘जैसे, मिशुओ, कोई पहाड़ी, मूर्ख, अनुभवहीन, चरने के स्थान को न जानने वाली अकुशल गाय ऊँची नीची पहाड़ी भूमि पर चरने में निपुण न हो, वह ऐसा विचार करे—‘क्यों न मैं पहले न गये स्थान पर जाऊँ, पहले न खायी घास खाऊँ, पहले न पिया जल पिऊँ’ और अगले ऐर को अच्छी तरह से टिकाये विना पिछला ऐर उठा ले। तब वह न अगत स्थान पर ही जा यायगी, न पहले अमुक घास खा पायगी, न पहले न पीया जल ही पी पायगी। इतना ही नहीं, वह उस स्थान पर सुरक्षित नहीं लौट सकेगी जहाँ खड़ी होकर उसने सोचा था कि ‘क्यों न मैं न गये तुप...पूर्ववत्...पिऊँ; क्योंकि, मिशुओ, वह पहाड़ी, मूर्ख, अनुभवहीन, चरने की जगह को न जानने वाली गाय असमतल पहाड़ पर चरने में निपुण नहीं है। इसी प्रकार, मिशुओ, यहाँ कोई कोई मूर्ख, अनुभवहीन, क्षेत्र को न जानने वाला मिशु कामों से रहित होकर प्रथम ध्यान को प्राप्तकर विहार करने में निपुण नहीं होता। वह उस निमित्त का न सेवन करता है, न भावना करता है, न वृद्धि करता है, न उसे भलीभांति प्रतिष्ठित करता है। वह ऐसा सोचता है—‘क्यों न मैं विश्वर्क—विचार का उपशमन कर...द्वितीय ध्यान प्राप्त कर विहार करूँ’ वह विश्वर्क—विचारों का उपशम होने पर द्वितीय ध्यान को प्राप्त कर विहार करने में समर्थ नहीं होता। तब वह सोचता है—‘क्यों न मैं कामों से रहित

वितक्षविचारानं वूपसमापे०....दुर्तियं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरितुं । तस्सेवं होति यं नूनाहं विविच्चेव कामेहिपे०....पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरितुं । अयं बुच्चति, भिक्खुवे, भिक्खु उभतो भट्टो, उभतो परिहीनो, सेव्यथापि गावी पञ्चतेय्या बाला अब्यत्ता अखेतरङ्गु अकुसला विसमे पञ्चते चरितुं''(अं०४-५७)ति ।

तस्मानेन तर्स्मिं येव ताव पठमज्ञाने पञ्चहाकारेहि निष्णवसिना भवितव्यं ।

पञ्चवसीकथा

५२. तत्रिमा पञ्च वसियो—१. आवज्जनवसी, २. समापज्जनवसी, ३. अधिष्ठानवसी, ४. बुद्धानवसी, ५. पञ्चवेक्षणवसी ति । पठमं ज्ञानं यत्थिच्छकं थदिच्छकं यावदिच्छकं आवज्जेति, आवज्जनाय दन्धायिततं नत्थी ति आवज्जनवसी । पठमं ज्ञानं यत्थिच्छकंपे०....समापज्जति, समापज्जनाय दन्धायिततं नत्थी ति समापज्जनवसी । एवं सेसापि वित्थारेतब्बा ।

अयं पनेत्थ अत्थप्यकासना—

(१) पठमज्ञानतो बुद्धाय पठमं वितक्षं आवज्जयतो भवङ्गु उपच्छिरादत्प्रा उप्य-श्रावज्जनानन्तरं वितक्षरम्पणानेव चत्तारि पञ्च वा जवन्ति, ततो द्वे भवङ्गुनि, ततो पुन विचाराम्पणं आवज्जनं, बुद्धनयानेव जवनानी ति एवं पञ्चसु ज्ञानङ्गेषु यदा निरन्तरं चित्तं परेतुं सक्षोति, अथस्स आवज्जनवसी सिद्धा होति । अयं पन मत्थकप्यत्ता वसी भगवतो यमकपाटिहारिये लब्धति, अञ्जेसं वा एवरूपे काले । इतो परं सीधतरा आवज्जनवसी नाम नत्थि ।

क्षेकर...प्रथम ध्यान प्राप्त कर यिहार कर्त्तुं ॥ किन्तु अब वह कामो से रहित होकर...प्रथम ध्यान प्राप्त कर यिहार करने में भी समर्थ नहीं होता । भिक्षुओं, इसी भिक्षु के लिये कहा जाता है कि वह दोनों ओर से झष्ट हो गया, दोनों ओर से हीन हो गया, जैसे कि वह पहाड़ी, मुर्ढी, अनुभवहीन, चरने का स्थान न जानने वाली गाय ऊँचे-नीचे पहाड पर चरने में निपुण नहीं होती'' (अं० नि० ४.५७) ।

इसलिये उस भिक्षु को सर्वप्रथम उसी प्रथम ध्यान में पाँच प्रकार की वशिताएँ (=यथारुचि प्रवृत्ति की क्षमता) प्राप्त करनी चाहिये ॥

पाँच वशिताएँ

५२. वे पाँच वशिताएँ ये हैं— १. आवर्जनवशिता, (=ध्यान देना, मन को विषयोन्मुख करना)—२. (ध्यान) प्राप्तिवशिता, ३. अधिष्ठानवशिता, ४. उत्थानवशिता, ५. प्रत्यक्षेक्षणवशिता । जो प्रथम ध्यान की ओर जहाँ चाहे, जब चाहे, जब तक चाहे तब तक आवर्जन करता है वह आवर्जन-वसी है । जो प्रथम ध्यान को जहाँ चाहे...प्राप्त करता है, प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती वह आवर्जन को सम्पत्तया प्राप्त करने में दशी है । इसी प्रकार शेष की भी व्याख्या कर लेनी चाहिये ।

यहाँ इस अर्थ (व्याख्या) का स्पष्टीकरण इस प्रकार है— (१) जब वह प्रथम ध्यान से उठता है और सर्वप्रथम वित्कं की ओर आवर्जन करता है, तब भवाङ्गु का उपच्छेद करते हुए उत्पन्न होने वाले आवर्जन के पक्षात् वित्कं को ही आलम्बन बनाकर चार या पाँच जवनवित्त जवन करते हैं । तत्पक्षात् दो भवाङ्गु, तत्पक्षात् विचार को आलम्बन बनाने वाला आवर्जन, उपर्युक्त प्रकार से जवन—इस प्रकार पाँच ध्यानाङ्गों में जब वह भिक्षु वित्त को निरन्तर प्रेषित करने में समर्थ होता है, तब वह आवर्जनवशिता में सिद्ध हो गया होता है । किन्तु यह वशिता अपने चरम रूप में भगवान् के

(२) आयस्मतो पन महामोगलानस्स नन्दोपनन्दनागराजदमने विय सीधं समापज्जनसमत्थता समापज्जनवसी नाम।

(३) अच्छरामतं वा दसच्छरामतं वा खणं ठपेतुं समत्थता अधिद्वानवसी नाम।

(४) तथेव लहुं बुद्धातुं समत्थता बुद्धानवसी नाम। तदुभ्यदस्सनत्थं बुद्धरक्षित-त्थेरस्स वत्थुं कथेतुं बढ़ति।

सो हायस्मा उपसम्पदाय अट्टवस्सिको हुत्वा थेरम्बत्थले महारोहणगुणत्थेरस्स गिलानुपद्वानं आगतानं तिंसमत्तानं इद्धिमन्तसहस्सानं मझे निसिनो, “थेरस्स याणुं पटिगाहयमानं उपद्वाकनागराजानं गहेस्सामी” ति आकासतो पक्खन्दन्तं सुपण्णराजानं दिस्वा तावदेव पब्बतं निम्मिनित्वा नागराजानं बाहायं गहेत्वा तत्थ पाचिसि। सुपण्णराजा पब्बते पहारं दत्वा पलायि। महाथेरो आह—“सचे, आवुरगे, बुद्धरक्षितो नाभविस्स, सब्बे व गारण्हा अस्सामा” ति।

(५) पञ्चवेक्खणवसी पन आवज्जनवसिया एव चुत्ता। पञ्चवेक्खणजवननेव हि तथ आवज्जनानन्तरानी ति॥

दुतियज्ञानकथा

५३. इमासु पन पञ्चसु वसीसु चिण्णवसिना पगुणपठभज्ञानतो बुद्धाय “अयं समापत्ति आसन्नीवरणपञ्चत्थिका, वितक्कविचारानं ओळारिकत्ता अङ्गदुब्बला” ति च तथ दोसं दिस्वा दुतियं ज्ञानं सन्ततो मनसिकत्वा पठमज्ञाने निकिन्तिं परिवादाय दुतियाधिगमाय योगो कातब्बो।

यमकप्रातिहार्य (द्र० पटिसमिभदाभग, १.६०) मे ही पारी जाती है या अन्यो के तद्वूप समय मे। उससे शीघ्रतर अन्य कोई आवज्जनवशिता नहीं है।

(२) आयुष्मान् महामोगलान द्वारा नन्द, उपनन्द नागराज के दमन के समान शीघ्र प्राप्ति की क्षमता प्राप्तिवशिता (समापादनवशिता) है।

(३) एक चुटकी (अक्षरा) या दस चुटकी बजाने मे जितना समय लगता है, उतने समय तक ध्यान को रोके रहने की क्षमता ही अधिष्ठानवशिता है।

(४) ऐसे ही (ध्यान से) शीघ्र उठने की क्षमता उत्थानवशिता है। इन अन्तिम दोनों के उदाहरण के रूप मे बुद्धरक्षित स्थविर की कथा कहनी चाहिये।

वे आयुष्मान् जब उपसम्पदा-प्राप्ति के बाद, आठ वर्ष बीतने पर, स्थविराग्रस्थल मे महारोहणगुण स्थविर की परिचर्या करने के लिये आये हुए तीस हजार ऋद्धिमानों के बीच मे बैठे हुए थे “स्थविर को जब यदागु देगा तब इस सेवक नागराज को पकड़ूगा”—ऐसा (सोचकर) आकाश से झापटते हुए गरुडराज को देखने पर स्थविर उसी समय एक पर्वत ऋद्धिबल से निर्मित कर नागराज को बाँहो से पकड़कर उस पर्वत मे प्रवेश कर गये। गरुडराज पर्वत पर प्रहार कर भाग गया। महास्थविर ने कहा—“आयुष्मान! यदि इस समय बुद्धरक्षित यहाँ न होते, तो आज हम सबको लजित होना पड़ता।”

(५) पञ्चवेक्खणवशिता का वर्णन आवर्जनवशिता के समान ही किया गया है; क्योंकि आवर्जन के अनन्तर ही प्रत्यवेक्षण-जदन होते हैं।

द्वितीय ध्यान

५४. इन पाँच वशिताओं मे निपुणताप्राप्त मिक्षु को उस अभ्यस्त प्रथम ध्यान से उठकर “यह समापत्ति (=ध्यान की प्राप्ति) प्रतिपक्षभूत नीदरणों की समीपवर्ती है, वितक्क-विचारों की स्थूलता के

अथस्स यदा पठमज्ञाना बुद्धाय सतस्स सम्पज्जनस्स ज्ञानज्ञानि पञ्चवेक्षणो वितक्र-विचार ओळारिकतो उपद्गुहन्ति, पीतिसुखं चेव चित्तेकगगता च सन्ततो उपद्गुति, तदास्स ओळारिकज्ञप्यहानाय सन्तज्ञपटिलाभ्य च तदेव निमित्तं "पथवी पथवी" ति पुनप्युनं मनसि-करोतो "इदानि दुतियज्ञानं उप्पज्जिस्ती" ति भवज्ञं उपच्छन्तित्वा तदेव पथवीकसिणं आरम्पणं कत्वा मनोद्वारावज्जनं उपज्जति ततो तर्स्म येवारम्मणे चत्तारि पञ्च वा जवनानि जवन्ति, येसं अवसाने एकं रूपावचरं दुतियज्ञानिकं । सेसानि बुत्तप्यकारानेव कामावचरानी ति ।

एतावता चेस "वितक्रविचारानं वूपसमा अज्ञतं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितक्रं अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । (दी० १-६५) एवमनेन दुवज्ञविप्यहीनं तिवज्ञसमन्नागतं तिविधकल्याणं दसलक्खणसम्पन्नं दुतियं ज्ञानं अधिगतं होति पथवीकसिणं ।

५३. तत्थ वितक्रविचारानं वूपसमा ति । वितक्रस्स च विचारस्स चा ति इमेसं द्विन् वूपसमा समतिकमा, दुतियज्ञानक्षणे अपातुभावा ति बुत्तं होति । तत्थ किञ्चापि दुतियज्ञाने सब्जे पि पठमज्ञानधम्मा न सन्ति । अब्जे येव हि पठमज्ञाने फस्सादयो, अब्जे इथ । ओळारिकस्स पन अज्ञस्स समतिक्रमा पठमज्ञानतो परेसं दुतियज्ञानादीनं अधिगमो होती ति दीपनत्थं "वितक्रविचारानं वूपसमा" ति एवं बुत्तं ति वेदितब्जं ।

कारण दुर्बल अज्ञो वाली है" इस प्रकार उसमे दोष देखते हुए, द्वितीय ध्यान को शान्तिपूर्वक मन में लाते हुए प्रथम ध्यान की कामना (अपेक्षा) त्यागकर द्वितीय ध्यान की प्राप्ति के लिये उद्योग करना चाहिये ।

जब प्रथम ध्यान से ऊपर उठकर, निरन्तर सादधान रहने वाला यह भिक्षु ध्यानाङ्गों का प्रत्यवेक्षण करता है, तब उसके वितक्र-विचार स्थूल रूप में उपस्थित होते हैं, प्रीति-सुख और चित्त की एकाग्रता शान्त रूप में (या निरन्तर) उपस्थित रहते हैं । स्थूल अज्ञों के प्रहाण के लिये और शान्त रूप में उपस्थित अज्ञों के लाभ के लिये उसी निमित्तं "पृथ्वी, पृथ्वी" को पुनः मन में लाते हुए "अब द्वितीय ध्यान उत्पन्न होगा" इस प्रकार भवाङ्क का उपच्छेद कर, उसी पृथ्वीकसिण को आलम्बन बनाकर मनोद्वारावर्जन चित्त उत्पन्न होता है । तब उसी आलम्बन में चार या पाँच जवनवित्त ज्यवन करते हैं, जिनका अन्तिम चित्त एकरूपवादचर एवं द्वितीय ध्यान का होता है । शेष, कहे गये प्रकार से ही, कामावचर होते हैं ।

इतने व्याख्यान से— "वितक्रविचारानं वूपसमा अज्ञतं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितक्रं अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । (दी० १-६५) एवमनेन दुवज्ञविप्यहीनं तिवज्ञसमन्नागतं तिविधकल्याणं दसलक्खणसम्पन्नं दुतियं ज्ञानं अधिगतं होति पथवीकसिणं"—इस पालिपाठ का विवरण सम्पन्न हुआ ।

५३. वितक्रविचारानं वूपसमा— वितक्र-विचारो का शमन हो जाने से । वितक्र एवं विचार इन दोनों का उपशमन, समतिकमण हो जाने से तथा द्वितीय ध्यान के क्षण में इनके प्राप्त न होने के कारण ऐसा कहा गया है । यद्यपि द्वितीय ध्यान में प्रथम ध्यान के सभी धर्म नहीं रहते, क्योंकि प्रथम ध्यान में स्पर्श आदि अन्य ही धर्म होते हैं और यहां द्वितीय ध्यान में अन्य, किन्तु स्थूल अज्ञों के समतिकमण से प्रथम ध्यान से भिन्न द्वितीय ध्यान आदि की प्राप्ति होती है—इसे दिखाने के लिये "वितक्र-विचारो का शमन हो जाने से" यह कहा गया है—ऐसा जानना चाहिये ।

५४. अज्ञातं ति । इथ नियकज्ञातं अधिष्ठेतं । विभङ्गे पन “अज्ञातं पच्चतं” ति एतकमेव चुतं । यस्मा च नियकज्ञातं अधिष्ठेतं, तस्मा अत्तनि जातं, अत्तनो सन्ताने निष्वत्तं ति अयमेत्थ अत्थो । सम्प्रसादनं कुच्छति सद्गा । सम्प्रसादनयोगतो ज्ञानं पि सम्प्रसादनं । नीलवर्णयोगतो नीलवर्थं विष्य । यस्मा वा तं ज्ञानं सम्प्रसादनसम्बन्धागतता वित्क-विचारक्षोभवूपसमनेन च चेतसो सम्प्रसादयति, तस्मा पि सम्प्रसादनं ति चुतं । इमर्स्मि च अत्थविकष्ये सम्प्रसादनं चेतसो ति एवं पदसम्बन्धे वेदितब्बो । पुरिमर्स्मि पन अत्थविकष्ये चेतसो ति एतं एकोदिभावेन सद्गु योजेतब्ब ।

५५. तत्रायं अत्थयोजना—एको उदेती ति एकोदि, वित्कविचारेहि अनज्ञास्तुहता आगो सेष्टो हुत्वा उदेती ति अत्थो । सेष्टो पि हि लोके एको ति कुच्छति । वित्कविचारविरहतो वा एको असहायो हुत्वा इति पि वजुं वद्वति । अथ वा सम्प्रयुतथम्ये उदायती ति उदि, उद्गुपेती ति अत्थो । सेष्टुद्गुन एको च सो उदि वा ति एकोदि, समाधिसरेत अधिवचनं । इति इमं एकोदिं भावेति वड्वेती ति इदं दुतियज्ञानं एकोदिभावं । सो पनायं एकोदि यस्मा चेतसो, न सत्तस्स, तस्मा एतं चेतसो एकोदिभावं ति चुतं ।

५६. ननु चायं सद्गा पठमज्ञाने पि अत्थ, अयं च एकोदिनामको समाधि, अथ कस्मा इदमेव “सम्प्रसादनं चेतसो एकोदिभावं चा” ति चुतं? कुच्छते—अदुं हि पठमज्ञानं वित्कविचारक्षोभेन वीचितरङ्गसमाकुलमिव जलं न सूप्पसन्नं हति, तस्मा सतिया पि

५४. अज्ञातं—अध्यात्म (=आध्यान्तर) । स्वयं का अध्यात्म । किन्तु विभाग मे—“अध्यात्म=प्रत्यात्म” इस प्रकार दोनों को एक के रूप में ही कहा गया है । क्योंकि यहाँ स्वयं का अध्यात्म अभिप्रेत है, अतः यहाँ ‘स्व (वित्त-) सन्तति में उत्पन्न’—यही अर्थ है ।

सम्प्रसादनं (प्रसन्नता)—प्रसन्नता ‘श्रद्धा’ को कहते हैं । प्रसन्नता के योग से ध्यान भी प्रसन्नता रूप होता है, जैसे नीले रंग के योग से ‘नीला वस्त्र’ कहा जाता है । अथवा, क्योंकि यह ध्यान प्रसन्नतायुक्त होने के कारण वित्क-विचार रूप शोभ का शमन करने से वित्त को प्रसन्न करता है, इसलिये भी प्रसन्नतारूप कहा जाता है । यह अर्थ मानने पर “चित्त की प्रसन्नता”—ऐसा पद—सम्बन्ध समझना चाहिये । किन्तु पहले वाला अर्थ मानने पर “वित्त का” शब्द को एकान्त भाव (=एकोदित भाव) के साथ जोड़ना चाहिये ।

५५. यहाँ ‘एकोदिभाव’ शब्द की अर्थ—योजना इस प्रकार है—(१) अकेले उदित होता है । अतः एकोदित है । (२) वित्क-विचार इस पर आरूढ़ नहीं है, अतः अग्र, श्रेष्ठ होकर उदित होता है—यह अर्थ है । (३) क्योंकि श्रेष्ठ को ही लोक में ‘एक’ कहते हैं । (४) या यह भी कहा जा सकता है कि वित्क-विचार से रहित, अकेला, असहाय होकर उदित होता है । (५) या सम्प्रयुक्त घर्मों को उदित करता है । अतः उदय (=उदि) है, जिसका अर्थ है—उदित करता है । (६) श्रेष्ठ के अर्थ में एक है और वह उदित करता है अतः ‘एकोदित’ है । यह समाधि का अधिवचन (पर्याय) है । (७) क्योंकि यह एकोदित की भावना करता है, बढ़ाता है, अतः यह ध्यान एकोदयभाव है । और (८) क्योंकि यह एकोदय वित्त का है, सत्त्व का या जीव का नहीं, अतः इसे वित्त का एकोदयभाव कहा गया है ।

५६. किन्तु यह श्रद्धा तो प्रथम ध्यान में भी होती है और वही एकोदय नामक समाधि है, तब क्यों इसे ही ‘प्रसन्नता’ और वित्त का ‘एकोदय भाव’ कहा गया है?

इसका उत्तर है—इसलिये, क्योंकि प्रथम ध्यान वित्क-विचारजन्य क्षोभ के कारण वीचि

सद्ग्राय “सम्पसादनं” ति न वुत्तं। न सुप्पसन्ता येव चेत्थ समाधि पि न सुदु पाकटो, तस्मा “एकोदिभावं” ति पि न वुत्तं। इमर्स्मि पन ज्ञाने वितक्षचित्तारपलिबोधाभावेन सद्ग्रोकासा बलवती सद्ग्रा, बलवसद्ग्रासहायपटिलाभेनेव च समाधि पि पाकटो, तस्मा इमरेव एवं वुत्तं ति वेदितब्बं। विभद्गे पन “सम्पसादनं ति या सद्ग्रा सद्ग्रहना ओकप्पना अभिप्पसादो। चेतसो एकोदिभावं ति या चित्तस्म टिति पे०.... सम्भासमाधी” (अधि० २-३१०) ति एतकमेव वुत्तं। एवं वुत्तेन पन तेन सद्ग्रिं उर्यं अत्थवण्णना यथा न विरुद्धति, अर्जन्दत्थु सम्बन्दात चेव समेति च, एवं वेदितब्बं।

५६. अवितक्कं अविचारं ति। भावनाय पहोनत्ता एतर्स्मि, एतस्स वा वितक्को नत्ये ति अवितक्कं। इमिना व नयेन अविचारं। विभद्गे पि वुत्तं—“इति अयं च वितक्को अयं च विचारो सन्ता होन्ति समिता, वृपसन्ता अत्थहृता अव्यवहृता अभिप्तिव्यप्तिविसेसिता व्यन्तीकता, तेन वुच्चति अवितक्कं अविचारं” ति।

५८. एत्थाह—“ननु च वितक्कविचारानं वृपसमा ति इमिना पि अयमत्थो सिद्धो, अथ कस्मा पुन वुत्तं अवितक्कं अविचारं” ति? वुच्चते—एवमेतं; सिद्धो वायमत्थो, न पनेतं तदत्थदीपकं। ननु अवोचुम्ह—“ओळारिकस्स पन अङ्गस्स समतिक्कमा पठमज्ञानतो परेसं दुतियज्ञानादीनं समधिगमो होती ति दस्सनत्थं ‘वितक्कविचारानं वृपसमा’ ति एवं वुत्तं” ति।

अपि च वितक्कविचारानं वृपसमा इदं सम्पसादनं, न किलेसकालुस्सियस्स।

(उचाल तरङ्ग) और तरङ्गो (छोटी लहरो) द्वारा चक्षल (=समाकुल) जल के समान मलीभाँति प्रसन्न नहीं होता, अतः (श्रद्धा के) रहने पर भी श्रद्धा को प्रसन्नता (=सम्पसादन) नहीं कहा गया है। मलीभाँति प्रसन्न न होने से ही यहाँ प्रथम ध्यान में समाधि मी मलीभाँति प्रकट नहीं हो पाती, अतः ‘एकोदय भाव’ भी नहीं कहा गया। किन्तु इस द्वितीय ध्यान में वितर्कविचाररूप बाधाओं का अभाव होने से, श्रद्धा को सबल होने का अवसर मिलता है, सबल श्रद्धा की सहायता पाकर समाधि भी प्रकट होती है, अतः इस द्वितीय ध्यान को ही ऐसा कहा गया है—ऐसा समझना चाहिये।

किन्तु विभद्ग में “श्रद्धा, श्रद्धा करना, विश्वास, प्रसन्नता ही सम्पसादन है। वित्त की स्थिति पूर्ववत् सम्यक्समाधि ही एकोदय भाव है” (श्रद्धा और सम्पसादन को) एक ही अर्थ में कहा गया है। इस कथन के साथ इस (उपर्युक्त) अर्थ का विरोध नहीं है, अपितु वह भी हरे मिलता है एवं इसके समान है—ऐसा समझना चाहिये।

५७. अवितक्कं अविचारं (अवितर्क—अविचार)। भावना का प्रहाण हो जाने से इसमें या इसका वितर्क नहीं है, अतः ‘अवितर्क’ है। इसी प्रकार ‘अविचार’ है। विभद्ग में भी कहा गया है—“क्योंकि ये वितर्क और ये विचार शान्त (निरोधप्राप्त) शमित, वही मलीभाँति शमित, विनष्ट, मलीभाँति विनष्ट, (प्रवृत्ति नामक सन्तति के अभाव के कारण) शोषित (शुष्क), समाप्त (अन्तप्राप्त) हो जाते हैं, अतः ‘अवितर्क—अविचार’ कहे जाते हैं।

५८ यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है—“वितर्क—विचारों का शमन हो जाने से”—इस कथन से भी तो यही (उपर्युक्त) अर्थ सिद्ध होता है, किर पुनः “अवितर्क अविचार” क्यों कहा गया? उत्तर है—बात आप की ठीक ही है, अथवा यह अर्थ सिद्ध है, किन्तु यह अर्थ को स्पष्ट करने वाला नहीं है। क्या हमने पहले नहीं कहा था—“स्थूल अङ्गों के समतिक्मण से प्रथम ध्यान से मिश्र द्वितीय ध्यान आदि की प्राप्ति होती है, इसे समझाने के लिये ‘वितर्क—विचारों के शमित हो जाने से’ ऐसा कहा गया है!”

वितक्कविचारानं च वूपसमा एकोदिभावं, न उपचारज्ञानमिव नीवरणप्पहाना, पठमज्ञानमिव च न अङ्गपतुभावा ति एवं सम्प्रसादनएकोदिभावानं हेतुपरिदीपकमिदं वचनं। तथा वितक्कविचारानं वूपसमा इदं अवितक्कं अविचारं, न ततियचतुर्थज्ञानानि विय चक्रयुविज्ञाणादेनि विय च अभावा ति एवं अवितक्कअविचारभावस्स हेतुपरिदीपकं च, न वितक्कविचाराभावमत्तपरिदीपकं। वितक्कविचाराभावमत्तपरिदीपकमेव पन् “अवितक्कं अविचारं” ति इदं वचनं। तस्मा पुरिमं वत्वा पि वत्तब्बमेवा ति।

५९. समाधिजं ति। पठमज्ञानसमाधितो सम्प्रयुतसमाधितो वा जातं ति अत्थो। तत्थ किञ्चापि पठमं पि सम्प्रयुतसमाधितो जातं, अथ खो अयमेव समाधि “समाधी” ति वत्तब्बतं अरहति, वितक्कविचारक्षोभविरहेन अतिविय अचलता, सुप्प्रसन्नता च। तस्मा इमस्स वण्णभणमत्थं इदमेव “समाधिजं” ति वुतं। पीतिसुखां ति। इदं वृत्तनयमेव।

६०. दुतियं ति। गणनानुपब्बता दुतियं। इदं दुतियं समापञ्जती ति पि दुतियं। यं पन् वुतं—“दुवङ्गविष्पहीनं तिवङ्गसमग्रागतं” ति। तत्थ वितक्कविचारानं पहानवसेन दुवङ्गविष्पहीनता वेदितब्बा। यथा च पठमज्ञानस्स उपचारक्षणे नीवरणानि पहोयन्ति, न तथा इमस्स वितक्कविचारा। अप्पनाक्षणे येव पनेतं तेहि उपज्ञाति। तेनस्स ते “पहानङ्गं” ति वुच्चन्ति। पीति, सुखं, चित्तेकगगता ति इमेसं पन् तिणं उप्पत्तिवसेन तिवङ्गसमग्रागता वेदितब्बा। तस्मा यं विभङ्गे “ज्ञानं ति सम्प्रसादो पीति सुखं चित्तस्स एकगगता” (अभिम्

और शी—वितर्क—विचारों का भलीभाँति शमन ही सम्प्रसादन है, क्लेश (रूप) कालुध (अपवित्रता) का नहीं। इसी प्रकार इस ध्यान में वितर्क—विचारों का शमन ही एकोदय भाव है, उपचार—ध्यान में जैसे होता है उस के समान नीवरणों का प्रहाण नहीं, न ही प्रथम ध्यान के समान अङ्गों का ही प्राप्त होना। इस प्रकार यह वचन सम्प्रसादन एवं एकोदय भाव के हेतु को स्पष्ट करने वाला है। इसी तरह इस ध्यान में वितर्क—विचारों का शमन ही अवितर्क—अविचार है, तुरीय—वतुर्थ ध्यानों के समान एवं चक्रुर्ध्वज्ञान आदि के समान उनका अभाव होना नहीं। इस प्रकार यह वचन अवितर्क—अविचार के भाव (=होने) के हेतु को सूचित करता है, वितर्क—विचार के अभावशात्र को नहीं। जबकि “अवितर्क—अविचार” यह वचन वितर्क—विचार के अभावशात्र का ही सूचक है। इसलिये पहले कहे जाने पर भी पुनः कहना चाहिये ही था।

५९. समाधिजं (समाधि से उत्पन्न)—प्रथम ध्यान रूप समाधि से या सम्प्रयुक्त समाधि से उत्पन्न। यद्यपि प्रथम ध्यान शी सम्प्रयुक्त समाधि से उत्पन्न है, तथापि यही समाधि वितर्क—विचारजन्य क्षण से रहित होने के कारण अत्यधिक स्थिर एवं भलीभाँति प्रसन्नता से युक्त होने से ‘समाधि’ कही जाने योग्य है—यह बताने के लिये इसी को “समाधि से उत्पन्न” कहा गया है।

पीतिसुखं—पूर्णांक के अनुसार ही समझना चाहिये।

६०. दुतियं—गणना-क्रम में द्वितीय। यह दूसरी बार प्राप्त होता है, इस लिये भी द्वितीय है। जो कहा गया है—‘दो अङ्गों से रहित, तीन अङ्गों से युक्त’—वहीं वितर्क—विचार के प्रहाण के रूप में इसकी दो अङ्गों से रहितता जाननी चाहिये। और जैसे प्रथम ध्यान के उपचार—क्षण में नीवरणों का प्रहाण होता है, वैसे इस ध्यान के उपचार—क्षण में वितर्क—विचारों का प्रहाण नहीं होता। केवल अर्धण के क्षण में ही यह ध्यान उनके बिना उत्पन्न होता है। इसलिये वैसे इसके प्रहाणाङ्क कहे जाते हैं। प्रीति, सुख, वितर्काग्रता—इन तीनों की उत्पत्ति के रूप में ‘तीन अङ्गों से समन्वयागत होना’ जानना चाहिये। इसलिये विभङ्ग में जो यह कहा गया है—“ध्यानः प्रसन्नता, प्रीति, सुख, एकाग्रता” वह परिष्कार

२-३१) ति बुत्त तं सपरिक्खारं ज्ञानं दस्सेरुं परियायेन बुत्तं। उपेत्वा पन सम्पसादनं निष्परियायेन उपनिज्ञानलक्खणपत्तानं अङ्गानं वसेन तिवज्ज्ञिकमेव एतं होति। यथाह— “कतमं तर्स्मि समये तिवज्ज्ञिकं ज्ञानं होति? पीति सुखं चित्तस्स एकगता” (अभिं २-३१) ति। सेसं पठमज्ञाने बुत्तनयमेव।

ततियज्ञानकथा

६१. एवमधिगते पन तर्स्मि पि बुत्तनयनेव पञ्चहाकारेहि चिण्णवसिना हुत्वा पगुणदुतियज्ञानतो बुद्धाय “अयं समापत्ति आसन्नवितक्षब्दिचारपच्चत्थिका, ‘यदेव तत्थ पीतिगतं चेतसो उप्पिलावितं, एतेनेतं ओळारिकं अक्खायती’ (दी० १-३३) ति बुत्ताय पीतिया ओळारिकता अङ्गदुब्बला ति च तत्थ दोसं दिस्या ततियज्ञानं सन्ततो मनसिकरित्वा दुतियज्ञाने निकन्तिं परियादाय ततियाधिगमाय योगो कातब्बो। अथस्स यदा दुतियज्ञानतो बुद्धाय सतस्स सम्पज्ञानस्स ज्ञानज्ञानि पच्चवेक्खतो पीति ओळारिकतो उपद्धाति, सुखं चेव एकगता च सन्ततो उपद्धाति। तदास्स ओळारिकङ्गप्पहानाय सन्तङ्गपटिलाभाय च तदेव निमित्तं “पथवी पथवी” ति पुनप्पुन मनसिकरोते “इदानि ततियज्ञानं उप्पज्जिस्ती” ति भवङ्गं उपच्छन्दित्वा तदेव पथवीकसिणं आरम्भणं कत्वा मनोद्वारावज्जनं उप्पज्जति। ततो तर्स्मि येवारम्भणे चत्तारि पञ्च वा जवनानि जवन्ति, येसं अवसाने एकं रूपावचरं ततियज्ञानिकं, सेसानि बुत्तनयनेव कामावचरानी ति।

६२. एतावता च पनेस “पीतिया च विरागा उपेक्खको च विहरति सतो च;

(=संसाधनो) के साथ ध्यान को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से आलङ्गारिक रूप से कहा गया है। दि न्तु आलङ्गारिक रूप से न कहे जाने पर, प्रसन्नता को छोड़कर, विचार (=उपनिज्ञान) के लक्षण वाले अङ्गों के अनुसार यह तीन अङ्गों वाला ही होता है। जैसा कि कहा है—“उस सप्तय कौन से तीन अङ्गों वाला ध्यान होता है? प्रीति, सुख, चित्त की एकागता”; शेष प्रथम ध्यान के विषय में कहे गये के अनुसार ही है।

तृतीय ध्यान

६१. यो द्वितीय ध्यान प्राप्त हो जाने पर, उसमें भी पूर्वोक्त विधि के अनुसार ही पाँच प्रकार से निष्पुण होकर अभ्यस्त द्वितीय ध्यान से ऊपर उठकर—“यह समापत्ति प्रतिपक्षभूत वितर्क-विचार की समीपवर्तीनी है, उसमें यह जो प्रीतियुक्त चित्त का उत्कृष्ट होना है, उसी कारण से यह स्थूल कही जाती है” (दी० १.३३) इस प्रकार कही गयी “प्रीति के स्थूल होने से वह दुर्बल अङ्गवाली है” ऐसे उस द्वितीय ध्यान में दोष देखकर तृतीय ध्यान की ओर शान्तिपूर्वक भन लगाकर, द्वितीय ध्यान की कामना छोड़कर, तृतीय ध्यान की प्राप्ति के लिये उद्योग करना चाहिये। जब द्वितीय ध्यान से उठकर वह सृति और सम्प्रजन्य से युक्त मिशु ध्यानाङ्गों का प्रत्यवेक्षण करता है, तब प्रीति स्थूल रूप में उपस्थित प्रतीत होती है, सुख एवं एकागता शान्त रूप में उपस्थित होते हैं। तब यह मिशु स्थूल अङ्गों के प्रहाण एवं शान्त अङ्गों की प्राप्ति के लिये उसी ‘पृथ्वी, पृथ्वी’ निमित्त में बारम्बार भन लगाते हुए ‘अब तृतीय ध्यान उत्पन्न होगा’ ऐसा जानकर और भवाङ्ग का उपच्छेद कर उसी पृथ्वीकसिण को आलम्बन बनाकर मनोद्वारावज्जन चित्त उत्पन्न करता है। तत्पश्चात् उसी आलम्बन में चार या पाँच जवनवित जवन करते हैं, जिनमें से अन्तिम चित्त रूपावचर और तृतीय ध्यान का होता है, शेष पूर्वोक्त के अनुसार ही, कामावचर होते हैं।

६२. इतने ध्यान्यान से—“पीतिया च विरागा उपेक्खको च विहरति सतो च सम्पज्ञानो,

सम्पज्जानो, सुखं च कायेन पटिसेवेदेति, यं तं अरिया आचिक्खन्ति उपेक्खको सतिमा सुखविहारी ति, ततियं ज्ञानं उपसम्पञ्ज विहरती” (दी० १-६६) ति। एवमनेन एकङ्गविष्पहीनं दुवङ्गसमन्नागतं तिविधकल्याणं दसलक्खणसम्पन्नं ततियं ज्ञानं अधिगतं होति पथ्यवीकसिणं।

६३. तत्थ पीतिया च विरागा ति। विरागो नाम वृत्तप्रकाशय पीतिया जिगुच्छनं वा, समतिकमो वा। उभिन्नं पन अन्तरा च-सद्वो सम्पिण्डनत्थो, सो वूपसमं वा सम्पिण्डेति वितक्कविचारानं वूपसमं वा। तत्थ यदा वूपसममेव सम्पिण्डेति, तदा “पीतिया च विरागा किञ्च भिष्यो वूपसमा चा” ति एवं योजना वेदितब्बा। इमिस्सा च योजनाय विरागा जिगुच्छनत्थो होति, तस्मा “पीतिया जिगुच्छना च वूपसमा चा” ति अयमत्थो दट्टब्बो। यदा पन वितक्कविचारवूपसमं सम्पिण्डेति, तदा “पीतिया च विरागा, किञ्च भिष्यो वितक्कविचारानं च वूपसमा” ति एवं योजना वेदितब्बा। इमिस्सा च योजनाय विरागो समतिकमनत्थो होति, तस्मा “पीतिया च समतिकमा वितक्कविचारानं च वूपसमा” ति अयमत्थो दट्टब्बो।

६४. कामं चेते वितक्कविचारा दुतियज्ञाने येव वूपसन्ता, इमस्स पन ज्ञानस्स मग्गपरिदीपनत्थं व्यष्टिभणनतं चेतं वृत्तं। ‘वितक्कविचारानं च वूपसमा’ ति हि वृत्ते इदं पञ्चायतिनूनं “वितक्कविचारवूपसमो मग्गो इमस्स ज्ञानस्सा” ति। यथा च ततिये अरियमगे अपहीनानं पि सक्षायदिद्वादीनं “पञ्चनं ओरम्भागियानं संयोजनानं पहाना” (दी० १-
सुखं च कायेन पटिसेवेदेति, यं तं अरिया आचिक्खन्ति—उपेक्खको सतिमा सुखविहारी ति, ततियं ज्ञाने उपसम्पञ्ज विहरती” ति (दी० १-६६)। एवमनेन एकङ्गविष्पहीनं दुवङ्गसमन्नागतं तिविधकल्याणं दसलक्खणसम्पन्नं ततियं ज्ञानं अधिगतं होति पथ्यवीकसिणं—का विस्तृत विवरण् समाप्त हुआ।

अब आदार्य इस पालिपाठ में आये विशिष्ट शब्दों का व्याख्यान कर रहे हैं—

६३. पीतिया च विरागा (प्रीति और विराग से)—पूर्वोक्त प्रकार की प्रीति के प्रति जुगुप्सा (=अरुचि) या उसका अतिरिक्त मण ‘विराग’ है। दोनों के बीच का ‘और’ (=‘च’) शब्द संयोजन के अर्थ में है। वह या तो उपशमन को उन दोनों से जोड़ता है या द्वितीय ध्यान के वर्णन के प्रसङ्ग में वितक्क और विचार के उपशमन को। इनमें, जब उपशमन को ही जोड़ता है, तब “प्रीति से विराग और इसके अतिरिक्त उपशमन से” इस प्रकार की अर्थ—योजना समझनी चाहिये। इस अर्थ—योजना में ‘विराग’ का अर्थ जुगुप्सा है, इसलिये इसका ‘प्रीति के प्रति जुगुप्सा एवं प्रीति का उपशमन’—यह अर्थ समझना चाहिये। किन्तु जब यह मानते हैं कि ‘च’ शब्द वितक्क—विचार को उपशमन के साथ जोड़ता है, तब ‘प्रीति से विराग और इसके अतिरिक्त उपशमन से’—इस प्रकार अर्थ समझना चाहिये। इस अर्थ—योजना में ‘विराग’ का अर्थ ‘समतिकमण’ है इसलिये “प्रीति का समतिकमण और वितक्क तथा विचार का उपशमन”—यह अर्थ समझना चाहिये।

६४. यद्यपि ये वितक्क और विचार द्वितीय ध्यान में ही शमित हो चुके हैं, किन्तु इस तृतीय ध्यान के मार्ग पर प्रकाश ढालने एवं गुण-कथन के उद्देश्य से ऐसा कहा गया है। “वितक्क और विचार के उपशमन से” इस कथन से सूचित होता है कि अवश्य ही इस ध्यान का मार्ग (=उपाय) वितक्क और विचार का शमन है।

जैसे तृतीय आर्य—मार्ग (अनागामी मार्ग) में प्रहीण न होने वाली सत्कायदृष्टि (=शरीर में एक नित्य ‘आत्मा’ के होने की मिथ्यादृष्टि) आदि के विषय में “पौच अवरभागीय संयोजनो (१. सत्कायदृष्टि,

१३३) ति एवं पहानं बुच्चमानं वर्णनभणनं होति, तदधिगपाय उस्सुकानं उस्साहजनकं; एवमेव इथ अबूपसन्तानं पि वितक्कविचारानं बूपसमो बुच्चमानो वर्णनभणनं होति। तेनाथमत्थो बुत्तो—“यीतिया च समतिक्कमा वितक्कविचारानं च बूपसमा” ति ।

६५. उपेक्खाको च विहरती ति । एत्थ उपरक्तितो इक्खाती ति उपेक्खा । समं पस्सति, अपेक्खपतिता हुत्वा पस्सती ति अथो । ताय विसदाय विपुलाय थामगताय समन्नागतता ततियज्ञानसमझौ उपेक्खाको ति बुच्चति ।

उपेक्खा पन दसविधा होति—छल्ङुपेक्खा, ब्रह्मविहारपेक्खा, बोज्जङ्गुपेक्खा, विरियुपेक्खा, सङ्घुरपेक्खा, वेदनुपेक्खा, विपस्सनुपेक्खा, तत्रमज्जहुपेक्खा, ज्ञानुपेक्खा, परिसुद्धिरपेक्खा ति ।

(१) तत्थ या “इथ, भिक्खुवे, भिक्खु चक्रखुना रूपं दिस्वा नेव सुमनो होति, न दुम्भनो, उपेक्खाको च विहरति सतो सम्भजातो” (अ० नि० ३-३) ति एवमागता खीणासवस्स छसु द्वारेसु इट्टानिट्टुछल्लारम्मणापाथे परिसुद्धपक्तिभावाविजहनाकारभूता उपेक्खा, अयं छल्ङुपेक्खा नाम ।

(२) या पन “उपेक्खासहगतेन चेत्सा एकं दिसं फरित्वा विहरती” ति एवमागता सतेसु मज्जताकारभूता उपेक्खा, अयं ब्रह्मविहारपेक्खा नाम ।

(३) या “उपेक्खासम्बोज्जङ्गु भावेति विवेकनिस्सिंते” ति एवमागता सहजात-धम्मनं मज्जताकारभूता उपेक्खा, अयं बोज्जङ्गुपेक्खा नाम ।

२. विविकित्सा, ३. शीलव्रतपरामर्श, ४. कामच्छन्द एव ५. व्यापाद) का प्रहाण” (दी० १. १३३) इस प्रकार प्रथम तीन स्योजनो के खोतआपति भार्ग मे प्रहीण हो जाने पर भी पुनः उनका प्रहाण कहे जाने से गुण-कथन होता है । उस तृतीय मार्ग की प्राप्ति के लिये उत्सुकता व उत्साह बढ़ता है; इसी प्रकार यहाँ तृतीय ध्यान मे उपशमित न होने वाले वितकं और विचार का उपशम कहे जाने से गुण-कथन होता है । अतः इसका यह आशय है—“प्रीति का समतिक्कभण और वितकं विचार का उपशम हो जाने से ।”

६५ उपेक्खाको च विहरति (उपेक्खा के साथ विहार करता है)—वस्तुओं या घटनाओं की उपपत्ति (उत्साहि, उद्भव) के अनुसार उन्हें देखती है (=ईक्षण करती है) अतः ‘उपेक्खा’ कही जाती है । अर्थात् सम भाव से देखती है, पक्षपातरहित होकर देखती है । उस स्पष्ट (विशद), प्रभूत (विपुल), सुदृढ़ युक्त होने के कारण, व्यानप्राप्त मिशु ‘उपेक्खा से युक्त’ कहा जाता है ।

उपेक्खा दस प्रकार की होती है—१. षड्ग्रह (=छ अङ्गो वाली) उपेक्खा, २. ब्रह्मविहार-उपेक्खा, ३. बोध्याङ्ग-उपेक्खा, ४. वीर्य-उपेक्खा, ५. सास्कार-उपेक्खा, ६. वेदना-उपेक्खा, ७. विपश्यना-उपेक्खा, ८. तत्रमध्यस्थ-उपेक्खा, ९. ध्यानउपेक्खा एवं १०. परिशुद्धि-उपेक्खा ।

(१) इनमे, जो “मिशुओ, यहाँ मिशु चमु से रूप देखकर न प्रसन्न होता है, न अप्रसन्न, उपेक्खायुक्त होकर स्मृति और सम्प्रजन्य के साथ विहार करता है”—इस प्रकार वर्णित, छह इन्द्रिय द्वारा पर इष्ट-अनिष्ट (=प्रिय-अप्रिय) छह आलम्बनों के उपस्थित होने पर, क्षीणास्त्रव की जो परिशुद्ध प्रकृति भावरूप (स्वभावत मिशुद्ध होना) उपेक्खा है, उसे षड्ग्रह-उपेक्खा कहते हैं ।

(२) “उपेक्खासहगत चित्त से एक दिशा को सर्वाशत् ध्यान मे लेकर साधना करता है”—इस प्रकार वर्णित, सत्त्वो के प्रति मध्यस्थता के रूप मे रहने वाली जो उपेक्खा है, वह ब्रह्मविहार-उपेक्खा है ।

(४) या पन “कालेन कालं उपेक्खानिमित्तं भनस्तिकरोती” ति एवमागता अनच्चारद्धनातिसिथिलविरियसङ्घाता उपेक्खा, अयं विरियुपेक्खा नाम।

(५)या “कति सङ्घारुपेक्खा समथवसेन उप्पज्जन्ति? कति सङ्घारुपेक्खा विपस्सनावसेन उप्पज्जन्ति? अद्व सङ्घारुपेक्खा समाधिवसेन उप्पज्जन्ति, दस सङ्घारुपेक्खा विपस्सनवसेन उप्पज्जती” ति एवमागता नीवरणादिपटिसङ्घासन्तिद्वाना गहणे मञ्जशतभूता उपेक्खा, अयं सङ्घारुपेक्खा नाम।

(६) या पन “वस्त्रिसमये कामावचेरे कुसलं चित्तं उप्पन्नं होति उपेक्खासहगतं” ति एवमागता अदुक्खमसुखसञ्जिता उपेक्खा, अयं वेदनुपेक्खा नाम।

(७)या “वदथिं यं भूतं तं पजहति, उपेक्खां पटिलभती” ति एवमागता विचिन्ने मञ्जशतभूता उपेक्खा, अयं विपस्सनुपेक्खा नाम।

(८) या पन छन्दादीसु येवापनकेसु आगता सहजातानं समवाहितभूता उपेक्खा, अयं तत्रमञ्जनुपेक्खा नाम।

(९) या “उपेक्खाको च विहरती” ति एवमागता अग्रसुखे पि तस्मि अपेक्खापातजननी उपेक्खा, अयं झानुपेक्खा नाम।

(३) “विवेक पर आधृत उपेक्खासम्बोध्यज्ञ की भावना करता है”—इस प्रकार वर्णित, सहजात धर्मों के प्रति मध्यस्थता के रूप मे रहने वाली जो उपेक्षा है, वह बोध्यज्ञ-उपेक्षा है।

(४) “समय-समय पर उपेक्षा-निभित्त को मन में लाता है”—इस प्रकार वर्णित, न बहुत सक्रिय न बहुत शिथिल, ‘वीर्य’ नामक जो उपेक्षा है, वह वीर्य-उपेक्षा है।

(५) “संस्कारों के प्रति किटने प्रकार की उपेक्षाएँ शमथ के कारण उत्पन्न होती हैं? संस्कारों के प्रति किटने प्रकार की उपेक्षाएँ विपश्यना के कारण उत्पन्न होती है? संस्कारों के प्रति आठ प्रकार की उपेक्षाएँ शमथ (=समाधि) के कारण उत्पन्न होती हैं। संस्कारों के प्रति दस प्रकार की उपेक्षाएँ विपश्यना के कारण उत्पन्न होती हैं”—इस प्रकार वर्णित, नीदरण आदि के विचार से एक होने के कारण गृहीत मध्यस्थ रहने वाली जो उपेक्षा है, वह संस्कार-उपेक्षा है।

(६) “जिस समय उपेक्खासहगत कामादवर कुशलवित्त उत्पन्न होता है” (इ० ध० सं०, १५६)—इस प्रकार वर्णित ‘अदुःख, असुख’ संज्ञक जो उपेक्षा है, वह येदना-उपेक्षा है।

(७) “जो है, जो था, उसे त्वया देता है, उसके प्रति उपेक्षा ग्रास करता है”—इस प्रकार वर्णित, विवेचन करने मे मध्यस्थ रहने वाली जो उपेक्षा है, वह विपश्यना-उपेक्षा है।

(८) छन्द लादि, ‘येवापनक’ धर्मों मे वर्णित, सहजात धर्मों को लाने वाली जो उपेक्षा है, वह तत्रमध्यस्थ-उपेक्षा है।

(९) “ये वा पन तस्मि समये अञ्जे पि अतिथि पटिव्वसमुप्पन्ना अरुपिनो धम्मा, इमे धम्मा कुसला”—इस प्रकार से धम्मसङ्गणि मे “ये वा पन” से प्रारम्भ कर इन नौ धर्मों का वर्णन किया गया है—१. छन्द, २. अधिमोक्ष, ३. मनस्कार, ४. तत्रमध्यस्थता, ५. करुणा, ६. मुदिता, ७. कायदुष्टरित्र-विरति, ८. वादुष्टरित्र-विरति, ९. मिद्याआजीव-विरति। इन धर्मों के प्रति जो मध्यस्थता है, वही यहाँ अनिप्रेत है।)

(१०) “उपेक्षा-युक्त होकर विहार करता है”—इस प्रकार वर्णित, उस अग्रसुख (=सर्वोच्च सुख, ध्यान-सुख) के प्रति भी अपेक्खापात की मनोवृत्ति उत्पन्न करने वाली जो उपेक्षा है, वह उपेक्षा कहलाती है।

(१०) या पन “उपेक्खासतिपरिसुद्धि चतुर्थं ज्ञानं” ति एवमागता सब्बपच्चनीक-पारिसुद्धा पच्चनीकचूपसमने पि अब्यापारभूता उपेक्खा, अयं पारिसुद्धिउपेक्खा नाम।

६६. तत्र छलङ्घुपेक्खा च ब्रह्मविहारुपेक्खा च बोज्जङ्घुपेक्खा च तत्रभज्ञतुपेक्खा च ज्ञानुपेक्खा च पारिसुद्धुपेक्खा च अत्थतो एका, तत्रमञ्जशतुपेक्खा य होति। तेन तेन अवत्थाभेदेन पनस्या अयं भेदो, एकस्या पि सतो सत्तस्स कुमारयुवयेसेनापतिराजादिवसेन भेदो विय। तस्या तासु यत्थ छलङ्घुपेक्खा, न तत्थ बोज्जङ्घुपेक्खादयो। यत्थ वा पन बोज्जङ्घुपेक्खा, न तत्थ छलङ्घुपेक्खादयो होती ति वेदितब्बा।

६७. यथा चेतासमत्थते एकीभावे, एवं सङ्घारुपेक्खाविपस्सनुपेक्खानं पि। उपेक्खा एव हि सा किच्चवसेन द्विधा भिन्ना। यथा हि पुरिसस्स सायं गेहं पविद्वं सप्यं अजपददण्डं गहेत्वा परियेसमानस्स तं धुसकोटुके निपत्रं दिस्या “सप्तो नु खो, नो” ति अवलोकेत्तस्स सोवत्तिकतयं दिस्या निष्क्रमतिकस्स “सप्तो, न सप्तो” ति विचिनने मञ्जत्ता होति; एवमेव या आरद्धविपस्सकस्स विपस्सनाजाणेन लक्खणतये दिट्ठे सङ्घारानं अनिच्च-भावादिविचिनने मञ्जत्ता उप्पज्जाति, अयं विपस्सनुपेक्खा नाम। यथा पन तस्स पुरिसस्स अजपददण्डेन गाळं सप्यं गहेत्वा “किं ताहं इमं सप्यं अविहेठेन्तो अत्तानं च इमिना अडंसापेन्तो मुञ्चेथ्यं” ति मुञ्चनाकारमेव परियेसतो गहणे मञ्जत्ता होति; एवमेव या लक्खणतयस्स दिट्ठता आदिते विय तयो भवे पस्सतो सङ्घारगहणे मञ्जत्ता, अयं

(१०) “उपेक्खा द्वारा परिशुद्ध स्मृति से युक्त चतुर्थं ज्ञानं”...इस प्रकार वर्णित, सभी विरुद्ध धर्मों से चित्त की परिशुद्धि पूर्व में हो जाने से, विरोधी धर्मों के उपशम के प्रति अनुद्योग स्पष्ट जो उपेक्खा है, वह परिशुद्धि-उपेक्खा कहलाती है।

६८. इनमे, बड़ङ्ग-उपेक्खा, ब्रह्मविहार-उपेक्खा, बोध्यङ्ग-उपेक्खा, तत्रमध्यस्थ-उपेक्खा, ध्यान-उपेक्खा एवं परिशुद्धि-उपेक्खा, अर्थतः एक ही है, अर्थात् ये सब तत्रमध्यस्थ-उपेक्खा के अन्तर्गत हैं, केवल अवस्थाओं के भेद के अनुसार यह भेद है, जैसे कि सत्त्व-प्राणी एक होने पर भी बालक, युवा, युद्ध, सेनापति, राजा आदि के रूप में भिन्न-भिन्न होता है। इसलिये यह समझना चाहिये कि उन दस प्रकार की उपेक्खाओं में जहाँ बड़ङ्ग-उपेक्खा होती है, वहाँ बोध्यङ्ग-उपेक्खा आदि नहीं होती। अथवा, जहाँ बोध्यङ्ग-उपेक्खा होती है, वहाँ बड़ङ्ग-उपेक्खा आदि नहीं होती।

६९. एवं जैसे ये अर्थतः एक है, वैसे ही संस्कार-उपेक्खा और विपश्यना-उपेक्खा को भी समझे, क्योंकि वह प्रज्ञा ही है जो कृत्य (=कार्य) के अनुसार दो प्रकार से विभक्त है। जैसे कोई पुरुष सायक्काल धर्म में घुसे हुए सर्प को अजपददण्ड (=एक विशेष प्रकार का डण्डा जिसका निचला भाग दक्करी के खुर के समान होता है) लेकर खोजते हुए उसे अनाज रखने वाली कोठरी में घुसा देखर ‘यह सर्प है या नहीं’—ऐसा (सोचते हुए उसे ध्यान से) देखे तो तीन स्वरितिक (सोवत्तिक=सर्प की प्रीवा पर पढ़ी हुई रेखाएँ) देखकर सन्देहरहित हो चुके उस पुरुष को ‘यह सर्प है या नहीं’ इस प्रकार गवेषणा करने में मध्यस्थता होती है; उसी प्रकार विपश्यना का ग्रारम्भ कर चुके भिक्षु को विपश्यना-ज्ञान द्वारा लक्षणत्रय दीख जाने पर, संस्कारों के अनित्यमाव आदि के अन्वेषण में जो मध्यस्थता उत्पन्न होती है, वह विपश्यना-उपेक्खा है। और जैसे उस पुरुष को, अजपद दण्ड द्वारा सर्प को कसकर पकड़कर “कैसे मैं इस सर्प को विना सताये और स्वयं को विना डँसवाये छोड़ूँ”—इस प्रकार छोड़ने के प्रकार का अन्वेषण करते हुए पकड़ने में मध्यस्थता होती है, वैसे ही लक्षणत्रय दीख जाने से तीनों भवों को जलता हुआ सा देखते हुए, संस्कार के ग्रहण में जो मध्यस्थता होती है, वह

सङ्कुरुपेक्खा नाम। इति विपस्सनुपेक्खाय सिद्धाय सङ्कुरुपेक्खा ति सिद्धा व होति। इमिना पनेसा विचिननगहणेसु मज्जात्तसङ्कुतेन किञ्चेन द्विभा भिन्ना ति।

विरियुपेक्खा पन वैदनुपेक्खा च अब्जमज्जं च अवसेसाहि च अत्थतो भिन्ना एवा ति।

६८. इति इमासु उपेक्खासु झानुपेक्खा इथ अधिष्ठेता। सा मज्जात्तलक्खणा, अनाभोगरसा, अव्यापारपच्चुपट्टाना, पौतिविरागपद्मट्टाना ति। एत्थाह—ननु च अयं अत्थतो तत्रमज्जतुपेक्खा व होति, सा च पठमदुतियज्ञानेसु पि अतिथं, तस्मा तत्रापि 'उपेक्खको च विहरती' ति एवमयं चतुष्वा सिया, सा कस्मा न बुत्ता ति? अपरिब्यतकिञ्चतो। अपरिब्यतं हि तस्मा तथ्य किञ्चं; वितकादीहि अभिभूतता। इथ पनायं वितक्षविचारपीतीहि अनभिभूतता उकिखत्तसिरा विय हुत्वा परिब्यतकिञ्चा जाता, तस्मा बुत्ता ति।

निःष्टिः "उपेक्खको च विहरती" ति एतस्स सङ्क्षेत्रे अत्थवण्णता।

६९. इदानि सतो च सम्पज्जानो ति। एत्थ सरती ति सतो। सम्पज्जानाती ति सम्पज्जानो। पुणगलेन सति च सम्पज्जञ्जं च बुत्तं। तत्थ सरणलक्खणा सति, असम्मुस्सनरसा, आरक्ख-पच्चुपट्टाना। असम्भोहलक्खणं सम्पज्जञ्जं, तीरणरसं, पवित्रयपच्चुपट्टानं।

७०. तत्थ किञ्चापि इदं सतिसम्पज्जञ्जं पुरिमज्ञानेसु पि अतिथं। मुद्रुसतिस्स हि असम्पज्जानस्स उपचारमत्तं पि न सम्पज्जति, पगेव अप्पना। ओळारिकता पन तेसं ज्ञानान्, संस्कार-उपेक्खा है। इस प्रकार विपश्यना-उपेक्खा सिद्ध होने पर संस्कार-उपेक्खा भी सिद्ध होती है, किन्तु वह अन्येषण और ग्रहण करने में भ्रष्टस्थ होने के कार्य के अनुसार दो प्रकार से विभक्त है।

वीर्य-उपेक्खा एव वेदाना-उपेक्खा एक दूसरे से भी एव शेष उपेक्खाओं से भी 'अर्थतः भिन्ने हैं।

६८. इन पूर्वक सभी उपेक्खाओं में यहाँ ध्यान-उपेक्खा ही अभिप्रेत है। वह 'भ्रष्टस्थ' लक्षण वाली है, 'अनाभोग' (=सम्बन्ध न रखना) रस वाली है, 'अव्यापार' (रुद्धि न रखना) उसका प्रत्युपस्थान एव प्रीति से विराग पदस्थान है।

यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है— क्या यह अर्थतः तत्रमध्यस्थ-उपेक्खा ही नहीं है? और वह प्रथम तथा द्वितीय ध्यानों में भी होती है, अतः वहाँ भी 'उपेक्खा के साथ विहरता है' ऐसे कहा जाना चाहिये था? तो वह (उपेक्खा) किसलिये वहाँ नहीं की गयी?

उत्तर— कृत्य की अस्पष्टता (अव्यक्तता) के कारण। वहाँ उसका कृत्य वितर्क आदि द्वारा अभिभूत होने से अस्पष्ट होता है। किन्तु यहाँ दृतीय ध्यान में उपेक्खा वितर्क, विचार, प्रीति द्वारा अभिभूत न होने के कारण, सिर उठाये हुए के समान, स्पष्ट कृत्य वाली होती है। इसलिये यहाँ कही गयी है।

"उपेक्खा के साथ विहरता है"—इस पद की लभी यक्षों में व्याख्या समाप्त हुई॥

६९. अब सतो च सम्पज्जानो "स्मृति और सम्प्रजन्य से युक्त" पर विचार किया जायग। यहाँ स्मरण करता है (=सरति) अतः स्मृतिमान् है। भलीमौति जागरुक रहता है (=सम्पज्जानाति), अतः सम्प्रजन्ययुक्त है। ये स्मृति और सम्प्रजन्य गुण दैयक्तिक गुणों के सेप में बतलाये गये हैं। इनमें, १. 'स्मृति' स्मरण लक्षण वाली है, विस्मृत न करना इसका कार्य है, बचाकर रखना इसका प्रत्युपस्थान है। २. 'सम्प्रजन्य' का लक्षण असम्भोह है, निष्क्रिय करना इसका प्रत्युपस्थान है।

७०. इनमें, यद्यपि ये, स्मृति-सम्प्रजन्य पूर्व ध्यानों में भी होते हैं, क्योंकि विस्मरणशील और असाधान को तो उपचार भाष्र भी प्राप्त नहीं होती, फिर अर्णा की तो बात ही क्या, किन्तु उन ध्यानों

भूमियं वियु पुरिसस्स, चित्तस्स गति सुखा होति, अब्यतं तत्थ सतिसम्पज्जकिच्चं। ओल्लारिकङ्गप्पहानेन पन सुखुमता इमस्स झानस्स पुरिसस्स खुरधारायं विय सतिसम्पज्ज-किच्चपरिगगहिता एव चित्तस्स गति इच्छितब्बा ति इधेव बुत्तं। किञ्च भिष्यो, यथा धेनूपगो वच्छो धेनुतो अपनीतो अरक्षियमानो पुनदेव धेनुं उपगच्छति, एवमिदं ततियज्ञानसुखं पीतितो अपनीतं, तं सतिसम्पज्जारक्षेन अरक्षियमानं पुनदेव पीतिं उपगच्छेद्य, पीतिसम्पयुतमेव सिथा। सुखे आ पि सत्ता सारजन्ति, इदं च अतिमधुरं सुखं, ततो परं सुखाभावा। सतिसम्पज्जानुभावेन पनेत्थ सुखे असारजना होति, न अज्जथा ति इमं पि अत्थविसेसं दस्सेतुं इदं इधेव बुत्तं ति वेदितब्बं।

७१. इदानि सुखं च कायेन पटिसंवेदेती ति एत्थ किञ्चापि ततियज्ञानसमझिनो सुखपटिसंवेदाभोगो नन्ति। एवं सन्ते पि यस्मा तस्य नामकायेन सम्पयुतं सुखं, यं आ तं नामकायसम्पयुतं सुखं, तंसमुद्गानेनस्स यस्मा अतिपणीतेन रूपेन रूपकायो फुटो, यस्स फुटता झाना बुद्धितो पि सुखं पटिसंवेदेद्य। तस्मा एतमर्थं दस्सेत्तो, सुखं च कायेन पटिसंवेदेती ति आह।

७२. इदानि यं तं अरिया आचिक्खन्ति उपेक्खको सतिमा सुखविहारी ति। एत्थ यंज्ञानहेतु यंज्ञानकारण तं ततियज्ञानसमझिपुण्गलं बुद्धादयो अरिया आचिक्खन्ति देसेन्ति पठ्येन्ति पठ्येन्ति विवरन्ति विभजन्ति उत्तानीकरोन्ति पकासेन्ति, पसंसन्ती ति

मे स्थूलत्वं होने से दहों चित्त की गति सरल होती है, जैसे भूमि पर पुरुष की। अतः उन ध्यानों में स्मृति और सम्प्रजन्य का कृत्य अस्पष्ट होता है। किन्तु स्थूल अङ्गों के प्रहाण के कारण इस तृतीय ध्यान के सूक्ष्म होने से छुरे की धार पर पुरुष की गति के समान चित्त की गति स्मृति-सम्प्रजन्य को ग्रहण करके ही होनी आवश्यक है, अतः यही कहा गया है। अधिक क्या कहें! जैसे दृश्य पीने वाला बछड़ा गाय से दूर कर दिये जाएं, पर भी यदि पकड़ कर न रखा जाय तो पुनः पुनः गाय के पास पहुँच जाता है, उसी प्रकार प्रीति से दूर कर दिया गया यह तृतीय ध्यान का सुख उस स्मृति-सम्प्रजन्य द्वारा रक्षित न किये जाने पर पुनः प्रीति के पास जा पहुँचेगा एवं प्रीति से ही सम्प्रयुक्त हो जायगा। अथवा, 'प्राणी (सत्त्व) सुख में ही राग रखते हैं और यह अतिमधुर सुख है, क्योंकि इससे उत्कृष्ट कोई अन्य सुख नहीं है। किन्तु स्मृति-सम्प्रजन्य के प्रमाव (=आनुभाव) के कारण ही इस सुख में राग नहीं होता, अन्य किसी कारण से नहीं।'—इस विशेष अर्थ के दरसाने के लिये भी इसे यहीं कहा गया है—ऐसा समझना चाहिये।

७३. अब “सुखं च कायेन पटिसंवेदेति” (और काय से सुख का अनुभव करता है)—यहाँ यद्यपि तृतीय ध्यान को वस्तुतः प्राप्त करने वाले सुख की सवेदना नहीं होती; तथापि क्योंकि सुख उसके नाम-काय (=वेदना, सज्जा, संस्कार) से युक्त है अथवा जो नाम-काय से सम्प्रयुक्त सुख है, उसके समुद्धान से क्योंकि अति उत्कृष्ट रूप से रूपकाय परिपूर्ण होता है, जिसके परिपूर्ण होने पर ध्यान से उठने पर भी सुख का अनुभव करता है, अतः यह अर्थ दरसाने के लिये “और काय से सुख का अनुभव करता है”—ऐसा कहा गया है।

७४. अब “बैं हूं अरिया आचिक्खन्ति उपेक्खको सतिमा सुखविहारी” (जिसके कारण उसके विवरण में आर्य कहते हैं कि वह उपेक्खायुक्त, स्मृतिमान्, सुखविहारी है) —जिस ध्यान के हेतु से, जिस ध्यान के कारण से, उस तृतीय ध्यान को प्राप्त पुद्गल का बुद्ध आदि आर्यगण उत्क्षेप करते हैं,

अधिष्पायो । किं ति ? उपेक्खको सतिमा सुखविहारी ति । तं ततियं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरती ति एवमेत्थं योजना वेदितब्बा ।

७३. करमा एन तं ते एवं पसंसन्ती ति ? पसंसारहतो । अयं हि यस्मा अतिमधुरसुखे सुखपारमिष्पते पि ततियज्ञाने उपेक्खको, न तथ सुखाभिसङ्गेन आकड़ियति । यथा च पीति न उपज्ञाति, एवं उपट्टितसतिताय सतिमा । यस्मा च अरियकन्तं अरियजनसेवितमेव च असङ्गलिट्टं सुखं नाम कायेन पटिसंबेदेति, तस्मा पसंसारहो होति । इति पसंसारहतो न अरिया ते एवं पसंसाहेतुभूते गुणे पकासेतो “उपेक्खको सतिमा सुखविहारी” ति एवं पसंसन्ती ति वेदितब्बं ।

७४. ततियं ति । गणनानुपुब्बता ततियं, इदं ततियं समाप्तज्ञती ति ततियं । यं पन बुत्तं “एकङ्गविष्पहीनं दुवङ्गसमन्नागतं” ति, एथं पीतिया पहानवसेन एकङ्गविष्पहीनता वेदितब्बा । सा पनेसा दुतियज्ञानस्स वितक्कविचारा विय अप्पनाक्खणे येव पहीयति । तेनस्स सा पहानङ्गं ति बुच्यति । सुखं चितेकगगता ति इमेसं पन द्विन् उपत्तिवसेन दुवङ्गसमन्नागतता वेदितब्बा । तस्मा यं विभद्धे—“ज्ञानं ति उपेक्खा सतिसम्पज्जं सुखं चित्तस्सेकगगता” (अभिं २-३१२) ति बुत्तं, तं सपरिक्खारं ज्ञानं दस्सेतुं परियायेन बुत्तं । उपेत्वा पन उपेक्खासतिसम्पज्जानि निष्परियायेन उपनिज्ञानलक्खणपत्तानं अङ्गानं वसेन दुवङ्गिकमेवेतं होति । यथाह—“कतमं तर्स्मि समये दुवङ्गिकं ज्ञानं होति ? सुखं, चित्तस्सेकगगता” (अभिं २-३१७) ति । सेसं पठमज्ञाने बुत्तनयमेव ॥

कहते हैं, प्रज्ञास करते हैं, प्रतिहापित करते हैं, उद्घाटित करते हैं, प्रकाशित करते हैं, प्रशंसा करते हैं—यह आभिप्राय है । ऐसा क्यों ? क्योंकि “उपेक्खायुक्त, स्मृतिमान्, सुखविहारी उस तृतीय ध्यान को प्राप्त कर विहार करता है”—यहाँ यह अर्थ—योजना समझनी चाहिये ।

७३. किन्तु किसलिये ये आर्यजन उसकी इस प्रकार प्रशंसा करते हैं? प्रशंसा के योग्य होने से । क्योंकि यह (भिशु) अतिमधुर सुखरूप सुख की चरम सीमा प्राप्त तृतीय ध्यान में भी उपेक्खा से युक्त होता है, उसकी तरफ सुख की लालसा से आकृष्ट नहीं होता । जिस प्रकार प्रीति उत्पन्न न हो, उस प्रकार स्मृति को उपस्थित रखने से स्मृतिमान् है, क्योंकि आर्यजनों को प्रिय, आर्यजनों से सेवित, वलेशरहित सुख का नाम-काय से अनुभव करता है, इसलिये प्रशंसा के योग्य होता है । इस प्रकार आर्यजन द्वारा प्रशंसा के हेतुभूत गुणों को प्रकाशित करते हुए प्रशंसा के योग्य इसकी “उपेक्खायुक्त, स्मृतिमान्, सुखविहारी”—इस प्रकार प्रशंसा करते हैं, ऐसा जानना चाहिये ।

७५. ततिबं (तृतीय)—गणना के क्रम में तृतीय । गणनाक्रम में इसे तृतीय स्थान प्राप्त होता है, अतः तृतीय है । जो यह कहा गया है—“एक अङ्ग से रहित, दो अङ्गों से युक्त”, यहाँ प्रीति के प्रहाण के रूप में एक अङ्ग से रहित होना समझना चाहिये । प्रीति द्वितीय ध्यान के वितक्कविचार के समान अर्पणा के क्षण में ही नहीं होती है । इसलिये वह इसकी ‘प्रहाणाङ्ग’ कही जाती है । सुख और पित की एकाग्रता—इन दो अङ्गों की उत्पत्ति के रूप में ‘दो अङ्गों से युक्त होना’ जानना चाहिये । इसलिये जो विभद्ध में—“ध्यान, उपेक्खा, स्मृति—सम्प्रज्ञन्य सुख, चित्त की एकाग्रता”—ऐसा कहा गया है, वह ध्यान को उसके संसाधनों (=परिक्खारो) के साथ दिखाने के लिये आलङ्कारिक रूप में कहा गया है । किन्तु उपेक्खा, स्मृति और सम्प्रज्ञन्य को छोड़कर, वास्तविक अर्थ में विन्तन (=उपनिज्ञान) लक्षण वाले अङ्गों के अनुसार यह तृतीय ध्यान दो अङ्गों वाला ही होता है । जैसा कि कहा गया है—“उस समय

चतुर्थज्ञानकथा

७५. एवमधिगते पन तर्स्मि पि वुत्तनयेनेव पञ्चहाकारोहि चिण्णवसिना हुत्ता पगुणतियज्ञानको बुद्धाय “अबं समापत्ति आसन्नपीतिपच्चित्थिका, यदेव तत्त्व सुखमिति चेतसो आभोगो, एतेनेतं ओळारिकमक्खायती” ति एवं वुत्तस्स सुखस्स “ओळारिकत्ता अङ्गदुब्बला” ति च तत्त्व दोसं दिस्वा चतुर्थज्ञाने सन्ततो मनसिकत्वा ततियज्ञाने निकन्ति परियादाय चतुर्थाधिगमाय योगो कातब्बोः। अथस्स यदा ततियज्ञानतो बुद्धाय सतस्स सम्पज्जानस्स ज्ञानङ्गानि पच्चवेक्खतो चेतसिकसोमनस्समङ्गात् सुखं ओळारिकतो उपटुति, उपेक्खावेदना चेव चित्तेकगता च सन्ततो उपटुति, तदास्स ओळारिकङ्गप्पहानाय सन्तङ्गपटिलाभाय च तदेव निमित्तं “पथवी, पथवी” ति पुनर्पुनं मनसिकरोतो “इदानि चतुर्थज्ञानं उप्पज्जिस्ती” ति भवङ्गं उपच्छिन्दित्वा तदेव पथवीकसिणं आरम्भणं कत्वा मनोद्वारावज्जनं उप्पज्जति। ततो तर्स्मि येवारम्भणे चत्तारि पञ्च वा जवदानि उप्पज्जन्ति, येसं अवसाने एकं रूपणवचरं चतुर्थज्ञानिकं, सेसानि वुत्तप्पकारानेव कामावचरानि।

अबं पन विसेसो—यस्मा सुखवेदना अदुक्खमसुखाय वेदनाय आसेवनपच्चयेन पच्यो न होति, चतुर्थज्ञाने च अदुक्खमसुखाय वेदनाय उप्पज्जितब्बं, तस्मा तानि उपेक्खा-वेदनासम्युतानि होन्ति। उपेक्खासम्युतता येव चेत्थं पीति पि परिहायती ति।

एत्तावता चेस सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना पुब्बेव सोमनस्स-
कौन से दो अङ्गो वाला ध्यान है? सुख और चित्त की एकाग्रता।” शेष प्रथम ध्यान में वर्णित विधि के अनुसार ही है।

क्षुर्य ध्यान

७५. इस प्रकार, उस तृतीय ध्यान को प्राप्त कर चुकने पर, उसमें भी कहे गये प्रकार से ही यैच प्रकार की वशितार्णं प्राप्त कर, अभ्यस्त या परिचित तृतीय ध्यान से उठकर, “यह समाप्ति प्रीति की समीपवर्तिनी है, क्योंकि वहाँ जो ‘सुख’ इस प्रकार वित्त का आनन्द लेना (=आभोग) है, इससे यह स्थूल कहीं जाती है”—ऐसे इस प्रकार कहे गये सुख में “स्थूलत्व के कारण दुर्बल अङ्ग वाली है”—इस प्रकार वहाँ तृतीय ध्यान में दोष देखकर चतुर्थ ध्यान की ओर शान्तिपूर्वक मन लागाकर तृतीय की कामना छोड़कर चतुर्थ की प्राप्ति के लिये उद्योग करना चाहिये।

जब तृतीय ध्यान से उठकर स्मृति और सम्प्रज्ञन्य से युक्त उस भिक्षु को ध्यान के अङ्गों का प्रत्येकास करते हुए चैतसिक सौमनस्य नामक सुख स्थूल प्रीति होता है एवं उपेक्खा वेदना तथा चित्त की एकाग्रता शान्त प्रीति होती है, तब वह स्थूल अङ्गों के प्रहाण के लिये और शान्त अङ्गों की प्राप्ति के लिये उसी “पृथ्वी, पृथ्वी” निमित्त को बारम्बार मन में लाते हुए “अब चतुर्थ ध्यान उत्पन्न होगा”—तो जान लेता है, और भवाङ्ग का उपच्छेद कर, उसी पृथ्वीकसिण को आलम्बन बनाकर मनोद्वारावज्जन चेत उत्पन्न होते हैं। तब उसी आलम्बन में चार धोर्च जवन उत्पन्न होते हैं, जिनका अन्तिम चित्त कल्पावचर चतुर्थ ध्यान का होता है; शेष पूर्वोक्त प्रकार से कामावचर होते हैं।

किन्तु भेद यह है—क्योंकि सुखवेदना अदुख-असुख (=उपेक्खा) वेदना का आसेवनप्रत्यय =पुनरावृत्तिप्रत्यय) नहीं होती एवं चतुर्थ ध्यान में परिकर्म को अदुख, असुख वेदना के साथ उत्पन्न होना चाहिये, इसलिये वे परिकर्म वित्त उपेक्खावेदना से सम्प्रयुक्त होते हैं। उपेक्खावेदना से सम्प्रयुक्त होने में ही यहाँ प्रीति नहीं रहती।

यो इस तरह “सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना पुब्बेव सोमनस्सदोभनस्सानं अत्थङ्गमा

दोमनस्सानं अत्थङ्गमा अदुक्खमसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धिं चतुर्थं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति। एवमनेन एकङ्गविष्यहीनं दुवङ्गसमन्नागतं तिविधकल्याणं दसलक्खणसम्पन्नं चतुर्थं ज्ञानं अधिगतं होति पथवीकसिणं।

७६. तथ सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना ति। कायिकसुखस्स च कायिकदुक्खस्स च पहाना। पुब्बे वा ति। तं च खो पुब्बेव, न चतुर्थज्ञानक्खणे। सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थङ्गमा ति। चेतसिकसुखस्स च चेतसिकदुक्खस्स चा ति। इमेसं पि द्विनं पुब्बेन अत्थङ्गमा, पहाना इच्चेव बुतं होति।

कदा पन नेसं पहानं होती ति? चतुर्नं ज्ञानानं उपचारक्खणे। सोमनस्सं हि चतुर्थज्ञानस्स उपचारक्खणे येव पहीयति। दुक्खदोमनस्ससुखानि पठमदुतियतियज्ञानानं उपचारक्खणेसु। एवमेतेसं पहानक्खमेन अवृत्तानं पि इन्द्रियविभङ्गे पन इन्द्रियानं उद्देसक्खमेनेव इधापि युत्तानं सुखदुक्खसोमनस्सदोमनस्सानं पहानं वेदितव्यं।

७७. यदि पनेतानि तस्स तस्स ज्ञानस्स उपचारक्खणे येव पहीयन्ति, अथ कस्मा “कर्त्थ चुप्पन्नं दुक्खान्द्रियं अपरिसेसं निरुज्जति? इध, भिक्खवे, भिक्खु विविच्चेव कामेहि....पे०....पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति। एत्थ चुप्पन्नं दुक्खान्द्रियं अपरिसेसं निरुज्जति। कर्त्थ चुप्पन्नं दोमनस्सन्द्रियं, सुखिन्द्रियं, सोमनस्सन्द्रियं अपरिसेसं निरुज्जति? इध, भिक्खवे, भिक्खु सुखस्स च पहाना.... पे०.... चतुर्थं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति, एथ चुप्पन्नं सोमनस्सन्द्रियं अपरिसेसं निरुज्जती” (सं० ४-१८५) ति एवं ज्ञानेस्वेव निरोधो

अदुक्खमसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धिं चतुर्थं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति। एवमनेन एकङ्गविष्यहीनं दुवङ्गसमन्नागतं तिविधकल्याणं दसलक्खणसम्पन्नं चतुर्थं ज्ञानं अधिगतं होति पथवीकसिणं”—इस पलिपाठ का व्याख्यान पूर्ण हो गया।

७६. अब इस पलिपाठ मे आये विशिष्ट शब्दों का व्याख्यान कर रहे हैं—“सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना” (सुख के प्रहाण एवं दुख के प्रहाण से)—कायिक सुख एव कायिक दुख के प्रहाण से। पुब्बेव— और वह भी पहले ही, चतुर्थ ध्यान के क्षण मे नहीं। सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थङ्गमा (सौमनस्य-दौर्मनस्य के विनाश से)—चेतसिक सुख के एव चेतसिक दुख के विनाश से। इन दोनों ही का पहले ही विनाश (प्रहाण) हो जाने से यह कहा गया है। उनका विनाश कब होता है? चारों ध्यानों के उपचार के क्षण मे। सौमनस्य का तो चतुर्थ ध्यान के उपचारक्खण मे ही प्रहाण होता है। दुःख, दौर्मनस्य और सुख का क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय ध्यानों के उपचार-क्षणों मे। इस प्रकार इनका प्रहाण यद्यपि क्रमानुसार नहीं बतलाया गया है, किर भी इन्द्रियविभङ्ग मे इन्द्रियों के वर्णनक्रम के अनुसार ही यहाँ भी कथित सुख, दुख, सौमनस्य और दौर्मनस्य का प्रहाण जानना चाहिये।

७७. प्रश्न— किन्तु यदि इनका प्रहाण उस उस ध्यान के उपचार-क्षण मे ही हो जाता है, तो इस प्रकार स्वयं ध्यान मे ही उनका निरोध क्यों बतलाया गया है—“कहाँ उत्पन्न हुई दुखेन्द्रिय पूर्णत निरुद्ध होती है? यहाँ, मिक्षुओ, मिक्षुकामो से रहित होकर...पूर्ववत्...प्रथम ध्यान प्राप्त करता है। यहाँ उत्पन्न हुई दुखेन्द्रिय पूर्णत निरुद्ध होती है। कहाँ उत्पन्न हुई दौर्मनस्येन्द्रिय, सुखेन्द्रिय, सौमनस्येन्द्रिय पूर्णत निरुद्ध होती है? यहाँ मिक्षुओ, मिक्षु सुख के प्रहाण के कारण चतुर्थ ध्यान प्राप्त कर विहार करता है। यहाँ उत्पन्न हुई सौमनस्येन्द्रिय पूर्णत निरुद्ध होती है?”

बुतो ति ? अतिसयनिरोधता । अतिसयनिरोधो हि नेसं पठमज्ञानादीसु, न निरोधो येव । निरोधो येव पन उपचारक्षणे, नातिसयनिरोधो ।

७८. तथा हि नानावज्जने पठमज्ञानुपचारे निरुद्धस्सा पि दुखिखन्दियस्स डंसम-कसादिसम्फस्सेन वा विसमासनुपत्तापेन वा सिया उप्पत्ति, न त्वेव अन्तो अप्पनायं । उपचारे वा निरुद्धं पेतं न सुद्धु निरुद्धं होति, पटिपक्षेन अविहतता । अन्तो अप्पनायं पन पीतिफरणे सब्बो कायो सुखोकन्तो होति, सुखोकन्तकायस्स च सुद्धु निरुद्धं होति दुखिखन्दियं, पटिपक्षेन विहतता । नानावज्जने येव च दुतियज्ञानुपचारे पहीनस्स दोमनस्सन्दियस्स, यस्मा एतं वितक्षविचारपच्ये पि कायकिलमथे चितुपघाते च सति उप्पज्जति । वितक्षविचाराभावे च नेव उप्पज्जति । यत्थ पन उप्पज्जति, तत्थ वितक्षविचाराभावे अप्पहीना, एवं च दुतिय-ज्ञानुपचारे वितक्षविचारा ति तत्थस्स सिया उप्पत्ति, न त्वेव दुतियज्ञाने, पहीनपच्यता । तथा ततियज्ञानुपचारे पहीनस्सापि सुखिखन्दियस्स पीतिसमुद्भानपणीतरूपफुटकायस्स सिया उत्पत्ति, न त्वेव ततियज्ञाने । ततियज्ञाने हि सुखस्स पच्यभूता पीति सब्बसो निरुद्धा ति । तथा चतुर्थज्ञानुपचारे पहीनस्सा पि सौमनस्सन्दियस्स आसन्ता अप्पनाप्पत्ताय उपेक्षाय अभावेन सम्मा अनतिक्षन्तता च सिया उप्पत्ति, न त्वेव चतुर्थज्ञाने । तस्मा येव च एत्थुत्पत्रं दुखिखन्दियं अपरिसेसं निरुज्जती ति तत्थ अपरिसेसगहणं करतं ति ।

७९. एत्थाह—“अथेवं तस्स तस्स ज्ञानसुपचारे पहीना पि एता येदना इथ कस्मा

सत्तर— अतिशय निरोध होने के कारण । आशय यह है कि प्रथम ध्यान आदि में इनका अतिशय निरोध होता है, केवल निरोध नहीं । जबकि उपचार के क्षण में निरोध ही होता है, अतिशय निरोध नहीं ।

७८. नाना आवर्जनो वाले प्रथम ध्यान के उपचार में निरुद्ध ही चुकी दुखेन्द्रिय दंश, मशक आदि के स्पर्श अर्थात् दंश से या विषम आसन भोजन से होने वाले कष्ट से पुनः उत्पन्न हो सकती है; किन्तु अर्पणा में कभी उत्पन्न नहीं होती । अथवा, प्रतिपक्ष घम्मों का विनाश न होने से, उपचार में निरुद्ध यह दुखेन्द्रिय अच्छी तरह निरुद्ध नहीं होती । किन्तु अर्पणा समस्त प्रीति के स्फुरण से कायुसुख से परिपूर्ण होती है, सुख से परिपूर्ण काय वाले की दुखेन्द्रिय प्रतिपक्ष के विनाश से अच्छी तरह निरुद्ध होती है । वैसे ही नाना आवर्जनो वाले द्वितीय ध्यान के उपचारक्षण में प्रहीण दौर्मनस्येन्द्रिय पुनः उत्पन्न हो सकती है, यदि वितर्क-एवं विचार के कारण कायिक शान्ति (थकान) और चैतसिक पीड़ा हो । वितर्क-विचार के अभाव में वह उत्पन्न नहीं होती । वह जहाँ भी उत्पन्न होती है, वितर्क-विचार के होने पर ही होती है । अतः द्वितीय ध्यान के उपचार में वितर्क-विचार का प्रहाण न होने से यहाँ उसका उत्पाद होना सम्भव है, किन्तु स्वयं द्वितीय ध्यान में नहीं, क्योंकि प्रत्यय कारण का नाश ही चुका होता है । वैसे ही, तृतीय ध्यान के उपचार में प्रहीण हो चुकी सुखेन्द्रिय की प्रीतिसमुद्भान से समुद्भूत रूपकाय में पुनः उत्पत्ति सम्भव है, किन्तु स्वयं तृतीय ध्यान में नहीं । तृतीय ध्यान में तो सुख की प्रत्ययभूत प्रीति सर्वतः निरुद्ध हो जाती है । वैसे ही, चतुर्थ ध्यान के उपचारक्षण में प्रहीण हो चुकी सौमनस्येन्द्रिय उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि सौमनस्येन्द्रिय से समीपवर्ती होने से एवं अर्पणा ग्रास न होने से उपेक्षा का अभाव होने के कारण सम्यक् रूप से उसका अतिक्रमण नहीं हुआ रहता । किन्तु वह चतुर्थ ध्यान में नहीं उत्पन्न हो सकती । इसीलिये यहाँ उत्पन्न हुई दुखेन्द्रिय पूर्ण (=अशेष रूप से) निरुद्ध हो जाती है, ऐसा सूचित करने के लिये ही वहाँ उन स्थलों में ‘अपरिशेष’ शब्द का ग्रहण किया गया है ।

समाहटा" ति ? सुखगगहणतथं । या हि अयं अदुक्खमसुखं ति एत्थ अदुक्खमसुखा वेदना वुत्ता, सा सुखुमा दुविज्ञेय्या न सक्ता सुखेन गहेतुं । तस्मा यथा नाम दुष्टस्स यथा या तथा या उपसङ्केतित्वा गहेतुं असङ्कुणेय्यस्स गोणस्स सुखगगहणतथं गोपो एकस्मि वजे सब्बा गावो समाहरति, अथेकेकं नीहरन्तो पटिपाटिया आगतं "अयं सो, गणहथ नं" ति तं पि गाहयति, एवमेव भगवा सुखगगहणतथं सब्बा एता समाहरि । एवं हि समाहटा एता दस्सेत्वा यं नेत्र सुखं न दुक्खं न सोमनस्सं न दोमनस्सं, अथमदुक्खमसुखा वेदना ति सक्ता होति एसा गाहयितुं ।

८०. अपि च—अदुक्खमसुखाय चेतोविमुत्तिया पच्यदस्सनरथं चा पि एता वुत्ता ति वेदितब्बा । दुक्खप्पहनादयो हि तस्सा पच्यया । अथाह—“चत्तरो खो, आवुसो, पच्यया अदुक्खमसुखाय चेतोविमुत्तिया समापत्तिया । इधावुसो, भिक्खु सुखस्स च पहाना....पे०....चतुर्थं ज्ञानं उपसम्पञ्ज्ञ विहरति । इमे खो, आवुसो, चत्तरो पच्यया अदुक्खमसुखाय चेतोविमुत्तिया समापत्तिया” (म० निं० १-३६६) ति ।

८१. यथा वा अञ्जन्तथं पहीना पि सक्तायादिट्ठिआदयो ततियमगगस्स वण्णभणनतथं तत्थ पहीना ति वुत्ता, एवं वण्णभणनतथं पेतस्स ज्ञानसेता इध वुत्ता ति पि वेदितब्बा ।

पच्यघातेन वा एत्थ रागदोसानमतिदूरभावं दस्सेतुं पेता वुत्ता ति वेदितब्बा । एतासु हि सुखं सोमनस्सस्स पच्ययो, सोमनस्सं रागस्स । दुक्खं दोमनस्सस्स पच्ययो, दोमनस्सं दोसस्स । सुखादिष्टातेन चस्स सप्पच्यया रागदोसा हता ति अतिदूरे होन्ती ति ।

७९. यहाँ प्रश्न किया गया है—“ऐसे उस उस ध्यान के उपचार में प्रहीण हो चुकी ये वेदनाएँ यहाँ किसलिये लायी गयी हैं?”

उत्तर—सरलता के साथ समझने के लिये । क्योंकि यहाँ जो अदुख—असुख के रूप में अदुख—असुख वेदना का उल्लेख किया गया है, वह सूक्ष्म है, दुर्विज्ञेय है एवं सरलता से समझ में आने योग्य नहीं है । इसलिये जैसे कि कोई गवाला किसी दुष्ट बैल को, जिसे पास जाकर पकड़ना संभव न हो, आसानी से पकड़ने के लिये एक बाढ़े में सभी गाय—बैलों को इकट्ठा करता है, फिर एक एक को निकालते तुए कम से (उस दुष्ट, मरकहे बैल की बारी आने पर) “यही है, पकड़ लो इसे” ऐसा कहकर उसे भी पकड़ा देता है; वैसे ही भगवान् ने सरलतापूर्वक समझाने के लिये सभी वेदनाओं को एक साथ रखा । एक साथ हनको दिखाने से ‘जो न सुख है, न दुख है; न सौमनस्य है, न दौर्मनस्य है; वही अदुख—असुख वेदना है’—इस प्रकार इसे समझाया जा सकता है ।

८०. इसके अतिरिक्त, अदुख—असुख की चेतोविमुत्ति (=चित्त की विमुत्ति) के प्रत्यय को दिखाने के लिये भी इन्हें बतलाया गया है—ऐसा जानना चाहिये । दुख का प्रहाण आदि उसके प्रत्यय हैं । अतः कहा है—“आयुष्मन्! अदुख—असुख चेतोविमुत्ति की प्राप्ति के चार प्रत्यय हैं । यहाँ, आयुष्मन्! भिक्षु सुख के प्रहाण से...पूर्ववत्...चतुर्थ ध्यान प्राप्त कर विहार करता है । ये ही, आयुष्मन्! अदुख—असुख चेतोविमुत्ति की प्राप्ति के चार प्रत्यय हैं ।”

८१. अथवा—यह समझना चाहिये कि जैसे अन्यत्र प्रहीण हो चुकी सत्कायदृष्टि आदि तृतीय मार्ग की प्रशंसा के उद्देश्य से यहाँ प्रहीण हुई बतलायी गयी है, वैसे ही ये इस ध्यान की प्रशंसा करने के लिये ही यहाँ भी कही गयी है ।

अथवा—प्रत्यय के नाश से यहाँ से राग—द्वेष आदि का अति दूर होना दिखाने के लिये भी ये यहाँ बतलायी गयी है—ऐसा समझना चाहिये । इनमें, सुख सौमनस्य का प्रत्यय है, सौमनस्य राग का ।

८२. अदुक्खमसुखं ति । दुक्खाभावेन अदुखं । सुखाभावेन असुखं । एतेत्थ दुक्खसुखपटिष्ठकभूतं ततिथवेदनं दोषेति, न दुक्खसुखाभावभूतं । ततिथवेदना नाम अदुक्खमसुखा, उपेक्खा ति पि बुच्चति । सा इट्टानिट्टविपरीतानुभवनलक्खणा, मञ्जशतरसा, अविभूतपच्चुपट्टाना, सुखदुक्खनिरोधपदट्टाना ति वेदितब्बा ।

८३. उपेक्खासतिपारिसुद्धिं ति । उपेक्खाय जनितसतिया पारिसुद्धिं । इमस्मि हि ज्ञाने सुपरिसुद्धा सति, या च तस्या सतिया पारिसुद्धि, सा उपेक्खाय कता, न अज्जेन । तस्मा एतं “उपेक्खासतिपारिसुद्धिं” ति बुच्चति । विभङ्गे पि बुत्तं—“अयं सति इमाय उपेक्खाय विसदा होति परिसुद्धा परियोदाता । तेन बुच्चति उपेक्खासतिपारसुद्धी” (अभिं० २-३१४) ति । याय च उपेक्खाय एत्थ सतिया पारिसुद्धि होति, सा अत्थतो तत्रमञ्जशतरसा ति वेदितब्बा । न केवलं चेत्थ ताय सति येव परिसुद्धा, अपि च खो सब्बे पि सम्प्युतथम्मा, सतिसीसेन पन देसना बुत्ता ।

तत्थ किञ्चापि अयं उपेक्खा हेट्टा पि तीसु ज्ञानेसु विज्ञति । यथा पन दिवा सुरियप्यभिभवा सोम्यभावेन च अत्तनो उपकारकतेन वा सभागाय रत्तिया अलाभा दिवा विज्ञमाना पि चन्द्रलेखा अपरिसुद्धा होति अपरियोदाता; एवमयं पि तत्रमञ्जशतुपेक्खा चन्द्रलेखा वित्कादिपच्चनीकथम्यतेजाभिभवा सभागाय च उपेक्खावेदनारत्तिया अप्पटिलाभा विज्ञमाना पि यठमादिज्ञानभेदेसु अपरिसुद्धा होति । तस्या च अपरिसुद्धाय दिवा अपरिसुद्धचन्द्रलेखाय पभा विय सहजाता पि सतिआदयो अपरिसुद्धा व होन्ति । तस्मा तेसु दुख दौर्मनस्य का प्रत्यय है, दौर्मनस्य द्वेष का । सुख आदि के नाश से प्रत्यय के साथ रागद्वेष आदि नष्ट हो जाने से अतिदूर हो जाते हैं ।

८२. अदुक्खमसुखं (अदुख-असुख)-दुख के अभाव से अदुख । सुख के अभाव से असुख । इससे यहाँ दुख-सुख की प्रतिपक्षभूत तृतीय वेदना सूचित होती है, दुख-सुख का अभावमात्र नहीं । तृतीय वेदना अदुख-असुख वेदना है, उसे ‘उपेक्खा’ भी कहते हैं । उसका लक्षण है इट्ट-अनिट्ट के विपरीत अनुभव । रस है—मध्यस्थ होना और प्रत्युपरस्थान-अप्रकट होना एवं एवं पदस्थान सुख-दुख का निरोध है—ऐसा जानना चाहिये ।

८३. उपेक्खासतिपारिसुद्धिं—उपेक्खा से उत्पन्न स्मृति की परिशुद्धि ही उपेक्खा-स्मृति-परिशुद्धि है । इस ध्यान में स्मृति परिशुद्ध होती है । जो वह वह स्मृति की परिशुद्धि है, वह उपेक्खा द्वारा की गयी होती है, अन्य किसी से नहीं । इसलिये इस ध्यान को ‘उपेक्खाजन्य स्मृति की परिशुद्धि वाला’ कहा गया है । विभङ्ग में भी कहा गया है—“यह स्मृति इस उपेक्खा से स्वच्छ, परिशुद्ध एवं स्पष्ट होती है । इसलिये कहा जाता है—‘उपेक्खास्मृतिपरिशुद्धि’ ।” जिस उपेक्खा द्वारा यहाँ स्मृति परिशुद्ध होती है, उसका तात्पर्य तत्रमध्यस्थता समझना चाहिये ।

एव उस उपेक्खा से यहाँ इस ध्यान में केवल स्मृति ही परिशुद्ध नहीं होती, अपितु सभी सम्प्रयुक्त धर्म भी परिशुद्ध हो जाते हैं । किन्तु स्मृति को प्रमुखता देते हुए देशना की गयी है ।

यहाँ, यद्यपि यह उपेक्खा निप्रस्तरीय तीनों ध्यानों में भी विद्यमान रहती है, किन्तु जैसे दिन में सूर्य के प्रभाव से अभिभूत होने से सौम्य एवं स्वयं की उपकारक समाग (=अनुकूल) रात्रि का लाभ न मिलने से दिन में शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा की प्रभा (=चन्द्रलेखा) अपरिशुद्ध, अस्पष्ट (अर्थात् निस्तेज) होती है, कैसे ही यह तत्रमध्यस्थ उपेक्खालीपी चन्द्रलेखा भी वितर्क आदि प्रतिपक्ष धर्मों के तेज से अभित होने से एवं सभाग उपेक्खा वेदनालीपी रात्रि का लाभ प्राप्त न करने से, विद्यमान होने पर भी

एकं पि “उपेक्खासतिपारिसुद्धिं” ति न वुतं । इधं पन वितक्कादिपच्चनीकथम्पतेजाभि-भवाभावा सभागाय च उपेक्खावेदनारत्तिया पटिलाभा अयं तत्रमञ्जतुपेक्खा चन्दलेखा अति विय परिसुद्धा । तस्मा परिसुद्धता परिसुद्धचन्दलेखाय पभा विय सहजाता पि सतिआदये परिसुद्धा होन्ति परियोदाता । तस्मा इदमेव “उपेक्खासतिपारिसुद्धिं” ति वुतं ति वेदितब्बं ।

८४. चतुर्थं ति । गणनानुपुञ्जता चतुर्थं । इदं चतुर्थं समाप्तजाती ति चतुर्थं । यं पन वुतं “एकङ्गविष्पहीनं दुवङ्गसमन्नागतं” ति, तत्थ सोमनस्सस्प पहानवसेन एकङ्गविष्पहीनता वेदितब्बा । तं च पन सोमनस्सं एकवीथियं पुरिमजवनेसु येव पहीयति । तेनस्त तं पहानङ्गं ति वुच्चति । उपेक्खावेदना चित्तस्सेकगता ति इमेसं पन द्विं उप्पत्तिवसेन दुवङ्गसमन्नागतता वेदितब्बा । सेसं पठमञ्जाने वुतनयमेव ॥

एस ताव चतुर्कञ्जाने नयो ॥

पञ्चकञ्जानकथा

८५. पञ्चकञ्जानं पन निल्बत्तेन्तेन पगुणपठमञ्जानतो खुट्टाय “अयं समाप्तिआसन्नीवरणपच्चतिका, वितक्कस्स ओळारिकता अङ्गदुञ्जला” ति च तत्थ दोसं दित्वा दुतियञ्जानं सन्ततो मनसिकरित्वा पठमञ्जाने निकन्तिं परियादाय दुतियाधिगमाय योगो कातब्बो । अथस्स यदा पठमञ्जाना खुट्टाय सतस्स सम्पजानस्स झानङ्गानि पच्चवेक्षतो वितक्कमतं ओळारिकतो उपदृष्टि, विचारादयो सन्ततो । तदास्स ओळारिकङ्गप्पहानाय सन्ताङ्गपटिलाभाय च तदेव निमित्तं “पथवी, पथवी” ति पुनर्पुनं मनसिकरोतो वुतनयेनेव प्रथम ध्यान आदि मे अपरिशुद्ध होती है । उसके अपरिशुद्ध होने से, दिन मे अपरिशुद्ध चन्दलेखा के समान सहजात स्मृति आदि भी अपरिशुद्ध ही होती है । इसलिये उन ध्यानों मे से एक को भी ‘उपेक्षा-स्मृतिपरिशुद्ध वाला’ नहीं कहा गया है । किन्तु यहाँ चतुर्थ ध्यान मे वितर्क आदि प्रतिपक्ष धर्मों के तेज से अभिभूत न होने से एवं सभाग उपेक्षावेदना रात्रि के लाभ से यह तत्रमध्यस्थ उपेक्षा-चन्दलेखा अत्यधिक परिशुद्ध होती है । उसके परिशुद्ध होने से परिशुद्ध चन्दलेखा की प्रभा के समान सहजात स्मृति आदि भी परिशुद्ध एवं स्पष्ट होती है । इसलिये हस्ती ध्यान को ‘उपेक्षा-स्मृति-परिशुद्ध वाला’ कहा गया है—ऐसा जानना चाहिये ।

८६. चतुर्थं—(चतुर्थं)—गणनाकम मे चतुर्थं । यह चौथी भार प्राप्त होता है, अतः चतुर्थ है । जो यह कहा गया है—एकङ्गविष्पहीनं दुवङ्गसमन्नागतं “एक अङ्ग से रहित होना जानना चाहिये । और वह सीमनस्य उसी विधि के प्रथम जवनों मे ही प्रहीण होता है । इसलिये उस सीमनस्य को उसका प्रहाणाङ्ग कहा जाता है । उपेक्षा-वेदना, चित्त की एकाग्रता—इन दो की सत्पति के रूप मे दो अङ्गों से युक्त होना जानना चाहिये । शेष प्रथम ध्यान मे उक्त विधि अनुसार ही है ॥

यह (उपर्युक्त समस्त वर्णन) भार ध्यान भानने वाली विधि के अनुसार है ॥

पश्चक ध्यान

८५. पश्चक ध्यान (=पाँच भेदों वाला ध्यान) उत्पन्न करने वाले को अभ्यस्त प्रथम ध्यान से उठकर, “यह समाप्ति समीप के नीवरणों की विरोधी है, वितर्क की स्थूलता के कारण दुर्बल अङ्ग वाली है”—इस प्रकार उसमे दोष देखकर द्वितीय ध्यान की ओर शान्तिपूर्वक मन लगाकर, प्रथम ध्यान की कामना छोड़कर द्वितीय ध्यान की प्राप्ति के लिये उद्योग करना चाहिये । तब जिस समय प्रथम ध्यान से उठकर स्मृतिपान्, सम्प्रजन्ययुक्त भिन्न ध्यान के अङ्गों का प्रत्यवेक्षण करता है, उस समय उसे केवल वितर्क स्थूल रूप मे प्रतीत होता है और दिचार आदि शान्त अङ्गों की प्राप्ति के लिये

दुतियज्ञानं उपज्जति । तस्स वितक्मतमेव पहानङ्गं । विचारादीनि चत्तारि समन्नागतानि । सेसं बुत्प्पकारमेव ।

एवमधिगते पन तस्मि पि बुत्तनयेनेव पञ्चहाकारेहि चिणवसिना हुत्वा पगुणदुतियज्ञानतो बुद्धाय “अयं समापत्ति आस्त्रवितक्पच्चतिथका, विचारस्स ओळारिकत्ता अङ्गदुब्बला” ति च तत्थ दोसं दिस्वा ततियज्ञानं सन्ततो मनसिकरित्वा दुतियज्ञाने निकन्ति परियादाय ततियाधिगमाय योगो कातब्बो । अथस्स यदा दुतियज्ञानतो बुद्धाय सतस्स सम्पज्ञानस्स ज्ञानङ्गानि पच्चवेक्षतो विचारमतं ओळारिकतो उपद्वाति, पीतिआदीनि सन्ततो । तदास्स ओळारिकङ्गः पहानाय सन्त्वपटिलाभाय च तदेव निमित्तं “पथवी, पथवी” ति पुनर्पुनं मनसिकरोतो बुत्तनयेनेव ततियज्ञानं उपज्जति । तस्स विचारमतमेव पहानङ्गं, चतुक्कनयस्स दुतियज्ञाने विय पीतिआदीनि तीणि समन्नागतङ्गानि । सेसं बुत्प्पकारमेव ।

८६. इति यं चतुक्कनये दुतियं, तं द्विधा भिन्दित्वा पञ्चकनये दुतियं चेव ततियं च होति । यानि च तत्थ ततियचतुत्थानि, तानि च चतुत्थपञ्चमानि होन्ति । पठमं पठममेवा ति ।

इति साधुजनयामोजत्याय कते विशुद्धिमरणे
समाधिभावनाधिकारे पथवीकसिणनिदेशो नाम
चतुत्थो परिच्छेदो ॥



उसी निमित्त ‘पृथ्वी, पृथ्वी’ को बारम्बार मन मे लाता है, तब उक्त विधि से ही द्वितीय ध्यान उत्पन्न होता है । वितक्मात्र ही उसका प्रहाणाङ्ग है । जबकि चतुर्षक नय मे द्वितीय ध्यान के प्रहाणाङ्ग वितर्क और विचार दोनो ही है । शेष पूर्वोक्त विधि से ही है ।

इस प्रकार उस द्वितीय ध्यान को प्राप्त कर लेने पर, उसमे कही गयी विधि के अनुसार पौच प्रकार की विशेषताएँ प्राप्त कर लेने पर, अभ्यस्त द्वितीय ध्यान से उठकर “यह समापत्ति-वितर्क की समीपवर्तीनी है, विचार की स्थूलता के कारण दुर्बल अङ्गवाली है”—इस प्रकार उसमे दोष देखकर, तृतीय ध्यान की ओर शान्तिपूर्वक मन लगाकर, द्वितीय ध्यान की कामना छोड़कर, तृतीय की प्राप्ति के लिये उद्योग करना चाहिये । तब जिस समय द्वितीय ध्यान से उठ कर स्मृतिमान् सम्पज्ञन्यशुक्त मिक्षु को ध्यानाङ्गों का प्रत्यवेक्षण करते समय केवल विचार स्थूल प्रतीत होता है और प्रीति आदि शान्त, तब स्थूल अङ्ग के प्रहाण एवं शान्त अङ्गों की प्राप्ति के लिये उसी निमित्त ‘पृथ्वी, पृथ्वी’ को बारम्बार मन मे लाते हुए उक्त प्रकार से ही तृतीय ध्यान उत्पन्न होता है । उसका प्रहाणाङ्ग विचारमात्र ही है, चतुर्षकनय के द्वितीय ध्यान के समान प्रीति आदि समन्वागत (=युक्त) अङ्ग होते हैं । शेष पूर्वोक्त प्रकार से ही है ।

८६. इस प्रकार जो चतुर्षकनय मे द्वितीय है, उसे दो भागो मे बाँट देने से, अर्थात् चतुर्षकनय मे जो द्वितीय ध्यान है—“अवितर्कविचारमात्र, अवितर्क-अविचार, उसे दो भागो मे बाँट देने से, पञ्चकनय के द्वितीय और तृतीय ध्यान होते हैं । (किन्तु सूत्रान्तो मे स्वरूपतः पञ्चकनय का ग्रहण नहीं किया गया है) जो वहाँ चतुर्षकनय मे तृतीय और चतुर्थ ध्यान हैं, वे ही पञ्चकनय मे चतुर्थ और पञ्चम ध्यान होते हैं ।

साधुजनों के प्रमोद हेतु विशुद्धिमार्ग प्रच्य के
समाधिभावनाधिकार में पृथ्वीकसिणनिर्देश नामक
चतुर्थ परिच्छेद समाप्त ॥



सेसकसिणनिदेसो

(पञ्चमो परिच्छेदो)

आपोकसिणकथा

१. इदानि पथवीकसिणानन्तरे आपोकसिणे वित्थारकथा होति । यथेव हि पथवीकसिणं, एवं आपोकसिणं पि भावेतुकामेन सुखनिसिन्नेन आपस्मिं निमित्तं गण्हतब्बं, “कते वा अकते वा” ति सब्बं वित्थारेतब्बं । यथा च इध, एवं सब्बत्थ । इतो परं हि एतकं पि अवत्वा विसेसमतमेव वक्त्वाम ।

२. इधा पि पुञ्जेकताधिकारस्स पुञ्जवतो अकते आपस्मिं पोक्खरणिया वा तळाके वा लोणियं वा समुद्रे वा निमित्तं उप्पज्जति चूल्हसीवत्थेरस्स विय । तस्स किरायस्मतो ‘लाभसक्तारं पहाय विवितवासं वसिस्सामी’ ति महतित्थे नावं आहहित्वा जम्बुदीपं गच्छतो अन्तरा भाहासमुद्रं ओलोकयतो तप्पटिभागं कसिणनिमित्तं उदपादि ।

३. अकताधिकारेन चत्तारो कसिणदेसे परिहरन्तेन नील-पीत-लोहितोदातव्यणां अञ्जतरवण्णं आपं आगहेत्वा यं पन भूमि असम्पत्तमेव आकासे सुदृढवत्थेन गहितं उदकं, अञ्जं वा तथारूपं विष्पसनं अनाविलं, तेन पतं वा कुण्डिकं वा समतितिकं पूरेत्वा विहारपच्चन्ते बुत्पकारे पटिच्छ्रेष्ठोकासे ठपेत्वा सुखनिसिन्नेन वण्णो पच्चवेकिखतब्बो ।

शोषकसिणनिर्देश

(पञ्चम परिच्छेद)

आपोकसिण

१. अब पृथ्वीकसिण के पक्षात्, आपो (संस्कृत—‘आप’=जल) कसिण की व्याख्या की जा रही है । पृथ्वीकसिण के समान ही, आपोकसिण के भावनामिलाशी, सुखपूर्वक आसीन मिक्षु को जल में निमित्त का ग्रहण करना चाहिये । ‘कृत या अकृत’ आदि (पृथ्वीकसिण के प्रसङ्ग में पृ० १७१ पर कहे गये) सबका यहाँ भी विस्तार कर उन्हें समझना चाहिये । तथा जैसे यहाँ जलकसिण के सम्बन्ध में वैसे ही इस अध्याय में आगे भी सर्वत्र इस अर्थ की योजना करनी चाहिये । (क्योंकि) आगे हम इसकी पुनरावृत्ति न करते हुए, केवल भेदों का ही उल्लेख करेंगे ।

२. पृथ्वीकसिण के समान यहाँ भी, पूर्वजन्म में आपोकसिण का अभ्यास कर चुके पुण्यवान् को अकृत जल, जैसे पुष्करिणी, लालाब, लवणिक (=समुद्र के समान लवणयुक्त जल से भरा हुआ जलाशय) या समुद्र में निमित्त उत्पन्न होता है, चूल्हसीवत्थविर के समान । उन आयुषान् को “लाभ सत्कार को त्यागकर एकान्तवास कर्णा”—ऐसा सोचकर महातीर्थ (=श्रीलङ्का का एक प्राचीन बन्दरगाह) से नाव में बैठकर जम्बुदीप (=भारतवर्ष) जाते समय, दीव मार्ग में महासमुद्र को देखते हुए उस समुद्र के समान (प्रतिभाग) कसिण—निमित्त उत्पन्न हुआ ।

३. जिसने पूर्व जन्म में अभ्यास नहीं किया है, उसे पृथ्वीकसिण में व्याख्यात (पृ० १७१) के कसिण के चार दोषों से दूर रहते हुए, जल को नील-पीत-लोहित-अवदात—इनमें से किसी एक रंग का रूप ग्रहण न करते हुए जो भूमि पर गिरने के पूर्व ही आकाश से शुद्ध वस्त्र द्वारा रोप कर ग्रहण किया गया हो या उसी प्रकार का स्वच्छ, निर्मल हो, उससे पात्र या ‘कुण्डिक’ (=चार पाये दाले जल—पात्र) को ऊपर किनारे तक भरकर, विहार में एकान्त स्थान पर जाकर, उक्त प्रकार से घिरे

न लक्खणं मनसि कातब्बं । निस्स्यसवणमेव कत्वा उस्सदवसेन पण्णतिधम्मे चित्तं उपेत्वा अम्बु, उदकं, वारि, सलिलं ति आदीसु आपोनामेसु पाकटनाभवसेनेव “आपो, आपो” ति भावेतब्बं ।

४. तस्सेवं भावयतो अनुक्रमेन बुत्तनयेनेव निमित्तद्वयं उपज्जति । इध पन उग्गहनिमित्तं चलमानं विय उपद्वाति, सचे फेणपुष्कलकमिस्सं उदकं हेति, तादिसमेव उपद्वाति, कसिणदोसो पञ्चायति । पटिभागनिमित्तं पन निष्परिष्कन्दं आकासे ठपितमणितालवण्टं विय मणिमयादासमण्डलं विय च हुत्वा उपद्वाति । सो तस्स सह उपद्वानेनेव उपचारज्ञानं, बुत्तनयेनेव चतुर्कपञ्चकज्ञानानि च पापुणाती ति ।

आपोकसिणं ॥

तेजोकसिणकथा

५. तेजोकसिणं भावेतुकामेना पि तेजस्मि निमित्तं गण्हतब्बं । तथ कताधिकारस्स पुञ्जवतो अकते निमित्तं गण्हन्तस्स दीपसिखाय वा उद्धने वा पत्तपचनद्वाने वा दवदाहे वा यत्थ कत्थविं अग्निजालं ओलोकेन्तस्स निमित्तं उपज्जति चित्तगुत्तत्थेरस्स विय । तस्स हयस्मतो धम्मस्सवनदिवसे उपोसथागारं पविद्वुस्स दीपसिखं ओलोकेन्तस्सेव निमित्तं उपज्जि ।

६. इतरेन पन कातब्बं । त्रिंदं करणविधानं—सिनिद्वानि सारदारूनि फालेत्वा सुखापेत्वा घटिकं घटिकं कत्वा पटिरूपं रुक्खमूलं वा मण्डपं वा गन्त्वा पत्तपचनाकारेन हुए स्थान मे रखकर, सुखपूर्वक बैठकर, न नीलवर्ण का प्रत्यवेक्षण करना चाहिये, और न लक्षण को ही मन मे लाना चाहिये । वर्ण को उसके आधार (=भौतिक घरातल, अर्थात् पात्र के घरातल) से सम्बद्ध समझते हुए, प्रमुखतः प्रज्ञासिधर्म (नाम) मे चित्त को स्थिर कर जल के विभिन्न नामों—अम्बु, उदक, वारि, सलिल—आदि मे सर्वाधिक स्पष्ट होने से ‘आपः आपः’ (जल—जल)—इस प्रकार भावना करनी चाहिये ।

४. जब वह इस प्रकार भावना करता है, तब क्रमशः उक्त प्रकार से ही (द०—विसु०, चतुर्थ परिच्छेद पृ० ७७४) निमित्तद्वय उत्पन्न होता है । किन्तु यहाँ उद्ग्रह-निमित्त चलायमान सा उपस्थित होता है, यदि फेन के बुलबुलों से मिश्रित जल हो तो उसी प्रकार का उपस्थित होता है, प्रतीत होता है और कसिण का दोष ज्ञात होता है । किन्तु प्रतिभागनिमित्त आकाश मे रखे हुए मणिमय पंडे और मणिमय दर्पण के समान स्थिर होकर उपस्थित होता है । वह भिक्षु उस प्रतिभागनिमित्त के उपस्थित होने के साथ ही उपचारध्यान को एवं उक्त प्रकार से चतुर्थ पञ्चक ध्यान को प्राप्त करता है ॥

आपोकसिण का वर्णन समाप्त ॥

तेजोकसिण

५. तेजोकसिण (तेज कृत्वा) की भावना करने के अभिलाषी साधक को भी तेज मे निमित्त का ग्रहण करना चाहिये । जिसने इसका अभ्यास पूर्व जन्म मे किया हो, ऐसे पुण्यवान्, अकृत निमित्त का ग्रहण करने वाले को दीप—शिखा मे, चूल्हे, बर्तन पकाने के स्थान, दावानल मे या जहाँ कही भी अग्रिपुञ्ज को देखते हुए निमित्त उत्पन्न होता है, चित्रगुप्त ऋषिवर के समान । उन आयुष्मान् को धर्मब्रवण के दिन उपोसथगृह मे प्रवेश करने पर दीपशिखा को देखते देखते निमित्त उत्पन्न हो गया था ।

६. दूसरों को कसिण—मण्डल बनाना चाहिये ।

रासिं कत्वा आलिम्पेत्वा कटसारके वा चम्मे वा पटे वा विदत्थिचतुरङ्गुलप्यमाणं छिदं कातब्बं । तं पुरतो ठपेत्वा वुत्तनयेनेव निसीदित्वा हेट्टा तिणकट्टुं वा उपरि धूमसिखं वा अमनसिकरित्वा वेमज्जे धनजालाय निमित्तं गण्हितब्बं । नीलं ति वा, पीतं ति वा ति आदिवसेन वर्णणो न पञ्चवेक्षितब्बो । उण्हतवसेन लक्खणं न मनसि कातब्बं । निस्सय-सखण्णपेव कत्वा उस्सद्वसेन पण्णितधम्मे चित्तं ठपेत्वा पावको, कण्हवत्तनी, जातवेदो, हुतासनो ति आदीसु अग्निनामेसु पाकटनामवसेनेव “तेजो, तेजो” ति भावेतब्बं ।

७. तस्येवं भावयतो अनुक्रमेन वुत्तनयेनेव निमित्तद्वयं उपज्जति । तथ्य उग्गहनिमित्तं जालं छिज्जित्वा छिज्जित्वा पतनसदिसं हुत्वा उपट्टुति । अकर्ते गण्हन्तस्स पन कसिंदोसो पञ्चायति, अलातखण्डं वा अङ्गारपिण्डो वा छारिका वा धूमो वा उपट्टुति । परिभागनिमित्तं निच्चलं आकासे ठपितरत्कम्बलखण्डं विय सुवर्णतालवर्णं विय कञ्चनत्यम्भो विय च उपट्टुति । सो तस्स सह उपट्टुनेनेव उपचारज्ञानं, वुत्तनयेनेव चतुर्कपञ्चकञ्ज्ञानानि पापुणाती ति ॥

तेजोकसिणं ॥

वायोकसिणकथा

८. वायोकसिणं भावेतुकामेना पि वायुस्मि निमित्तं गण्हितब्बं । तं च खो दिट्टवसेन वा फुट्टुषसेन वा ।

बुत्तं हेतुं अद्वुकश्चासु—“वायोकसिणं उग्गण्हन्तो वायुस्मि निमित्तं गण्हाति, उच्छागं वा एरितं समेरितं उपलक्षेति, वेळुगं वापे०.... रुक्खागं वा केसागं वा एरितं समेरितं उपलक्षेति, कायस्मि वा फुट्टुं उपलक्षेती” ति । तस्मा समसीसद्वितं धनपतं उच्चुं वा

उसके बनाने की विधि यह है—मोटी-मोटी गीली लकड़ियों को चौरकर, सुखाकर उन्हें खण्डशः दुकड़े-दुकड़े करके कर योग्य दृक्ष के नीचे या मण्डप में जाकर, जैसे बर्तन पकाने के लिये बनाया जाता है, वैसे ढेर (राशि) बनाकर, आग लगाकर, बोरे, चमड़े या कपड़े में एक बालिशत चार अङ्गुल प्रमाण का एक छेद बनाना चाहिये; उसे अग्नि के सामने लटकाकर पूर्वोत्त प्रकार से नीचे बैठकर तृण काह या ऊपर के धूँ व लपट की ओर ध्यान न देते हुए मध्यवर्ती सभन ज्वाला में निमित्त ग्रहण करना चाहिये। यह नीला है या गीला है—आदि प्रकार से वर्ण का प्रत्यवेक्षण नहीं करना चाहिये। अथवा, उच्चात्त के रूप में इसका लक्षण मन में नहीं लाना चाहिये। इसके वर्ण को इसके आधार से सम्बन्धित मानते हुए प्रनुखतः प्रज्ञाति धर्म में चित्त को स्थिर पर, ‘पावक’, ‘कृष्णवर्ली’ ‘जातवेद’ ‘हुताशन’ आदि अग्नि के नामों में ‘तेज’ यह स्पष्ट नाम होने से ‘तेज, तेज’—इस प्रकार मावना करनी चाहिये।

९. जब वह इस प्रकार से भावना करता है, तब क्रमशः उक्त प्रकार से ही निमित्त-द्वय उत्पन्न होता है। इनमे उद्गहनिमित्त अग्नि की लपट के लपलपाते हुए नीचे की ओर झुकने के समान उपस्थित होता है। किन्तु अकृत (=मण्डल आदि में जानवूस कर न जलायी गयी अग्नि में) निमित्त ग्रहण करने वाले को कसिण का दोष जान पड़ता है, जली हुई लकड़ी के कुन्दे (=अलातखण्ड), कोयला, राख या धूआ जान पड़ते हैं। प्रतिभागनिमित्त निछल आकाश में रखे गये लाल कम्बल के दुकड़े के समान स्वर्णनिर्मित पञ्च के समान या स्वर्णनिर्मित स्तम्भ के समान जान पड़ता है। वह उस प्रतिमागनिमित्त के उपस्थित होने के साथ ही उपचार ध्यान को और उक्त प्रकार से चतुर्क पञ्चक व्यानों को प्राप्त कर लेता है ॥

तेजोकसिण का वर्णन समाप्त ॥

वेळुं वा रुक्खं वा चतुरङ्गलप्पमार्ण घनकेसस्स पुरिसस्स सीसं वा वातेन पहरियमानं दिस्वा
“अयं वातो एतर्स्मि ठाने पहरती” ति सतिं ठपेत्वा, यं वा पनस्स वातपानन्तरिकाय वा
भित्तिछिदेन वा पविसित्वा वातो कायप्पदेसं पहरति, तत्थ सतिं ठपेत्वा वात-मालुत-
अनिलादीसु वायुनामेसु पाकटनामवसेनेव “वातो, वातो” ति भावेतब्बं । इधं उग्रह-
निमित्तवङ्गनतो ओतारितमत्तस्स पायासस्स उसुपकट्टिसदिसं चलं हुत्वा उपढाति ।
पटिभागनिमित्तं सश्रिसित्रं होति निच्चलं । सेसं वृत्तनयेनेव वेदितब्बं ति ॥

वायोकसिणं ॥

नीलकसिणकथा

९. तदनन्तरं पन “नीलकसिणं उग्रणहन्तो नीलकसिमि निमित्तं गण्हाति पुष्फस्मि
वा वत्थस्मि वा वण्णधातुया वा” ति वचनतो कताधिकारस्स पुञ्जवतो ताव तथारूपं
मालागच्छं वा पूजाठानेसु पुष्फसन्थरं वा नीलवत्थमणीनं वा अञ्जतरं दिस्वा वा निमित्तं
उप्पज्जति । इतरेन नीलुप्पलगिरिकणिकादीनि पुष्फानि गहेत्वा यथा केसलं वा वण्टं वा न
पञ्जायति, एवं चङ्गोटकं वा करण्डपटलं वा पत्तेहि येव समतितिकं पूरेत्वा सन्ध्यरितब्बं ।
नीलवण्णेन वा वत्थेन भणिष्कं बन्धित्वा पूरेतब्बं । मुखवट्टियं वा अस्स भेरितलमिष्य
बन्धितब्बं । कंसनील-पलासनील-अञ्जननीलानं वा अञ्जतरेन धातुना पथवीकसिणे

वायुकसिण

८. वायुकसिण की भावना के अभिलाषी साधक को वायु में निमित्त ग्रहण करना चाहिये । १ वं
वह देखकर या स्पर्श कर किया जा सकता है ।

अद्युकथाओं में कहा भी गया है—“वायुकसिण का अभ्यास करते हुए वायु में निमित्त का
ग्रहण करता है, हिलते-डुलते ईख के पौधे के अग्र भाग को ध्यान से देखता है (=उपलक्षित करता
है), या हिलते-डुलते बौस, बृक्ष या केश के अग्रभाग को ध्यान से देखता है या काया पर वायु के स्पर्श
पर ध्यान देता है ।” अतः एक समान अग्रभाग वाले सघन पत्तों से युक्त ईख, बौस, बृक्ष या पुरुष के
सिर पर चार अकुल की लम्बाई वाले सघन केशों को हवा से प्रताङ्कित होते देखकर “यह हवा उस
स्थान पर प्रहार कर रही है”—इस प्रकार स्मृति बनाये हुए अथवा जो वायु खिड़की या झरोखे से
प्रवेश कर काया पर प्रहार करती है, उसमें स्मृति बनाये हुए, ‘वायु’, ‘मारुत’, ‘अनिल’ आदि वायु के
नामों में से स्पष्ट नाम होने के कारण “वायु, वायु”—इस प्रकार की भावना करती चाहिये । यहीं
उद्घग्निमित्त चूल्हे से अभी-अभी उतारी हुई खीर की गोल-गोल धूमती हुई भाष के समान जान
पड़ता है । प्रतिभागनिमित्त स्थिर, निश्चल होता है । शेष धूर्वांक प्रकार से ही जानना चाहिये ॥

वायुकसिण का वर्णन समाप्त ॥

नीलकसिण

९. तत्पक्षात्, “नील कसिण का ग्रहण करने वाला नीले फूल, वस्त्र या नीले रंग की धातु
में निमित्त ग्रहण करता है”—इस वचन के अनुसार, पूर्वजन्म में अभ्यास कर चुके पुण्यवान् को कैसे
नीले फूलों की झाड़ी, पूजा के स्थान पर बिछाये गये फूलों या नीले वस्त्र या नीलमणि में से किसी
एक को देखकर निमित्त उत्पन्न होता है । दूसरों को नीलोत्पल (=नीलकमल) गिरिकणिक आदि फूलों
को लेकर । जैसे फूल के केसर या ढंठल न दिखायी दे, उस प्रकार छलिया या टोकरी को फूलों से
या फूलों की पंखुडियों से ही एक समान भरकर फैला देना चाहिये । या नीले वस्त्र के फूलों की
आकृति वाले गुच्छे बनाकर टोकरी या ढलिया को भरना चाहिये या नीले वस्त्र को ढलिया या टोकरी

बुत्तनयेन संहारिम वा भित्तियं येव वा कसिणमण्डलं कत्वा विसभागवण्णेन परिच्छन्दितब्बं। ततो पथवीकसिणे बुत्तनयेन “नीलं, नीलं” ति मनसिकारो पवत्तेतब्बो। इधापि उग्रहनिमित्ते कसिणदोसो पञ्जायति, केसरदण्डकपत्तन्तरिकादीनि उपदृहन्ति। पटिभागनिमित्तं कसिणमण्डलतो मुश्चित्वा आकासे भणितालवण्टसदिसं उपदृहति। तेसं बुत्तनयेनेव वेदितब्बं ति॥

नीलकसिणं॥

पीतकसिणकथा

१०. पीतकसिणे पि एसेव नयो। बुत्तं हेतं—“पीतकसिणं उग्रणहन्तो पीतकसिंम निमित्तं गण्हाति पुप्फस्मि वा वृत्थस्मि वा वण्णधातुया वा” ति। तस्मा इधा पि कताधिकारस्स पुञ्जवतो तथारूपं मालागच्छं वा पुप्फसन्थरं वा पीतवृत्थधातूनं वा अञ्जतरं दिस्वा व निमित्तं उपज्जति चित्तगुच्छत्वेरस्स विय! तस्स किरायस्मतो चित्तलपब्बते पतझपुफ्फेहि कतं आसनपूजं पस्सतो सह दस्सनेनेव आसनप्पमाणं निमित्तं उदपादि। इतरेन कणिकारपुप्फादिना वा पीतवृत्थेन वा धातुना वा नीलकसिणे बुत्तनयेनेव कसिणं कत्वा “पीतकं, पीतकं” ति मनसिकारो पवत्तेतब्बो। सेसं तादिसमेवा ति॥

पीतकसिणं॥

लोहितकसिणकथा

११. सोहितकसिणे पि एसेव नयो। बुत्तं हेतं—“लोहितकसिणं उग्रणहन्तो

के मुख पर बाँधना चाहिये, जिससे कि वह नगाढ़े के तल के समान लगे। या पृथ्वीकसिण के प्रसङ्ग में कहे अनुसार ही, काँसे के समान नीली, पलास (=पत्ते) के समान नीली अर्थात् नीलिमा लिये हुए हरी या अङ्गन के समान नीली किसी धातु से, ले जाने योग्य या किसी दीदार पर ही कसिणमण्डल बनाकर, उसकी पृष्ठभूमि को विषम वर्ण से बना देना चाहिये। (यह पालि शब्द ‘नील’, जो संस्कृत से ग्रहण किया गया है, नीले हरे एवं कारी-कर्मी काले रंग का भी सूक्ष्मक होता है।) तब पृथ्वीकसिण के प्रसङ्ग में बतलाये गये विधि-प्रकार से ही, “नीला-नीला” इस प्रकार मन में लाना चाहिये। यहाँ भी उद्घ्रहनिमित्त में कसिण का दोष दिखलायी देता है, केसर, डण्डल एवं पंखुडियों के बीच में खाली स्थान स्पष्ट प्रतीत होते हैं। प्रतिभागनिमित्त कसिणमण्डल से स्वतन्त्र रूप में, आकाश में इन्द्रनील मणि के पंखे के समान जान पड़ता है। शेष उक्त प्रकार से ही जानना चाहिये॥

नीलकसिण का वर्णन समाप्त॥

पीलकसिण

१०. पील (पीले) कसिण में भी यही विधि है। व्यौकि कहा गया है—“पीले कसिण का ग्रहण करने वाला पीले फूल, वस्त्र या (पीले) रंग वाली धातु में निमित्त ग्रहण करता है।” इसलिये यहाँ भी, पूर्वजन्म में अभ्यास कर चुके पुण्यवान् को फूलों की झाड़ी, बिछाए हुए फूलों, पीले वस्त्र या धातु में से किसी एक को देखने पर निमित्त उत्पन्न होता है, विश्रगुप्त स्थविर के समान। उन आयुष्मान् को चित्तल पर्वत पर पतझ-पुष्पों से की गयी टेढ़ी-पूजा को देखते ही, आसन के प्रमाण का निमित्त उत्पन्न हुआ। दूसरों को कणिकार के फूल आदि से, पीले वस्त्र या धातु से नीलकसिण में बतलायी गयी विधि के अनुसार ही कसिण बनाकर “पीला, पीला”—इस प्रकार मन में लाना चाहिये। शेष वैसा ही है॥

पीलकसिण का वर्णन समाप्त॥

लोहितकस्मि निमित्तं गणहाति पुष्पस्मि वा वर्थस्मि वा वण्णधातुया वा" ति । तस्मा इथा पि कताधिकारस्स पुञ्जवतो तथारूपं बन्धुजीवकादिमालागच्छं वा पुष्पसन्धरं वा लोहितकवर्थमणिधातुनं अञ्जतरं दिस्वा व निमित्तं उप्यज्जति । इतेरेन जयसुमन-बन्धुजीवक-रत्कोरण्डकादिपुष्फेहि वा रत्वत्थेन वा धातुना वा नीलकसिणे वुत्तनयेनेव कसिणं कत्वा "लोहितकं, लोहितकं" ति मनसिकारो पवत्तेतब्बो । सेसं तादिसमेवा ति ॥

लोहितकसिणं ॥

ओदातकसिणकथा

१२. ओदातकसिणे पि "ओदातकसिणं उगगणहन्तो ओदातस्मि निमित्तं गणहाति पुष्पस्मि वा वर्थस्मि वा वण्णधातुया वा" ति वचनतो कताधिकारस्स ताव पुञ्जवतो तथारूपं मालागच्छं वा वस्सकसुमनादिपुष्पसन्धरं वा कुमुदतिपदुमरासिं वा ओदातवर्थधातुनं वा अञ्जतरं दिस्वा व निमित्तं उप्यज्जति, तिपुमण्डल-रजतमण्डल-चन्द्रमण्डलेसु पि उप्यज्जति येव । इतेरेन खुत्प्यकरेहि ओदातपुष्फेहि वा ओदातवर्थेन वा धातुना वा नीलकसिणे वुत्तनयेनेव कसिणं कत्वा "ओदातं, ओदातं" ति मनसिकारो पवत्तेतब्बो । सेसं तादिसमेवा ति ॥

ओदातकसिणं ॥

आलोककसिणकथा

१३. आलोककसिणे पन "आलोककसिणं उगगणहन्तो आलोकस्मि निमित्तं गणहाति लोहितकसिण

१९. लोहित (लाल) कसिण ने भी यही विधि है । क्योंकि कहा गया है—"लोहितकसिण का ग्रहण करने वाला लाल फूल, लाल वस्त्र या लाल रंगाली धातु में निमित्त ग्रहण करता है" । इसलिये यहाँ भी पूर्वजन्म में अभ्यास कर चुके पुण्यवान् को वैसे लाल रंग के बन्धुजीवक आदि या फूलों की झाड़ी, बिछाये गये फूलों, लाल वस्त्र, मणि, धातुओं में से किसी एक को देखकर ही निमित्त उत्पन्न हो जाता है । दूसरों को जयसुमन, बन्धुजीवक, रत्कोरण्डक आदि पुष्पों से या लाल वस्त्र या धातु से, नीलकसिण में कथित विधि के अनुसार ही कसिण बनाकर "लाल, लाल" इस प्रकार मन में लाना चाहिये । शेष पूर्वोक्त जैसा ही है ।

लोहितकसिण का वर्णन समाप्त ॥

अवदात (=शेत) कसिण

१२. शेतकसिण में भी "शेत कसिण का ग्रहण करने वाला शेत फूल, वस्त्र या (शेत) रंग वाली धातु में निमित्त ग्रहण करता है"—इस वदन के अनुसार, पूर्व जन्म में अभ्यास कर चुके पुण्यवान् को वैसे शेत रंग के फूलों, या झाड़ी, चमेली आदि के बिछाये हुए फूलों, शेत कमलों के समूह या शेत वस्त्र या धातु में से किसी एक को देखकर निमित्त उत्पन्न होता है । साथ ही, टिन से बनाये गये मण्डल, रजत (=चंद्री) मण्डल एव चन्द्रमण्डल में भी उत्पन्न होता है । दूसरों को उक्त प्रकार से शेत पुष्पों, शेत वस्त्र या धातु से नीलकसिण में कहे गये के अनुसार ही कसिण बनाकर "शेत, शेत" इस प्रकार मन में लाना चाहिये ।

अवदातकसिण का वर्णन समाप्त ॥

आलोक (=प्रकाश) कसिण

१३. आलोककसिण में "आलोक कसिण का ग्रहण करने वाला झोरेखे, या उस छेद में

भित्तिछिद्दे वा तालच्छिद्दे वा यातपानन्तरिकाय वा” ति वचनतो कताधिकारस्स ताव पुञ्जवतो यं भित्तिछिद्दादीनं अञ्जतरेन सुरियालोको वा चन्द्रलोको वा परिसित्वा भित्तियं वा भूमियं वा मण्डलं समुद्रापेति, घनपण्णरुक्खासाखन्तरेन वा घनसाखामण्डपन्तरेन वा निकखमित्वा भूमियमेव मण्डलं समुद्रापेति, तं दिस्वा व निमित्तं उप्पज्ञति। इतरेना पि तदेव युत्प्पकरं ओभासमण्डलं “ओभासो, ओभासो” ति वा “आलोको, आलोको” ति वा भावेतब्बं। तथा असक्षोन्नेन घटे दीपं जालेत्वा घटमुखं पिदहित्वा घटे छिद्दं कत्वा भित्तिमुखं ठेपेतब्बं। तेन छिद्देन दीपालोको निकखमित्वा भित्तियं मण्डलं करोति, तं “आलोको आलोको” ति भावेतब्बं। इदं इतरेहि चिराहुतिकं होति। इध उग्रहनिमित्तं भित्तिया वा भूमियं वा उद्ग्रितमण्डलसदिसमेव होति। पटिभागनिमित्तं घनविप्पसश्रं आलोकपुञ्जसदिसं। सेसं तादिसमेवा ति।

आलोककसिणं //

परिच्छिन्नाकासकसिणकथा

१४. परिच्छिन्नाकासकसिणे पि “आकासकसिणं उग्रणहन्तो आकासस्मि निमित्तं गणहति भित्तिछिद्दे वा तालच्छिद्दे वा यातपानन्तरिकाय वा” ति वचनतो कताधिकारस्स ताव पुञ्जवतो भित्तिछिद्दादीसु अञ्जतरं दिस्वा व निमित्तं उप्पज्ञति। इतरेन सुच्छन्नमण्डये वा चम्पकटसारकादीनं वा अञ्जतरस्मि विदत्तिचतुरङ्गुलप्पमाण छिद्दं कत्वा तदेव वा भित्तिछिद्दादिभेदं छिद्दं “आकासो, आकासो” ति भावेतब्बं। इध उग्रहनिमित्तं सद्दिं भित्तिजिसमें ताली लगाकर ताला खोला जाता है (=ताल-छिद) या खिड़की में से आते हुए प्रकाश में निमित्त ग्रहण करता है”—इस वचन के अनुसार, पूर्वजन्म में अभ्यास कर चुके पुण्यवान् को, जो सूर्य या चन्द्र का प्रकाश झरोखे (जवाह) आदि में से किसी एक से प्रवेश कर दीवार वा भूमि पर गोलाकार पड़ता है या सघन पत्तों वाले वृक्ष की शाखाओं के बीच से निकलकर या सघन शाखामण्डप के बीच से निकल कर भूमि पर गोलाकार पड़ता है, उसे देखकर निमित्त उत्पन्न होता है। दूसरों को भी उसी तरह बतलाये गये प्रकार से “अवभास, अवभास” या “आलोक, आलोक” इस प्रकार अवभासमण्डल की भावना करनी चाहिये। जो ऐसा न कर सके, उसे चाहिये कि सभ्यतः मिट्टी के धड़े में दीपक रखे। धड़े का मुख बन्द कर, धड़े में छेद कर दे और उस छेद का मुख दीवार की ओर करके रख दे। उस छेद से दीपक का प्रकाश निकल कर दीवार पर गोलाकार पड़ेगा। उसे देखते हुए “आलोक, आलोक” इस प्रकार भावना करनी चाहिये। यह धड़े वाला उपाय अन्यों की अपेक्षा विरस्थायी होता है, क्योंकि सूर्य-चन्द्र का प्रकाश खिसकता रहता है और सदैव उपलब्ध भी नहीं होता। यहाँ उद्ग्रह-निमित्त दीवार पर या भूमि पर बने हुए प्रकाश के मण्डल (=गोलाकार) के समान ही होता है; प्रतिभागनिमित्त सधन, तेज प्रकाश-पुञ्ज के समान। शेष पूर्वोक्त जैसा ही है॥

आलोककसिण का वर्णन समाप्त//

परिच्छिन्नाकाशकसिण

१५. परिच्छिन्नाकाश (=परिमित खाली स्थान)—कसिण में भी आकाशकसिण का ग्रहण करने वाला झरोखे, ताल-छिद् या खिड़की के आकाश में निमित्त ग्रहण करता है”—इस वचन के अनुसार पूर्वजन्म में अभ्यास कर चुके पुण्यवान् को दीवार में बने छिद् (झरोखे) आदि में से किसी एक को देखकर ही निमित्त उत्पन्न हो जाता है। दूसरे साधक को अच्छी तरह से छाये हुए मण्डप, चमड़े, टाट आदि में से किसी एक में एक आलिशत चार अङ्गुल प्रभाण का छेद बनाकर या उसी

परियन्तादीहि छिद्वसदिसमेव होति, वड्डियमानं पि न बहुति । पटिभागनिमित्तं आकासण्डलमेव हुत्वा उपद्वृत्ति, वड्डियमानं च बहुति । सेसं पथवीकसिणे युत्तनयेनेव वेदितब्धं ति ॥
परिछिन्नाकासकसिणं ॥

इति कसिणानि दसबलो दस यानि अबोच सञ्जधम्मदसो ।
रूपावचरन्हि चतुक्कपञ्चकज्ञानहेतुनि ॥
एवं तानि च तेसं च भावनानयमिमं विदित्वान् ।
तेस्वेव अयं भियो पकिणणककथा पि विज्ञेया ॥

पकिणणककथा

१५. इमेसु हि पथवीकसिणवसेन पथवियं उम्मुज्जननिमुज्जनं, उदकवुद्विसमुप्पादनं, नदीसमुद्दादिनिम्मानं, पथवीपञ्चतपासादादीनं क्रम्यनं ति एवमादीनि इज्जन्ति ।

१६. आपोकसिणवसेन पथवियं उम्मुज्जननिमुज्जनं, उदकवुद्विसमुप्पादनं, नदीसमुद्दादिनिम्मानं, पथवीपञ्चतपासादादीनं क्रम्यनं ति एवमादीनि इज्जन्ति ।

१७. तेजोकसिणवसेन धूमायना, पञ्जलना, अङ्गारवुद्विसमुप्पादनं, तेजसा तेजोपरियादानं, यदेव सो इच्छति तस्स डहनसमत्थता, दिव्वेन चक्रयुना रूपदस्सनत्थाय आलोककरणं, परिनिष्ठानसमये तेजोधातुया सरीज्ञापनं ति एवमादीनि इज्जन्ति ।

१८. वायोकसिणवसेन वायुगतिगमनं, वायुवुद्विसमुप्पादनं ति एवमादीनि इज्जन्ति ।

पूर्वोक्त अरोखे आदि के छेद में, “आकाश, आकाश” इस प्रकार भावना करनी चाहिये। यहाँ उस छिद्र के समान ही जो दीवार से धिरा होता है, उदग्रहनिमित्त होता है, जो बढ़ाने का प्रयास करने पर बढ़ता नहीं है। प्रतिभागनिमित्त आकाशमण्डल के समान ही प्रतीत होता है और बढ़ाने का प्रयास करने पर बढ़ता है। शेष, पृथ्वीकसिण में बतलायी गयी विधि के अनुसार ही, जानना चाहिये।

परिचिन्नाकाशकसिण का वर्णन समाप्त ॥

प्रकीर्णक (=संग्रह)

इस प्रकार सर्वधर्मदशी, दशबल (=भगवान् बुद्ध) ने रूपावचर (भूमि) में चतुष्क-पञ्चक घ्यानों के हेतु (भूत) जिन दस कसिणों को बतलाया है, उनको और उनकी भावना की इस विधि को इस प्रकार जानकर, उन्हीं में इस अतिरिक्त प्रकीर्णक विवरण (=कसिणों के विषय में असाधारण और साधारण कथनों को एकत्र कर किये गये विवरण) को भी जानना चाहिये।

कसिण-सिद्धि का माहात्म्य

१५. इनमें, पृथ्वीकसिण की भावना में सिद्धि प्राप्त करने से “एक होकर भी अनेक हो जाता है” आदि का होना, आकाश या जल में पृथ्वी निर्मित कर पैदल खलना, खड़ा होना, बैठना, आदि, परित्र (परिमित) और अप्रमाण (=अपरिमित) विधि से अभिव्यादयतन (=निपुणता के आधार) की प्राप्ति आदि असाधारण कार्य सिद्ध होते हैं।

१६. जलकसिण से पृथ्वी में दूधना-उत्तराना (=उन्मज्जन-निमज्जन) जल बरसाना, नदी, समुद्र आदि का निर्माण, पृथ्वी, पर्वत, प्रासाद आदि को कम्पित करना आदि सिद्धियाँ आती हैं।

१७. तेज-कसिण से धूंआ उत्पन्न करना, प्रज्वलित होना, अङ्गारे बरसाना, अग्नि से अग्नि दुझाना, जिसे चाहे उसे जलाने का सामर्थ्य, दिव्य चक्षु द्वारा रूप देखने के लिये प्रकाश करना, परिनिर्वाण के समय अग्निधातु से शरीर को जलाना आदि सिद्ध होते हैं।

१९. नीलकसिणवसेन नीलरूपनिम्मानं, अन्धकारकरणं, सुवर्णदुष्वरणनयेन अभिभायतनपटिलाभो, सुभविमोक्खाधिगमो ति एवमादीनि इज्जन्ति ।

२०. पीतकसिणवसेन पीतकरूपनिम्मानं, सुवर्णं ति अधिमुच्चना, वुत्तनयेनेव अभिभायतनपटिलाभो, सुभविमोक्खाधिगमो चा ति एवमादीनि इज्जन्ति ।

२१. लोहितकसिणवसेन लोहितकरूपनिम्मानं, वुत्तनयेनेव अभिभायतनपटिलाभो, सुभविमोक्खाधिगमो ति एवमादीनि इज्जन्ति ।

२२. ओदातकसिणवसेन ओदातरूपनिम्मानं, थीनमिद्धस्स दूरभावकरणं, अन्धकारविधमनं, दिब्बेन चक्रखुना रूपदस्सनत्थाय आलोककरणं ति एवमादीनि इज्जन्ति ।

२३. आलोककसिणवसेन सप्यभारूपनिम्मानं, थीनमिद्धस्स दूरभावकरणं, अन्धकारविधमनं, दिब्बेन चक्रखुना रूपदस्सनत्थं आलोककरणं ति एवमादीनि इज्जन्ति ।

२४. आकासकसिणवसेन पटिच्छन्नानं विवटकरणं, अन्तोपथकपब्लतादीसु पि आकासं निम्मिनित्वा इरियापथकप्पनं, तिरेकुड्डादीसु असज्जमानगमनं ति एवमादीनि इज्जन्ति ।

२५. सब्बानेव “उद्धं अथो तिरियं अद्वयं अप्पमाणं” ति इमं पभेदं लभन्ति । वुत्तं हेतं—

“पथकीकसिणमेको सञ्जानाति । उद्धमधोतिरियं अद्वयमप्पमाणं” ति आदि ।

२६. तत्थ उद्धं ति उपरि यगनतलाभिमुखं । अथो ति हेड्डाभूमितलाभिमुखं । तिरियं ति । खेतमण्डलमिव समन्ता परिच्छिन्दितं । एकच्चो हि उद्धमेव कसिणं वड्डेति, एकच्चो

१८. यायुकसिण से हवा की चाल से (आतिशीघ्र) जाना, औंधी-तूफान (=वातवृष्टि) उत्पन्न करना आदि सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं ।

१९. नीलकसिण से नीले (=कृष्णवर्ण) रूपों का निर्माण, अन्धकार करना, सुवर्ण-दुर्वण के अनुसार अभिभायतन की प्राप्ति, ‘शुभ-विमोक्ष’ की प्राप्ति आदि कृत्य सिद्ध होते हैं ।

२०. पीतकसिण से पीले रूपों का निर्माण, (नीलकसिण के प्रसङ्ग में) उक्त विधि से (सुवर्ण-दुर्वण आदि प्रकार से) कथित अभिभायायतन एवं शुभ विमोक्ष की प्राप्ति आदि कृत्य सिद्ध होते हैं ।

२१. लौहितकसिण से लाल रूपों का निर्माण, उक्त प्रकार से अभिभायतन की प्राप्ति, शुभ-विमोक्ष की प्राप्ति आदि सिद्ध होते हैं ।

२२. अवदातकसिण से श्वेत स्फुरों का निर्माण, स्त्यान-मृद्ध का दूर होना, अन्धकार का नाश, दिव्यचक्षु द्वारा रूप देखने के लिये प्रकाश करना आदि लोकोत्तर कृत्य सिद्ध होते हैं ।

२३. आलोककसिण से प्रभास्वर रूपों का निर्माण, स्त्यानमृद्ध का दूर होना, अन्धकार का नाश, दिव्यचक्षु से रूप देखने के लिये प्रकाश करना आदि कृत्यों की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं ।

२४. आकाशकसिण से प्रचलन (=दक्षे तुए) को उद्घाटित करना, पृथ्वी-पर्वत आदि के बीच भी आकाश का निर्माण कर ईर्यापथ सम्पादित करना, मिति (दीवार) के इस पार से ऊस पार निर्दाष्ट रूप से जाना आदि सिद्ध होते हैं ।

२५. “ऊपर, नीचे, समतल, अद्वितीय, अपरिमित” यह वर्णकरण (=प्रभेद) सभी कसिणों पर अभिवार्य है, क्योंकि यह कहा गया है—“पृथ्वीकसिण को जानता है—ऊपर, नीचे, समतल, अद्वितीय, अपरिमित” आदि ।

२६. इनमें उद्धं (ऊपर)—ऊपर आकाश तल की ओर । अथो (नीचे)—नीचे भूमि तल की

अधो, एकच्चो समन्ततो । तेन तेन वा कारणेन एवं पसारेति, आलोकभिव दिव्वचक्खुना रूपदस्सनकामो । तेन बुत्तं उद्धमधो तिरियं ति । अद्वयं ति । इदं पन एकस्स अञ्जभावानुपगमनत्थं बुत्तं । यथा हि उदकं पविष्टुस्स सब्बदिसासु उदकमेव होति, न अञ्जं; एवमेव पथवीकसिणं पथवीकसिणमेव होति, न तथि तस्स अञ्जो कसिणसम्भेदो ति । एसेव नयो सब्बत्थं । अप्पमाणं ति । इदं तस्स फरणअप्पमाणवसेन बुत्तं । तं हि चेतसा फरन्तो सकलमेव फरति । न 'अयमस्स आदि, इदं मञ्जः' ति पमाणं गणहाती ति ।

२७. ये च ते सत्ता कम्मावरणेन वा समन्नागता, किलेसावरणेन वा समन्नागता, विपाकावरणेन वा समन्नागता अस्सद्वा अच्छन्दिका दुष्पञ्जा अभव्वा नियामं ओक्कमितुं कुसलेसु धम्मेसु सम्पत्तं ति बुत्ता, तेसमेकस्सापेककसिणे पि भावना न इज्जति ।

२८. तथं कम्मावरणेन समन्नागता ति । आनन्तरियकम्मसमझिनो । किलेसावरणोन समन्नागता ति । नियतमिञ्चादिट्का चेव उभतोव्यञ्जनकपण्डका च । विपाकावरणेन समन्नागता ति । अहेतुकपटिसन्धिका । अस्सद्वा ति । बुद्धादीसु सद्धाविरहिता । अच्छन्दिका ति । अपच्चनीकपटिपदायं छन्दविरहिता । दुष्पञ्जा ति । लोकियलोकुत्तरसम्मादिट्या विरहिता । अभव्वा नियामं ओक्कमितुं कुसलेसु धम्मेसु सम्पत्तं ति । कुसलेसु धम्मेसु और । तिरियं (समतल) — खेत के घेरे के समान चारों ओर से परिमित । कोई—कोई योगी कसिण को ऊपर की ओर से बढ़ाता है, कोई कोई नीचे की ओर या कोई कोई चारों ओर! अथवा दिव्यव्युद्धारा रूपदर्शन का अभिलाषी उस उस कारण से प्रकाश के समान कसिण का इस प्रकार प्रसार करता है। इसीलिये कहा गया है—“ऊपर, नीचे, समतल” । अद्वयं (अद्वितीय) — यह शब्द इसीलिये कहा गया है कि ऐसी स्थिति अन्य किसी के साथ नहीं है। जिस प्रकार जल में प्रविष्ट व्यक्ति के लिये चारों दिशाओं में जल ही जल होता है, अन्य कुछ नहीं; उसी प्रकार पृथ्वीकसिण पृथ्वीकसिण ही होता है, अन्य कसिणों के साथ इसकी कुछ भी समानता नहीं है। यही विधि सर्वत्र है। अप्पमाणं (अपरिमित) — यह उसके अपरिमित रूपान के कारण कहा गया है; क्योंकि वह यित्त को सम्पूर्णता के साथ झुकाये रखता है, “यह इसका आदि है, यह मध्य है”—इस प्रकार परिमाण का ग्रहण नहीं करता ॥

कसिणभावना में अनविकारी पुङ्गल

२७. “जो प्राणी कर्मावरण (=कर्म के आवरण) क्लेशवरण या विपाकावरण से युक्त हैं, श्रद्धाहीन, छन्दरहित, दुष्पञ्जा हैं वे कुशल धर्मों की ओर ले जाने वाले श्रेयस्कर भार्ग की प्राप्ति के योग्य नहीं होते”—ऐसा कहा गया है। उनमें से किसी एक को भी कसिण—भावना में सिद्धि प्राप्त नहीं होती।

२८. इस पालिपाठ में कम्मावरणेन समन्नागता (कर्मावरण से युक्त) — आनन्तर्य कर्मा (—१. मातृवध, २. पितृवध, ३. अहंद—वध, ४. तथागत के शरीर से रुधिर गिराना, ५. सङ्ख में फूट ढालना) से युक्त । किलेसावरणेन समन्नागता क्लेशवरण से युक्त (=नियत मिष्यादृष्टि) (—१. अहेतुकावादी, २. अकियावादी, ३. नास्तिकावादी, उभयतोव्यञ्जनक (=स्त्री पुरुष दोनों लिङ्गों से युक्त) एवं पण्डक (नपुंसक) ।

विपाकावरणेन समन्नागता (विपाकावरण से युक्त) — अहेतुक प्रतिसन्धि वाले (=जिसकी प्रतिसन्धि विना किसी कुशलविपाक के साथ हुई हो या केवल दो कुशल—विपाकों के साथ हुई हो, जैसे पशु योनि में उत्पन्न या मनुष्यों में गूँगे आदि के रूप में उत्पन्न)। अस्सद्वा (श्रद्धाहीन) — बुद्ध आदि के प्रति श्रद्धा से रहित। अच्छन्दिका (छन्दरहित) — अप्रतिकूल प्रतिपदा (=भार्ग) के प्रति इच्छारहित। दुष्पञ्जा (दुष्पञ्ज) — लौकिक—लोकोद्दर सम्पादृष्टि से रहित। अभव्वा नियामं ओक्कमितुं कुसलेसु धम्मेसु

नियामसङ्कृतं सम्पत्तसङ्कृतं च अरियमगं ओक्कमितुं अभञ्जा ति अत्थो । न केवलं च कसिणे येव, अज्जेसु पि कम्भट्टानेसु एतेसं एकस्स पि भावना न इज्ज्ञति ।

तस्मा विगतविपाकावरणेन पि कुलपुत्तेन कम्भावरणं च किलेसावरणं च आरका परिवज्जेत्वा सद्गम्मस्सर्वनसप्तुरिसूपनिस्सयादीहि सद्गं च छन्दं च पञ्जं च वडेत्वा कम्भट्टानानुयोगे योगो करणीयो ति ॥

इति साधुजनपायोजत्थाम करते विसुद्धिमण्डे
समाधिभावनाधिकारे सेसकसिणनिदेसो वाय
पञ्चमो परिष्क्रेदो ॥



तत्त्वात्— कुशल धर्मों की ओर ले जाने वाली श्रेयस्कर मार्ग की प्राप्ति के अयोग्य कुशल धर्मों (=आवद्य धर्मों, सुखविपाक फल देने वाले धर्मों) के प्रति श्रेयस्कर मार्ग नामक आर्यमार्ग की प्राप्ति के अयोग्य—यह अर्थ है। एव इन (व्यक्तियों) में से किसी एक की भी न केवल कसिण-में, अपितु अन्य कर्मस्थानों में भी भावना सिद्ध नहीं होती ।

इसलिये विपाकावरण से रहित होने पर भी कुलपुत्र को कर्मावरण और कलेशावरण का दूर से ही परित्याग करके सद्गम्मध्यवरण एव सत्पुरुष के आश्रय आदि द्वारा श्रद्धा, छन्द और प्रज्ञा की वृद्धि कर कर्मस्थान के अनुयोग में लगना चाहिये ॥

साधुजनों के प्रयोदहेतु विरचित विशुद्धिभार्ग ग्रन्थ के
समानाधिभावनाधिकार में शेषकसिणनिर्देश नामक
नामक पश्चम परिष्क्रेद समाप्त ॥



असुभकम्मट्टाननिदेशो

(छटो परिच्छेदो)

उद्धमातकादिपदत्थानि

१. कसिणानन्तरं उद्दिदेसु पन उद्धमातकं, विनीलकं, विपुब्बकं, विच्छिदकं, विक्खायितकं, विकिखितकं, हतविकिखितकं, लोहितकं, पुळवकं, अङ्गिकं ति दससु अविज्ञाणकासुभेसु भस्ता विय वायुना उद्धं जीवितपरियादाना यथानुकमं समुगातेन सूनभावेन उद्धमातत्ता उद्धमातं, उद्धमातमेव उद्धमातकं । पटिक्कूलता वा कुच्छिं उद्धमातं ति उद्धमातमेव उद्धमातकं । तथारूपस्स छवरीरस्सेतं अधिवचनं ।

२. विनीलं वुच्चति विपरिभिन्ननीलवण्णं, विनीलमेव विनीलकं । पटिक्कूलता कुच्छितं विनीलं ति विनीलकं । भंसुस्सद्वानेसु रत्वण्णस्स, पुब्बसविच्छयद्वानेसु सेतवण्णस्स, येभुव्येन नीलवण्णस्स, नीलटाने नीलसाटकपारुतस्सेव छवसरीरस्सेतं अधिवचनं ।

३. परिभिन्नद्वानेसु विस्सन्दमानं पुब्बं विपुब्बं, विपुब्बमेव विपुब्बकं । पटिक्कूलता वा कुच्छितं विपुब्बं ति विपुब्बकं । तथारूपस्स छवसरीरस्सेतं अधिवचनं ।

४. विच्छिदं वुच्चति द्विथा छिन्दनेन अपवारितं, विच्छिदमेव विच्छिदकं । पटिक्कूलता वा कुच्छितं विच्छिदं ति विच्छिदकं । वेमज्जे छिन्स्स छवसरीरस्सेतं अधिवचनं ।

अशुभकर्मस्थाननिर्देश

(षष्ठ परिच्छेद)

उद्धमातक आदि पदों के अर्थ

१. कसिण के पश्चात् निर्दिष्ट दशा अवेतन अशुभो—१. उद्धमातक (=ऊर्ध्वात्रक), २. विनीलक, ३. विपुब्बक, (विपूयक) ४. विच्छिदक (=विच्छिदक), ५. विक्खायितक, ६. विकिखितक (=विकिसक), ७. हतविकिखितक (हतविकिसक), ८. लोहितक, ९. पुलुवक, १०. अङ्गिक (=अस्थिक) मे—

जैसे भाती (चमड़े की बैली) हवा से ऊपर की ओर फूलती है ऐसे ही मृत्यु के बाद शरीर का क्रमशः फूलने, सड़ने से ऊपर की ओर उठना 'उद्धमात' है । यह उद्धमात ही 'उद्धमातक' है । वैसे शब्द का यह अधिवचन (पर्याय) है । (१)

२. जो जगह—जगह पर नीला पड़ गया हो, उसे विनील कहते हैं । विनील ही 'विनीलक' है । मास की अधिकता वाले भागों में लाल वर्ण, जहाँ दुर्गम्भय रक्त (पीड़) इकड़ा हो गया हो उन भागों में श्वेतवर्ण, किन्तु अधिकाशतः नील वर्ण सदृश शब्द का, जिसके नीले भाग ऐसे लगते हो मानो नीला कपड़ा लपेट दिया हो, यह अधिवचन है । (२)

३. जिसमें जगह—जगह से पीब निकलती हो, वह 'विपुब्ब' है । 'विपुब्ब' ही 'विपुब्बक' कहलाता है । अथवा, प्रतिकूल होने से कुत्सित विपुब्ब 'विपुब्बक' है । वैसे शरीर का यह अधिवचन है (३)

४. दो टुकड़ों में काट दिये जाने से विवृत (=खुला हुआ, जिसका भीतरी भाग, अंतडियों आदि दिखायी देते) हो, उसे 'विच्छिद' कहते हैं । विच्छिद ही विच्छिदक हैं । अथवा, प्रतिकूल होने से कुत्सित विच्छिद 'विच्छिदक' है । बीच में से काटे गये शब्द का यह अधिवचन है । (४)

५. इतो च एतो च विविधाकारेन सोणसिङ्गालादीहि खायितं ति विक्खायितं, विक्खायितपेव विक्खायितकं। पटिकूलता वा कुच्छितं विक्खायितं ति विक्खायितकं। तथारूपस्स छवसरीरस्सेतं अधिवचनं।

६. विविधं खितं विक्खितमेव विक्खितकं। पटिकूलता वा कुच्छितं विक्खितं ति विक्खितकं। अञ्जेन हत्थं अञ्जेन पादं अञ्जेन सीसं ति एवं ततो ततो खितस्स छवसरीरस्सेतं अधिवचनं।

७. हतं च तं पुरिमनयेनेव विक्खितकं चा ति हतविक्खितकं। काकपदाकारेन अङ्गपच्छेसु सत्थेन हनित्वा बुतनयेन विक्खितस्स छवसरीरस्सेतं अधिवचनं।

८. लोहितं किरति विक्खिपति इतो चितो च पग्घरती ति लोहितकं। पग्घरितलोहितमिक्खितस्स छवसरीरस्सेतं अधिवचनं।

९. पुळवा बुज्जन्ति किमयो। पुळवे किरती ति पुळवकं। किमिपरिपूणस्स छवसरीरस्सेतं अधिवचनं।

१०. अट्टु येव अट्टिकं। पटिकूलता वा कुच्छितं अट्टी ति अट्टिकं। अट्टिसङ्घलिकाय पि एकट्टिकस्स पि एतं अधिवचनं।

इमानि च पन उद्धुमातकादीनि निस्साय उप्पन्ननिमित्तानं पि निमित्तेसु पटिलद्वज्ञानानं पि एतानेव नामानि।

उद्धुमातकभावनाविधानं

११. तत्थ उद्धुमातकसरीरे उद्धुमातकनिमित्तं उप्पादेत्वा उद्धुमातकसङ्घातं ज्ञानं भावेतुकामेन योगिना पथवीकसिणे बुतनयेनेव बुतप्पकारं आचरियं उपसङ्गमित्वा कम्मद्वानं

५. इधर उधर से, अनेक प्रकार से कुत्ते—सियार आदि द्वारा खाया गया मृत—शरीर 'विक्खायितक' (विक्खादितक) है। विक्खायित ही विक्खायितक है। अथवा प्रतिकूल होने से कुत्सित विक्खायित 'विक्खायितक' है। वैसे शब्द का यह अधिवचन है। (५)

६. इधर—उधर विखरा हुआ (=क्षिप्त) ही विक्खित (विक्खिप्त) है। अथवा प्रतिकूल होने से कुत्सित विक्खित ही 'विक्खितक' है। कहीं धाथ, कहीं पैर, कहीं सिर—इस प्रकार इधर उधर विखरे हुए शब्द का यह अधिवचन =दशोतक है। (६)

७. हत्या करके पूर्वोक्त प्रकार से विखराया गया शब्द 'हतविक्खिप्तक' कहलाता है। जिस शब्द के अङ्ग—प्रत्यक्ष शास्त्र से काटकर, कौए के पैर के आकार में बिखरे दिये गये हों—ऐसे शब्द का यह पर्याय है। (७)

८. उससे रक्त (=खून) निकलता है, इधर—उधर फैलता है, बहता है, अतः वह 'लोहितक' है। बहते हुए खून से अभिध्यास (भविखत) शब्द का यह अधिवचन है। (८)

९. पुलव (संस्कृत में, पुलक=एक प्रकार का कीड़ा) कृमियो (कीड़ों) को कहा जाता है। (उस शब्द से) कृमि निकलते हैं, इसलिये 'पुलवक' है। कृमियों से भरे शब्द का यह अधिवचन है। (९)

१०. अस्थि (हड्डी) ही 'अट्टिक' (=अस्थिक) है। अथवा प्रतिकूल होने से कुत्सित अस्थि अट्टिक है। अस्थिकङ्गल का भी और एक अस्थि का भी यह अधिवचन है। (१०)

इन उद्धुमातक आदि के आश्रय से उत्पन्न निमित्तों के, एव निमित्तों में प्राप्त ध्यानों के भी ये उद्धुमातक आदि नाम हैं।

उगाहेतब्बं । तेनस्स कम्भट्टानं कथेन्तेन असुभनिमित्तत्थाय गमनविधानं, समन्ता निमित्त-पलवर्खणं एकादसविधेन निमित्तगगाहो, गतागातमगगपच्चवेक्षणं ति एवं अप्पना-विधानपरियोसानं सब्बं कथेतब्बं । तेनापि सब्बं साधुकं उगाहेत्वा पुढ्बे वुत्तप्तकारं सेनासनं उपगन्त्वा उद्धुमातकनिमित्तं परियेसन्तेन विहातब्बं ।

१२. एवं विहरन्तेन च 'असुकस्मि नाम गमद्वारे वा अटविमुखे वा पथे वा पब्बतपादे वा रुक्खमूले वा सुसाने वा उद्धुमातकसरीरे निकिखतं' ति कथेन्तानं वचनं सुत्वा पि न तावदेव अतित्थेन पक्षवन्दन्तेन विय गन्तब्बं ।

कस्मा ? असुभं हि नामेत वाळीमिगाधिद्वितं पि अमनुस्साधिद्वितं पि होति । तत्रस्स जीवितन्तरायो पि सिया । गमनमगगो वा पनेत्थ गमद्वारेन वा न्हानतित्थेन वा केदारकोटिया वा होति । तत्थ विसभागरूपं आपाथमागच्छति, तदेव वा सरीरं विसभागं होति । पुरिसस्स हि इत्थिसरीरे, इत्थिया च पुरिससरीरं विसभागं, तदेव अधुनाभतं सुभतो पि उपद्वाति, तेनस्स ब्रह्मचरियन्तरायो पि सिया । सचे पन "नविदं मादिसस्स भारियं" ति अतानं तक्षयति, एवं तक्षयमानेन गन्तब्बं ।

१३. गच्छन्तेन च सङ्घृत्थेरस्स वा अञ्जतरस्स वा अभिज्ञातस्स भिक्खुनो कथेत्वा गन्तब्बं । कस्मा ? सचे हिस्स सुसाने अमनुस्ससीहव्यग्रादीनं रूपसद्वादिअनिद्वारमणाभिउद्धुमातक की भावनाविधि

११. पूर्वोक्त उद्धुमातक शरीर मे उद्धुमातक निमित्त उत्पन्न कर, 'उद्धुमातक' नामक ध्यान की भावना करने के अभिलाषी योगी को, पृथ्वीकसिण के प्रसङ्ग मे आयी विधि के अनुसार ही, उक्त प्रकार के आचार्य के यास जाकर कर्मस्थान ग्रहण करना चाहिये । उसे कर्मस्थान बतलाने वाले इस आचार्य को १. अशुभनिमित्त के अवलोकन के हेतु जाने की विधि, २. चारों ओर से निमित्त को भलीभाँति देखना, ३. ग्यारह प्रकार से निमित्त का ग्रहण, ४. गतागत अर्थात् जाने और आने के मार्ग का प्रत्यवेक्षण—इस प्रकार अर्पणाविधि की समाप्ति तक सब कुछ बतला देना चाहिये । उस योगावचर को भी सब कुछ भलीभाँति सीखकर, पूर्वोक्त प्रकार के शयनासन मे जाकर, उद्धुमातक निमित्त को खोजते हुए विहार करना चाहिये ।

१२. और इस प्रकार विहार करने वाले को—"अमुक ग्राम के द्वार पर, जङ्गल मे, रास्ते मे, पर्वत की तलहटी मे, वृक्ष के नीचे या श्मशान मे उद्धुमातक शव पडा हुआ है"—इस प्रकार किसी को कहते हुए सुनकर ही, उस व्यक्ति की तरह जो कि बिना घाट वाली नदी मे कूद पड़ता है, उसी समय चल नहीं देना चाहिये । क्यों ? क्योंकि १. यह असुभ हिंसक जन्तुओं के द्वारा भी और अमानवीय सत्ताओं (=अमनुष्यों=भूतप्रेतों) द्वारा भी अधिष्ठित होता है वहाँ उसकी जान भी जा सकती है । २. या ही सकता है कि उस तक जाने का रास्ता ग्राम के द्वार, घाट या सीधे हुए खेत की सीमा से होकर जाता हो और वहाँ विपरीत (=विसभाग) रूप सामने पड़ जाय । ३. या यह शरीर (=शव) ही विपरीत हो । क्योंकि पुरुष के लिये स्त्री का शरीर और स्त्री के लिये पुरुष का शरीर विपरीत है । तब, हाल मे ही मृत यह शरीर उस मिथु को शुभ (=अकार्यक, सुन्दर) भी प्रतीत हो सकता है, जिससे इसके ब्रह्मचर्य मे आधा पड़ सकती है । किन्तु यदि वह "यह मुझ जैसे के लिये कठिन नहीं है"—ऐसा स्वयं के विषय मे सोचता है, तो ऐसा सोचने वाले को चले जाना चाहिये ।

१३. हाँ, जाने वाले को सङ्घ के स्थविर से या अन्य किसी सुपरिचित मिथु से कहकर जाना चाहिये । किसलिये ? क्योंकि (१) यदि श्मशान मे अमनुष्यों, सिंह, व्याघ्र आदि रूप, शब्द आदि तथा

भूतस्स अङ्गपच्छानि वा पवेधेन्ति, भूतं वा न परिसण्ठाति, अञ्जो वा आबाधो होति, अथस्स सो विहारे सुरक्षितं करिस्सति । दहरे वा सामणेरे वा पहणित्वा तं भिक्खुं पटिजग्गिस्सति ।

अपि च 'सुसानं नाम निरातङ्गद्वानं' ति भञ्जमाना कतकम्मा पि अकतकम्मा पि चोरा समोसरन्ति । ते मनुस्सेहि अनुबद्धा भिक्खुस्स समीपे भण्डकं छड्डेत्वा पि पलायन्ति । मनुस्सा "सहोद्रूं चोरं अदस्सामा" ति भिक्खुं गहेत्वा विहेन्ति । अथस्स सो "मा इमं विहेठयित्थ, ममायं कथेत्वा इमिना नाम कम्मेन गतो" ति ते मनुस्से सञ्चापेत्वा सोत्थिभावं करिस्सति । अर्थं आनिसंसो कथेत्वा गमने ।

तस्मा वृत्तप्यकारस्स भिक्खुनो कथेत्वा असुभनिमित्तदस्सने संज्ञाताभिलासेन, यथा नाम खत्तियो अभिसेकद्वानं, यजमाने यञ्जसालं, अथनो वा पन निधिद्वानं पीतिसोमनसज्जातो गच्छति, एवं पीतिसोमनसं उप्पादेत्वा अद्वकथासु वृत्तेन विधिना गन्तव्यं ।

१४. भूतं हेतं—

"उद्धुमातकं असुभनिमित्तं उगगणहन्तो एको अदुतियो गच्छति, उपट्टिताय सतिया असम्मुद्राय अन्तोगतेहि इन्द्रियेहि अबहिगतेन मानसेन, गतागतमगं पच्चवेक्षमानो । यस्मि पदेसे उद्धुमातकं असुभनिमित्तं निक्खितं होति, तस्मि पदेसे पासाणं वा वम्मिकं वा रुक्खं वा गच्छं वा लतं वा सनिमित्तं करोति, सारम्मणं करोति । सनिमित्तं कत्वा सारम्मणं कत्वा उद्धुमातकं असुभनिमित्तं सभावभावतो उपलक्ष्येति वण्णतो पि लिङ्गतो पि सण्ठानतो पि अनिष्ट आलम्बनो से डरकर इस भिक्षु के अन्न प्रत्यक्ष कौपने लगे, खाया—पिया न पचे या कोई दूसरी परेशानी खड़ी हो जाय, तो विहार में वह स्थविर य सुपरिचित भिक्षु उसके पात्र—बीदर को सुरक्षित रखेगा या तरुण भिक्षु को अद्यवा श्रामणेर को भेजकर उस भिक्षु की सेवा—सुश्रूषा करवायगा ।

(२) इसके अतिरिक्त—'इमशान निरापद स्थान है'—ऐसा जानते हुए चोरी कर चुके या चोरी करने वाले चोर भी आपस में भिलते रहते हैं । जब लोग उनका पीछा करते हैं, तब वे भिक्षु के पास चोरी का भाल छोड़कर भाग जाते हैं । लोग "सामान के साथ चोर को पकड़ लिया"—यो कहकर भिक्षु को सताते हैं । ऐसा होने पर यह स्थविर भिक्षु "इसे मत सताओ, यह मुझे बताकर इस कार्य से गया था"—इस प्रकार उन लोगों को सत्य बात बताकर छुड़ा लेगा । अतः कहकर जाने में यह लाभ है ।

इसलिये उक्त प्रकार के भिक्षु से कहकर अशुभनिमित्त के दर्शन के अभिलाषी को, जैसे क्षत्रिय अधिरैकस्थल की ओर, यजमान यज्ञशाला की ओर या निर्धन खजाने की ओर प्रीति एवं सौमनस्य के साथ जाता है, वैसे ही प्रीति और सौमनस्य उत्पन्न कर, अद्वकथाओं में कहे गये ढंग से जाना चाहिये ।

१५. क्योंकि वहाँ यह कहा गया है—

"उद्धुमातक अशुभनिमित्त को ग्रहण करने वाला अकेला, विना किसी को साथ लिये, स्मृति बनाये रखकर, विस्मरण (=सम्प्रमोष) से रहित होकर, इन्द्रियों के अन्तर्मुख होने से वहाँ अन्तर्मुख हुए मन के साथ, गतागत भार्या का प्रत्यवेक्षण करते हुए जाता है । जिस प्रदेश में उद्धुमातक अशुभनिमित्त पड़ा हुआ होता है, उस प्रदेश में पश्चर, दीमक की बाँधी, पेड़, झाड़ी या लता को निमित्त के साथ ग्रहण करता है, आलम्बन के साथ ग्रहण करता है । निमित्त या आलम्बन के साथ ग्रहण कर,

दिसतो पि ओकासतो पि परिच्छेदतो पि सन्धितो विवरतो नित्रतो थलतो समन्ततो । सो तं निमित्तं सुग्गहितं करोति, सूपधारितं उधारेति, सुववत्थितं ववत्थपेति । सो तं निमित्तं सुग्गहितं कत्वा सूपधारितं उपधारेत्वा सुववत्थितं ववत्थपेत्वा एको अदुतियो गच्छति उपटुताय सतिया असमुद्दाय, अन्तोगतेहि इन्द्रियेहि अबहिगतेन मानसेन गतागतमणं पञ्चवेक्खमानो । सो चङ्गमन्तो पि तब्बागियं येव चङ्गमं अधिड्वाति । निसीदन्तो १५३ तब्बागियज्जेव आसनं पञ्चपेति ।

“समन्ता निमित्तुपलक्खणा किमतिथ्या किमानिसंसा ति ? समन्ता निमित्तुपलक्खणा असमोहत्था असमोहानिसंसा । एकादसविधेन निमित्तगाहो किमतिथ्यो किमानिसंसो ति ? एकादसविधेन निमित्तगाहो उपनिबन्धनतथो उपनिबन्धनानिसंसो । गतागतमण-पञ्चवेक्खणा किमतिथ्या किमानिसंसा ति ? गतागतमणपञ्चवेक्खणा वीथिसम्पटिपादनत्था वीथिसम्पटिपादनानिसंसा ।

“सो आनिसंसदस्वी रतनसञ्जी हुत्वा चित्तकारं उपटुपेत्वा सम्पियायमानो तर्स्म आरम्भणे चित्तं उपनिबन्धति—‘अद्वा इमाय पटिपदाय जरामरणम्हा परिमुच्चिस्सामी’ ति । सो विविच्चेव कामेहि १५०.... पठमं ज्ञानं उपसम्पञ्च विहरति । तस्साधिगतं होति रूपावचरं पठमं ज्ञानं, दिल्लो च विहारो, भावनामयं च पुञ्जकिरियवत्थुं” () ति ।

१५. तस्या यो चित्तसञ्ज्ञतत्थाय सिवधिकदस्सनं गच्छति, सो घण्टं पहरित्वा

अशुभनिमित्त को उसके स्थाव के अनुसार मली भाँति देखता है—वर्ण से भी, लिङ्ग से भी, आकार (स्थान) से भी, दिशा से भी, रित्त स्थान (=अवकाश) से, जोड (=सन्धि), छिद्र (=विहार), निर्धार्ष, ऊँचाई, चारो ओर से भी । तब वह उस निमित्त को भलीभाँति ग्रहण करता है । भली-भाँति मन में धारण करता है, सुव्यवस्थित करता है । वह उस निमित्त को भलीभाँति ग्रहण कर, भलीभाँति धारण कर, सुव्यवस्थित कर, स्मृति बनाये रखकर, विस्मरण से रहित होकर, इन्द्रियों के अन्तर्मुख होने से इस अन्तर्मुख हुए मन के साथ गतागत मार्ग का प्रत्यवेक्षण करते हुए अकेला, दिना किसी को साथ लिये, जाता है । वह चक्रमण करते समय भी उस अशुभनिमित्त के बारे में चिन्तन करते हुए ही चक्रमण करता है । बैठते समय भी उस अशुभनिमित्त के बारे में चिन्तन—मनन करते हुए ही आसन पर बैठता है ।

(१) चारो ओर से निमित्त को ध्यानपूर्वक देखने का क्या प्रयोजन या क्या गुण (=प्राणतत्त्व) है? चारो ओर से निमित्त को ध्यान से देखना असमोह (=गोह से रहित होने) के लिये है । उसका गुण असमोह है । (२) ग्यारह प्रकार से निमित्त ग्रहण करने का क्या प्रयोजन है, क्या गुण है? ग्यारह प्रकार से निमित्त का ग्रहण उस अशुभ आलम्बन से चित्त को बाँधे रखने के लिये है । उसका गुण बाँधे रखना है । (३) गतागत मार्ग के प्रत्यवेक्षण का क्या प्रयोजन, क्या गुण है? गतागत मार्ग का प्रत्यवेक्षण कर्मस्थान के मार्ग (-विधि) के सम्यक् प्रतिपादन के लिये है । मार्ग का सम्यकप्रतिपादन उसका गुण है ।

वह भिक्षु उसमें गुण देखते हुए, उसे रक्त के समान मूल्यवान् समझते हुए उसके प्रति आदर और प्रेम से युक्त होकर, उस आलम्बन से चित्त को इस प्रकार बाँधता है—‘अवश्य ही इस मार्ग से मैं जरामरण से मुक्त हो जाऊँगा’ । वह कामों से रहित पूर्वदत् प्रथम ध्यान प्राप्त कर दिहार करता है । वह रूपावचर प्रथम ध्यान, दिव्य विहार एवं भावनामय पुण्य क्रियावस्तु प्राप्त करता है ।”

गणं सत्रिपातेत्वा पि गच्छतु । कम्मटानसीसेन पन गच्छन्तेन एककेन अदुतियेन मूलकमट्टानं अविस्सज्जेत्वा तं मनसिकरोन्तेनेव सुसानं सोणादिपरिस्सयविनोदनत्थं कत्तरदण्डं वा यट्टुं वा गहेत्वा, सूपट्टिभावसम्पादनेन असम्मुद्दुं सतिं कत्वा मनच्छट्टानं च इन्द्रियानं अन्तोगत-भावसम्पादनतो अबहिगतमनेन हुत्वा गन्तव्यं ।

१६. विहातो निकखण्ठनेनेव 'असुकदिसाय असुकद्वारेन निकखन्तोम्ही' ति द्वारं सल्लक्षणेत्वं । ततो येन मग्गेन गच्छति, सो मग्गो ववत्थपेतब्बो— 'अयं मग्गो पाचीनदिसाभिमुखो वा गच्छति, पच्छिम.... उत्तर.... दक्षिखण्णदिसाभिमुखो वा विदिसाभिमुखो वा' ति । 'इमस्मि पन ठाने वापतो गच्छति, इमस्मि ठाने दक्षिखण्णो; इमस्मि चस्स ठाने पासाणो, इमस्मि वमिको, इमस्मि रुक्षो, इमस्मि गच्छो, इमस्मि लता'— ति एवं गमनमाणं ववत्थपेनेन निमित्तटानं गन्तव्यं, नो च खो पटिवात् । पटिवातं गच्छन्तस्स हि कुणपण्यो घानं पहरित्वा मत्थलुङ्गं वा सङ्घोभेय्य, आहारं वा छड्डापेय्य, विष्पटिसारं वा जेन्य— 'ईदिसं नाम कुणपट्टानं आगतोम्ही' ति । तस्मा पटिवातं वज्जेत्वा अनुवातं गन्तव्यं । सचे अनुवातमागेन न सक्ता होति गन्तुं अन्तरा पब्बतो वा पासाणो वा वति वा कण्टकट्टानं वा उटकं वा चिकखलं वा होति, चीवरकण्णेन नासं पिदहित्वा गन्तव्यं । इदमस्स गमनवतं ।

१७. एवं गतेन पन न ताव असुभनिमित्तं ओलोकेतब्बं । दिसा ववत्थपेतब्बा ।

१५. इसलिये यदि वह चित्त को सयत करने के उद्देश्य से शब्द को देखने जा रहा हो, तो वह चाहे तो घण्टी बजाकर भिक्षुण को एकत्र करके भी जाय या घण्टी बजाकर पाठ समाप्त करके भी जाय, किन्तु कर्मस्थान को प्रमुखता देने वाले को यहाँ जाते समय अकेले, विना किसी को साथ लिये, भूल कर्मस्थान को छोड़े विना, उसके बारे में दिनन्त करते हुए, ईश्वरान में कुत्ते आदि के सम्मानित उपदेव को दूर करने के लिये छोड़ी या लाठी लेकर, स्मृति को उपरिस्थित बनाये रखकर, स्मृति को विस्मरण दोष से रहित करके और इन्द्रियों को अन्तर्मुख रखने से छह इन्द्रियों सहित मन को आहर न जाने देते हुए, अन्तर्मुख रखते हुए जाना चाहिये ।

गमनविषयक नियम

१६. विहार से निकलते समय "अभुक दिशा से, अभुक द्वार से निकल रहा हूँ"—इस प्रकार द्वार को ध्यान से देखना चाहिये । तत्पक्षात् जिस मार्ग से जाता है, उस मार्ग पर विचार करना चाहिये कि "यह मार्ग पूर्व दिशा की ओर जाता है या पश्चिम या उत्तर या दक्षिण दिशा की ओर या उपदिशा (=विदिशा, जैसे पूर्वोत्तर, पश्चिमोत्तर आदि) की ओर । यहाँ से रास्ता बायीं ओर जाता है, यहाँ से दाहीं ओर, इस स्थान पर पत्थर है, इस स्थान पर दीमक की बाँधी, इस पर युक्त, इस पर झाड़ी, इस पर लता"—इस प्रकार गमन-मार्ग का विचार करने वाले को ही निमित्त के स्थान पर जाना चाहिये, किन्तु हवा के रुख से विपरीत (=प्रतिवात) नहीं । क्योंकि हो सकता है कि हवा के रुख से विपरीत जाने वाले की धारणाद्वय पर दुर्गंध के झोके से उसका भरितष्क भजाने लगे, वमन हो जाय या उसे इस प्रकार पछतावा होने लगे कि "कैसे धृणित स्थान पर आया हूँ" इसलिये हवा से विपरीत जाने से बवते हुए, हवा के रुख के अनुकूल (=अनुवात) जाना चाहिये । यदि हवा के अनुकूल मार्ग से जाना साधन न हो, क्योंकि हो सकता है—बीच में पर्वत, झरना, पत्थर, चहारदीवारी, कैटीला स्थान, जल या कीचड़ हो तो चीवर के कोने से नाक बन्द करके जाना चाहिये । यह गमन के सम्बन्ध में इस भिक्षु का द्रत नियम या विधि है ।

एकर्स्मि हि दिसाभागे ठितस्स आरम्पणं च न विभूतं हुत्वा खायति, चित्तं च न कम्पनियं होति । तस्मा तं वज्रेत्वा यत्थ ठितस्स आरम्पणं च विभूतं हुत्वा खायति, चित्तं च कम्पनियं होति, तत्थ ठातब्बं । पटिवातानुवारं च पहातब्बं । पटिवाते ठितस्स हि कुणपगन्धेन उब्बाळ्हस्स चित्तं विधावति । अनुवाते ठितस्स सचे तत्थ अधिवत्था अमनुस्सा होन्ति, ते कुञ्जित्वा अनथं करोन्ति । तस्मा ईसकं उक्षय्य नातिअनुवाते ठातब्बं ।

एवं तिटुमानेना पि नातिदूरे नाच्चासने नानुपादं नानुसीसं ठातब्बं । अतिदूरे ठितस्स हि आरम्पणं अविभूतं होति । अच्चासने भयं उप्पज्जति । अनुपादं वा अनुसीसं वा ठितस्स सब्बं असुभं समं न पञ्जायति । तस्मा नातिदूरे नाच्चासने ओलोकेन्तस्स फासुकद्वाने सरीर-वेमज्ञाभागे ठातब्बं ।

१८. एवं ठितेन “तर्स्मि पदेसे पासाणं वाये०.... लतं वा सनिमित्तं करोती” ति एवं वुत्तानि समन्ता निमित्तानि उपलक्खेतब्बानि । तत्रिदं उपलक्खणविधानं—सचे तस्स निमित्तस्स समन्ता चकखुपथे पासाणो होति, सो अयं पासाणो उच्चो वा नीचो वा, खुदको वा महन्तो वा, तम्बो वा काळो वा सेतो वा दीघो वा परिमण्डलो वा ति वक्त्यपेतब्बो । ततो इमस्मि नाम ओकासे अयं पासाणो इदं असुभनिमित्तं, इदं असुभनिमित्तं अयं पासाणो ति सल्लक्खेतब्बं ।

सचे वम्प्यको होति, सो पि उच्चो वा नीचो वा, खुदको वा महन्तो वा, तम्बो वा
अवलोकनविधयक नियम

१९. इस प्रकार जाने पर भी, जाते ही अशुभनिमित्त का अवलोकन नहीं करना चा डैये, क्योंकि किसी-किसी दिशा में खड़े होने पर आलम्बन स्पष्ट रूप से दिखायी नहीं देता और चित्त भी वश में नहीं रहता । अतः उसे ऐसे स्थान से बचते हुए, जहाँ खड़े होने से आलम्बन भी स्पष्ट रूप से दिखायी दे और चित्त भी वश में रहे, वहाँ खड़ा होना चाहिये । हवा के रुख के प्रतिकूल या हवा के रुख के अनुकूल रहने से बचना चाहिये । हवा के रुख के प्रतिकूल खड़े हुए भिक्षु का चित्त दुर्गन्ध से उद्भेदित होकर इधर-उधर दौड़ता है । यदि उस शव पर अमनुष्य वास करते हों तो वे हवा के रुख के अनुकूल खड़े हुए भिक्षु पर कुपित होकर अनर्थ (=उत्पात) कर सकते हैं । इसलिये थोड़ा सा हटकर, न कि ठीक हवा के रुख के अनुकूल, खड़ा होना चाहिये ।

इस प्रकार खड़े होते हुए भी, (उसे अन्य बातों का भी ध्यान रखना चाहिये, जैसे—शव से) न बहुत दूर, बहुत पास, न पैर या सिर की ओर खड़ा होना चाहिये । बहुत दूर खड़े होने पर आलम्बन स्पष्ट नहीं होता । बहुत पास खड़े होने से भय उत्पन्न होता है । पैर या सिर की ओर खड़े होने पर समस्त अशुभ (=मृत शरीर) एक बराबर, समान दिखायी नहीं देता । इसलिये न बहुत दूर, न बहुत पास, सुविधाजनक स्थान में शरीर के मध्य भाग की ओर खड़ा होना चाहिये ।

१८. यो खड़े हुए भिक्षु को “उस प्रदेश में पत्थर या ...पूर्ववत्... लता को निमित्त के साथ ग्रहण करता है”—इस प्रकार बतलाये गये चारों ओरे के निमित्तों को ध्यान से देखना चाहिये ।

वहाँ ध्यान से देखने की विधि यह है—“यदि उस निमित्त के पास दृष्टिपथ में पत्थर हो तो उस पर विचार करना चाहिये कि वह पत्थर ऊँचा है या नीचा, छोटा है या बड़ा, तोंडे के रंग का है, काला है या सफेद है, लम्बा है या गोल है । तब इस प्रकार निरीक्षण करना चाहिये—‘इस स्थान पर यह पत्थर है यह अशुभनिमित्त है, यह अशुभनिमित्त है यह पत्थर है’ ।”

यदि दीमक की बाँबी हो तो वह भी ऊँची है या नीची, छोटी है या बड़ी, तोंडे के रंग की है

काळो वा सेतो वा, दीधो वा परिमण्डलो वा ति ववत्थपेतब्बो । ततो इमस्मि नाम ओकासे 'अयं वम्मिको इदं असुभनिमित्तं' ति सल्लक्खेतब्बं ।

सचे रुक्खो होति, सो पि अस्सत्थो वा निग्रोधो वा कच्छको वा कपीतनो वा उच्चो वा नीचो वा, खुद्दको वा महन्तो वा, तम्भो वा काळो वा सेतो वा ति ववत्थपेतब्बो । ततो इमस्मि नाम ओकासे 'अयं रुक्खो इदं असुभनिमित्तं' ति सल्लक्खेतब्बं ।

सचे गच्छो होति, सो पि सिन्दि वा करमन्दो वा 'कणवीरो वा कुरण्डको वा उच्चो वा नीचो वा, खुद्दको वा महन्तो वा ति ववत्थपेतब्बो । ततो इमस्मि नाम ओकासे 'अयं गच्छो' इदं असुभनिमित्तं ति सल्लक्खेतब्बं ।

सचे लता होति, सा पि लाबु वा कुभ्यण्डो वा सामा वा काळवलि वा पूतिलता वा ति ववत्थपेतब्बा । ततो इमस्मि नाम ओकासे 'अयं लता इदं असुभनिमित्तं, इदं असुभनिमित्तं' अयं लता ति सल्लक्खेतब्बं ।

१९. यं पन चुतं 'सनिमित्तं करोति सारम्पणं, करोती' ति, तं इधेव अन्तोगथं । पुनः पुनं ववत्थपेत्तो हि सनिमित्तं करोति नाम । 'अयं पासाणो इदं असुभनिमित्तं', 'इदं असुभनिमित्तं अयं पासाणो' ति एवं द्वे द्वे समासेत्वा समासेत्वा ववत्थपेत्तो सारम्पणं करोति नाम ।

एवं सनिमित्तं सारम्पणं च कत्वा पन सभावभावतो ववत्थपेती ति वृत्तता व्यास्स सभावभावो अनञ्जसाधारणो अत्तिनियो उद्गुमातकभावो, तेन मनसिकातब्बं । वणितं उद्गुमातकं ति एवं सरसेन ववत्थपेतब्बं ति अत्थो ।

या काली या सफेद, लम्बी है या गोल—इसका विचार करना चाहिये । तब “इस स्थान पर यह दीपक की बाँधी है, यह अशुभनिमित्त है”—इस प्रकार निरीक्षण करना चाहिये ।

यदि वृक्ष हो, तो वह भी अश्वत्थ (=पीपल) है या न्यग्रोध (=बरगद), कच्छक (=पाकड़) है या कपित्थ (=कैथ), ऊंचा है या नीचा, छोटा है या बड़ा, तर्के के रंग का है, काला है या सफेद—इस प्रकार विचार करना चाहिये । तब “इस स्थान पर यह वृक्ष है, यह अशुभनिमित्त है”—इस प्रकार निरीक्षण करना चाहिये ।

यदि आड़ी हो, तो वह भी छोटी खजूर है या कम्पन (=करवन), करवीर है या कुरण्डक (=जयन्ती), ऊंची है या नीची, छोटी है या बड़ी—इस प्रकार विचार करना चाहिये । तब “इस स्थान पर यह आड़ी है—यह अशुभनिमित्त है, या आड़ी”—इस प्रकार निरीक्षण करना चाहिये ।

यदि लता हो, तो वह भी लौकी है या कुम्हडा, श्यामा है या कालवली या पूतिलता (=गिलोय)—इस प्रकार विचार करना चाहिये । तब “इस स्थान पर यह लता है, यह अशुभनिमित्त है, यह अशुभ निमित्त है, यह लता है”—इस प्रकार निरीक्षण करना चाहिये ।

१९. जो कहा गया है— सनिमित्तं करोति, सारम्पणं करोति (निमित्त के साथ (ग्रहण) करता है, आलम्बन के साथ ग्रहण करता है) उसका यहीं (=उपर्युक्त वर्णन में ही) समावेश हो जाता है. क्योंकि जब वह बारम्बार विचार करता है, तब वह आसपास की वस्तुओं को निमित्त के साथ ग्रहण करता है । पैसे ही, “यह पत्थर है, यह अशुभनिमित्त है, यह अशुभनिमित्त है, यह पत्थर है” इस प्रकार दो-दो को जोड़कर विचार करते हुए वस्तुतः वह आलम्बन के साथ उन्हें ग्रहण करता है ।

निमित्त के साथ, आलम्बन का साथ ग्रहण करने के बाद, क्योंकि कहा गया है कि सभावभावतो ववत्थपेती “स्वभाव के अनुसार विचार करता है” अतः जो इस उद्गुमातक का स्वभाव-

२०. एवं ववत्थपेत्त्वा १. वण्णतो पि, २. लिङ्गतो पि, ३. सण्ठानतो पि, ४. दिसतो पि, ५. ओकासतो पि, ६. परिच्छेदतो पि ति छांब्बधेन निमित्तं गहेतब्बं ।

कथं ? तेन हि योगिना इदं सरीरं काळस्स वा ओदातस्स वा मङ्गुरच्छविनो वा ति वण्णतो ववत्थपेत्त्वं ।

लिङ्गतो पन इत्थिलिङ्गं वा पुरिसलिङ्गं वा ति अववत्थपेत्त्वा, पठमवये वा पञ्जिष्मवये वा पच्छिमवये वा ठितस्स इदं सरीरं ति ववत्थपेत्त्वं ।

सण्ठानतो उद्धुमातकस्स सण्ठानवसेनेव इदमस्स सीससण्ठानं, इदं गीवासण्ठानं, इदं हत्थसण्ठानं, इदं उदरसण्ठानं, इदं नाभिसण्ठानं, इदं कटिसण्ठानं, इदं उरुसण्ठानं, इदं जङ्घासण्ठानं, इदं पादसण्ठानं ति ववत्थपेत्त्वं ।

दिसतो पन 'इमस्मि सरीरे द्वे दिसा—नाभिया अधो हेट्टिमदिसा, उद्धं उपरिमदिसा' ति ववत्थपेत्त्वं । अथ वा 'अहं इमिस्सा दिसाय ठितो, असुभनिमित्तं इमिस्सा' ति ववत्थपेत्त्वं ।

आकासतो पन 'इमस्मि नाम ओकासे हत्था, इमस्मि पादा, इमस्मि सीसं, इमस्मि पञ्जिष्मकायो ठितो' ति ववत्थपेत्त्वं । अथ वा— 'अहं इमस्मि ओकासे ठितो असुभनिमित्तं इमस्मि' ति ववत्थपेत्त्वं ।

परिच्छेदतो 'इदं सरीरं अधो पादतलेन उपरि केसमत्थकेन तिरियं तचेन परिच्छल्नं, यथापरिच्छले च ठाने द्वातिसकुणपभरितमेवा' ति ववत्थपेत्त्वं । अथ वा 'अयमस्स हत्थपरिच्छेदो, है, दूसरो से भिन्न उसका अपना उद्धुमातक भाव है, उसका चिन्तन करना चाहिये । "फूला हुआ उद्धुमातक है"— इस प्रकार स्वभाव के अनुसार, कार्य के अनुसार विचार करना चाहिये, यह अर्थ है ।

२०. इस प्रकार विचार कर, १. वर्ण, २. लिङ्ग, ३. संस्थान, ४. दिशा, ५. अवकाश, ६. सीमा—इस प्रकार छह प्रकार से निमित्त ग्रहण करना चाहिये? कैसे?

उस योगी को— "यह शरीर काले रंग का है या गोरे या सुनहले (=गोहुए) रंग का?"—इस प्रकार वर्ण के अनुसार विचार करना चाहिये । (१)

लिङ्ग से— 'स्त्रीलिङ्ग है या पुरुषलिङ्ग' इसका विचार न कर, यह शरीर प्रथम वय में, मध्यम वय में या पश्चिम वय में है—इस प्रकार विचार करना चाहिये । (२)

संस्थान (अकार) से—च्छुमातक के आकार के अनुसार ही, यह इसके सिर का आकार है, यह ग्रीवा (=गरदन) का आकार, यह हाथ का आकार, यह पैर का आकार, यह पेट का आकार, यह नाभि... यह कमर... यह जाँघ... यह पैर का आकार है—इस प्रकार विचार करना चाहिये । (३)

दिशा से— इस शरीर में दो दिशाएँ (=भाग) हैं—नाभि से नीचे निचली दिशा, (नाभि से) ऊपरी दिशा इस प्रकार विचार करना चाहिये । अथवा—मैं "इस दिशा में हूँ, अशुभनिमित्त इस दिशा में"—इस प्रकार विचार करना चाहिये । (४)

स्थान (अवकाश) से—"इस स्थान पर हाथ, इस पर पैर, इस पर सिर, इस पर काय का नियमित है"—इस प्रकार विचार करना चाहिये । अथवा, "मैं इस स्थान पर हूँ, अशुभनिमित्त इस स्थान पर"—इस प्रकार विचार करना चाहिये । (५)

परिच्छेद (=सीमा) से—"यह शरीर नीचे पैर के तलवे से लेकर ऊपर सिर के बालों तक समतल त्वया से परिसीमित है । ऐसे परिसीमित स्थान में बत्तीस (३२) गन्दगियाँ (=अशुचि पदार्थ) ही

अयं पादपरिच्छेदो, अयं सीसपरिच्छेदो, अयं मञ्जिमकायपरिच्छेदो' ति ववत्थपेतब्बं । यतकं वा पन तानं गण्हाति, तत्कपेव इदं ईदिसं उद्भुमातकं ति परिच्छिन्दितब्बं ।

पुरिसस्स पन इत्थिसरीरं, इत्थिया वा पुरिससरीरं न वट्टुति । विसभागे सरीरे आरम्मणं न उपट्टुति, विष्फल्दनस्सेव पच्यो होति । "उम्भाटिता पि हि इत्थी पुरिसस्स चित्तं परियादाय तिटुती" ति मञ्जिमट्टुकथार्थं त्रुतं । तस्मा सभागसरीरे येव एवं छब्बिधेन निमित्तं गण्हितब्बं ।

२१. यो पन पुरिमबुद्धानं सन्तिके आसेवितकम्भट्टानो परिहतधुतङ्गो परिमद्वितमहाभूते परिगगहितसङ्घारो ववत्थापितनामरूपो उग्धाटितसत्तसञ्जो कतसमणधम्मो वासितवासनो भावितभावनो सबीजो आणुत्तरो अप्पकिलेसो कुलपुत्तो, तरस्स ओलोकितोलोकितटाने येव पटिभागनिमित्तं उपश्चाति । नो चे एवं उपट्टुति, अथेवं छब्बिधेन निमित्तं गण्हतो उपट्टुति ।

२२. यस्स पन एवं पि न उपट्टुति, तेन १. सन्धितो, २. विवरतो, ३. निमित्तो, ४. थलतो, ५. समन्ततो ति पुन पि पञ्चविधेन निमित्तं गहेतब्बं ।

तत्थ सन्धितो ति । असीतिसतसन्धितो । उद्भुमातके पन कथं असीतिसतसन्धियो ववत्थपेस्सति ? तस्मानेन तयो दक्खिणहत्थसन्धी, तयो वामहत्थसन्धी, तयो वामपादसन्धी, एको गीवसन्धि, एको कटिसन्धी ति एवं चुद्दसमहासन्धिवसेन सन्धितो ववत्थपेतब्बं ।

है—“इस प्रकार विचार करना चाहिये । अथवा, “यह इसके हाथ की सीमा है, यह इसके पैर की सीमा, यह सिर की सीमा, यह शरीर के मध्य भाग की सीमा”—इस प्रकार करना चाहिये । अथवा उद्भुमातक के जितने स्थान (=भाग) का विचार के लिये मन से ग्रहण करता है, उतने ही के बारे में “यह इस प्रकार का उद्भुमातक है”—इस प्रकार सीमा का निश्चय करना चाहिये । (६)

पुरुष के लिये स्त्री का शरीर या स्त्री के लिये पुरुष का शरीर ध्यान के आलम्बन के रूप में विहित नहीं है । विपरीत शरीर में अशुभ आलम्बन नहीं जान पड़ता, अपितु वह अनुचित उत्तेजना (=विस्पन्दन=क्लेश=स्पन्दन) का ही कारण होता है । मञ्जिमनिकाय की अट्टुकक्षों में कहा गया है—“खुले हुए शरीर वाली (=निर्वस्त्र शरीर वाली) स्त्री (चाहे भले ही उसका शरीर पूरी तरह से सड़ा हुआ हो) पुरुष के चित्त को वशीभूत कर लेती है” । इसलिये अनुरूप शरीर में ही (=मिशु को पुरुष-शरीर में एवं मिशुणी को स्त्री के शरीर में ही) ऐसे छह प्रकार से निमित्त ग्रहण करना चाहिये ।

२३. जिसने पूर्व बुद्धों के सनीप कर्मस्थान का पालन, ध्रुताङ्ग-धारण, महाभूतों का परिमर्दन (=सूक्ष्मतया मनन—चिन्तन द्वारा विश्लेषण), संस्कारों का ग्रहण, नामरूप का विचार, सत्त्व-साक्षा का नाश या अमण घर्ष का पालन किया है, जो कुशल वासना से वासित और कुशल भावना से भावित है, बुद्धत्व के बीज से युक्त, उच्चस्तरीय ज्ञान से युक्त एवं अल्पक्लेश वाला है, ऐसे कुलपुत्र को उस अशुभनिमित्त को देखते ही, उसी स्थान पर प्रतिभागनिमित्त उत्पन्न हो जाता है । यदि इस प्रकार उत्पन्न न हो, तो ऐसे उक्त छह प्रकार से निमित्त ग्रहण करते समय उत्पन्न हो जाता है ।

२४. जिसे इस प्रकार भी निमित्त उत्पन्न न हो, उसे १. सन्धि, २. छिद (=विवर), ३. नीचे, ४. कृपर, ५. चारों ओर से—इस तरह, पूर्वोक्त छह के अतिरिक्त, पुनः इन पाँच प्रकारों से भी निमित्त का ग्रहण करना चाहिये—

सन्धितो (सन्धि से)—एक सौ अस्त्री सन्धियों से । किन्तु उद्भुमातक से किस प्रकार एक सौ अस्त्री सन्धियों का विचार कर पायगा? इसलिये उस मिशु को तीन दाहिने हाथ की सन्धियाँ, तीन बायें हाथ की सन्धियाँ, एक ग्रीवा की सन्धि, एक कमर की सन्धि—इस प्रकार चौदह प्रमुख सन्धियों के अनुसार सन्धि का विचार करना चाहिये । (१)

विवरतो ति । विवरं नाम हृथ्यन्तरं पादन्तरं उदरन्तरं कण्णन्तरं ति एवं विवरतो ववत्थपेतब्बं । अवखीनं पि निमीलितभावो वा उम्मीलितभावो वा, मुखस्स च पिहितभावो वा विवटभावो वा ववत्थपेतब्बो ।

नित्रतो ति । यं सरीरे नित्रद्वानं अकिञ्चकूपो वा अन्तोमुखं वा गलवाटको वा, तं ववत्थपेतब्बं । अथ वा 'अहं नित्रे ठितो, सरीरं उत्त्रते' ति ववत्थपेतब्बं ।

थलतो ति । यं सरीरे उत्त्रद्वानं जण्णुकं वा उरो वा नलाटं वा, तं ववत्थपेतब्बं । अथ वा 'अहं थले ठितो, सरीरं नित्रे' ति ववत्थपेतब्बं ।

समन्ततो ति । सब्बं सरीरं समन्ततो ववत्थपेतब्बं । सकलसरीरे जाणं यं ठानं विभूतं हुत्वा उपटुति, तथ्य "उद्धुमातकं उद्धुमातकं" ति चित्तं ठपेतब्बं । सचे एवं पि न उपटुति उदरपरियोसानं अतिरेकं उद्धुमातकं होति, तथ्य "उद्धुमातकं उद्धुमातकं" ति चित्तं ठपेतब्बं ।

विनिच्छयकथा

२३. इदानि सो तं निमित्तं सुग्रहितं करोती ति आदीसु अयं विनिच्छयकथा—

तेन योगिना तर्स्मि सरीरे यथाखुत्तनिमित्तगाहवसेन सुद्धु निमित्तं गण्हतब्बं, सति सूफट्टितं कत्वा आवज्जितब्बं, एवं पुनप्पुनं करोन्तेन साधुकं उपाधारेतब्बं चेय ववत्थपेतब्बं च । सरीरतो नातिदूरे नाज्वासने पदेसे ठितेन वा निसिनेन वा चकखुं उम्मीलेत्वा ओलोकेत्वा

विवरतो (विवर से)— 'विवर' कहते हैं साथ के अन्तर (=दाहिने हाथ और दाहिने पांख के बीच, बाये हाथ और बाये पांख के बीच का खाली स्थान) ऐरे के अन्तर (=दोनों ऐरों के बीच का खाली स्थान), पेट के अन्तर (=कुक्षि के मध्य में स्थित नाभि—विवर या पेट के भीतर का विवर), कान के अन्तर (=कान के भीतर का खाली स्थान) को । इस प्रकार विवर के अनुसार विचार करना चाहिये । (२)

नित्रतो (नीचे से)— जो शरीर में खोखला स्थान है, जैसे औंख का गह्वा, मुख के भीतर का मांग या गले का निचला मांग (=गलवाटक) उसका विचार करना चाहिये । अथवा, 'मैं निचाई पर स्थित हूँ, मृत शरीर ऊँचाई पर'—इस प्रकार विचार करना चाहिये । (३)

थलतो (ऊँचे से)— शरीर में जो उत्त्रत स्थान है, जैसे घुटना, छाती या ललाट—उस पर विचार करना चाहिये । अथवा 'मैं ऊँचाई पर स्थित हूँ, शरीर निचाई पर'—इस प्रकार विचार करना चाहिये । (४)

समन्ततो (चारों ओर से)—समस्त शरीर का चारों ओर से विचार करना चाहिये । समस्त शरीर में से जिस स्थान का स्पष्ट रूप से ज्ञान हो रहा हो, उसी में 'उद्धुमातक, उद्धुमातक'—इस प्रकार वित्त को स्थिर करना चाहिये । यदि ऐसे भी (=ऐसा करने पर भी) (अशुभनिमित्त) उपस्थित न होता हो, और यदि शब्द के पेट में शोथ अधिक हो, तो उसी में 'उद्धुमातक, उद्धुमातक' इस प्रकार वित्त को स्थिर करना चाहिये । (५)

उत्त अद्वक्षा की व्याख्या (=विनिक्षयकथा)

२३. अब, सो तं निमित्तं सुग्रहितं करोति (वह उस निमित्त को भलीभांति ग्रहण करता है) आदि वाक्यावलि की यह व्याख्या है—

उस योगी को उस शरीर में यथोक्त निमित्त ग्रहण की विधि के अनुसार भली-भांति निमित्त का ग्रहण करना चाहिये । स्मृति को बनाये रखकर बार-बार विचार करना चाहिये । इस प्रकार बार-बार विचार करते हुए, भली भांति धारण करना चाहिये, चिन्तन करना चाहिये । मृत शरीर से न बहुत

निमित्तं गणितब्बं । “उद्धमातकपटिकूलं उद्धमातकपटिकूलं” ति सतक्षतुं सहस्रक्षतुं उम्मीलेत्वा ओलोकेत्वं, निमीलेत्वा आवजितब्बं ।

एवं पुनप्युनं करोन्तस्स उगाहनिमित्तं सुगाहितं होति । कदा सुगाहितं होति ? यदा उम्मीलेत्वा आलोकेन्तस्स निमीलेत्वा आवज्जेन्तस्स च एकसदिसं हुत्वा आपाथं आगच्छति, तदा सुगाहितं नाम होति ।

२४. सो तं निमित्तं एवं सुगाहितं कत्वा सूपधारितं उपधारेत्वा सुववत्थितं ववत्थपेत्वा सचे तत्थेव भावनापरियोसानं पतुं न सक्तोति, अथानेन आगमनकाले वुत्तनयेनेव एककेन अदुत्तयेन तदेव कम्मटानं मनसिकरोन्तेन सूपट्टितं सतिं कत्वा अन्तोगतेहि इन्द्रियेहि अवहिगतेन मानसेन अत्तानो सेनासनमेव गन्तब्बं ।

सुसाना निकषमन्तेनेव च आगमनभग्गो ववत्थपेतब्बो—“येन मग्नेन निकषन्तोस्मि, अयं मग्नो पाचीनदिसाभिमुखो वा गच्छति, पच्छम... उत्तर... दक्षिणादिसाभिमुखो वा गच्छति, विदिसाभिमुखो वा गच्छति, इमस्मि पन ठाने वामतो गच्छति, इमस्मि दक्षिणतो, इमस्मि चस्स ठाने पासाणो, इमस्मि वम्मिको, इमस्मि रुख्खो, इमस्मि गच्छो, इमस्मि लता” ति । एवं आगमनमग्गं ववत्थपेत्वा आगतेन चङ्गमन्तेना पि तब्भागियो व चङ्गमो अधिद्वातब्बो । असुभनिमित्तदिसाभिमुखे भूमिप्पदेसे चङ्गमितब्बं ति अस्त्यो । निसीदन्तेन आसनं पि तब्भागियमेव पञ्जपेतब्बं । सचे पन तस्सं दिसायं सोब्बो वा पपातो वा रुख्खो वा वति वा कललं वा होति, न सक्ता तंदिसाभिमुखे भूमिप्पदेसे चङ्गमितुं, आसनं पि दूर, न बहुत पास खडे होकर या बैठे हुए, आँखों को ऊले रखकर निमित्त को ग्रहण करना चाहिये । “उद्धमातक प्रतिकूल (=कुत्सित, वित्तुष्णाजनक), उद्धमातक प्रतिकूल”—इस प्रकार सौ बार या हजार बार आँखें खोलकर देखना चाहिये और आँखें बन्द कर मनन करना चाहिये ।

इस प्रकार बार बार करने पर उद्यग्न-निमित्त भलीभाँति गृहीत हो जाता है । कब भलीभाँति गृहीत होता है ? जब आँखें खोलकर देखते समय और बन्द कर मनन करते समय निमित्त एक जैसा जान पड़ता हो, तब कहा जाता है कि वह उद्यग्ननिमित्त भलीभाँति पकड़ में आ गया ।

२५. उस निमित्त का भलीभाँति ग्रहण करने, भलीभाँति धारण करने, भलीभाँति विचार करने पर, यदि उसी स्थान पर भावना की पूर्णता प्राप्त न हो सके तो उसे आगमन के बारे में बतलायी गयी विधि के अनुसार ही, अकेले, विना किसी को साथ लिये, उसी कर्मस्थान के विषय में चिन्तन करते हुए रस्ते को बनाये रखकर, अन्तर्मुखी इन्द्रियों के कारण अन्तर्मुख हुए मन के साथ अपने शयनासन में ही जाना चाहिये ।

इमशान से निकलते समय लौटने के मार्ग का विचार (=निष्ठ्य) करना चाहिये—“जिस मार्ग से निकलता हूँ, वह मार्ग पूर्व दिशा की ओर जाता है या पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा की ओर जाता है या उपदिशा की ओर जाता है, इस स्थान से बायीं या दायीं ओर जाता है; यहाँ पश्चर, यहाँ दीमक की बाँबी, यहाँ वृक्ष, यहाँ झाड़ी, यहाँ लता है।” इस प्रकार लौटने के मार्ग का विचार कर, वापस आकर चक्रमण करते समय भी उसी ओर मुख किये हुए ही चक्रमण करना चाहिये । तात्पर्य यह है कि अशुभानिमित्त की दिशा की ओर अभिमुख भूमार्ग पर चक्रमण करना चाहिये । बैठते समय आसन भी उसी तरफ मुख करके बिछाना चाहिये ।

किन् पदे उस दिशा में पानी भरा गच्छा, झरना, चहारदीवारी या कीचड़ हो, उस दिशा की

अनोकासत्ता न सका पञ्जपेतुं । तं दिसं अनपलोकेन्तेनापि ओकासानुरूपे ठाने चङ्गमितब्बं चेव निसीदितब्बं च । चितं पन तंदिसभिमुखं येव कातब्बं ।

२५. इदानि समन्ता निमित्तुपलकखणा किमत्थिया ति आदिपञ्जानं असम्मोहत्था ति आदि विस्सज्जने अयं अधिपायो—यस्स हि अवेलायं उद्धमातकनिमित्तद्वानं गन्त्वा समन्ता निमित्तुपलकखणं कत्वा निमित्तगग्हणत्थं चक्रबुं उम्मीलेत्वा ओलोकेन्तस्सेव तं मतसरीरं उट्टुहित्वा ठितं विय अज्ञोत्थरमानं विय अनुबन्धमानं विय च हुत्वा उपद्वाति, सो तं बीभ्छुं भेरवारम्पणं दिस्वा विकिखत्तचित्तो उम्मत्तको विय होति, भयं छिभत्तं लोमहंसं पापुणाति । पछियं हि विभत्तउट्टुतिंसारम्पणेसु अञ्जं एवरूपं भेरवारम्पणं नाम नत्थि । इमस्मि हि कम्पटाने ज्ञानविभ्वन्तको नाम होति । कस्या ? अतिभेरवता कम्पटानस्स ।

तस्मा तेन योगिना सन्थमित्वा सति सूपट्टितं कत्वा मतसरीरं उट्टुहित्वा अनुबन्धकं नाम नत्थि । सचे हि सो “एतस्स समीपे ठितो पासाणो वा लता वा आगच्छेय्य, सरीरं पि आगच्छेय्य, यथा पन रो पासाणो वा लता वा नागच्छति, एवं सरीरं पि नागच्छति । अयं पन तुरुं उपटुनाकारो सञ्ज्ञजो सञ्जासम्भवो, कम्पटानं ते अञ्ज उपट्टितं, मा भायि, भिक्खु” ति तासं विनोदेत्वा हासं उपादेत्वा तस्मि निमित्ते चितं सञ्चरापेतब्बं । एवं विसेसं अधिगच्छति । इदमेतं सन्थ्या युतं—“समन्ता निमित्तुपलकखणा असम्मोहत्था” ति ।

२६. एकादसविधेन पन निमित्तगाहं सम्पादेन्तो कम्पटानं उपनिबन्धति । तस्स हि चक्रखूनि उम्मीलेत्वा ओलोकनपच्या उग्गहनिमित्तं उप्पज्जति, तस्मि भानसं चारेन्तस्स और अभिमुखं भूमाग पर टहलना सम्बव न हो, खाली जगह न मिलने से आसन विज्ञाना भी सम्बद न हो, तो उस दिशा की ओर न देखते हुए भी, टहलना—बैठना तो वही चाहिये जहाँ स्थान मिले, किन्तु वित्त को उसी दिशा की ओर, जहाँ वह अशुभनिमित्त है, अभिमुख किये रहना चाहिये ।

२५. अब समन्ता निमित्तुपलकखणं किमत्थिया (चारों ओर से निमित्त को ध्यान से देखने का क्या प्रयोजन है?) आदि प्रश्नों तथा असम्मोहत्था (असम्मोह के लिये) आदि उत्तरों का तात्पर्य यह है—कुसमय में उद्धमातक निमित्त के स्थान में जाकर चारों ओर से निमित्त को ध्यानपूर्वक देखकर निमित्त का ग्रहण करने के लिये आँखें खोल कर देखने वाले को जब वह मृत शरीर उठकर खड़ा होता हुआ, भूमि छोड़कर ऊपर उठता हुआ, पीछा करता हुआ जान पड़ता है, तब वह मिथु उस बीमत्त, भयानक आलम्बन को देखकर विकिषित, पागल के समान हो जाता है । भय, जड़ता या रोमहर्षण (=रोये खड़े हो जाना) हो जाते हैं । पालि में कथित अङ्गतीस आलम्बनों में कोई अन्य आलम्बन इस जैसा भयानक नहीं है । इसी कर्मस्थान में किसी—किसी योगी का ध्यान दूर जाता है । वर्षो? कर्मस्थान की अत्यधिक भयानकता के कारण ।

इसलिये उस योगी को दृढ़ता के साथ स्मृति बनाये रखकर, “मृत शरीर उठकर पीछा नहीं कर सकता । यदि उसके समीपवर्ती पत्थर या लता आते तो वह शरीर भी आता, किन्तु पत्थर या लता नहीं आते, अतः शरीर भी नहीं आ रहा है । यह तो मुझे प्रतीतमान हो रहा है, पूर्ववर्ती संज्ञा (=प्रत्यक्ष ज्ञान) से उत्पन्न है । आज मेरा कर्मस्थान उपस्थित हुआ है । मिथु, डर “भत”—इस प्रकार उसे भयपूर्वक न लेते हुए निमित्त में चित्त को लगाये रखना चाहिये । इस प्रकार मिथु विशेषता प्राप्त करता है । इसी को लक्ष्य करके कहा गया है—समन्ता निमित्तुपलकखणा असम्मोहत्था (चारों ओर से निमित्तों को देखना असम्मोह के लिये है) ।

२६. न्यारह प्रकार से निमित्त का ग्रहणकर्ता मिथु कर्मस्थान में लगता है । जब वह आँखें

पटिभागनिमित्तं उप्पज्जति । तत्थ मानसं चारेन्तो अप्पनं पापुणाति । अप्पनायं ठत्वा विपस्सनं चहुेन्तो अरहतं सच्छिकरोति । तेन बुत्तं—एकादसविधेन निमित्तगाहो उपनिबन्धनस्थो ति ।

२७. गतागतमगगपच्चवेक्षणा वीथिसम्पटिपादनत्था ति । एत्थ पन या गतमगगस्स च आगतमगगस्स च पच्चवेक्षणा चुता, सा कम्मटुनवीथिया सम्पटिपादनत्था ति अत्थो । सचे हि इमं भिक्खुं कम्मटुनं गहेत्वा आगच्छन्तं अन्तरामगगे केचि 'अज्ज, भन्ते, कतमी' ति दिवसं वा पुच्छति, पञ्चं वा पुच्छति, पटिसन्थारं वा करोन्ति, 'अहं कम्मटुनिको' ति तुष्णीभूतेन गन्तुं न बहृति । दिवसो कथेतब्बो । पञ्चो विस्सज्जेतब्बो । सचे न जानाति, 'न जानामी' ति वत्तब्बं । धम्मिको पटिसन्थारो कातब्बो । तस्सेवं करोन्तास्स उगगहितं तरुणनिमित्तं नस्सति । तर्स्म नस्सन्ते पि दिवसं पुटेन कथेतब्बमेव । पञ्चं अजानन्तेन 'न जानामी' ति वत्तब्बं । जानन्तेन एकदेसेन कथेतुं पि बहृति । पटिसन्थारो पि कातब्बो । आगन्तुकं पन भिक्खुं दिस्वा आगन्तुकपटिसन्थारो कातब्बो व । अवसेसानि पि चेतियङ्गणवत्-बोधियङ्गणवत्-उपोसथागारवत्-भोजनसाला-जनाधर-आचरियुपज्ञाय-आगन्तुक-गमिकवत्तादीनि सब्बानि खन्धकवत्तानि पूरेतब्बानेव । तस्स तानि पूरेत्सस्सा पि तं तरुणनिमित्तं नस्सति, 'पुन गन्त्वा निमित्तं गण्हस्सामी' ति गन्तुकामस्सा पि अमनुस्सेहि वा वाल्मीगोहि वा अधिकृतता सुसानं पि गन्तुं न सक्ता हेति, निमित्तं वा अन्तरथायति । उम्मुमातकं हि एकमेव वा द्वे वा दिवसे ठत्वा विनीलकादिभावं गच्छति । सब्बकम्मटुनेसु

खोलकर देखता है, तब उस (अदलोकन) के कारण से उदग्रहनिमित्त उत्पत्ति होता है । उसमें मन लगाये रहने से (=उसका) चिन्तन-मनन करने पर) प्रतिभागनिमित्त उत्पत्ति होता है । उस प्रतिभागनिमित्त में मन लगाये रहने से अर्पणा प्राप्त होती है । अर्पणा में स्थित होकर, विपश्यना को बढ़ाते हुए अहंत्व का साक्षात्कार करता है । इसलिये कहा गया है—एकादसविधेन निमित्तगाहो उपनिबन्धनत्थो (ग्राहर प्रकार के निमित्त का ग्रहण वित्त को बोधी रखने के लिये है) ।

२७. गतागतमगगपच्चवेक्षणा वीथिसम्पटिपादनत्था [गतागत मार्ग का प्रत्यवेक्षणा वीथि (=मार्ग, पथ) के सम्यक् प्रतिपादन के लिये]—जिस मार्ग से जाया जा चुका है और जिस मार्ग से आया था है, उसका प्रत्यवेक्षण कर्मस्थान की वीथि के सम्यक् प्रतिपादन के लिये है—यह अर्थ है। कर्मस्थान ग्रहण कर लौटो द्वारा इस भिक्षु से यदि कोई बीच रास्ते मे “भन्ते, आज कौन-सी वीथि है?”—इस प्रकार दिन पूचता है, प्रश्न पूछता है या अभिवादन करता है, “तो मैं कर्मस्थान ग्रहण कर चुका हूँ” ऐसा सोचकर द्वुपदाप चले नहीं जाना चाहिये, अपितु दिन बताना चाहिये, प्रश्न का उत्तर देना चाहिये । यदि न जानता हो, तो “नहीं जानता हूँ”—“ऐसा कहना चाहिये । यद्यपि उसके द्वारा ऐसा किये जाने पर कुछ ही समय पूर्व प्राप्त उदग्रहनिमित्त नष्ट हो जाता है, किन्तु भले ही वह नष्ट हो जाय, दिन पूछने पर बताना चाहिये, अभिवादन भी करना चाहिये । आगन्तुक भिक्षु को आते हुए देखकर अपनी ओर से आगन्तुक का अभिवादन तो करना चाहिये ही! अन्य भी दैत्य के आँगन विषयक कर्त्तव्य, बोधि वृक्ष के आँगन विषयक कर्त्तव्य, उपोसथगृह, भोजनालय, अग्निशालाविषयक कर्त्तव्य, आत्मार्थ, उपाद्याय आगन्तुक, यात्रा के लिये प्रस्थान करने वाले के प्रति कर्त्तव्य आदि खन्धक (महावग्ग) मे बताये सभी कर्त्तव्यों को पूर्ण करना चाहिये ।

उन्हें पूर्ण करते समय भी, कुछ ही समय पूर्व प्राप्त किया गया उसका निमित्त नष्ट हो जाता है । “फिर से जाकर निमित्त ग्रहण करूँगा”—इस प्रकार जाने की इच्छा रहने पर भी, अमनुष्यों या

एतेन समं दुलभं कम्भटानं नाम नत्थि । तस्मा एवं नद्ये निमित्ते तेन भिक्खुना रत्तिटाने वा दिवाटाने वा निसीदित्वा—‘अहं इमिना नाम द्वारेन विहारा निकखमित्वा असुकदिसाभिमुखं मग्नं पटिपजित्वा असुकर्स्मि नाम ठाने वामं गण्ह, असुकर्स्मि दक्खिणं । तस्य असुकर्स्मि ठाने पासाणो, असुकर्स्मि वभिक-रुक्ख-गच्छ-लतानं अञ्जतरं । सोहं तेन मग्नेन गन्त्वा असुकर्स्मि असुभं अद्वासं, तत्थ असुकदसाभिमुखी ठत्वा एवं चेवं च समन्ता निमित्तानि सङ्ग्रहेत्वा एवं असुभनिमित्तं उग्गहेत्वा असुकदिसाय सुसानतो निकखमित्वा एवरूपेन नाम मग्नेन इदं चिदं च करोन्तो आगन्त्वा इथं निसत्रो’ ति एवं याव पालङ्कं आभुजित्वा निसिन्नटानं, ताव गतागतमग्नो पच्चवेक्खितब्बो । तस्सेवं पच्चेक्खितो तं निमित्तं पाकटं होति, पुरतो निकिखतं विय उपट्टाति । कम्भटानं पुरिमाकरेनेव वीथिं पटिपज्जति । तेन वुत्तं—गतागतमग्नपच्चवेक्खणा वीथिसम्पटिपादनतथा ति ।

२८. इदानि आनिसंसदस्सावी रत्नसञ्ज्ञी हुत्वा चित्तीकारं उपट्टपेत्वा सम्पियायमानो तर्स्मि आरम्भणे चित्तं उपनिबन्धती ति । एत्थ उद्धुमातकपटिकूले मानसं चारेत्वा ज्ञानं निष्क्रियतेत्वा ज्ञानपदटानं विपस्सनं वद्वन्तो “अद्वा इमाय पटिपदाय जरामरणम्हा परिमुच्चिस्सामी” ति एवं आनिसंसदस्साविना भवितव्यं ।

यथा पन दुग्गतो पुरिसो महार्घं मणिरतनं लभित्वा ‘दुलभं वत मे लद्धं’ ति तर्स्मि रत्नसञ्ज्ञी हुत्वा गारबं जनेत्वा विपुलेन ऐमेन सम्पियायमानो तं रक्खेत्य, एवमेव “दुलभं जड़ली जानवरों के कारण विवश होकर शमशान भी नहीं जा पाता, या निमित्त ही अन्तर्धान हो जाता है, क्योंकि उद्धुमातक तो एक-दो दिन रहता है, बाद में विनीलक आदि हो जाता है । सभी कर्मस्थानों में इसके समान दुर्लभ कर्मस्थान दूसरा कोई नहीं । इसलिये निमित्त के इस प्रकार नहं हो जाने पर, उस भिक्षु को चाहिये कि रात्रिकालीन विश्रामस्थल में या दिवसकालीन स्थान में बैठकर “मैं इस नाम के विहार से निककर अमुक दिशा की ओर जाने वाले मार्ग पर चलकर अमुक नाम के स्थान पर बाये घूमा, अमुक पर द्वाहिने । उस मार्ग के अमुक स्थान पर पत्थर, अमुक पर दीमक की बाँधी, तुक्ष, आड़ी—लाता में से कोई एक था । मैंने उस मार्ग से जाकर अमुक नाम के स्थान पर अशुभ को देखा और वहां अमुक दिशा की ओर मुख किये हुए खड़े होकर ही चारों ओर के निमित्तों को ध्यानपूर्वक देखते हुए, ऐसे अशुभनिमित्त का ग्रहण कर ऐसा ऐसा करते हुए, वापस आकर यहां बैठा हूं”—इस प्रकार, जब वह पद्धासन से बैठा हो, तब उसे गतागत मार्ग का प्रत्यवेक्षण करना चाहिये । जब वह इस प्रकार प्रत्यवेक्षण करता है, तब वह निमित्त प्रकट (=स्पष्ट) होता है, सामने रखे हुए के समान जान पड़ता है । कर्मस्थान पहले के समान ही दित्तवीथि में आता है । इसलिये कहा गया है—“गतागत मार्ग का प्रत्यवेक्षण वीथिसम्पादन के लिये है ।”

२८. अब, आनिसंसदस्सावी रत्नसञ्ज्ञी हुत्वा चित्तीकारं उपट्टपेत्वा सम्पियायमानो तर्स्मि आरम्भणे चित्तं उपनिबन्धति (गुण देखते हुए, रत के समान मूल्यवान् समझते हुए, आदर और प्रेम करते हुए उस आलम्बन से चित्त को बाँधता है)—यहां, उद्धुमातक-प्रतिकूल में मन लगाकर ध्यान उत्पन्न कर, ध्यान के पदस्थान विपश्यना को बढ़ाते हुए “अवश्य ही मैं इस मार्ग के जरामरण से विमुक्त हो जाऊँगा”— इस प्रकार गुणदर्शी होना चाहिए ।

जिस प्रकार कोई निर्धन पुरुष अतिमूल्यवान् महार्घ मणिरत्न को पाकर “अहा, मुझे दुर्लभ पदार्थ प्राप्त हुआ है” इस प्रकार उसे रत्न समझते हुए उसके प्रति आदर उत्पन्न कर, अत्यधिक प्रेम के साथ उसकी रक्षा करे, वैसे ही “मुझे यह दुर्लभ कर्मस्थान प्राप्त हुआ है, निर्धन को अतिमूल्यवान्

मेरे इदं कम्मटानं लद्धं, दुग्गतस्स महग्धमणिरतनसदिसं। चतुधातुकम्मटानिको हि अत्तनो चत्तारे महाभूते परिगण्हाति, आनापानकम्मटानिको अत्तनो नासिकावातं परिगण्हाति, कसिणकम्मटानिको कसिणं कंत्वा यथासुखं भावेति, एवं इतरानि कम्मटानानि सुलभानि। इदं पन एकमेव वा द्वे वा दिवसे तिष्ठति, ततोपरं विनीलकादिभावं पापुणाती ति नत्थ इतो दुष्टभतरं” ति तस्मि रतनसञ्ज्ञना हुत्वा चित्तीकारं उपटुपेत्वा सम्प्रयायमानो तं निमित्तं रविखतब्बं। रत्तिष्ठाने च दिवाठाने च “उद्धुमातकपटिकूलं उद्धुमातकपटिकूलं” ति तथ्य पुनप्युनं चित्तं उपनिबन्धितब्बं। पुनप्युनं तं निमित्तं आवज्जितब्बं, मनसिकातब्बं, तक्षाहतं विकाङ्गाहतं कातब्बं।

२९. तस्सेवं करोतो पटिभागनिमित्तं उप्यज्जति। तत्रिदं निमित्तद्वयस्स नानाकरर्णं। उग्गहनिमित्तं विश्वपं श्रीभच्छं भेरवदस्सनं हुत्वा उपटुत्ति। पटिभागनिमित्तं पन यावदत्थं भुञ्जित्वा निपश्च थूलझपच्छङ्गपुरिसो विय।

तस्स पटिभागनिमित्तपटिलाभसमकालमेव बहिष्ठा कामानं अमनसिकारा विक्षुभनवसेन कामच्छन्दो पहीयति। अनुनयप्पहानेनेव चस्स लोहितप्पहानेन पुब्बो विय व्यापादो पि पहीयति। तथा आरद्धविरियताय थीनभिद्धं, अविष्प्रटिसारकरसन्तधम्मातु-योगवसेन उद्धुच्चकुकुच्चं, अधिगतविसेसस्स पच्चखताय पटिपतिदेसके सत्थरि पटिपतियं पटिपतिफले च विचिकिच्छा पहीयती ति पञ्च नीवरणानि पहीयन्ति।

३०. तस्मिन्नज्जेव च निमित्ते चेतसो अभिनिरोपनलक्षणो वितक्तो, निमित्तानुमज्जन-
मणिरत्न के समान, क्योंकि चार धातुओं को कर्मस्थान बनाने वाला योगी तो स्वयं मे चार महाभूतों का स्पष्ट अनुभव (=परिग्रह) करता है, कसिण को कर्मस्थान के रूप में ग्रहण करने वाला स्वयं की नासिका से आने वाली वायु का स्पष्ट अनुभव करता है, कसिण को कर्मस्थान बनाने वाला कसिण (-मण्डल) बनाकर, सुविधानुसार भावना करता है, इसी प्रकार अन्य कर्मस्थान भी सुलभ हैं। किन्तु यह उद्धुमातक तो एक-दो दिन ही उद्धुमातक रहता है, उसके बाद तो विनीलक आदि हो जाता है, अतः इससे अधिक दुर्लभ कर्मस्थान कोई नहीं है—यो विचार कर उसे तब समझते हुए आदर और प्रेम के साथ उस निमित्त की रक्षा करनी चाहिये। भले ही रात्रिकालीन स्थान हो या दिवसकालीन स्थान, “उद्धुमातक प्रतिकूल, उद्धुमातक प्रतिकूल” इस प्रकार उससे वित्त को बारबार बोधना चाहिये। बार बार उस निमित्त का विचार, चिन्तन, तर्क-वितर्क करना चाहिये।

२९. जब यह ऐसा करता है, तब प्रतिभागनिमित्त उत्पत्ति होता है। दोनों निमित्तों में यह भेद है—उद्ग्रहनिमित्त नीरूप, श्रीभत्स, भयानक जान पड़ता है। और प्रतिभागनिमित्त इच्छा भर खाकर सौये दुपे स्थूलकाय पुरुष के समान जान पड़ता है।

यह जैसे ही प्रतिभागनिमित्त की प्राप्ति करता है, बाह्य कामनाओं के प्रति ध्यान न देने के कारण दमित हो जाने से, कामच्छन्द का प्रहाण हो जाता है। अनुनय का प्रहाण हो जाने से, उसके व्यापाद का भी प्रहाण हो जाता है, रक्त के न रह जाने पर मवाद (गन्दा खून) के समाप्त हो जाने के समान। ऐसे ही वीर्य का आरम्भ करने से, स्त्रियान्-मृद्द एवं पक्षात्तापरहित होने से (=अविप्रतिसार के) कारणभूत (अशुभ कर्मस्थान रूप) शान्त धर्म के सेवन (=अनुयोग) के फलस्वरूप औदृत्य-कौकृत्य का, उपलब्ध विशिष्टता की अनुभूति के कारण मार्ग के उपदेशक शास्त्रा, मार्ग एवं मार्ग-फल मे सन्देह (=विचिकित्सा) का प्रहाण हो जाता है। यों पाँचों नीवरण प्रहीण हो जाते हैं।

३०. उसी निमित्त मे वित्त की प्रवृत्ति रूप लक्षण वाला वितर्क, निमित्त का मार्जन कृत्य करने

किञ्चं साधयमानो विचारो, पटिलद्विसेसाधिगमपच्या पीति, पीतिष्ठनस्स पस्सद्विसम्भवतो पस्सद्वि, तंनिमित्तं सुखं, सुखितस्स चित्तसमाधिसम्भवतो सुखनिमित्ता एकगता चा ति ज्ञानज्ञानि पातुभवन्ति । एवमस्स पठमज्ञानपटिबिक्ष्यभूतं उपचारज्ञानं पि तं खणं येन निष्पत्तति । इतो परं याव पठमज्ञानस्स अप्णना चेव वसिष्पत्ति च, ताव सब्दं पथवीकसिप वुत्तनयेनेव वेदितब्बं ।

विनीलकादिभावनाविधानं

३१. इतो परेसु पन विनीलकादीसु पि यं तं “उद्धुमातकं असुभनिमित्तं उगणहन्तो एको अदुतियो गच्छति उपद्विताय सतिया” ति आदिना नयेन गमनं आदि कत्त्वा लक्खणं वुतं, तं सब्दं “विनीलकं असुभनिमित्तं उगणहन्तो, विपुब्बकं असुभनिमित्तं उगणहन्तो” ति एवं तस्स वसेन तत्थ तत्थ उद्धुमातकपदमत्तं परिवत्तेत्वा वुत्तनयेनेव सविनिच्छयाधिपायं वेदितब्बं ।

३२. अयं पन विसेसो— विनीलके “विनीलकपटिकूलं विनीलकपटिकूलं” ति मनसिकारो पवत्तेतब्बो । उगणहनिमित्तं पनेत्थ पाघरन्तमित्तं उपद्विति । पटिभागनिमित्तं निच्चलं सन्निसिन्नं हुत्वा उपद्विति ।

३४. विच्छिद्दकं युद्धमण्डले वा चोराटविथं वा सुसाने वा यत्थ राजानो चोरे छिन्दापेन्ति, अरञ्जे वा पन सीहब्बग्धेहि छिन्पुरिसद्वाने लब्धति । तस्मा तथारूपं ठानं वाला विचार, उपलब्ध विशिष्टता से उत्पन्न ग्रीति, ग्रीतियुक्त मन वाले के लिये ही प्रश्रव्य सम्भव होने से प्रश्रव्य, प्रश्रव्य जिसका निमित्त है वह सुख, उस सुखी की ही वित्त की समाधि (=एकाग्रता) सम्भव होने से सुखनिमित्त वाली एकाग्रता—ये ध्यानाङ्क प्राप्त होते हैं ।

इस प्रकार उपचार ध्यान, जो कि प्रथम ध्यान का प्रतिबिम्बरूप है, उसी कण उत्पन्न होता है । इसके बाद प्रथम ध्यान में अर्पणा एव उस यरवशिता की प्राप्ति तक सब विष्णि पृथ्वीकसिण में उक्त विधानानुसार जानना चाहिये ।

विनीलक आदि की भावनाविधि

३१. इसके पक्षात्, विनीलक आदि के विषय में जो भी “वह उद्धुमातक अशुभनिमित्त को ग्रहण करने वाला अकेला, विना किसी को साथ लिये, स्मृति को बनाये रखकर जाता है” आदि प्रकार से, गमन से प्रारम्भ कर समग्र लक्षण बतलाये गये हैं—उन सबको—“विनीलक अशुभनिमित्त को ग्रहण करने वाला”—इस प्रकार उसी रूप में वहाँ—वहाँ के बेल उद्धुमातक शब्द को हटाकर पूर्वोक्तानुसार ही, व्याख्या एव तोतर्प्य जानना चाहिये ।

३२. अन्तर यह है—विनीलक के प्रसङ्ग में “विनीलक प्रतिकूल, विनीलक प्रतिकूल”—इस प्रकार विन्तन करना चाहिये । यहाँ उद्ग्रहनिमित्त वितकबरा (शब्दल) जान पड़ता है । किन्तु प्रतिभागनिमित्त उस रंग का जान पड़ता है, जिस रंग की प्रमुखता होती है अर्थात् लाल, नीला या सफेद रंग का ।

३३. विपुब्बक में “विपुब्बकप्रतिकूल, विपुब्बकप्रतिकूल” इस प्रकार विन्तन करना चाहिये । यहाँ उद्ग्रहनिमित्त फूटकर छहता हुआ जान पड़ता है । किन्तु प्रतिभागनिमित्त निश्चल, स्थिर जान पड़ता है ।

३४. विच्छिद्दक युद्धक्षेत्र में, चोरों द्वारा अधिकृत जङ्गल में, इमशान में, जहाँ राजा चोरों को

गन्त्वा सचे नानादिसायं पतितं पि एकावज्जनेन आपाथं आगच्छति इच्छेतं कुसलं, नो चे आगच्छति, सयं हत्थेन न परामसितब्बं। परामसन्तो हि विस्तारं आपज्जति। तस्मा आरामिकेन वा समणुद्देसेन वा अञ्जेन वा केनचि एकटुने कारेतब्बं। अलभन्तेन कत्तरयट्टिया वा दण्डकेन वा एकङ्गुलन्तरं कत्वा उपनामेतब्बं। एवं उपनामेत्वा “विच्छिद्दकपटिकूलं विच्छिद्दकपटिकूलं” ति मनसिकारो पवतेतब्बो। तत्थ उग्रहनिमित्तं भज्ञे छिद्दं विय उपट्टाति। पटिभागनिमित्तं पन परिपुण्णं हुत्वा उपट्टाति।

३५. विक्खायितके “विक्खायितपटिकूलं विक्खायितपटिकूलं” ति मनसिकारो पवतेतब्बो। उग्रहनिमित्तं पनेत्थं तहिं तहिं खायितसदिसमेव उपट्टाति। पटिभागनिमित्तं परिपुण्णं व हुत्वा उपट्टाति।

३६. विकिखतके पि विच्छिद्दके बुत्तनयेनेव अङ्गुलङ्गुलन्तरं कारेत्वा वा कत्वा वा “विकिखतकपटिकूलं विकिखतकपटिकूलं” ति मनसिकारो पवतेतब्बो। एत्थ उग्रहनिमित्तं पाकटन्तरं हुत्वा उपट्टाति। पटिभागनिमित्तं पन परिपुण्णं व हुत्वा उपट्टाति।

३७. हतविकिखतकं पि विच्छिद्दके बुत्तप्पकारेसु येव ठानेसु लभ्नति। तस्मा तत्थ गन्त्वा बुत्तनयेनेव अङ्गुलङ्गुलन्तरं कारेत्वा वा कत्वा वा “हतविकिखतकपटिकूलं हतविकिखतकपटिकूलं” ति मनसिकारो पवतेतब्बो। उग्रहनिमित्तं पनेत्थं पञ्चायमानं पहारमुखं विय होति, पटिभागनिमित्तं परिपुण्णमेव हुत्वा उपट्टाति।

३८. लोहितकं युद्धभण्डलादीसु लद्धपहारानं हत्थपादादीसु वा छिन्नेसु भिन्नगण्ड-कटवा डालते हैं वहाँ या जङ्गल में सिह-व्याघ्र आदि द्वारा लोग मार दिये जाते हैं वहाँ, प्राप होता है। इसलिये वैसे स्थान पर जाकर, यदि एक ही बार ध्यान से देखने पर, अनेक दिशाओं में छिराया हुआ भी दिखायी पड़ जाय तो अच्छा है। यदि न दिखायी पड़े, तो अपने हाथ से न छूना चाहिये, क्योंकि छूने पर विश्वास उत्पन्न हो जाता है (=वितृष्णा का भाव भी जाता रहता है)। इसलिये किसी विहारवासी, श्रामणेर या किसी अन्य के द्वारा छिराये हुए अङ्गों को एक स्थान पर करवा देना चाहिये। यदि श्रामणेर आदि न मिले, तो छढ़ी या ढण्डे से सभी अङ्गों को एक-एक अङ्गुल का अन्तर रखते हुए, इकट्ठा करना चाहिये। इस प्रकार इकट्ठा करके “विच्छिद्दक प्रतिकूल, विच्छिद्दक प्रतिकूल”—इस प्रकार चिन्तन करना चाहिये। यहाँ उद्ग्रहनिमित्त बीच मे छिद (=युक्त) सा जान पड़ता है, किन्तु प्रतिभागनिमित्त पूर्ण के रूप में प्रतीत होता है।

३९. विक्खायितक मे— “विक्खायितक प्रतिकूल, विक्खायितक प्रतिकूल” इस प्रकार चिन्तन करना चाहिये। किन्तु प्रतिभागनिमित्त परिपूर्ण होकर उपस्थित होता है (=पूर्ण रूप में प्रतीत होता है)।

३६. विकिखतक का भी एक-एक अङ्गुल की दूरी पर, विच्छिद्दक मे बतलाये गये ढंग से ही, करवा कर या करके “विकिखतक प्रतिकूल, विकिखतक प्रतिकूल”—इस प्रकार चिन्तन करना चाहिये। यहाँ उद्ग्रहनिमित्त के अङ्गों के बीच का अन्तर स्पष्ट रूप से जान पड़ता है। किन्तु प्रतिभागनिमित्त पूर्ण रूप में जान पड़ता है।

३७. हतविकिखतक भी विच्छिद्दक के प्रसङ्ग मे बतलाये गये स्थानों पर ही प्राप होता है। इसलिये वहाँ जाकर, उक्त प्रकार से एक एक अङ्गुल की दूरी पर करवा कर या करके “हतविकिखतक, हतविकिखतक”—इस प्रकार चिन्तन करना चाहिये। यहाँ उद्ग्रहनिमित्त घाव के मुख के समान होता है। किन्तु प्रतिभागनिमित्त पूर्ण रूप में ही जान पड़ता है।

पीढ़कादीन मुखतो पराघरमानकाले लब्धति । तस्मा तं दिस्वा “लोहितकपटिक्कूलं लोहितकपटिक्कूलं” ति मनसिकारो पवत्तेतब्बो । एत्थ उग्गहनिमित्तं, वातप्पहता विय रत्तपटाका, चलमानाकरं उपट्टुति । पटिभागनिमित्तं पन सत्रिसिन्नं हुत्वा उपट्टुति ।

३९. पुळवकं द्वीहतीहच्ययेन कुण्यपस्स नवहि वणमुखेहि किमिरासिपाघरकाले होति । अपि च—तं सोणसिङ्गलअमनुस्सगोमहिंसहत्तिअस्सअजगरादीनं सरीरप्पमाणमेव हुत्वा सालिभत्तरासि विय तिट्टुति । तेसु यत्थ कथ्यचि “पुळवकपटिक्कूलं पुळवकपटिक्कूलं” ति मनसिकारो पवत्तेतब्बो । चूळपिण्डपातिकतिस्सत्थेरस्स हि काळदीघवापिया अन्तो हत्यकुण्ये निमित्तं उपट्टुसि । उग्गहनिमित्तं पनेत्थ चलमानं विय उपट्टुति । पटिभागनिमित्तं सालिभत्तपिण्डो विय सत्रिसिन्नं हुत्वा उपट्टुति ।

४०. अट्टिकं “सो पस्सेय्य सरीरं सीविथिकाय छिकुतं अट्टिसङ्गलिकं समंसलोहितं न्हालसम्बन्धं” (म० ३-१५४) ति आदिना नयेन नानप्यकारतो बुत्तं । तत्थ यत्थ तं निकखतं होति, तत्थ पुरिमनयेनेव गन्त्वा समन्ता पासाणादीनं वसेन सनिमित्तं सारम्मणं कत्त्वा इदं अट्टिकं ति सभावभावतो उपलक्खेत्वा वण्णादिवसेन एकादसहाकारेहि निमित्तं उग्गहेतब्बं ।

४१. लिङ्गं ति इध हत्थादीनं नामं । तस्मा हत्थपादसीसउरबाहुकटिऊरुजङ्गानं वसेन लिङ्गंतो यवत्थपेतब्बं । दीघरस्सवट्टचतुरस्सखुद्दकमहन्तवसेन पन सण्ठानतो

३८. लोहितक तब मिलता है जब युद्धक्षेत्र आदि में गाले हुए (याये गये) घाव आदि के मुख से या काटे गये हाथ पैर में उत्पन्न हुए फोड़े-फुसियों के मुख से खून बहता रहता है । इसलिये उसे देखकर “लोहितक प्रतिकूल, लोहितक प्रतिकूल”—इस प्रकार चिन्तन करना चाहिये । यहाँ उद्ग्रहनिमित्त हवा में हिलते हुए लाल रंग के झाँडे के समान चश्चल जान पड़ता है । किन्तु प्रतिभागनिमित्त स्थिर प्रतीत होता है ।

३९. पुळवकनिमित्त मृत शरीर में उस समय होता है, जब दो तीन दिन बीत जाने पर शरीर के नी (९) प्रमुख छिद्रों से समूहरूप में कृमि निकलने लगते हैं । अपि च—वह कृमियों की राशि कुत्ते, सियार, अमनुष्य, गाय, बैस, हाथी-धोड़ा, अजगर आदि के देह-परिमाण में हो, शालि (=धान की एक प्रजाति) के भात के पिण्ड के समान होता है । उनमें से किसी के मृत शरीर में भी “पुळवक प्रतिकूल, पुळवक प्रतिकूल”—इस प्रकार चिन्तन करना चाहिये । चूळपिण्डपातिक तिष्यस्थविर को कालदीघवापी (श्रीलङ्का में एक स्थान) में हाथी के मृत शरीर में निमित्त जान पड़ा । यहाँ उद्ग्रहनिमित्त सचल प्रतीत होता है । किन्तु प्रतिभागनिमित्त शालि के भात के पिण्ड के समान स्थिर जान पड़ता है ।

४०. अट्टिक—“मानो वह इमशान मैं फेंके गये, मांस-रक्त से युक्त, नसों मैं बैंधे हुए अस्थिकङ्गाल को देख रहा हो” (म० नि० ३-१५४) आदि प्रकार से अस्थिक को अनेक प्रकार से बतलाया गया है । वह जहाँ कहीं भी पड़ा हो, वहाँ पूर्व प्रकार से जाकर, चारों ओर के पत्थर आदि के अनुसार निमित्त य आलान्धन के साथ ग्रहण कर “यह अस्थिक है”—ऐसा उसके स्वभाव के अनुसार भलीभाँति विचार कर, वर्ण आदि के अनुसार, ग्यारह प्रकार का निमित्त ग्रहण करना चाहिये ।

४१. किन्तु उसे “वर्ण से शेत है” इस रूप मैं देखने वाले को वह निमित्त कुत्सित रूप मैं नहीं जान पड़ता, क्योंकि वैसे वह अवदात कसिण का ही एक भेद हो जाता है । इसलिये “अस्थिक है”—इस प्रकार प्रतिकूल के रूप मैं ही अवलोकन करना चाहिये ।

लिङ्ग का अर्थ है हाथ आदि । अतः हाथ, पैर, सिर, बाँह, कमर, जांघ के अनुसार ‘लिङ्ग’ का विचार करना चाहिये । लम्बा, नाटा, वृत्त, चतुर्भुज, छोटे, बड़े के अनुसार सण्ठान (आकार) का विचार

ववत्थपेतब्बं । दिसोकासा वुतनया एव । तस्स तस्स अट्ठिनो परियन्तवसेन परिच्छेदतो ववत्थपेत्वा यदेवेत्थ पाकटं हुत्वा उपद्वृति, तं गहेत्वा अप्पना पापुणितब्बा । तस्स तस्स अट्ठिनो निन्नद्वानवसेन पन निन्नतो च थलतो च ववत्थपेतब्बं । पदेसवसेना पि ‘अहं निन्ने ठितो अट्ठि थले, अहं थले अट्ठि निन्ने’ ति पि ववत्थपेतब्बं । द्विं पन अट्ठिकानं घटितघटितद्वानवसेन सम्भितो ववत्थपेतब्बं । अट्ठिकानं, येव अन्तरवसेन विवरतो ववत्थपेतब्बं । सब्बत्थेव पन जाणं चारेत्वा इमस्मि ठानेदमद्वी ति समन्नतो ववत्थपेतब्बं । एवं पि निमित्ते अनुपद्वृहत्ते नलाट्ठिमिह चितं सण्ठपेतब्बं ।

४२. यथा चेत्थ, एवं इदं एकादसविधेन निभित्तगहणं इतो पुरिमेसु पुळवकादीमु पि युज्जमानवसेन सल्लक्षेतब्बं ।

इदं च पन कम्मद्वानं सकलाय पि अट्ठिकसङ्कुलिकाय एकस्मि पि अट्ठिके सम्पज्जति । तस्मा तेसु यथं कथेचि एकादसविधेन निमित्तं उगगहेत्वा “अट्ठिकपटिकूलं अट्ठिकपटिकूलं” ति मनसिकारो पवत्तेतब्बो । इध उगगहनिमित्तं पि पटिभागनिमित्तं पि एकसदिसमेव होती ति वुतं, तं एकस्मि अट्ठिके युतं । अट्ठिकसङ्कुलिकाय पन उगगहनिमित्ते पञ्जायामाने विवरता । पटिभागनिमित्ते परिपुण्णभावो युज्जति । एकट्ठिके पि च उगगहनिमित्तेन बीभच्छेन भयानकेन भवितब्बं । पटिभागनिमित्तेन पीतिसोमनस्सजनकेन, उपचारावहत्ता ।

४३. इमस्मि हि ओकासे यं अट्ठिकथासु वुतं, तं द्वारं दत्त्वा व वुतं । तथा हि तत्थ करना चाहिये । दिशा और रिक्त स्थान का विचार पहले कहे गये के अनुसार अस्थि की लम्बाई-चौडाई (=पर्यन्त) के अनुसार अस्थिकङ्गाल के परिच्छेद का विचार करके, जो भी अस्थि यहाँ स्पष्ट जान पडे, उसी का ग्रहण कर क्रमशः अपेणा प्राप्त करनी चाहिये । प्रत्येक अस्थि के नीचे और ऊचे स्थान (परिच्छेद) के अनुसार निचाई-ऊचाई का विचार करना चाहिये । प्रदेश के अनुसार भी—“मै नीचे स्थित हूँ, अस्थि ऊचाई पर है; मै ऊचाई पर हूँ, अस्थि निचाई पर है”—इस प्रकार भी विचार करना चाहिये । दो अस्थियों के जोड़ वाले स्थान के रूप मे सम्बित का विचार करना चाहिये । आस्थियों के बीच के अन्तर के रूप मे विवर का विचार करना चाहिये । सबको ज्ञान का विषय बनाकर (=सर्वत्र ज्ञान का संश्झार कर) “इस स्थान पर यह अस्थि है”—इस प्रकार समन्वयतः (चारों ओर का) विचार करना चाहिये । यदि इस प्रकार भी निमित्त उपरिथित न हो तो ललाट मे वित को स्थिर करना चाहिये ।

४२. जैसे यहाँ, वैसे ही इसके पूर्व पुळवक आदि मे भी उक्त ग्यारह (११) प्रकार से निमित्त की योजना कर लेनी चाहिये ।

यह कर्मस्थान समग्र अस्थिकङ्गाल मे भी और केवल एक अस्थि मे भी उत्पन्न होता है । इसलिये उनमे से किसी एक मे भी ग्यारह प्रकार से निमित्त ग्रहण करके “अस्थिक प्रतिकूल, अस्थिक प्रतिकूल” इस प्रकार चिन्तन करना चाहिये—यहाँ—“उद्ग्रहनिमित्त और प्रतिभागनिमित्त एक—सा ही होता है” ऐसा जो कहा गया है, वह एक अस्थि के बारे मे कहा गया है । किन्तु अस्थिकङ्गाल के उद्ग्रहनिमित्त मे विवर जान पड़ना और प्रतिभागनिमित्त का परिपूर्ण के रूप मे प्रतीत होना युक्त प्रतीत होता है । एव उद्ग्रहनिमित्त भले ही एक ही अस्थि मे हो, अवश्य ही बीभत्स, भयानक होता है । किन्तु प्रतिभागनिमित्त, वयोकि उपचार को लाता है अत, प्रीति और सौमनस्य उत्पन्न करता है ।

४३ इस सन्दर्भ मे जो कुछ अट्ठिकथाओं मे कहा गया है, वह उपर्युक्त निगमन (उपस्थार) का

“चतूर्सु ब्रह्मविहारे सु दससु च असुभेसु पटिभागनिमित्तं नत्यि । ब्रह्मविहारे सु हि सीमसम्भेदो येव निमित्तं । दससु च असुभेसु निष्क्रिकप्यं कल्पा पटिक्षूलभावे येव दिट्ठे निमित्तं नाम होती” ति वत्वा पि पुन अन्तरन्तरमेव, “दुविधं इधं निमित्तं—उग्रहनिमित्तं, पटिभागनिमित्तं । उग्रहनिमित्तं विरूपं बीभच्छं भयानकं हुत्वा उपद्वाती” ति आदि युतं । तस्मा यं विचारेत्वा अबोचुम्ह, इदमेवेत्थ युतं ।

अपि च—महातिस्सत्थेरस्स दन्तटुकमत्तावलोकनेन सकलित्थिसरीरस्स अट्टिसङ्घातभावेन उपद्वानादीन चेत्थ निदस्सनानी ति ।

इति असुभानि सुभगुणो दससतलोचनेन शुतकित्ति ।
यानि अबोच्च दसबलो एकेकज्ञानहेतूनी ॥ ति ॥

पक्षिणककथा

एवं तानि च तेसं च भावनानयमिमं विदित्वान् ।
तेस्वेव अयं भिय्यो पक्षिणककथा पि विज्ञेय्या ॥

४४. एतेसु हि यत्थ कथ्यचि अधिगतज्ञानो सुविक्खमिभतरागता वीतरागो विय निष्क्रोलुप्पचारो होति । एवं सन्ते पि यायं असुभप्यभेदो युतो, सो सरीरसभावप्यतिवसेन च रागचरितभेदवसेन चा ति वेदितब्बो ।

छवसरीरं हि पटिक्षूलभावं आपज्ञामानं उद्धमातकसभावप्यतं वा सिया, विनीलकादीनं वा अञ्जतरसभावप्यतं । इति यादिसं यादिसं सक्ता होति लङ्घुं तादिसे समर्थन करता है । क्योकि उनमे—“चार ब्रह्मविहारों और दस अशुभों में प्रतिभागनिमित्त नहीं होता । इन ब्रह्मविहारों (=पैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा) में तो सीमाओं का भङ्ग होना ही निमित्त है; और दस अशुभों में विचार किये दिया ही, प्रतिकूल को देखते ही, निमित्त उत्पन्न हो जाता है”—इस प्रकार कहे जाने पर भी उसके तुरन्त बाद ही—“यहाँ द्विविध निमित्त हैं—उद्ग्रहनिमित्त और प्रतिभागनिमित्त । उद्ग्रहनिमित्त विरूप, बीभत्स, भयानक जान पड़ता है”—आदि कहा गया है । इसलिये विचार करने के बाद जो हमने प्रतिपादित किया है, वही यहाँ युक्त है ।

इसके अतिरिक्त, महातिष्ठ स्थविर को दातं की अस्थि देखने मात्र से ही स्त्री के समस्त शरीर की अस्थिकङ्गल के रूप में प्रतीति होना—आदि यहाँ उदाहरण हैं ।

इस प्रकार शुभ गुणों वाले, सहस्राक्ष (इन्द्र) द्वारा प्रशंसित कीर्ति वाले दशबल (बुद्ध) ने एक—एक ध्यान के हेतु जिन अशुभों को बतलाया, उन्हें और उनकी भावना करने की इस विधि को इस प्रकार जानकर, उन्हें यह अधोलिखित अतिरिक्त प्रकीर्णक वर्णन ज्ञानना चाहिये ।

प्रकीर्णक वर्णन

४५. इनमे से किसी मे भी ध्यान को प्राप्त करने वाला यिष्यु राग के भलीर्गाति दगित हो जाने से, वीतराग के समान, लोभरहित होकर विचरने वाला हो जाता है । ऐसा होने पर भी अर्थात् सभी दश अशुभों में से किसी एक मे ध्यान प्राप्त करने का उपर्युक्त सामान्य लाभ होने पर भी, जो ये अशुभ के भेद बतलाये गये हैं, वे मृत शरीर की स्वभावप्राप्ति के अनुसार एवं रागचरित के भेदों के अनुसार हैं—ऐसा ज्ञानना चाहिये ।

जब कोई शब प्रतिकूलता (=कुत्सित भाव) को प्राप्त होता है, तब वह उद्धमातक स्वभाव को प्राप्त करता है या विनीलक आदि किसी अन्य स्वभाव को । वह जिस जिस रूप में प्राप्त हो, उस उस

तदिसे उद्धमातकपटिकूलं ति एवं निमित्तं गणहतब्बं एवा ति सरीरसभावप्पत्तिवसेन दसधा असुभप्पभेदो वुत्तो ति वेदितब्बो ।

४५. विसेसतो चेत्थ उद्धमातकं सरीरसण्ठानविपत्तिप्पकासनतो सण्ठानरागिनो सप्पायं । विनीलकं छविरागविपत्तिप्पकासनतो सरीरवण्णरागिनो सप्पायं । विपुब्बकं कायथवणपटिकूलस्स दुग्धन्धभावस्स पकासनता मालागन्धादिवसेन समुद्रापितसरीर-गन्धरागिनो सप्पायं । विच्छिदकं अन्तोसुसिरभावप्पकासनतो सरीरे घनभावरागिनो सप्पायं । विक्खायितकं मंसूपचयसम्प्तिविनासप्पकासनतो थनदीसु सरीरप्पदेसेसु मंसूपचयरागिनो सप्पायं । विक्खित्तकं अङ्गपच्छानं विक्खेपप्पकासनतो अङ्गपच्छालीलारागिनो सप्पायं । हतविक्खित्तकं सरीरसङ्घातभेदविकारप्पकासनतो सरीरसङ्घातसम्पत्तिरागिनो सप्पायं । लोहितकं लोहितपक्षितपटिकूलभावप्पकासनतो अलङ्कारजनितसोभारागिनो सप्पायं । पुळवकं कायस्स अनेककिमिकुलसाधारणभावप्पकासनतो काये ममतरागिनो सप्पाये । अट्टिकं सरीरटीनं पटिकूलभावप्पकासनतो दन्तसम्पत्तिरागिनो सप्पायं ति ।

एवं रागचरितभेदवसेना पि दसधा असुभप्पभेदो वुत्तो ति वेदितब्बो ।

४६. यस्मा पन दसविधे पि एतस्मि असुभे सेव्यथापि नाम अपरिसण्ठितजलाय

रूप मे "उद्धमातक प्रतिकूल" आदि प्रकार से निमित्त का ग्रहण करना ही चाहिये । अतः जानना चाहिये कि शरीर-स्वभाव की प्राप्ति के अनुसार दस प्रकार से अशुभ के भेद बतलाये गये हैं ॥

उद्धमातक आदि का विशेष उपयोग

४५. योगी की वैयक्तिक विशेषता के अनुसार— उद्धमातक क्योंकि शारीरिक आकार की विकृति का प्रकाशन करता है, अतः उन लोगों के लिये उपयुक्त है जो कि शारीरिक आकार (=आकृति, नासिका आदि का गठन आदि) के प्रति राग से युक्त हैं । विनीलक काय के आकर्षक वर्ण की विकृति का प्रकाशक होने से, शरीर के वर्ण में राग रखने वालों के लिये उपयुक्त है । विपुब्बक काय के द्रण (=घाव, फोड़ा) से सम्बद्ध दुर्गन्ध का प्रकाशक होने से, माला, इत्र आदि से उत्पन्न शरीर की सुगन्ध में राग रखने वालों के लिये उपयुक्त है । विच्छिदक—कायान्तं पाति अनन्त छिद्रों के दर्शन से शरीर में घनभाव (मोह) रखने वाले साधक के लिये अनुकूल है । विक्खायितक मासलता रूप दैहिक सम्पत्ति की नष्टरता का प्रकाशक होने से, स्तन आदि शरीर के भागों की मासलता के प्रति राग रखने वालों के लिये उपयुक्त है । विक्खित्तक अङ्ग प्रत्यक्ष के छिन्न-मिन्न हो जाने का प्रकाशक होने से, अङ्ग प्रत्यक्ष के लीला—विलास में राग रखने वालों के लिये उपयुक्त है । हतविक्खित्तक शरीर की सम्पूर्णता (सङ्घात) के भङ्ग होने और विकृत होने का प्रकाशक होने से, शरीर की सम्पूर्णता में राग रखने वालों के लिये उपयुक्त है । लोहितक—खून से लथपथ होने के कारण प्रतिकूलता का प्रकाशक होने से अलङ्कारजन्य शोभा में राग रखने वालों के लिये उपयुक्त है । पुळवक—काया के नाना किमियों की राशि का आभास होना दिखाने से काया में ममत्व की प्रतिकूलता द्योतित करता है । अट्टिक—शरीर की अस्थियों की प्रतिकूलता का प्रकाशक होने से स्वशरीर को दन्त-सम्पत्ति में राग रखने वालों के लिये उपयुक्त है ।

इस प्रकार रागचरित के भेद के अनुसार अशुभ का दशविध प्रभेद बतलाया गया है, ऐसा जानना चाहिये ।

४६. यह अशुभ दशविध होने पर भी, जैसे चञ्चल जल के तेज बहाव वाली नदी में नाव

सीघसोताय नदिया अरित्तबलेनेव नावा तिटुति, विना अरित्तबलेन न सका ठपेतुं; एवमेव दुष्कलता आरम्भणस्स वितक्कबलेनेव चित्तं एकग्नं हुत्वा तिटुति, विना वितकेन न सका ठपेतुं। तस्मा पठमज्जानमेवेत्थ होति, न दुतियादीनि।

४७. पटिक्कूले पि च एतर्स्मि आरम्भणे “अद्धा इमाय पटिपदाय जरामरणम्हा परिमुच्चिस्सामी” ति एवं आनिसंसदस्साविताय चेष्ट नीवरणसन्तापप्यहानेन च पतिसोमनस्सं उप्पज्जति, ‘बहुं दानि वेतनं लभिस्सामी’ ति आनिसंसदस्साविनो पुफ्छडुकस्स गूथरासिम्हि विय उस्सन्नव्याधिदुखस्स रोगिनो वमनविरेचनप्पवत्तियं विय च।

४८. दसविधं पि चेतं असुभं लक्खणां एकमेव होति। दसविधस्सा पि हेतस्स असुच्चिदुग्न्यजेगुच्छपटिक्कूलभावो एव लक्खणं। तदेतं इमिना लक्खणेन न केवलं मतसरीरे, दन्तुडिकसदस्साविनो पन चेतियपब्बतवासिनो महातिस्सत्थेरस्स विय, हत्थिक्खन्धगतं राजानं ओलोकेन्तस्स सङ्घूरक्खितत्थेरुपद्वाकसामणेरस्स विय च जीवमानकसरीरे पि उद्भाति। यथेव हि मतसरीरं एवं जीवमानकं पि असुभमेव। असुभलक्खणं पनेत्थ आणन्तुकेन अलङ्कारेन पटिच्छब्रता न पञ्जायति। पक्तिया पन इदं सरीरं नाम अतिरेकतिसत-अटिकसमुस्सयं असीति-सतसन्धिसङ्घटितं नवन्हारुसतनिबन्धनं नवमंसपेसिसतानुलित्तं अङ्गचम्पपरियोनद्धं छविया पटिच्छत्रं छिद्रावछिदं मेदकथालिका विय निच्छुग्घरितपाघरितं किमिसङ्घनिसेवितं रोगानं आयतनं दुक्खधम्मानं वत्थु परिभ्रमपुरणगण्डो विय नवहि वणमुखेहि सततविस्सन्दनं। यस्स उभेहि अक्खीहि अक्खिगूथको पग्धरति, कण्णजिलेहि कण्णगूथको, नासापुटेहि सिङ्गाणिका, मुखतो आहारपित्तसेम्हरुधिरानि, अधोद्वारे^६

लंगर के बल से ही रुकती है, विना लंगर के नहीं रुक पाती, वैसे ही, क्योंकि आलम्बन की दुर्बलता के कारण दितके के बल से ही चित्त एकाग्र होकर रहता है, विना वितके के नहीं टिक सकता, अतः यहाँ केवल प्रथम ध्यान होता है, द्वितीय आदि नहीं।

४९. और “यद्यपि आलम्बन प्रतिकूल है, किर भी अवश्य ही इस मार्ग से मैं जरामरण से मुक्त हो जाऊँगा”— इस प्रकार गुण देखने से एवं नीवरणजन्य संन्ताप का प्रहाण हो जाने से प्रीति और सौमनस्य उत्पन्न होते हैं, जैसे कि “अब बहुत वेतन पाऊँगा” इस प्रेकार सोचकर भक्ती (=मैला ढोने वाला, पुफ्छडुक) मल के ढेर में और चत्पन्न व्याधि से दुर्खी रोगी वमन-विरेचन होने में गुण (=लाभ) देखता है।

५०. यह दशविध अशुभ, लक्षण के अनुसार एक ही होता है; क्योंकि यद्यपि यह सङ्घाया से दशविध है, तथापि अपवित्र, दुर्गन्धित, जुगुप्साजनक और प्रतिकूल होना ही इसका लक्षण है। ऐसा वह अशुभ इन लक्षणों से न केवल मृत शरीर में, अपितु दैतं की अस्थियों को अशुभ रूप में देखने वाले चैत्पवर्तवासी महातिष्ठ स्थविर के समान और हाथी पर बैठे हुए राजा को देखने वाले सङ्घरक्षित स्थविर के सेवक श्रामणेर के समान, जीवित शरीर में भी जान पड़ता है। मृत शरीर के ही समान जीवित (शरीर) भी अशुभ ही है। किन्तु यहाँ (=जीवित शरीर में) अशुभ का लक्षण आणन्तुक अलङ्कारों (=साज-शृंगार) से ढैंके रहने से नहीं जान पड़ता है, किन्तु स्वमाता से तो यह शरीर तीन सौ से अधिक अस्थियों का समुच्चय, एक सौ अस्सी संधियों (जोड़ी) से जुड़ा, नीं सौ से बैंधा, नीं सौ मांसपेशियों से लिपटा हुआ, भीतरी गीली त्वचा से लपेटा हुआ, ऊपरसे त्वचा से ढैंका हुआ, छोटे बड़े छिद्रों से बहने वाला, किमियों के समूह से सेवित, रोगों का घर, दुख-धर्मों का आश्रय, फूटे हुए

उच्चारपस्सावा, नवनवुतिया लोमकूपसहस्रेहि असुचिसेदयूसो पग्घरति । नीलमविखकादयो सम्परिवारेन्ति । यं दन्तकटु-मुखधोवन-सीसमव्यवन-न्हाननिवासन-पारुपनादीहि अपटि-जगिगत्वा यथाजातो व फरसविष्पकिणकेसो हुत्वा गामेन गामं विचरन्तो राजा पि पुष्पछडुकचण्डालादीसु अञ्जतरो पि समसरीरपटिकूलताय निब्बिसेसो होति, एवं असुचिदुग्न्यजेगुच्छपटिकूलताय रज्जो वा चण्डालस्स वा सरीरवेमतं नाम नत्थि ।

दन्तकटु-मुखधोवनादीहि पनेत्थ दन्तमलादीनि पमजित्वा नानावत्थेहि हिरिकोपीनं पटिच्छादेत्वा नानावण्णेन सुरिभिविलेपनेन विलिम्पत्वा पुष्पाभरणादीहि अलङ्कारित्वा अहं भमं ति गहेतब्बाकारप्पतं करोन्ति । ततो इमिना आगन्तुकेन अलङ्कारेन पटिच्छन्ता तदस्स याथावसरसं असुभलक्खणं असज्ञानन्ता पुरिसा इत्थिसु, इत्थियो च पुरिसेसु रतिं करोन्ति । परमत्थतो पनेत्थ रज्जितब्बकयुतद्वानं नाम अणुमतं पि नत्थि ।

तथा हि केसलोभनखदत्खेलसिङ्गाणिकउच्चारपस्सावादीसु एककोट्टासं पि सरीरतो बहि पतिं सत्ता हत्थेन क्षुपितुं पि न इच्छन्ति अट्टियन्ति, हरायन्ति, जिगुच्छन्ति । यं यं पनेत्थ अवसेसं होति, तं तं एवं पटिकूलं पि समानं, अविज्ञान्यकारपरियोनद्वा अत्तसिनेहरागरता, इतुं कन्तं निच्चं सुखं अत्ता ति गण्हन्ति । ते एवं गण्हन्ता अटवियं किंसुकरुखं दिस्वा रुखतो अपतितपुष्फं “अयं मंसपेसी” ति विहञ्चमानेन जरसिङ्गालेन समानतं आपज्ञन्ति । तस्मा—

जहरबाद (विषवण) के समान नौ ब्रण—मुखों से लगातार बहता रहने वाला है । जिसकी दोनों ओर्हों से कीचड़ (गीढ़) निकलता रहता है, कान के छेदों से मैल, नाक के छेदों से सिणक (सिङ्गाणक), मुख से आहार, पित, श्लेषा (=कफ) रक्त, नीचे के द्वारों से भलमूत्र, निच्यानवे हजार रोमछिदों से गन्दा पसीना चूता रहता है । नीलमविखयां आदि चारों ओर से धेरे रहती हैं । जिस शरीर का दातौन, मुखप्रश्कालन, सिर पर मालिश, खान (वस्त्र) पहनाना—ओढ़ाना आदि न कर, जैसा जन्म से है दैरों ही, रुख्ये खिखरे बालों वाला बने रहकर यदि गाँव-गाँव फिरता रहे, तो समान शरीर की प्रतिकूलता की दृष्टि से राजा और चाण्डाल आदि में कोई अन्तर न रह जाय । इस प्रकार अपवित्र, दुर्गमित्त, जुगुप्साजनक, प्रतिकूल होने की दृष्टि से राजा और चाण्डाल के शरीर में कोई नेद नहीं है ।

किन्तु दातौन, मुखप्रश्कालन आदि के द्वारा दाँत के मैल आदि का परिमार्जन कर, नाना वस्त्रों से गुप्ताकों को ढैककर, अनेक रज्जों के लेणों, अङ्गराग आदि सुगम्भित लेणों से लेपकर, पुष्पों, अलङ्कारों से अलङ्कृत कर ऐसे इस कुत्सित शरीर को लोग “मैं और मेरा” इस प्रकार ममत्व ग्रहण करने योग्य बनाते हैं । इसलिये इन आगन्तुक अलङ्कारों से ढैक होने के कारण इसके यथार्थ स्वभाव को, अशुभ लक्षण को, न जानते हुए ही पुरुष स्त्रियों से और स्त्रियों पुरुषों से प्रेम करती है । किन्तु परमार्थतः तो यहाँ इस शरीर में प्रेम (राग) करने योग्य स्थान अणुमात्र भी नहीं है ।

और शरीर से बाहर गिरे हुए केश, रोम, नख, दाँत, धूक, सिणक, भलमूत्र आदि में से किसी को भी लोग हाथ से छूना तक नहीं चाहते, अपितु उनसे उद्दिग्ग होते हैं, लज्जा करते हैं, धृण करते हैं । दैरों तो जो उस शरीर में रह जाता है, वह प्रतिकूलता में समान ही है, किन्तु अविद्यारूपी अन्धकार से आवृत होने के कारण, स्वयं के प्रति छेद के चलते रागरक्त होकर अज्ञानी जन उस शरीर को इष्ट, कान्त, नित्य, सुख, आत्मा के रूप में ग्रहण करते हैं । इस प्रकार ग्रहण करते हुए वे लोग जङ्गल में किशुक के वृक्ष (=जिसके फूल लाल रंग के होते हैं) को देखकर, वृक्ष से न गिरे हुए

४९. यथा पि पुष्पितं दिस्या सिङ्गालो किंसुकं घने।
 'मंसरुवर्खो मया लङ्घो' इति गन्धान वेगसा ॥
 पतितं पतितं पुष्पं डंसित्वा अतिलोल्पो।
 नयिदं मंसं अदुं मंसं यं रुक्खस्मि ति गणहार्ति ॥
 कोट्टुसं पतितं येव असुभं ति तथा बुधो।
 अग्नहेत्वा गणहेत्य सरीरदुं पि न तथा ॥
 इमं हि सुभतो कायं गहेत्वा तत्थ मुच्छिता।
 बाला करोन्ता पापानि दुक्खानि परिमुच्चरे ॥
 तस्मा पस्सेत्य मेधावी जीवतो वा मतस्स वा।
 सभावं पूतिकायस्स सुभभावेन वज्जितं ॥

५०. द्रुतं हेतं—

"दुग्धस्थो असुचि कायो कुणपो उक्करूपमो।
 निन्दितो चक्षुभूतेहि कायो बालाभिनन्दितो ॥
 अल्लचम्मपटिच्छन्नो नवद्वारो महावणो ।
 समन्तात् पग्धरति असुचि पूतिगन्धियो ॥
 सच्चे इमस्स कायस्स अन्तो बाहिरको सिया।
 दण्डं नून गहेत्वान काके सोणे निवारये" ति ॥

फूलों के विषय में "यह मांसपेशी है"—ऐसा सोच—सोच कर व्याकुल होने वाले बूढ़े सियार के समान होते हैं।

४९. जिस प्रकार कोई परमलोभी सियार दन में फूले हुए किशुक को देखकर "मैंने मांस का पेड़ पा लिया"—ऐसा सोचकर वहाँ दौड़ते हुए जाता है॥

और गिरे हुए फूलों पर भूंह भारते हुए, "यह मांस नहीं है, जो पेड़ पर है वही मांस है"—ऐसा भानता है।

उस प्रकार बुद्धिमान् न करें। अर्थात् वह ऐसा न भाने कि "शरीर से गिरा हुआ भाग ही अशुभ है", अपितु जो शरीर में है उसे भी वैसा ही भाने॥

मूर्ख इस काय को शुभ मानते हुए उसमें भ्रग्ध होते हैं। वे इसके साहारे पाप करते हुए दुखों से छुटकारा नहीं पाते॥

इसलिये बुद्धिमान् को जीवित या मृत अपवित्र काय के शुभत्व से रहित स्वभाव को देखना समझना चाहिये॥

५०. कहा भी है—

"दुर्गन्धित, अपवित्र काय शौचालय के समान धृणित है। यह काय (प्रज्ञा) चक्षुवालों के द्वारा निन्दित और मूर्खों के द्वारा ही अभिनन्दित है॥

"गीले (भीतरी) चमड़े से ढंका नी द्वारों वाला यह (शरीररूपी) महाव्रण चारों ओर से दुर्गन्धित गन्दवी बहा रहा है॥

"यदि इस शरीर का भीतरी भाग बाहर होता तो प्रत्येक शरीरधारी को स्वरक्षाहेतु अवश्य ही उण्डा लेकर कौदो और कुच्छों को रोकना पड़ता॥"

तस्मा दब्बजातिकेन भिक्खुना जीवमानसरीरं वा होतुं मतसरीरं वा, यत्थ यत्थ
असुभाकारो पञ्चायति, तथ्य तथेव निमित्तं गहेत्वा कम्मट्टानं अप्पनं पापेतद्वं ति ॥

इति साधुजनपापोज्जत्याय कतो विसुद्धिमण्डे समाधिभावनाधिकारे
असुभकम्मट्टाननिर्देशो नाम
छट्टो परिच्छेदो ॥



इसलिये उत्तर (=ओह) मनुष्य धर्म को प्राप्त करने की योग्यता रखने वाले बुद्धिमान् भिक्षु को,
चाहे जीवित शरीर हो या मृत शरीर, जहाँ भी अशुभ की प्रतीति हो वहाँ वैसा ही निमित्त ग्रहण कर
कर्मस्थान को अर्पणा तक पहुँचाना चाहिये ॥

साधुजनों के प्रगोद हेतु विरचित विसुद्धिमण्ड के
समाधिभावनाधिकार में असुभकर्मस्थाननिर्देश
नामक छठ परिच्छेद समाप्त ॥



